Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] सप्तम विधान सभा के प्रथम सत्र का 47 वां दिवस [संख्या 23

1] [2

मंगलवार,

19 अगस्त, 1980

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न श्री सुखलाल सेणचा

तारांकित प्रश्नोत्तर

केन्द्रीय सहकारी बैंक रायपुर मारवाड़ शाखा के व्यवस्थापक

543.**श्री सुखलाल सेणचा** (रायपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक की रायपुर मारवाड़ शाखा में व्यवस्थापक कितने समय से कार्यरत है?

(2) क्या तत्कालीन जिलाधीश श्री गजेन्द्र हल्दिया ने जनता की शिकायत पर इन्हें हटा दिया था ? यदि हां, तो अब तक आदेशों की पालना क्यों नहीं हुई ?

सहकारिता मन्त्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) दी, पाली सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि० की रायपुर मारवाड़ शाखा में व्यवस्थापक चार साल से कार्यरत है ।

(2) जी हां । जिलाधीश ने प्रथम आदेश 6-1-1979 को जारी कर स्थानान्तरण किया था परन्तु उसे स्थगित कर दिया । दूसरा आदेश 26-12-79 को दिया जिसे भी लोक सभा व विधान सभा चुनाव के कारण मौखिक आदेशों से रोक दिया ।

श्री सुखलाल सेणचा : अब आप कब हटाने जा रहे हैं ? एक मेरा निवेदन है कि इनको चार साल हो गये हैं, होता यह है कि कागजों में आदेश तो हो जाते हैं लेकिन अधिकारी लोग बीच में रोक देते हैं, इस लिये मैं यह आपके ध्यान में लाया हूं ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इस सम्बन्ध में प्रधान व्यवस्थापक केन्द्रीय सहकारी बैंक को निर्देश दिये जा चुके हैं, जहां तक आपका पहला प्रश्न है । बाकी, जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है 29-7-1976 से वे वहां पर हैं और अब तक चार साल होते हैं ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री हीरा लाल आर्य ।

(2)

खातौली ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा वसूली लेवी का अनाज

544. श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या खाद्य व आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1979-80 में आर एस. डब्ल्यू. सी. के एजेन्ट के रूप में खातौली ग्राम सेवा सहकारी समिति ने इमदादी मूल्य में लेवी तुलवाई थी ?

(2) क्या यह सही कि उस वक्त 110 बोरी कम पाई गई ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी हैं और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

आपूर्ति मन्त्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) जी हां ।

(2) 107 बोरी गेहूं वजन 106.81 क्वि. कम पाया गया। इसके लिये खातौली क्रय केन्द्र के 2 तकनीकी सहायक एवं सर्विस एजेन्ट ग्राम सेवा सहकारी समिति, खातौली दोषी पाये गये । दोनों तकनीकी सहायकों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है एवं सर्विस एजेन्ट के बिलों में कटौती कर दी गई है ।

श्री **हीरालाल आर्य** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि यह जो तकनीकी अधिकारी हैं इनके खिलाफ जांच चल रही है उस जांच से क्या यह सिद्ध नहीं हो गया कि 107 बोरी का गबन किया गया है ? अगर यह सही है तो फिर इनके खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा क्यों नहीं दायर किया गया ?

श्री **हनुमान प्रसाद प्रभाकर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब प्रथम दृष्टया केस बनता है तो उसकी जांच तो करनी होगी। मैं निवेदन कर दूं कि इसमें 25-8-1980 और 2-9-1980 की तिथियां तय की गई हैं। यह सही है कि 107 बोरियां कम पाई गई। जहां तक बोरियों का सवाल है उनका पैसा काट लिया गया है और दोषी अधिकारियों को चार्ज-शीट दे दी गई है। इसके बाद जांच करनी पड़ेगी और उनको बचाव का मौका देना पड़ेगा ।

प्रश्न संख्या 545

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री नन्दलाल मीणा

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 546

श्री समर्थलाल ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 547

श्री श्रीराम गोटेवाला ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 548

श्री जनार्दनसिंह गहलोत ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री दाऊदयाल जोशी

वन विभाग की योजनाओं का मूल्यांकन

549. श्री **दाऊदयाल जोशी** (दीगोद):

Page No. 3

(3)

(श्री दाऊदयाल जोशी)
क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) वन विभाग की किन-किन योजनाओं में राज्य सरकार, भारत सरकार और विश्व बैंक की कितनी-कितनी धनराशि लगी हुई है?

(2) क्या उन योजनाओं की उच्च स्तरीय जांच, सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन का कार्य हुआ? यदि नहीं, तो क्या अब सरकार मूल्यांकन करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

वन मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) इस वर्ष वन विकास की विभिन्न योजनाओं के लिये कुल 1160.64 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसमें से लगभग 92 लाख रु. का पुनःभरण का दावा विश्व बैंक से किया जावेगा। शेष राशि राज्य एवं भारत सरकार द्वारा उपलब्ध की जावेगी। उक्त राशि का योजनावार आवंटन सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) समस्त महत्वपूर्ण योजनाओं का विभागीय मूल्यांकन करवाया जाता है आवश्यकता पड़ने पर विशिष्ट योजनाओं का जैसे कि सघन वृक्षारोपण योजना, राजस्थान नहर परियोजना, वृक्षारोपण योजना, रेवाइन रिक्लेमेशन योजना का मूल्यांकन राज्य सरकार के मूल्यांकन संगठन द्वारा भी करवाया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री दाऊदयाल जोशी : अन्तिम मूल्यांकन कब हुआ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर क्षेत्र के वृक्षारोपण का जो मूल्यांकन संगठन द्वारा मूल्यांकन करवाया गया है वह 73-74 में हुआ, उसके बाद में दूसरा मूल्यांकन 76-77 में हुआ जिसमें सभी विभागों द्वारा किये गये वृक्षारोपण से सम्बन्धित मूल्यांकन था और तीसरा मूल्यांकन रेवाइन रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट का अभी जारी है जिसकी रिपोर्ट अभी आनी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या प्लान्टेशन का भी मूल्यांकन करवाया गया? यदि हां, तो कब और उसकी क्या रिपोर्ट आई?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया, ये तीन मूल्यांकन समय समय पर करवाये गये हैं। आपका आदेश हो तो तीनों का जो मूल्यांकन किया गया है उसको मैं पढ़कर सुना दूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्लान्टेशन की जो योजना है उसमें भयंकर रूप से करप्शन हुआ है। मेरे विधान सभाई क्षेत्र में चम्बल के रेवाइन्स हैं और कालीसिंध का रेवाइन्स है उन दोनों में प्लान्टेशन विभाग द्वारा लाखों की तादाद में प्लान्ट लगाये जाते हैं। इस वर्ष करीब 1 करोड़ 80 लाख पेड़ लगाने की योजना है, उसमें भयंकर करप्शन हो रहा है। पेड़ों को पानी नहीं दिया जाता, पेड़ पूरी तरह लगते नहीं, एन्गिल आइरन हजारों लोगों के घरों पर लगी पड़ी है। मैं अनेक बार सम्बन्धित अधिकारियों को कह चुका हूं। मेरा निवेदन है कि वृक्षारोपण की ओर प्लान्टेशन की बात करते हैं, इसकी विस्तृत जांच की जानी चाहिये।

Page No. 4

(4)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने करप्शन की जो बात कही है, किसी क्षेत्र विशेष में किसी जगह पर बजट प्रावधान के अन्तर्गत पौधे लगाने पर कितना खर्चा हुआ और कितने लगाये, कितने नहीं लगाये, अगर वह तथ्यात्मक स्थिति बतावें तो इसकी जांच कराई जा सकती है ? मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहती हूं कि जो मूल्यांकन करवाये गये हैं वे हमारे विभाग से नहीं कराये गये, मूल्यांकन संगठन से करवाये गये हैं, इसलिए इसमें तथ्यों को छिपाने का कोई प्रश्न नहीं है। तथ्यात्मक रूप से जानकारी देंगे तो इसमें कोई बात छिपाने की मन्शा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यह निवेदन कर देना चाहती हूं कि मूल्यांकन संगठन द्वारा जो मूल्यांकन किया गया है उसमें 79.9 परसेन्ट का परसेन्टेज आया है। इसमें इन्होंने कुछ कमियां भी बताई है और सुधार करने के लिये भी सुझाव दिये हैं उसकी रिपोर्ट अभी आनी है।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने जो तीन रिपोर्टों के बारे में कहा है, मैं प्रार्थना करूंगा कि उनको टेबल पर रखा जाय। दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि रेवाइन्स में वृक्षारोपण में कहां तक सफलता मिली है ? उसका प्रतिशत कितना रहा है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर तो आने दें।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका सर्वेक्षण हो रहा है, उसका मूल्यांकन सर्वेक्षण किया जा रहा है यह सारी रिपोर्ट थोड़े बहुत समय में आ जायेगी तो उसके बाद निवेदन कर दी जायेगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : प्लांटेशन की रिपोर्ट तो आई हुई है, वह तो हमें मिल जाये।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस रिपोर्ट की प्रति मांगी नहीं थी। अगर यह मांग रहे हैं तो प्रति प्राप्त करवा करके दे दी जायेगी।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात में विशेष कर निवेदन कर दूं क्योंकि लास्ट ईयर भी प्लान्टेशन किया गया था। उसमें एक भी पौधा नहीं लगा हुआ है। मैंने अधिकारियों से बात भी की थी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप जांच करें तो आपको मालूम हो जायेगा कि वास्तविकता क्या है ?

श्रीमती कमला : मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र की अव्यवस्था के बारे में जानकारी के लिए लिख कर दें तो जांच करके कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरे क्षेत्र में प्लांटेशन किया गया था लेकिन आज उसमें जांच की जरूरत है। पौधे लगाने के बाद जंगलात के लोगों से मिलकर पौधे कटवा दिये। उसके बाद भी फारेस्ट विभाग के अधिकारियों से मिलकर......

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य इस तरह का कोई प्रश्न नहीं है वरना जानकारी प्राप्त कर ली गई होती।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : एक बात कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को आप लिख कर के सूचित करें। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। श्री यदुनाथ सिंह!

राज्य कृषि विपणन बोर्ड

550. **श्री यदुनाथसिंह** (तदवई) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के कृषि विपणन बोर्ड की कितनी धन राशि किन-किन बैंकों में जमा है तथा पिछले तीन वर्षों में इस धन राशि से कितना ब्याज प्राप्त हुआ है ?

(2) क्या कृषि विपणन बोर्ड के पास ऐसी कोई ठोस योजना है जिसमें इस धन-राशि का उपयोग किया जा सके ? यदि हां, तो कृपया विवरण दें।

(3) क्या कृषि विपणन निदेशालय बनने के बाद विपणन बोर्ड की कोई उपादेयता है ?

(4) क्या कृषि उपज मंडी समितियों की स्थापना के बाद कृषकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ हुआ है ?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) राज्य के कृषि विपणन बोर्ड के पास 31-7-80 को रुपये 204.94 लाख जमा थे जिसमें 24.35 लाख राज्य सरकार का भी शामिल है। यह रकम निम्न प्रकार जमा है :—

	लाख रुपये
राज्य सरकार के पास ब्याज वाले मद में	169.00
राज्य सरकार के पास पी. डी. अकाउन्ट्स में	11.00
जयपुर नागरिक ग्रामीण आंचलिक बैंक में	14.19
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (आमेर रोड) ब्रांच में	5.00
स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर (सी-स्कीम) ब्रांच में	1.65
योग ..	204.94

इसके अतिरिक्त ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन डिपोजिट के 1.2.34 लाख हैं जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर सी-स्कीम ब्रांच में ब्याज वाले मद में जमा हैं। पिछले तीन वर्षों में बोर्ड को ब्याज से प्राप्त आय का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	ब्याज
1977-78	8,00,000
1978-79	5,53,000
1979-80	10,56,000
योग ..	24,09,000

(2) जी हां। कृषि विपणन बोर्ड के पास उपलब्ध धनराशि का निम्नांकित कार्यों में उपयोग किया जायेगा :

Page No. 6

6

(श्रीमती कमला)

1) नये बनाये जाने वाले कृषि भवन के अन्तर्गत कृषि विपणन बोर्ड के कार्यालय आदि के निर्माण हेतु ।

2) वित्तीय स्थिति से कमजोर मंडी समितियों को वित्तीय सहायता देना ।

3) कृषि विपणन सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर आवश्यकतानुसार समय समय पर अनुसंधान कराने हेतु विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता देना ।

4) बोर्ड द्वारा चलाये जाने वाले निर्माण कार्यों की कमी के कारण व्यवधान उत्पन्न न हों इस दृष्टि से एक रिवोल्विंग फंड की स्थापना ।

(3) जी हां । कृषि विपणन निदेशालय तथा विपणन बोर्ड दोनों को राज्य सरकार द्वारा पृथक् पृथक् कार्य आवंटित किये गये । विपणन निदेशालय मंडी नियमन योजना के क्रियान्वयन तथा मंडी समितियों के कर्मचारियों के संस्थापन का कार्य देखता है जबकि बोर्ड द्वारा मंडी समितियों के बजट वित्तीय नियन्त्रण, ऑडिट, मंडियों का विकास, समस्त निर्माण कार्य, प्रचार प्रसार तथा प्रशिक्षण का कार्य सम्पादित किया जाता है । देश के अन्य राज्यों में भी पृथक् पृथक् विपणन निदेशालय व विपणन बोर्ड हैं तथा राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश भी इसी प्रकार दोनों को बनाये जाना जरूरी था ।

(4) जी हां । कृषि उपज मंडी समितियों की स्थापना के बाद प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से कृषकों को बहुत लाभ हुआ है । मंडी नियमन के पहले कृषक को मंडी में 5 से 30 प्रतिशत तक खर्चा वहन करना पड़ता था परन्तु अब कृषक को सिर्फ लगभग 3 प्रतिशत खर्चा देना होता है जिसमें से उसे पहले से अधिक कीमत प्राप्त होती है और कृषि उत्पादन में पूरा प्रोत्साहन मिलता है । मंडी समिति में कृषकों के 7 सदस्य होने से उनकी आवाज को अधिक मान्यता मिली है जबकि पहले वह व्यापारी वर्ग के सामने उपेक्षित तथा असहाय-सा रहता था । मंडी में उपलब्ध होने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं व सम्पर्क सड़कों के निर्माण से उसे परोक्ष रूप में काफी लाभ हुआ है ।

श्री यदुनाथसिंह : क्या सरकार के सामने और कोई योजना है कि जो कच्ची सड़कें बनी हैं उनको इस फण्ड, जो सरकार का करोड़ों रुपया बैंकों में पड़ा है, से प्राथमिकता के आधार पर पक्की बनाई जा सकें ?

श्रीमती कमला: इस प्रकार की निश्चित योजना तो कोई हमारे पास नहीं है । लेकिन निर्माण करने के लिये सड़क बनाने के लिए प्रावधान होगा तो किसी सड़क को प्राथमिकता से लिया जाये तो लिया जायेगा ।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह भिन्न-भिन्न बिन्दु हैं इसके लिए क्या सरकार· · ·

श्री अध्यक्ष: अलग प्रश्न ।

श्री दाऊदयाल जोशी: क्या राज्य सरकार को सबसे अधिक ब्याज को-ऑपरेटिव बैंक के द्वारा दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष: अलग प्रश्न ।

श्री दाऊदयाल जोशी: इसका क्या कारण है । सीधा सादा प्रश्न है ।

श्रीमती कमला : मेरे पास इस वक्त जानकारी नहीं है कि कितना कितना ब्याज मिलता है।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं . . .

(व्यवधान)

सबसे अधिक ब्याज को-ऑपरेटिव बैंक्स से . . .

श्री अध्यक्ष: यह अलग से प्रश्न है, इसमें नहीं आता।

(व्यवधान)

अलग प्रश्न पूछिये। माननीय सदस्य, आप इसे अलग से उठायें।

श्री दाऊदयाल जोशी: यहां करप्शन होता है . . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात निगाह में लावे हैं, मैं देखूंगी कि क्यों नहीं किया गया।

श्री दाऊदयाल जोशी: को-ऑपरेटिव बैंक अधिक ब्याज देते हैं। माननीय मंत्री महोदय जवाब दें, सबसे ज्यादा ब्याज को-ऑपरेटिव बैंक.

प्रश्न संख्या 551

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री बृजसुन्दर शर्मा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री सी.पी. जोशी।

प्रत्येक जिले में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना

552. **श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने कुछ समय पूर्व यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक जिले में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय होगा ?

(2) उदयपुर जिले में कितने स्नातकोत्तर महाविद्यालय हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या सरकार नाथद्वारा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर): (1) राज्य सरकार ने वर्ष 1977-78 में केवल 15 महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया था।

(2) उदयपुर जिले में निम्नलिखित कुल 5 स्नातकोत्तर महाविद्यालय हैं।

1) राजकीय मीरां कन्या महाविद्यालय, उदयपुर।

2) विद्या भवन रूरल इन्स्टीट्यूट, उदयपुर-अराजकीय।

3) उदयपुर स्कूल ऑफ सोशियल वर्क्स, उदयपुर--अराजकीय।

Page No. 8

8

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

4) भूपाल नोबल्स कॉलेज, उदयपुर—अराजकीय।

5) स्कूल आफ बेसिक साइन्स एण्ड ह्युमानटोण, उदयपुर यूनिवर्सिटी, उदयपुर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित।

(3) इस वर्ष किसी स्नातक कॉलेज को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रथम प्रश्न था कि क्या सरकार ने कुछ समय पहले निर्णय लिया था कि प्रत्येक जिले में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोला जायेगा? इसका उत्तर नहीं आया। जिन महाविद्यालयों का विवरण दिया है माननीय शिक्षा मंत्री ने वहां 3 स्नातकोत्तर महाविद्यालय उदयपुर के अन्दर हैं जब कि उस पर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद वहां कोई कॉलेज नहीं है। क्या सरकार ने ऐसा निर्णय किया था कि वहां कॉलेज खोला जायेगा? दूसरा प्रश्न था कि उदयपुर के अलावा किसी जगह स्नातकोत्तर खोलने की बात की जा रही थी?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : ऐसा तो निर्णय नहीं है कि किसी जिले में लिया जाएगा। 23-7-77 को 15 महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किया गया, उनमें से 13 महाविद्यालय ऐसे थे जो कांग्रेस सरकार ने प्रस्तावित किए थे और उसके बाद दो और बढ़ा कर जनता राज में कुल 15 किए गए। जिले का जहां तक सवाल है, अभी जैसलमेर और जालोर दो जिले ऐसे हैं जहां जिला स्तर पर स्नातकोत्तर महाविद्यालय नहीं हैं।

श्री सी. पी. जोशी : मेरा कान्क्रीट क्वेश्चन है कि जिला स्तर पर यदि स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोले गए तो डूंगरपुर-बांसवाड़ा में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज 1977 में खोले। उदयपुर इतना बड़ा जिला है, उदयपुर के अलावा और कहीं स्नातकोत्तर शिक्षा नहीं ले पाते। उदयपुर में खेरवाड़ा स्नातकोत्तर कॉलेज खोलने का निर्णय किया गया था। जैसलमेर में पॉपुलेशन के हिसाब से हो सकता है कि आवश्यकता नहीं हो लेकिन नाथद्वारा में एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खुल सकता है क्योंकि उदयपुर जिले में 11 विधान सभा क्षेत्र हैं और उदयपुर के अलावा कहीं भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है इसलिए जो 13 स्थान आपने बताए कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोले हैं वे सभी जिला मुख्यालयों पर खोले हैं कोई ऐसा स्थान नहीं है जो जिला मुख्यालय नहीं है। इसलिए क्या सरकार की मन्शा है कि नाथद्वारा में इस साल स्नातकोत्तर क्लासेज प्रारम्भ करने जा रही है?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : राजस्थान में करीब 40 स्नातकोत्तर महाविद्यालय हैं और उदयपुर में 5 . . .

श्री अध्यक्ष : सीधा सवाल है, नाथद्वारा में आपका खोलने का विचार है क्या?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : उसका उत्तर मैं दे चुका हूं कि इस वर्ष खोलने का प्रावधान नहीं है। दूसरे, चूंकि आपने प्रश्न पूछा है, कई बार स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोले हैं उनमें आप ताज्जुब करेंगे किसी में 44, किसी

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

में 41, कहीं 65, कहीं 57 छात्रों की संख्या है, जो 1977 में खोले गए उनकी छात्रों की संख्या बता रहा हूं। जहां तक नाथद्वारा का सवाल है आपके छात्रों की संख्या 669 है अलग अलग विषयों को कुल मिला कर विज्ञान, कला और वाणिज्य टोटल मिलाकर 669 छात्र हैं। अब यदि स्नातकोत्तर महाविद्यालय भी हों और एक विषय में हो छात्रों का अनुपात क्या बैठेगा ?

उदयपुर नाथद्वारा की दूरी बताई महाविद्यालय के हिसाब से सारे राजस्थान को एक आधार मानकर चलना पड़ेगा, केवल उदयपुर-नाथद्वारा की दूरी से नहीं चलना पड़ेगा। उदयपुर जिले में आज की तारीख में 5 कॉलेज विद्यमान हैं. . . .

श्री सी. पी. जोशी: उदयपुर जिले में एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोला। मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिन विषयों में जो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज उदयपुर विश्वविद्यालय में हैं, वहां स्टूडेन्ट्स का क्या अनुपात है? उदयपुर में मीरा कन्या महाविद्यालय है. . . .

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर: इस हाल कोई प्रावधान नहीं है, आगे की बात मैं नहीं कह सकता. . . .

प्रश्न संख्या 553

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न

श्री नाथूसिंह:

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री माधव सिंह दीवान, श्री रामसिंह बिश्नोई, श्री माणकमल मेहता, श्री गोकुल चन्द शर्मा, श्री राम नारायण डूंडी।

कृषि उपज मंडियों द्वारा लगाये गये कर

554. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) **श्री, राम सिंह बिश्नोई** (लूणी), **श्री माणक मल मेहता** (पाली) **श्री गोकुल चन्द शर्मा** (सुमेरपुर), **श्री रामनारायण डूंडी** (बिलाड़ा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भूतपूर्व सरकार ने कृषि उपज मंडियों द्वारा लगाए गए अनाज तथा चावल आदि पर से कर को हटाया था? यदि हां, तो किन किन चीजों से व उससे राज्य कोष व मंडियों को कितना नुकसान हुआ?

(2) उक्त नीति का प्रयोजन व लक्ष्य क्या था?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला): (1) जी हां। भूतपूर्व सरकार ने चावल पर से मंडी शुल्क हटाया था। इससे मंडी समितियों को लगभग 10 लाख रुपये का वार्षिक मंडी शुल्क नहीं मिलने से हानि हुई।

(3) व्यापारियों के प्रतिवेदन पर।

श्री राम सिंह बिश्नोई: मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि चावल पर से मंडी टैक्स हटाने के लिये तत्कालीन कृषि मंत्री ने करीब ढाई लाख रुपये रिश्वत के लिए थे? यदि हां, तो इसको आप उचित समझती हैं? दूसरे, क्या यह सही है कि जो दूसरे अनाज हैं, उन पर अगर टैक्स लगता है तो वापस चावल पर टैक्स लगाना आपके विचाराधीन है?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्षमहोदय इस टैक्स को हटाने के मामले में मुद्दे की बात यह थी कि हर जिन्स पर एक ही पाइंट पर टैक्स लगना चाहिए। अगर किसी जिन्स पर दो पाइन्टस पर टैक्स लगता है तो उसको हटाना चाहिए। उस सिलसिले में हटाया गया था। अब वापिस रखा जाना चाहिए या नहीं, इस पर विचार नहीं किया गया है, इस लिए अभी मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री राम नारायण डूडी : जिस समय यह टैक्स हटाया गया था उस समय व्यापारियों में कितनी रकम बाकी थी ? जैसे 10 लाख केसेज टैक्स में आए तो कितने कितने साल की बकाया थी ? दूसरे, इस टैक्स को हटाने में बहुत बड़ी साजिश थी। तत्कालीन कृषि मंत्री कौन थे और उन्होंने केवल व्यापारियों को लाभ पंहुचाने के लिए इस टैक्स को हटाया ? यदि सही है, तो उसको हटाने की मन्शा क्या थी ?

श्रीमती कमला : कितने व्यापारियों में कितनी बकाया थी और भूतपूर्व मंत्री ने कितने लाख की बकाया को माफ करने के लिए कितना लिया दिया, इसकी जांच संभव नहीं है। जिस व्यापारी ने दिया है, वही सबसे बड़ा सबूत हो सकता है, वे कहते हों तो मुझे मालूम नहीं कि उसने लिए या नहीं, मेरे बस की बात नहीं, देने वाला राजी, लेने वाला राजी तो क्या करेगा काजी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हो सकता है व्यापारियों में बकाया थी, उनको देना पड़ता था, इस कारण से दिया होगा तो सहूलियत हुई होगी। ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हैं जवाब देना संभव नहीं है।

श्री रामनारायण डूडी : 10 लाख की हानि हो रही थी और 10 हजार की वार्षिक आय थी तो कितना रुपया टैक्स के रूप में व्यापारियों को छोड़ा गया ?

श्रीमती कमला : अगर यह टैक्स रहता तो 10 लाख की आमदनी होती।

श्री रामसिंह विश्नोई : अनाज पर जो टैक्स लगाया तो मंडी को कौनसी आमदनी हो जाती है ? टैक्स लगाना बंद कर देते हैं तो सारी कृषि मंडी की आमदनी मर जाती है।

श्रीमती कमला : मेरी बात को समझे नहीं।

श्री रामसिंह विश्नोई : कल मिर्ची पर से भी हटा देंगे ?

श्रीमती कमला : एक मिनट सुनने की कृपा करें, किसी भी जिन्स पर एक ही पाइंट पर टैक्स लगाया जाए दुबारा नहीं लिया जाना चाहिए, इस कारण टैक्स हटाया। चावल पर टैक्स नहीं लगाकर धान पर, ओरीजिनल पाइंट 1 पर लगाया गया तो वापस चावल पर नहीं लगाया। अगर चने पर लगाया तो चने की दाल पर नहीं लगाया, अगर मूंग पर लगाया तो मूंग की दाल पर नहीं लगना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था उनके सामने आई, इसलिए उन्होंने धान पर रख कर, चावल पर से हटा दिया।

श्री रामसिंह विश्नोई : मामला ऐसा नहीं है। ये व्यापारी किसानों से टैक्स ले लेते थे, लाखों रुपये व्यापारियों के पास टैक्स के रूप में जमा थे, उससे बचने के लिये

(श्री रामसिंह विश्नोई)
गवर्नमेंट में टैक्स जमा नहीं कराने की साजिश की। ढाई लाख रुपये उन्होंने मंत्री को दिए और टैक्स माफ करवाया। आप जिस पद पर हैं, आपको जो कार्य सौंपा है, आप सक्षम हैं, आप कहती हैं मुझे मालूम नहीं है, तो फिर आप कौनसा काम करने जा रही हैं ?

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य बहुत तेजी से बोल रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह पहले भी हो चुका है और कई जिन्सों पर हो चुका है। आप चाहें तो पढ़ कर सुनाऊं। अप्रेल, 1977 तेंदू, धान पर, तिलहन पर, फल सब्जियों पर, पशु पालन उत्पादन पर, मसालों पर, मेवातों पर, इस तरह बहुत से टैक्सेज माफ किए गए।

श्री रामसिंह विश्नोई : वह मामला अलग है।

श्रीमती कमला : जो अप्रेल, 1977 में धान पर टैक्स माफ किया गया था वह टैक्स गलत माफ हुआ था बल्कि फर्स्ट पाइंट पर होना चाहिए और सैकन्ड पाइंट पर माफ होना चाहिए। इसलिए धान पर लगाया और चावल पर से छोड़ा।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मामला बिलकुल साफ हो जायेगा अगर मन्त्री महोदय यह जानकारी प्राप्त कर लें कि वहां के व्यापारियों में कितनी रकम बकाया थी ? जिस वक्त चावल पर यह टैक्स समाप्त किया गया था, ज्योंही आप इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे आपको स्पष्ट हो जायेगा कि वहां कोई स्कैण्डल हुआ कि नहीं।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, हो सकता है इसमें कोई स्केन्डल हुआ हो। पर सन् 1977 अप्रेल के पहले कई जिन्सों पर टैक्स हटाया गया था उस समय कई जिन्सों का टैक्स व्यापारियों पर बकाया होगा तो इससे यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि उसमें कोई स्केन्डल हुआ हो। धान पर टैक्स लगाकर चावल पर से टैक्स हटाया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न। श्री माणकमल मेहता।

पाली में पथ परिवहन निगम का आगार खोलना

555. **श्री माणकमल मेहता** (पाली) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली में राज्य पथ परिवहन निगम का आगार खोले जाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या पाली की जनसंख्या एवं उद्योगों को देखते हुए वहां की जनता की मांग पर इस वर्ष यह योजना कार्यान्वित कर दी जायेगी ?

यातायात मन्त्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) जी नहीं। आगार खोलने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं।

[redacted] **Page No. 12**

(2)

श्री माणकमल मेहता : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि पाली जो कि इन्डस्ट्रियली बहुत बड़ा टाउन है और जहां से हजारों यात्री रोजाना बस से यात्रा करते हैं और करीब 25 से ज्यादा राज्य पथ परिवहन निगम की बसें वहां से गुजरती हैं वहां पर बसों की कमी के कारण करीब 500-400 यात्री रोजाना अपने कामों के लिये इधर उधर जाने से महरूम हो जाते हैं। वहां पर परेशान होते हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां पर बसें स्पेअर नहीं होने से दूसरी बसें यात्रियों के लिये नहीं चलायी जा सकती हैं इससे वहां की जनता को बहुत भारी असुविधा होती है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, और कोई साधन नहीं है इसलिये आपके माध्यम से मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि पाली चूंकि बड़ा शहर है वहां बसें जोधपुर, उदयपुर, आबू, अहमदाबाद वगैरह आती हैं और उधर से जाती भी हैं। पाली एक बहुत बड़ा स्टोपेज है, इसलिये पाली के महत्व को देखते हुए व पाली शहर के इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट को देखते हुए, क्या मन्त्री महोदय स्पेअर बसें रख कर बसें चालू करके यात्रियों की असुविधा ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं। यह कह दीजिये, पाली के महत्व को देखते हुए क्या राज्य सरकार वहां आगार खोलने का विचार रखती है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि पाली आगार से आठ बसें आती हैं, आठ बसें जाती हैं। बाकी जो बसें आती हैं वह तो उधर से एक डिपो से आती हैं और पाली होकर गुजरती हैं ? जहां तक कहीं पर आगार खोलने का प्रश्न है एक आगार से कम से कम 35 बसें आनी जानी चाहियें, पर चूंकि पाली से सिर्फ आठ बसें आती हैं और आठ ही जाती हैं इसलिये वहां पर आगार खोलना सम्भव नहीं है।

श्री माणकमल मेहता : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन तो यह है कि करीब 500 यात्रियों को असुविधा होती है वह जा नहीं पाते हैं। वहां से लोग जाकर वहां के निगम के कर्मचारियों से मिलते हैं तो वह यह कहते हैं कि आप यहां पर डिपो खुलवा लें तो यहां से बस चल सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूं, बसों में इस प्रकार से यात्रियों को ठूंसते हैं कि एक एक बस में 80-80 और 100-100 यात्री भरें जाते हैं फिर भी यात्री रह जाते हैं, तो मेरा निवेदन है कि इसके लिये आप अतिरिक्त बसें वहां से चलाने का प्रावधान करें। अध्यक्ष महोदय, पाली बहुत ही डवलप्ड सिटी है अगर आप उसके लिये बसों का अतिरिक्त प्रावधान करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : आगार खोलना अलग बात है और बसों की कमी को दूर करना अलग बात। अगर आगार का प्रश्न नहीं है, तो बसों की कमी को दूर करने के लिये विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न। श्री शोभराजमल।

बी श्रेणी के चिकित्सालय

556. **श्री शोभराजमल** (चित्तौड़गढ़) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने बी श्रेणी के चिकित्सालय हैं ?

(2) उनमें से जिला मुख्यालयों पर कितने हैं ?

(3) क्या चित्तौड़गढ़ स्थित चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (1) राज्य में बी श्रेणी के कुल 13 चिकित्सालय हैं । सूची संलग्न है ।

(2) दस चिकित्सालय ऐसे हैं जो जिला मुख्यालय पर स्थित हैं । जो प्रश्न के भाग (1) के उत्तर संलग्न सूची में दर्शाये गये हैं ।

(3) जी हां । छठी पंचवर्षीय योजना में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर क्रमोन्नत करना सम्भव होगा ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें).

श्री शोभराजमल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि चित्तौडगढ़ जिला हैडक्वार्टर है । राजस्थान के दूसरे दस जिला हैडक्वाटर्स पर बी श्रेणी का चिकित्सालय है पर चित्तौड़गढ़ जिला हैडक्वाटर्स होने के बावजूद भी वहां पर बी श्रेणी का चिकित्सालय नहीं है । अतः मेरा निवेदन है कि चित्तौड़गढ़ चिकित्सालय को बी श्रेणी का चिकित्सालय इसी वर्ष क्रमोन्नत कर दिया जाय तो वहां की जनता आपकी आभारी होगी ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : फिर भी मंत्री महोदय यह तो बताने का कष्ट करें कि आपने इस बारे में कोई फेज प्रोग्राम बनाया है क्या ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : अभी वह विचाराधीन है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपनी कुछ मानर्स तो बनाया होगा कि अगर छठी पंचवर्षीय योजना में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध हो जाय तो उसको क्रमोन्नत किया जायेगा । आपने कोई प्लानिंग तो बनाया होगा । उसके अनुसार कितने साल बाद उसको "बी" श्रेणी चिकित्सालय क्रमोन्नत कर दिया जायेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अपने जवाब में कहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर क्रमोन्नत करने के लिये विचार किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा

विधायकों के परिलाभों में अभिवृद्धि के प्रस्ताव

557. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या मंत्री, संसदीय कार्य विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार इसी सत्र में विधायकों को मिल रहे दैनिक भत्ते में रुपये 51 के स्थान पर 100 रुपये तथा आतिथ्य भत्ते में 100 रुपये के स्थान पर रुपये 250 करने का विधेयक पारित करने का विचार रखती है ?

(2) जिन कारणों से उक्त भत्तों में वृद्धि करने का विचार है क्या उन्हीं कारणों को मद्दे नजर रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में भी वृद्धि करने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब से एवं कितनी ?

मंत्री संसदीय कार्य (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता): (1) प्रश्न विचाराधीन है ।

(2) विधायकों का व अधिकारियों के भत्तों का परस्पर कोई संबंध नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से मेरे प्रश्न में पूछा कि जिन कारणों से विधायकों का भत्ता बढ़ाने का सरकार विचार रखती है उन्हीं कारणों को मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में भी वृद्धि करने का विचार रखती है ? आपने कहा है कि विचाराधीन है तो वह कौन कौन से मामले हैं जो कि विचाराधीन हैं ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता: आपने जो प्रश्न पूछा वह विचाराधीन है ।

प्रश्न संख्या 558

श्री अध्यक्ष : श्री शिवराम शर्मा ।
(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री देवीसिंह भाटी ।

बीकानेर-बरसलपुर मार्ग पर पुन: बस सेवा प्रारम्भ करना

559. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर-बरसलपुर मार्ग पर पांच वर्ष पूर्व तक नियमित बस सेवा उपलब्ध थी जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो किन कारणों से बस सेवा बन्द की गई ?

(2) क्या यह सही है कि सरपंच बरसलपुर व ग्रामीणों द्वारा बस सेवा के सुचारु नहीं होने संबंधी की गयी शिकायतों पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर अथवा उपयुक्त स्तर पर उपयुक्त कार्यवाही नहीं की गई ? सरकार का इस बस सेवा का पुन: चालू करने के बारे में क्या विचार है ?

यातायात मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर): (1) यह सही है कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के आदेश दिनांक 14-9-77 द्वारा अगनेऊ से बरसलपुर मार्ग की कटौती अगनेऊ के आगे एक बड़ी पायलट नहर बनने पर की थी एवं रिट के प्रसंग में यह प्रकरण अब उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) शिकायत पर कार्यवाही न करने की बात सही नहीं है क्योंकि बरसलपुर को बस से जोड़ने की कार्यवाही निरन्तर की गई है एवं

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
उच्च न्यायालय से रिट के निर्णीत होने पर सेवा पुनः चालू करने की कार्यवाही की जायेगी ?

श्री देवीसिंह भाटी: अध्यक्ष महोदय, जो मेरा मूल प्रश्न था उसको तो काट-छांट दिया है। मेरा निवेदन यह है कि जो मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया कि जो वहां के ग्रामीणों ने शिकायत की थी, उस पर कार्यवाही नहीं करने की बात सही नहीं है। यह बात गलत है। वहां पर यह कहा गया था कि वहां नहर बन रही है. इसलिये वहां से बस पार नहीं हो सकती है। यह गलत है। क्यों कि वहां पर एक पुल बनाया हुआ है और बस सेवा वहां चालू हो सकती है पर हमने जब इसके लिये शिकायत की तो इस पर कोई जांच नहीं की गयी है। जो शिकायत की गयी थी उस पर कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर: अध्यक्ष महोदय, बीकानेर-बरसलपुर मार्ग पर 14-9-77 तक नियमति बस सेवा उपलब्ध थी। पर बाद में इस मार्ग पर स्थित गांव अगनेऊ के आगे एक बड़ी पायलट नहर के बन जाने के कारण वह बन्द की गयी थी। अगनेऊ से बरसलपुर का भाग अनुज्ञाधारियों के निवेदन पर प्राधिकार ने आदेश दिनांक 14-9-77 द्वारा काट करके इसे अगनेऊ से 800 आर. डी. तक वृद्धिकृत करके मार्ग बीकानेर-अगनेऊ से 800 आर.डी. तक बना दिया साथ ही बरसलपुर को बस सेवा से पुनः मिलान हेतु दिनांक 14-9-77 के प्रस्ताव से बीकानेर रणजीतपुरा मार्ग को बरसलपुर तक बढा दिया है। दिनांक 28-8-79 के निर्णय द्वारा बीकानेर-बरसलपुर वाया अगनेऊ मार्ग नया खोला गया जिन्हें अपीलेट न्यायाधिकरण ने आदेश दिनांक 17-2-79 द्वारा निलम्बित कर दिया। प्राधिकार ने प्रस्ताव दिनांक 2-8-79 द्वारा पाइलट नहर पर बने पुल के बन्द हो जाने के कारण बीकानेर-बरसलपुर मार्ग अगनेऊ 5|2 का स्कोप खोल और तुरन्त बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु स्थायी अनुज्ञापत्र जारी किया। अपीलेंट न्यायाधिकरण ने उक्त दिनांक 2-8-79 का प्रस्ताव विलोपित कर अपने निर्णय दिनांक 6-1-80 के निर्णय के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका विचाराधीन होने के फलस्वरूप दोनों मामले स्थगित किये हैं अतः उच्च न्यायालय से निर्णय होते ही बीकानेर-बरसलपुर से पुनः चालू करने की कार्यवाही हो सकेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका बीकानेर-बरसलपुर अस्थायी अनुज्ञाधारी श्री मांजी खां की ओर से दायर की है। लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री देवीसिंह भाटी: अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय तो हो जायेगा, इसके पहले की जो स्थिति है उस पर कृपया मंत्री महोदय यह जांच करवायें कि जब शिकायत की गयी कम से कम, अध्यक्ष महोदय, शिकायत कर्ता को तो इत्तला करनी चाहिए थी कि हम मौके पर जा रहे हैं। बस मालिकों ने अपने हित को देखते हुए गलत मौके पर ले जाकर खड़ा कर दिया हालांकि अधिकारियों के पास पूरी जानकारी नहीं थी। 860 आर. डी. पर पुल बना हुआ था। इस पर शिकायत की गयी उसके उपरान्त भी जांच नहीं की गयी तो इसकी तो जांच करवायें। विशेषतौर पर यह निवेदन है कि 90 मील दूर बीकानेर शहर पड़ता है और कोई आने-जाने का साधन नहीं है। इसलिए कोई न कोई आने-जाने की व्यवस्था करायें। कृपया आश्वासन तो दे दें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मुझे आपत्ति नहीं है जांच करवाने में ।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न ।

श्री रामसिंह विश्नोई, श्री माधवसिंह दीवान, श्री राम नारायण डूंडी ।

पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादन संघ

560. **श्री राम सिंह विश्नोई** (लूणी), **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) श्री **रामनारायण** डूंडी (बिलाड़ा): क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक संघ, जोधपुर में दुग्ध संकलन की क्षमता कितने लाख लीटर की है? इस संघ में अधिक से अधिक दुग्ध किस वर्ष में किस माह में एकत्रित हुआ व अभी इस डेयरी में प्रतिदिन कितना दुग्ध प्राप्त हो रहा है ? क्या यह सही है कि डेयरी में दुग्ध की मात्रा दिनों दिन कम होती जा रही है ? यदि हां, तो इस संघ की डेयरी में तालाबन्दी करने हेतु कम से कम कितने लीटर दुग्ध की प्राप्ति आवश्यक होगी ? इस संबंध में सरकार की स्पष्ट नीति क्या है ?

(2) उक्त उत्पादक संघ में डेयरी संयंत्र से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए कहां 2 पर कितने कार्यालय भवन हैं व उनमें कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या कार्यालय वार कितनी 2 है ? क्या डेयरी संयंत्र के अतिरिक्त अन्य जगह पर संयंत्र संबंधित कार्यालय अलग 2 होने से दुग्ध उत्पादकों को अपने कार्यों हेतु अलग 2 कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं ? यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में भावी नीति क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर में फैडरेशन में अधिकारीगण पशुपालन व दुग्ध संकलन के कार्यों से अनभिज्ञ हैं ? यदि हां, तो उनको गांवों में संबंधित डेयरीज में प्रशिक्षण देने हेतु भेजने के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डेयरी विकास मंत्री (श्रीमती कमला): (1) जोधपुर डेयरी संयंत्र की क्षमता एक लाख लीटर प्रतिदिन है । इस संघ में अधिक से अधिक दुग्ध माह फरवरी, 1978 में एकत्रित हुआ व अभी इस डेयरी में प्रतिदिन 26,300 लीटर दुग्ध प्राप्त हो रहा है । डेयरी में दुग्ध उत्पादन की मात्रा में कमी हुई है क्योंकि गत वर्ष बाढ़ के कारण चिलिंग प्लान्ट बालोतरा क्षतिग्रस्त हुआ, उसके पश्चात् पश्चिमी जिलों में भयंकर अकाल पड़ा एवं बाढ़ में आये दिन बिजली की कटौती के कारण दुग्ध की मात्रा में कमी हुई । इस समय अच्छी वर्षा होने से दुग्ध प्राप्ति में कमी नहीं हो रही है । अतः तालाबन्दी की आवश्यकता नहीं है ।

(2) पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक संघ, जोधपुर के डेयरी प्लान्ट संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये प्लान्ट परिसर में एक कार्यालय भवन है । उसमें 130 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं । इसके अलावा संघ का कार्यालय पावटा में स्थित है जिसमें 50 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त वीर्य संकलन केन्द्र हेतु एक भवन शास्त्री नगर में है जिसमें 14 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं । दुग्ध उत्पादकों का सम्पर्क अधिकतर संघ अधिकारियों व कर्मचारियों से होता है और ये सभी अधिकारी एक ही जगह पावटा में बैठते हैं ।

(3) जी नहीं ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि अधिक से अधिक दुग्ध कौनसी तारीख को संकलित हुआ ? यह नहीं बताया । आपने तारीख और महीना तो

(श्री रामसिंह विश्नोई)

बता दिया लेकिन यह नहीं बताया कि 80 हजार लीटर हुआ था 60 हजार लीटर हुआ। हमारे यहां गत वर्ष भयंकर बरसात हुई थी और दुग्ध एकत्रित नहीं हुआ। अच्छी घास हुई और अच्छा जमाना हुआ। दुग्ध कम होने की वजह यह थी कि वहां पर दुग्ध का भाव कम देते हैं इसलिए लोग दुग्ध देना उचित नहीं समझते हैं। जितना पैसा उनको मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिलता है। इसलिए कृपया स्पष्ट करें कि जिन अधिकारियों द्वारा यह डेयरी ताला-बन्दी की स्थिति में आ गयी है उसको सुधारने का क्या प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तारीख और महीना बताया उसमें 78,500 लीटर दूध प्रति दिन की आवक हुई। जो आपने निवेदन किया कि इसकी स्थिति खराब होती जा रही है और काश्तकारों को उसमें विश्वास नहीं रहा है तो मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुकी हूं कि इस समय भी और पहले भी कुछ अव्यवस्था के कारण, चुनाव नहीं होने के कारण, जन प्रतिनिधियों का उसमें पार्टीसिपेशन नहीं होने के कारण से बहुत सारी कमियां हैं। कुछ व्यवस्था करने वाले लोगों की अकुशलता के कारण से भी हो सकता है या रुचि सही नहीं लेने के कारण से भी है। जल्दी से जल्दी व्यवस्था करके उसकी तरक्की की जाये, किसानों की उसमें आस्था बने और जितना भी अतिरिक्त दूध किसान देने की क्षमता में हों सारा दूध लेकर यह सब सही कर सकें इसके लिए जल्द जल्दी से जल्दी प्रयत्न करेंगे।

श्री रामनारायण चूंडी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह भी कारण नहीं है कि जितना दूध का भाव किसानों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है ? साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि 78,500 लीटर दूध फरवरी, 1978 में प्राप्त हुआ जबकि आज 26,300 लीटर दूध ही प्राप्त हो रहा है ? बालोतरा का हवाला दिया जा रहा है तो वहां उसे कितना दूध दिया जाता था ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सारे वेस्टर्न जोन का पूछा है, उसमें अलग-अलग बताने के लिए तो मेरे पास आंकड़े नहीं है कि बालोतरा में कितना होता था लेकिन जो आपका यह कहना है कि बराबर दूध की आवक गिरती जा रही है यह स्थिति दरअसल में सही नहीं है। बीच में दो साल बाढ़ और अकाल और बिजली की कटौती के कारण कमी हुई है। बाकी मैं निवेदन करूं कि 1975-76 में 40 लाख किलो लीटर दूध इकट्ठा किया गया, 1976-77 में 160 लाख किलो लीटर दूध इकट्ठा किया गया, 1977-78 में 201 लाख किलो लीटर दूध इकट्ठा किया गया, 1978-79 में 217 लाख किलो लीटर दूध इकट्ठा किया गया। इसलिए कम्परेटिवली हर साल दूध ज्यादा इकट्ठा किया गया लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है कुछ प्राकृतिक प्रकोप के कारण से और कुछ इस कारण से कि प्लान्ट की क्षमता उतनी नहीं जितना अतिरिक्त दूध उपलब्ध है। 693 लाख लीटर और है और इस समय उसमें से आधा जो दूध है वहीं खपत हो जाता है और आधा

(श्रीमती कमला)
दूध इसमें लेना चाहिए लेकिन उसकी क्षमता कम है इसलिए उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

श्री **मानसिंह देवड़ा** (सरदारपुरा): एक प्रश्न और है जो इसी से संबंधित है । जो दूध का बाटलिंग विभाग है उसको बन्द करने का क्या कारण है ? .

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज । यह तो आप बहुत ही विस्तार में चले गये ।

श्री रामसिंह विश्नोई

श्री **रामसिंह विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न था । जो डेयरी के अन्दर अधिकारी और कर्मचारी हैं और उनसे मिलने के बाहर के पशु पालक आते हैं उनके लिए मैंने पूछा था कि आपने किराये पर कितने आफिस ले रखे हैं ? क्या यह सही है कि डेयरी संघ के द्वारा तीन चार अलग-अलग बंगले किराये पर लिये हुए हैं जब कि संघ के अन्दर ही ऐसी व्यवस्था है कि सब वहां बैठ सकते हैं । लाखों रुपया खर्च करके बिल्डिंग बनाई हुई है और इतनी सुन्दर बिल्डिंग है कि 500 आदमी आराम से बैठ सकते हैं । उसके बावजूद पूरे शहर के अन्दर जाल बिछाया है आफिसेज का । पशुपालकों को 30 रुपया खर्च करना पड़े तब घूम सकते हैं । क्या जरूरत थी अलग अलग अधिकारियों के लिये अलग-अलग जगह लेकर उनको बैठाने की ? क्या एक ही स्थान पर उन्हें एकत्रित करने की कोई योजना है ?

श्रीमती **कमला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अलग-अलग जगह पर अलग अलग मकान और कार्यालय बनाये हुए हैं उसका कारण तो यह है कि जहां-जहां पर उस शहर में विभाग को जगह मिली उसके मुताबिक जमीन लेकर विभाग के कार्यालय बनाये । जमीन की उपलब्धि जहां चाहे वहां हो जाये यह किसी भी शहर में सम्भव नहीं है इसलिए जहां पर आसानी से जमीन मिल सकी उस पर विभाग के कार्यालय खोले गये ....

श्री **रामसिंह विश्नोई** : किराये पर लिये है ।

श्रीमती **कमला** : बीच में मत बोलिये ।

श्री **रामसिंह विश्नोई** : मकान बनाये नहीं, किराये पर लिये गये हैं ।

श्रीमती **कमला** : मैं आपसे निवेदन कर रही हूं उसको सुनिये । इसलिए अलग अलग किराये की बिल्डिंग में है । आप चाहते हैं एक जगह सारे विभाग को बैठाने के लिए तो इतनी बड़ी बिल्डिंग मिलना सम्भव नहीं है । आप जयपुर में छोटे से होस्टल के लिए मकान किराये पर ले लें यह भी सम्भव नहीं है । हां, किसानों से संबंधित जो आफिस होते हैं उनका पुनः गठन किया जा सकता है । जिन विभागों से और जिन सम्भागों से किसानों का ताल्लुक पड़ता है उन सब को एक जगह व्यवस्थित किया जाये इसको देखकर विचार करके उसकी व्यवस्था करेंगे ।

श्री **अध्यक्ष** : अगला प्रश्न । आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री **माधवसिंह दीवान** : अध्यक्ष महोदय इसमें यह पूछा है कि जिन अधिकारियों की

(श्री माधवसिंह दीवान)
लापरवाही से आज डेयरी की यह हालत हो गयी है उनको कब तक बदल देंगे ताकि डेयरी में कोई सुधार हो ?

श्रीमती कमला : मेरे पास ऐसा कोई सुझाव आया नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगला प्रश्न । आर्डर अगला प्रश्न । श्री गोविन्दसिंह ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : किसानों को दूध का भाव दिया जाता है उसमें वृद्धि करने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । अलग से प्रश्न पूछें इस संबंध में ।

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय ग्वार का भाव साढे तीन रुपया हो गया है और दूध का भाव वही का वही है । पशुओं के चारे का भाव बढ़ता है तो दूध का भाव भी बढ़ना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आपका कहना सही है लेकिन प्रश्न के दायरे में यह नहीं आता । आपका फर्माना सही है ।

अगला प्रश्न । श्री गोविन्द सिंह ।

28 जुलाई 1980 को तृतीय वर्ष कला (अन्तिम वर्ष) की हुई दर्शन शास्त्र विषय की परीक्षा

561. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दिनांक 28 जुलाई, 1980 को राजस्थान विश्व विद्यालय के तीसरे वर्ष कला की दर्शन शास्त्र की परीक्षा थी ?

(2) क्या इस परीक्षा का प्रश्न पत्र उक्त तिथि को राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में परीक्षार्थियों को दिया गया ? यदि हां, तो क्या परीक्षार्थियों ने इस प्रश्न पत्र का बहिष्कार किया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त प्रश्न पत्र निर्धारित समय पर खोला गया था ?

शिक्षा मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) जी हां ।

(2) जी हां । बहिष्कार नहीं किया गया । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्न पत्र 3.35 सायं पर दिया गया ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि 28 तारीख को गवर्नमेंट कालेज, अजमेर में जो निर्धारित समय था उस समय प्रश्न पत्र नहीं दिये गये । प्रिन्सीपल साहब ने सावित्री कालेज, अजमेर से प्रश्न पत्रों की कार्बन कापी मंगाकर उन छात्रों को दी । तीन घंटे बाद यह प्रश्न पत्र दिये गये । क्या मंत्री महोदय इस संबंध में जानकारी देंगे कि जो प्रश्न पत्र गवर्नमेंट कालेज, अजमेर जाने वाले थे, वह कहां चले गये ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यह सही है कि अजमेर के जो पर्चे बताये, दर्शन शास्त्र के प्रश्न पत्र समय पर नहीं पहुंचे थे । चार छात्रायें परीक्षा में बैठने वाली थीं । दर्शन शास्त्र में 14 प्रश्न पत्र होते हैं । छात्राओं को कौन से प्रश्न पत्र लेने हैं फार्म में इंगित

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
करना होता है। जो फार्म भरे गये थे उनमें वह अंकित नहीं था इसलिये वहां प्रश्न पत्र नहीं पहुंच सके। 35 मिनट के बाद मंगाये। 3 बजे नहीं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, 35 मिनट में सावित्री कालेज से प्रश्न पत्र मंगाकर प्रश्न पत्र दे दिये गये। 6.35 तक उनको समय दिया गया। यह अव्यवस्था जरूर हुई, उसके लिये खेद है। कुल 4 छात्रायें थीं, 35 मिनिट विलम्ब से परीक्षा शुरू हुई। 14 प्रश्न पत्रों में से कौन से प्रश्न पत्र लेने हैं, यह फार्मों पर अंकित नहीं था इस वजह से गलती हो गई। यह मैं मानता हूं, यदि फार्मों की पूर्ति नहीं थी तो करवा लेनी चाहिये थी। जो गलती हुई उसका खेद है। 35 मिनट विलम्ब से परीक्षा हुई।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहूंगा......

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी :

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या शिक्षा मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जब छात्राओं को रोल नम्बर मिलता है उसमें सब्जेक्ट अंकित होते हैं ? इन छात्राओं को जो रोल नम्बर दिये गये उन पर विषय अंकित थे ? यदि थे, तो प्रश्न-पत्र टाइम पर नहीं पहुंचने का कोई कारण नहीं है। या तो रोल नम्बर गलत दे दिये गये...

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : रोल नं. पर विषय अंकित होते होंगे। जैसा मैंने निवेदन किया, दर्शन शास्त्र में 14 प्रश्न पत्र होते हैं उनमें से कौन से प्रश्न पत्र लेने हैं फार्म पर अंकित नहीं था। यह मैंने स्वीकार किया है। और जगह प्रश्न पत्र पहुंचने का सवाल पैदा नहीं होता। सावित्री महाविद्यालय से प्रश्न पत्र मंगाकर दिये गये, यह मैंने स्वीकार किया। 35 मिनट विलम्ब से दिये गये, यह भी स्वीकार किया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने बताया, 14 प्रश्न पत्रों में से लेने थे जो फार्मों पर अंकित नहीं थे तो क्या उस कालेज के अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है या लिया जा रहा है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अभी कोई एक्शन लेने की बात नहीं हुई। यह जानकारी कल ही मेरे सामने आई। कल की कल कार्यवाही हो यह मुमकिन भी नहीं है। प्रश्नों के आधार पर जानकारी प्राप्त होती है उससे आगे की प्रक्रिया निश्चित रूप से होगी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कल ही जानकारी आई ....

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कह दिया है, इस पर विचार करेंगे। अगला प्रश्न।

झोटवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्रान्तर्गत सीमेन्ट का वितरण

562. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जून, 1980 को पंचायत समिति, झोटवाड़ा में सीमेंट प्राप्त करने हेतु किन-किन

(सुश्री पुष्पा जैन)
व्यक्तियों के आवंटन पत्र प्राप्त हुये हैं और किस-किस कार्य के लिये कितनी सीमेंट मांगी गई है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें :-

(2) 1 जून के पश्चात अब तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ? प्रश्न के भाग (1) के अनुरूप ऐसी तालिका भी सदन की मेज पर रखी जाये ।

(3) इनमें भी किन-किन आवेदन-पत्रों के अनुसार कितनी-कितनी सीमेंट कब-कब आवंटित की गई ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि इस सीमेंट के काले बाजार में बिकने के संबंध में जांच एस.डी.ओ., जयपुर द्वारा की गई है । यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाये । दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : अध्यक्ष महोदय, इसे स्थगित कराया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को पोस्टपोन करने के पीछे मुझे राजनैतिक षड्यन्त्र नजर आता है ।

(व्यवधान)

मैं आसन की इजाजत से बोल रही हूं । आप डिस्टर्ब न करें । एस.डी.ओ. जयपुर की रिपोर्ट आ चुकी है । जो शिकायतें की गई थीं, बिल्कुल सही पाई गई । इस सवाल को मंत्री महोदय ने फर्मा दिया, स्थगित किया जाये । मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि डी.एस.ओ. को दबाया जा रहा है कि दुबारा जांच कराई जाये और इस जांच को राजनैतिक आधार पर होच-पोच किया जा रहा है ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं माननीय सदस्या को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई राजनैतिक दबाव नहीं है । कल जब मेरे सामने यह सवाल आया कि किन-किन व्यक्तियों के आवंटन-पत्र प्राप्त हुए, किस किस कार्य के लिये सीमेंट मंगाई गई है और किस-किस को कितना-कितना सीमेंट आवंटित किया गया ....

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया । अगला प्रश्न

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : क्या राज्य सरकार के पास रिपोर्ट आ चुकी है ?

श्री अध्यक्ष : परन्तु प्रश्न स्थगित हो गया ।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं तो मंत्री महोदय से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहती हूं.......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ही नहीं पूछा गया, क्या जानकारी चाहेंगी ?

सुश्री पुष्पा जैन : एस. डी. ओ., जयपुर ने जांच रिपोर्ट दे दी उसके आधार पर ही उत्तर आयेगा ।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में कुछ नहीं कह सकते । अगला प्रश्न । श्री रामकिशोर मीणा ।

(22)

सिकराय क्षेत्र में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत उपलब्धि

563. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत अब तक कितने परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है ? जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सिकराय क्षेत्र में अन्त्योदय योजना में कितने परिवारों का चयन हुआ तथा कितनों को अब तक लाभान्वित किया जा चुका है। कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

पंचायत मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अन्त्योदय के बारे में है। अन्त्योदय मुख्य मंत्री के पास है···

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री को ट्रांसफर करेंगे क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा भी प्रश्न इसी से संबंधित था···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

मंत्री महोदय या विभाग जब महसूस करें कि अमुक प्रश्न उनके विभाग से संबंधित नहीं है तो इसकी पूर्व सूचना दे देनी चाहिए ताकि जिस मंत्री से संबंधित हो उसी दिन वह प्रश्न छपे, उसी के नाम से संबोधित हो।

अगला प्रश्न।

श्री विष्णुप्रकाश बजारी।

ब्यावर में घरेलू उपयोग हेतु जलप्रदाय

564. **श्री विष्णुप्रकाश बजारी** (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ब्यावर नगर परिषद् क्षेत्र में परिषद् द्वारा कितने समय तक नागरिकों के घरों में जल वितरण किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि नगर परिषद् द्वारा 1 लाख की क्षमता के लिये एक पानी की टंकी बनाने हेतु 3-4 माह पूर्व टेण्डर मांगे गये थे लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन टेन्डर्स पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) ब्यावर नगर परिषद् के क्षेत्र में 45 मिनट प्रतिदिन जल वितरण किया जाता है।

(2) जी हां, टेण्डर मांगे गये थे उस पर तत्काल कार्यवाही वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं हो पाई। मौजूदा बजट में वित्तीय साधन उपलब्ध होने से इस पर अब कार्यवाही की जा रही है।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि नगर परिषद् की वित्तीय स्थिति अच्छी है। दो लाख का फंड भी उपलब्ध है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से

Page No. 23

(23)

(श्री विष्णु प्रकाश बजारी)

पानी का जैसा गम्भीर संकट था आज भी बना हुआ है। वहां पर एक लाख गैलन पानी की टंकी बनाना नितान्त आवश्यक है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस संबंध में जल्दी से जल्दी आर्डर भिजवायें ताकि एक लाख गैलन की टंकी बनाई जा सके।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जितना जल्दी हो सकेगा, हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला प्रश्न बहुत ही आवश्यक है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 566 भी बहुत आवश्यक है...

श्री अध्यक्ष : दोनों के केवल उत्तर आयेंगे। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे।

सीकर जिले में नये खोले गये क्रमोन्नत विद्यालय

565. श्री **नारायणसिंह** (दांतारामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले में सन् 1977 से 1979 तक कितनी प्राथमिक शालाएं खोली गईं, कितनी प्राथमिक शालाओं को उच्च-प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया गया ? कृपया वर्ष वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन विद्यालयों को खोलने तथा क्रमोन्नत करने का क्या आधार रखा गया ?

(3) क्या यह सही है कि कई विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड से भी कम छात्र हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सामान्यत: ये विद्यालय जनसंख्या, शाला भवन, स्थानीय मांग व परिस्थितियों के आधार पर खोले गए।

(3) जी हां।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

पशुधन सहायकों का अन्तर्लयन

566. श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में पशुधन सहायकों के पद समाप्त कर दिये गये हैं ? क्या इन पदाधिकारियों को अधिशेष घोषित किया गया है ?

(2) यदि हां, तो इसे कितने व्यक्ति हैं तथा सरकार उनका किस प्रकार सेवाओं में अन्तर्लयन करना चाहती है ?

(3) यदि इन्हें अधिशेष घोषित कर अन्यत्र खपाने का सरकार का विचार है तो 4 माह तक वेतन नहीं देने का क्या कारण है ?

Page No. 24

(24)

पशु पालन मंत्री (श्रीमती कमला): (1) पंचायत समितियों में पशुधन सहायकों के 115 पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। ये सभी कर्मचारी अपने विभाग में समायोजित किये जायेंगे अतः अधिशेष होने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) विभाग द्वारा पंचायत समितियों को वेतन के लिये 2,34,300 रु. सहायता अनुदान आवंटित किये जा चुके हैं।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : वेतन मिला नहीं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील प्रतापगढ़ के हायर सैकण्डरी विद्यालय

545. श्री **नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील प्रतापगढ़ में कितने हायर सैकण्डरी विद्यालय हैं और उनमें किन-किन ऐच्छिक विषयों का अध्यापन होता है ?

(2) क्या इन विद्यालयों में विषयों के अनुसार अध्यापक नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो कब तक अध्यापकों को पदस्थापित कर दिया जावेगा ?

(3) सरकार इन विद्यालयों में कहां-कहां अतिरिक्त ऐच्छिक विषय प्रारम्भ करना चाहती है ?

उत्तर

(1) तहसील प्रतापगढ़ में तीन हायर सैकण्डरी स्कूल चल रहे हैं। इनमें चल रहे ऐच्छिक विषयों की सूची संलग्न है।

(2) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रतापगढ़ एवं बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ में क्रमशः राजस्थानी साहित्य एवं गृह विज्ञान के वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त हैं। इन्हें शीघ्र भरा जावेगा।

(3) नए विषय खोलने के सभी प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

बाल विकास योजना

546. श्री **समर्थलाल** (राजगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाल विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है ?

(2) क्या उक्त राशि अब तक खर्च नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक यह राशि व्यय कर दी जावेगी ?

(3) बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत इस वर्ष कौन-कौन से क्षेत्र सम्मिलित किये गये हैं और इनके चयन का आधार क्या रहा है ?

(समाज कल्याण मंत्री)

उत्तर

(1) वर्ष 80-81 के लिये समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से अभी तक केवल 1.9 लाख रु. की राशि स्वीकृत हुई है।

(2) जी नहीं। वर्ष के प्रथम चार माह में उक्त राशि से 10 लाख रु. व्यय हो चुका है तथा दो माह के आंकड़े आना शेष है। शेष राशि मार्च, 81 तक व्यय हो जायेगी।

(3) इस वर्ष समन्वित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत जयपुर में चाकसू, अलवर में राजगढ़ व बाड़मेर में चौहटन खण्डों का चयन किया गया है जिनके चयन का आधार वहां के बच्चों में व्याप्त कुपोषण है।

लोकनायक व्यास कालोनी के पूर्व दिशा में स्थित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

547. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि लोकनायक व्यास कालोनी नाहरी का नाका से पूर्व की ओर पहाड़ी के पास जो नाला है उसमें पानी की लाइन लग चुकी है? यदि हां, तो कब और इसके बाद कितने कब्जे हुए हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि इस नाले में एवं इस नाले के आस पास खाली सरकारी भूमि में सर्वेक्षण होने के पश्चात् नये कब्जे हुए हैं? यदि हां, तो कितने? कृपया नये कब्जों की सूची सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या यह सही है कि खाली सरकारी भूमि, जिस पर अनधिकृत कब्जे किये जा रहे हैं, में पानी की लाइन डालने का नियमों में प्रावधान नहीं है? यदि हां, तो लाइन डालने के लिये कौन कौन अधिकारी दोषी हैं?

(4) क्या सरकार ऐसे अनधिकृत कब्जों को बेदखल कर रोकेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा जुलाई, 1980 में पानी की लाइन डाली गई।

(2) जी हां। 1971 में इस कच्ची बस्ती का सर्वे जिलाधीश द्वारा कराया गया था उसके बाद नये अनधिकृत कब्जे मई, 1980 से जुलाई, 1980 के बीच हुए हैं। सूची संलग्न है।

(3) मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर जन-साधारण को सार्वजनिक नल उपलब्ध कराये गए हैं।

(4) जी हां।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

सीमेन्ट के परमिट देने के लिए अधिकृत अधिकारी

548. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
नागरिक कोटे से सीमेंट के परमिट देने के लिये तहसीलदारों को अधिकृत किया गया है? यदि हां, तो एक बार में कितनी अवधि तक के लिये अधिकतम कितने कट्टे देने का अधिकार दिया है ? यदि नहीं, तो जिलों और उप-खण्डों में यह अधिकार किस स्तर के अधिकारियों को प्रदान किए हुए हैं ?

(2) सवाई माधोपुर जिले में टोडाभीम तथा महुआ तहसील में गत वर्ष और इस वर्ष सीमेंट का वितरण किस प्रकार किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां । राज्य सरकार ने तहसीलदारों को नागरिक कोटे से सीमेंट के परमिट देने के लिए अधिकृत किया हुआ है परन्तु किसी निश्चित अवधि तक के लिए एक बार में अधिकतम कितने कट्टे दिये जायं ऐसी कोई मात्रा निर्धारित नहीं है ।

(2) सवाई माधोपुर जिले की टोडा-भीम एवं महुआ तहसील में गत वर्ष एवं इस वर्ष में किए गए सीमेन्ट वितरण का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर अस्पताल में जूनियर स्पेशलिस्ट, कम्पाउन्डर्स व नर्सेज की स्ट्रेन्थ

446. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बाड़मेर अस्पताल में कितने जूनियर स्पेशलिस्ट, कम्पाउन्डर्स और नर्सेज के स्थान स्वीकृत हैं तथा उनमें से पृथक-पृथक कितने स्थान एक वर्ष से रिक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार के पास नियमानुसार पदोन्नति करने पर इतने जूनियर स्पेशलिस्ट उपलब्ध हो सकते हैं कि ये रिक्त स्थान भरे जा सकें ? यदि हां, तो सरकार ने पदोन्नति पर क्यों रोक लगा रखी है ?

(3) क्या यह भी सही है कि बाड़मेर में गत वर्ष में कम्पाउन्डर्स एवं नर्सेज को प्रशिक्षण देने हेतु एक भी डॉक्टर नहीं भेजा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि इसी प्रकार चलते रहने पर भी प्रशिक्षार्थियों को तीन वर्ष बाद प्रशिक्षित होने का प्रमाण-पत्र दे दिया जावेगा अथवा उनके प्रशिक्षण का समय बढ़ाया जावेगा ?

उत्तर

(1) बाड़मेर अस्पताल में स्वीकृत जूनियर स्पेशलिस्ट, कम्पाउन्डर्स एवं नर्सों के स्वीकृत रिक्त पदों का व्यौरा इस प्रकार है :–

नाम पद 1	स्वीकृत पद 2	रिक्त पद 3
कनिष्ठ विशेषज्ञ	6	4
कम्पाउन्डर्स श्रेणी-1 4 कम्पाउन्डर्स श्रेणी-2 19	23	15
नर्सिंग स्टाफ	11	शून्य
1. सिस्टर	1	
2. स्टाफ नर्स	6	

(चिकित्सा मंत्री)

1	2	3
3.	ए.एन.एम.	3
4.	एल. एच. वी.	1

(2) जी हां। किन्तु स्त्री रोग एवं एनस्थीसिया के विशेषज्ञ नियमानुसार पदोन्नति हेतु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। लोक सेवा आयोग से डी. पी. सी. के लिए तिथि निर्धारित कराने की कार्यवाही की जा रही है तदर्थ पदोन्नति पर जो रोक लगा रखी है, वो विशेषज्ञों के पद को भरने हेतु छूट दे दी गई है एवं पदों को भरने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(3) प्रशिक्षण देने के लिये डॉक्टर का पद स्वीकृत नहीं होता है।

(4) ट्रेनिंग समय पर ही समाप्त होगी एवं ट्रेनिंग की अवधि बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर की एक्स-रे मशीन्स

447. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सवाई मानसिंह अस्पताल में कितनी एक्स-रे मशीन्स हैं ? उक्त एक्स-रे मशीन्स में से कितनी खराब होने से उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं ?

उत्तर

सवाई मानसिंह अस्पताल में कुल 16 एक्स-रे मशीनें हैं। इनमें से 5 मशीनें खराब होने के कारण उपयोग में नहीं आ रही हैं और एक मशीन विद्युत कनेक्शन न मिलने के कारण उपयोग में नहीं आ रही है।

अलवर जिले में संचालित पोषाहार केन्द्र

448. श्री जोतमल जैन (अलवर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

अलवर जिले में कितने पोषाहार केन्द्र चल रहे हैं ? कृपया पोषाहार केन्द्रों के स्थान व संचालकों की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

अलवर जिले में केवल अलवर शहर में ही 50 पोषाहार केन्द्र चल रहे हैं जिनकी सूची संलग्न है। जिले में अन्यत्र कहीं भी कोई पोषाहार केन्द्र नहीं है। पोषाहार केन्द्रों के स्थान व संचालकों के नाम भी संलग्न सूची में अंकित कर दिये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

ग्राम मेईकला-गोठडा मार्ग पर पक्की सड़क का निर्माण

449. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या कृषि उपज मंडी, सवाई माधोपुर द्वारा खण्डार तहसील के ग्राम मेईकला से गोठडा तक पक्की सड़क बनाने की योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो कब और अग्रेतर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

जी हां। कृषि उपज मन्डी समिति, सवाई माधोपुर द्वारा खण्डार तहसील के ग्राम मेईकला से गोठडा तक सड़क बनवाने का प्रस्ताव वर्ष 1976-77 में किया गया था परन्तु उस समय तकनीकी पूर्वानुमान उपलब्ध नहीं कराने के कारण बजट की स्वीकृति नहीं दी जा सकी उसके पश्चात् राज्य सरकार के

(कृषि मंत्री)
निर्णयानुसार मास्टर प्लान में सम्मिलित की गई सड़कों की ही स्वीकृति दी जा सकती थी और प्राथमिकता के आधार पर मास्टर प्लान की तो पूर्व स्वीकृत सड़कों का कार्य प्रारम्भ किया गया।

पशुपालन प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा में प्रशिक्षणाधीन व्यक्ति

450. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पशुपालन प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा में प्रवेश पाने के लिये कितने व्यक्ति साक्षात्कार के लिये आये थे ? उनमें से कितने चयनित किये गये ? कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में रखे गये ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) अभी इस प्रशिक्षण केन्द्र में कितने प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और कहां के निवासी हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(3) इन प्रशिक्षणार्थियों में उत्तर प्रदेश से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कितने व्यक्ति हैं ? उनके राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र क्या मजिस्ट्रेट से प्रमाणित है ?

उत्तर

(1) पशुपालन प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा में 251 व्यक्ति साक्षात्कार के लिये आये थे। उनमें से 51 व्यक्ति चयनित किये गये एवं 10 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में रखे गये।

सूची "क" संलग्न है।

(2) इस प्रशिक्षण केन्द्र में अभी 56 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जो राजस्थान के निवासी हैं।

सूची में दर्शाया गया है।

(3) ये सभी राजस्थानी हैं तथा उनके प्रमाण-पत्र मजिस्ट्रेट से प्रमाणित हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

भवानी मण्डी बिड़ला कालेज

451. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे के बिड़ला कालेज में विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या क्या है ? कृपया कक्षावार विद्यार्थियों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उस कालेज को कितना अनुदान देती है और प्राइवेट लोगों से कितनी आर्थिक सहायता मिलती है ? सम्पूर्ण वार्षिक विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार इस कालेज को अपने अधीन लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे के बिड़ला कालेज में विभिन्न कक्षाओं

(शिक्षा मंत्री)

में निम्न प्रकार विद्यार्थियों की संख्या है:-

प्रथम वर्ष वाणिज्य	100
द्वितीय वर्ष वाणिज्य	54
तृतीय वर्ष वाणिज्य	43
	197

कक्षावार विद्यार्थियों के नामों की सूची संलग्न है।

(2) बिड़ला कालेज, भवानी मंडी सन् 1975 में खुला था, जिसमें वाणिज्य संकाय चलता है। राज्य सरकार द्वारा अभी इस कालेज को अनुदान नहीं दिया जा रहा है। प्राइवेट लोगों से कितनी आर्थिक सहायता मिलती है, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(3) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

नगर परिषद्, जोधपुर के बजट में विभिन्न मदों में आवंटित राशि

452. श्री **नरपतराम बरवड़** (सूरसागर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर परिषद्, जोधपुर का वर्ष 1977-78 व 1978-79 में कुल कितना बजट था? विभिन्न मदों में रखे गये बजट का विवरण सदन के पटल पर रखें। विकास के बजट में से किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कितना-कितना किस-किस कार्य के लिये खर्च किया गया और सूरसागर क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं करने का क्या कारण था, जबकि सूरसागर क्षेत्र सबसे अविकसित क्षेत्र है?

(2) वर्ष 1980-81 में नगर परिषद्, जोधपुर, सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से विकास कार्य करवाना चाहती है तथा उन कार्यों पर कितना-कितना खर्च कहां-कहां पर होगा? विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जोधपुर नगर परिषद् का वर्ष 77-78 का कुल बजट 1,77,65,424/ रु. व 78-79 का कुल बजट 2,69,95,424 रु. का था। विवरण की प्रतियां संलग्न हैं। सन् 77-78 में विकास के मद से विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में 13,91,433/- रु. सरदारपुरा विधान सभा क्षेत्र में 6,30,762/- रु. सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में 1,77,445/- रु. खर्च किया गया। इस प्रकार 78-79 में विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर 12,23,383/- रु. सरदारपुरा विधान सभा क्षेत्र में 6,96,182/- रु. सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में 2,57,106/- रुपया खर्च किया गया।

(2) वर्ष 80-81 में नगर परिषद्, जोधपुर द्वारा सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में करवाये जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

ग्राम सेवा सहकारी समिति बाजला (झुन्झुनू)

453. श्री लच्छूराम (मण्डावा):

(श्री लच्छूराम)
क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम सेवा सहकारी समिति, बाजला, जिला झुंझुनू का वर्ष 1975-76, 76-77, 77-78 का ऑडिट हुआ था ? इसमें किन-किन पदाधिकारियों के विरुद्ध कितनी-कितनी राशि का गबन साबित हुआ ? सरकार द्वारा गबनकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति के विरुद्ध बहुत-सी शिकायतें फर्जी व अवैध नामों से ऋण उठाने संबंधी की गई हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि लम्बे अर्से से इनकी कोई जांच नहीं हो रही है ?

(4) क्या यह सही है कि इन जांचों में इस सहकारी समिति के प्रबन्धकों ने जांच अधिकारी को वांछित रिकार्ड देने से मना कर दिया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, तीनों वर्षों का ऑडिट हुआ था। वर्ष 77-78 की ऑडिट रिपोर्ट में श्री हुस्तअली खां मंत्री के विरुद्ध 4358.50 रुपये के दुरुपयोग एवं गबन का मामला प्रकाश में आया है। श्री हुस्तअली खां के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 74 के तहत विशेष लेखा परीक्षक, सीकर द्वारा दिनांक 24-6-80 को निर्णय दिया जा चुका है जिसके अनुसार श्री हुस्त-अली के विरुद्ध 4358.50 रुपये का आरोप प्रमाणित हुआ है। अब नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।

(2) शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(3) जी नहीं, जांच की जा रही है।

(4) जी नहीं।

भीलवाड़ा नगर परिषद् की जीप व कार का उपयोग

454. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पिछले 3 वर्षों में भीलवाड़ा नगर परिषद् की जीप व कार किन-किन कारणों से परिषद् क्षेत्र से बाहर गई और इसमें कितने पैट्रोल व डीजल की खपत हुई ? परिषद् क्षेत्र से बाहर जाने वाली जीप व कार द्वारा पिछले तीन वर्षों में कितने किलोमीटर की यात्रा किन तिथियों में की गई ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

नगर परिषद्, भीलवाड़ा की जीप व कार परिषद् क्षेत्र से बाहर गई उनके कारण मय तिथि, डीजल व पैट्रोल तथा किलोमीटर का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

जिला नागौर की कोलिया ग्राम पंचायत के सरपंच, श्री हनुमान मल को निर्माण कार्य हेतु आवंटित सीमेन्ट

455. **श्री रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री हनुमानमल मेद, सरपंच, कोलिया ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, डीडवाना, जिला नागौर ने ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य हेतु समय-समय पर सीमेन्ट का आवंटन करा कर सीमेंट उठाई है ?

(2) सीमेंट के परमिट किस अधिकारी द्वारा कब-कब दिए गए ?

(3) उपरोक्त सीमेंट किस-किस कार्य के लिये उठाई गई ?

(4) क्या ग्राम पंचायत के पंचों व ग्रामीणों ने जिलाधीश, जिला विकास अधिकारी व विकास विभाग के पास शिकायतें की हैं कि सीमेंट काम में नहीं आई है तथा सीमेंट बेच दी गई ? यदि हां, तो संबंधित सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सीमेंट के परमिट तहसीलदार, डीडवाना द्वारा निम्नानुसार जारी किये गये हैं:-

परमिट नं.	दिनांक	तादाद	कार्य हेतु
32	10-8-78	10 बैग	रास्ता निर्माण हेतु
168	19-8-78	10 ,,	सार्वजनिक कार्य
314	1-9-78	15 ,,	,, ,,
349	7-9-78	10 ,,	भैरू मार्ग
489	30-9-78	10 ,,	ब्रह्मपुरी मार्ग
490	30-9-78	10 ,,	भैरू मार्ग
563	19-10-78	3 ,,	सार्वजनिक कार्य
564	19-10-78	3 ,,	मन्दिर मरम्मत
565	19-10-78	5 ,,	सार्वजनिक मरम्मत
867	18-12-78	10 ,,	मरम्मत कार्य
868	18-12-78	20 ,,	मरम्मत कार्य
877	20-3-79	5 ,,	नालियों का निर्माण
878	20-3-79	5 ,,	,, ,,
879	23-3-79	19 ,,	,, ,,
		135 बैग	

(3) सीमेंट रास्ता निर्माण, सार्वजनिक निर्माण, मंदिर मरम्मत एवं नालियों के निर्माण आदि हेतु उठाई गई है जिसका विवरण प्रश्न (2) में दिया गया है।

(4) श्री मोहनराम पुत्र राजूराम जाट साकिन कोलिया ने एक शिकायत जिलाधीश महोदय, नागौर के पास सीमेंट दुरुपयोग बावत की थी जिसे उप-जिला विकास अधिकारी, नागौर ने जांच हेतु पंचायत समिति को दिनांक 26-10-79 को भेजी। विकास अधिकारी ने इस मामले की प्रारंभिक जांच

(पंचायत एवं विकास मंत्री)
कर जांच रिपोर्ट जिलाधीश को दिनांक 28-11-79 को प्रस्तुत की जो जिलाधीश के पास विचाराधीन है। इस संबंध में राज्य सरकार के पास एक शिकायत सीमेंट बाबत दिनांक 13-12-79 को प्राप्त हुई थी जो जिलाधीश को आवश्यक कार्यवाही कर जांच रिपोर्ट भिजाने के लिये दि. 26-12-79 को भेजी जा चुकी है। जिलाधीश से जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। जांच रिपोर्ट शीघ्र भेजने हेतु जिलाधीश को तार द्वारा और लिखा गया है।

सहकारी समिति खाचरियावास द्वारा वितरित सीमेंट

456. **श्री नारायण सिंह** (दांता-रामगढ़) : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सहकारी समिति, खाचरियावास सीमेंट वितरण का कार्य करती है ? यदि हां, तो वर्ष 1978 से दिसम्बर, 1979 तक कितनी सीमेंट आई तथा किन-किन को कितनी कितनी सीमेंट दी गई ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जी हां। वर्ष 1978 में 720 थैले एवं 1979 में 3433 थैले सीमेंट के प्राप्त हुए। वर्ष 1978 में प्राप्त सीमेंट का वितरण वर्ष 1979 में ही किया गया। वर्ष 1979 में किन-किन को कितनी-कितनी सीमेंट दी गई, की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

पंचायत समिति, सांगोद व सुल्तानपुर में वृद्धावस्था पेंशन से लाभान्वित व्यक्ति

457. **श्री बाऊ दयाल जोशी** (दीगोद) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति, सांगोद एवं सुल्तानपुर में कितने व्यक्तियों को कितनी-कितनी वृद्धावस्था पेंशन कब से मिल रही है ? कृपया पृथक-पृथक सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इनमें से अनेक व्यक्तियों को गत तीन माह से पेंशन नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति, सांगोद एवं सुल्तानपुर में जिन व्यक्तियों को जितनी-जितनी वृद्धावस्था पेन्शन जिस दिन से प्राप्त हो रही है पृथक-पृथक सूची में दी गई है।

(2) पंचायत समिति सांगोद के 3 व्यक्तियों को गत 2 माह से पेंशन का मनी-आर्डर वापस आने के कारण पेंशन नहीं मिल रही है व पंचायत समिति सुल्तानपुर के 7 पेन्शनरों को मनीआर्डर वापस आने के कारण पेन्शन नहीं मिल पा रही है तथा 2 व्यक्तियों द्वारा फोटो पेश नहीं करने के कारण पेन्शन का भुगतान नहीं हो रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, कांकरोली

458. श्री भेरूलाल (उदयपुर, ग्रामीण) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, कांकरोली एक किराये के मकान में चल रहा है? यदि हां, तो यह औषधालय कब से किसके मकान में है?

(2) क्या इस मकान का किराया अधिशासी अभियन्ता भवन एवं पथ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर द्वारा तय करके जिला आयुर्वेद अधिकारी, उदयपुर के कार्यालय में 32 माह पूर्व भिजवा दिया गया था?

(3) यदि हां, तो उच्चाधिकारियों द्वारा इस मकान का किराया अब तक तय नहीं करने और मकान मालिक को 32 माह का किराया अब तक नहीं चुकाने के क्या कारण हैं?

(4) क्या सरकार किराया तुरन्त तय करके मकान मालिक को किराया देने के आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

राजकीय आयुर्वेद औषधालय, कांकरोली दिनांक 23-8-53 से किराये के भवन में चल रहा है एवं वर्तमान भवन में दिनांक 16-11-77 से है।

(2) जी नहीं।

अधिशासी अभियन्ता (भवन एवं पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर के पत्र संख्या सामा/एफ.आर.सी./16790, दिनांक 23-3-79 के द्वारा उक्त भवन का किराया दिनांक 16-11-77 से निर्धारित किया गया था।

(3) किराये के बारे में स्वीकृति जारी की जा चुकी है। भवन का किराया स्वीकृति में विलम्ब के निम्न कारण हैं:—

1) मकान मालिक द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) उदयपुर से भवन किराया निर्धारण विलम्ब से कराया गया।

2) भवन के मालिकाना हक के संबंध में विभाग को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बारे में विभागीय स्तर पर जांच कराई गई।

(4) भवन किराया चुकाने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 30 जुलाई, 1980)

बाड़मेर तथा जैसलमेर जिले के औषधालयों में रिक्तियां

169. श्री अमीन खां (शिव) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के यूनानी औषधालयों के लिए सन् 1979-80 में सरकार द्वारा कुल कितना प्रावधान औषधियों के लिये रखा गया था तथा उसमें से कितना किस प्रकार

Page No. 34

(34)

(श्री अमीन खां)
जिलेवार व्यय किया गया ? कृपया पूर्ण ब्यौरा दें।

(2) बाड़मेर तथा जैसलमेर जिले के यूनानी औषधालयों में हकीम के पद कब से रिक्त पड़े हैं तथा कब तक भर दिये जावेंगे ?

(3) बाड़मेर तथा जैसलमेर जिले के कितने औषधालयों में कौन-कौन से अधिकारियों के पद दिनांक 15 जून, 1980 तक रिक्त चले आ रहे थे तथा क्या इतने रिक्त पद किसी और जिले में भी चल रहे थे ? यदि नहीं, तो फिर इस जिले के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया गया ?

(4) क्या इन रिक्त पदों को भरने के लिए जिलाधीश ने निदेशक को लिखा था ? यदि हां, तो उस पर 15 जून, 1980 से पूर्व क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या जिला आयुर्वेद अधिकारी बाड़मेर के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान के यूनानी औषधालयों के लिये वर्ष 79-80 में कच्ची औषधियां के क्रय हेतु 80,000/- रुपये का प्रावधान था जिसके विरुद्ध 3,89,840 रुपये की तैयार औषधियां इन यूनानी चिकित्सालयों/औषधालयों में वितरण करने हेतु औषध बजट विभिन्न जिलों को आवंटित किया गया था। इस साल दिन के विरुद्ध 3,28,660/- रुपये की तैयार औषधियां इस पद्धति के चिकित्सालयों/औषधालयों में वितरित की गईं।

यूनानी दवाखानों को आयुर्वेद के बजट प्रावधान के अन्तर्गत निर्मित औषधियों भी वितरित की जाती है। इसी कारणवश 80,000/- रुपये यूनानी के बजट प्रावधान के विरुद्ध अधिक धनराशि की औषधियां वितरित की गई हैं। जिलेवार आवंटित औषध बजट एवं उसके विरुद्ध वितरित की गयी औषधियों का ब्यौरा संलग्न है।

(2) जैसलमेर जिले में कोई हकीम का पद रिक्त नहीं है।

बाड़मेर जिले में दो हकीमों के पद क्रमशः वर्ष 1975 व 1976 से रिक्त हैं, क्योंकि निदेशालय द्वारा इन पदों पर जो नवीन नियुक्तियां की गई थीं उन पर सम्बन्धित व्यक्तियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया।

निर्धारित योग्यता के अन्य अभ्यर्थी हकीम पद पर उपलब्ध नहीं होने से पद अब तक रिक्त रहे हैं। हकीमों के पदों को भरने हेतु विभाग में पन्द्रह पदों का पुनः विज्ञापन निकाला है एवं यदि इस विज्ञापन के सहत निर्धारित योग्यता धारी आशार्थी उपलब्ध होंगे तो पद भर दिये जायेंगे।

(3) बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों के औषधालयों में दिनांक 15-6-80 तक अधिकारियों (वैद्यों/हकीम) के क्रमशः 22 तथा 10 पद रिक्त थे, जिनमें से क्रमशः 20 व 10 पद दिनांक 26-7-80 तक विभाग द्वारा भर दिये गये हैं। अब केवल बाड़मेर जिले में 2 पद रिक्त हैं। अन्य जिलों में भी दिनांक 15-6-80 तक न्यूनाधिक मात्रा में पद रिक्त चले आ रहे थे, विशेष रूप से डूंगरपुर (10), बांसवाड़ा (9), भीलवाड़ा एवं उदयपुर (8) सिरोही (7) एवं पाली

Page No. 35

(85)

(आयुर्वेद मंत्री) :

में (5) पद रिक्त थे। अतः इन जिलों के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया गया है।

(4) जी हां। जिलाधीश, जैसलमेर ने उनके पत्र दिनांक 22-4-80 के द्वारा निदेशालय को जैसलमेर के आयुर्वेदिक औषधालयों के रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिये लिखा था; किन्तु दिनांक 15-6-80 के पूर्व योजना भिन्न के रिक्त पदों को भरने हेतु राज्य सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा था; अतः इन पदों को भरने में देरी हुई है।

(5) जी हां। भूतपूर्व जिला आयुर्वेद अधिकारी श्री वेद प्रकाश मोगिया के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है। इस मामले में उप-अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, बाड़मेर के द्वारा जांच हेतु मूल रिकार्ड चाहा गया है। निदेशालय के पत्र क्रमांक शिकायत 5/80/15237, दिनांक 5-5-80 के तहत मूल रिकार्ड उपलब्ध कराने के निदेश जिला आयुर्वेद अधिकारी, बाड़मेर को दिये गये थे किन्तु उन्होंने सूचित किया है कि इस विषयक रिकार्ड उप-निदेशक आयुर्वेद, जोधपुर से मांगा जावे। उप-निदेशक, जोधपुर से इस मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मूल रिकार्ड के साथ मांगी है। उप-निदेशक, जोधपुर अवकाश में हैं अतः उनके अवकाश से लौटने पर इस मामले में कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 31 जुलाई, 1980)

आवश्यक वस्तुओं के भावों पर नियन्त्रण

229. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1977-78 से अब तक राज्य में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कितने चालान अदालतों में पेश किये गये? कृपया जिलेवार विवरण सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) सरकार आवश्यक वस्तुओं के भावों पर नियन्त्रण करने संबंधी क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) वर्ष 1977-78 से अब तक राज्य में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 1844 चालान विभिन्न अदालतों में पेश किये गये। जिलेवार सूची सदन की मेज पर प्रेषित है।

(2) राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं के भावों पर नियन्त्रण करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही कर रही है:—

1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारी विभिन्न आदेशों की कड़ाई से पालना कराई जाती है।

2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रसारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप जमाखोरी एवं कालाबाजारियों के विरुद्ध विशेष अभियान चला कर माह फरवरी, 1980 से अब तक 2116 मामले बनाये गये एवं 71,25,938/- रु. का सामान जब्त किया गया।

(खाद्य मन्त्री)

3) केन्द्र सरकार द्वारा प्रसारित चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जमाखोरों एवं कालाबाजारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जिलाधीशों को निर्देश दिए हुए हैं।

4) केन्द्र सरकार से प्राप्त विभिन्न आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को नियन्त्रित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) सर्व श्री यदुनाथ सिंह, लच्छू राम व गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम मगेरा, तहसील उदयपुर जिला झूझुंनू के रामकुमार हरिजन की पत्नी के साथ गत 11 अगस्त को श्रवण पुत्र भोपाल द्वारा किये गये बलात्कार के संबंध में।

(2) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम मोरांना पंचायत समिति, सुलतानपुर जिला कोटा में गत 5 अगस्त से फैले हुए हैजे के कारण 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के विषय में।

(3) श्री चुन्नीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 12 अगस्त को तहसील सवाई माधोपुर में श्री भैरोंसिंह नामक एक व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के विषय में।

(4) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले में चीनी का वितरण ठीक ढंग से न होने के विषय में।

(5) श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सतलज नदी के पानी के आधार पर विद्युत उत्पादन हेतु प्रस्तावित एक परियोजना के संबंध में गत 29 जुलाई को किये गये द्विपक्षीय समझौते से राजस्थान के हितों पर कुठाराघात होने के विषय में।

(6) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पथ परिवहन निगम कार्यालय, अजमेर के स्टोर में सांप के प्रवेश के कारण गत 18 जुलाई से उत्पन्न असुरक्षा के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(7) श्री राम रघुनाथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सरदारपुरा जोधपुर स्थित 'डी' रोड के निवासी श्री शान्ति चन्द सिंघवी की एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के कारण दो युवकों की मृत्यु हो जाने के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

इस विषय में राज्य सरकार की ओर से सदन में दिनांक 23 अगस्त को एक वक्तव्य दिया जावेगा, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(8) श्री मोहन लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 16 अगस्त को सरदारशहर, जिला चूरू में एक निजी पट्टे की भूमि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मरे हुए सांड को गाड़ देने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(9) श्री छीतरमल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम चरडाना, तहसील अटरू के मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत करने के विषय में।

(10) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर के सरपंच द्वारा काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत 60 बोरी गेहूं को बेच देने के विषय में।

(11) श्री बंशी लाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा स्थित लेबर कालोनी में शौचालयों के मलत्रे से उत्पन्न गन्दगी के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास आवश्यक जानकारी हेतु भेजा जा रहा है और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(12) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 18 अगस्त को मकराना स्थित टेलीफोन एक्सचेंज में हुई मारपीट की घटना के विषय में।

यह विषय केन्द्रीय सरकार से संबंध रखता है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है:—

(1) श्री भंवर लाल शर्मा, सुश्री पुष्पा जैन, सर्वश्री जीत मल जैन, ललित किशोर चतुर्वेदी, घनश्याम तिवाड़ी, नाथू सिंह व राम रघुनाथ चौधरी, सदस्य, राजस्थान विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्व विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान श्री बहादुर सिंह की मृत्यु के विषय में।

इस विषय पर राज्य सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जावेगा।

(2) श्री भगवान दास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 1 अगस्त को अजमेर-टोडारायसिंह जाने वाली एक बस के चालक अमीन खां द्वारा एक महिला से किये गये कथित बलात्कार के विषय में।

(3) श्री गोपाल पचेरवाल, श्री राम कंवार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम चौपलाटा, जिला सीकर के एक कुएं पर हरिजनों को पानी पीने से रोकने के विषय में।

प्राप्त तथ्यों के आधार पर इन स्थगन प्रस्तावों को मैं स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री राम किशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिकराय तथा दौसा क्षेत्र में जानवरों में मादूड़ा नामक रोग के विषय में।

Page No. 38

(38)

(श्री अध्यक्ष)

पूर्व में इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में आ चुका है और मैं इसे स्वी-कृति देने में असमर्थ हूं ।

श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा ने अजमेर नगर में जल वितरण की अव्यवस्था के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, किन्तु माननीय सदस्य का एक अन्य प्रस्ताव आज व्यवस्था में शामिल होने के कारण इस प्रस्ताव को व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मोहन लाल शर्मा सरदारशहर जिला चूरू में एक निजी पट्टे की भूमि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मरे हुए सांड को गाड़ देने से उत्पन्न स्थिति के विषय में ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, बोलना तो नहीं चाहता लेकिन मुख्य मंत्रीजी भी यहां उपस्थित नहीं हैं । मैंने सतलज नदी के आधार पर विद्युत उत्पादन के संबंध में एक एडजोर्नमेन्ट मोशन रखा है । इसके ऊपर राजस्थान सरकार ने इमीजियेटली एक्शन नहीं लिया तो राजस्थान के हितों पर विद्युत के संबंध में कुठाराघात होगा । मुझे इस बात की जानकारी है कि भारत सरकार इस स्कीम को शीघ्र ही क्लीयर कर देगी और उससे राजस्थान को बहुत बड़ी हानि होने वाली है । इसलिये निवेदन करना चाहता था, माननीय मुख्य मंत्रीजी का स्टेटमेन्ट आज हो जाय तो वह निश्चित रूप से राजस्थान के हित में होगा; मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है । मैं आपके द्वारा चाहूंगा कि वे आज ही इस प्रकार का वक्तव्य दें वरना हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इसका लाभ उठा ले जायेंगे और राजस्थान वंचित रह जायगा ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी की सिंचाई की डिमान्ड परसों है, उस वक्त. . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे खेद यही है कि सरकार के मुख्य सचेतक महोदय को यह भी मालूम नहीं है कि मैंने सिंचाई के बारे में स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया है, मेरा मामला सिंचाई का नहीं है उन्हें अभी इस बात की ही जानकारी नहीं है कि मेरा मामला विद्युत का है. . . .

श्री खेतसिंह राठौड़ : सिंचाई की डिमांड है, आप इस बारे में जानकारी भी कर सकेंगे । आपसे ज्यादा सजग हूं, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों से क्या बात करनी है और किससे क्या बात करनी है . . .

श्री अध्यक्ष : इसमें कुछ व्यवस्था करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग और विद्युत विभाग अलग-अलग हैं । सिंचाई विभाग पर चर्चा होगी तो विद्युत विभाग की मांग पर चर्चा कैसे होगी । इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर डिबेट हो तो उसके लिये हम तैयार हैं और उस बारे में कुछ कहने वाला भी नहीं हूं । अगर तीन दिन बाद भी हो तो भी कोई खास बात नहीं होगी । भारत सरकार इस परियोजना पर आज या कल किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं दे पाये, अन्यथा हम 300 मेगावाट बिजली का मामला लूज करेंगे । नागदा घाटी की भी

Page No. 39

(39)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत :)
स्वीकृति मिल गई तो भीन डेम वाला मामला हम लूज करने वाले हैं, मुर्डेरियन के मामले में भी लूज करेंगे इसी प्रकार दो-तीन जो और प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बिजली का उत्पादन होने वाला है और राजस्थान को उसका हिस्सा मिलने वाला है, इन सब मामलों में हम लूज करने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी माही के संबंध में मुख्य मंत्रीजी से कहा था कि इस सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा न तो, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के उस दिन से दर्शन हुए न उन्हें देखने का मौका मिला। मैं समझता हूं मुख्य सचेतक महोदय इस बारे में भी जानकारी दे दें। यदि आपको कोई जानकारी मिली हो कि उस संबंध में कोई वक्तव्य देने वाले हैं या कोई प्रस्ताव रखने वाले हैं। इस सदन में वह घोषणा करके गये थे। आपने भी कहा था और मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा था कि सदन में एक प्रस्ताव रखा जायेगा, सर्वसम्मति से उसको पारित किया जायेगा और भारत सरकार को इसके लिए जानकारी दी जायगी। तो मुख्य सचेतकजी से इसके बारे में भी पूछ लिया जायेगा।

श्री खेत सिंह राठौड़ : आप कहें तो मैं कहूं।

अध्यक्ष महोदय, इस बारे में भी जब सिंचाई की डिमाण्ड होगी तो उसके ऊपर भी अपना वक्तव्य देंगे जहां तक आपने जो मसला उठाया है, मैं मानता हूं बड़ा अहम मसला है, राजस्थान की बहबूदी का प्रश्न है इस पर मुख्य मंत्रीजी गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के टच में हैं, बातचीत हो रही है। इसके बारे में भी आपको परसों निश्चित तौर पर यहां पर वक्तव्य दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल शर्मा।

श्री मोहन लाल शर्मा (सरदार शहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरदार-शहर में हुई सांड की मृत्यु के बारे में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक 16-8-80 को एक सार्वजनिक सांड की मृत्यु हमारे सरदारशहर में सदर बाजार में हो गयी थी तो सारथियों ने उस सांड को उठाकर एक 'प्राइवेट पट्टे' की भूमि जो कुएं के पीछे छोड़ी हुई है और जिसमें सार्वजनिक रूप से उस कुएं को चलाते हैं और साल में 50, 60 घर रहते हैं, पर लाकर उसको गाड़ दिया, गाड़ने की जब तैयारी करने लगे तो 2-3 परिवार जो सरदारशहर में नहीं रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, लेकिन उनके जो, व्यवस्थापक हैं, मुनीम हैं, ट्रस्ट की तरफ से उन्होंने इसकी सूचना पुलिस में दी कि इस प्रकार से सार्वजनिक सांड को निजी पट्टे की भूमि में गाड़ना चाहते हैं जिसकी इजाजत नहीं मिली हुई है, उसको रोकना भी चाहते हैं लेकिन उस जगह उन लोगों का इतना हौसला बढ़ा कि वहां से बहुत से लोग इकट्ठे हो गये, रिपोर्ट की सूचना मिलते ही ऐसी स्थिति पैदा हो गयी कि वहां पर शान्ति भंग होने का अंदेशा हो गया, तब थानेदार पुलिस और तहसीलदार साहब मौके पर गये और मौके पर जब अनाप-शनाप भीड़ देखी तो उन्होंने उन लोगों को समझाया कि इस प्रकार के सार्वजनिक सांड को या तो एक रिवाज के मुताबिक गाड़ते हैं या उसकी जहां मृत्यु होती है, वहां गाड़ा

(श्री मोहनलाल शर्मा)

जाता है, या सांड को श्मशान भूमि में गाड़ा जाय, लेकिन उन लोगों ने इसे मानने से इन्कार कर दिया। उस समय यह कह कर चले गये कि इस प्रकार अगर तुम इसको गाड़ोगे तो गिरफ्तार कर लिये जाओगे तो गिरफ्तारी के डर से उन्होंने उस समय तो मान लिया कि उसको श्मशान भूमि में ले जायेंगे लेकिन जैसे ही पुलिस और तहसीलदार साहब मौके से गये तो उन लोगों ने उस सांड को वहीं गाड़ दिया। प्राइवेट भूमि में पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के सामने उन्होंने इस प्रकार से एक प्राइवेट पट्टे की भूमि में गाड़कर जुर्म किया और जुर्म ही नहीं किया इससे वहां पर शान्ति भंग होने का अंदेशा हो गया था लेकिन कुछ लोगों के बीच बचाव से शान्ति भंग होते-होते बची इस प्रकार की स्थिति, मैं समझता हूं, हमारे जिले में पुलिस की अकर्मण्यता से हो रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सख्त कार्यवाही की जावे। इसकी पुलिस में भी रिपोर्ट दी गयी लेकिन पुलिस अभी तक अकर्मण्य बैठी है, हाथ पर हाथ धरे बैठी है, और कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। इसलिए मेरा आपकी मार्फत सरकार से निवेदन है खास तौर से होम मिनिस्टर साहब से, जो यहां नहीं हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कई वाकये सरदारशहर और चूरू जिले में हो गये हैं जिनको मैं पुलिस की डिमाण्ड पर विचार के समय निवेदन करूंगा लेकिन इस प्रकार की जहां पर वारदातें हों, पुलिस निष्क्रिय बैठी रहे तो मैं समझता हूं यह बढ़ोत्तरी हो रही है जुर्मों में और बहुत से गुण्डों के हौसले बढ़ रहे हैं। इसको रोकने के लिए सख्त कदम उठाये जायें अन्यथा इस प्रकार से लोगों के हौसले बढ़ जायेंगे, जुर्म बढ़ जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो कुछ सूचना पुलिस में दर्ज करायी है उस पर पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की जाय, शान्ति भंग होने का अंदेशा है उनको जो पार्टियां वहां पर लगी हुई हैं, उनको इस प्रकार से मौके पर किसी भी समय में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, इसके लिए उसका पूरा प्रबन्ध किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री छीतर मल आर्य सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम चरड़ाना, तहसील अटरू के मिडिल स्कूल को क्रमोन्नत करने के विषय में।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम डबोक, तहसील मावली जिला उदयपुर में सरपंच द्वारा काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत 60 बोरी गेहूं को बेच देने के विषय में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह घटना जनता के मन में और वहां के लोगों के मन में अविश्वास पैदा करने वाली घटना है। श्रीमन्, 13 तारीख को जुलाई महीने में लगभग रात्रि के 11, साढ़े 11 बजे डबोक गांव के सरपंच श्री सुख लालजी ने अपने गांव का 60 बोरी गेहूं एक ट्रक में लादा और ट्रक भरकर वे रवाना होने वाले थे लेकिन गांव के कुछ लोगों के ध्यान में आ गया। ये कहीं गेहूं बेचने के लिए ले जा रहे हैं इसलिए गांव के कुछ लोगों ने रास्ते में एक बैलगाड़ी ट्रक के आगे लाकर खड़ी कर दी। जब ये गाड़ी लेकर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

निकले, श्रीमन्, तो उन्होंने इस गाड़ी को रोका। जैसे ही गाड़ी रुकी, सरपंच साहब और उनके सुपुत्र और एक और मेम्बर, तीनों भागने लगे और खेतों में चले गये। गांव के जो 4-5 लोग वहां मौजूद थे, उनको खेतों से पकड़ कर वापस गांव में लाये, गांव में लाकर उन्होंने उस सरपंच को एक पेड़ के रस्सी से बांध दिया और फिर जाकर गांव के सारे लोगों को जगाया। लगभग 11, साढ़े 12 बजे तक गांव के लोग इकट्ठे हुए और गांव के लोगों ने उस सरपंच को जूते लगाये। ये सारे काम करने के पश्चात् सरपंच का जुलूस निकाला। रात को एक बजे। सारे गांव के अन्दर जुलूस निकालकर थाने में ले जाकर ट्रक सहित पुलिस को सुपुर्द किया। ट्रक पांच दिन तक थाने में पड़ा रहा लेकिन इस देश का दुर्भाग्य समझता हूं कि इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप शुरू हुआ और हमारे आदरणीय मंत्रीजी उस कान्सटीट्यूएन्सी से चुनकर आते हैं। मुझे ऐसी जानकारी हुई कि उनके दबाव के कारण उस गाड़ी का गेहूं बेचने के लिए बैंकों की सिक्योरिटी कर दी। वह करने के बाद एक मत गढ़ा गया और एक योजना बनायी गयी और कहा गया कि यह गेहूं फूड फार वर्क का नहीं है यह गेहूं उसका स्वयं का है। श्रीमन्, मैं एक छोटा-सा प्रश्न रख रहा हूं जो इनके दिमाग में आया नहीं। सुखलाल कोई व्यापारी नहीं, उसके पास अनाज का लाइसेंस नहीं है। यदि अनाज का लाइसेंस नहीं है तो कोई भी व्यापारी 60 बोरी गेहूं अपने घर में नहीं रख सकता। और उसने कहां से खरीदा? हम एक बेईमानी का पक्ष कर रहे हैं, चाहे वह कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो; जिसको रंगे हाथ पकड़ कर गांव के 400 लोगों ने जिस को जूते मारकर जुलूस निकाला हो . . . .

श्री अध्यक्ष : सजा तो उसको काफी मिल गयी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नहीं, श्रीमन्, सजा यह नहीं है। श्रीमन्, ने गांव के लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी मेरे पास ही नहीं लगभग सभी मंत्रियों के और संबंधित मंत्री के पास और अन्य जिलाधीश के पास, सब के पास गयी है। उस चिट्ठी में जो वर्णन लिखा है वह ऐसा है जैसे उनके मन में काफी पीड़ा है :—

"जब गेहूं पकड़ा गया तो उस समय सरपंच साहब ट्रक से उतरकर भागने लगे और फिर खेतों से उन्हें पकड़ा गया, उन्होंने जिस समय गांव के 400 लोगों के करीब जुलूस में थे, फिर भी गांव की इस पैरवी को कोई नहीं सुन रहा है और इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। अतः आप इस ओर भी ध्यान दिलावें, गांव की जनता जहां भी जाती है, वहां पर खाली आश्वासन मिलते हैं और सरपंच साहब का काम आगे से आगे होता है। कर्मचारी और सरपंच मिल चुके हैं और उनकी सहायता के लिए सरपंच घोषा श्री देवी लालजी, जो पक्के कांग्रेसी कहलाते हैं, परन्तु वे पहले स्वार्थी हैं, समय आने पर वह दल बदलते रहते हैं। वे इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ भूतपूर्व बी.डी.ओ. साहब भी पूरी मदद कर रहे हैं। थानेदार साहब ने भी इस केस को बिगाड़ने में पूरा पैसा खाया है।

Page No. 42

(52)

श्री अध्यक्ष : गांव वालों पर मुकदमा बना कि नहीं ?

(व्यवधान)

गांव वालों पर तो कोई मुकदमा नहीं बना ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : गांव वालों पर मुकदमा नहीं बना है, श्रीमान् । मुझे, श्रीमान्, आपके माध्यम से एक ही बात कहनी है कि इस प्रकार के केस, सदन में पहले तो हमारा देश दुर्भाग्यशाली है जबकि बेईमान बड़ी मुश्किल से पकड़ में आता है और जब बेईमान पकड़ में आता है तो राजनैतिक शरण में आकर वह बेईमान छूट कर चला जाता है ।

श्रीमान्; इसके साथ एक और स्थगन प्रस्ताव था जो कि आज की कार्य सूची में नहीं आया है। मैंने उसमें यह लिखा कि बास गांव जो कि गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र का गांव है, उसमें भी वहां का सरपंच, जो कि कांग्रेस का सरपंच है श्रीमान्, को बीस बोरी शक्कर.....

श्री अध्यक्ष : वह आया हुआ नहीं है इसमें ।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह दोनों एक साथ ही दिए हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : हां, यह भी आया हुआ है इसमें ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : श्रीमान्, वहां के सरपंच साहब बीस बोरी शक्कर को लेकर गए । लेजाकर अपने पंचायत भवन में रखी । काफी दिनों तक तो लोगों को दी नहीं । लोगों में शक्कर वितरण नहीं हुई तो काफी उनसे कहा सुनी भी हुई लेकिन बाद में कोटड़ा के इंस्पेक्टर हैं मिस्टर विश्नोई आए और उन्होंने कहा कि आप शक्कर वितरण कराओ । अब शक्कर वितरण के लिए पंचायत भवन खोला गया, उप-सरपंच वहां पर मौजूद था। उप-सरपंच ने वह कमरा खोला तो उसमें 19 बोरी निकली जबकि बीस बोरियां सरकार ने इश्यू की थीं । इस बात को लेकर गांव के लोगों में काफी कहा सुनी हुई कि बीस बोरी आई थी, 19 बोरी क्यों हैं ? उसके पश्चात् यह जो भवन का फोटो है, उसके आगे मेन्यूपुलेशन किस तरह से किया गया यह बताता हूं । पंचायत भवन के तीन कमरे हैं । एक में वहां का सचिव रहता है। पंचायत का बीच का हाल है । उसमें इस प्रकार से तीन कमरे हैं । मकान को सम्भाला गया और तलाशी लेने के बाद पंचायत का जो मेन भवन है जिसमें 19 बोरी रखी गई थीं चस्पा किया 20 को और फिर गांव वालों की शिकायत रही इस बारे में तो सरपंच के सम्मुख आया और वहां के इंसपेक्टर आए। उन्होंने सरपंच को कहा कि सरपंच साहब आपकी ये बोरियां कम हैं । सरपंच साहब वहां पर आए। इस पर सरपंच साहब वहां से गायब हुए और सीधे उदयपुर आए और उदयपुर आकर पार्टी से मेन्यूपुलेशन किया और डी. एस. ओ. को मौके पर 21 तारीख को सवेरे लेकर आए। 21 तारीख को सवेरे आने के बाद सब लोगों के सामने, गांव की सारी जनता के सामने वह शक्कर खोली। उस समय उस कमरे में 19 बोरियां थीं । शाम को 5 बजे यह कहा गया कि सचिव के यहां पर एक बोरी रह गई होगी ।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सचिव का मकान पहले ही संभाला गया था। सब लोगों के सामने उसकी रिपोर्ट बना ली गई थी कि उसमें कोई शक्कर नहीं है। लेकिन मैन्युपुलेशन करके पास के किसी सरपंच की बोरी ला करके उसमें रख करके उसको रफा दफा किया गया। इसके पश्चात् डी. एस. ओ. साहब पर इतना प्रेशर पड़ा कि उनसे मेरी स्वयं की बात हुई, उन्होंने कहा कि वास्तव में 19, बोरी मिली है लेकिन उन्होंने रास्ता निकाला कि चलो बीस बोरी हो गई हैं, इनका वितरण कराना था वह वितरण करा दो। उसके बाद दूसरे महीने की शक्कर भी आ गई। वह भी उसी दिन में आ गई जिस दिन यह केस बना था। इस तरह से दूसरे महीने की शक्कर की 16 बोरी भी आ गई। एक तो जब तक पहले वितरण का सर्टीफिकेट नहीं दिया जाय कि शक्कर वितरण हो गई है, उसके पहले ही दूसरे महीने की शक्कर भी इश्यू हो गई। या तो वह झूठा सर्टीफिकेट दिया गया कि मैंने पहले की शक्कर वितरण कर दी, उसके पश्चात् 16 बोरी और लाए। इस प्रकार का अगर केस वहां की जनता एक्टिव रह करके पकड़े और यह सोचे कि शायद भ्रष्टाचार को कम करने में कुछ सफल हो सकेंगे लेकिन दुर्भाग्य है क्योंकि वह कांग्रेस के सरपंच हैं, इसलिये उनको बचाने के लिए यह प्रयत्न किया जा रहा है। यह मैं आपसे विनम्रता से प्रार्थना करूंगा कि इन दोनों केसों में बार-बार डी. एस. ओ. पर प्रभाव डाला जा रहा है कि इस केस को ठीक करो, इसको रफा दफा करो। मैं स्वयं कलेक्टर से मिला। इस बारे में मैंने कहा कि रिपोर्ट आई हुई है, उस रिपोर्ट को देख कर आप आर्डर क्यों नहीं करते या केस क्यों नहीं करते लेकिन केवल उसको रफा दफा किया जा रहा है, लिगर ऑन किया जा रहा है और लिगर ओन करने के बाद रफा दफा कर दिया जायेगा।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहूंगा, दोनों मंत्री महोदय उदयपुर से आते हैं और यह मेरा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के केस की जानकारी मंत्री महोदय को है, उनको स्वयं को पता है इस प्रकार के केस का लेकिन उसको दबाया जा रहा है। श्रीमान्, मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की बदमाशी करने वालों को, ऐसे बेईमान लोगों को ऐसी सजा दी जाय कि बाकी लोग कभी ऐसी बदमाशी करने की हिम्मत नहीं कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : बंशीलाल पटवा।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कांग्रेस (आई), सोरी, मैंने कांग्रेस कहा तो उससे आपको थोड़ा एतराज हुआ।

श्री अध्यक्ष : भीलवाड़ा लेबर कालोनी के संबंध में।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष जी, भीलवाड़ा नगर में लेबर कालोनी नाम की एक पूरी बस्ती है जिसमें सरकार की ओर से लगभग पांच सौ क्वार्टर्स बने हुए हैं। उन क्वार्टर्स के बीच में जितने भी फ्लश शौचालय बने हुए हैं वे शौचालय एक दो नहीं, लगभग 15-20 शौचालय अलग अलग शैट्स के रूप में बने हुए हैं उन शौचालयों में ऐसी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि सफाई नहीं

(श्री बंशीलाल पट्टवा)

होती है। जितने भी फ्लश लैट्रिन्स हैं जो फ्लश लैट्रिन के टैंक हैं, सेप्टटैंक हैं उनका सारा मलवा मल और मूत्र बाहर बह कर आता है। क्वार्टर्स के समक्ष इकट्ठा हो जाता है और जो भी शौचालय में टाइल्स वगैरह है, और भी जो कुछ हैं, उनसे मलबा—मल और मूत्र बाहर आता है। इसके कारण बड़े बड़े कीड़े इन शौचालयों के इर्द गिर्द पनप चुके हैं और वह कीड़े लेबर कॉलोनी में रहने वाले श्रमिक लोगों के घरों में घुस जाते हैं। शौचालय इतनी बदबू देते हैं कि वहां के श्रमिक लोग रह नहीं पाते हैं। अब पांच सौ क्वार्टर्स हैं जिनमें लगभग तीन हजार लोग उस बस्ती में रहते हैं। उस बस्ती के लोग इस गन्दगी के कारण नारकीय जीवन बिता रहे हैं। इस तरह की दयनीय स्थिति लेबर कॉलोनी में है। वहां नालियां नहीं हैं, जो कुछ नालियां हैं वे जर्जरित हो चुकी हैं। पानी जो गन्दा है आगे ड्रेन आउट नहीं होता है, एकत्र हो जाता है। इस तरह से सारी लोकेलिटी में इस तरह की गन्दगी के कारण भयावह स्थिति बनी हुई है। मैं पिछले दिनों भीलवाड़ा गया था। वहां की काफी औरतों ने, महिलाओं ने कहा, दिन के समय उस लोकेलिटी में रहना पड़ता है क्योंकि श्रमिक तो काम पर चले जाते हैं, वे महिलायें उस दुर्गन्ध के कारण रह नहीं पाती हैं। मच्छर भिनभिना रहे हैं, इस तरह की स्थिति है। और वहां पर बीमारियां फैल रही हैं। मलेरिया तो प्रचुर मात्रा में फैल चुका है दूसरी जो बीमारियां छूत की होती हैं जिसको इंफेक्शन कहते हैं, वह बीमारियां भी फैलती जा रही हैं। इसके अतिरिक्त भीलवाड़ा के इर्द गिर्द जितने भी शौचालय हैं, म्युनिसिपैलिटी ने, नगर परिषद ने उन शौचालयों को बीस वर्ष पहले बनाया था। जितने भी शौचालय बीस वर्ष पहले बने हुए हैं उनको बनने के बाद आज तक रिपेयर नहीं किया गया है। यदि रिपेयर किया भी है तो उसके इर्दगिर्द बाउन्ड्री वाला है। इस तरह से मान लो कि बैठने की दृष्टि से सीट टूटी हुई है, किसी के किवाड़ टूटे हुए हैं, किसी की कुंडी नहीं है; फ्लश लैट्रिन भरे हुए रहते हैं और सेप्टटैंक के जो ढक्कन हैं वे गायब हैं। पिछले दिनों एक लड़की इस तरह के टैंक में गिर गई थी; उसको बड़ी कठिनाई से निकाला गया। यदि समय पर सचेत नहीं होकर तुरन्त उसको निकालने की कार्यवाही नहीं की जाती, तो उस बच्ची की मृत्यु तक हो सकती थी। इस तरह की दयनीय स्थिति भीलवाड़ा में है। यदि इस ओर तत्काल ध्यान नहीं दिया जायेगा, तो सारे शहर में महामारी फैल सकती है, छूत की बीमारी हो सकती है। इस तरह से नगर परिषद् की और पी. डब्लू डी. के अन्तर्गत, लेबर डिपार्टमेंट के अन्तर्गत जो लेबर कालोनी आती है उसके बारे में निरन्तर उनका ध्यान आकर्षित किया गया। लेकिन कोई तवज्जोह नहीं दी जा रही है कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा लगता है कि भीलवाड़ा में सरकार नाम की कोई वस्तु है नहीं। भीलवाड़ा नगर परिषद् नाम की कोई वस्तु है भी या नहीं, इस तरह का वहां कोई पता नहीं लगता है। तो मेरा इस बारे में विनम्र निवेदन है कि हम इसे शिकायत के रूप में नहीं कह रहे हैं, यथार्थ के रूप में अर्ज कर रहे हैं। यदि मंत्री महोदय या सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया

(श्री बंशीलाल पटवा) :

तो स्थिति बिगड़ सकती है और मैं सोचता हूं कि हमारी व्यवस्था आखिर कहां जाकर टिकेगी, कोई नहीं जानता । म्युनिसिपैलिटी का प्राईमरी फंक्शन है रोशनी देना, सफाई करना लेकिन यदि प्राइमरी फंक्शन भी म्युनिसिपैलिटी नहीं कर पाये, तो हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी यहां बैठे रहें, यह सरकार कैसे चलेगी, भगवान ही इसका मालिक है । आपके माध्यम से और इस स्थगन प्रस्ताव के द्वारा मेरा निवेदन है कि लेबर कालोनी जो बसी हुई है, वहां उन लोगों के हितों का ध्यान रखा जाये । मकान उनको किराये पर नहीं, लीज पर दे दिये जायें ताकि वह स्वयं व्यवस्था कर लें । यदि वह नहीं कर पाते हैं तो सफाई, फ्लश टैंक जितने भरे हुए हैं, मल-मूत्र बाहर आ रहा है, उसके बारे में तुरन्त कार्यवाही की जाये । यदि नहीं की जायेगी तो आन्दोलनात्मक स्थिति खड़ी होगी । और मैं चाहूंगा कि आप तुरन्त ध्यान दें । इस समस्या को हल किया जाये । यह 3000 श्रमिकों का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री बंशीलाल पटवा : इस तरफ ध्यान दें । मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि यदि ध्यान नहीं दिया जायेगा तो आन्दोलनात्मक स्थिति खड़ी होगी, उसके लिये सरकार जिम्मेदार होगी । मैं यह कह कर अपने विचार समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, "18 अगस्त को मकराना स्थित टेलीफोन एक्सचेंज में हुई मारपीट की घटना के सम्बन्ध में ।"

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गत 18-8-80 को दिन के डेढ़ बजे श्री राधाकृष्ण सोलंकी, टेलीफोन एक्सचेंज में गये । टेलीफोन एक्सचेंज में जाकर कुछ व्यक्तियों के साथ उन्होंने मारपीट की । मारपीट करने के बाद ऐसा वातावरण बना कि जब वहां के जूनियर इंजीनियर महोदय ने पुलिस में रिपोर्ट की फोन पर, पुलिस वाले वहां पहुंचे और उनको पकड़ कर ले गये । पकड़ने के थोड़ी देर बाद, इसी बीच एफ. आई. आर. दर्ज हो गयी । जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । मेडिकल रिपोर्ट है:—

"Alcoholic smell from breath present. Person examined clinically may have consumed alcohol as alcoholic smell from breath present. But final opinion after chemically examination."

प्रारम्भिक रूप से जो जांच की गई, उसमें उन बन्धु के मुख से शराब की दुर्गन्ध आ रही थी, उसके बाद भी पता नहीं ऐसी कौनसी बात थी, जब कि एक तरफ शराब पीये हुए थे एक तरफ वह मारपीट करने टेलीफोन एक्सचेंज गये, उसकी पुलिस ने उसी समय जमानत ले ली । वह व्यक्ति पुलिस स्टेशन से वापस चलते हैं । फिर अपने कुछ साथियों को साथ लेकर टेलीफोन एक्सचेंज के बाहर आते हैं और टेलीफोन एक्सचेंज के लोगों को मां-बहिन की गालियां देते हैं, उनको जान से मार डालने की धमकी देते हैं । जान से मार

Page No. 46

(46)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
डालने की धमकी देने से सारा टेलीफोन एक्सचेंज बन्द हो गया, केवल मकराना ही नहीं, डीडवाना, नागौर और कुचामन उस सैक्शन से आने वाले टेलीफोन एक्सचेंज में हड़ताल हो गयी, टूल डाउन स्ट्राइक हो गयी, पुलिस ने प्रोटेक्शन नहीं किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, यह राधाकृष्ण सोलंकी कौन हैं? यह कांग्रेस (इ) के अध्यक्ष हैं। कौनसे कारण थे ऐसे कि जिनके कारण जिन्होंने शराब पीये हुए, मारपीट की, उनकी थोड़े से समय में पुलिस थाने में जमानत ले ली गई और यह स्थिति निर्मित कर दी, जिसके कारण कल दिन और रात भर टेलीफोन एक्सचेंज बन्द पड़ा रहा। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, राजनैतिक प्रोटेक्शन, इस प्रकार के राजनैतिक प्रोटेक्शन देकर सारे क्षेत्र में यह स्थिति पैदा कर दी, जिसके कारण हड़ताल हो गयी, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इस प्रकार का राजनैतिक संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिये। पुलिस को वहां के कर्मचारियों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से प्रयत्न करना चाहिये, उन के जन-जीवन की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिये और ऐसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिये। इसलिये मंत्री महोदय, राज्य सरकार इस प्रकार के सारे केसेज में इस प्रकार की स्थिति न आने देगी और वहां के जन-जीवन में किसी प्रकार का रोष व्याप्त हो, यह नहीं करेगी ऐसी मैं आपसे अपील करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भगवानदास शास्त्री।

(अनुपस्थित)

श्री गोपाल पचेरवाल "ग्राम चौपलाटा, जिला सीकर के एक कुंए पर हरिजनों को पानी न भरने देने के सम्बन्ध में।"

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्राम चौपलाटा में जाति मेघवाल, बलाई और हरिजनों को वहां के कुछ जागीरदार हैं उनके द्वारा रास्ता रोककर पानी लाने से वंचित रखा गया उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्रीमन्, ग्राम चौपलाटा में वहां के जितने मेघवाल जाति के लोग हैं, वह कई वर्षों से उस कुएं से पानी लाते रहे हैं और पीते रहे हैं। वहां के पूरे लोगों के लिये अन्य कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकार ने चुनाव में, बजट भाषण में, घोषणा-पत्र में उन पिछड़े लोगों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था की बड़ी-बड़ी घोषणायें की हैं और इन घोषणाओं के नाते यह सारे पिछड़े वर्ग के वोट लेकर हमेशा सरकार में आते रहे हैं। लेकिन इस घटना से मुझे बड़ा दुःख है, आश्चर्य है। जब हमारी सरकार थी और हमारी सरकार के मुख्य मंत्री, श्री भैरोंसिंह शेखावत थे, तो माननीय सदस्य सत्ता पक्ष में बैठे हैं, वह इधर बैठकर यह बात कहा करते थे कि सामन्तवादी सरकार है। पूरे प्रदेश में जागीरदार, राजा महाराजा हावी हो रहे हैं, गरीबों को दबा रहे हैं और सामन्तवाद का बोलबाला हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं, उस वक्त क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था लेकिन अब मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान का मुख्य मंत्री हरिजन है। राजस्थान का मुख्य मंत्री हरिजन होने के बावजूद और अपने आपको हरिजनों की

(श्री गोपाल पचेरवाल)

मसीहा कहलवाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी, देश की प्रधान मंत्री हैं, तथा राजस्थान का मुख्य मंत्री हरिजन है, फिर भी जागीरदार हरिजनों पर अन्याय करते हैं, तो यह कौन-सा राज है ?

एक माननीय सदस्य : सामन्तवाद की नींव डाली थी, वह कमजोर नहीं पड़ी। अभी थोड़े दिन ही हुए है मुख्य मंत्री को आये।

श्री गोपाल पचेरवाल : अच्छा तो यों है। माननीय सदस्य सामन्तवाद के राज से इतने पीड़ित हैं कि उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जब आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो संरक्षण भी आप पूरा दे रहे हैं। 11 तारीख को वहां के लोगों ने मुख्य मंत्री को दरख्वास्त पेश की, आई. जी. को पेश की कि हमारा रास्ता खुलवाया जावे, पानी पीने का रास्ता दिया जाये। वहां पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था की जावे। जो रास्ता जागीरदारों ने बन्द करवा दिया, वह रास्ता खुलवा दें। यदि नहीं खुलवा सकते हैं, जिस तरह से माननीय सदस्य कह रहे हैं, सामन्तवादी राज का अभी आतंक है, फिर आप किस मर्ज की दवा हैं ? आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं, गांव के लोगों को संरक्षण दे नहीं सकते हैं, पीने के पानी जैसी चीज उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, तो आपको सरकार छोड़ देनी चाहिये। मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में कहा है, मैं हरिजन हूं, मैं उनके दुःख दर्द को समझता हूं। मेरे अन्दर जमीर है। मैं उसके लिये लड़ूंगा। आज आप में जमीर कहां है ? आज वह लोग पानी के लिये मर रहे है। जागीरदार उनको पानी लाने से रोक रहे हैं। कहां है आपका 20 सूत्री कार्यक्रम ? कहां है आपका 5 सूत्री कार्यक्रम ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कौनसा राज है। जब तक इन लोगों के लिये पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे, और जागीरदारी, सामन्तवादी राज का बोलवाला है, तो यह चलने वाली बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उनका रास्ता आज की तारीख में भी बन्द है, यह मेरी जानकारी है। उन्होंने वहां थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी, वहां थानाधिकारी ने परवाह नहीं की। आई. जी. साहब ने कहा कि आप तथ्य लाइये, भूमि की रिपोर्ट लाइये, वह जमीन राजपूत की है और उस पर कुआं है। थानाधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वह तहसीलदार, रेवेन्यू बोर्ड निकाल कर देता है। पटवारी लाकर दे देगा। जब आप, मुख्य मंत्री नहीं सुनेंगे, तो क्या जो तहसीलदार, सवर्ण जाति का है, वह तहसीलदार सुनेगा ? इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी वह लोग पानी के बिना मर रहे हैं। उनको इधर-उधर से मांग-मांग कर पानी लाना पड़ रहा है। आप तत्काल तहसीलदार के खिलाफ, थानेदार के खिलाफ, जिसके भी खिलाफ कार्यवाही करनी पड़े कार्यवाही करके उनको पानी दिलावें और अगर पानी वहां से न दिला सकें तो कोई तत्कालिक व्यवस्था करें। आप रास्ता खुलवा दीजिये। जब तक दूसरा कुआं न खुदवा दें या दूसरी व्यवस्था न कर दें तब तक वहीं से परम्परागत 20-30 सालों से पानी पीते चले आ रहे हैं, तो वास्तव में आप उनको कन्ट्रोल करें। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो आ

(48)

(श्री गोपाल पचेरवाल)
क्या कर रहे हैं उनके लिये ? इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अधिकारियों को निर्देश दें कि रास्ता खुलवायें। और अगर पानी नहीं देना चाहते हैं, कुआं उनका है, तो उनके लिये व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकंवार बैरवा !

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर मीणा !

(अनुपस्थित)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव था, पांच आदमियों की मृत्यु हो चुकी है.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जानकारी मंगवाई है....

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, गांव मोलाना के पास परसों एक व्यक्ति भैरोंलाल नामक 60 वर्षीय वृद्ध की मृत्यु हो चुकी है। मेरा निवेदन करना यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वहां किस प्रकार की सेवायें......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने जानकारी मंगवाई है। जानकारी आने पर आपको.....

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, फिर मेरा दूसरा प्रस्ताव था कोटा में ईसेहा दे ब्रहामी मुस्लिम संप्रदाय है, उसके बारे में......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जानकारी मंगवा रखी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं केवल एक पत्र पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज पुलिस विभाग की डिमाण्ड है। इसके संबंध में कह सकते हैं यदि कहना चाहें तो अन्यथा सूचना आने दीजिये। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्षजी, मेरा पत्रकारों की पिटाई से संबंधित प्रस्ताव है। एक सप्ताह हो गया, अभी तक जानकारी आई नहीं।

श्री अध्यक्ष : मुझे जुबानी याद नहीं है। मैं मालूम करके, जानकारी करके आपको बताऊंगा। अभी मैं नहीं बता सकता।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जो मेरे सामने हैं उनके बारे में मैंने व्यवस्था दे दी। माननीय सदस्य, अन्य के बारे में आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं आपको स्थिति से अवगत करा दूंगा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। मुख्य मंत्री जी।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण

श्री अब्दुल रहमान चौधरी (उप-मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत् प्रदाय अधिनियम, 1948.....

Page No. 49

(49)

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण पर विचार

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आय-व्ययक आर. एस. ई. बी. का रखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 के नियम 61 के अन्तर्गत इसमें उप-नियम (3) में दिया हुआ है—

"The State Government shall as soon as may be after the receipt of the said statement caused it to be laid on the table of the House or as the case may be Houses of the State Legislature, and the said statement shall be open to discussion therein, but shall not be subject to vote"

इसमें मैं आपसे व्यवस्था......

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या है इसमें ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं व्यवस्था चाहता हूं। यह आय-व्ययक रखा जायेगा और इसमें कहा गया है—

(4) The Board shall take into consideration any comments made on the said statement in the State Legislature.

आज की कार्य सूची में इसके डिस्कशन का कोई संकेत नहीं दिया गया है। मैंने भी आपको पत्र लिखा है।

श्री अध्यक्ष : यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आयेगा। अभी तो यह रख रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कांग्रेस की पुरानी परंपरा पिछले वर्षों की इस प्रकार क रही है कि इस तरह के आय-व्ययक, बजट रखे गये वे केवल रख दिये गये, उन पर कभी भी विचार विमर्श नहीं हुआ। जनता सरकार का कम से कम तीन साल का रिकार्ड है हमने इसको रखा, और हमने इस पर सदन में विचार किया।

श्री अध्यक्ष : मेरा नम्र निवेदन है कि यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरी शंका है इसलिये रखा। इसलिये कहना चाहता हूं कि 23 तारीख को सदन समाप्त हो जायेगा। अगला सदन आयेगा फरवरी में जब यह वर्ष पूरा हो जायेगा....

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। इसको रखने में कोई आपत्ति हो, तो वह तो है नहीं। इस पर आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वह अलग प्रश्न है।

श्री राज बहादुर : मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस पर डिस्कशन का मौका मिलना चाहिये, यह तो पाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है लेकिन यह चीफ मिनिस्टर को प्रस्तुत करना चाहिये था, उनके खिलाफ पर कर रहे हैं यह पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री कोई भी कर सकते हैं। मुख्य मंत्री जी बिजली मंत्री हैं और ये बिजली के उप-मंत्री हैं।

Page No. 50

(50)

श्री प्रद्युम्न सिंह : पॉइन्ट ऑफ आर्डर। छोटा बड़ा क्या होता है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : छोटे का मतलब पॉइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण

श्री अब्दुल रहमान चौधरी (उप-मंत्री) : मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 61(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) अनुमान, 1980-81 सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : इसके बाद पथ परिवहन वाला रख दीजिये।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं पथ परिवहन अधिनियम, 1950 की धारा 35 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन 1978-79 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का गठन

मनोनयन पत्र-वापस लेने के समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय समितियों के चुनाव के नाम वापस लेने का समय 21-8-80 के दिन के 3 बजे तक बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण पर विचार

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, इसमें नं. 4 में लिखा है—

The Board shall take into consideration any comments made on the said statement in the State Legislature.

जब यह सैशन समाप्त हो जायेगा तो उसके बाद सैशन आयेगा फरवरी में, जब कि पूरा वर्ष हो जायेगा। बजट में कहां प्रावधान है? कितने हैड्स इसमें किया गया, उनका खर्चा कहां हो गया यह विचार विमर्श करना चाहें, आने वाली कठिनाइयों के बारे में राय देना चाहें, शायद माननीय मंत्री महोदय भी इस राय से लाभ लेंगे, जैसा नं. 4 में कहा गया है। इसलिये मेरा निवेदन है, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या इसी सत्र में इस पर डिस्कशन होगा। इसकी घोषणा करने की कृपा करें? क्या इसी सत्र में इस पर डिस्कशन हो जायेगा ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मंत्रीजी को बोलने दीजिये, अध्यक्ष महोदय, चीफ व्हिप से डिमाण्ड नहीं की है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मंत्रीजी क्या बोलें, वह यही फरमायेंगे जो मैं। यह कोई टेस्ट हो गया क्या ? कोई एग्जामिनेशन थोड़े ही है। जो मैं बोलूंगा

Page No. 51

(51)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा बिल्कुल गलत है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल ठीक परम्परा है । चीफ व्हिप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मेम्बर है । वह अगर रिक्वेस्ट करता है कि 3 बजे मीटिंग है उसमें विचार कर लिया जायेगा और उसमें जो निर्णय होगा . . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में केवल समय का निर्धारण होता है । बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यह तय नहीं करती कि अमुक विषय पर चर्चा होनी चाहिये या नहीं । जो सरकार की ओर से बिजनेस दिया जाता है उसका समय निर्धारित करने का काम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम होता है ।

(व्यवधान)

मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय मुख्य सचेतक ने किस प्रकार से कहा है कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी और उसके अन्दर यह तय होगा । तो क्या हम यह मान कर चलें कि सरकार ने अपना ऐसा मानस बना लिया है कि इस विषय पर चर्चा होगी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में इसके लिये समय का निर्धारण किया जायेगा ?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रोटेस्ट करना चाहता हूं कि जिस समय मंत्री उपस्थित हों उस समय तो उनको स्वयं को ही जवाब देना चाहिये । अगर कोई मंत्री उपस्थित न हो तो मुख्य सचेतक महोदय सरकार के प्रवक्ता हो सकते हैं । परन्तु मंत्री सदन में उपस्थित हों और उनकी उपस्थिति में अगर मुख्य सचेतक महोदय फिजीकली उनको दबाते हों, उनको जवाब न देने दें, अपनी "योग्यता" का प्रचार करें और मन्त्रियों को अयोग्य सिद्ध करने की कोशिश करें तो, अध्यक्ष महोदय यह कोई उचित परम्परा नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जिसके कि अध्यक्ष आप हैं, गवर्नमेंट जो बिजनेस लाना चाहती है, उसके लिये समय का निर्धारण करती है गवर्नमेंट इसको लाना चाहती है या नहीं, तो ऐसे बिजनेस के संबंध में तो अधिकृत प्रवक्ता ट्रेजरी बेन्चेज हैं । चीफ व्हिप गवर्नमेंट क्या चाहती है अधिकारपूर्वक नहीं कह सकते हैं । इस पर चर्चा हो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है । जनता सरकार के भूतपूर्व विद्युत मंत्री को मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उन्होंने यह चाहा है कि इस रिपोर्ट को, प्रतिवेदन को सदन में रखते ही चर्चा कर ली जाय, तो आप को मालूम होगा कि आपके समय में भी इस रिपोर्ट पर बाद में चर्चा की गई थी । इसलिये इस पर चर्चा उसी दिन हो ऐसा आवश्यक नहीं है । सरकार के पास समय हो, कब वह इसको लेना चाहती है, आप इस पर अपने कमेंटस देना चाहते हैं, इतना ही प्रश्न है । सदन के सदस्यों की इस रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेन्ट्स हैं, उसका लाभ बोर्ड को मिलना चाहिये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार इसको बोलना चाहती है । अगर लेना चाहती है तो इस विषय पर निर्णय लेकर सदन को सूचना दे दी जाये ? जानकारी दे दी जाये ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री जी बोलें।

श्री खेतसिंह राठौड़: अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि विरोधी दल के नेता महोदय जो कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं यह कहा कि मैं अपनी काबलियत को जाहिर करने के लिए बीच-बीच में बोल रहा हूं। और मंत्रियों को नहीं बोलने दे रहा हूं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उनके द्वारा किया जाना अच्छा नहीं है। मैं अपने आपको काबिल समझता हूं या नहीं किन्तु आपको इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए। इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं . .

श्री अध्यक्ष : परफार्मेन्स वाला फार्मूला चीफ व्हिप के लिये लागू नहीं होता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आज की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग की आवश्यकता इस रिपोर्ट के मामले में ही है, और इसलिए बुलायी गयी है। बाकी तो बजट के बारे में सारी बातें तय हो चुकी थीं। इस लिए आपसे निवेदन किया था। चूंकि आज तीन बजे का समय रखा है इस लिए आपके सामने यह प्रश्न रखा है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं विरोधी दल के नेता महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात नहीं है कि मंत्री नहीं बोलना चाहते हैं और हर बार मुख्य सचेतक ही बोलते है, । माननीय परसरामजी ने भी अपनी राय दी है। मुख्य सचेतक महोदय मेरी तरफ से नहीं बोले हैं या मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं, यह विरोध का प्रश्न नहीं है। जहां तक सरकार का प्रश्न है। . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, यह तो स्पष्ट हो गया कि खेतसिंहजी इनकी तरफ से नहीं बोले हैं।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : खेतसिंहजी अपनी तरफ से बोल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में इस पर विचार किया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि क्या गवर्नमेंट इस सत्र में अकाउन्ट्स के ऊपर चर्चा करना चाहती है।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : चर्चा तो होगी।

श्री अध्यक्ष : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में यह मसला आयेगा और उसके बाद तय होगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कोई जरूरी नहीं है कि इसी सत्र में इस रिपोर्ट पर विचार किया जाए। पहले भी यह परम्परा रही है, रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के 66 महीने बाद उस पर चर्चा की गई है। यह आपके वक्त में हुआ है। आपने रिपोर्ट तो प्रस्तुत कर दी लेकिन उसी वक्त उस पर डिस्कशन नहीं हुआ। प्रश्न यह है कि सरकार इस पर कब चर्चा रखना चाहती है। यह आवश्यक नहीं है कि यह चर्चा इसी सत्र में हो। इस पर चर्चा अगले सत्र में भी हो सकती है। विरोधी दल के नेता महोदय ने जो कहा है वह सही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय मुख्य मंत्री रह चुके हैं। उनके ही कार्यकाल में इस पर चर्चा अगले सत्र में हुई थी। उन्होंने ही यह कहा था कि इस रिपोर्ट पर अगले सत्र में विचार किया जायेगा क्यों कि हम राजस्व अभियान में व्यस्त हैं। इसके अलावा जनता अदालतों का आइडेन्टिफिकेशन करना है। इसके अलावा अन्त्योदय कार्यक्रम है उसी प्रकार हमारे सामने भी 25 सूत्री कार्यक्रम है उस पर हमें काम करना है। जो आवश्यक काम है वह तो पहले किया जायेगा ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह जो 25 सूत्री कार्यक्रम है उसके दस सूत्र ही मंत्री महोदय बता दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि इस सत्र में चर्चा नहीं होगी तो अगला सत्र अब फरवरी में होगा। इसलिए यह तो बतावें कि क्या बीच में सत्र बुलाया जाएगा-एक दो महीने के पश्चात ताकि इस पर डिस्कशन हो सके और कुछ न कुछ फायदा हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसी सत्र में इस पर डिस्कशन रखा जाए ।

श्री अध्यक्ष : जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी वह मान्य होगा ।

नियम 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत विषय सरदार सरोवर के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करने सम्बन्धी मुख्य मंत्री का अभिभाषण

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 225 के अन्तर्गत उठाया जाने वाला प्रश्न। श्री शेखावत ।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, वैसे मैं प्रारम्भ में ही संकेत कर चुका था कि सरदार सरोवर योजना के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से दस दिन निकल जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि कल ही 9-8-80 को इस विधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जाएगा। उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उम्मीद थी कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर भारत सरकार को भेजा जायेगा। आज दस दिन निकल जाने के पश्चात भी सरकार इस सम्बन्ध में मौन है। मौन रहने का क्या परिणाम निकलेगा ? वह तो मैं बाद में बतलाऊंगा लेकिन यह सदन की आज्ञा निर्देश सदन के आदेश को एक प्रकार से न मानने के बराबर है, खुला उल्लंघन है। सरकार को चाहिए था कि सरकार तुरन्त ही इस सम्बन्ध में प्रस्ताव करती। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का प्रस्ताव सरकार स्वयं प्रस्तुत करें तो सरकारी पक्ष जो दिल्ली में प्रस्तुत करना चाहिये वह अपने आप ही प्रबल हो

Page No. 54

(54)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जाता । सरकार को बार-बार आग्रह किया गया है । यह स्थिति नजर आ रही है कि सरकार अपने पक्ष को प्रबल रूप से नहीं रख पा रही है या असमर्थ है । मैं चाहूंगा कि तुरन्त ही इस सम्बन्ध में प्रस्ताव सदनमें प्रस्तुत किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि पिछले एक महीने में राजस्थान के हितों को जिस प्रकार से उपेक्षा हो रही है, कुछ ऐसी मिसालें हैं कि जिसके परिणाम राजस्थान के लिए घातक होंगे । अच्छा होता मुख्य मंत्री उपस्थित होते और मुख्य मंत्री स्वयं इस सम्बन्ध में जानकारी देते कि सरदार सरोवर योजना के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से क्या बात की है, केन्द्रीय सिंचाई मंत्री महोदय से क्या बात चीत की है और उसका क्या परिणाम रहा है । क्या आइडेन्टिफिकेशन रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक को भेज दी गई है और उस आइडेन्टिफिकेशन रिपोर्ट पर राजस्थान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है । उसको कभी उन्होंने भारत सरकार को भेजा या नहीं भेजा । इसलिये मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे विपक्ष में निर्णय होने वाला है । सरकार बिल्कुल सतर्कता नहीं बरत रही है । इसका फल इस रूप में निकलेगा । नाथपा झाकड़ी में जो बिजली का उत्पादन होने वाला है कुछ वर्षों पहले इसमें राजस्थान और पंजाब का समझौता हुआ था और फिर पंजाब के भाग के साथ हरियाणा इसका भागीदार हुआ । लेकिन हमारी सरकार की कमजोरी का लाभ उठा कर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने समझौता कर लिया एक बोर्ड आफ डायरेक्टर अपाइंट करके । उस बोर्ड आफ डायरेक्टर में 6 आदमी हरियाणा के और 6 आदमी हिमाचल प्रदेश के शामिल कर लिये । भारत सरकार को लिखा है कि सिंचाई मंत्रालय एक व्यक्ति को इस कमेटी की अध्यक्षता के लिये नियुक्त कर दे । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि इस संबंध में सन् 1955 में एक समझौता हुआ था रावी, व्यास जो और सतलज पर किया गया था कि पंजाब को कितना हिस्सा मिलेगा राजस्थान को एक मिलीयन एकड़ फीट के करीब देने का समझौता हुआ था । रावी, व्यास सतलज इन तीनों नदियों के ऊपर राजस्थान के हिस्से का समझौता 1955 मे हुआ था वह उसके बाद आज भी उसी प्रकार से है । उसके बाद इन्डसट्रीटी सन् 1960 में हुई उस समय भी हमारा हिस्सा इसी प्रकार सुरक्षित रखा गया। इसके अलावा सन् 1966 में जब पंजाब रीऑर्गनाईजेशन एक्ट बना तो उस रिऑर्गनाइजेशन ऐक्ट के तहत भी हमारा हिस्सा उसी प्रकार रहा लेकिन चूंकि अब नाथपा झाखडी शिमला में 200 किलोमीटर दूर एक स्थान है । हिमाचल प्रदेश मे यह प्रोजेक्ट बनना है । इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि जिस राज्य में जो प्रोजेक्ट बनने वाला है उससे होने वाले लाभ का भागीदार वह एक ही राज्य हो जाये । इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा अहम मसला है जिस पर मैं तो माननीय खेतसिंहजी के लिये कहना चाहूंगा, सरकार पूर्णतया निष्क्रिय साबित हुई है । सरकार को इस बात की चिन्ता नहीं है कौन राजस्थान के हित पर कुठाराघात कर रहा है । किस प्रकार कुठाराघात कर रहा है । एक हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन जहां होता है, उस प्रोजेक्ट के बारे में सरकार इस प्रकार असावधान रहे । यह भी, अध्यक्ष महोदय, गुपचुप

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं हुआ। 30 जुलाई, के समाचार पत्र में जो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में एग्रीमेन्ट हुआ है उसके बारे में समाचार प्रकाशित हुआ है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज से पहले जिस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री रामलालजी थे और जिस समय हरियाणा के मुख्य मंत्री बनारसी दास गुप्ता थे इन दोनों ने मिलकर यह समझौता किया था। उस समय राजस्थान ने इस समझौते का विरोध किया था। विरोध करने के बाद हरियाणा के मुख्य मंत्री देवीलाल जी आये और हिमाचल प्रदेश के अन्दर श्री शान्तिकुमारजी के बीच फिर समझौता हुआ। मैंने भारत सरकार के सामने इसका विरोध किया। प्रधान मंत्री से मिला। यह इसकी जो अनुमति लेना चाहते थे, भारत सरकार से उसको रुकवाया। अनुमति आज दिन तक नहीं दी गयी। लेकिन अब नया समझौता जो उन्होंने किया है पुराना समझौता रद्द करते हुये नया समझौता करके भारत सरकार के पास अपनी पत्रावली ले गये हैं और मुझे जानकारी मिली है कि राजस्थान का केस वहां पर इन डिफाल्ट हो रहा है। राजस्थान की तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं है। राजस्थान के हितों का ध्यान किसी को नहीं है। अगर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अपने प्रोजेक्ट में सफल हो जाते हैं तो इसका परिणाम यह निकलेगा कि मुकेरियां से जो बिजली का उत्पादन होने वाला है उसमें हमें हिस्सा नहीं मिलेगा, आनंदपुर साहब में जो बिजली का उत्पादन होने वाला है उसमें हमें हिस्सा नहीं मिलेगा, थीन में जो उत्पादन होने वाला है उसमें हमें हिस्सा नहीं मिलेगा, कोल में जो उत्पादन होने वाला है उसमें हमें हिस्सा नहीं मिलेगा और नाथपा झाखड़ी में भी नहीं मिलेगा। हम डिपेंडेंट हो जायेंगे। राजस्थान का हम औद्योगिक विकास करना चाहते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिये बिजली का उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन बिजली का उत्पादन गांधी सागर पर जितना होना था वह तो हो चुका है। इसके बाद गांधीसागर से कोई प्रोजेक्ट तैयार करके नयी बिजली का उत्पादन करलें यह सम्भव नहीं है। कोटा थर्मल प्लांट से हमें बिजली मिलेगी या एटोमिक प्लांट की सैकण्ड स्टेज का काम शुरू करेंगे उससे हमें बिजली मिलेगी वह दो तीन वर्ष में जाकर पलाना बिजली मिल जायेगी। वह जो बिजली का उत्पादन होगा वह हमारे निजी सोर्सेज से होगा लेकिन हम जब तक बाहर के सोर्सेज को इम्पैक्ट करके राजस्थान की बिजली की आवश्यकता पूरी नहीं करेंगे तो राजस्थान का बहुत बड़ा अहित होगा। मैं इस सरकार के ऊपर निकम्मेपन का भी चार्ज लगाता हूं। मैं इस सरकार के ऊपर यह चार्ज भी लगाता हूं कि यह राजस्थान के हितों की सुरक्षा नहीं कर सकती है। अगर यह कर सकती है तो 30 जुलाई को वक्तव्य हरियाणा के मुख्य सचिव का आ सकता है तो राजस्थान सरकार को प्रोटेस्ट करना चाहिये था, अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो थिन्दडेम के मामले को प्रधान मंत्री लेवल तक ले गये, अटार्नी जनरल से ओपीनियन ली। अटार्नी जनरल ने राजस्थान के पक्ष में ओपीनियन दी हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करे पायेंगे। इसका मतलब यह है कि पोंग डेम से हमें बिजली मिल रही है, नांगल से जो बिजली हमें मिल रही है इसके अलावा रावी, व्यास, सतलज इन पर जो बिजली का उत्पादन होगा उसमें से एक किलोवाट भी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बिजली नहीं मिलेगी। तीनों राज्य, हिमाचल यह कहता है कि बिजली में हमारा हिस्सा नहीं है, हरियाणा यह कहता है कि बिजली में हमारा हिस्सा नहीं है और पंजाब भी यही कहता है कि आपका बिजली में किसी प्रकार का कोई, हिस्सा नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार क्या सोचती है? आप चाहे और किसी बात की चिन्ता करें या न करें लेकिन राजस्थान के भावी विकास की योजनाओं के ऊपर दूसरे राज्य गिद्ध दृष्टि से नजर डाले बैठे हैं । मुख्य मंत्री नहीं हैं इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं परन्तु मैं माननीय मुख्य सचेतक महोदय के माध्यम से उन्हें टोक करना चाहता हूं कि वे उन्हें यह सूचना दे दें कि राजस्थान के हितों की अगर इस प्रकार उपेक्षा की गयी तो मैं ऐसा समझता हूं कि वह राजस्थान के साथ तो अन्याय करेंगे ही साथ ही वो स्वंय भी अपने प्रति बहुत जबर्दस्त अन्याय करेंगे। इसलिये वे इस बात के प्रति सावधान हो जावें । मैं इन्हीं शब्दों के साथ सरकार को सचेत करना चाहूंगा कि इन प्रश्नों पर ढिले नहीं करें। कल चाहे कोई डिमान्ड हो या नहीं हो ऐसे प्रश्न पर हमारे मुख्य मंत्री जी सदन में आकर वक्तव्य दें और एक प्रस्ताव रखें, उस प्रस्ताव को पारित करें और जो नाथपा झाखड़ी के संबंध में हरियाणा ने एग्रीमेंट किया है उसको सदन में प्रोटेस्ट करें और भारत सरकार से आग्रह करे कि इसमें किसी प्रकार का भी विलोयेन्ट नहीं होनी चाहिये। मैं यही मांग करता हूं।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (खाद्य मंत्री) : मैं भी कुछ कहना चाहता हूं ।

विरोधी दल के नेता ने कुछ बातें कहीं। प्रस्ताव के संबंध में कहा, सदन में तय हुआ था। मैं इसकी मिनिट्स पढ़कर सुनाना चाहूंगा आप सबने एक बात वा रबार दुहराई है कि सरकार पक्ष और विपक्ष से विचार करके सर्व सम्मति से कोई प्रस्ताव पास करेंगे। मैं तो आज ही प्रस्ताव रखता हूं। सदन के सामने, कि आप सर्व सम्मति से पास कीजिए । आप सब को साथ लेकर तो मैं वैसे ही चलता हूं । ऐसे प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो मुख्य मंत्री होता है, वह सदन की मर्जी से, बहुमत से ही बनता है। आप प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास करना चाहते हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। राजस्थान के हित का सवाल है। सारा सदन साथ है, ऐसा मान कर हम प्रस्ताव पास करने की आवश्यकता तो नहीं समझते।

(व्यवधान)

लेकिन आप आवश्यकता समझते हैं तो मैं एक बात आपको निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि अब विधिवत तौर पर कोई प्रस्ताव....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो खुद ही पूछा था, मुख्य मंत्री जी को जानकारी है, मुख्य मंत्रीजी अपनी ओर से प्रस्ताव रख दें और वह प्रस्ताव सदन पारित कर दे।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी प्रस्ताव रखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी देर बाद में रख दिया जाय, इसका विधिवत प्रस्ताव बना लिया जाय और उसके बाद ही सदन से पारित करवाया जावे। दूसरा मेरा सुझाव यह है, कि मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी का प्रस्ताव राजस्थान के हित में होगा। मेरा सुझाव यह है कि राज्य सरकार

(श्री परसराम मदेरणा)
क्षेत्रान्तर कोर्ट में जाने के लिये या किसी भी काम पीटेन्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने के लिये सोच सकती है और स्टे लाने के बारे में विचार किया जा सकता है तो इस प्रोजेक्ट के लिए कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि आवश्यकता पड़े तो हम इसका उपयोग कर सकें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोर्ट में तो हम आलरेडी गये हुये हैं। शायद माननीय सदस्य को इसकी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अदालत में तो हारा हुआ आदमी जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज के दो-तीन दिन पहले शायद बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि कडाणा बांध की डूब में आने वालों को मुआवजा नहीं मिला है। उसके बारे में जब तक निर्णय नहीं हो जाय वहां से उनको नहीं हटाया जावे। इससे भी हमको सहायता मिलेगी।

श्री परसराम मदेरणा : आप एडजोर्नमेंट मोशन ले आए हैं तो फिर अब क्या करना है?

इसमें यह कहीं नहीं है, सदन ने यह कहीं निर्णय नहीं लिया है। इस पर विचार आये हैं, विचारों के बाद में यह नहीं है कि मुख्य मंत्री जी कोई प्रस्ताव रखेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मान लिया जाये कि उस दिन मुख्य मंत्रीजी ने जो कुछ कहा, उसका यह सार निकलता है कि मुख्य मंत्रीजी या सरकारी पक्ष ने कोई कमिटमेंट नहीं किया कि कोई प्रस्ताव पेश किया जाये।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जहां तक मुख्य मंत्री महोदय का सवाल है, उन्होंने स्वयं यह कहा था कि मैंने प्रयत्न करके केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क करने, विचार विमर्श करने के लिए उस दिन सदन का ध्यान आकृष्ट किया था। प्रस्ताव रखने की चर्चा आई थी। प्रस्ताव रखने के लिए उन्होंने स्वयं ने यह कहा था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मदेरणा साहब ने, प्रस्ताव रखने की बात कही। इसके बाद कोई बात हुई हो तो आप बता दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप ही निर्णय कर दो।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, उस दिन लग ऐसा रहा था, कि कोई प्रस्ताव आ जाये। लेकिन मुख्य मंत्रीजी का इसमें कोई कमिटमेन्ट नहीं था मैंने भी इसको पढ़ा था, मुख्य मंत्रीजी ने यह नहीं कहा, उन्होंने यह कहा कि प्रस्ताव आ जाये तो बहुत अच्छी बात है।

(व्यवधान)

लेकिन सदन में आम राय यह थी, ऐसा लग रहा था कि अभी कोई प्रस्ताव आ जाये, यह बात थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक्चुअल वर्ड्स में मैं नहीं जाता हूं। आपने यह कहा है, सदन में इस प्रकार का वातावरण बना था।

श्री अध्यक्ष : वातावरण यही लगा था कि कोई प्रस्ताव आयेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आगे और निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सदन से बाहर जाकर नहीं कहा था, यह प्रस्ताव आप लिखें तो सबकी सलाह करके लिखें। सारे, नोट्स, जिनमें इण्ट्रेस्टेड हों, लेकर वह इस प्रकार का प्रारूप बनायें जिस प्रारूप के आधार पर हमें किसी भी प्रकार का अपने केस के मामले में नुकसान न हो। उन्होंने हां भरी और यह कहा कि आज नहीं, कल हम प्रस्ताव रख देंगे। अब यह बात तो पहली बार मालूम हुई है कि मुख्य मंत्री जी सदन में क्या कहें और सदन से बाहर क्या कहें? उन बातों पर सोच विचार कर ही विश्वास करना चाहिये। मैं यह इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अभी कुछ माननीय सदस्यों से बात की थी इस संबंध में कि एक प्रस्ताव सदन में पारित करवाया जाये। मुझे यह जानकारी मिली है कि सदन में प्रस्ताव इसलिये नहीं ला रहे हैं कि सदन में यदि इस प्रकार का प्रस्ताव आ जाये और उसके बाद में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, जो आइडेन्टिफिकेशन रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक को दे दी है, वह जो हमारा मामला था उसके पक्ष में हो गई। यदि सदन में प्रस्ताव पास हो जाता तो है, अध्यक्ष महोदय, उसका नेचरल कनक्लूजन यह निकलता है कि जिस सदन के नेता की अध्यक्षता में इस प्रकार का प्रस्ताव पास हुआ और जो सदन की इच्छानुसार काम नहीं करा सका तो मोरेलिटी यह कहेगी कि वह मुख्य मंत्री हों या सदन के नेता हों, त्याग-पत्र देकर चले जायें। उनको बाद में लोगों ने यह समझाया कि यह प्रस्ताव यहां पास हो गया तो उसके रिपरकशन्स यह होंगे। इसलिए आज वह विमुख हो रहे हैं। उनके विमुख होने की स्थिति में मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम आप भी उस दिन इस बात के लिये सोचते होंगे कि निश्चित रूप से कोई न कोई प्रस्ताव आने वाला है। अगर मुख्य मंत्री जी का पूरा भाषण भी यहां देखें, उसमें परसरामजी का इण्ट्रप्शन है, उसको भी देखें तो सेंस यह निकलता है कि मुख्य मंत्री जी ने परसराम जी का विरोध नहीं किया। परसराम जी ने जो सुझाव रखा है, उसके बाद में वह बोले नहीं। आपके परसराम जी कोई मामूली सदस्य तो हैं नहीं। बड़े अनुभवी सदस्य हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने सारे मसले को रखा था। उनके रखने के बाद में उस प्रस्ताव का मुख्य मंत्री जी विरोध नहीं करें, ना नहीं करें तो नेचुरली कनक्लुजन उसका यह निकलता है कि परसराम जी की बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप दोनों तरफ से फंस गये। एक तरफ अगर प्रस्ताव आपने पास नहीं किया तो उसके भी रिपरकशन्स होंगे। रिपरकन्शस यह होंगे कि गुजरात की सरकार यह कहेगी कि मुख्य मंत्री जी अपने दावे के प्रति आशान्वित नहीं थे इस कारण वह सदन में प्रस्ताव पारित नहीं करवा सके। मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी आगे क्या कार्यवाही करते हैं, उसमें तो मुख्य मंत्री जी के साथ हैं, लेकिन गुजरात सरकार इस बात का लाभ नहीं उठा सके कि मुख्य मंत्री जी के पक्ष में इस मामले में अच्छा समर्थन होता, प्रबल समर्थन होता तो निश्चित रूप से सदन में प्रस्ताव रखते। इस स्थिति का वह लाभ नहीं उठा पाये। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कम से कम इस बात की गारन्टी चाहूंगा और यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज, कल, परसों, जब भी आपको सहूलियत हो, क्योंकि कमिटमेंट हो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत) चुका है, प्रेस में आ चुका है। हिन्दुस्तान का कोई प्रेस नहीं जिसने यह न छापा हो कि सदन के अन्दर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अब या तो सुनने में गलती की होगी या सदन के माननीय सदस्यों ने गलती की होगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रस्ताव एक ऐसा इनाकुअस है। इस इनाकुअस प्रस्ताव को आप निश्चित रूप से सदन में पारित करायें। आज, कल, परसों, जब भी आपको सहूलियत हो, उसमें मैं कोई जिद नहीं करता कि कल ही करें। अच्छा होता कि यह 9 तारीख को ही प्रस्तुत कर दिया जाता।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आसन की इजाजत से एक जानकारी देना चाहूंगी। जहां तक उस दिन का प्रश्न है, मुख्य मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, उन्होंने अपने वक्तव्य में यह कहा था, वैसे तो मैं बहुमत दल का ही नेता हूं लेकिन फिर भी अगर सदन की यह राय है, जैसी कि विरोधी दल के नेता महोदय और मदेरणा साहब की यह राय है तो मैं सदन के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब इसकी ज्यादा विशेष चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

(व्यवधान)

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री बिहारी लाल पारीक, श्री नानूराम कुमावत, श्री देवेन्द्रसिंह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री जी को आने दें।

श्री अध्यक्ष : आ जायेंगे, मुख्य मंत्री जी। अभी आवश्यकता थोड़े ही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आवश्यकता तो है ही। अध्यक्ष महोदय, एक काम आप करें। मुख्य मंत्री जी को बुलवायें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह आ जायेंगे। उनकी डिमाण्ड है। आज उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है, आप कार्यवाही चालू रखिये। आप कह रहे हैं, बुलाइये। जैसे यहां किसी ऑफिस बीयरर को बुला रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : उनको नींद आ रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इतना सा ही निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रश्न पर इस प्रकार जो कुछ भी चर्चा हुई इस पर मुख्य मंत्री जी आकर एक वक्तव्य दे दें। जानकारी दे दें। वह ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : वह दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही कहेंगे। आपके और मेरे कहने से काम चलेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष : आवश्यक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप भी अगर उनके भरोसे में आकर कह जाते कि मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं। देने का मतलब मेरा यह नहीं होगा। मुख्य मंत्री जी आ

(श्री अध्यक्ष)
जायेंगे। हमारे हिसाब से यदि नहीं लाने का कहेंगे तो भी उन्होंने वक्तव्य दे दिया मैं यह मानकर चलूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपका बड़प्पन है। आप तो कुछ भी बोलें, तो भी अर्थ निकाल लेते हैं।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारों को एक खतरा पैदा हो गया है। इससे हमारे प्रदेश के अधिकारों को खतरा पैदा हो गया है। जो कुछ भी घटना घटी है, हरियाणा का और हिमाचल का जो समझौता हुआ है, उससे जो भी हमारे अधिकार हैं, जो भी हमारा भविष्य है, उसको खतरा पैदा हो गया है। कुछ न कुछ हमें करना ही होगा।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री बिहारी लाल।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है, जैसा कि माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा है, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार पर हम यह दबाव डालें कि सारा सदन एक है, सारा सदन नेता महोदय के साथ है। जिस प्रकार से गुजरात के साथ में चर्चा चल रही है, उस पर सदन में वक्तव्य नहीं आये, निश्चित रूप से सदन ने प्रस्ताव पारित नहीं किया। तो ऐसी स्थिति हमारी सभी लोगों की हो जाएगी, केन्द्रीय सरकार भी यह समझेगी। शायद सदन में इस बात पर कभी चर्चा की होगी किन्तु आज माननीय नेता महोदय इस नाते से नहीं हैं कि सदन को अपने साथ में लेकर जायें। क्या राजनैतिक चर्चा......

श्री अध्यक्ष : इसकी सूचना उनको थोड़े ही हुई थी कि ऐसा प्रस्ताव आना था। मुख्य मंत्री महोदय को सूचना हो कि उनके संबंध में कुछ कहना है। 295 के तहत में आपने प्रश्न उठाया। सरकारी पक्ष ने इस बात को सुन लिया। बल्कि सदन के अन्दर चर्चा हुई। इसमें वह उचित समझेंगे तो कह देंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे मुख्य सचेतक महोदय ने आज सुबह यह कहा कि ऐसा प्रस्ताव परसों आ सकता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि यह कोई जरूरी नहीं है। आप बाध्य क्यों करते हैं? यह आपकी कृपा है। आप हमारे साथ हैं। कह रहे हैं कि सारा सदन साथ है। आप साथ नहीं हों तो भी भी हमें कार्यवाही करनी होगी वह तो हम कर देंगे। इसमें क्या बात है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सा है, मुख्य सचेतक महोदय ने सुबह जो यह बात कही थी कि सिंचाई विभाग की जिस दिन मांग आयेगी, उस दिन यह प्रस्ताव रखा जायेगा। सुबह जो सूचना आपने दी थी, वह अपने बूते पर दी थी या मुख्य मंत्री जी से सलाह करके दी थी।

श्री खेतसिंह राठौड़: जो कुछ कहा था, वह मुख्य मंत्री जी से सलाह करके कहा था। मैं कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हूं कि मर्जी आये जो बोल जाऊं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी जिम्मेदारी की मैं दाद दूंगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी के जोश में शिक्षा मंत्री जी कह गये।

श्री खेतसिंह राठौड : जोश में कहां कह गये आप हर दलील इस तरह देते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि आज जरूरी नहीं है कि कि वक्तव्य दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परसों जरूरी नहीं है।

श्री खेत सिंह राठौड़ : आज जरूरी नहीं है कि वक्तव्य दें।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा कि मुख्य मंत्री को बुलाया जाये। आपने हुक्म ही ऐसे कर दिया जैसे सारजेण्ट को हुक्म दे रहे हों। अभी आपका रुतबा गया नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के हितों की इस प्रकार से उपेक्षा नहीं की जावे। इसको हम सहन नहीं कर सकते हैं।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : उपेक्षा नहीं करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारी इच्छा पर आप नहीं करें। मैं इस बात को कह सकता हूं, मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है। लेकिन राजस्थान के हितों की उपेक्षा नहीं करें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : उपेक्षा नहीं होगी। उपेक्षा नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह उचित नहीं है। क्या हो रहा है यह आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं है कि हरियाणा और पंजाब क्या प्रस्ताव कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि गुजरात सरकार क्या प्रस्ताव कर रही है ?

श्री खेतसिंह राठौड़: हमारे पास सरकार है और पता नहीं है तो आप को कहां से पता लग गया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह इनका एक मिशन है कि लगातार बोलते जाओ, कई दिन चप्पलें तोड़नी पड़ेगी, आसानी से मंत्री नहीं बनायेंगे।

श्री खेत सिंह राठौड़: आप लीडर आफ अपोजीशन हैं। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये, एक बार कह दिया. . .

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : आपने तीन साल तक कइयों की चप्पलें तुड़वा दीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रतनाराम जी, आपके जिले का मामला है, उसका तो विरोध मत करो, आप मिलकर मेरा समर्थन करो, वरना यह पानी सीकर जिले में तो नहीं आने वाला है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं बाड़मेर और जालोर के सम्बन्ध में पानी का प्रश्न है माननीय सूरजपाल सिंह जी और रतनाराम जी दोनों मेरे साथ हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रतनाराम चौधरी: आपके साथ का सवाल नहीं है, मैं मेरी पार्टी के साथ हूं। हमारी सरकार जागरूक है और हम भी जानते हैं कि पानी हमारे जिले में मिले और राजस्थान को इसका लाभ प्राप्त हो, इस बात से हम सहमत हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शीघ्र इस चर्चा को समाप्त करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि राजस्थान का हित इस सरकार के हाथ में सुरक्षित नहीं है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर: × × ×बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: शेमलैस।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह : यह सरकार × × × है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ××× शब्द को एक्सपन्ज किया जावे।

(व्यवधान)

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैंने यह कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो तो आपने कहा कि संसदीय है तो क्या "झूठ" संसदीय नहीं है? अगर यह खराब शब्द है तो इसको डिक्शनरी से निकाल देना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस सारी कार्यवाही का परिणाम यह निकला कि राजस्थान का हित इस सरकार के हाथ में सुरक्षित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बाधा उपस्थित नहीं करें। अगर कोई माननीय सदस्य भाषण देना चाहते हैं तो मैं अवसर दूंगा लेकिन बीच में बाधा नहीं डालें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय विरोधी दल के नेता से भी निवेदन कर दिया जावे कि इस तरह की बातें नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री गोकुलचन्द शर्मा: × × ×तो नहीं बोल सकते।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं "झूठ" शब्द अपने आप में असंसदीय नहीं है, जब यह कहा जाय कि झूंठ बोल रहे हैं। अगर किसी माननीय सदस्य के लिये कहा जाय कि ये झूंठ बोल रहे हैं तो असंसदीय है, इसलिये इस शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझकर किया जाय।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह बताने की कृपा करें कि कोई माननीय सदस्य झूंठ बोले तो उसको क्या कहें। सरासर कोई बात असत्य कहे तो क्या कहना चाहिये।

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गए।

श्री अध्यक्ष : उसको गलत कहना चाहिये, झूठ नहीं कहना चाहिये । माननीय सदस्य, इसका ताल्लुक पढ़ाई-लिखाई से है ।

(व्यवधान)

इस पर पुस्तकें हैं, कौन-कौन से शब्द अनपालियामेण्ट्री हैं । इसके बारे में अध्ययन करना चाहिये जिससे आपको मालूम हो जावेगा । हमें भी इसका काफी लम्बा अनुभव है । "झूठ" शब्द अपने आप में असंसदीय नहीं है लेकिन पर्टिक्यूलरली किसी को यह कहना कि झूठ बोल रहे हैं, असंसदीय है । इसलिए इस प्रपंच में नहीं पड़ें कि कौनसा शब्द संसदीय है और कौनसा असंसदीय । भाषा में संयम बरतना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि वक्तव्य देना आवश्यक नहीं है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस दिन सारे विवाद में माननीय सदस्यों ने इस बात की पुष्टि कर दी थी । माननीय मुख्य मंत्री जी ने और सदन के नेता महोदय के साथ सारा सदन है आज माननीय भैरोंसिंह जी के लगातार कहने के पश्चात कि एक प्रस्ताव सरकार की ओर से आयेगा, राज्य सरकार इस स्थिति में नहीं है कि प्रदेश के हित में प्रस्ताव करे या इसके विरुद्ध करे । चाहे केन्द्रीय सरकार के पास हो, चाहे गुजरात सरकार के पास, राज्य सरकार की स्थिति कमजोर हो जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब इस पर चर्चा नहीं होगी ।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सरकार निक्कमी है, (व्यवधान) सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्थान का हित पूर्णतया माननीय मुख्य मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी के हाथों सुरक्षित है । माननीय विरोधी दल के नेता ने सरासर गलत बयानी की है, उनको ध्यान देना चाहिये । अपने जमाने के वक्त राजस्थान को डुबो कर सत्यानाश करके गये । राजस्थान सरकार का यह जिम्मा है कि जो खराबा करके गये और जो हमारे जिम्मे छोड़ गये, यह सरकार अपना फर्ज अदा करेगी, जो खराबा आपने किया है उसका सुधार करेगी और राजस्थान का हित और हकूक जो दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में है उनको बरकरार रखने की यह सरकार सामर्थ्य रखती है । इस जिम्मेदारी को निभायेगी ।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा । यह प्रश्न न्यायसंगत है, इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाहिये । राजस्थान के हित का प्रश्न है इसको राजनीति में नहीं लाना चाहिये और न ही मिथ्या अभियान का प्रश्न बनाना चाहिये । इस प्रश्न को मिलकर हल करने की चेष्टा करनी चाहिये, इसमें

Page No. 64

(64)

(श्री राजबहादुर)
राजनीति और कन्ट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं आनी चाहिये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

माण्डल क्षेत्र के किसानों को गत वर्ष बेचे गये गन्ने का भुगतान

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षक प्रस्ताव। श्री बिहारी लाल !

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपस में बातचीत न करें।

श्री बिहारी लाल पारीक (माण्डल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार हिन्दुस्तान में यू. पी. गन्ना उत्पादन का सैन्टर है उसी प्रकार राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की माण्डल तहसील गन्ने के उत्पादन का सैन्टर है। अभी 2 साल पहले वहां गन्ने का उत्पादन हो रहा था। परन्तु मैं माननीय कृषि मंत्री का ध्यान उस माण्डल की तरफ ले जा रहा है। उस माण्डल क्षेत्र में गत वर्षों में काश्तकारों ने 6 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपये का गन्ना दो शुगर फैक्ट्रिओं को भेजा। फैक्ट्रियों के नाम हैं हरसोरा शुगर वर्क्स तथा राजस्थान खण्डसारी शुगर मिल। दोनों फैक्ट्रियों को वर्ष 1978-79 में काश्तकारों ने 5 लाख का गन्ना बेचा।

अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि आज तक भी उसका पैसा उनको प्राप्त नहीं हुआ। मैं जनता पार्टी के शासन की बात बता रहा हूं। माननीय सदस्य तो हैं नहीं उनको भी जानकारी है कि उनके समय में 15-3-79 से 24-3-79 तक उनके प्रमुख माननीय का राज था, वह माननीय नेता भी जानते हैं कि वहां पर भूख हड़ताल और काश्तकार 10 दिन तक भूखे रहे। जनता पार्टी के मुख्य माननीय नेताओं ने जिला अधिकारियों को लेकर, जिलाधीश को लेकर उन काश्तकारों को प्रलोभन देकर कि एक महीने में पेमेंट कर देंगे उनकी हड़ताल समाप्त करा दी।

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक फैक्ट्री के कुछ आंकड़े प्राप्त हुए हैं। आप चाहें तो मैं सदन की मेज पर रखने को तैयार हूं। हरसोरा फैक्ट्री के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त नहीं हुई। मैं जानकारी दे रहा हूं, कृषि मंत्री बहुत जागरूक हैं और वहां के काश्तकारों को उनसे बड़ी ज्यादा उम्मीद है। मैं तो उनकी आवाज आपके माध्यम से कृषि मंत्री तक पहुंचा रहा हूं। जब से कृषि मंत्री जी इस पद पर आई हैं उन काश्तकारों के घरों में आशा की लहर फैली है। मैं माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह उस क्षेत्र का दौरा कर चुकी हैं। जनता पार्टी की जो स्थिति थी वह तो साफ हो गयी....

(1.35 म. प.)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पीठासीन)
अब आप का जिम्मा है। माननीय सभापति महोदय, मुझे उम्मीद है कि कृषि मंत्री महोदय जागरूक हैं। आपको आये भी काफी समय हो गया है, विधान सभा को आज ढाई महीने हो गये हैं। जनता की मांग है। मैं आशा करता हूं कि आप किसी भी तरह से उन काश्तकारों को रुपया दिलाने में मदद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि उन काश्तकारों को जब कृषि मंत्री ने शपथ ली, मंत्रिमण्डल में आई तो मेरे पास करीब 100-50 की संख्या में काश्तकार आये कि मंत्री महोदया कमला जी से हमारी पुकार कहें। जनता

Page No. 65

(65)

(श्री बिहारीलाल)

पार्टी ने 10 दिन तक भूखा रखकर उनको कुछ नहीं दिलाया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदया का उन काश्तकारों की आवाज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और आशा करता हूं की उनको पैसा दिलाने में मदद करेंगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : कृषि मंत्री जी।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, यह फैक्ट्री द्वारा पैसा दिये जाने की बात है इसलिये उद्योग मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी (उप मंत्री, उद्योग) : जिला भीलवाड़ा के माण्डल क्षेत्र में दो खण्डसारी इकाइयां मैसर्स हरसोरा शुगर वर्क्स तथा राजस्थान खण्डसारी शुगर मिल्स द्वारा वर्ष 1977-78 में किसानों से खरीद किये गये गन्ने की राशि का पुराना भुगतान नहीं किया गया है। दोनों इकाइयों द्वारा किसानों को भुगतान नहीं की गई पुरानी बकाया अनुमानित निम्न प्रकार है:—

(1)	मैसर्स हरसोरा शुगर वर्क्स, माण्डल	84 हजार रुपये लगभग
(2)	मैसर्स राजस्थान खण्ड सारी शुगर वर्क्स, माण्डल	7 लाख रुपये लगभग

उपरोक्त दोनों इकाइयां पार्टनरशिप कन्सर्न हैं, जिनके अधिकतर भागीदार बाहर रहते हैं तथा दोनों इकाइयां वर्तमान में कार्य नहीं कर रही हैं, बन्द हैं। इस संबंध में जिलाधीश, भीलवाड़ा द्वारा उक्त इकाइयों के सभी भागीदारों को रजिस्टर्ड नोटिस भुगतान हेतु दिये गये जो कि डिलीवर नहीं होने के कारण वापस लौट आये। इस संबंध में किसान, जिनका भुगतान बकाया है, व्यक्तिगत तौर पर अथवा अपने संघ के माध्यम से खाण्डसारी इकाइयों के मालिकों के विरुद्ध धोखाधड़ी अथवा भुगतान न करने का मुकदमा संबंधित न्यायालय में दायर कर सकते हैं। इस संबंध में यह भी ज्ञात हुआ है कि कुछ व्यक्तियों ने राजस्थान खाण्डसारी शुगर मिल्स, माण्डल के भागीदारों के विरुद्ध भुगतान संबंधी कार्यवाही हेतु अदालत में कार्यवाही की है, जो प्रगति पर है। मैसर्स हरसोरा शुगर वर्क्स द्वारा स्थाई विनियोजन पर स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर से ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही भी की गई है जिससे काश्तकारों को भुगतान संभव हो सके। बकाया भुगतान किये जाने के कारण उद्योग विभाग द्वारा उक्त दोनों इकाइयों के खाण्डसारी लाइसेन्स वर्ष 1978-79 से नवीनीकरण नहीं किये गये हैं। उद्योग विभाग इन किसानों को भुगतान दिलाने हेतु प्रयत्नशील है।

राजस्थान खाण्डसारी शुगर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसिंग आर्डर, 1974 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अन्तर्गत गन्ना उत्पादकों को खाण्डसारी इकाइयों से गन्ने की कीमत का भुगतान करने हेतु वैधिक रूप से बाध्य किया जा सके तथा न ही शुगरकेन (कन्ट्रोल) आर्डर, 1966 में ही ऐसा कोई

(श्री अब्दुल रहमान चौधरी)

प्रावधान है जिसके अन्तर्गत खाण्डसारी इकाइयों से गन्ने की कीमत की वसूली की जाने के लिये कार्यवाही की जा सके।

इस विषय में मार्च, 1979 में जिलाधीश, भीलवाड़ा को शुगरकेन (कन्ट्रोल) आर्डर, 1966 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत इन इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये निर्देश दिये गये थे। लेकिन जिलाधीश ने यह बताया कि इस आर्डर के क्लाज 2 (1) में दी गई परिभाषा के अनुसार वैकम पान प्रोसेस द्वारा शक्कर उत्पादित करने वाली इकाइयों को शक्कर उत्पादक माना गया है। खाण्डसारी उत्पादकों द्वारा क्रय किये गये गन्ने की कीमत अदा करने के संबंध में इकाइयों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस लिए इन इकाइयों के विरुद्ध अभियोग नहीं चलाया जा सकता।

वर्ष 1979 में इस विषयक विधान सभा में प्रश्न आने के पश्चात खाण्डसारी इकाइयों से गन्ने की कीमत की वसूली के लिए शुगरकेन (कन्ट्रोल) आर्डर, 1966 में आवश्यक प्रावधान करने के लिए यह मामला कृषि विभाग को भेजा गया। शुगरकेन (कन्ट्रोल) आर्डर, 1966 भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। कृषि विभाग ने इस विषय में भारत सरकार को आवश्यक प्रस्ताव भिजवाये जाने के बारे में कार्यवाही की जा रही है। शुगरकेन (कन्ट्रोल) आर्डर 1966 भारत सरकार द्वारा जारी किये गये हैं। अतः उसमें संशोधन होने में समय लगना अपेक्षित है। अतः राजस्थान खाण्डसारी शुगर मैन्युफेक्चरिंग लाइसेन्सिंग आर्डर, 1974 में इस निमित्त प्रावधान किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

आवश्यक प्रावधान होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा इन इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाना संभव हो सकेगा।

श्री बिहारीलाल पारीक: दुर्भाग्य की बात है कि 7 लाख रुपये अभी भी हैं काश्तकारों के 13 वर्ष हो गए, नोटिस दिया जो अभी तक सर्व नहीं हुआ। सरकार ने इन लोगों को नोटिस दिया कि रुपया जमा कराओ नोटिस सर्व नहीं हुआ। दूसरे, जो लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं दिया गया, यह दुर्भाग्य है। लाइसेंस से काश्तकार को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह राज्य में जाकर दावा नहीं कर सकता। उसमें तावान कितना लगता है? मंत्री महोदय को मालूम नहीं कि कृषि मंत्री का मामला है या उद्योग मंत्री का मामला है। आश्वासन देने पर भी पैसा नहीं मिला। हम तो अपने राज से आशा कर रहे हैं, जो जवाब दिया है वह ठीक नहीं है, काश्तकारों को जल्दी पैसा दिलवायें। ऐसे जवाब से कुछ नहीं होने वाला है। कृषि मंत्री का मामला उद्योग मंत्री पर जा पड़ा। मैं आशा करता हूं कि दोनों मंत्री मिलकर उनको राहत दिलायेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16—पुलिस

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1980-81 द्वितीय अवस्था। मुख्य मंत्री!

श्री रामपाल उपाध्याय (उप-मंत्री, गृह): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16-पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

(श्री रामपाल उपाध्याय)
37,33, 10 रुपये तक की राशि जिसमें लेखा अनुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जावे।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

1. राज्य में पुलिस फोर्स की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना):

2. ग्रामीण क्षेत्र में हो रही चोरियों के सम्बन्ध में पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लियें।

श्रीमती उजला अरोडा (जयपुर ग्रामीण);

3. डाकेजनी, बलात्कार, राहजनी आदि की घटनाओं को रोके जाने में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लियें।

श्री राम सिंह विश्नोई (लूणी) :

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) :

4. राज्य में थानों की संख्या बढाने, प्रत्येक थाने में वाहन, टेलीफोन सुविधा, तथा नये उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लियें।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल),

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाडा) :

5. राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लियें।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई),

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन),

श्री गुलाबचंद कटारिया (उदयपुर),

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा),

सुश्री पुष्पा (आमेर) :

6. कानून व व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस की असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):

7. बीकानेर में ट्रैफिक पुलिस की अकर्मण्यता से निरन्तर दुर्घटनाओं में वृद्धि एवं आवागमन के गतिरोध से जनता को होने वाली कठिनाई के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर):

8. वर्तमान पुलिस को नया स्वरूप देने एवं पुलिस प्रशासन द्वारा किये जा रहे अत्याचार को रोकने पर चर्चा के लियें।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम):

9. पुलिस कर्मियों व अधिकारियों द्वारा जुआ व शराब की अवैध बिक्री को प्रोत्साहित किये जाने से उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल):

10. विभाग द्वारा कार्यकारी योजना बना कर प्राथमिकता के आधार पर अल्प

(60)

(श्री भंवरलाल शर्मा)
वेतन भोगी पुलिस कर्मियों को आवासीय भवन दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. पुलिस कर्मचारियों की दयनीय दशा सुधारने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह (कुम्हेर) :

12. पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवदान सिंह (जैतारण):

13. पुलिस विभाग द्वारा प्रदेश की नशाबन्दी नीति को असफल बनाने की साजिश करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री माणक मल मेहता (पाली):

14. पुलिस विभाग में बढ़ रही निष्क्रियता व व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा),

श्री बाल चन्द आर्यवीर (डग):

15. पुलिस के सिपाहियों की वेतन श्रृंखला में परिवर्तन करने की आवश्यकता हेतु चर्चा के लिये।

16. पुलिस द्वारा गांवों में भय एवं आतंक की स्थिति बना रखी है उसे समाप्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा):

17. जालोर जिले में हो रही चोरियां तथा कत्लों के मामलों में की जा रही जांच में पुलिस विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां),

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद):

18. पुलिस संगठन में परिवर्तन कर इसे सक्रिय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. कोटा जिले में पुलिस की अकर्मण्यता से बढ़ती हुई चोरियां, डकैतियां, नकबजनियों, व्यभिचार आदि असामाजिक प्रवृत्ति पर अंकुश न होने पर चर्चा के लिये।

श्री बाल चन्द आर्यवीर (डग):

20. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता के कारण वर्तमान समय में जनता अपने आपको असुरक्षित समझ रही है इस पर चर्चा के लिये।

21. पुलिस विभाग में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों को ओफिसर्स पदों पर नियुक्तियां न देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़):

22. पुलिस विभाग में एस. टी. व एस सी. के व्यक्तियों की अधिकाधिक भर्ती किये जाने एवं खिलाड़ियों को आरक्षण दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन):

23. रोस्टर प्रणाली के अन्तर्गत पुलिस सेवा में अनुसूचित जाति व जन-जाति के सेवारत व्यक्तियों को उच्च पदों पर पदोन्नति न देने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

24. हरिजनों की हत्या करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

25. छूआछूत मिटाने में पुलिस का सक्रिय सहयोग नहीं मिलने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

26. कापरेन रेल्वे स्टेशन के निकट पुलिस चौकी खोलने हेतु चर्चा के लिये।

27. पुलिस प्रशासन में आवश्यक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. जिलों में अपराधों की एक निश्चित संख्या के पश्चात् बढ़ोतरी होने पर जिला पुलिस अधीक्षकों की सुविधायें भी उसी अनुपात में कम कर दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

29. एक थाना क्षेत्र में बलात्कार, चोरियां व झगड़े आदि की संख्या निर्धारित की जाने तथा निर्धारित संख्या से अधिक जुर्म होने पर थानेदारों को जिम्मेदार मानकर पदोन्नति एवं अन्य सुविधाओं पर रोक लगाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

30. बढ़ते हुए बलात्कारों की संख्या पर रोक लगाने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये।

31. अधीनस्थ पुलिस सेवा में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों की विशेष भर्ती कराने हेतु चर्चा के लिये।

32. पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये।

33. बूंदी जिला के पुलिस विभाग में गत वर्षों में की गई पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति एवं जन-जातियों के लोगों की की गई उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

श्री भंवर सिंह (नवलगढ़) :

34. प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर तफतीश हेतु जीप की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ामालानी) :

35. झुन्झुनूं जिले के ग्राम गुढ़ा में पुलिस थाना स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) :

36. पुलिस विभाग का पुनर्गठन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़) :

37. पुलिस के सिपाहियों व पुलिस के छोटे अधिकारियों के लिए आवासीय व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूण्डी (बिलाड़ा) :

38. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री बिहारी लाल (माण्डल) :

39. दिनांक 28 मई से 31 मई, 1980 के मध्य माण्डल में हुए हत्या के मामले में पुलिस द्वारा उचित तफतीश नहीं किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम):

40. ट्रैफिक पुलिस की अव्यवस्था के कारण जनता को होने वाली कठिनाई के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री **बनवारी लाल** (धौलपुर),

श्री **श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल बाजार) :

41. अल्प वेतन भोगी पुलिस कर्मियों को वर्तमान परिस्थिति में अत्यल्प वेतन दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री **गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) :

42. कोठारिया गांव में हुई हत्या का पता पुलिस नहीं लगा सकी, इस पर चर्चा के लिये।

43. सन् 1980 से राजस्थान की कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती हुई दशा से बढ़ते हुए अपराधों को रोकने में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

44. जनवरी, 1980 के बाद हजारों की संख्या में एक्सीडेंट से लोगों की मृत्यु हुई, इस पर चर्चा के लिये।

45. पुलिस विभाग में कार्यरत सिपाहियों को बहुत कम वेतन दिये जाने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री **दाऊदयाल जोशी** (कोटा) :

46. राजस्थान में तेजी से पनप रहे डाकू दलों को समाप्त करने बाबत प्रभावी कदम उठाने हेतु चर्चा के लिये।

47. पुलिस कर्मचारियों के वेतन, स्तरों में सुधार कर उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

48. कोटा जिले में रेलों में भयंकर रूप से चोरियों की वारदातें हो रही हैं व रेल्वे पुलिस उनको रोकने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री **गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) :

49. रेल्वे पुलिस को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये।

50. नसीराबाद सी. ओ. (रूरल) का हैडक्वार्टर स्थापित कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ामालानी) :

51. राजस्थान पुलिस के गिरते हुए स्तर को ऊंचा उठाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री **चुन्नी लाल** (खण्डार),

श्री **बाल चन्द्र आर्यवीर** (डग) :

52. बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोके जाने हेतु हर तीन माह बाद पुलिस कर्मचारियों के स्थानान्तरण कर दिये जायं, इस पर चर्चा के लिये।

53. देश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, चोरी, डकैतियां तथा बलात्कार को रोकने के लिये पुलिस प्रशासन में सुधार किया जाये, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

54. पुलिस प्रशासन को सामाजिक परिवेश में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

55. दौसा में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यालय स्थापित किये जाने पर चर्चा के लिये ।

56. मानपुर थाने में टेलीफोन सुविधा चालू कराने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

57. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व कानून की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

श्री लच्छू राम (मण्डावा) :

58. पुलिस की ज्यादतियों से बढ़ती हुई परेशानियों और विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) :

59. डीडवाना में बढ़ती हुई जुएबाजी को रोकने में पुलिस विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री बालदयाल जोशी (दीगोद) :

60. सेवा से पृथक किये गये पुलिस कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने हेतु चर्चा के लिये ।

61. राज्य में घुड़सवार पुलिस की संख्या बढ़ाने बाबत चर्चा के लिये ।

62. कोटा जिले में थानों का पुनर्गठन करने व सीमल्या में नया थाना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

63. पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिलवाने व आवास की समुचित व्यवस्था करवाने बाबत चर्चा के लिये ।

64. पुलिस विभाग की गुप्तचर शाखा के लोगों को साप्ताहिक परेड हेतु यूनीफार्म में बुलाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक :

65. टोंकनगर में पुलिस गश्त बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री तेजपाल यादव (चोमू) :

66. कालाडेरा में पुलिस चौकी की स्थापना न किये जाने पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

67. पुलिस भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी को रोकने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

68. पुलिस बढ़ते हुए जुल्मों को रोकने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये ।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) :

69. कुशलगढ़ क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये ।

Page No. 72

(72)

(श्री फतेसिंह)

70. कुशलगढ़ क्षेत्र पुलिस विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार, मारपीट तथा अत्याचार रोकने में असमर्थ रहे, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) :

71. पुलिस की उदासीनता के कारण सिरोही जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) :

72. पुलिस स्टेशनों की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

73. पुलिस विभाग में व्याप्त अकर्मण्यता व भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) :

74. पुलिस प्रशासन को सुधारने हेतु चर्चा के लिये ।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) :

75. पुलिस विभाग की उदासीनता के कारण कानून एवं व्यवस्था की निरन्तर बिगड़ती दशा से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

76. करौली क्षेत्र में निरन्तर बढ़ रहे डाकुओं के आतंक को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) :

77. तफतीश हेतु प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर एक जीप की व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

78. पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

79. प्रतापगढ़ तहसील में हत्यायें, डकैती एवं बलात्कार की घटनाओं को रोकने में पुलिस असफल रही इस पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) :

80. पुलिस विभाग को ज्यादा चुस्त बनाने एवं पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) :

81. डकैतियां, लूट, चोरी, हत्या, आत्महत्या तथा बलात्कार की होने वाली घटनाओं को रोकने में पुलिस विभाग असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) :

82. राजस्थान पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता को रोकने तथा पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों के दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) :

83. कानून व्यवस्था में सुधार हेतु

(श्री नारायणसिंह)
पुलिस को सशक्त बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) :

84. समस्त थानों में तफतीश करने वाले थानेदारों को एक-एक मोटर साइकिल राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

85. ट्रेफिक पुलिस की अकर्मण्यता से जयपुर नगर में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

86. जयपुर नगर के प्रमुख बाजारों में ठेलों आदि को खड़े रहने देने में ट्रेफिक पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

87. छोटी चोपड़ व चांदपोल बाजार में रास्तों के नुक्कड़ों पर से ठेले न हटाने में ट्रेफिक पुलिस की लापरवाही पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल, (खण्डार),

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) :

88. सवाई माधोपुर क्षेत्र के ग्राम श्यामपुरा पहाड़ी स्थान पर पुलिस चौकी खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री ज्ञान सिंह (भादरा) :

89. कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिये पुलिस प्रशासन में आमूलचूल परिवर्तन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

90. कानून व व्यवस्था की बिगड़ती हुई दशा से सामान्य जन-जीवन भयभीत हो गया है; इस पर चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) :

91. पुलिस विभाग को संवेदनशील बनाने एवं अपराधवृत्ति रोकने के लिये आधुनिकतम वैज्ञानिक व्यवस्था की आवश्यकता हेतु चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

92. पुलिस के कर्मचारियों की भर्ती में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

93. पुलिस की निष्क्रियता से कानून व व्यवस्था बिगड़ती जा रही है इस पर चर्चा के लिये।

94. पुलिस में फैले भ्रष्टाचार की रोक-थाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हजारी लाल शर्मा (पिलानी) :

95. कानून एवं व्यवस्था को सुधारने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल (मनोहरथाना) :

96. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से अपराधों में हुई वृद्धि से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

97. पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण स्थल जिला मुख्यालयों पर स्थापित किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

98. पुलिस की अकर्मण्यता से मनोहरथाना विधान सभाई क्षेत्र में अपराधों में हुई

(श्री भैरूंलाल)
वृद्धि से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

99. पुलिस प्रशासन में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भालू खां (चूरू) :

100. पुलिस कर्मियों को अधिक सुविधायें देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) :

101. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

102. नीम का थाना क्षेत्र में हुई चोरी हत्याओं आदि की वारदातों का पता लगाने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

103. पुलिस प्रशिक्षण में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) :

104. पुलिस प्रशासन में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. सूरतगढ़ क्षेत्र के विजयनगर में एक हरिजन के कत्ल के बारे में अभियुक्तों का पता लगाने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री नानालाल (राजसमंद) :

106. उदयपुर जिले में कुरज में पुलिस थाने की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार (सराड़ा) :

107. पुलिस प्रशासन को सुधारने तथा पुलिस जनता के साथ सहयोग करे इस पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द अमलिया (चौरासी) :

108. डूंगरपुर जिले में पुलिस की अकर्मण्यता से बढ़ते हुए अपराधों से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार (आसपुर) :

109. जिला डूंगरपुर में पुलिस विभाग की उदासीनता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवर लाल (सुजानगढ़) :

110. कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती दशा के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चोमू) :

111. थानों में वाहनों की व्यवस्था कराने व कालाडेरा ग्राम में पुलिस चौकी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

112. तहसील प्रतापगढ़ में श्री भगवाना मीणा की रहस्यमय हत्या तथा श्री सुरेन्द्र सिंह की योजनाबद्ध हत्या और ग्राम केलवी की डकैती की सूचना पूर्व ही पुलिस में दी जाने के पश्चात भी पुलिस कोई व्यवस्था नहीं कर सकी इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) :

113. पुलिस के प्रति जनता में बढ़ते

(श्री रामधन चौधरी)
हुए असंतोष को कम करने हेतु पुलिस कर्मियों की उचित प्रशिक्षण के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री लच्छूलाल (मण्डावा) :

114. मण्डावा जिला झुंझुनूं में बिगड़ती हुई कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) :

115. गंगा शहर थाना जिला बीकानेर के क्षेत्र में बीस चोरियों को पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर सकी, इस पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) :

116. पुलिस के बड़े अफसरों में गुटबन्दी के कारण विभाग में भ्रष्टाचार और आर. एस.एस. तत्वों को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री माणक मल मेहता (पाली) :

117. पुलिस प्रशासन को देश-हित के लिये क्रियाशील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोकुल चन्द शर्मा (सुमेरपुर) :

118. पुलिस थानों का आधुनिकीकरण करने पर चर्चा के लिये।

श्री कमलराज मेहता (सांचौर) :

119. रिपोर्ट दर्ज करने व नतीजा देने में पुलिस की शिथिलता व जांच करने के तरीके में बदलाव लाया जाये, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ सिंह (नदबई) :

श्री लच्छूराम (मण्डावा) :

120. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता को रोकने में सरकार असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

121. बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में पुलिस की कमी से बढ़ते हुए अत्याचारों पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर):

122. राज्य की बढ़ती आबादी के अनुपात में पुलिस कर्मचारियों की संख्या की कमी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

123. पुलिस विभाग की निष्क्रियता से बढ़ते हुए अपराधों पर चर्चा के लिये।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (बूंदी) :

124. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व अकर्मण्यता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) :

125. नागरिकों के जन धन तथा महिलाओं की इज्जत की सुरक्षा करवाने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

126. पुलिस विभाग में व्याप्त अकर्मण्यता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

127. पुलिस थानों में जांच के लिये

(78)

(श्री देवी सिंह भाटी)

बुलाये गये मुलजिम का पूर्व में डाक्टरी परीक्षण अनिवार्य करने हेतु चर्चा के लिये ।

128. पाक-बोर्डर पार गये पशुओं को वापिस पशु-मालिक को दिलाने में पुलिस विभाग द्वारा उदासीनता बरतने की चर्चा के लिये ।

129. पुलिस, आर.ए.सी. तथा होम-गार्ड के सिपाही व अधीनस्थ कर्मचारियों की तनख्वाह, महंगाई-भत्ता, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सुविधाओं की कमी से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

130. पुलिस थानेदार व अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध की गई नागरिकों द्वारा शिकायतों की कम से कम उप-महा निरीक्षक द्वारा जांच की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

131. जयपुर जिले में बढ़ रही हुई डकैतियों में पुलिस की मिली-भगत होने पर चर्चा के लिये ।

132. थाना मानपुर जिला जयपुर के ए. एस. आई. तथा सिपाहियों द्वारा चौराहे के दुकानदारों व रिक्शा वालों को नाजायज परेशान करने बावत चर्चा के लिये ।

133. सिकराय क्षेत्र में बढ़ती हुई चोरी, डकैतियों पर स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

134. पुलिस द्वारा चांदूसा की डकैती का अभी तक सुराग नहीं लगाने से व्याप्त जन असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल शर्मा (सरदार शहर) :

135. चूरू जिले में बढ़ते हुए क्राइम्स को पुलिस द्वारा रोक पाने में असफलता पर चर्चा के लिये ।

136. चूरू जिले में पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

137. चूरू जिले में पुलिस प्रशासन की अकर्मण्यता के कारण दिनों दिन बढ रहे अपराधों से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

138. पुलिस कर्मियों के कम वेतनमान के कारण वर्तमान महंगाई से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

139. पुलिस कर्मियों द्वारा हरिजनों पर निरन्तर किये जा रहे अत्याचारों से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

140. महिलाओं पर पुलिस कर्मियों द्वारा किये जा रहे अत्याचारों से उनमें व्याप्त असुरक्षा के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री छोगा राम बाकोलिया (रेवदर) :

141. टोडाराय सिंह विधान सभा क्षेत्र में क्षेत्रानुसार थानों का अभाव होने से जनता को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) :

142. अजमेर में जुआबाजी, अवैध शराब बनाने एवं असामाजिक तत्वों की

(श्री कैलाश मेघवाल)

रोकथाम करने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

143. शहरों में यातायात की अव्यवस्था से जनता को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये ।

144. पुलिस थानेदार, थावला, गच्छीपुरा, डेगाना जिला नागौर द्वारा अपनाये जा रहे भ्रष्ट तरीकों से जनता को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।

145. ग्रामीण क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता से बढ़ रहे अपराधों के संबंध में चर्चा के लिये ।

146. पुलिस थाना थांवला व डेगाना व गच्छीपुरा जिला नागौर में थानेदारों द्वारा चलाये जा रहे झूठे मुकदमों के संबंध में चर्चा के लिये ।

147. जयपुर व अन्य शहरों में पुलिस अधिकारियों को मकान आवंटन के संबंध में सौतेला व्यवहार किये जाने पर चर्चा के लिये ।

148. ग्राम लवाद पुलिस थाना डेगाना के जाटों पर बिना किसी कारण झूठा मुकदमा बनाकर पुलिस थानेदार व हैड कान्स्टेबल द्वारा गिरफ्तार कर लिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

149. राजस्थान में दिन प्रतिदिन हो रही बलात्कार की घटनाओं को रोक पाने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) :

150. पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 16 पर विचार

श्री सभापति : श्री माधवसिंह दीवान ।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : सभापति महोदय, पुलिस विभाग के बारे में जो मांगें हैं उनके अन्दर पुलिस का जो मुख्य काम है वह है ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन को कन्ट्रोल करना । हाल ही के इलेक्शन में जो हम लोगों को वोट मिले और जनता सरकार से आम जनता की भावना टूटी उसका एक बहुत बड़ा कारण था, लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन । आज कोई भी आदमी अपने आप को सिक्योर फील नहीं करता । जनता ने हमको खास तौर से इसी बात के लिए वोट दिया कि हम इस सिचुएशन को ठीक करेंगे। तो हमें सोचना है कि क्या दो महीने में हम लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन को ठीक कर पाए ? अगर नहीं कर पाए, तो क्या कारण हैं ? अगर इसको आगे ठीक करना है तो इस विषय में हमको गहराई में जाना पड़ेगा । आज पुलिस प्रशासन को हम लोगों ने काम सौंपा हुआ है उसको चलाने में, गठन में कहां कमी है, कहां अड़चन है जिस आज की स्थिति में दूर नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस का जो महकमा है उसमें सबसे जरूरी बात है डिसिप्लीन की। डिसिप्लीन ऐसा हो जैसा मिलिटरी में तब यह पुलिस कुछ काम कर पाएगी। इसके अन्दर खामी यही है। डिसिप्लीन कब होगा, किस तरह का वातावरण पुलिस को दिया जाएगा तब डिसिप्लीन आएगा?

(श्री माधव सिंह दीवान)

डिसिप्लीन तब आ सकता है जब कमांड एक स्ट्रांग आदमी के अंदर में हो। आज एक थानेदार या कान्स्टेबल सोचे कि आई. जी. हमारा मालिक है उसके कहने से उसको निकाला जा सकता है, रखा जा सकता है, पदोन्नति दी जा सकती है। परन्तु जैसा होता आया है, आज जहां कहीं आई. ए. एस. अधिकारी फिट हो जाता है, वह कोशिश में रहता है कि पुलिस प्रशासन को कैसे ठीक किया जाए, आई. जी. की स्थिति कैसे कमजोर की जाए। आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को देखा जाए जहां आई. ए. एस. अधिकारी और पोलिटिशियन्स पुलिस विभाग पर हावी हो गए, 4-4 आई. जी. रख दिए, जब मर्जी आए एक को पुलिस प्रशासन पर रख दिया, दूसरे को सैक्रेटेरियेट में बिठा दिया। उसके कम्पेरीजन में राजस्थान में स्थिति अच्छी है परन्तु यदि इस तरह की पोलिटिक्स पुलिस प्रशासन में आयेगी तो यहां भी उसी स्थिति का आना दूर नहीं। पुलिस डीमोरेलाइज होती जा रही है पिछले 30 साल में, इसका नेट रिजल्ट क्या हुआ ?

आप जानते हैं कि पुलिस की हड़ताल हुई। अगर पुलिस भी हड़ताल कर दे तो बाकी रहा ही कौन। पुलिस हड़ताल के क्या कारण थे ? किस कारण से पुलिस वालों ने हड़ताल की ? क्या आपने ए. पी. से रिपोर्ट मंगवाई कि यह किस कारण से हड़ताल हो गयी ? आगे यह हड़ताल नहीं हो, इस बारे में आपने क्या कदम उठाए हैं ? इस बारे में आपको सोचना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हड़तालें होती हैं चाहे विद्युत मंडल में हो, चाहे वैद्यों की हो, हम पुलिस से लाठी चार्ज करवाते हैं, वे पुलिस से कहते हैं कि हम तुम्हारे भाई हैं तो पुलिस के मन में भी विचार होता है कि हम क्यों ऐसा काम करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो भी हड़ताल करते हैं उनकी तनख्वाह बढ़ती है, फैसिलिटीज बढ़ती हैं तो पुलिस विभाग सोचने पर मजबूर होता है कि जब उनकी फैसिलिटीज बढ़ गई तो हम लोग भी क्यों नहीं करें। तो कब तक यह वातावरण चलने देंगे, यह सोचना है।

आज जिन हालात में हम पुलिस विभाग से काम करवाना चाहते हैं वे हालात विचित्र हैं। गांवों में देखें, जितने केसेज दर्ज होते हैं उनमें मेजर केसेज वे हैं जो दूसरे विभाग के भ्रष्टाचार और बेईमानी के कारण होते हैं जैसे रेवेन्यू विभाग को देखा जाए। पटवारी गड़बड़ी करता है, एक आदमी का नाम दूसरी जगह पर लिखता है, दूसरे का तीसरी जगह पर लिखता है। गलत को सही लिखता है, सही को गलत और परिणाम स्वरूप पुलिस में केस दर्ज होता है। गलती किसी विभाग की और बदनामी किसी विभाग की। क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट सारे का सारा आई. ए. एस. कन्ट्रोल्ड है, वह अपने पर जिम्मेदारी लेने की कोशिश नहीं करता। आज एक पटवारी की गलती के कारण दो तीन-तीन मर्डर्स हो जाते हैं और लिखा जाता है पुलिस विभाग में इतने मर्डर्स हुए। यह नहीं देखा जाता कि किस विभाग की गलती से यह हुआ? इसलिए किस-किस कारण से केस दर्ज होता है उसको देखा जाना चाहिए। भूमि के मामले कितने दर्ज हुए, डिस्ट्रीब्युशन के मामले कितने हुए। अलग-अलग विभाग की लापरवाही के कारण सारे केसेज होते हैं। अगर प्रशासन और लॉ एण्ड आर्डर को सही करना है तो इस विभाग को तैयार करना पड़ेगा। कानून में जो खामी है जिसके

(श्री माधव सिंह दीवान)—

कारण मुकदमे बनते हैं, मर्डर्स होते हैं, उसको सही करना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि जो पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी है उसका स्टेचर इतना बड़ा करना पड़ेगा जैसे मिलिटरी का हैड चीफ आफ आर्मी स्टाफ होता है। उसको सारी फैसिलीटीज हैं। वह अगर मिलिटरी में डिसिप्लीन रखता है तो सारी पॉवर्स उसको दी हुई हैं, कहीं पर पोलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट इन्टरफीयर नहीं करता। आज कर्नल को पावर है एक सिपाही को 6 महीने की सजा दे सकता है और उसको नौकरी से निकाल सकता है। उसी तरह का डिसिप्लीन हम चाहते हैं कि पुलिस में रहे। आज आई. जी. के पास या एस.पी. के पास पावर्स क्या है? किसी को निकाल सकता है? कोई कॉन्स्टेबल बदमाशी करता है तो उसको सजा दे सकता है? नहीं। अगर उनको पावर्स नहीं दी हुई हैं तो कहां से डिसिप्लीन लायेंगे? इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि जब तक आप पुलिस विभाग को बिलकुल इंडिपेंडेन्ट वकिंग हो देंगे तब तक उनके काम में सुधार लाना कतई संभव नहीं होगा।

दूसरी तरफ आप ले लीजिये एस. डी.ओ. को जिसके पास रहने को सरकारी मकान है, तहसीलदार के पास रहने को मकान है पर इसका कम्पेरिजन आप अगर एक पुलिस के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट से करेंगे तो उसको आपने मकान रहने को नहीं दिया है जबकि दोनों का कैडर एक ही है। आर. ए.एस. और आर.पी.एस. दोनों कैडर एक ही हैं; पर आपने दोनों को फैसिलिटीज बराबर नहीं दी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप उनमें किसी प्रकार की आस्था पैदा करना चाहते हैं तो उनको कम से कम आप फैसिलिटीज तो दें नहीं तो यह किस प्रकार पोसीबल हो सकता है।

इसके अलावा दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टीगेशन करती है किसी केस का, वह जब किसी क्रिमिनल को पकड़ कर मजिस्ट्रेट के पास ले जाती है तो मजिस्ट्रेट की मन्शा यही रहती है कि चाहे वह चोर हो, चाहे वह बदमाश हो, उसके लिये कम से कम दिन का रिमान्ड दिया जाय। उल्टे मजिस्ट्रेट ही पुलिस को दोषी मानता है। मजिस्ट्रेट कम से कम रिमान्ड का समय देकर जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति की बेल करना चाहती है। मजिस्ट्रेट अपने मन में पुलिस के प्रति अच्छी भावना नहीं रखता है इसलिये वह ऐसा करता है। इसके विपरित होना यह चाहिये कि मजिस्ट्रेट को पुलिस को इन्वेस्टीगेशन में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना चाहिये। पुलिस जिन बदमाशों को पकड़ कर लावे, जिन चोरों को पकड़ कर लावे उनको थाने में रहने देने के लिये अधिक से अधिक रिमान्ड देना चाहिये ताकि वह इन्वेस्टीगेशन अच्छी तरह कर सकें। नहीं तो होता यह है कि पुलिस अच्छी तरह से इन्वेस्टीगेशन नहीं कर पाती है। नतीजा यह होता है कि मुलजिम छूट जाते हैं। इसके अलावा एक बात यह भी है कि पुलिस इन्वेस्टीगेशन करके कोर्ट में चालान पेश करने के बाद अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझती। ज्यों ही कोर्ट में केस चालान होता है पुलिस अपनी जिम्मेदारी समाप्त समझ कर सारी जिम्मेदारी ए.पी.पी. की समझती है। सभापति महोदय, ए. पी. पी. का पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। प्रोसीक्यूशन ब्रान्च कलेक्टर के नीचे होती है। चूंकि बाद में पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है इसलिये 5 आने

(श्री माधव सिंह दीवान)

मुकदमे में मुलजिम बरी होते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर मुकदमे के अन्दर मुलजिम छूट जाता है तो मुकदमे बढ़ना लाजमी है। वे कैसे कम होंगे। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि प्रोसीक्यूशन ब्रान्च मजिस्ट्रेट के नीचे से निकाल कर आप डाइरेक्ट आई. जी. पी. के अन्डर करें ताकि पुलिस और प्रोसीक्यूशन ब्रान्च का तालमेल हो। फिर ज्यादा से ज्यादा क्राइम्स का रोका जा सकेगा।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि आज पुलिस विभाग के लिये लेबोरेट्री जयपुर में ही है जिसमें फिंगर प्रिन्ट्स वगैरह के टेस्ट होते हैं। सभापति महोदय, जहां-जहां पर राजस्थान में केसेज होते हैं वहां से फिंगर प्रिन्ट इस लेबोरेट्री में टेस्ट हेतु आते हैं और यहां पर उनके टेस्ट होने में एक दो महीने लग जाते हैं। और फिर टेस्ट का रिजल्ट भेजा जाता है जिससे कई बार केसेज के इन्वेस्टीगेशन में देर हो जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की लेबोरेट्री हर जिला स्तर पर होनी चाहिये ताकि टैस्ट होने में देर नहीं लगे और जल्दी से जल्दी टैस्ट करके रिजल्टस भेज सकें। इससे पुलिस इन्वेस्टीगेशन में काफी सहूलियत रहेगी।

सभापति महोदय, पहले हमारे देश में एक एक्ट था जो कि हैबीचुअल आफेन्डर्स को रोकने के लिये था। इसमें प्रोविजन है कि पांच साल के अन्दर कोई अगर क्रिमिनल तीन बार सजा पा लेता है तो पुलिस उसको चाहे जब किसी वारदात के संबंध में बुलाकर रोक सकती है, उसको कन्ट्रोल कर सकती है। लेकिन, सभापति महोदय, आज तो स्थिति अलग ही है, हमारे यहां पर मुकदमा दस दस साल तक चलता है और उसका फैसला नहीं होता है तो यह प्रोविजन जो पांच साल में तीन बार सजा होने का है वह बेकार ही हो गया। अगर पांच साल में किसी हैबीचुअल आफेन्डर को सजा नहीं होती है तो पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती है। इसलिये मेरा इस बारे में यह सुझाव है कि अगर किसी व्यक्ति का पांच साल में तीन बार चालान हो जावे तो पुलिस को उस क्रिमिनल को बुलाकर कन्ट्रोल करने का अधिकार होना चाहिये। ऐसा इस एक्ट में प्रावधान होना चाहिये। हो सकता है पहले जब यह एक्ट बना था तो एक्ट बनाने वालों ने यह सोचा होगा कि पांच साल में केसेज का फैसला हो जाता होगा। आज जो-जो बदमाश लोग हैं चाहे वह चोर हैं, चाहे वह पाकेटमार हैं, चाहे अन्य प्रकार के क्रिमिनल हों, उनके केस तो दस दस साल तक चलते रहते हैं। पांच साल में निपटारा ही नहीं होता तो एक्ट से फायदा ही क्या? इसलिये यह एक्ट के प्रोविजन्स में चेन्ज करके यह प्रावधान किया जाय कि पांच साल में अगर किसी व्यक्ति का तीन बार चालान हो जाता है तो पुलिस इस एक्ट के तहत उसको रोक सकती है। सभापति महोदय, जिस प्रकार पहले हैबीचुअल आफेन्डर्स होते थे, उनको पुलिस थाने में जाकर हाजरी देनी पड़ती थी उसी प्रकार जिनके पांच पांच साल में तीन बार चालान हो जाते हैं एक्ट बना कर पुलिस को उनको रोकने की पावर दी जानी चाहिये। अगर आप ऐसा प्रावधान कर दें तो मैं कहता हूं कि 15 आना आपके क्राइम्स बन्द हो जावेंगे।

सभापति महोदय, पिछली सरकार ने

(श्री मंगलसिंह कोचवान)

कुछ नहीं किया इसी कारण पुलिस वालों को हड़ताल करनी पड़ी। अगर इस साल भी हड़ताल हुई और पुलिस के साथ आर. ए. सी. और बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी हो जायेगी तो फिर आपको उनके अगेंस्ट में मिलिटरी लगानी पड़ेगी। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि आप पुलिस को इफेक्टिव बनाइये जिससे कि लॉ एण्ड ऑर्डर मेनटेन हो सके, यह मैं चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री मोहन लाल शर्मा। मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे जो सूची माननीय सदस्यों के बोलने की विभिन्न दलों की दी गयी है वह काफी लम्बी है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा वह दस मिनट से ज्यादा समय नहीं लेने का कष्ट करें। अपनी बात दस मिनट में ही समाप्त करें ताकि माननीय सदस्य अपनी बात कह सकें।

श्री मोहनलाल शर्मा (सरदार शहर) : सभापति जी, कांग्रेस पार्टी ने नारा देकर चुनाव लड़ा था कि देश में अराजकता फैल रही है, लॉ एण्ड आर्डर ठीक नहीं है, देश की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। इस नारे के सहारे कांग्रेस पार्टी बहुमत में आई। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद की स्थिति जो भी है मेरे ख्याल में सदन के सारे माननीय सदस्य उससे अवगत होंगे। ऐसा मालूम होता है, सभापति महोदय, न केवल राजस्थान में ही बल्कि पूरे भारत-वर्ष में शासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज अखबारों में हमें रोजाना पढ़ने को मिलता है कि शासन नाम की हमारे देश में कोई चीज नहीं है। जहां तक पुलिस का प्रश्न है वह पूरी तरह से अकर्मण्य हो रही है। चाहे कोई कुछ करे चाहे जैसी देश में अराजकता फैले पुलिस को कोई मतलब नहीं रह गया। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी प्रकार से भी असामाजिक तत्वों के ऊपर पुलिस का कोई अंकुश नहीं है। आज स्थिति ऐसी है, सभापति महोदय, जहां जहां भी पुलिस स्टेशन हैं वहां पर या उनके आसपास या पुलिस स्टेशन के सामने असामाजिक तत्व इतने सक्रिय हो रहे हैं कि वहां पर कोई न कोई वारदात करते ही रहते हैं। यह असामाजिक तत्व न केवल एक जगह बल्कि शहरों में भी और गांवों में भी किसी न किसी प्रकार वारदातें करते रहते हैं। पुलिस की स्थिति यह है कि वह बिल्कुल तत्परता से काम नहीं करती है। वह सोचती है कि किस किस से ज्यादा पैसा मिले, वह उसी का काम करती है। पुलिस सोचती है कि कौन पैसा ज्यादा देता या यह सोचती है कि किसके पीछे राजनैतिक दबाव ज्यादा है उसी का काम पुलिस करती है। यह आजकल पुलिस के काम करने की पद्धति हो गयी है। पुलिस की अकर्मण्यता के कारण आज जनता का हर वर्ग अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है। लोगों में भी असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है। जनता यह समझ रही है कि राज्य नाम की कोई चीज अब नहीं रह गयी है, हम लोगों की सुरक्षा किस प्रकार से होगी? मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि आप पुलिस को सक्रिय बनाइये। गांवों में पुलिस के छोटे थाने हैं उनको आप अधिक से अधिक सक्रिय बनाइये। आप उन्हें जागरूक कीजिये। उन्हें यह आदेश दीजिये कि वह जहां कहीं भी जुर्म

(श्री मोहनलाल शर्मा)

हों वहां पर तत्परता से कार्यवाही करें और जो लोग जुर्म करते हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तार करे। वह क्रिमिनल्स को सख्ती से निपटें। अगर, सभापति महोदय, इन असामाजिक तत्वों से सख्ती से नहीं निपटा गया और इनके साथ ढिलाई बरती गयी तो यह देश में अराजकता और ज्यादा फैला देंगे। इसे रोका जाना चाहिये।

सभापति महोदय, आज पुलिस के बारे में मैं आपको और जगहों की न कह कर कम से कम चूरू जिले की बात तो बता सकता हूं। हमारे जो पुलिस के थाने हैं वे भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। वहां पर बिना पैसे कोई भी काम नहीं होता है। यहां अगर किसी को अपने केस की एफ. आई. आर. लिखानी है तो उसके लिये भी मुस्तगिस को पैसा देना पड़ता है। इतना ही नहीं पुलिस आज ऐसी हो गयी है कि दोनों ही पक्षों से पैसा खा जाती है और फिर मनमानी करती है। आज स्थिति इस प्रकार की बन गयी है कि पुलिस कुछ भी काम करने को तैयार नहीं। पैसा खा जाती है और फिर बैठी रहती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो स्थिति हमारे यहां पुलिस की बन गयी है इसको दूर किया जाय। सभापति महोदय, चूरू जिले की स्थिति इस साल ऐसी है कि इसी महीने में ऐसा कोई कस्बा नहीं बचा है जहां पर कोई भी वारदात नहीं हुई हो। इसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि एक ट्रक यूनियन बनी हुई है नाजायज तौर से, कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। वह रात दिन रोजाना व्यापारियों को परेशान करती रहती है कि उसकी इच्छा के अनुसार पैसे देकर उन्हीं के ट्रकों में अनाज या जो कुछ भी सामान बाहर ले जाना है वह ले जायें और अपनी मर्जी से पैसा वसूल करते हैं। इस प्रकार की स्थिति पुलिस के नोटिस में है, जिला प्रशासन के नोटिस में है, एस. पी. के नोटिस में है लेकिन फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। पुलिस कोई भी कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है और व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है।

अभी पिछले दिनों हमारे चूरू में 8-8-80 को इस प्रकार की वारदात हुई कि व्यापारियों का एक ट्रक बोरियां लेकर बीकानेर जा रहा था तो उस पर 15-20 असामाजिक तत्वों ने हमला किया, उसको घेर लिया और उनके साथ मारपीट की। जब ट्रक का ड्राइवर पुलिस अधिकारियों के पास थाने में रिपोर्ट करने जा रहा था तो उसके साथ बाजार में मारपीट की गई। आज दस दिन हो गए, बीकानेर अस्पताल में पड़ा हुआ है और मुलजिम ऐसे फिर रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। जब इस तरह की असुरक्षा की भावना है और असामाजिक तत्व इस प्रकार की वारदात करें तो पुलिस की अकर्मण्यता ही जाहिर होती है और जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। आगे जाकर बहुत बुरा हाल होगा इसलिए इसको समय रहते ही ठीक करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरे, सभापति महोदय, चूरू में सुबह के चार बजे एक अपहरण काण्ड हुआ। बस स्टैण्ड के ऊपर, पुलिस चौकी के सामने और एस.पी. दफ्तर से 200 मीटर की दूरी पर एक व्यापारी को कुछ असामाजिक तत्व उठाकर ले गए और उसके साथ मारपीट की। क्यों ले गये, यह तफतीश जारी है? लेकिन ले गए और अभी

Page No. 83

(83)

(श्री मोहनलाल शर्मा)

तक वह मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। आज दस दिन हो गए हैं लेकिन फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं कहता हूं कि यह पुलिस की अकर्मण्यता है। इसी कारण से असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि लोग बिलकुल निरंकुश हो रहे हैं और मनमाने तरीके से जरायम कर रहे हैं।

इसी तरह से, सभापति महोदय, सरदार शहर में एक सार्वजनिक सांड था उसको एक प्राइवेट निजी पट्टे की जमीन पर गरीब बनिये की ज़मीन पर जबरदस्ती गाड़ दिया। जब लोग बाग गाड़ने जा रहे थे तो उस समय पुलिस को सूचना दी गयी कि अमुक जगह सांड को गाड़ा जा रहा है तो पुलिस मौके पर पंहुची और तहसीलदार भी मौके पर पंहुचा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट।

और उनको मना किया गया कि सांड को जो श्मशान भूमि है वहां ही गाड़ा जाय और उन्होंने इसके लिए हां भर ली। वहां पर पुलिस को छोड़ दिया गया, दो कान्स्टेबल छोड़ दिये गये लेकिन 15 मिनट बाद जैसे ही वह वहां से गये सांड को उन्होंने वहीं उस गरीब बनिये की जमीन पर गाड़ दिया। आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। किसी का राजनैतिक प्रेशर आयेगा यह सोच रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार राजनैतिक प्रेशर का इन्तजार नहीं करके कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे कि लोगों पर उसका असर पड़े और पुलिस सक्रिय हो तो मैं समझता हूं कि यह जरायम खतम हो सकते हैं।

इसी तरह से आज बहुत बलात्कार के केसेज हो रहे हैं वह आपसे, सभापति महोदय, छिपे हुए नहीं हैं। रोजाना इसकी चर्चा सदन में भी होती है। तो मेरा निवेदन करना यह है कि इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाय। एक बात जरूर और कहूंगा कि एफ.आई. आर. दर्ज होने की एजेन्सी यदि दूसरी कर दो जाय और तफतीश की एजेन्सी दूसरी कर दी जाय तो अच्छा रहेगा। क्योंकि पुलिस वाले अगर चाहते हैं तो एफ. आई. आर. दर्ज कर लेते हैं और नहीं चाहते तो नहीं करते हैं। इस तरह से एफ. आई. आर. दर्ज करने की कोई दूसरी एजेन्सी बना दी जाये तो अच्छा रहेगा। अगर किसी प्रकार से पुलिस में कमी है तो उसको पूरा किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि पुलिस की हर थाने में एक जीप की जरूरत है तो जीप दी जानी चाहिए जिससे मुलजिम का शीघ्रता से पीछा किया जा सके। टेलीफोन होना चाहिए, वायरलैस होना चाहिए। सुविधायें जरूर पुलिस को दी जानी चाहिए लेकिन तत्परता से कार्यवाही हो जिससे कि पुलिस और सक्रिय हो और बढ़ते हुए जरायमों को रोका जा सके। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: श्री सूरजपाल सिंह।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) सभापति महोदय, मांग संख्या 16 पर मैं अपने कुछ सुझाव रख रहा हूं। सभापति महोदय, प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है। पिछले तीन वर्षों में यह स्थिति बड़ी दयनीय हुई

(84)

(श्री सूरजपालसिंह)

और अब तक की स्थिति यह है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधरी नहीं है। इसके लिये मेरा एक सुझाव है कि ज्यों ही हमारा राज्य बदला डिपार्टमेंट के जितने भी प्रमोशन हुए थे जो सब-इन्सपेक्टर जोधपुर डिविजन के थे उन सबको लेकर जयपुर डिविजन में डाल दिया, जयपुर डिविजन के थे उनको बीकानेर में डाल दिया, बीकानेर डिविजन के थे उनको कोटा के अन्दर डाल दिया और हालात यह हुए कि सारे लोग नये जाने की वजह से उक्त पुलिस स्टेशन के क्षेत्र के अन्दर कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन क्या है, कौन किस तरह का आदमी है उनको मालूम नहीं हुआ। कोई भी अधिकारी कहीं पर जायेगा तो उसको वाकफियत होते होते ही होगी। इस सारी स्थिति का नाजायज फायदा रोंग एलीमेंट्स ने उठाया और उसका असर यह हुआ कि पूरे प्रदेश के अन्दर जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है वह बिगड़ती जा रही है।

तो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब एक एस. पी. होम डिस्ट्रिक्ट में रह सकता है तो एक सब-इन्सपेक्टर या इन्सपेक्टर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं रह सकता है? आज अलवर जिले के इन्सपेक्टर को जैसलमेर में लगा दें तो वह वहां की लोकल परिस्थितियों से, लोकल लैंग्वेज से और हर तरह की बातों से अनभिज्ञ रहेगा। जब तक वह सारी चीजों से वाकिफ होगा, तब तक आप उसको और कहीं स्थानान्तरित कर देंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम कानून और व्यवस्था को बनाये रखना चाहते हैं तो चहे आप इस इन्सपेक्टर को बिल्कुल उसके होम टाउन में नहीं रखना चाहते हैं तो न रखें लेकिन एडजाइनिंग डिस्ट्रिक्ट में लगायें ताकि वह आराम से और सुचारु रूप से काम कर सके। वह मेन्टली डिस्टर्ब नहीं हो। पुलिस वालों की तो 24 घंटे की नौकरी होती है, कुछ काम घरेलू भी हो सकते हैं तो उस तरफ से उन्हें चिन्ता नहीं होगी तो वह बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे।

इसके अलावा इन्टेलीजेन्स विंग को हमें मजबूत करना पड़ेगा। यदि कानून और व्यवस्था को हम बनाये रखना चाहते हैं तो इन्टेलीजेन्स को जो दी जाने वाली सुविधायें हैं वह मैं मान कर चलता हूं कि बिल्कुल नगण्य हैं। आज एक सी. आई. डी. का आदमी है तो उसको आम आदमी भी जानता है कि सी. आई. डी. का आदमी है। हम चाहें कि वह सही इनफार्मेशन लाकर देगा तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि वह सही इनफार्मेशन लाकर नहीं देगा क्योंकि अगर वह बाहर जायगा तो सामान्य आदमी के साथ बैठकर चाय पीयेगा। तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वह सही इनफार्मेशन दे देगा? इन्टेलीजेन्स विंग के लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दीजिये। आप बतायें कि आपके कितने सीनियर आफिसर्स ट्रेनिंग में गये और कितनी इन्टेलीजेन्स की नयी ट्रेनिंग दी गयी? आज के बदलते युग के अन्दर कई तरह की ट्रेनिंग हैं तो मैं निश्चित रूप से यह जानता हूं कि हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी किसी विशेष ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जाता और जब हमारे सीनियर ऑफिसर्स स्वयं इस विषय में ट्रेण्ड नहीं है. और उसके जूनियर ऑफिसर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है तो इन्टेलीजेन्स ही हमारा कमजोर होगा और जब इन्टेलीजेन्स ही हमारा कमजोर है तो मैं निश्चित मानता हूं कि कानून और

(श्री सूरजपाल सिंह)

व्यवस्था सुधर नहीं सकती। सबसे पहले हमें इन्टेलिजेन्स को मजबूत करना पड़ेगा, और हमारी इन्टेलीजेन्स विंग अगर मजबूत है तो कानून और व्यवस्था कन्ट्रोल हो सकती है इसमें कोई सन्देह नहीं।

दूसरा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे जालोर जिले के अन्दर अभी जितने भी मर्डर केसेज हुए हैं, उन मर्डर केसेज का भी सही इन्वेस्टीगेशन नहीं हो सका। हमारे भूथला में एक ग्राम सेवक का मर्डर हुआ। आज तक यही कह कर, सुसाइड बताकर उस चीज को खतम कर दिया गया। आप यह बतायें जो आदमी सुसाइड करता है वह 5 हजार रुपये के नोट जलाकर सुसाइड करेगा। पुलिस आफिसर्स यह कहते हैं कि इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से सुसाइड किया है। जिस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, वह 5 हजार के नोट जलाकर सुसाइड करेगा। कैसी रिपोर्ट्स हैं आपकी? एस.पी. कहता है कि इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। सुसाइड है। यह सुसाइड कैसा है, मेरी समझ में नहीं आता। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मामले में सी.आई.डी. से जांच करायें और इसकी पूर्ण जांच होनी चाहिये। इसके अन्दर अधिकारियों ने पैसा खाकर एक गरीब ग्राम सेवक, जो बिल्कुल ऑनेस्ट था, फूड फार वर्क के अन्दर सरपंच को गेहूं का हिस्सा नहीं दे सका तो उस व्यक्ति का खून करवा दिया गया। फर्स्ट डे जब पुलिस जाती है, जले हुए नोट नहीं होते। तीसरे दिन कहते हैं कि हमें पहले ध्यान नहीं था। चूल्हे के अन्दर 5 हजार के नोट जले हुए थे। इसकी जांच होनी चाहिये।

मालनी ठाकुर का मर्डर हुआ। एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। दूसरे दो मुल्जिम थे उनका आज तक पता नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग बड़े सीधे होते हैं...

(समय- समाप्ति-सूचक-घंटी)

वह पुलिस ऑफिसर सारे गांव को फंसाता है। मुझे पैसा दो नहीं तो फंसा दूंगा। दो मुल्जिमों का आज तक पता नहीं।

रेलवे पुलिस के बारे में निवेदन करूं। रानीवाड़ा से भीलड़ी जो ट्रेन जाती है, रोजमर्रा चोरियां होती हैं। गुजरात में जीरा बेचने के लिये जाते हैं। जीरा बेचकर आते हैं तो 10 हजार, 15 हजार की जेब कटी की वारदातें अक्सर होती रहती हैं.....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

पुलिस स्टाफ को सक्रिय किया जाये। 1,2 व्यक्तियों का मर्डर भी हुआ। इन्वेस्टीगेशन पेन्डिंग है। उस विषय में कुछ हुआ नहीं। रेलवे पुलिस को विजिलेंट किया जाय। जो रेलवे गार्ड हमेशा रेल के अन्दर चलती है, जो जेबकट वगैरह है, हैबीचुअल हैं, उनकी नालेज के बाहर नहीं हो सकते। रोजमर्रा रेलवे के अन्दर जो चोरियां वगैरह होती हैं, वह क्या है?

दूसरा मेरा यह भी सुझाव है कि थाने का जो एरिया है वह बहुत लम्बा है। उन थानों को आप डीसेन्ट्रालाइज करें, छोटा बनायें। उनके पास व्हीकल्स नहीं हैं। वायरलेस की सुविधा पूरी है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट को विजिलेंट बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सब इंसपेक्टर के पास एक व्हीकल होनी चाहिये ताकि वह तत्परता से घटना स्थल पर पहुंच सके।

(श्री सूरजपालसिंह)

जालौर पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां सड़कों का अभाव है। जब भी कोई केस होता है, समय पर नहीं पहुंचते है तो सारे हालात ही बदल जाते हैं। पुलिस स्टेशन पर अगर व्हिकल्स नहीं होंगी तो फिर प्रश्न आता है भ्रष्टाचार का। पुलिस कहेगी, व्हिकल ले आइये मैं चलता हूं। सभी अधिकारी भ्रष्ट नहीं होते। अगर कोई अधिकारी तत्परता से काम करने के लिये साधन मांगता है, तो वह डिफेम होता है। इसलिये हर पुलिस स्टेशन पर व्हिकल की व्यवस्था हो तो उचित होगा। इससे डिपार्टमेंट की बदनामी भी नहीं होगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री सूरजपाल सिंह : धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राज बहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : सभापति महोदय, मुझे आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं कितनी चोरियां बढ़ी, कितने जुर्म हुए, कितने कम हुए, उनको देखने के लिये अखबार बहुत हैं। अखबारों से भी आगे चलकर जाये तो पिछले दिनों में हमने इस सदन में देखा है हर रोज किसी न किसी जुर्म की, किसी चोरी, डकैती की, किसी बलात्कार की शिकायतें हुई हैं। इसलिये उन आंकड़ों में जाना मैं आवश्यक नहीं समझता। मैं यह भी मानता हूं कि पुलिस, और पुलिस का विभाग, उसका संचालन उसका व्यवहार किसी भी देश या किसी भी राज्य के लिये मापदण्ड होता है। वह सामाजिक अंग होता है जिससे मालूम पड़ता है किस प्रकार का राज चल रहा है, शासन चल रहा है। कितना गहरा संबंध है पुलिस का हमारे जन जीवन से कि यदि हम पुलिस के बारे में बहुत हताश होकर चलते हैं तो वह भी हितकर नहीं होता लेकिन वस्तु: स्थिति यह है कि चाहे बस स्टेण्ड हों, चाहे रेलवे स्टेशन, चाहे कोई हमारी आबाद बस्तियां हो बाजार हों, कोई भी जगह क्यों न हो हर जगह पुलिस हमारे जीवन में आती है इसलिये पुलिस का संचालन ठीक हो, हम यह चाहते हैं। कैसे हो सकता है, यह हमें स्पष्ट रूप से सोचना होगा। खुद शासन में जो हमारे लोग, सज्जन बैठे हुए हैं, उनको खुद को निश्चित करना होगा कि आखिर क्या नीति है उनकी पुलिस के बारे में? क्या चाहते हैं वे? क्या नार्म्स और आधार लेकर वह पुलिस को सुधारना चाहते है? जैसा मैंने कहा मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। आप खुद देख लीजिये, पिछले तीन-चार वर्षों में कितना ह्रास हुआ है कानून और व्यवस्था का। मैं केवल तीन महीने की बात नहीं कहूंगा। कभी यह सुनता हूं कि हमने तीन वर्षों में यह किया था, कभी उधर से सुनता हूं कि हम ऐसा करेंगे, या ऐसा हो गया। इधर इनका दावा यह है कि उनके द्वारा स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया था। उधर उनका दावा भी यही है कि स्वर्ग पृथ्वी पर ले आये। किन्तु स्वर्ग कहां गया, पता नहीं। वास्तविकता यह मांगती है कि हम सोचें कि हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं। पहले जो समाज की दुर्दशा है उसको देखा जाये। आप निश्चय कीजिये कि इस पुलिस प्रशासन को कहां ले जाना चाहते हैं, क्या नीति है, क्या एप्रोच है? अगर एप्रोच यह है कि इस पुलिस को सुधारना है तो पहले यह देखिये कि आपके यहां नियुक्तियां कैसे होती हैं। प्रमोशन कैसे होते हैं, उन्नतियां कैसे होती हैं, ट्रान्सफर्स कैसे होते हैं, क्या इनके पीछे कोई राजनैतिक हस्तक्षेप है या नहीं,

(श्री राजबहादुर)

इसे देखना होगा। यह मानी हुई बात है जनतन्त्र व्यवस्था में सरकारी सेवाओं को चाहे वह पुलिस की हो, मिलिटरी की हों और चाहे सिविल सेवायें हों, राजनीति से अछूता रखा जाए। उनके लिये तो यह होना चाहिये कि जो शासक दल इन्डेंट लेकर आते हैं, जो आदेश लेकर आते है, जो नीति का समर्थन लेकर आते हैं उस नीति के क्रियान्वयन का निर्णय शासक दल मंत्रिमण्डल ले और उसका क्रियान्वयन सेवाओं द्वारा हो। सर्विसेज हमारी राजनीति के प्रपंच से अलग रहे। लेकिन अगर सर्विसेज का उपयोग अपनी राजनीति के लिये इस तरह करें तो उचित नहीं होगा। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचें। चाहे हम सत्ता में हों या कोई भी हो यदि उनका उपयोग राजनीति में होता है तो क्या हम यह कह सकेंगे कि हम सर्विसेज का उपयोग बन्द करेंगे तभी देश का शासन ठीक चलेगा और जनतन्त्र मजबूत होगा। आज सारे देश के सामने, राष्ट्र के सामने और राजनैतिक दलों के सामने प्रमुख बात यह है कि हम कैसा बर्ताव करना चाहते है। जहां तक पुलिस कर्मचारी को, सिविल सर्विसेज को और दूसरे कर्मचारियों को अपनी राजनीति में घसीटना चाहते हैं, इस पर गहराई से विचार करें। कहीं कहीं तो यह भी सुना जाता है कि राज्य कर्मचारियों से राजनैतिक चन्दा भी एकत्रित करवाया जाता है। राजनैतिक निर्णय उनके आधार पर होते हैं। जहां इतनी लाग-लपेट हो जाय वहां शासन ठीक प्रकार चल नहीं सकता है। इसलिये पहली आवश्यकता है कि रिक्रूटमेंट से लेकर उनके प्रमोशन प्रणाली तक और उसके बाद उन पर अनुशासन और नियंत्रण तक राजनीति को किसी भी प्रकार उनके बीच में नहीं लावें। न्याय के ऊपर दो आदमियों के बीच में झगड़ा है, किसको प्रमोशन मिलने वाला है, किसी का ट्रान्सफर होना है इसमें एक का होना है, दूसरे का नहीं होना। और किस आधार पर होना है इसे गौर से देखा जाना चाहिये। इन मामलों में राजनीति की कोई प्रश्रय नहीं मिलना चाहिये।

हमने पहले भी पूछा था? ट्रांसफर्स के बारे में सरकार की क्या नीति है? जवाब था हमारी नीति है प्रशासनिक कारणों से हम ट्रान्सफर करते हैं। अगर शासन की यह नीति है तो मैं कहूंगा मुझे खूब याद है पंडित जी के जमाने में, गोविन्द वल्लभ पंत जी के जमाने में किसी एम. एल. ए. या एम. पी. की सिफारिश हो नहीं सकती थी प्रमोशन के लिये, नियुक्ति के लिये। और जो ऐसा करते थे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होती थी। यू. पी. एस. सी. की एक घटना मुझे याद है हमारे बहुत माने हुए एक नेता थे, बाद में हमारे स्पीकर भी बन गये कोई बात यू. पी. एस. सी. से कह दी और उन्होंने उसे अपनी रिपोर्ट में लिख दिया-If political influences are allowed in recruitments, promotions and transfers you cannot expect or ask for impartiality and fairness in the functioning of services.

इसलिये मैं कहूंगा पहले, श्रीमन्, विचार करें कि पुलिस कर्मचारी का कितना दुरुपयोग किया जाता है। इसलिये मैं चाहूंगा सर्विसेज का पोलिटिकलाइजेशन नहीं होना चाहिये चाहे वह [illegible]

(श्री राजबहादुर)

हो उसका यदि पोलिटिकलाइजेशन करेंगे तो प्रशासन के लिये पक्षता के कफन में पहली कील ठोक लेंगे। मेरा निवेदन है पहले आप नीति तय करिये। देश या राज्य में कितनी चोरी, डकैती के मामले हुए हैं यह मैंने नहीं कहा है। मैं तो एक उदाहरण के रूप में एक घटना का जिक्र करूंगा कैसे मेरा एक काल अटेन्शन नोटिस भी था, पता नहीं उसका क्या किया गया, अभी तक वह नहीं आया है सभापति जी। झीगीपुर तहसील में नदई का गांव है वहां के रामसिंह बाबा रया का दामाद जो पत्ना गांव में रहता था, को तथा रामसिंह के लड़के को किसी दुश्मनी के आधार पर यू.पी. के पुलिस-कर्मचारी आये और थाने से उठा ले गये। 13 फरवरी का वाकया है रामसिंह ने हर जगह रिपोर्ट करा दी, कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा, प्रधान मंत्री तक को नहीं छोड़ा। मेरा इस बारे में काल अटेन्शन नोटिस भी था। सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं है। क्या सरकार की किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं है? लेकिन हमें कहा गया है अधिकृत रूप से कि उसको गोली से मार दिया गया है। मतलब यह हुआ कि यू.पी. की पुलिस आये और राजस्थान के नागरिकों को पकड़ कर ले जाये। इसी प्रकार शायद कहीं राजस्थान के पुलिस वाले जायें और यू.पी. वालों को पकड़ लायें। यह हालत जब लॉ एन्ड ऑर्डर की हो जाये और खास तौर से पुलिस की हो जाय, प्रशासन की हो जाय तो फिर कौन पुकार या फरियाद सुनने वाला बच जाता है। यह अवश्य सुनते थे अक्सर कि एफ.आइ.आर. दर्ज नहीं होती थी। यहां तो यह सब कुछ हो जाता है। क्या वजह है? जाहिर है कि कोई किसी पुलिस कर्मचारी का संरक्षण कर रहा है। खुली छूट से ऐसी हरकत राजनैतिक नेता करते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि राजनैतिक लोग ही करते हैं, अफसर भी करते हैं। मैं उनको अछूता कहता हूं, यह बात नहीं है। यह वातावरण ही ऐसा बन गया है, जिसको ठीक करना होगा और होगा कहां से—राजनैतिक लोगों से पहिले हम दृढ़ प्रतिज्ञा लें जायें कि हमारी राजनीति किसी अफसर के बलबूते पर नहीं चलेगी, चाहे वह कितना ही बड़ा नेता हो।

मैंने एक रिपोर्ट देखी है जो आज ही मिली है। यह भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की है। उसके मैं कुछ आंकड़े दे दूं क्योंकि इस विभाग के लिये 45 लाख मांगे गये हैं। इसके काम के मोटे-मोटे दो-चार आंकड़े बताता हूं—2214 परिवाद इस विभाग में प्राप्त हुए थे—यह पृष्ठ संख्या 6 पर है, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की रिपोर्ट है कि 2214 परिवाद प्राप्त हुए हैं इनमें 256 परिवाद भ्रष्टाचार, घूस लेने के, आय स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने संबंधी है यानि—Some one has amassed property which is not commensurate with income, 1303 परिवाद संबंधित विभागाध्यक्षों के पास उनके स्तर पर उचित कार्यवाही निस्तारण हेतु प्रेषित किये गये। इसके बाद 67 परिवाद जो गुमनाम अथवा असत्य नाम से थे यानि अनानिमस और सूडानिमस थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। 338 परिवाद संबंधित विभागाध्यक्षों को उनके पास प्राथमिक जांच करने हेतु भेजे गये—प्रिलिमिनरी जांच के लिये विभागाध्यक्षों को दिये गये। 33 परिवाद तकनीकी और प्रशासनिक जांच हेतु भेजे गये, 52 परिवाद ट्रेप के लिये, 54 परिवादों पर संबंधित परि-

(श्री राजबहादुर)

वादीगण से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये कहा गया तथा 54 परिवाद ऐसे हैं जो संबंधित विभागाध्यक्षों को भेजे गये हैं। मेरा मतलब यह है कि इसमें ऐसे कितने परिवाद हैं जो विभागाध्यक्षों ने अपने पास कार्यवाही हेतु रखे हैं। 1303 को सूटेबिल एक्शन के लिये भेजे गये, 67 अनानीमस है, 368 प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के लिये, 33 तकनीकी जांच के लिए 52 ट्रैप के लिये रखे गये हैं तो कुल मिलाकर मैंने देखा लगभग 1745 चले जाते हैं, यूं कुल 314 या 315 रह जाते हैं जिनके लिये विभाग के लिये लिखा गया है। बाकी पर जिम्मेदारी रही नहीं डिपार्टमेंट की। जो विभागाध्यक्षों के पास गये, चाहे प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के लिये गये हों या अन्तिम निर्णय के लिये गये हों और कुछ गुमनाम होकर रह गये। जांच की गई 362 में से 256 की जिनमें प्रापर्टी मोर देन इनकम का अभियोग है। संपत्ति ज्यादा है और आमदनी कम है। फिर भी दावा यह किया गया है कि विभाग ने खूब काम किया है। अपने आप की अपनी तारीफ कर ली। मैं अधिक नहीं कहूंगा। अच्छा है आप अपनी तारीफ कर लें लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ जिस महकमे के लिये आप 45 लाख दे रहे हैं वह 2214 परिवादों में 256 मामले अपने पास रखे हैं उससे भ्रष्टाचार कैसे खतम होगा। आज मुझे दुःख हुआ, हमारी बहिन कमला जी ने कहा "देने वाला राजी और लेने वाला राजी, तो क्या करेगा काजी"—जब शासन में बैठने वाला यह कहेंगे तो फिर तो भ्रष्टाचार की खुली छूट है . . .

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तीन साल पहले जब हुआ उसके लिये कहा था. . .

श्री राज बहादुर : अगर मैं गलत समझता हूं तो मुझे खुशी होगी। अगर कमला जी अब भी कह दें तो मुझे खुशी होगी लेकिन मुझे खूब याद है, यही कहा था कि "देने वाला राजी और लेने वाला राजी तो क्या करेगा काजी" इसका मतलब भ्रष्टाचार की खुली छूट हो गई। इससे यही लगता है कि आपने रिजाइन कर दिया है अपने दायित्व से या आपने आत्म समर्पण कर दिया भ्रष्टाचार के सामने। मैं विनती करूंगा फिर से भ्रष्टाचार को खतम करना है तो सच्चा समाजवाद लायें तभी हो सकता है। सच्चे समाजवाद के बिना भ्रष्टाचार खतम करना बड़ा कठिन काम है। यह मौलिक कारण है कि जब तक निजी संपत्ति तब तक सब आदमी decent living, decent standard चाहते हैं decent car और डीसेन्ट बंगला चाहते हैं। यह जरूरी है, हर एक चाहता है, लेकिन कुछ लोगों के पास ताकत है, कुछ शासन में बैठने वाले हैं, एम. पी. और एम. एल. ए. हैं फिर निश्चित है कुछ लोग निर्धन रहेंगे ही। लेकिन शासन और शासक दल का यह कर्त्तव्य है कि भ्रष्टाचार को किसी भी प्रकार प्रोत्साहन न मिले। वह तब हो सकता है जब शासन निष्पक्ष रहे, सेवाओं और सेवकों का, ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का दुरुपयोग न करें। फिर सर्विसेज के प्रति हमारा ट्रीटमेंट क्या हो, पुलिस पर्सनल की ओर क्या हो? यह भी देश के नागरिक हैं। इसलिए नैतिक मूल्यों के बिना पुलिस का शासन नहीं चल सकता। अगर थानेदार का व्यवहार सिपाही से ठीक नहीं है, सिपाही ठीक काम नहीं कर रहा, अगर डी. एस. पी. का व्यवहार थानेदार से ठीक नहीं है, अगर वहां आपाधापी हो रही है, तो शासन कैसे चलेगा? अगर उनको उचित अवसर नहीं मिलते हैं, उन्नति के तो

Page No. 90

90

(श्री राजबहादुर)

उनका नैतिक बल क्या रहेगा ? मैं जानता हूँ. मेरी निगाह में है कि कातिलों से, डाकुओं से मुठभेड़ होती है. किसी और पुलिस कर्मचारी की, किसी छोटे कर्मचारी की, और इनाम किसी दूसरे बड़े अफसर को । मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उस एस.पी. साहब का या आई. जी. पी. साहब का । लेकिन यह निश्चित बात है कि डाकू मारा किसी ने और तमगा मिला किसी को । जब तक यह होगा तब तक काम कैसे चलेगा ? यह बात ऐसे नहीं है जो मेरी ही जानकारी में हो, आप में से भी बहुत जानते हैं. आपकी गरदनें हिल रही हैं. वह इस बात की द्योतक है कि आप मुझसे सहमत हैं । मैं भी मंत्री था, मैं इन्कार नहीं करता । लेकिन मेरा यकीन कीजिये, मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूं, सभापति महोदय । यह फैक्ट है. इसलिये जब तक टोटमेंट ओर पुलिस पर्सनल आई. जी से लेकर एस. पी. तक और एस. पी. से लेकर डी. एस. पी. और थानेदार, थाने के, चौकियों के सिपाहियों और कान्स्टेबल तक ऐसा न हो, जब तक उनको विश्वास न हो कि उनको न्याय मिलेगा तब तक किसी विभाग को आप दोष दें, चाहे सारे पुलिस विभाग के कर्मचारियों को, थानेदारों पर अंकुश लगायें, कोई फायदा नहीं होगा । जो कुछ हो रहा है चाहे बलात्कार की घटनायें हों, चाहे चोरी की घटना हों, कुछ उनकी देखी अनदेखी से हो जाता है, कुछ उनकी लापरवाही से हो जाता है, वह कह देते हैं अरे हम क्या करें, दुनियां में हो रहा है । यह आज कल का वातावरण क्या बन गया है ? हमें सोचना है हम क्या करें ? आज वातावरण जो बन गया है वह तो यह है कि We live for our individual self only. आज केवल हम अपने लिए जिन्दा हैं, हम समाज के लिये जिन्दा नहीं हैं, समाज के मूल्यों के लिए जिन्दा नहीं हैं, समाज के लक्ष्यों के लिए जिन्दा नहीं हैं । इसलिए मुझे वह दिन याद आते हैं आजादी की लड़ाई के समय के जब हमारे सामने उसूल थे और उन उसूलों के लिए हम संघर्ष करते थे लेकिन वह बात पुरानी है । अब तो एक नई नौजवान पीढ़ी आ चुकी है और मेरे और उनके बीच में एक पीढ़ी का गैप हो चुका है । आज मूल्यों और आदर्शों की बात बोलता हूं लेकिन यह उनके लिये पुरानी बात है । मुझे विश्वास है और मेरी इल्तजा है यह प्रार्थना भी है कि जब तक मूल्य वापस नहीं आयेंगे, उनकी आस्था वापस नहीं आयेगी, हम में से किसी को अपने आपको कांग्रेसी कहने कहलाने का अधिकार नहीं है, चाहे आप उधर बैठे हों या हम इधर बैठे हों । इसलिये हमारे मूल्य वापस आने हैं, यही हमारी कल्चर है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है, वह मान्यता, संस्कृति वापस आयेगी, यही आदर्श होगा । आज लोगों की निगाह में, अफसरों की निगाह में हमारी इज्जत नहीं है । माफ करिये, पीठ पीछे वह जो कुछ कहते हैं, आगे कुछ सुनाते हैं । दस्तूर तो यह है कि चपरासी पीठ पीछे जमादार को गाली देता है, जमादार क्लर्क को गाली देता है, क्लर्क असिस्टैन्ट को देता है, असिस्टैन्ट सैक्शन आफिसर को देता है । पीठ पीछे ये जो छोटे कहलाने वाले हैं वह बुराई करते हैं, वही हालत आज हमारी है । और क्या है ?

एक माननीय सदस्य : बड़े सबको देते हैं ।

श्री राजबहादुर : जी मैं यह नहीं कहता कि सब को देता है । पुलिस समाज का

(श्री राजबहादुर)

प्रतिबिम्ब है, पुलिस कितना काम करेगी? कितना समाज पुलिस को करने देगा। अगर कोई पकड़ा जाय रिश्वत में और मैं ही पहुँच जाऊँ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट लूंगा। कोई पहुँच जाय, रिश्वत में पकड़ा हुआ और मेरा वह रिश्तेदार हो, भाई हो, भतीजा हो, तो मैं ही सिफारिश करूंगा कि बद्री प्रसादजी इसको तो छोड़ना ही होगा। अगर यह मेरी अनुचित बात सुन लेंगे तो क्या हाल होगा और कैसे काम चलेगा? इसलिये जिनको पहुँच होगी वही अपना काम करा सकेगा और जिसकी सिफारिश नहीं होगी वह नहीं करा सकेगा। अगर यह न हो तो, मैं यह उदाहरण के लिये कह रहा हूं मैं बद्री प्रसादजी के पास सिफारिश लेकर जाने वाला नहीं हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं न मैं कहने वाला हूं, न आप सुनने वाले हैं। हम दोनों एक ही कल्चर के आदमी हैं इसलिये शायद यह बात नहीं होगी। इसलिए मैं विनती करूंगा कि नया जीवन लाना है नयी क्लाइमेट बनानी है तो बहसा-बहसी में, शोर शराबे से कोई मतलब हल होने वाला नहीं है, किसी तरह का मतलब हासिल होने वाला नहीं है। अगर पुलिस को ठीक करना है तो अपने एटीट्यूड को ठीक करो, अपने आप अपना मूल्यांकन करिये, छिपाइये मत। आपने उस दिन छिपाया, मुझे बड़ा खेद है, कौन मन्त्री थे, मुझे पता नहीं है। खेद है कि 161 के बयान के ऊपर एक बहन के लिए यह कह दिया गया कि इसका संबंध फलाने आदमी से है। अब 161 का बयान तो मामूली वकील भी जानता है कि किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता सिवाय उस विटनैस के Contradict करने के लिए और उस पर दस्तखत भी नहीं होते हैं। जिस आदमी के दस्तखत नहीं हो, उस बयान के ऊपर यह कह दिया जाय कि इसने स्वीकार किया है कि इसका संबंध है। क्या ऐसा कहना उचित है, दूसरे किसी आदमी को और खास तौर से गवर्नमेंट आफ दी डे को। दूसरी तरफ यहां कहते हैं कि पुलिस को बयान दिया है कि उसका संबंध उस बयान से है जिन पर दस्तखत नहीं है। उस बहन के और जो पुलिस अपने आप भी लिख सकती है। वह कह सकती है कि मैंने बयान नहीं दिया था। उस बयान के ऊपर उस बहन की इज्जत पर हमला होता है, मंत्री अरा होता है और किसी तरफ का पश्चाताप नहीं है। भाई 161 का बयान है। वह कहीं पढ़ा ही नहीं जा सकता, कोई वैलीडिटी ही नहीं है उसकी। मैं विनती करूंगा इस बात के लिए जहां तक ये चीजें हैं, इन चीजों की असलियत देखिये। ये मत देखिये कि राजबहादुर कौन है, किस पार्टी का है, देखिये क्या कह रहा है। जब तक हमारी सूरतें देखी जायेंगी जब तक हमारी बात नहीं सुनी जायेगी, जब तक आप खुले मन से सुनेंगे नहीं, तब तक काम नहीं चलेगा। हम एक दूसरे पर भौंकने के लिए, चिल्लाने के लिए, माफ करिये, भौंकना शब्द का गलत इस्तेमाल किया लेकिन फैक्ट तो यह है कि वातावरण ऐसा ही बन जाता है। हमेशा एक दूसरे पर चिल्लाने के लिए नहीं आये है यहां, हम आये हैं बड़ी आशाओं से, जो आशायें संजोई है जनता ने, जिसने हमें वोट दिया है, हमें चुनकर भेजा है। पहले तो जो स्थिति है, उसका मूल्यांकन करिये, फिर अपनी पॉलिसी देखिये, अप्रोच देखिये, अपना एटीट्यूड देखिये, नीति

(श्री राजबहादुर)

देखिये, ट्रीटमेंट ऑफ इण्डिविजुअल and the personal as a whole. देखिये, फिर देखिये आपकी फोर्स की स्ट्रेन्थ क्या है। आपने फोर्स की strength नहीं बढ़ायी है।

इस बजट डिमाण्ड में मेरी आखिरी बात यह है कि आपने पुलिस फोर्स को बढ़ाने के लिये कोई प्रावधान नहीं किया है, आपने कुछ आवास वगैरह दिये हैं, जहां तक मुझे ज्ञान है, अगर मैंने गलत पढ़ा है तो आप मुझे बता दें मुझे खुशी होगी लेकिन जो मैंने कहा है वह फैक्ट है। जब तक आप अपनी पुलिस फोर्स नहीं बढ़ायेंगे तब तक आपका पुलिस शासन सही नहीं हो सकता है।

आप बस सेवाओं को ही लीजिये। लेकिन मुझे एक कर्मचारी ने कहा, ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी ने कि एक बस जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, उसमें 176 आदमी सवार हो गये और किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं। अगर एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? 176 आदमी बस में सवार हो जायें, चारों तरफ आदमी ही आदमी। आप बतायें काम कैसे चलेगा। पर्याप्त पुलिस फोर्स न होने के कारण कोई पूछने वाला नहीं है। लगता ऐसा है कि कोई गवर्नमेंट नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस पर भी मैं तो सुनता हूं कि एक ओर जनता दल दावा करता है कि वह स्वर्ग ले आये और अब आप भी यह दावा कर रहे हैं कि स्वर्ग ला रहे हैं वह स्वर्ग कहां है? यह भगवान को मालूम होगा या जनता को मालूम होगा।

मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शिवदान सिंह। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय मंत्री महोदय क्या फरमा रहे हैं आप?

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सदस्य, जो भरतपुर से आते हैं उनसे मैं यह निवेदन करदूं कि यह बयान मैंने ही दिया है। जैसा मैंने बताया संबंधित महिला की, संबंधित एस. पी. साहब के पास लिखित में दरख्वास्त है और इसी आधार पर ही मैंने बयान दिया था। केवल 161 के आधार पर बयान नहीं दिया था। आप स्वयं....

श्री राजबहादुर : तारीख नहीं होती उसके ऊपर, साइन नहीं होते। 161 के आधार पर कोई बयान नहीं होता।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। श्री शिवदान सिंह।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह साइन्ड है।

श्री राज बहादुर : पुलिस को दी हुई कोई चीज मान्य नहीं है, कानून में।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री शिवदान सिंह।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 16 पर मेरे कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की बात पुलिस विभाग में है। सबसे

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

ज्यादा बदनाम पुलिस विभाग है। पुलिस से जो हम अपेक्षा करते हैं, वह हम मानते हैं कि पुलिस उसको पूरा नहीं कर पा रही है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? इसको समझने की आज तक जो भी सरकारें रहीं, मैं समझता हूं, उस पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया। पुलिस का जो गठन किया गया है वह अंग्रेजों के जमाने में हुआ और अंग्रेजों ने अपने हित की रक्षा करने के लिए पुलिस का गठन किया था। उनको ऐसी पुलिस की आवश्यकता थी कि जो अंग्रेजों की रक्षा करे, आम लोगों को दबाए, उनमें आतंक फैलाए और उनको डराए हुए रखे। इस परपज के लिए जो पुलिस बनाई गई थी, जिस परपज के लिए पुलिस का गठन किया गया था, वह तो पुलिस ने काम पूरा किया था। उसने हमारे स्वतंत्रता सैनानियों पर लाठियें चलाई, उसने उन पर गोलियां चलाई थीं और उसमें देशभक्ति की भावना नाम की कोई चीज पैदा नहीं की गई थी। अंग्रेजों का, तो पुलिस को बनाने का एक ही उद्देश्य था कि किसी तरह से आम लोगों को डराया जाय और उनमें आतंक पैदा करें। इस तरह से उन्होंने पुलिस का उस प्रकार का स्वरूप पैदा किया था इससे लोगों में यह भावना पैदा कर दी गई थी जिससे कि लोग पुलिस से दूर रहने लगे और पुलिस के सिपाही को, थानेदार को देखते ही लोग डरते थे। यह आजादी के पहले की पुलिस का स्वरूप था और जिस विचार से पुलिस का गठन किया गया, जिस इरादे से किया गया था वह पूरा हुआ था लेकिन आजादी के बाद पुलिस का जो कार्य था वह बिलकुल बदल गया था। जो भी सरकार इस बीच में आई, उनमें से किसी ने भी इसके मुतल्लिक गौर से ध्यान नहीं दिया और पुलिस को बदलने के लिए कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। उनकी जो ट्रेनिंग थी वह जनता को डराए हुए रखने की थी। जनता में आतंक बनाए रखे, टेरर पैदा किए हुए रखे लेकिन समय बदलने के बाद आज भी इसी प्रकार का काम करने का तरीका है, वही लहजा है। पुलिस जनता में अच्छी भावना पैदा करने या जनता में पैठ पैदा करने में अक्षम रही है। इसके पीछे जो मेरे मुद्दा है उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आज जो पुलिस है उसको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाय कि पुलिस की जनता में साख पैदा हो। आज अगर कोई आदमी थाने में जाय तो उसके साथ शिष्टाचार का व्यवहार किया जाए। थानेदार उसको अपने पास बिठा कर उसकी दिक्कत को सुने लेकिन इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग पुलिस को नहीं दी जाती। वहां जाते ही पुलिस के द्वारा डराया जाता है, दबाव डाला जाता है, धमकाया जाता है। इस प्रकार के वातावरण को बदलना बहुत जरूरी है। इसके लिए पुलिस की सर्विसेज में सुधार हो और जो नीचे के लेवल का स्टाफ है, उसको पर्याप्त सुविधायें देना बहुत जरूरी है। उसका स्टेण्डर्ड और उसका स्टेटस बढ़ाना बहुत जरूरी है। जो भी सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं वे अनपढ़ लगे हुए हैं। जो पहले से लगे हुए हैं वे ही चल रहे हैं। नये लोग पढ़े लिखे लोग इसमें नहीं आ रहे हैं। आज हालत यह है कि जो थानेदार हैं वे इस तरह से बन गए हैं कि जिस प्रकार पहले जागीरदार लोग आतंक पैदा करते थे, उसी प्रकार से आज पुलिस के लोग, पुलिस के सिपाही गांवों में और गरीब लोगों के अन्दर आतंक पैदा करते हैं, टेरर पैदा करते हैं। इसलिए इसमें पढ़े लिखे लोगों को पुलिस

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

में लेना बहुत जरूरी है। कांस्टेबल की पोस्ट ऐसी है जिसका कि सबसे ज्यादा गांव के लोगों से और गरीब लोगों से वास्ता पड़ता है। कांस्टेबलों में सब अनपढ़ हैं और उनको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है कि वे जनता के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करें, इसलिए उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जावे जिससे लोगों को पता लगे कि पुलिस उनकी भलाई के लिए है। इसके लिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि कांस्टेबलों में अच्छे पढ़े लिखे लोग आएं, तजुर्बेकार लोग आवें तो सबसे पहले कांस्टेबल की पोस्ट को अपग्रेड करना चाहिए। आज कांस्टेबल की जो पोस्ट है वह चपरासी से ज्यादा नहीं है। फोर्थ क्लास का उसका स्टेटस है। चपरासी से मात्र दस रुपया ज्यादा मिलता है जबकि कांस्टेबल को चपरासी के मुकाबले में बहुत ज्यादा हार्ड ड्यूटी है। मेरा निवेदन है कि कांस्टेबल को पोस्ट को एल. डी. सी. के बराबर अपग्रेड किया जावे जिससे अच्छे पढ़े लिखे लोग इसमें आयें। उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाय जिससे लोगों के साथ शिष्ट व्यवहार करें और लोग निर्भय होकर उनके पास जा सकें। आज लोग पुलिस के पास जाते हुए घबराते हैं। इस वातावरण को बदलने की बहुत जरूरत है। इसके साथ ही पुलिस का डिसिप्लिन बदला जावे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो पुलिस का स्टाफ है और उसमें भी जो कांस्टेबल हैं उनको ट्रेनिंग दी जावे, पढ़े-लिखे लोगों को इसमें भर्ती किया जावे और उनका कैडर एल. डी. सी. के बराबर किया जावे। उनका स्टेटस चपरासी से बढ़ा कर एल. डी. सी. के स्टेटस के बराबर किया जाना चाहिये जिससे वह समझदारी के साथ, एफीशियेंटली काम कर सकें और लोगों की उनके प्रति भावना बदले। पुलिस से हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस प्रकार से एक्ट करे कि जो लोग उनके पास पहुंचे, क्योंकि एस. पी. लेवल तक तो लोग पहुंच नहीं सकते और थानेदार भी तथा इन्सपैक्टर भी उनको नहीं मिलते, इसलिए सबसे ज्यादा वास्ता कांस्टेबल के साथ पड़ता है। इसलिए कांस्टेबल का स्टेटस जब तक डवलप नहीं करेंगे और उसके अन्दर अच्छे समझदार, पढ़े-लिखे लोग आना शुरू नहीं होंगे तब तक आप पुलिस से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह लॉ एण्ड आर्डर को मेन्टेन कर सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि कांस्टेबलों की जो स्थिति है, उनकी स्थिति को सुधारा जावे। उनके स्टेटस को बढ़ाया जावे जिससे वे भी समाज में यह समझ सकें कि हम भी इज्जतदार आदमी हैं। उनके अन्दर व्याप्त इन्फीरियोरिटी काम्पलैक्स को हटाया जावे और यह हटेगा तभी अच्छे पढ़े-लिखे लोग इसमें आयेंगे।

(2.43 म. प.)

(श्रीमति लक्ष्मीकुमारी चूंडावत) : सभापति, पीठासीन)

कांस्टेबलों का जो स्वरूप अंग्रेजों के जमाने में बना था और जिस तरह से एक मशीन मैन की तरह से उनसे काम लिया जाता था, आज उनमें इस तरह की भावना पैदा की जाय कि वह अपने दिमाग से काम कर सकें। लेकिन आज भी हालात यही हैं कि उसी तरह से मूछें रखना, उसी तरह से लाठी रखना और मोटे ताजे बन कर लोगों पर दबदबा रखना और इस तरह का स्वरूप बनाना कि उनकी तस्वीर से ही लोगों में भय पैदा होता है। यह बिलकुल बदला जाना चाहिये। पढ़े-लिखे लोग इसमें हों

Page No. 95

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

जिस तरह से इन्श्योरेंस कम्पनी में होते हैं, बीमा विभाग में या रेलवे में हैं। वहां के कर्मचारी और अधिकारी जिस तरह से व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार पुलिस कांस्टेबल का होना चाहिए और यह तभी मुमकिन है जबकि उनको सहूलियतें दी जायें, उनके स्टेटस को बढ़ाया जावे और पढ़े-लिखे लोगों को वहां जगह दी जाये।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस कर्मचारियों के, जो डिसिप्लीन रूल्स हैं, वे ही सी. सी. ए. रूल्स हैं। जो रूल्स पटवारियों के लिए हैं, वे ही रूल्स एल. डी. सीज. के लिए हैं, वे ही रूल्स चपरासियों के लिए हैं और वे ही रूल्स मास्टरों के लिए हैं। तो हम जो पटवारियों से, मास्टरों से और दूसरे कर्मचारी वर्ग से डिसिप्लीन की उम्मीद करते हैं, पुलिस के कर्मचारियों से उसी तरह से डिसिप्लीन की कैसे उम्मीद कर सकते हैं जबकि वे भी उसी लॉ से गाइड होते हैं। जैसे दूसरे महकमों में डिसिप्लीन है वैसे ही पुलिस में भी डिसिप्लीन होगा। उनमें भी डिसिप्लीन बिगड़ा हुआ है, वैसे तो सभी जगह पर बिगड़ा हुआ है लेकिन पुलिस का नाम बदनाम ज्यादा है। उसका कारण यह है कि भ्रष्टाचार में ज्यादा लिप्त हैं, और जगहों पर भी है लेकिन पुलिस के कामों से लोगों की इज्जत पर असर पड़ता है। लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए लोग ज्यादा आतंकित होते हैं और पुलिस की बदनामी होती है। अगर पुलिस के अन्दर आपको डिसिप्लिन चाहिये तो पुलिस के लिए सर्विस रूल्स भी अलग से बनाने होंगे। जो मास्टरों के लिए, चपरासियों के लिए, एल. डी. सीज. के लिये, यू. डी. सीज. के लिये जो रूल्स लागू हैं, उनको बदल कर आप पुलिस कर्मचारियों के लिए दूसरे ढंग से रूल्स बनायें, तभी हम उनसे डिसिप्लीन की उम्मीद कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। पुलिस में ये ही सर्विस रूल्स लागू हैं लेकिन पुलिस कर्मचारियों की मांगों को सुनने के लिए कोई भी सरकार तैयार नहीं है। दूसरे कर्मचारियों के लिए आन्दोलन करने के रास्ते खुले हैं। वे तो अपना आन्दोलन करके शर्तें मनवा सकते हैं लेकिन पुलिस के कर्मचारियों के पास वर्षों से कोई रास्ता नहीं है कि वे अपनी मांगों को मनवा सकें और उनकी मांगों की ओर सरकार की तरफ से कभी ध्यान दिया नहीं गया जिसका नतीजा यह हुआ कि हड़ताल हुई। हड़ताल होने के बाद आखिर अभी तक जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने सोचा नहीं कि वह हड़ताल क्यों हुई? उनकी जड़ों तक जाने की किसी सरकार ने कोशिश नहीं की और जब तक जड़ों तक जाने की कोशिश नहीं करेंगे इस प्रकार की समस्या फिर आ सकती है कि पुलिस कर्मचारियों को हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़े। उनके पास दूसरी तरह से अपनी मांगों को मनवाने का कोई रास्ता खुला नहीं है और न सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे रही है। जिस प्रकार मिलिट्री का संगठन है। मिलिट्री के अधिकारी इतने सक्षम हैं कि उनकी मांगों को पूरा करा सकते हैं। पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आई. जी., एस. पी. वगैरह, उनके मातहत जो कर्मचारी हैं और उनकी जो रीजनेबल मांगें हैं उनको भी पूरा करने का अधिकार उनके पास नहीं है और सरकार उनकी बात सुनती नहीं है। आज आई. जी. पुलिस हैं लेकिन उनके ऊपर भी आई. ए. एस. अधिकारी बिठा दिये

(श्री शिवचरनसिंह राठौड़)

है। ये आई. ए. एस. अधिकारी इस कोशिश में रहते हैं कि पुलिस को जितना दबाया जा सके दबाया जावे। चीफ मिनिस्टर को सीधे आई. जी. और एस. पी. से सम्पर्क रखना चाहिए लेकिन वह हड़ताल हुई, अभी लॉ एण्ड आर्डर की इतनी खराब पोजीशन चल रही है लेकिन मैं समझता हूं कि आज भी सरकार एस. पी. को बुला कर नहीं पूछती। लॉ एण्ड आर्डर की दिक्कत होती है तो उस जिले का अधिकारी एस. पी. उसके लिए जिम्मेदार होता है, यह सबको मालूम है लेकिन विचार-विमर्श किससे होता है? कलेक्टर को या कमिश्नर को बुला कर उनसे बात की जाती है जिनका कि उन समस्याओं से कोई टच नहीं है। डायरेक्ट टच है तो वह आई. जी. और एस. पी. का है लेकिन उनको कोन्फीडेंस में लेने की कोशिश नहीं की गई। मेरी यह मांग होगी कि यह जो होम कमिश्नर की पोस्ट है इसको हटाया जावे और आई. जी. लेवल पर यह कार्य दिया जावे। पुलिस की जो मांगें हैं, जो पेड कर्मचारियों की मांगें हैं उनको पूरा करने का आई. जी. और एस. पी. को अधिकार दिया जाना चाहिये जिससे वे उनकी जिनाइन समस्याओं को पूरा कर सकें। जिस प्रकार से मिलिट्री में उनके अधिकारी करते हैं। मिलिट्री जैसा आप पुलिस का डिसिप्लीन चाहते हैं, उनसे ज्यादा उम्मीद करते हैं तो उनको इस प्रकार के अधिकार और सहूलियतें दी जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ यह भी होना चाहिए कि अगर कोई चूकते हैं या उनका गलत एक्ट होता है तो उनके खिलाफ बहुत ही सीरियस एक्शन लेने का अधिकार आई. जी. और एस. पी. को होना चाहिए। लेकिन आज उनको कोई अधिकार नहीं है। आज एक एस पी. अपने जिले के अन्दर जो एस. एच. ओ. जिले में लगाया हुआ है उसको यकायक ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक कि डी.आई.जी. और आई.जी. परमिशन नहीं दे दे। इससे होता क्या है कि डिसिप्लेन बिगड़ता है। मेरा निवेदन है कि आई. जी. और एस. पी. को एक्शन लेने की ज्यादा पावर दी जानी चाहिएं। यदि गलती करते हैं तो उनके खिलाफ सीरियस एक्शन लिया जाना चाहिए और यहां तक कि उनको टर्मिनेट करने का अधिकार हो, इतनी पावर उनको दें। आज उनको ट्रांसफर करने तक की पावर नहीं है और फिर हम चाहते हैं कि डिसिप्लेन रहे। एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा जावे, यह हम उनसे तभी उम्मीद कर सकते हैं जब कि पुलिस के पावर्स आई. जी. और एस. पी. को दिए जावें। उसके बदले में आज आई. ए. एस. लाबी बन गई है जिस तरह से ये आई. ए. एस. जागीरदार बन गए हैं और सारे एडमिनिस्ट्रेशन को आई. ए. एस. लोबी में कन्वर्ट कर दिया है कि उन्होंने पुलिस को इतना दबाया है आजादी आने के बाद में कि पुलिस अधिकारी कोई डिसीजन नहीं ले सकता। आई. जी. और एस. पी. कोई डिसीजन नहीं ले सकते जब तक कि उनसे नहीं पूछ लें मेरा निवेदन होगा कि उनको अधिकार ज्यादा दिए जावें और इसके साथ जो भी जिले में गड़बड़ी हो जावे उसके लिए एस. पी. को जिम्मेदार ठहराया जावे। जैसे बलात्कार के मामले आए दिन इस सदन में सुनाते हैं। शिड्यूल्ड कास्टस के लोगों के साथ होता है, उसमें एस. पी. को पर्सनल रेसपान्सिबल किया जाये। वह खुद मौके पर जाकर देखें और जुर्म करने वाले को सख्त सजा मिल जायें। क्योंकि उसको सख्त सजा मिलती है, उसके कुछ कारण हैं।

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की स्वतन्त्रता ठीक नहीं है। आज डकैती के केस हैं, चोरी के केस है, उसमें मुजरिम को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या तफतीश एकाएक हो सकती है, उसमें टाइम लग सकता है और रिमान्ड चाहिए। पूरा रिमान्ड मिलता नहीं है। 10-5 दिन का मिलता है। उतने समय में मिलता नहीं है और सही तफतीश नहीं हो पाती है। मैं समझता हूं ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। उसके लिये एन्टीसिपेटरी बेल न हो। डकैती, चोरी, बलात्कार इसमें एन्टीसिपेटरी बेल नहीं होनी चाहिये। इससे क्या होता है, मुजरिम आज पकड़ा गया, परसों छूटकर आता है और उसी कोर्ट में थानेदार पर दूसरा मुकदमा दायर कर देता है और थानेदार रोता फिरता है। होता क्या है, पुलिस जो एक्शन लेना चाहती है वह नहीं ले पाती है। मेरा निवेदन है कि कम से कम जब तक चश्मदीद गवाह पूरे नहीं हो जायें, तबतक एन्टीसीपेटरी बेल नहीं ली जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदया, कानून की जो हालत पिछले कुछ वर्षों से लगातार बिगड़ती जा रही है, उस पर देश के प्रत्येक नागरिक को दुःख है। हर व्यक्ति यह सोचता है कि उसको सरकार इस बात से आश्वस्त करे कि हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, हमारी इज्जत सुरक्षित रहेगी, हमारी सम्पति सुरक्षित रहेगी, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था किसी भी सरकार का सबसे पहला कर्त्तव्य है। यदि माना जाये कि वह उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकती, अन्य बाकी सारी चीजें गौण हैं, अगर नागरिक जीवन की सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है तो यह सब विकास उसके पीछे हैं। लेकिन मैं तो सारे राजस्थान की बात बोलने की स्थिति में नहीं हूं। मैं केवल अपने जिले की बात, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

यह जो आपने हमको एक रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट में जो आंकड़े आपने उदयपुर जिले के दिये हैं, 1971 में 5107 मुकदमे दर्ज हुए। 1979 में इनकी संख्या घटी है। 4985 इसमें 78 के दिये हैं और इसके बाद 79 में 3876 मुकदमे दर्ज हुए। अभी केवल 6 महीने गुजरे हैं उनमें 2051 मुकदमें दर्ज हुए हैं। यह आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि जिस गति से अपराध बढ़ रहे हैं, वह आपकी काबलियत का सबूत है, या आपकी अनएफिशियेन्सी का सबूत है, यह तो आपको स्वयं को विचार करना चाहिये। इसी तरह से, श्रीमन, मैं आपके सामने इस सरकार की एक और तस्वीर उसके द्वारा दिये गये आंकड़ों से पेश कर रहा हूं। यहां तो जनता पार्टी को साम्प्रदायिक तनाव के नाम से आप बहुत बदनाम करते हैं। साम्प्रदायिक तनाव आपके राज में ज्यादा है। पहले जो था और आज जो है यह आंकड़े बतायेंगे। आपके राज में साम्प्रदायिक दंगे कराये जाते हैं। राजनैतिक स्वार्थ देखकर और इन राजनैतिक दंगों के पीछे अपना हाथ रखकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। यह सारे आंकड़े बताते हैं। 1975 में साम्प्रदायिक तनाव के 31 मामले दर्ज हुए और इसके पश्चात् सन् 1978 में यह दोनों में मिलाकर 57, 1979 में यह 49

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आज केवल 6 महीनों के कार्यकाल में, शर्म आनी चाहिये, आपके दंगे 89 हुए। किस आधार पर आप कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं? मैं कहता हूं कि अल्पसंख्यकों की सबसे ज्यादा जो दुश्मन है, वह यह सरकार है। इस छोटे-से कार्यकाल में 89 मुकदमे इस तरह के कार्यों के दर्ज हुए। यह सरकार की असफलता का एक बड़ा परिणाम है।

सभापति महोदया, यही नहीं, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि जनवरी, 80 से जून की आखिरी तारीख तक उदयपुर जिले में कितनी चोरियां हुई? मेरे प्रश्न के जवाब में जो उत्तर आया, वह बिल्कुल शत-प्रतिशत सही होगा, मेरा ऐसा अनुमान है। उसमें आया है, 500 चोरियां हुई हैं उदयपुर जिले में। 46 थानों में जो मुकदमे दर्ज हुए चोरी के, वह 500 थे। उसमें 195 मुकदमों के चालान हो सके अथवा उनका पता लगाया जा सका। इन सब थानों के मैं आंकड़े देखता हूं तो मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। 50,000 की चोरी साबित नहीं होती है लेकिन 300 की चोरी का जरूर पता लग जाता है। इनमें जो अधिकांश केसेज साबित हुए हैं, वह यह बात बताते हैं कि छोटी चोरियां साबित हो गयीं, लेकिन बड़ी चोरियां साबित नहीं हुई हैं। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि उसके साथ पुलिस की मिलीभगत होनी चाहिये। आखिर क्या कारण है कि बड़ी चोरियां नहीं पकड़ी जाती हैं, और छोटी चोरी पकड़ कर और केसेज की संख्या बढ़ाकर अगर सरकार यह समझती है कि बहुत अच्छा काम, बड़ा काम कर लिया, तो आपको सौ-सौ बार मुबारकबाद है, अन्यथा होना तो यह चाहिये कि जो पुलिस ऑफिसर बड़ी चोरी पकड़े, उसको वास्तव में विशेष रूप से इनाम मिलना चाहिये, उस व्यक्ति को आर्थिक मदद मिलनी चाहिये। जिसके कारण वह विचार कर सके कि शायद जो कुछ मैंने किया वह सही किया। उसके पश्चात् यह तो मेरे प्रश्न के जवाब में है। मैंने फिगर्स बताये हैं, कम से कम 44 लाख की चोरी हुई है, उदयपुर में, पिछले 6 महीनों में और आपने बरामद कितनी की है, 15 लाख की। यही नहीं, श्रीमान्, इसके बाद की घटना और इस प्रश्न के बाद की घटनायें कितनी हैं? उदयपुर जैसे शहर में सड़क पर महिला को चाकू दिखा कर उसके शरीर पर चाकू के घाव करके उसकी चेन तोड़ दी गई, कानों के तोड़ लिये गये और नाक में उसकी नथ थी, वह निकाल ली गई। यह पुलिस और यह वहीं बापू बाजार, जो हमारे थाने से लगभग लगा हुआ है, वहां पहरा देते हैं, रात भर गश्त चलती है। किसी गांव में चोरी होती तो फिर भी समझ में आता है कि पुलिस की संख्या वहां कम होगी। उदयपुर जैसे शहर में, जहां टुकड़ियां घूमती हैं, गश्त लगती है, बापू बाजार में रात को चोरी हुई और वह भी कैसे? पीछे से सेंध लगाकर, दीवार को तोड़कर चोरी की और चोर कपड़ा चुराकर ले गये, कोई ऐसी चीज नहीं थी, जो कि जेब में रखकर ले जायें। पुलिस के सामने कपड़े चुराकर चोर भाग जाये और उसका पता नहीं लगे। चोरियों का तांता लग गया, मेरे उदयपुर में पिछले कुछ समय से। इस जुलाई के महीने की मेरे पास कुछ कटिंग्स हैं, लेकिन उदयपुर में चोरियों का जोर हो रहा है। ऐसी कई घटनायें एक के बाद एक लगातार होती जा रही हैं। यह इस बात को साबित करती है

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कि चोरियों की दृष्टि से भी यह सरकार असफल सिद्ध हुई है। बलात्कार मैंने अपने जिले के लिये इसलिए नहीं रखा, मैं अपने मन में इतना दुखी हो गया कि इन घटनाओं को रोज सवेरे-सवेरे रख कर क्या करें ? मेरे यहां पर तारीख बाई तारीख चल रहे हैं। मैंने जो घटनायें हुई हैं, उनका जिक्र भी नहीं किया। मैंने सोचा इसे मांग के दिन रखूंगा। इस जुलाई के महीने की घटना है, और राजनैतिक हस्तक्षेप, बड़ा दुःख है इस बात का, ऐसे जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को छुड़ाने वाले लोग पहुंच जायें, यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है।

मैंने कुम्भलगढ़ के भूतपूर्व विधायक हैं उनको चिट्ठी लिखी है, लिखा है, चारभुजा गणगौर में जो बलात्कार कांड हुआ, उसमें किन-किन अभियुक्तों को पकड़ा गया, आप पुलिस से पूछें, कोई भी नहीं पकड़ा गया उसमें उन्होंने नाम लिखे हैं कि किन लोगों की शरण के कारण ? मैं आपको इस चिट्ठी का हाल सुनाता हूं, क्या हमारी स्थिति होती जा रही है। 'सरपंच श्री गिरधारीलाल गुर्जर और केसरीमल मेहता, भूतपूर्व प्रधान ने रुपये वसूल किये यह कहकर कि पुलिस में केस दर्ज नहीं होगा। ऐसे आपके कार्यकर्ताओं की स्थिति है। यही नहीं, इसके बाद यह तो 8-9 जुलाई की घटना है, इसके बाद कुम्भलगढ़ गांव के पास घटना हुई, 21 जुलाई के दिन एक स्त्री से 4 व्यक्तियों ने बलात्कार कर उसके टुकड़े-टुकड़े करके, उसने जो गहने पहने हुए थे वह भी लेकर चले गये लाश को एक नदी के अन्दर दफना दिया और कुत्तों ने उसको खींचकर निकाला।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो मेरी बात शुरू हुई है।

श्री सभापति : दस मिनट हो गये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 10 मिनट नहीं हुए हैं, सभापति महोदया, हमारे साथ भी न्याय करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने आपको टाइम दिया, 2.40 पर आपने शुरू किया अब 3 बजे हैं, 20 मिनट हो गये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसी तरह की दूसरी घटना 25 तारीख को हुई है। केवल उदयपुर की घटनायें मैं आपको बता रहा हूं। दुर्भाग्य तो हमारा यह है कि इनमें पुलिस कर्मचारी भी शामिल होते हैं। एक कांस्टेबल नारायण सिंह अपनी वर्दी पहन कर रात को दो बजे जाता है और जहां आदिवासियों की लड़कियां मजदूरी के नाते एक मकान में रह रही थीं में पुलिस कांस्टेबल और पास के होटल का पप्पू नाम का लड़का उस मकान पर गया और मालिक को पीट कर भगा दिया दो लड़कियों को एक कांस्टेबल ले गया और दूसरी को पप्पू ले गया। ऐसे पुलिस के अधिकारी हैं। वर्दी किस लिए दी गई है उनको ? ऐसी एक नहीं मेरे पास अनेक घटनायें हैं उदयपुर की, अब मैं आपको एक और घटना बताऊं "चाकू की नोक पर बलात्कार" एक महिला गायें चरा रही थी। उससे एक युवक ने चाकू की नोक पर बलात्कार किया। उदयपुर बाजार में मोती चौक, जहां हजारों लोग आते-जाते हैं, मैं जीप में गुजरात की कुछ महिलायें सामान खरीद रही थीं उनके साथ भयंकर छेड़खानी की गई। उनको जब पकड़ने का प्रयत्न किया गया तो पुलिस थाने के सामने से होकर चले गये। यह स्थिति

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हैं बलात्कार के बारे में। एक्सीडेंट का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। एक्सीडेण्ट के मामले तो ढेर सारे मामले हैं। इन दो-तीन महीनों में। शहरों के बीच में एक टैम्पो पर चढ़ जाते हैं। अब मैं एक्सीडेंट की घटनाओं की तरफ आपका ध्यान बड़ी विनम्रतापूर्वक···

श्री सभापति : समय का भी ख्याल रखें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कोठारिया में एक मर्डर केस हुआ था केसर बाई नव विवाहिता बालिका का। बच्चा बच्चा कहता है उसकी हत्या की गई। उस केस को पुलिस और डॉक्टर ने पैसे खाकर दबाया। सी. आई. डी. से जांच की मांग की गई। पूरे तथ्य लाकर रखूं तो आपके मन में शंका नहीं रहेगी। उस व्यक्ति को समाज से निष्कासित कर दिया था। पिछली 20 जुलाई को समाज की मीटिंग हुई, जिसमें समाज के दो हजार लोग आये। उस आदमी ने भरे समाज में अपनी गलती स्वीकार की। 1.11 लाख रुपये दण्ड के रूप में दिये और सारे जेवर दिये। क्या ये तथ्य इस बात को प्रमाणित नहीं करते कि यह हत्या की गई और पुलिस अधिकारियों और डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट देकर हत्यारे को बचाया। आप इसकी जांच करें और हत्यारे से ज्यादा उस पुलिस अधिकारी को दण्ड दें जिसने पैसा खाकर किसी को बर्बाद किया।

श्रीमान्, यही नहीं, मुझे इस बात का दुःख है कि आज लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। यह इसलिये बिगड़ती जाती है कि थाने नीलाम होते हैं। कौनसे थाने में कौन रहेगा थानेदार, इसकी बोलियां लगती हैं, उसके आधार पर व्यक्ति तय होते हैं। इसलिये मेरी आपको यही राय है कि थानेदार चाहे कितना ही योग्य हो वह दो साल बाद एक थाने में न रहे इसी तरह कांस्टेबल्स को भी चेंज करें दूसरे लोगों को भी चेंज करे जिसके कारण गुण्डा एलीमेंट से उनका संबंध स्थापित न हो जाय। उदयपुर में भी स्थिति है उसमें सबसे बड़ा कारण यही है। जब पुलिस की हड़ताल हुई उस समय लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति ज्यादा अच्छी थी लेकिन दुःख तो इस बात का है कि हमारे खाद्य मंत्री के पुत्र के नाम वारण्ट था क्योंकि उन्होंने वी.सी. के लड़के को घेर जाकर पीटा, वी. सी. के घर पर आक्रमण किया। उसका केस दर्ज हुआ। दुर्भाग्य से उसकी गिरफ्तारी का वारण्ट निकला। ये पेशी पर गये नहीं थे और खाद्य मंत्री के पुत्र के नाम जारी वारण्ट की तामीली में प्रताप नगर के थानेदार कन्हैयालाल नायक लाइन हाजिर हो गये। अगर हम ही पुलिस को डिमोरेलाइज करें, अगर हम अपने लड़के के कारण पुलिस की इस तरह से दुर्गति करें तो शायद हम कभी भी लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति को ठीक नहीं कर सकेंगे।

श्रीमान्, यही बात नहीं, इसके साथ-साथ बता रहा हूं कि किस तरह के हमारे पुलिस कमाण्डर हैं। पुलिस कमाण्डर सोनी, जिसने एक छोटे से फोटोग्राफर से अपने यहां किसी परेड के फोटो खिंचवाये थे फोटो का पैसा लेने जब गया तो उसको डराया धमकाया गया कि हमसे पैसा मांगते हो? उसको जो शब्द कहे, स्वयं एक पत्रकार ने जाकर इण्टरव्यू लिया, आदमी से कबूतर बना दूंगा, अगर पुलिस कमाण्डर ये शब्द कह कर एक नागरिक को, साधारण व्यापारी को भय-

(श्री गुलाबचन्द कटोरिया)

मीत करना चाहे तो हमारे यहां लॉ एंड आर्डर की क्या स्थिति हो सकती है, इससे क्या स्थिति में सुधार हो सकता है ? मेरी आपसे एक ही विनम्र प्रार्थना है कि अगर वास्तव में आप लॉ एंड आर्डर को ठीक करना चाहते हैं तो यह राजनैतिक दखलंदाजी बन्द करें। आप इतना मत खड़खड़ाइये कि फलां को छोड़ दो, फलां की जमानत ले लो, फलां का यह कर दो। जितने फोन होते हैं अगर उनका टेलीफोन एक्सचेंज पर हिसाब रखा जाय तो मेरी ऐसी मान्यता है कि छोटे-मोटे, ऐरे गैरे नत्थू खैरे गली के नेता भी दिन में दस बार फोन करते हैं और कहते हैं कि इसका चालान करो, उसका मत करो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरी एक और गुजारिश है आपसे, मैं यह चाहता हूं कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में अगर सबसे खराब हालत किसी की है तो वह हमारे सिपाही की है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की हालत सुधरे जो वास्तव में 24 घंटे की नौकरी देता है उसको आप यदि अधिक पैसे बढ़ा सकें तो मुबारक, लेकिन अगर आप नहीं बढ़ा सकें तो कम से कम ऐसा तो करिये कि पुलिस कांस्टेबल के लड़कों की पढ़ाई का पैसा तय कर दें। प्राइमरी स्कूल तक 10 रुपये, मिडिल में है तो 20 रुपये, सैकण्डरी में है तो 30 रुपये और कॉलेज में पढ़ता है तो 50 रुपये एक्स्ट्रा कर दें तो उसके मन में यह भावना तो न रहे कि वह स्वयं सिपाही के रूप में पैदा हुआ और उसकी औलाद भी सिपाही रहेगी, और उसके साथ अन्याय नहीं होगा।

मैं सरकार से बार बार आग्रह करता हूं कि यह जो कोठारिया वाला मर्डर हुआ है इसकी ठीक प्रकार से इन्क्वायरी करवायें और दोषी को निश्चित रूप से सज़ा दें। सरकार लॉ एंड आर्डर को ठीक करने के सभी प्रयत्न करें। ऐसी घटनाएं जिनको कहना नहीं चाहता, उदयपुर में हुई है जो गुजरात की महिलाएं हमारे यहां आकर होटलों में ठहरती हैं दारू पीए हुए लोग, विशेषकर हमारे विद्यार्थी सिनेमा से निकल कर उनके कमरों में घुस जाते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं वह शर्मिंदा होकर प्रातःकाल बस में बैठ कर चली जाती हैं।

श्री नानालाल: यह कोठारे वाला मर्डर कब हुआ था ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया: यह हुआ आपके राज के जाते जाते।

श्री नानालाल: यह तो आपके राज में ही हो गया था।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: यह श्रीमान् आपको याद नहीं होगा 185 की यह घटना हुई और उसके पश्चात् हमारे टाइम में इसकी जांच हुई। लेकिन अब तो तथ्य बिल्कुल सामने आ गये। उसने समाज के सामने कबूल किया है कि दोषी हूं और उस पर 1 लाख 11 हजार का जुर्माना हुआ जो उसने स्वीकार किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। श्री माणक मल मेहता।

श्री माणक मल मेहता (पाली): सभापति महोदया, मैंने अपने कटौती प्रस्ताव पुलिस की डिमाण्डस पर दिये हैं। मैं आपसे

(श्री माणकमल मेहता)

और आपके माध्यम से शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान समाज में जिस देश में हम रह रहे हैं, उस देश में पुलिस की संरचना किस प्रकार की हो उस पर हमें बहुत ही गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिये। किसी भी कल्याणकारी राज्य में जहां समाजवादी समाज की रचना करने की बात हम सोच रहे हैं तो हमारे लिये परिस्थितियों की तरफ देखते हुए यह बहुत गंभीरतापूर्वक सोचने की बात हो जाती है इसलिये कि किसी भी राज्य के लिये प्रथम चीज जो वहां की जनता को देनी है वह सुरक्षा है। जब तक मनुष्य के मन में, नागरिक के मन में सुरक्षा की भावना व्याप्त नहीं होगी तब तक वह किसी भी काम को स्वच्छंदतापूर्वक ही नहीं, खुले दिमाग से भी नहीं कर सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं समझता हूं इस सदन के अधिकांश माननीय सदस्य भी मेरी इस भावना के हैं। इसी के अनुरूप उनकी भावना भी होगी कि किसी भी स्वतन्त्र देश में सुरक्षा की भावना वहां के नागरिकों में रहे, यह बहुत बड़ी चीज है। यह भावना रहती है तो यह वहां के शासन की बहुत बड़ी उपलब्धि है।

हम बार बार इस हाउस में और इसके बाहर, पत्रों में, समाचार-पत्रों में भांति-भांति की क्राइम्स की घटनायें सुनते हैं उनके प्रिवेंशन के लिये, उनको रोकने के लिये जो मशीनरी है, वह पुलिस की मशीनरी है। तो हमें विशेष रूप से इस बात को देखना चाहिये कि जो मशीनरी है वह सक्षम है या नहीं और उसके ऊपर लोगों की, जनता की, हमारे नागरिकों की निष्ठा है या नहीं, यह बहुत जरूरी है। यह बहुत आवश्यक वस्तु है, आवश्यक चीज है। हमारा पुलिस विभाग जो आज हमारे सामने है, वह 1861 के पुलिस एक्ट के अन्तर्गत है जो कि कोलोनियल राज्य ब्रिटिश राज्य द्वारा बनाया गया था। यह ब्रिटिश राज्य एक कोलोनियल के रूप में हमारे यहां पर विद्यमान था। हमारा देश उस रूप में था और उन्हीं परम्पराओं के आधार पर हमारा पुलिस एक्ट बना है। उस पुलिस एक्ट में कोई विशेष अमेन्डमेंट नहीं किया गया है। वही परम्परा, परिपाटी और वही धाराएं आज तक चली आ रही हैं। उसके ऊपर सोचा नहीं गया है, उसका विवेचन नहीं किया गया है, विचार नहीं किया गया है। जो उस दिन की बात थी, वह डिफरेन्ट बात थी। वे हमारे देश पर राज्य करने की भावना को लेकर आये थे। किसी तरह से डंडे बरसा कर, हमारे यहां के लोगों को डरा धमका कर, उनको जेलों में भेज कर उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगा कर, किसी तरह से वे अपना राज्य कायम करना चाहते थे। लेकिन उसके बाद 15 अगस्त, 1947 को इस देश में आजादी की सूर्य किरण आई और एक नया प्रकाश आया। उसके बाद यह पहला कर्तव्य उस शासन का हो जाता था, कांग्रेस का शासन आया, उसके अन्दर पूर्णतया आमूलचूल परिवर्तन किया जाता। लेकिन वह परिवर्तन नहीं किया गया। जिस रूप में वह पुलिस एक्ट था, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड था, क्रिमिनल कोड था, वही रहा। उसकी कुछ धाराओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ—कुछ कमीशन बैठे थे उनकी रिकमण्डेशन के आधार पर कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया। सारे देश की स्थिति को देखकर किस प्रकार की चीज सही हो सकती है, पुलिस का क्या रुख होना चाहिये, इस बात को नहीं किया

Page No. 103

(103)

(श्री माणकमल मेहता)

गया। वैसे भारतवर्ष में कौटिल्य के समय से, मनु के समय से यह चीज चली आ रही है कि किसी भी राज्य का आधार उसके शासन में वहां की जनता की सुरक्षा है। पुलिस हमेशा से, भारतवर्ष का इतिहास बताता है, विद्यमान रही है। लेकिन आज हम पुलिस की अकर्मण्यता को देखते हैं, पुलिस में भ्रष्टाचार को देखते हैं, पुलिस में अवसर अयोग्यता देखते हैं। वे क्राइम को नहीं रोक पाते हैं। क्राइम के इन्वेस्टीगेशन को पूरी तरह से ठीक तरह से नहीं चला पाते हैं। ऐसी कई कमियां हैं जिनको दूर करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी देश वहां के राजनेता, जो पोलिटिकल पार्टीज के हैं, देते उनके नेता जो कुछ या जिस तरह से आदर्श रखते हैं, उस आदर्श के अनुरूप वहां की जनता चलती है। जब पुलिस के महकमे, जिसको कानून के हिसाब से बहुत सारी पावर्स हैं, के एस. आई. पुलिस कान्सटेबल को, सीनियर आफिसर्स को यह पावर्स मिल जाती हैं तो वह उसका दुरुपयोग करते हैं इसमें कोई नयी बात नहीं है। क्योंकि हम यह देखते हैं कि इस देश में आजादी के बाद, जैसा कि अभी राजबहादुरजी ने कहा, यह बात निश्चित रूप से सही है कि हमारे पोलिटिशियन का डिजनरेशन हो गया है। आजादी के बाद यह डिजनरेशन हुआ है। यहां तक हो गया है कि हम पहले पार्टी की बात करते हैं और पार्टी के सामने देश को गौण मान कर चलते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज पुलिस की सर्विसेज में, विशेष रूप से समय कम है इसलिये ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, पुलिस में क्या नहीं होना चाहिये और क्या पुलिस एक्ट में अमेन्डमेन्ट होने चाहिये, सुधार होने चाहिये जिससे हमारे देश के नागरिकों की निष्ठा पुलिस के प्रति बढ़े, इसके लिये निवेदन करना चाहता हूं। इसके लिए पहला निवेदन मेरा यह है कि पुलिस सर्विसेज का रिक्रूटमेंट ज्युडिशियरी की तरह से होना चाहिये। इसको आप केवल आई. जी. पी. के ऊपर ही न छोड़ दें। जिसको चाहे उसको वह इन्सपेक्टर सेलेक्ट कर लें और कोन्सटेबल का सलेक्शन एस. पी. कर लें, यह नहीं होना चाहिये। बल्कि इसके लिए नैतिकता के आधार पर सबसे पहले यह होना चाहिये कि पुलिस में सबसे ज्यादा, हमेशा, आम तौर से विशेष रूप से यह शिकायतें आती हैं कि पुलिस के अधिकारी भ्रष्ट हैं और वे इसलिए हैं कि जिस वक्त उनका सलेक्शन होता है, जुडिशियरी में जो आफिसर जाते हैं उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप कम होते हैं किन्तु एक्जीक्यूटिव साइड में और पुलिस विभाग में जो जाते हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं और निश्चित रूप से उन आरोपों में से अधिकांश सही होते हैं। इसके लिये उनका कोई दोष नहीं है क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति, जिसका कि करेक्टर ठीक नहीं रहा है उसका आप आरम्भ में सलेक्शन कर लेते हैं। जिस पद पर वह चला जाता है वहां रुपये की खनखनाहट उसको नजर आती है। एक छोटा क्राइम होता है और पार्टी मैं किसी सब इन्सपेक्टर के पास जाती है। उससे अगर वह यह कहे कि आप इस आदमी को पकड़ो, उस पर इस क्राइम का झूठा केस बना दीजिये, वह दस हजार रुपये देगा। तो उस समय रुपये की खनखनाहट से एक साधारण आदमी को प्रलोभन हो जाता है

(श्री माणक मल मेहता)

और उससे बच सकना संभव नहीं होता। इसलिये निश्चित रूप से यह एक करेक्टर का पॉइन्ट है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि करेक्टर का होना बहुत आवश्यक है। यह करेक्टर तभी होगा जब सलेक्शन सही होगा। इसके लिये ऐसी कमेटी बनानी चाहिये जो कमेटी सलेक्ट करे, वह यह देखे कि कौन सही है? हो सकता है कि सबको देख कर फर्क नहीं किया जा सकता है। परन्तु उनमें से दस व्यक्तियों को वह कमेटी सलेक्ट करे, 100 कान्सटेबल को सलेक्ट करें और दस में से 8 आदमी ही सही निकल जाते हैं, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता है, योग्य होते हैं और आगे जाकर वे आनेस्ट लाइफ लीड करते हैं, तो उनसे इस देश का कल्याण हो सकता है।

एक दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज का जो सिपाही है वह डिस्कन्टेंड है। उनको किसी प्रकार की सुविधायें नहीं दी गई हैं। उनको आज सुविधाएं देना आवश्यक है। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। सिपाही पढ़ा लिखा नहीं होता है। आप मैट्रिक पास को सिपाही बना देते हैं, नान मैट्रिक को सिपाही बना देते हैं। इस संबंध में मैं इंग्लैण्ड की पुलिस का उदाहरण देना चाहता हूं। दुनिया भर की पुलिस में इंग्लेण्ड की पुलिस सबसे ज्यादा योग्य है। वहां पर ऑफिसर ज्यादा हैं और सिपाही कम है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच, चार मिनट और समय दें।

श्री सभापति : दस मिनट आप ले चुके हैं। एक-दो मिनट में समाप्त करें।

श्री माणकमल मेहता : मैं इस संबंध में ज्यादा निवेदन करना चाहता था। समय की कमी है तो ज्यादा नहीं कहूंगा।

सभापति महोदया, पुलिस कर्मचारियों के लिये आवास सुविधा होनी चाहिये। सलेक्शन में क्वालिफाइड आदमी सलेक्ट किये जाएं। कान्सटेबल क्वालिफाइड हों। सीनियर ऑफिसर ज्यादा से ज्यादा तादाद में हों। हर जिले में 8-10 डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्टस होने चाहियें। जितने क्राइम होते हैं, झगड़े होते हैं उसके लिये पुलिस ऑफिसर को कान्फीडेंस में लेना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एस. पी. को इलाके की तमाम समस्याओं के बारे में बैठ कर सोच विचार करना चाहिये। यह विचार करना चाहिये कि यह झगड़ा क्यों होता है? विशेष रूप से यह झगड़े रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कारण ज्यादा होते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा इनएफिशियेन्ट है। हमारे यहां पर जो पटवारी हैं उनके पास कोई रिकार्ड सही नहीं होता है। जो भी लेन्ड का अलॉटमेंट होता है वह सही नहीं होता है। म्युटेशन सही नहीं होते हैं। गिरदावरी सही नहीं होती है उसका रिकार्ड सही नहीं होता है। चाहे जब रिकार्ड मिटा दिया जाता है। इसलिये जो पटवारी का आधार है उसमें सुधार होना चाहिये। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलॉटमेंट कर देता है। गरीब कब्जा करने जाता है तो उसको जमीन नहीं मिलती है। कागजों में बता देते हैं। वहां पर आदमी काबिज होता है और वह गरीब कब्जा करता है, उसको हटाने की कोशिश करता है तो झगड़ा होता है। इससे पुलिस के केसेज बढ़ते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी का जो संबंध

(श्री माणकमल मेहता)

है, उप पटवारी को स्ट्रिक्टली सुपरवाइज किया जाए। उसका रिकार्ड अपटूडेट हो, इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, मैं पुलिस विभाग के संबंध में और भी कहना चाहता था किन्तु समय की कमी है, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि पुलिस सर्विसेज को सहूलियतें दी जानी चाहिये, इसके अन्दर बैस्ट पासिबल आनेस्ट आफिसर को रिक्रूट किया जाए, उसके बाद ही हमारे देश की यह प्रोटेक्शन फोर्स लॉ एण्ड आर्डर को मेन्टेन कर सकेगी। ठीक ढंग से तब इसका उपयोग होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात कहते हुए मैं आपको पुन: धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री मोहन लाल मोदी। (अनुपस्थित)

श्री मेघराज

(अनुपस्थित)।

श्री कनकराज मेहता।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) : आदरणीय सभापति महोदया, मैं पुलिस के ऊपर कुछ कटौती प्रस्तावों पर कुछ विचार प्रस्तुत करता हूं।

चूंकि पुलिस का जो ढांचा है वह काफी पुराना है और इसमें वही पुरानी पद्धति आज दिन तक चली आ रही है इसलिये जब तक पुलिस के संगठन में आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक पुलिस का ढांचा ठीक होना बड़ा मुश्किल है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस देश के अन्दर पुलिस व्यवस्था ठीक कार्य नहीं करती हो उस देश के अन्दर शांति और व्यवस्था कभी ठीक नहीं होगी और जिस देश में शांति और व्यवस्था कायम नहीं रह सकती है वह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसका मुख्य कारण, प्राथमिक कारण यह है कि इसके अन्दर बहुत कुछ कमियां हैं। जिनको दूर किया जाना चाहिये। इसके लिये वे स्वयं क्या चाहते हैं उनको भी पूछा जाना चाहिये। क्या वास्तव में वे इन एफिसियन्ट हैं कितनी टीका-टिप्पणी इस पुलिस विभाग पर होती है। इसका क्या कारण है? पुलिस अफसरों से पूछा जाये तो वह भी कुछ बात बतायेंगे। जब तक इसका समन्वय नहीं होगा, ठीक ढंग से पुलिस का काम नहीं चल सकता है। मैं चाहता हूं कि आप इसकी कोशिश करें। कितने खिलाफ स्टेटमेंट आते हैं लेकिन जब तक प्रशासन में सुधार नहीं होगा तब तक जनता को राहत नहीं मिलेगी। प्रशासन को ठीक करें और जनता की सुविधाओं का ध्यान रखें। ऐसा जब तक नहीं करेंगे तब तक ठीक कार्य चलना बड़ा मुश्किल है। जब तक पुलिस सतर्कता नहीं बरती है तब तक जुर्म नहीं रुकेंगे और जुर्म हम खतम नहीं कर सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि जब तक हम इनको जो छोटी-छोटी सुविधायें हैं जैसे ये लोग आगे नहीं बढेंगे प्रमोशन के संबंध में, आवास के संबंध में, बच्चों की पढ़ाई के संबंध में ध्यान नहीं देंगे। यह ध्यान देना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे सिपाही होते हैं वे 24-24 घंटे अपनी ड्यूटी पर रहते हैं लेकिन उनको कोई फायदा नहीं मिलता है। यही कारण है कि उनकी अपने जीवन के अन्दर आगे बढ़ने की उम्मीद व आकांक्षा नहीं रहती है। ये वहीं दबे रहते हैं और आगे नहीं निकल पाते हैं। इसके साथ ही मेरा यह निवेदन है कि पुलिस की तरफ से जो कार्यवाही की जाती है उसके अन्दर जनता का विश्वास होना बहुत जरूरी है।

(श्री कनकराज मेहता)

एक छोटा सा मेरा निवेदन यह भी है कि जो रात में गश्त लगायी जाती है, वह बहुत कम है जो जुर्म करने वाले हैं, चाहे वह चोरी करने वाला हो, डाका डालने वाला हो, व्यभिचारी हो और शराब का अड्डा हो, यह कार्य अकसर रात को होते हैं तो मेरा निवेदन यह है, मेरी मान्यता भी यह है कि जब तक अब रात में गश्त की संख्या नहीं बढ़ायी जायगी तब तक जो जुर्म करने वाले हैं वे नहीं रुकेंगे। इसके साथ मेरा निवेदन यह है कि गश्त लगाने वाले अधिकतर कान्सटेबल होते हैं, उनकी जगह अफसर भी लगाये जायें जो जुर्म करने वालों को पकड़ सकें। अगर ऐसा हो जाये तो मेरी मान्यता है कि सारे जुर्म खतम हो जायेंगे अगर पुलिस वाले चाहते हैं कि जुर्म करने वाले वास्तव में पकड़े जायं, उनको सजा मिलनी चाहिये तो यह एक बढ़िया तरीका है कि रात्रि गश्त बढ़ायें। जहां-जहां पुलिस चौकियां हैं, थाने हैं, बड़े-बड़े शहर हैं उनके अन्दर गश्त के लिये जिम्मेवार अफसर लगाये जायें। जो जुर्म के अड्डे हैं वे किस तरह से कार्य कर रहे हैं उनकी जानकारी करने में इससे बहुत बड़ी सहूलियतें मिलेगी।

मैं यह मानता हूं कि गरीब लोग जब पुलिस के अन्दर मुकदमे दर्ज कराने जाते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है। लोगों से पैसा मांगा जाता है कि तुम कितना पैसा लाये हो? यह भी बड़ी विचित्र बात है। पुलिस थानों में जाते हैं तो बड़े-बड़े शब्दों में वहां लिखा होता है May I help you लेकिन इसका मतलब क्या है? यह इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब यह हो जाता है कि हम कितना हरेस कर सकते हैं? यह बड़े अफसोस की बात है क्योंकि उनका जो कार्य है वह बहुत ऊंचा है और यह जन-जीवन को शांति देने वाली मशीनरी है। लेकिन खेद है उनका यह रवैया अच्छा नहीं है। जो मुकदमें हैं जल्दी से दर्ज होकर उन पर कार्यवाही होनी चाहिये। लेकिन वे मुकदमे जल्दी दर्ज नहीं करते हैं। पुलिस के अन्दर कई लोग आ जाते हैं, पंचायती वगैरह करते हैं और राजनैतिक दबाव इतना आ जाता है कि पुलिस के अफसर कार्यवाही ठीक से तय नहीं कर पाते हैं इस लिये मेरा यह निवेदन है कि पुलिस अफसर यह भी देखें कि जहां-जहां पुलिस थाने हैं वहां बाहरी पंचायती होती है जो सारे मुकदमों को एक अलग मोड़ दे देते है और पुलिस ठीक से तफतीश नहीं कर पाती है। ऐसे लोगों की आव-जाव को कम किया जाना चाहिये व ऐसे एजेन्टों के नुमायन्दों को थाने के अन्दर आना-जाना बंद कर देना चाहिये। ताकि पब्लिक को न्याय मिल सके। मेरा यह भी निवेदन है कि कई मुकदमें आपके यहां कई वर्षों तक पड़े रहते है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका अन्वेषण करने में भारी समय लग जाता है जो चोरी के मुकदमें होते हैं उनका मुद्दा भी खतम हो जाता है। अकारण इस तरह की व्यवस्था पुलिस के अन्दर फैल रही है। जनता को पुलिस पर विश्वास नहीं रहता है। मेरा निवेदन है कि इस तरह के चोरी के मुकदमे हैं, डकैती के मुकदमें हैं या अन्य कई तरह के मुकदमें हैं उनकी आप जल्दी से जल्दी तफतीश नहीं करेंगे तब तक मेरे खयाल से लोगों को राहत नहीं मिलेगा, जितनी देरी अन्वेषण मे होगी उनको ही उसमें दिक्कतें आयेंगी और उसकी जांच में कठिनाई पैदा हो जायगी।

मेरा यह निवेदन है कि सांचोर के अन्दर

(श्री कनकराज मेहता)

तीन पुलिस थाने हैं लेकिन सजगता से काम नहीं कर रहे हैं और सारा प्रशासन खराब कर दिया है। जो व्यक्ति मुकदमा दर्ज कराना चाहता है तो इतने काफी टाइम लग जाता है। पुलिस में जाते हैं तो पहले तो 15-20 रुपये का बिल बनाकर देते हैं कि इतनी पेंसिल चाहिये, कागज चाहिये, कार्बन चाहिये लेकर आओ। और फिर पूछते हैं गाड़ी है या नहीं, तुम लोग मुकदमे दर्ज कराने आ गये और गाड़ी भी नहीं है। तो मेरा निवेदन यह है कि इस तरह से गरीब लोगों को तो इससे न्याय मिलने की या राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मेरा यह निवेदन है कि इस तरह की जो हरकतें हैं, प्रशासन में जो गड़बड़ियाँ है, जिससे गरीबों को न्याय मिलना कठिन हो गया है इस अव्यवस्था को जब तक पुलिस के अफसर समय समय पर मौके पर जाकर नहीं देखेंगे तो ये गड़बड़ियां होती रहेंगी और पुलिस की भी बदनामी होती रहेगी।

मेरा निवेदन है कि जो पुलिस की मौजूदा सिस्टम है वह भी बड़ा defective है वह अविलम्ब ठीक किया जाय। अफसर अपने थानों को समय समय पर जाकर के नहीं सम्भालते हैं और यह मानते हैं कि थानों में जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। अफसर लोग तो इतना ही मतलब रखते हैं कि कब मुकदमा दर्ज हुआ, कब उसकी जांच हुई, उसका निर्णय हुआ या नहीं हुआ। वे यह नहीं देखते हैं कि जो तफतीश हुई है वह स्वस्थ हुई है या नहीं हुई है, इसमें किसी गलत आदमी को तो नहीं फंसाया गया है। यह बड़ी भारी भूल है। बड़े अफसर लोग यह सब थानेदारों पर छोड़ देते हैं जिसके कारण से ये गड़बड़ियां होती हैं और पुलिस की बड़ी भारी बदनामी होती है। लोगों को यह विश्वास नहीं रहता है कि पुलिस में मुकदमा करते हैं तो उसको वास्तव में राहत मिलेगी या नहीं, यह बड़े अफसोस का विषय हो जाता है। इस तरह से पुलिस की व्यवस्था खराब हो गयी है। पुलिस जो जीवन रक्षक, धन रक्षक होती है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं होने के कारण गरीब लोग वहां आशा भरे जा नहीं पाते हैं और जाते भी हैं तो उनको निराश होकर लौटना पड़ता है, जैसे कोई पुलिस की व्यवस्था है ही नहीं।

मेरा निवेदन यह भी है कि हमारे सांचौर में 3 थाने हैं उसमें सरवाड़ा व चोतलवाना में टेलीफोन की कोई व्यवस्था नहीं है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी: व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न है, सभापति महोदय।

पुलिस डिमाण्ड पर चर्चा चल रही है, पुलिस मन्त्री नहीं है। मुख्य मंत्रीजी भी नहीं है।

एक माननीय सदस्य: मन्त्रिमण्डल का हर सदस्य जिम्मेदार है।

(व्यवधान)

श्री सभापति: आप भाषण जारी रखें।

श्री कनकराज मेहता: मेरा निवेदन यह है कि जब तक इन दोनों थानों पर टेलीफोन की व्यवस्था नहीं होगी, स्थिति नहीं सुधरेगी। साथ ही सड़कें नहीं होंगी, तब तक अधिकारीगण कामों की देख-रेख नहीं कर पाते हैं

(श्री कनकराज मेहता)

और वे डाक बंगलों में बैठे रहते हैं। हाल ही सांचौर थाने में जो चोरियां हुई हैं, उनका कोई माल अभी तक बरामद नहीं हुआ है। ऐसी चोरियां खुलाई जायं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ये चोरियां हुए करीब 4-6 महीने हो गये हैं। जो चोरियां करने वाले हैं, उनको पकड़ा जाये। जनता को विश्वास दिलाया जाये, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री बनवारी लाल।

एक माननीय सदस्य : हो गया, हो गया। बोल दिया है।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : पुलिस डिमाण्ड पर चर्चा चल रही है। मैं निवेदन करूंगा कि आज जनता की हालत कितनी खराब हो गई है। पिछले तीन सालों में जनता पार्टी के शासन में स्थिति बिगड़ चुकी है, जिस स्थिति में शासन सौंपा था, उसमें बहुत गड़बड़ी है। उसको काबू करने में बहुत समय लगेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है। जनता ने जिस विश्वास के आधार पर पुनः सत्ता में भेजा है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आज केन्द्र में सरकार को 6 महीने हो गये हैं और प्रदेश में दो महीने हो गये हैं। लेकिन फिर भी हम स्थिति में सुधार नहीं ला पाये हैं। इसके लिए जब तक कठोरता से कदम नहीं उठायेंगे, जब तक हम सक्रिय कदम नहीं उठायेंगे। सफल नहीं हो पायेंगे। इमर्जेन्सी के समय जो अधिकारी मौजूद थे, वही अधिकारी आज भी मौजूद हैं।

(व्यवधान)

आज लोग कहते हैं कि इससे तो वह समय अच्छा था। कोई गड़बड़ी नहीं थी।

(व्यवधान)

मेरा यह निवेदन है कि जब तक आप सख्ती से कदम नहीं उठायेंगे और जब तक ये कानूनी अड़चनें बन्द नहीं होंगी तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। उस समय जो अधिकारी अकर्मण्य थे, जो अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाते थे, उनको कम्पलसरी रिटायरमेंट दे दिया था। आज कानून के पालन में दिक्कतें आती हैं। कहीं पर किसी ने क्राइम कर दिया तो जिसकी चोरी हो गई, वह चिल्लाता है। वह कहता है, हमारा माल बरामद नहीं हुआ है। जो चोरी करता है, वह जमानत कराके घर बैठ जाता है। लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति काबू में तभी आयेगी, जब सख्ती से कदम उठायेंगे। पुलिस में भ्रष्टाचार की बात कही जाती है। जनता यह समझती है कि पुलिस जिम्मेदार है।

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं, जिनमें पुलिस से ज्यादा भ्रष्टाचार है। पुलिस विभाग के पास ऐसे अधिकार हैं कि जब व्यक्ति पुलिस में जाता है तो उसको इज्जत का सवाल आ जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण ही लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब है। आज दिक्कत क्या आती है, किसी कर्मचारी को लगा देते हैं तो गवर्नमेंट डिस्टर्ब होती है। कहीं किसी की पोस्टिंग

Page No. 109

(109)

(श्री बनवारीलाल)

होती है तो वह अच्छे स्थान को ढूंढता है। अच्छे थाने को ढूंढता है। वह यह नहीं सोचता है कि तनख्वाह कितनी मिलती है? वह पैसे को दिमाग में रखकर, मनी माइण्डेड होकर ढूंढता है। आपको यह देखना पड़ेगा। मेरा यह निवेदन है कि लॉ एण्ड आर्डर का अजीब पैटर्न है। लॉ एण्ड आर्डर कलेक्टर को सौंपा जाता है। प्रैक्टिकली इसमें इनफोर्मेशन कलेक्टर को भेजी जाती है। वह एस. पी. और डी. आई. जी. का देता है। इसमें जिम्मेदार कलेक्टर है। उसी को जिम्मेदारी को पावर है। एस. पी. कोई जाता है, तो जो कोई गड़बड़ी करता है, उस पर एक्शन नहीं ले पाता है। आज कई थानेदार जिले से जाते हैं। वह किसी थाने का टार्गेट लेकर जाते हैं। उनको अच्छे पैसे मिलने वाला थाना मिल जाये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : थाने बिकते हैं।

श्री बनवारी लाल : किसी भी थाने में जाते हैं तो एस. पी. को थाना अलाट करना चाहिये। उसमें किसी का इन्टरफियरेंस नहीं होना चाहिये। भ्रष्टाचार विभाग के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि उसको आप कड़ा बनायें। एक तो वहां निपटारा जल्दी नहीं होता है। उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करें। उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो केस ज्यादा बढ़ेंगे। हरएक आदमी भ्रष्टाचार की शिकायत करेगा। मेरा निवेदन यह है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाये। अगर कोई गलत रिपोर्ट करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लें। आज सी. आई. डी. में जिन लोगों को लगाया जाता है, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिनको पनिशमेंट दिया जाता है, उनको सी. आई. डी. में भेजा जाता है। मेरा निवेदन है कि उसको रेगुलर बनाकर सक्षम बनाया जाये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट कौन सा है? माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे।

एक माननीय सदस्य : वह तो आप ही हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरी जानकारी में नहीं था, इसलिये पूछा है।

एक माननीय सदस्य : ये तो आपको देखकर बोल रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ऐसा है, तिवाड़ी जी घोटाला करते आये हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री बनवारी लाल : सी. आई. डी. एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाय। उनको अलग से अलाउन्स भत्ता दिया जाये। पोलिटिकल इण्टरफीयरेंस करके सी. आई. डी. में रहना नहीं चाहते हैं। ट्रेफिक पुलिस के बारे में मेरा निवेदन है, इसमें होता क्या है? कोई भी फारिनर इस प्रदेश में आता है तो उस पर अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ता है। इसके बारे में मेरा निवेदन है कि इसमें आप अच्छी पर्सनलिटी के आदमी रखें। आज किस प्रकार से एक्सीडेंट हो रहे हैं। पिछले सप्ताह आपने अभियान चलाया। मेरा निवेदन यह है कि

(श्री बनवारी लाल)

उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाये। अच्छा इन्वेस्टिगेशन नहीं पड़ता है। मेरा निवेदन है कि फोरेन्सिक लेबोरेटरी की संख्या बढ़ाई जाये। इसका नतीजा यह है कि केस आता है तो उसका चालान नहीं हो पाता है। वह यह समझते हैं कि कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मेरा निवेदन है कि पुलिस लैबोरेटरी बढ़ा कर केस जल्दी चालान हों। आपने प्रोसीक्यूशन को पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर होम डिपार्टमेंट को दे दिया है। पुलिस से अलग कर दिया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि एस. पी. के कण्ट्रोल में रहता था, वह नहीं रहता है। पुलिस डिपार्टमेंट के एस. पी. के कन्ट्रोल से लेकर होम डिपार्टमेंट को दे दिया है। कई केसेज में गलतियां हुई हैं।

इसके अलावा अब मैं धौलपुर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आपने बड़े लम्बे-चौड़े फिगर्स दिये हैं और दावा किया है कि

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब कोई संगठित गिरोह काम नहीं कर रहा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो इनका जरूरी मसला है, बोलने दीजिये।

श्री बनवारी लाल : सरनाम सिंह, दुर्गाप्रसाद, खलील, महाराज सिंह, रामबक्श, क्या इनका कोई गिरोह नहीं है? आप कौनसे गग को संगठित गिरोह मानते हैं? क्या किडनेपिंग नहीं होती? क्या डकैतों को आप संगठित गिरोह नहीं मानते? तो फिर आप किनको संगठित गिरोह मानते हैं?

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे अपना भाषण जल्दी समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल : डाकुओं की सबसे ज्यादा समस्या है धौलपुर सब-डिविजन में इसकी रैडिकल डिफिकल्टी है और इसको काबू में नहीं किया गया है। इसका कारण यह है, कि पुलिस फोर्स थानों में जो पहले थी वही अब है। दो तीन सन्तरियों में चले जाते हैं, दो चालान के लिये कोर्ट में जाते है, एक छुट्टी पर चला जाता है, इस तरह की हालत है तो फिर किस प्रकार से इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। एक आदमी रात्रि को भी गश्त देता है और दिन में भी उससे ड्यूटी ली जाती है, क्या यह उसके लिये संभव है, क्या आप यह महसूस करते हैं कि कोई आदमी इतना काम कर सकेगा? आप उसको सुविधा देते नहीं हैं और एक्सपैक्ट करते हैं ज्यादा काम लेने को। एक सिपाही को आप क्या तनख्वाह देते हैं? सरकार उनको या उनके बच्चों को कितनी सुविधा देती है। एजूकेशन की। वर्दी का अलाउन्स आप उनको देते नहीं और उसको दुगना काम करना पड़ता है। अगर कोई खराब काम करता है आप उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उनकी दिक्कतों को दूर करने की कृपा करें जिससे वह अपने काम को ईमानदारी और निष्ठा के साथ अन्जाम दे सकें। वर्दी का अलाउन्स भी उनको नहीं दिया जाता है

इसके अलावा थानों में डिस्टेन्स बहुत ज्यादा है, उबड़-खाबड़ जगहों पर हैं, इसलिये जब तक आप इनका रिआर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे, और इनके डिस्टेन्स को कम नहीं करेंगे, तब तक आप इन समस्याओं पर काबू नहीं पा सकेंगे।

(श्री बनवारी लाल)

इसके अलावा रोड्स के बारे में निवेदन है कि किसी भी घटना की इन्फार्मेशन मिलती है तो उनके पास कोई सुविधा नहीं होने से और जमीन उबड़-खाबड़ होने से दो-तीन घण्टे में पहुंचते हैं। इसलिए रोड का विस्तार किया जाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि पी. डब्ल्यू. डी. और हो रे डिपार्टमेंट के सहयोग से सड़कों का जाल बिछाया जाना चाहिये। जब तक इनका विस्तार नहीं करेंगे। तब तक आप निश्चित तौर पर मानकर चलिये इस समस्या पर काबू नहीं पा सकेंगे।

दूसरी बड़ी समस्या आज ठेकेदारों की परेशानी है। माइंस के जो ठेकेदार हैं उनको एक डेड रेन्ट तो डाकुओं को देना पड़ता है और एक डेड रेन्ट सरकार को देना पड़ता है, नहीं तो वे लोग उनकी गाड़ियों के टायरों को फोड़ देते हैं, पांच हजार का नुकसान हो जाता है। उनकी मोटरों का पम्प खोल देते हैं जिसकी कीमत 15 हजार की होती है लेकिन कानून के हिसाब से कोई ज्यादा क्राइम नहीं बनता है लेकिन वहां के रहने वाले ठेकेदारों को जिस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं उनको वे ही लोग महसूस कर सकते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि आपने अभी एक बहुत बड़े गेंग के लीडर को मारा है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं लेकिन फिर भी जब से समदा थाने में दो थानेदारों का मर्डर हो चुका है जनता में आतंक फैल गया है। थानेदारों को मार दिया लेकिन उनको नहीं मारा जा सका तो जनता अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एडीशनल एस. पी., एस. पी. और थानेदारों को उस इलाके में ट्रेन्ड करना चाहिये। जब तक वे ट्रेन्ड नहीं होंगे तब तक लोगों में आतंक छाया रहेगा।

मेरा निवेदन है कि कुछ लोग भ्रष्टाचार को बहुत ही प्रोटेक्शन देते हैं बढ़ावा देते हैं। आम आदमी की शिकायत है कि थाने पर रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो कहा जाता है कि कागज का दस्ता लाओ, एक कार्बन लाओ, पेन्सिल लाओ जरा से केस में इतनी फार्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, डी. आई. जी. को रिपोर्ट भेजते हैं एस. पी. को रिपोर्ट भेजी जाती है लेकिन उनको स्टेशनरी क्या मिलती है? इसके अलावा कई घटनाओं की उनको सूचना भी नहीं मिल पाती है। मिल भी जाती है तो पुलिस के पास कोई सीक्रेट फण्ड्स नहीं होते, इसलिये जब तक आप इनको सुविधायें नहीं देंगे तब तक इन्फार्मेशन नहीं मिल पायेगी। इसलिये एस. पी. के. लेवल पर सीक्रेट फण्ड्स रखने चाहिये ताकि घटनाओं पर काबू पाया जा सके।

इसके अलावा अन्त में खास तौर से यह निवेदन करना चाहूंगा कि डाकुओं के सरेण्डर करने की जो परम्परा है उसका मैं विरोध करता हूं। यह जो परम्परा डाली गई है इसको मैं उचित नहीं मानता हूं। इमिजिएट लाभ तो यह होता है कि आगे कोई अपराध नहीं करे। लेकिन उनको सुविधायें मिलने लगती हैं, राज्य सरकार की तरफ से जमीन भी दी जाती है और अन्य प्रकार की सुविधायें भी मिलती हैं। इससे होता क्या है कि इतने अपराध करने के बाद आज एक परम्परा बन गई है कि किसी प्रकार का अपराध करने के बाद सरेण्डर हो जायेंगे। तो सुविधायें मिलेंगी इससे उनका सुधार नहीं होता है। मेरा निवेदन है कि सरेण्डर होते समय वे हथियारों को सरेण्डर नहीं करते हैं। उसके बाद में वे फिर जिस क्षेत्र में रहते हैं आम आदमी उनसे डरता है, वहां पर आम-

(श्री बनवारी लाल)

आदमी का जीवन चैन से नहीं गुजरता है। कोई भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है। अभी एक जगह नीलामी में 600 रु. पर बोली छूट गई किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बोली लगाने की। इसलिये लोगों में डर बढ़ गया है। इसलिये जब तक आप सख्ती से कार्यवाही नहीं करें तब तक अपराध बढ़ेंगे। कोई उनके खिलाफ गवाही भी नहीं दे सकता है, कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं मिलता है इस कारण व अपराध से छूट जाते हैं और कानून का फायदा उठाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरेण्डर की प्रथा को समाप्त किया जावे।

अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि होता क्या है कि चोरी और डकैती से भी ज्यादा समस्या मवेशी चोरियों की है। डकैती तो मालदारों के यहां होती है लेकिन मवेशी गरीब आदमी का होता है उनकी चोरी हो जाती है और बुजे आम उनसे पैसे मांगते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर पुलिस की जानकारी में लाते हैं तो पुलिस केस रजिस्टर नहीं करती। आपने इतने फिगर्स दिये हैं कि इतनी चोरियां और डकैती हुईं लेकिन मेहरबानी करके पता लगायें केस रजिस्टर हो नहीं होते। 392 और 395 के केसेज को 458 में बदल देते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य,

श्री बनवारी लाल : मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं।

ऐसे केसेज रजिस्टर ही नहीं होते, इसलिए इसकी व्यवस्था की जावे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री देवीसिंह।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, सबसे पहले तो पुलिस आर. ए. सी., होम गार्ड के सिपाही व अधीनस्थ कर्मचारियों की तनख्वाह, महंगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधा व अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक पुलिस कर्मचारी सही ढंग से अपनी ड्यूटी नहीं दे सकेंगे। जब तक पुलिस कर्मचारियों के बच्चों और उनके परिवार को कठिनाइयों को दूर नहीं करेंगे, उनके बच्चों की पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देंगे, उनके आवास की सुविधा की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक वह अल्प-तनख्वाह में ऊपर की कमाई की ओर ध्यान देंगे। यह आम जनता में पुलिस के प्रति एक दिमाग बन गया है कि पुलिस वाले सिर्फ ऊपर की कमाई पर ही जोर देते हैं। जब तक उनको ऊपर की कमाई को पेशगी नहीं देंगे तब तक आपकी कोई सुनवाई पुलिस महकमे में नहीं होने वाली। इसलिए हम पूरे पुलिस प्रशासन को दोष नहीं दे सकते। सरकार पहले पुलिस कर्मचारियों की सुविधा की ओर ध्यान दे, तभी हम शिकायत कर सकते हैं कि एक सच्चे पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी निभायेंगे। आज पुलिस कर्मचारी को 24 घंटे में से 18 घंटे ड्यूटी देनी होती है। और तनख्वाह नाम मात्र की होती है जब कि दूसरे महकमों में अन्य कर्मचारियों की हर सुविधा का ध्यान रखा जाता है, तो पुलिस को नैगलेक्ट क्यों किया जा रहा है?

आज हर गांव व शहर में पुलिस वाले

श्री (देवीसिंह भाटी)

के ऊपर किसी का विश्वास नहीं रह गया है। आज ग्रामीण पुलिस का नाम लेते ही भाग जाता है। जैसे ही ग्रामीण या अन्य कोई थाने के अन्दर जाता है, तो सबसे पहले उसके सामने थाने वाले का हिस्सा रखने को कहा जाता है। थानेदार पेशगी लेने के बाद ही कोई शिकायत की सुनवाई करता है। मैं आपको एक मिसाल दूं कि श्रवण कुमार नाम के एक सब-इन्सपेक्टर, के खिलाफ आज तक बीकानेर जिले में अलग-अलग थानों से 27 शिकायतें हो चुकी हैं। परन्तु हर जांच के उपरान्त यही पाया गया कि श्रवण कुमार सही है, हर शिकायतकर्ता, चाहे वह ग्रामीण हो, चाहे शहरी, झूठा है तो क्या यह हम मान कर चलें कि इन जांच रिपोर्टों के आधार पर हर ग्रामीण या शिकायतकर्ता, जो भी अपनी बात लेकर शहर तक बड़े अफसरों के पास, पहुंचता है, झूठा है। इसी थानेदार के खिलाफ एडीशनल आई. जी. विजीलेन्स ने जिला पुलिस प्रशासन को नोट लिखा कि इस थानेदार को जिले से बाहर भेज दिया जाये, इसके उपरान्त भी वह राजनैतिक दबाव से वहीं बीकानेर में रहा है तो यह आखिर किसका प्रशासन है? पुलिस के उच्च अधिकारियों के आदेशों की भी पालना नहीं होती है तो वह गरीब शिकायतकर्ता किसके पास सुनवाई करने जाये? इसकी पूरी जांच की जाये। मेरा यह सुझाव है कि जो भी शिकायतकर्ता किसी पुलिस कर्मचारी की शिकायत करे, तो कम से कम एक बोर्ड बैठे और बोर्ड के सामने शिकायतकर्ता तथा अन्य गवाहों की सुनवाई हो।

मेरा क्षेत्र कोलायत, पाकिस्तान बोर्डर पर रह रह ज्यादातर पशु पालकों का क्षेत्र है। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान बोर्डर पर कोई तारबन्दी या दीवार नहीं है। पशु चरते-चरते पाकिस्तान बोर्डर में चले जाते हैं। पशु मालिक पुलिस थानों में व बी. एस. एफ. के अधिकारियों के पास अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं परन्तु पशु वापस लाने के लिए कोई विशेष जोर नहीं दिया जाता जब कि पशु पालक अपने पशुओं की खोज तक बता देता है। फिर भी पाक अधिकारियों पर जोर देकर उन गरीब पशुपालक के पशु वापस दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। मेरा यह सुझाव है कि जैसे ही पशु मालिक अपने पशुओं के लिए शिकायत लिखवाता है उसी वक्त पाकिस्तान के अधिकारियों के ऊपर जोर डाला जाये कि वह उनके पशु वापस करे या ऐसी कोई व्यवस्था की जाये जैसे भारत व पाकिस्तान के अधिकारियों की, जो समय-समय पर बैठक होती है उनमें यह मामला प्रायोरिटी बेसिस पर रखा जाये। आज उस गरीब पशुपालक की कल्पना कीजिये, जिसके पास दो गाय या एक ऊंट है वह अगर उससे खो जाय तो वह अपना गुजारा कैसे करेगा?

इसलिए, सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उन पशुपालकों को कम से कम मुआवजा देने की व्यवस्था की जाय। सभापति महोदय, मेरा एक मानस बन चुका है कि जैसे ही किसी मुलजिम या अन्य किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया जाता है तो थाने में उसके साथ डंडों से मारपीट की जाती है या करेन्ट लगाया जाता है। उसमें दोषी या सही आदमी को भी परेशानी होती है। इसलिए मेरा

(श्री देवीसिंह भाटि)

यह सुझाव है कि थाने में बुलाने से पहले उस व्यक्ति का डाक्टरी परीक्षण अनिवार्य कर दिया जाये वरना अक्सर जैसा होता है कि थाने वाले मारपीट या परेशान कर यह रिपोर्ट लिख देते हैं कि उपरोक्त व्यक्ति को पहले से ही चोटें लगी हुई थीं। पुलिस को हर व्यक्ति अपना रक्षक या साथी समझे, यह भावना हर नागरिक के मन में होनी चाहिये। परन्तु इससे उल्टा है कि वहां जो जाते हैं, मारपीट या पैसे का लेन-देन होता है।

सभापति महोदय, आज तक जितनी भी बड़ी चोरियां हुई हैं जैसे गंगाशहर, भीनाशहर, जैसलमेर, अकासर, नोखा में हुई हैं, उसमें सी. आई. डी. की रिपोर्ट मिलने के उपरान्त भी न तो मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया और न ही सामान बरामदगी की कोशिश की गई, तो आज हर नागरिक अपनी सुरक्षा की आशा किस के ऊपर रखे? आज जो भी यह सरकार बनी है इसके लिए हम सब माननीय सदस्य जिम्मेदार हैं कि हर नागरिक को उसकी जान-माल-धन की सुरक्षा की गारन्टी दें।

सभापति महोदय, अगर सिर्फ अपनी बात हम यहां कह दें और सरकार इस कान से सुने और उस कान से निकाल दे, तो फिर यहां समय व्यतीत करना बेकार है।

अगर पुलिस प्रशासन द्वारा यही रवैया अपनाया गया, पुलिस थानों में इस प्रकार नागरिकों के साथ व्यवहार किया गया, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि पुलिस थानों के अन्दर ही पुलिस और नागरिक के बीच टकराव या झगड़ा होना निश्चित है। इससे समय पर सरकार सम्भाल ले, व्यवस्था में सुधार ले आयें तो अच्छी बात है वरना इस के लिए हम सब दोषी होंगे। इस पुलिस बजट प्रस्तावों में पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह व सुविधाओं का अगर अलग से और नया प्रावधान नहीं किया गया तो मैं इस पुलिस बजट का विरोध करूंगा।

श्री सभापति : श्री प्रद्युम्न सिंह!

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदया, आपने मेरा नाम पुकारा....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदया, मैं ज्यादा समय न लेकर के अपनी बात थोड़े समय में समाप्त करूंगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला कटौती प्रस्ताव है जिसमें मैंने इस बात की मांग की है कि राजस्थान की आबादी को देखते हुए और राजस्थान के अपराधों की जो संख्या है उसके लिए पुलिस फोर्स की कमी है, उसको बढ़ाया जाये। मैं इस मांग को पिछले कई सालों से करता आ रहा हूं। जिस तरह से अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर आपने पुलिस फोर्स को नहीं बढ़ाया तो आप इस पर कन्ट्रोल नहीं कर सकेंगे। सरकार के पास इसका एक ही उत्तर है कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम फोर्स को बढ़ा सकें, इसलिए हम नहीं बढ़ा पायेंगे। आप कुछ कीजिए, अगर आपने अपराधी की तुलना में फोर्स को नहीं बढ़ाया तो आप क्राइम्स कंट्रोल नहीं कर पायेंगे। मेरा पहला सुझाव आपको यही है, इस बारे में सरकार क्या करने जा

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

रही है ? मंत्री महोदय अपने उत्तर में प्रकाश डालें ।

दूसरी बात मैं निवेदन कर रहा था क्राइम सिचुएशन के बारे में । यहां पर जनता पार्टी के शासन के अंदर जो एकदम इजाफा हुआ क्राइम्स की संख्या में, उस बारे में मैं कुछ निवेदन करता हूं । यहां बार-बार इस बात को कहा गया, मैंने पिछली बार भी कुछ आंकड़े देकर इस बात को साबित करने की कोशिश की कि जनता पार्टी के 32 महीने के शासन में 32 हजार क्राइम्स बढ़े, एक हजार क्राइम्स माहवारी हिसाब से बढ़े और मैंने पिछले 32 महीने की उनके बारे में चर्चा की तो विपक्ष के नेता और उधर जो बैठने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने कहा कि आप तो इमर्जेन्सी की बात करते हैं, उससे पहले की बात कीजिए । तो, समापति महोदय, 1977-78 में जनता पार्टी का शासन आया, तो क्राइम्स की संख्या एकदम बढ़कर 63,752 स्टेट में हो गई । अब आपसे निवेदन करना चाहता हूं 1972, 1973 व 1974 के आंकड़े । 1974 में इमर्जेंसी नहीं थी, 1972 व 1973 में नहीं थी । अगर आप इमर्जेन्सी की बात करते हैं, आपने कहा इमर्जेन्सी में केसेज दर्ज नहीं किए जाते थे, लोगों की आवाज को दबाया गया था तो जो आंकड़े किताबों में दिए हुए हैं, वे हैं:-

1973-74	42,229
1974	51,102

अगर आप इमर्जेंसी से पहले के समय को लेकर बात करते हैं तो ये आंकड़े हैं, मेरे कहने का मतलब है कि आपके शासनकाल के अंदर राजनैतिक इन्टरफियरेंस इतना था, आपने इतनी दखलन्दाजी की प्रशासन के अंदर कि आपने प्रशासन को चौपट कर दिया जो आज तक उभरा नहीं । आज तक जो उसको नुकसान पहुंचा है, उस नुकसान को किसी भी सरकार को ठीक करने में समय लगेगा । तो आप आज चिल्ला रहे हैं, इस बात का हल्ला मचा रहे हैं कि हमारे दो महीने के शासनकाल में अपराध एकदम बढ़े हैं, यह आपका आरोप खोखला है । यहां पर इस बात की चर्चा भी की गई कि कांग्रेस राज आने के बाद रेप केसेज की संख्या बढ़ गई, बलात्कार बढ़ रहे, इस अवधि को

(4.01 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

बलात्कार काल कहा जाएगा । तो आप अपना चेहरा आइने में देखें, वह भी मैं पेश करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, यह तो सिस्टैमेटिक केम्पेन है, अखिल भारतीय आधार पर, आल इंडिया बेसिस पर ताकि और कुछ नहीं तो जनता में इस बात का भ्रम फैलाया जाए कि बलात्कार के कांड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जैसे पहले कोई राम-राज था, उसमें बलात्कार होते ही नहीं थे, हम लोगों ने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया । हमने छोटी बातों की तरफ ध्यान न देकर, राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं की । इस पार्टी ने दो महीने में राजनैतिक लाभ उठाने की दृष्टि से इस सरकार पर बलात्कार का काल कह कर बलात्कार के कांडों की घटनाओं को लेकर जिसमें मुलजिम भी गिरफ्तार हो गए, पुलिस ने तत्परता से काम किया है, उस बारे में भी ऐसा हंगामा मचा रखा है जैसे कि तमाम प्रदेश तबाही की

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
तरफ जा रहा है, सारे देश में न मालूम कैसे बलात्कार का तांडव नृत्य हो रहा है।

जनवरी से जून, जून को समाप्त हुए एक महीना हुआ है 16 महीनों के तुलनात्मक आंकड़े लीजिए। अध्यक्ष महोदय, सन् 1968 जनवरी से जून तक 152 रेप केसेज हुए, हमने किसी बलात्कार के मामले में शोर नहीं मचाया हमारा कैम्पेन नहीं था कि बहनों बेटियों की अस्मत लूटी जाए, उससे लाभ उठाया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वे आपके द्वारा संरक्षित थे।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप अपना चेहरा शीशे में देखिए पहले।

1978 के अन्दर जनवरी से जून तक 152 केसेज हुए बलात्कार के। जनवरी 1979 से जून, 1979 तक 128 केसेज, 1980 में 126 केसेज रजिस्टर हुए हैं। मैंने आपके सामने फिगर्स रखे 1978, 1979 व 1980 के। 6 महीने का कोरस्पोंडिंग पीरियड जिसमें दो महीने का शासन इन श्रीमानों का है, 31 रेप केसेज इस साल जनवरी में रजिस्टर्ड हुए राजस्थान में। उनमें से किसी ने अंगुली उठाई थी। क्या सरकार की आलोचना की? क्योंकि आपकी सरकार थी, आप सरकार को बचाने में लगे हुए थे। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह साजिश है, यह कान्सप्रेसी है कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए कि रेप केसेज को उछाला जाए। मंत्री महोदय आप यहां गुड़िया की तरह मत बैठिये। रेप केसेज की जब बात आए तो आपके पास जो सूचना हो, खड़े होकर रिबट कीजिए। आप बैठे बैठे ही जवाब न दें। इस बात को बुरा न मानें। आप तुरंत अधिकारियों से सूचना लें और अखबारों में जो वन साइडेड खबरें आती हैं, एक तरफ की बातें आती हैं, उनका खण्डन करें। मेरे यहां एक केस हुआ। बंदरिया गांव में एक थाने में 9 वर्ष की एक हरिजन लड़की थी, बलात्कार का केस हुआ, सही बात है, हुआ। लेकिन पुलिस का एडिशनल एम. पी. मौके पर....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति की बात याद आती है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था वहां पर बंदरिया गांव में रेप केस हुआ, सही बात है, एडीशनल एस.पी. मौके पर पहुंचे, पूरा पुलिस फोर्स पहुंचा। जिस आदमी ने यह काण्ड किया वह फरार हो गया उसकी बुआ बहन से पूछा कि वह आदमी कहां है। उनसे पूछा कहीं घर में तो नहीं छिपा रखा। वह जाकर कुए में गिर पड़ी। पुलिस ने मुश्किल से उस औरत को कुए से निकाला। पुलिस वाले हैरान हो गए थे, गये थे तफतीश करने रेप की और वह औरत कुएं में जाकर गिर पड़ी। पुलिस ने तत्परता से कार्य किया, केस रजिस्टर हुआ, डाक्टरी मुआयना हुआ लेकिन वह लड़का फरार। तो पुलिस ने उसके बाप को पकड़ कर बिठा लिया। अब उसके बारे में स्थगन प्रस्ताव आया कि बाप को पकड़ कर बिठा

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

लिया, धारा 311, ताजीरात हिंद में केस बना दिया है, इल्लीगल कन्फाइनमेंट का। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। इन रेप केसेज को जितना उछाला जा रहा है उसके पीछे जो मन्शा थी उसकी मैंने विस्तार से चर्चा की।

एक और सवाल है पुलिस ट्रेनिंग का। आज वही पुरानी ट्रेनिंग चिली पिटी चल रही है। आप जनता के प्रति कैसे संवेदनशील हों, जनता की मूलभूत समस्यायें क्या हैं, एक साधारण कान्स्टेबल की क्या कर्त्तव्य होने चाहिए, इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। हर सिपाही को दो साल का रिफ्रेशर कोर्स अटेण्ड करना चाहिए।

यह आपके लिये अगर फिजीकली पोसिबल नहीं है तो भी आपको इसके लिये कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं तो स्थिति आज यह बनी हुई है कि वह मनमानी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र के एक मनिया गांव का उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे वहां मनिया गांव में हाट लगता है, उस हाट में काश्तकार आकर अपना माल बेचते हैं। वहां पर एक काश्तकार ने एक भैंस 1400 रुपये में बेची। इसके पहले उसी भैंस की कीमत उसने 1200 रुपये बतायी थी। तो जिस व्यक्ति ने भैंस खरीदी उसने पुलिस से कहा। वहीं पर दो पुलिस वाले आये और उन्होंने उस भैंस बेचने वाले से कहा कि तुमने इस 1200 वाली भैंस की 1400 रुपये कीमत कैसे ले ली। उसे डराया धमकाया। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहता हूं पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आपको कम से कम अपने पुलिस के स्टाफ को ट्रेनिंग देनी चाहिये, कुछ लोगों से बातचीत करने के लिये तौर तरीके बदलने के लिये ट्रेनिंग देनी चाहिये। आज जनता पहले वाली नहीं है। आपको जनता की मूलभूत समस्याओं को समझना पड़ेगा। उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप उनको ट्रेनिंग देते नहीं हैं और वह लोग मनमानी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी थोड़े दिन पहले मैं भरतपुर जा रहा था तो वहां पर बस में किसी ने सामान ऊपर रख दिया। उन्होंने कहा कि यह किसने बस के ऊपर सामान रख दिया है। जिसने सामान रखा उसको मां बहन की गालियां देने लगे। तब मैंने उसे कहा, भाई क्या बात है? उन्होंने मुझे कहा कि आप बीच में मत बोलिये। अध्यक्ष महोदय, उन पुलिस वालों ने उस बेचारे व्यक्ति को बुरी तरह से लातों और घूंसों से मारा। वह बेचारा मरते-मरते बाल-बाल बचा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पुलिस क्या कर रही है। मैंने उस वक्त बोलना उचित नहीं समझा क्योंकि वहां पर अधिक हंगामा होता। तो अध्यक्ष महोदय, आज जो पुलिस का आउटलुक है वही पुराना खराब पड़ा हुआ है। उस आउटलुक को बदलने की आवश्यकता है। अगर यह आउटलुक पुलिस का नहीं बदलेगा तो, अध्यक्ष महोदय, इस पुलिस का काम चलने वाला नहीं। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपने पुलिस के स्टाफ को ट्रेनिंग दें और उस ट्रेनिंग के जरिये पुलिस के तौर तरीके बदले जायें।

अध्यक्ष महोदय, अब थोड़ा मैं आपके एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारी प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त को अपने

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

भाषण में यह कहा कि हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत पनप रहा है, इसको समाप्त किया जाये। अध्यक्ष, महोदय यह पहली बार है जब कि हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भ्रष्टाचार के बारे में चिन्ता व्यक्त की। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आपकी सरकार को यह समझ लेना चाहिये कि वाकई में हमारे यहां भ्रष्टाचार पिछले तीन वर्षों से अधिक हो गया है। यह पहली बार है कि हमारी प्रधान मन्त्री ने इस भ्रष्टाचार को स्वीकारा है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन है कि सरकार को इसके लिये कदम उठाने चाहिये। इसको समाप्त करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये। पर, अध्यक्ष महोदय, आज इस एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट, जिसको कि हमने भ्रष्टाचार मिटाने के वास्ते खोला, में ऐसे व्यक्ति को लगाया जाता है जिसको कि सजा देनी होती है। अध्यक्ष महोदय, जिन पुलिस अधिकारियों का गोड फादर नहीं होता है उन्हें एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट में लगाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस डिपार्टमेन्ट में आप बढ़िया ऑफिसर लगाइये। अध्यक्ष महोदय, आज जो एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट को प्रभावी बनाने के लिये आप जिस स्टाफ को रखें उन्हें आप स्पेशल पे दीजिये, उनको इन्सेन्टिव दीजिये ताकि वह इस एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट में आवें और प्रभावी ढंग से काम करें। अध्यक्ष महोदय, अगर यह समझा जाय कि सभी पुलिस के अधिकारी बेईमान हैं तो यह बात सही है नहीं। इस पुलिस डिपार्टमेन्ट में भी बहुत से ईमानदार ऑफिसर हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट के लोगों को स्पेशल पे दीजिये। मैं बार-बार कहूंगा कि आप एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट में पुलिस अधिकारियों को स्पेशल पे दें। आप उन्हें सजा के बतौर नहीं लगायें। आप इस एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट को सजा देने का अड्डा मत बनाइये। अगर आपके डिपार्टमेन्ट के लोग इसमें नहीं आना चाहें या आप किन्हीं विशेष व्यक्तियों को नहीं भेजना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिये कि आप अपने पुलिस के तीनों विंगों में से पुलिस के अधिकारियों को ओन रोटेशन भेजिये। आप ऐसा प्रावधान बना दें चाहे पुलिस की सी.आई.डी. ब्रान्च का पुलिस अधिकारी हो, चाहे एन्टी करप्शन पुलिस डिपार्टमेन्ट का अधिकारी हो, चाहे सिविल पुलिस का अधिकारी हो, हर पुलिस अधिकारी को ओन रोटेशन दो तीन साल के लिये इस विंग में काम करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति क्या हो गयी है? स्थिति यह है कि जिसका कोई वसीला नहीं होता है उसको पुलिस के एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट में भेज दिया जाता है।

(व्यवधान)

आप हंसिये मत, मुझ से मत बुलवाइये। मुझे सभी बातें पता है। यहां पर आपके राज्य में कालवी साहब क्या करते थे? मैं उन बातों को यहां पर उछालना नहीं चाहता।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस महकमे के एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट को आप ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनावें। हमारे देश की प्रधान मन्त्री ने जो तकरीर दी है अभी उसके अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। अगर आप इस एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट को प्रभावी नहीं बनायेंगे तो फिर आपके पास भ्रष्टाचार मिटाने के लिये कौन सी एजेन्सी है? आपके पास कोई अलग एजेन्सी

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

है क्या ? और अगर नहीं है तो आप इसको ही प्रभावी बना कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सोचें । और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मुल्क का अल्लाह ही मालिक है और जैसा होता आया है वैसा होता रहेगा और जैसा चलता है वैसा ही चलता रहेगा।

इसके अलावा एक बात मैं, अध्यक्ष महोदय, और निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे गांवों में पिछले तीन सालों से इतनी अराजकता बढ़ गयी कि लोगों के मन के अन्दर एक असुरक्षा की भावना भर गयी है। इसका कारण है कि आपकी पुलिस फोर्स कुछ काम नहीं करती दूसरे, पहले तो ऐसा सुना जाता था कि भरतपुर-सवाई माधोपुर जिले ही डकैतों के बारे में ज्यादा प्रसिद्ध थे। वहां पर डकैतियों की वारदातें अधिक होती थीं पर अभी कुछ समय पहले से जयपुर और कोटा जिला भी डाकू ग्रस्त हो गया है। आज वहां पर डाकुओं ने उग्र रूप धारण कर रखा है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनता में असुरक्षा की भावना बहुत फैल गयी है। इसलिये मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग सक्षम हैं उनको 12 बोर की बन्दूकें रखने की इजाजत दे देनी चाहिये ताकि वह लोग अपनी सुरक्षा कर सकें तथा इसके लिये ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सुरक्षा दल स्थापित किये जाने चाहियें। इससे, अध्यक्ष महोदय, वह लोग, जो सक्षम हैं, दूसरे लोगों की सुरक्षा कर सकें और आज जो गांवों के लोगों में असुरक्षा की भावना फैली हुई है उनमें सुरक्षा की भावना पैदा होनी शुरू होगी।

अध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि आज हमारे यहां पर सबसे बड़ी आदत पुलिस अधिकारियों की इसलिये बिगड़ गयी है कि इमर्जेन्सी के वक्त में जिन भ्रष्ट अधिकारियों को निकाला गया था उनको वापस ले लिया गया था अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को कम्पलसरी रिटायर किया गया था उसमें मैं यह नहीं कहता कि सभी बेईमान थे पर इतना अवश्य कह सकता हूं कि उनमें ज्यादा तादाद में लोग करप्ट थे। अध्यक्ष महोदय, हो सकता हो कि कम्पलसरी रिटायरमेन्ट में बेईमान लोग बच गये हों जिन लोगों को निकाला गया उनमें से 99 प्रतिशत के लिये तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि वे करप्ट थे। उनमें से बहुत से लोगों को रीइन्सटेट किया गया था। यही उचित नहीं हुआ क्योंकि जिन लोगों को निकाला गया था वह करप्ट थे। उनको वापिस लेने से भ्रष्टाचार और बढ़ गया और लोगों में भय की भावना समाप्त हो गयी।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज आपके सी. आई. डी. में क्राइम्स की क्या पोजीशन है ? यह कहा गया था सदन में कि हम हमारी सी. आई. डी. क्राइम ब्रान्च को सी. बी. आई. के समकक्ष बना देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो मर्डर जैसे केसेज इनको इन्वेस्टीगेशन के लिये दिये जाते हैं उन केसेज में यह तीन, चार-चार महीनों तक पूरी तफतीस नहीं कर सकते हैं और उनके चालान पेश नहीं होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जिन लोगों पर सुबाह होता है उनकी एन्टीसिपेटरी बेल हो जाती है। कई बार मुलजिमों की जमानत हो जाती हैं और चालान

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

पेश नहीं होते हैं। अब तो वैसे भी. सी.आर. पी. सी. में भी इसके लिये कुछ प्रावधान हो रहे हैं कि जमानत हो जाय। पर अध्यक्ष महोदय, उन लोगों का चालान तो समय पर होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, आज कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का अभाव होने के कारण भी अपराधों में वृद्धि होती है। अध्यक्ष महोदय, जब तक सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले के गांवों को आप सड़कों से नहीं जोड़ेंगे तब तक आप इन अपराध करने वालों को कन्ट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिये आपको सड़कों का विकास इन इलाकों में करना होगा पहले यहां पर कहा भी गया था और शायद कोई योजना भी राजस्थान सरकार ने इस बारे में बनायी थी पर पता नहीं अब उस योजना का क्या हुआ? अध्यक्ष महोदय, अगर राज्य सरकार के पास पैसा इसके लिये नहीं है तो आपको भारत सरकार से या गृह मन्त्रालय से पैसा इन डाकू ग्रस्त क्षेत्रों में उनका सफाया करने के लिये सड़कें बनाने हेतु पैसा लाना होगा। जब यह सड़के बनेंगी तभी डाकू उन्मूलन हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, अब एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे देश में एक अजीबो गरीब वातावरण बन रहा है। हालांकि अभी तक हमारे राजस्थान के अन्दर उसके लिये कोई वातावरण नहीं बना है पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज माइनोरिटीज के कितने लोगों को आपने पुलिस डिपार्टमेन्ट में एस. पी. या डीवाई. एस. पी. और इन्सपेक्टर्स और सब-इन्सपेक्टर्स वगैराह लिया है? आज आप यह कह देते हैं कि एस.पी. तो आई.पी. एस. होता है और केन्द्रीय सरकार उसको सलेक्ट करती है लेकिन आज माइनोरिटीज में कॉन्फिडेन्स पैदा करने के लिये आपने कितने पुलिस में आई. पी. एस. आफिसर्स को कितने एस. आई. ए. एस. आई. और कान्सटेबल्स मुसलमान अपने डिपार्टमेन्ट में रखे हैं? आज उनके मन में डर का वातावरण फैल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर सैक्यूलर स्टेट है। यह माना, आप किसी को डाइरेक्शन नहीं दे सकते हैं पर अपने अधिकारियों को मौखिक आदेश तो दे सकते हैं, अपने आई. जी. पी. को यह मौखिक आदेश तो दे सकते हैं। अपने एस. पी. और डीवाई. एस. पीज. को कह सकते हैं कि आप अपने यहां पर जो भर्ती करें उनमें माइनोरिटीज को भी भर्ती करें। अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति ऐसी है कि मुसलमान लोग यह जानते हैं कि हमें पुलिस में भर्ती तो किया नहीं जायेगा इसलिये वह पहले ही एप्लाई नहीं करते हैं। अगर एप्लाई करते हैं तो उन्हें नहीं लिया जाता है। तो मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि हमारे यहां पर काम्यूनल हारमोनी बढ़ाने के लिये उनको भी पुलिस में भर्ती करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, हम सचमुच में राजस्थान वाले बहुत ही भाग्यशाली हैं जहां पर कि कम्युनल झगड़े नहीं हो रहे हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, इसके लिये पुलिस प्रशासन और हमारी राजस्थान सरकार को बधाई देता हूं और कहना चाहूंगा कि वह इस हारमोनी को बनाये रखें, इसके लिये पूरी चौकसी रखें और इसकी ओर विशेषकर से ध्यान रखें कि जिस तरह का अच्छा वातावरण हमारे यहां राजस्थान में बनाया हुआ है वह बिगड़े नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, जब सभापति महोदय थे तो उन्होंने कहा था कि प्रद्युम्नसिंह जी के बाद मेरा नाम है। मेरा नाम है तो सही ?

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग के कटौती प्रस्ताव के ऊपर मैं निवेदन करना चाहूंगा। पुलिस विभाग के सन्दर्भ में भ्रष्टाचार को लेकर काफी लोगों ने अपने कटौती प्रस्तावों पर विचार रखे हैं । मेरी ऐसी मान्यता है कि पुलिस विभाग में ही नहीं बल्कि पुलिस से लेकर छोटी से छोटी संस्था में भी भ्रष्टाचार का अंकुर पहुंच गया है चाहे सरकार जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, कोई भी सरकार आये इस भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकी । भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए काफी लोग बोलते हैं लेकिन उनकी कथनी और करनी में फर्क है जिसे उन्हें समझना होगा। यह बात सही है कि मैं पुलिस विभाग की कोई बुराई नहीं करना चाहता हूं लेकिन यह सत्य है कि छोटे से लेकर बड़े का यह विभाग गला घोटता है। यह पक्ष और विपक्ष दोनों को नहीं बख्शता है। यह सत्य है किन्तु इसके पीछे कहीं न कहीं राजनैतिक लोग भी अपने स्वार्थ की रोटियां सेकते हैं और स्वार्थ की रोटियां सेक कर उनको भ्रष्टाचार का रास्ता बताकर लोगों का गला घुटवाते हैं। विभाग की आलोचना करने के पहले हम सब को विचार करना होगा कि भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त किया जाय। बड़े-बड़े राजनैतिक लोग कोतवाली के चक्कर काटा करते हैं और छोटे लोगों को बताने के लिए पुलिस को बाध्य किया करते हैं और वह केस बनाते हैं। यह बात सही है कि पुलिस के छोटे अधिकारी इसमें ज्यादा बदनाम होते हैं लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि जो इनको मिलता है उसमें आई. जी. और डी. आई. जी. तक की भी पार्टनरशिप होती है। छोटा से अधिकारी पैसा लेता है तो दलालों के माध्यम से लेता है और दलाल कौन होता है? दलाल राजनैतिक आदमी होता है जो पाप की रोटियां सेकता है। आज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इसको समाप्त कैसे करना है, हमें इस पर विचार करना होगा ।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग के अन्दर साधारणतया लोग नौकरी प्राप्त करने के लिए जाते हैं। बड़े लोग और शिक्षित लोग पुलिस में नौकरी करना उचित नहीं समझते। इसका कारण क्या है? उन लोगों को सीनियोरिटी के आधार पर तरक्कियां नहीं मिलती हैं। अन्य कारणों से राजनैतिक दबाव से दूसरी संस्थाओं से लोग आ जाते हैं और बढ़ जाते हैं। मैंने पुलिस विभाग देखा है कि छोटा सा जो कान्सटेबल है ईमानदारी से मुंशी बनता है, थानेदार ट्रेनिंग होती है तो परीक्षा देता है और उसमें वह पास होता है तो इन्टरव्यू में बैठता है और इन्टरव्यू में बैठने के लिए उसको बहुत बड़े धन की आवश्यकता होती है। बिना पैसे दिये न वह परीक्षा में पास हो सकता है और न इन्टरव्यू में पास हो सकता है। इसलिए इस प्रणाली को समाप्त किया जाय और उसके स्थान पर उसकी सेवाओं के आधार पर, उसके काम के आधार पर और उसकी सीनियोरिटी के आधार पर पुलिस विभाग में तरक्की देनी होगी ।

इसी सन्दर्भ में मेरा निवेदन है कि पुलिस विभाग और सी. आई. विभाग है। पुलिस विभाग में ऐसा होता है कि वह नेताओं का काम नहीं करते हैं तो उनकी शिकायत हो

(श्री हंसराज शर्मा)

जाती है और फिर उस पुलिस कर्मचारी को चन्द दिनों के लिए सी.आई.डी. में डाल दिया जाता है और फिर सी. आई. डी. के काम में वह लेफ्ट-राइट करता रहता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पुलिस विभाग को सी. आई. विभाग से अलग रखा जाये। उसका अलग महकमा होना चाहिए और उसका पुलिस से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए।

इसी संन्दर्भ में दूसरा मेरा निवेदन है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट के द्वारा, लेकिन इसमें कुछ खामियां एन्टी-करप्शन वाले पकड़ते हैं, मौके पर जाते हैं और रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ते हैं। लेकिन जब जांच होती है तो वह महीनों तक चलती है, वर्षों तक चलती रहती है, जो आदमी प्रभावशाली होता है उसके केस को दवा दिया जाता है, हलफनामा ले लिया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो अधिकारी हों वह कम से कम समय में केसेज को निपटायें। एक महीने के अन्दर कार्यवाही कर देनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिले। इससे भ्रष्टाचार विभाग को बढ़ावा नहीं मिलेगा और भ्रष्टाचार समाप्त होगा।

इसी सन्दर्भ में मैं थोड़ा सा और निवेदन करना चाहूंगा कि आये दिन देखा जाता है कि गांवों में पुलिस समय पर अपनी इन्क्वायरी नहीं कर पाती है। लोग जाते हैं पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं लेकिन पुलिस नहीं कर पाती है। भयंकर दुर्घटनायें होती हैं तो पुलिस को मौके पर तुरन्त पहुंचने की आवश्यकता होती है। पुलिस का जो क्षेत्र है वह बहुत बड़ा है इसलिये गांवों की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से हर पुलिस थाने को जीप मिलनी चाहिये ताकि समय पर घटना स्थल पर पहुंचा जा सके। इसके अलावा छोटे छोटे थानों का निर्माण किया जाये और छोटी छोटी कोतवाली खोली जाये। उनका क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा दस से बारह किलोमीटर के अन्दर हो। पुलिस विभाग में वायरलैस वगैरह सब कुछ होने चाहिये ताकि समय पर सूचना मिल जाये और उसकी जांच कर लें। इसी प्रकार से मेरा यह निवेदन है कि पुलिस विभाग में लोगों को आगे काम करने के लिये मौका दिया जाता है। चोरियां और डकैतियां होती हैं तो छोटे छोटे सिपाहियों को अपनी जिन्दगी हाथ में लेकर वहां पहुंचना होता है। वह लोगों से लड़ते हैं, मरते हैं, सब कुछ करते हैं और जब इनाम प्राप्ति का समय आता है तो डी. आई. जी., एस.पी. जो एयर कन्डीशन्ड कमरों में बैठे रहते हैं, बड़े अधिकारियों को इनाम मिल जाता है और सिपाही सिपाही ही रह जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप बतायें कि छोटे सिपाहियों को कितने इनाम मिले? चोरों को सिपाही पकड़ता है, डाकुओं को सिपाही पकड़ता है लेकिन इनाम बड़े अधिकारी को मिलता है। इसलिये जितने भी बड़े पुलिस के अधिकारियों को इनाम मिले हैं उनकी जांच की जाय। मैं अध्यक्ष महोदय, उदाहरण दे सकता हूं कि हमारे सवाई माधोपुर क्षेत्र में एक डकैत को सिपाही ने मारा, गांव वालों की साजिश से मारा, वह वहां पड़ रहे और पुलिस को सूचना दी। एस. पी. वहां पहुंचा और एस. पी. ने छुटपुट गोलियां चलाई और गांव वालों को आतंकित किया। किसी के बाल नोंच लिये, किसी से

(श्री हंसराज शर्मा)

पैसे ले लिये और डकैत को मारने का इनाम ले लिया। मुझे अफसोस है इस बात का। इसलिये हमें इसका विकास करना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो इनाम प्राप्त करते हैं उसकी जांच कराई जाय और जो व्यक्ति इनाम प्राप्ति का अधिकारी है उसी को इनाम मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : थोड़े समय में ही समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र सवाई माधोपुर में ग्राम श्यामपुरा है जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है लेकिन वहां पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर रात दिन मर्डर और चोरियों के केसेज होते रहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि विभाग उस क्षेत्र में पुलिस की चौकी कायम करे। इसी प्रकार से ग्राम बाटोदा, पंचायत समिति बामनवास है जो कि सवाई माधोपुर से 19 किलोमीटर पड़ता है वहां पर भी किसी प्रकार की कोई पुलिस चौकी नहीं है। जो क्षेत्र कोतवाली से 18 मील दूर है वहां की क्या रक्षा हो सकती है? इसलिए इसकी जांच कराई जाये और इस प्रकार की व्यवस्था कराई जाय कि जहां पुलिस चौकी नहीं है और दूर दूर स्थान हैं वहां पर पुलिस की चौकी कायम की जाय। वहां से सवाई माधोपुर की चौकी नजदीक है और बामनवास का थाना दूर है, 19 किलो मीटर दूर है इसलिए वहां पुलिस चौकियां कायम की जायें और जो नजदीक कोतवाली है उससे क्षेत्रों को जोड़ा जाये।

इसी सन्दर्भ में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ग्राम जटवाड़ा में दस पन्द्रह डकैत आये और सेठ के मकान में घुस गए, उसको मारा और तिजोरी की चाबियां नहीं मिल पाई तो जो बैठा था उसका हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिये और जगह जगह गोद दिया और थोड़ा सा सामान लेकर रवाना हो गए। गांव वाले आये, रिपोर्ट की, पुलिस मौके पर पहुंची, डी. एस. पी. पहुंचा। एक आदमी को पकड़ा। कुछ समय बाद उनको मालूम पड़ा दूसरे लोग मौजूद थे, उनको पकड़ा। उसके बाद सन्दूक बरामद हुआ, घड़ी बरामद हुई। उन मुलजिमों को लेकर घूमते रहे। गवाहों को दफा रफा कर दिया। अरेस्ट नहीं कर सके। जो मुलजिमान पकड़े थे उनका चालान नहीं कर सके। मुलजिमान जब अदालत में गये, जमानत हो गई और सरकार देखती रह गई और चोरियां बरामद नहीं हो सकीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं क्या उस डी. एस. पी. को सस्पेंड किया है जिसने चोरों को भगाया है? डी. एस. पी. के खिलाफ जांच कराइये।

इस प्रकार सवाई माधोपुर में कुछ समय पहले एक सुनार की दुकान से डेढ़ लाख का सोना चांदी चला गया। पुलिस कोई इन्क्वायरी नहीं कर सकी। सारे प्रयास किये गये किन्तु कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार की चोरी 65 हजार की बामनवास गांव में हुई। दूसरों को पकड़ा जो चोर नहीं थे। गांव के बेचारे गरीब काश्तकारों को पीटा गया। कई दिन तक पीटते रहे। जब उन्होंने कहा हमने चोरी नहीं की है तो जो छोटे छोटे गडरिये होते हैं उनको पकड़ा। चोरी आज तक बरामद नहीं की। चोरियों की

(श्री हंसराज शर्मा)

तादाद बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की घटनाओं के सन्दर्भ में राज्य सरकार को तत्परता से सम्बन्धित अधिकारियों को सतर्क करना होगा। सवाई माधोपुर क्षेत्र में पुलिस में इन्वेस्टीगेशन की फाइलें पड़ी हुई हैं, जब पैसा आता है तभी इन्वेस्टीगेशन होता है। आपको तय करना चाहिए एक पुलिस अधिकारी को इतने केस हर महीने निपटाने पड़ेंगे।

इन्हीं बातों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हू कि राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि बलात्कार के केसेज म नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं कटौती प्रस्ताव पर बोल रहा हूं, उन्होंने कहा कि जनता पार्टी के शासन में भी बलात्कार हुए, बहुत हुए, हमने कहा नहीं। मुझे दुःख है कि या तो जनता पार्टी के राज में ऐसे केसेज हुए नहीं या उनके पास उपलब्ध नहीं, या उनके भाई भतीजा वाद के होंगे। हमारी पार्टी के लोग बलात्कार को दूर करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो टाइम दिया, आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गोटवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस विभाग की मांग है, वह विभाग है जिसका हमारी शासन व्यवस्था से सीधा संबंध है। म आज के दिन कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करना चाहूंगा लेकिन सन् 77 के बाद से लगातार जिस प्रकार का वातावरण इस देश के अन्दर पैदा किया गया और जगह जगह लूटमार बलात्कार, चोरी और अन्य सारी घटनाओं के आधार पर मैं स्वयं मानकर चलता हूं कि जनता ने यह मांग की कि यह ऐसे निकम्मे लोग हैं कि जिनकी पुलिस जगह जगह आपस में लड़ती है। पुलिस हड़ताल पर गई। राजस्थान के अन्दर जहां तक मेरी जानकारी है, 38 हजार कर्मचारी हैं। 1300 पुलिस कर्मचारी गिरफ्तार हुए जिनके शासन के जमाने में सरकार के खिलाफ उस जमाने के अन्दर पुलिस ने हड़ताल की थी उनमें से अधिकांश लोगों को वापस ड्यूटी पर ले लिया। 127 लोगों को अभी तक नहीं लिया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन 117 आदमियों ने रिट की है। सिंगल बेंच से जीत गये हैं। फिर अपील की जा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि असंतोष को दूर करने के लिये उन 127 व्यक्तियों को काम पर ले लेना चाहियें। सभी माननीय सदस्यों ने गम्भीरतापूर्वक प्रकाश डाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवदन करना चाहूंगा कि पुलिस का जो मसला है केवल उनकी वेतन वृद्धि करने से हल होने वाला नहीं है, उनकी सुविधायें बढ़ाने से हल होने वाला नहीं है, मनोवैज्ञानिक ढंग से पुलिस कर्मचारियों और हमारे बीच जो वातावरण है, समाज का जो वातावरण है, उसको ध्यान में रखकर चलना होगा। मुझे याद है कि सन् 77 में ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन कन्ट्रोल करने के लिये, सुझाव देने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी का प्रदेश लेवल पर गठन किया गया था और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

भी कमेटी बनाने की बातें की थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटियां बनें। वह कमेटी सारी बातों के लिये एडवाइज करे। पुलिस के दुःख दर्द सुने। जनता के अन्दर जो दुःख दर्द है उसको सुने लेकिन मुझे कोई जानकारी मिली नहीं कि उसका क्या हुआ। श्रीमान् बदली हुई परिस्थितियों के अन्दर, नया बदला हुआ जो वातावरण है उस वातावरण के अन्दर, ब्रिटिश राज की पुलिस तो है नहीं आज 33 साल से उसी प्रकार की लीक पीटते रहेंगे तो मैं समझता हूं वाजिब बात नहीं करेंगे। इस लिये मेरा अनुरोध है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्थिति को मेनटेन करने के लिये एडवाईजरी कमेटी बनाकर रखनी चाहिये और प्रदेश लेवल की बने सो तो बने ही, डिस्ट्रीक्ट लेवल पर निश्चित रूप से बननी चाहिये। मेरे क्षेत्र जयपुर में पुलिस लाइन पड़ती है। पुलिस एकेडमी मेरे ही क्षेत्र में आती है। जब मैं वोट लेने गया तो मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, वहां जाने का मौका मिला। सारी स्थिति के अन्दर मैंने यह महसूस किया कि जो उनका रहन सहन का तरीका है, कोई बिजली की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं, कई जगह फर्श टूट पड़े हुए है खिड़कियां टूटी पड़ी है, इसके अलावा मैं यह मानकर चलता हूं आपको इस ओर ध्यान देना चाहिये। इनके असंतोष को दूर करके चलिये एक पुलिस कान्सटेबल 1 हजार आदमियों को कन्ट्रोल करता है। राजस्थान में 11 आदमियों के पीछे एक कान्सटेबल है। उनके बच्चों के लिये क्या व्यवस्था हो रही है? सरकार ने जो आंकड़े दिये है, जो पुस्तिका दी है, उसमें इन्होंने कहा है कि वर्ष में पुलिस जनों की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को भी इस कोष से 1 लाख 26 हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा सेवा में रहते हुए ड्यूटी पर दुर्घटनाग्रस्त होने अथवा बीमारी की विशेष परिस्थितियों में भी 2290 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई हैं। 1165 छात्र-छात्राओं को 2,78,293-75 को आर्थिक सहायता दी गई है। यह अनुमान की चीज है इस प्रकार के आंकड़े देकर सारी चीजों का उपहास किया है। मेरा सुझाव है, अध्यक्ष महोदय, इनके बच्चों की, रहन सहन का, परिवारों को हमको ध्यान रखना होगा, हम और वे अलग अलग नहीं है। सारी व्यवस्था जो चल रही है, यह तो सौभाग्य है राजस्थान का कि यहां पर कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार को आज इस बात के लिये निवेदन करना चाहूंगा वे सतर्क हों। आज राजस्थान पत्रिका के अन्दर एक आर्टिकल छपा है कपूर चन्द कुलिश का, उस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढें, मेरा निवेदन है यदि इस प्रकार के आर्टिकल लिखे गये तो राजस्थान की धरती पर आग फैलने से कोई नहीं रोक सकेगा। मैंने उस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पढ़ा है, क्योंकि छोटीसी घटना पर मुरादाबाद में दंगा हो गया और कई जाने चली गई और उसके विरोध में दिल्ली में काली पट्टी बान्धकर चले। हमारे गृह राज्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि विदेशी एजेन्सियां इस प्रकार के वातावरण को पैदा करने का काम कर रही हैं ताकि देश में अशान्ति हो, देश में अराजकता हो जो हमारे साथ बैठ है लेकिन इन घटनाओं

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

को लम्बा तूल देकर और गलत बातें करके इस प्रकार का वातावरण फैलाना चाहते हैं कि इस प्रदेश में भयंकर अराजकता है, क्योंकि जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हालांकि निर्वाचन हुआ है एक एक क्षेत्र का, लेकिन यहां हमारा सबका मकसद एक है कि राजस्थान में शान्ति और अमन की व्यवस्था कायम रहे। कोई किसी भी दल का हो, अगर गुण्डा गर्दी फैलती है तो इस बात को कोई नहीं देखता है कि यह भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस (आई) का है या कम्युनिस्ट पार्टी का है। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं और पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं कि उस आर्टिकल को देखें और पढ़ें। मुरादाबाद की घटनाओं को लेकर जिस प्रकार का तूल दिया गया है उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश की जाय। मैं इसके साथ ही एक सुझाव देना चाहता हूं अमेरिका में सी. आई. ए. की रिपोर्ट पेश होती है उसमें कई तथ्य पेश हुए है। उसमें कई चौकाने वाले तथ्य भी हुए हैं। किन्तु हमारे यहां की जो सी. आई. डी. है वह आज इस प्रकार की बात करती हुई देखी जाती है कि आपका फलां आदमी रह रहा है या नहीं रह रहा है, मिनिस्ट्री बन रही है या नहीं। मैं समझता हूं उनके लिये ये ऐसी कौनसी बातें रह गई है। इसीलिये मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी व्यवस्था को ठीक करके चलना होगा। आज पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी के बीच आई. जी. डी. आई. जी, एडिशनल आई. जी. एस. पी. डी. एस. पी., इन्सपेक्टर आदि कई पद होते हैं। मैं समझता हूं आई. जी. का डाइरेक्ट सम्बन्ध कांस्टेबल से होता ही नहीं है और यह संभव भी नहीं लगता है। 80 हजार कांस्टेबल यानि 80 प्रतिशत उनको रखा जाता है तो फिर किस प्रकार समस्याओं का निवारण किया जा सकता है? जो सीनियर पोस्ट है आई. जी., डी. आई. जी. और डी आई. जी. को तो मैं पोस्ट आफिस मानकर चलता हूं, उन लोगों को प्रमोशन चाहिये इसलिये एडजस्ट किये हुए हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं। आर. पी. एस. जो 10-10, 12-12 साल से लगे हुए हैं वे डी. एस. पी. हैं और उसके बाद तरक्की होती है तो एडिशनल एस. पी. हो जाते हैं और दूसरी तरफ आई. पी. एस. हैं जिनको तीन चार साल में ही डिस्ट्रिक्ट्स दिये जाते हैं, जिनको तजुर्बा कुछ होता नहीं। फिर आपस में अधिकारियों में मन मुटाव की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। मेरा निवेदन है आपको इस प्रकार और इस ढंग से चलना चाहिये कि जो आर. पी. एस. में बैठते हैं उनको भी इस बात का मौका मिले और उनको भी डिस्ट्रिक्टस को सौंप करके सारे काम काज को देखने की व्यवस्था हो। एन्टी करप्शन का जो महकमा है पता नहीं और जगह तो उसकी क्या स्थिति है लेकिन हमारे जयपुर में तो उसको एन्टी गरम महकमा कहते है, जो आकड़ दिये हैं उससे प्रमाणित होता है . .

एक माननीय सदस्य : जरा सुना नहीं क्या कहा . . .

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला: आप तो माहिर है तथा पास के, आपके नजदीक हैं और

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

उसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है इसलिये क्यों सारी बातें कहलवाना चाहते हो ? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा...

(व्यवधान)

घनश्याम जी तिवाड़ी बोल दें तो ठीक है। आपको जानकारी नहीं है यह

(व्यवधान)

भी बात सही है लेकिन आप बीच में क्यों टांग फंसाते हो, उसमें तो आपका हिस्सा है नहीं.....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सूर्य नारायण जी का है . . .

श्री श्रीराम गोटेवाला : सूर्य नारायण जी इस हाउस के सदस्य नहीं हैं, इसलिये मैं कुछ उनके बारे में कहना नहीं चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं भ्रष्टाचार से देश को प्रधान मंत्री चिन्तित है और देश का हर समझदार चिन्तित है कि किसी प्रकार भ्रष्टाचार समाप्त हो। अब चिन्तित होने से भ्रष्टाचार समाप्त होगा नहीं और यदि पुलिस कर्मचारी के भरोसे छोड़कर चले तो भ्रष्टाचार समाप्त होगा नहीं। जयपुर शहर के बाहर निकल कर चले जाये और देखें सारे बंगले, ए. ई. एन. के, ए. ई. के, एस. ई. के, मतलब जो महकमा जनता से ताल्लुक रखता है उन सबके बंगले देखलें कितने आलीशान बने हुए हैं। तनख्वाह मिलती है 800 और खर्चा करते हैं 8000 का, कार मेन्टेन करते हैं और कहते हैं 84 केस पकड़े हैं। हालांकि पुलिस कमीशन बना, धर्मवीर उसके अध्यक्ष बने, उनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई लेकिन नतीजा जीरो तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को एक-दो बातें कहकर समाप्त करूंगा, एक तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारी व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। इस बात को मैंने बजट की आम बहस के समय भी निवेदन किया था। आई. जी. की डाइरेक्ट जिम्मेदारी नहीं है। आज खराब कामों की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट्स में एस. पी. की है या फिर कलेक्टर की जिम्मेदारी है और जो आई.ए.एस. आफिसर होता है आई. पी. एस. होता है उनमें बहुत पहले संघर्ष भी चला था, लड़ाई चली थी, खैर चली होगी उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन ऊपरी तौर से शान्त थे।

यह बात अवश्य देखने में आई कि कोई अच्छी बात हो जाती है, कोई अच्छी घटना हो जाती है तो उस के लिये तो कलेक्टर साहब हैं किन्तु सारी बुराई की जड़ वह है एस. पी. है। मैं बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं हमको रिस्क लेनी चाहिये और एस. पी. के ऊपर डिस्ट्रिक्ट की सारी जिम्मेदारी डालनी चाहिये और डिस्ट्रिक्ट के सारे काम सौंपे जाने चाहिये कि आपके जिम्मे सारे काम हैं। हत्यायें होती हैं, डकैतियां होती हैं, लूट-पाट होती है, बलात्कार के केसेज होते हैं उन सबके लिये एस. पी. की जिम्मेदारी होगी और आपकी सी. आर. इससे बनेगी और बिगड़ेगी तब तो जिम्मेदारी का निर्वहन भी ठीक प्रकार से हो सकेगा। अच्छे कामों की जिम्मेदारी कलेक्टर की और बुरे कामों की जिम्मेदारी एस. पी. की, यह नहीं चलने वाला है। एक बार की बात है बंगाल के डी. आई. जी. से अखबार वालों

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

ने पूछा आपका क्या काम है तो उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मचारियों के बैज को चमकाते रहने का काम है, उनकी वर्दी को देखने का काम है, यह जिम्मेदारी मेरी है। बाकी ट्रांसफर वगैरह का सब काम आई. जी करते हैं—मेरे कहने से कोई लगाता नहीं, मेरे कहने से कोई हटाता नहीं इसलिये मेरी कहां जिम्मेदारी पड़ती है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है जिनके जिम्मे ला एण्ड आर्डर की स्थिति रखना चाहते हैं मेहरबानी करके उस जिम्मेदारी को पूरा करवाने की व्यवस्था भी करें तो मैं समझता हूं अच्छे रिजल्ट्स निकल सकते हैं। कई बार यहां सदन में भी रेप के केसेज के बारे में कहा जाता है, उसके बारे में मैं कुछ कहने की स्थिति में तो नहीं हूं लेकिन मैं यह कहूंगा राजस्थान में 38 हजार पुलिस कर्मचारी हैं और हो सकता है इतने बड़े वातावरण में कुछ गड़बड़ी करते हों—कोई उससे इन्कार नहीं करता हूं लेकिन तूल देकर जो आज वातावरण बना रहे हैं वह मैं समझता हूं किसी के हित में नहीं है। अच्छे समाज की कल्पना करके चलना चाहते हैं, अच्छा निर्माण करना चाहते हैं तो उस अच्छे निर्माण की होड़ में कहीं पर इन बातों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। इस बारे में जोरों से चर्चा चल रही थी कि सख्ती से सजा का प्रावधान करें तो मेरा निवेदन यही है कि इतना तूल देकर चीज को बढ़ाना नहीं चाहिये।

एक चम्बल के डाकुओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मैंने प्रश्न काल में भी कहा था, धौलपुर से आने वाले दोनों माननीय सदस्यों ने अपने यहां डकैतों के बारे में चर्चा की थी और मैंने पूरक प्रश्न पूछते हुए निवेदन किया था वहां पर चम्बल के जो खादर है उनको लेवल करने की व्यवस्था करनी होगी, भूमि आवंटित होगी, रोजगार के साधन मुहैया हों, और सारे वातावरण को ठीक करने के साधन किये जायं तो मैं समझता हूं डकैती की घटनायें कम हो सकती हैं। आज राजस्थान की 6 करोड़ एकड़ धरती चम्बल की खादरों में है। सभापति महोदय, खादर की जमीन बहुत उपजाऊ होती है जो माननीय मंत्री महोदय ने आंकड़े दिये हैं 2200 एकड़ जमीन को ठीक कराने पर विचार किया जा रहा है। भूतपूर्व मंत्री माननीय बद्री प्रसाद जी, माननीय खेत सिंह जी, आपको शायद याद होगा सरकार ने उस समय एक एप्लीकेशन इन्वाइट की थी और कहा था 100-100 बीघा जमीन देंगे, जो समतल करके जमीन को उपजाऊ व वन लगाने का काम करेंगे। पोलिटिकल प्रैशर से वह कार्यवाही रुक गई और वह नहीं हुई। मैं कहता हूं लाखों एकड़ धरती राजस्थान के चार जिलों में पड़ी है, जयपुर, सवाई माधोपुर, टौंक, भरतपुर और कोटा में भी लाखों एकड़ धरती पड़ी हुई है। मगर इस धरती को समतल करके वहां हम रोजगार के साधन उपलब्ध करवाते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि डाकुओं के आश्रय-स्थलों को वहां से हम समाप्त कर सकते हैं यह सही है कि वहां उस इलाके में चाहे सवेली हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे वह धौलपुर हो, वह डाकुओं के लिए आश्रय-स्थल बने हुए हैं। यह निश्चित प्रमाण है मेरे पास कि माइन्स के ठेकेदारों से वहां पर निश्चित रूप से बाकायदा वसूली होती है। एक गवर्नमेंट आपकी होती है, माइन्स वालों के लिए और उससे बड़ी गवर्नमेंट डाकुओं की चलती है। वह अपनी पूरी चौथ वसूल करती है और अच्छे 2 लोगों

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
से, जिनका राजनैतिक अस्तित्व है, उनसे भी ये डाकू चौथ वसूल करते हैं और अगर चौथ वसूल नहीं होती है, तो उनके ट्रकों को तोड़ते हैं, उनका नुकसान करते हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि यह स्थिति लॉ एण्ड ऑर्डर के लिए भी ठीक नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब मैं एक बात अपने क्षेत्र की कहकर समाप्त करता हूं मेरे क्षेत्र में 2 छात्रावास हैं हमारा राजपूत छात्रावास हमेशा से हमारे लिए सिर दर्द बनों हुआ है। कई बार हमने यह प्रयास किया, कई बार हड़ताल हुई है, कई बार लोग बड़े परेशान होते हैं, एक बार रोडवेज के कर्मचारियों ने अन्दर घुस करके वहां मारपीट भी की थी। मैं खुद भी मानता हूं कि लॉ एण्ड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब स्थिति हद से ऊपर गुजर जाय और उसकी व्यवस्थायें बिगड़ जायें तब लोग भी आखिर क्या करें। बड़ी विनम्रतापूर्वक मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, वहां अगर लोग डर के मारे दुकान बन्द करके बैठ जायें तो हमारे लिए इससे बढ़कर शर्म की बात नहीं हो सकती। मैंने वहां स्टूडेन्ट्स के बीच में जाकर उनसे निवेदन किया था कि भाई इस ढंग की व्यवस्था मत करो। इस ढंग की बात मत करो। इस व्यवस्था को ठीक करो। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम जयपुर शहर में तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मैं एक बात और निवेदन करूंगा कि जो एफ. आई. आर. दर्ज होती है, मेरे को कई बार टेलीफोन करने पड़ते हैं कि भाई एफ. आई. आर. दर्ज कर दो। एफ. आई. आर. दर्ज करने में बड़ी दिक्कत होती है। उस एफ. आई. आर., मैं मानता हूं, उसकी रिपोर्ट की कॉपी तत्काल मिल जानी चाहिए। अब पता नहीं कागज की, कार्बन की, क्या दिक्कत है और छोटी-मोटी बातें हैं।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़: अध्यक्ष महोदय, सदन का समय आज 8 बजे तक बढ़ा दिया जाय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, पुलिस पर डिमाण्ड है, बहुत लोग बोलने वाले हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मांग पारित होने तक समय बढ़ाया जाय। एक दिन ही ऐसा किया जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 8 बजे और बढ़ा देंगे।

श्री ललित- किशोर चतुर्वेदी : अभी बढ़ा देंगे तो क्या तकलीफ है ?

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विचाराधीन मांग के पारित होने तक सदन की बैठक का समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 16 पर विचार

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था आपसे, आपके माध्यम से एफ. आई. आर. दर्ज कराने के लिए तो मैं उसके बारे में निवेदन करूंगा कि एफ. आई. आर. की कापी तुरन्त मिल जानी चाहिए। पहले हमारे जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर डकैतियों की घटनायें नहीं होती थीं। इन दिनों हमारे जिले में डकैतियों की घटनाओं की संख्या बढ़ी है और यहां किडनैपिंग और रेप की घटनायें भी दो ढाई साल के अन्दर बढ़ी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अचरोल रोड पर दिन दहाड़े जो डकैतियां हुई हैं या जो कारों को रोक कर काम हुए हैं, मुझे जितनी जानकारी मिली है, उसके अन्दर यू. पी. के कुछ लोगों का हाथ रहा है। यहां पर इस बात की निगरानी रखी जानी चाहिए कि बाहर के एलीमेन्ट आकर स्थिति न बिगाड़ें। यही बात कहते हुए और यह निवेदन करते हुए कि पुलिस कर्मचारियों के कल्याण को और पुलिस अधिकारियों की सारी व्यवस्था को ठीक करें जो फालतू कई पोस्टें क्रिएट करके जो खर्चा बढ़ाया जा रहा है, उसको कम करें तथा लॉ एण्ड आर्डर को ठीक ढंग से मेन्टन करें और इसके साथ जैसा बीच में मैंने इस बात का निवेदन किया था, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी उस लेख को पढ़ें। राजस्थान में आज शान्ति है, लेकिन अगर इस प्रकार के आर्टीकल लिखे गये, इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया लोगों के अन्दर, आप जानते हैं धर्म के नाम पर हमारी चमड़ियां बहुत कमजोर हैं और छोटी-छोटी बातों के ऊपर आज तक दंगे फसाद होते रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि चाहे किसी लेवल पर बैठ करके हुआ, चाहे कोई पाबन्दी लगाने की बात हो या नहीं हो, चाहे बैठ करके सही, इस प्रकार के आर्टीकल्स को रोके जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव के माध्यम से मैं सदन का ध्यान सबसे पूर्व इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जितने सदस्यों ने अपनी बात रखी उन्होंने कहा कि पुलिस में भ्रष्टाचार है, उनका मुख्य मुद्दा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का, अध्यक्ष महोदय का और पुलिस अधिकारियों का ध्यान आकर्षित इस ओर करना चाहूंगा कि पुलिस अधिकारियों ने ठण्डे दिमाग से सोचा कि जो मोडल उन्होंने किया है, आज तक वह माडल क्रिएटिव माडल होना चाहिए, यह ध्येय होना चाहिए कि करेक्टिव मेजर एडाप्ट करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज दिन तक पुलिस यदि किसी अपराधी को पकड़ती है तो वह चाहती है कि वह अपराध करे। जिस तरह जेलों की हालत है, जेलें बनी हुई हैं और आज के अपराध करने वाले आदमी जेल में रह कर आते हैं तो उसके बाद देखा गया है कि हर आदमी करेक्टिव मेजर अडाप्ट नहीं करके प्रिवेन्टिव मेजर एडाप्ट करता है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है, कि उच्च अधिकारी को भी इस बात को गम्भीरता से सोचना चाहिए कि अगर कोई आदमी क्राइम करता है, तो क्राइम करने के बाद हमारी एप्रोच

(श्री सी. पी. जोशी)

किस प्रकार की होनी चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि जो हमारी रिक्रूटमेन्ट पालिसी है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करें। उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि जिस प्रकार सेना में हम ऑफिसर्स को सलेक्ट करते हैं और उनसे काम लेते हैं उसी तरह से पुलिस के अन्दर भी इस बात की जानकारी रखी जाय कि जिन आदमियों को ऑफिसर बना रहे हैं क्या वे आफिसर डिजर्व करते भी हैं या नहीं। तीस साल के शासन काल में यदि आप देखेंगे कि जो मैथड हमने अडाप्ट किया है, जो हैड कान्स्टेबल से नीचे के लोग हैं, वे अधिकांश वृहुतायत से एक प्रमुख जाति के लोग लिये गये हैं और एक जाति के लोग जो आये हैं। यदि हम उनका डेटा कलेक्ट करें तो हम पायेंगे कि हम कोई सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाये हैं। इसलिये इस बात की भी आवश्यकता है कि वहां हम इस बात को भी ध्यान में रखें कि आफिसर्स लाइन क्वालिटी हो और वहां हम इस बात को भी ध्यान रखें कि जो राजस्थान में हमारी पोपुलेशन · · · · · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य

श्री सी. पी. जोशी : उनको भी प्रोत्साहन मिले। इसके लिए यह आवश्यक है कि राजस्थान प्रदेश लेवल पर रिक्रूटमेंट पालिसी को चेन्ज किया जाय और रिक्रूटमेंट इस तरह से किया जाय कि हर जाति के लोगों को चांस एवेल करने का मौका मिले। साथ ही यह भी निवेदन है कि इतनी बड़ी जनसंख्या का आधि से अधिक प्रतिशत महिलाओं का है। सभी सदस्यों ने बलात्कार की बात भी की, बलात्कार की बातों को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैं भी मनोविज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। यदि हम बलात्कार की घटनाओं के बारे में जो महिलाओं में साइकोलोजी है उनको ध्यान में रखकर कहें तो उनके बारे में जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं जो रिपोर्ट करना चाहते हैं उसका सही अन्वेषण नहीं हो पायेगा। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि रिक्रूटमेंट के अन्दर एक सर्टेन पर्सेन्टेज महिलाओं का भी हो लोअर लेवल पर और हायर लेवल पर हैड कान्स्टेबल तक। बलात्कार की सम्भावना, गम्भीर रूप से जो दिनों-दिन बढ़ती जा रही है कि पुलिस वाले बलात्कार करते हैं इसको कम करने के लिए आवश्यक है कि कम से कम शुरु करने के लिए, विगिन करने के लिए हम डिवीजन हैडक्वार्टर पर इस बात की व्यवस्था करें कि जहां बलात्कार के केसिज ज्यादा आ रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी या महिला हैड कान्स्टेबल रखे जायें और कम से कम उन जगह पर जहां रात्रि में महिलाओं को रोकते हैं थाने में, उनके बलात्कार की सम्भावनायें थाने में कम करने के लिए आवश्यक है, उन पर महिला अधिकारी और महिला हैड कान्स्टेबल की नियुक्ति की जाय। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जोर-शोर से विचार किया गया कि ढाई वर्ष और 6 महीने के शासन काल में यह हुआ, वह हुआ। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक शब्दों में कहता हूं कि जब हम बात करते हैं, क्राइम की बात की गयी है, वह इन्डीविजुअल क्राइम की

(श्री सी. पी. जोशी)

बात की गयी है कि अपराध किया, हैड कान्स्टेबल ने यह किया। आज पुलिस का रुख इन्डीविजुअल क्राइम रोकने का ही नहीं है। पुलिस का केवल यही काम नहीं है। कलेक्टिव बार्गेनिंग करने वाले जो लोग हैं, जो सबसे बड़े सैक्टर्स हैं चाहे लेबर सैक्टर हो, चाहे स्टूडेन्ट सैक्टर हो, चाहे पोलिटिकल पार्टी का कोई आन्दोलन हो, इन सबके आन्दोलन को डील करने में पुलिस की एक प्रमुख भूमिका होती है। आज हम यह कहते है कि फलां अफसर करप्ट है। एस. पी. का करप्ट है, डी. एस. पी. करप्ट है, डी. आई. जी. करप्ट है, गंगानगर के थानेदार करप्ट हैं, यह भी एक आस्पेक्ट है जो पुलिस का जरूर हो सकता है। लेकिन दूसरा आस्पेक्ट पुलिस का रोल है। वह कलेक्टिव बार्गेनिंग करने वाली एजेंसी है, श्रमिक वर्ग है, छात्र वर्ग है, पोलिटिकल पार्टीज हैं, इनके नेताओं को समझने की जरूरत है, उनके आन्दोलन को समझने की जरूरत है और इस आन्दोलन को समझ करके उसमें पुलिस का प्रमुख रोल क्या है, यह समझने की आवश्यकता है। पुलिस अफसरों के इन्डीविजुअल रोल को कलेक्टिव बार्गेनिंग रोल से इक्वेट नहीं कर सकते हैं क्राइम को डील करने में। इसलिए पुलिस का रिक्रूटमेंट करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उनको किस तरह से डील किया जावे। आज मैं आपके सामने सबसे बड़े पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाना चाहता हूं और वह यह है कि जब छात्रों का आन्दोलन होता है, जब छात्र कोई आन्दोलन करते हैं और उसमें कोई घटना कर देते हैं तब तक पुलिस के अधिकारी नहीं पहुंचते हैं और जब छात्र आग लगाकर चले जाते हैं, यह छात्र दुकान पर किसी प्रकार की तोड़फोड़ करके चला जाता है तब अधिकारी मौके पर जाते हैं। इसका उदारहण मैं आपको बताता हूं। उदयपुर में झगड़ा हुआ बापू बाजार में। सौ कदम की दूरी पर थाना था और कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी लेकिन पुलिस पहले नहीं पहुंची। उस बीच में क्या हो गया, कैसे हो गया, यह मैं आपके सोचने के लिए छोड़ता हूं। इस प्रकार के केसेज नहीं हो, इसके लिए क्या कार्यवाही की जाय, यह पुलिस के अधिकारियों को सोचना चाहिए। पुलिस अधिकारियों का क्या रोल होना चाहिए, इन सब को करने के साथ 2 हम केवल मात्र यह कह दें कि यह सरकार की ड्यूटी है और यह विरोधी पक्ष की ड्यूटी में नहीं आता है तो मैं यह समझता हूं कि यह हालत ठीक नहीं है। मैं उदयपुर के माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि वे जिस विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैं उसी विश्वविद्यालय से मैं भी सम्बन्धित रहा हूं। आज वे अपने ठण्डे दिल से, दिल पर हाथ लगा कर बतायें कि छात्र आन्दोलन में हमारी भूमिका क्या रही है? जो छात्र काण्ड हुआ है उसमें हमारी भूमिका कैसी रही है? माननीय सदस्य यह बतावें कि जब उनके दल की सरकार थी तब उनका क्या रोल था और आज उनका क्या रोल रहा है? आपने खाद्य मंत्री के लड़के के बारे में कह दिया कि खाद्य मंत्री के लड़के ने बदमाशी की। माननीय सदस्य ने खाद्य मंत्री का हवाला दिया था। यह बात सही है कि जो स्टूडेंट मूवमेन्ट हुआ और छात्र लम्बे समय तक मांग करते रहे उस समय जो केस बना उस केस के अन्दर वारण्ट नहीं बनता है।

(श्री सी. पी. जोशी)

आज हैड कांस्टेबल को ट्रांसफर कर दिया गया है। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर हमारी रेस्पांसिबिलिटी है, ठण्डे दिमाग से बात को सोचें कि साम्प्रदायिकता या करप्शन का विश्वविद्यालयों को ठेका बना लिया है यह सदन में नहीं चल सकता है। आज अगर यह कहे कि उदयपुर विश्वविद्यालय तो अच्छी तरह से चल रहा है और जोधपुर विश्वविद्यालय खराब चल रहा है तो इससे कानून और व्यवस्था की हालत ठीक नहीं हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा कि राजस्थान प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति किस तरह से सुधारें ? पुलिस का हैड कांस्टेबल बदमाशी करता है, थानेदार बदमाशी करता है या और कोई अधिकारी बदमाशी कर रहा है तो उसको रोकें यह बात सही है लेकिन इसके साथ ही मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि पिछले दिनों पुलिस का आन्दोलन हुआ। पुलिस के आन्दोलन के अन्दर कई जेन्यूइन प्राब्लम्स उठाई गई थीं। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह निश्चय ही सत्य है कि पुलिस के कर्मचारी, हैड कांस्टेबल और नीचे के लेवल के कर्मचारी की संख्या तो हजारों में है लेकिन आपकी संख्या केवल सैकड़ों में हैं फिर भी भ्रष्टाचार के अन्दर क्या होता है कि 90 पर्सेन्ट जो पैसे का बंटवारा होता है वह बंटवारा डी. एस. पी. और थानेदार के बीच में ही खतम हो जाता है और पुलिस के कर्मचारी का कोई पार्ट नहीं है। आज विधान सभा के ही कर्मचारियों को ले लें, उनकी क्या हालत है। आपने आठ आठ और दस-दस घण्टे तक ड्यूटी पर लगा रखा है। न उनके खाने का इन्तजाम है, न उनके रहने का इन्तजाम है। इससे डी. एस. पी. और एस. पी. को कोई मतलब नहीं है। जो इतने समय तक ड्यूटी देते हैं उनके भी बाल-बच्चे हैं। यह बात तो समझ में आती है कि सरकार यह चाहे कि उनके बाल बच्चे पुलिस में भर्ती हों, यह तभी हो सकता है कि जब उनकी तरफ ध्यान दें। लेकिन हम यह नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता इस बात की है कि हम उनकी जेन्यूइन मांगों को रखें।

श्री बालचन्द आर्यवीर: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय। सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य सो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सो करके बाधा उपस्थित नहीं कर रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी 75 पर्सेंट मकानात अलॉट किये जावें वे पुलिस नीचे के लेवल के लोगों को अलॉट किये जाने चाहिये। रात में बारह घंटे तक ड्यूटी लगावें तो उनके रहने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे यह भी गंभीरता से सोचें कि सात सौ किलोमीटर की सीमा राजस्थान से लगी हुई है और इस तरह की हमारे प्रदेश की अहमियत है और दूसरी तरफ प्रशासन के हिसाब से देखें तो मौजूदा स्टाफ से उसका कोई रेश्यो नहीं

(श्री सी. पी. जोशी)

मिलता है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि डी. आई. जी. लेवल के दो आफिस एण्टी करप्शन के जयपुर के अन्दर खोले गये हैं जबकि वे गांवों में नहीं हो सकते हैं। इतने हायर आफिसेज सिटीज में क्रियेट किए जाते हैं लेकिन गांवों में नहीं किए जा सकते हैं। आज गांवों को तो पुलिस के कांस्टेबल की मर्जी पर छोड़ दिया गया है कि रिपोर्ट दर्ज करें या नहीं करें। हालत यह है कि एक कांस्टेबल के पास एक आदमी रिपोर्ट करने के लिए आवे तो सबसे पहले उसको कहेंगे कि एक दस्ता कागज ला, कार्बन ला, पेंसिल लाकर दे तब जाकर तेरी एफ. आई. आर. दर्ज की जावेगी। जब आप उसको मिनिमम नीड की चीज अवेलेबल नहीं करायेंगे और मैक्जीमम काम लेना चाहेंगे तो कैसे होगा। आज उनकी तनख्वाह ढाई सौ, तीन सौ है तो उससे जीवन सुधर नहीं सकता है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी जो जेन्यूइन समस्याएं हैं, उनके जीवन निर्वाह के लिए मिनिमम वेजेज रेज करनी चाहिये और जो बेसिक फैसेलिटीज हैं चाहे मेडिकल फैसेलिटी हो, चाहे हाउसिंग की फैसेलिटी हो, उनको आगे बढ़ाना चाहिए अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कलेक्टिव सैक्टर में वार्निंग करने के लिए इस रिपोर्ट में डेटा दिया हुआ है इससे चाहे स्टूडेंट मूमेंट हो, चाहे पोलिटिकल मूवमेंट हो, घटनाये बढ़ती हो गई हैं, घटी नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि विशेष तौर पर इन एण्टीसिपेशन प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे यदि आपको हालात सुधारने हैं। आपने हालात तो आज ऐसे कर दिए हैं कि विश्वविद्यालय के अन्दर पढ़ने वाला छात्र उस तरह का जानवर है जो जब तक बाड़े में रहे उसमें अगर मर भी जाय तो पुलिस को कोई मतलब नहीं है लेकिन बाड़े से निकल कर सड़क पर आ जावे और तोड़फोड़ करे तो कानून और व्यवस्था की स्थिति भंग हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि चाहे यह पोलिटिकल सैक्टर हो, चाहे विश्वविद्यालय का सैक्टर हो, इन सब में प्रिवेंटिव मेजर लेने पड़ेंगे। आपको इसके अन्दर कोआर्डिनेशन बिटविन वाइस चांसलर, कलेक्टर एण्ड एस. पी. क्रिएट करना पड़ेगा। इस तरह से कलेक्टिव वार्निंग में प्रिवेंटिव मेजर्स आप अलग से लीजिये और जो इण्डीविजुअल काइम करने वाले हैं, इण्डीविजुअल आदमी हैं उनसे अलग से डील करना पड़ेगा। अगर इस वाइडर आस्पैक्ट के अन्दर सोच कर आपने एक्शन लिया तो वह लुकरेटिव जॉब बन सकेगा। आज थानेदार इसलिये बनना चाहता है कोई भी उसकी तनख्वाह तो भले ही 275) रु. है, बेसिक वेजेज कम हैं लेकिन उसके पास अप-टू-डेट बंगला बना हुआ है. उसके पास जीप बनी है, उसके पास इतनी एमेनिटीज हैं जो कि सात सौ रुपया पाने वाले लेक्चरार के पास भी नहीं हो सकती है। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक डी. एस. पी. साहब का बंगला बन रहा है तो उनके मकान पर साठ-साठ आदमी, पुलिस के कर्मचारी काम कर रहे हैं। यह मैं आपके मुंह पर कहना चाहता हूं कि आई. जी. साहब का एक डी. आई. जी. का जयपुर में मकान बन रहा है तो उनके यहां पर साठ आदमी काम कर रहे हैं। पुलिस का हैड कांस्टेबल है तो उसको ड्यूटी है कि कहां से पत्थर आएगा, कहां से चूना आएगा, कहां से सीमेंट आएगी। तो एक तरफ तो आप यह करते हैं कि साठ-साठ आदमियों की ड्यूटी घर पर लगी हुई है जहां

(श्री सी. पी. जोशी)

पर कि डी. आई. जी. का मकान बन रहा है और दूसरी तरफ हम यह आशा करें कि वह कानून और व्यवस्था में कण्ट्रीब्यूट करें तो वह नहीं हो सकती है। इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधर सकती है। मेरा निवेदन है अपने दल से और विरोधी दल के महानुभावों से भी, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं तो जो क्राइम रेट है उसको कम करने के लिए अपनी एक्टीविटीज को, फिजिकल एनवायरनमेंट को ठीक करें और आज जो कानून और व्यवस्था टूट रही है उसके लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना विरोधी दलों के लिए भी डिजायरेबल है तो प्रेस वालों के लिए भी डिजायरेबल है, लेकिन उसको कन्स्ट्रक्टिव वे में अप्रोच करने की जरूरत है। आज जो क्राइम की रेट बढ़ रही है उसको रोकने की ओर ध्यान दिया जावे और रिक्रूटमेंट पोलिसी में चेंज किया जावे।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी के शासनकाल में जिन-जिन अधिकारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है उनमें से कुछ एक के नाम आपको बताता हूं। एक है मिस्टर चन्द्रसिंह, उनको एडीशनल एस. पी. बनाया गया। आप उनकी जांच करा लें। इसी तरह से एक मिस्टर बालेचा और नामा साहब को मेरिट लिस्ट में आगे लाया गया। कैसे लाया गया, क्यों लाया गया? मिस्टर सुन्दरपाल कश्यप को मेरिट लिस्ट पर होते हुए भी नीचे लाया गया, कैसे लाया गया, क्यों लाया गया। आप इनकी जांच करा लें। मिस्टर विष्णुदत्त शर्मा को एक्सटेंशन देने का प्रलोभन दिया गया, यह सब ढाई साल के इतिहास में हुआ है। जो कुछ हुआ है वह मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। सदन के अन्दर मैंने जिन पुलिस अधिकारियों के नाम बताये हैं उनके बारे में जांच करायें कि क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसके अलावा प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में गंभीरता से सोचें, सरकार सोचे और विरोधी दल के सदस्य हैं, वे भी सोचें तभी कानून और व्यवस्था बनी रह सकेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ चौधरी। कृपया समय का ध्यान रखें। आपके दल के श्री राजबहादुर काफी समय ले चुके हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डंगाता) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांगों पर मेरे भी कटौती प्रस्ताव हैं, मैं उनके संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पुलिस के रि-आर्गेनाइजेशन के लिये पिछले 5 साल में विभाग को 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं और यह आशा की जाती थी कि रिआर्गेनाइजशन में सिपाही से लेकर ऊपर के पदों को, सबको मद्दे नजर रखते हुए रि-आर्गेनाइजेशन किया जायेगा। लेकिन मुझे खेद है कि इस रिआर्गेनाइजशन में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन हैं उनमें जो सिपाही की संख्या आज से पूर्व, भारत की आजादी के पूर्व थी, वही आज है और उनके क्षेत्र भी वही है। कहीं कहीं एकाध थाने बढ़ा दिये हों तो और बात है। जो जुर्म हो रहे हैं उनको रोकने के लिये पुलिस की आवश्यकता है। उसके लिये आवश्यकता है कि थानों में कुछ और सिपाही की अधिक व्यवस्था हो। जब रि-आर्गेनाइजेशन किया गया था, यह मद्दे नजर रखनी चाहिये था कि जिस तरह से ऑफिसर्स बढ़ाये जा रहे हैं, उसके साथ यह होना चाहिये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिपाहियों की संख्या भी बढ़ाई जाती ताकि

(136)

(श्री समरघुनाथ चौधरी)

सिपाही गश्त में जाय, दूसरे और कार्यो पर जाय तो थानों पर ठीक संख्या में सिपाही उपलब्ध हो। इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर गौर करके थानों में सिपाहियों की संख्या बढ़ाई जाये।

इसके साथ ही मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। सिपाही की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। आजकल सिपाही जो भर्ती होते हैं, वह मैट्रिक और उससे भी ऊपर बी. ए., एम. ए. पास होते हैं और उनकी केडर, सेलेरी देते हैं, उसके लिये 10-11 रुपये करीब है। आपका एल. डी. सी. मैट्रिक होता है, और उसकी सेलेरी है, वह है 350 से 550। अध्यक्ष महोदय, सिपाही, से अधिक आवश्यकता पड़ने पर 12 घंटे, 24 घंटे की सर्विसेज ली जा सकती है, जो पढ़ा लिखा है, वह अधिकतर कान्स्टेबल के नाम पर थाने में काम करता है, वह किसी एल. डी. सी. से कम नहीं होगा,

(5.12 म. प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पदासीन)

क्योंकि आपका एल. डी. सी., है, वह दस बजे आता है और 5 बजे वापस घर चला जाता है और उसके लिये सेलेरी है। 350 से 550। सिपाही जो निरन्तर लिखा-पढ़ी का काम करता रहता है, और समय से ज्यादा, कम और घटता-बढ़ता रहता है, उसके लिये तनख्वाह 250-350 है। यह बहुत ही खेदपूर्ण स्थिति है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी जो एल.डी.सी. की तनख्वाह, है, उससे किसी तरह से कम नहीं रखी जाये। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हैड कान्स-टेबल है, उसकी 280-450 है, आपका ए. एस. आई. है वह एल. डी. सी. केटेगरी का होता है, और एस. आई. के लिये आपका यू. डी. सी. का केडर है। आप चाहते हैं कि वह ईमानदारी से काम करें, उसको कृत्य ऐसे सौंपे गये हैं, जिसमें लालच और क्राइम इनवाल्व हैं। जब सुविधा और दी जाने वाली तनख्वाह ठीक तरह से नहीं होगी तो निश्चित रूप से जिनका इनवॉल्वमेंट क्राइम के साथ हो, वह ईमानदार नहीं हो सकता है। आप चाहते हैं पुलिस ईमानदार हो, तो इनकी तनख्वाह बढ़ायें और सुख-सुविधा दें। बड़े-बड़े ऑफिसर्स बंगलों में रहते हैं, अच्छी तनख्वाह मिलती है, अच्छी सुख सुविधा है, इसलिये जो आपका वह कर्मचारी है, सिपाही है, उनकी सुख-सुविधा का ध्यान रखें।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनको कोई छुट्टी नहीं मिलती है। आपके एक वर्ष में 52 रविवार होते हैं। 12 शनिवार होते हैं और 24 गजटेड हालीडेज होते हैं और 2 सेक्शनल हालीडेज होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 92 हालीडेज होते हैं। इस तरह से आपके दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, व सब छुट्टियां अवेल करते हैं लेकिन थानों में रहने वालों को कोई छुट्टी नहीं मिलती है। आपने मात्र थोड़ी-सी सांत्वना देने के लिये 78-79 में हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिया था। तनख्वाह उनकी कम है, सुविधा नहीं दी जाती है और हार्ड ड्यूटी अलाउन्स में एक महीने की तनख्वाह दी जाती है। इसलिए आप इनकी 92 दिन की छुट्टी को ध्यान में रखते

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

हुए विशेष रूप से ध्यान दीजिये। कम से कम 92 छुट्टी वह नहीं लेते हैं, जो सबको मिलती है, तो उनको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स ज्यादा मिले।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वाच एण्ड वार्ड वाले हैं, वह निरन्तर 8-9 बजे पहुंचते हैं और 11 बजे विधान सभा शुरू होती है और उनको 10 बजे के भी पहले आना पड़ता है। विधान सभा रात को 11 बजे तक चलती है, जैसे कि आज चलेगी, इन लोगों को तब घर जाना होता है एक्स्ट्रा नहीं देते हैं, ओवर टाइम मिलता नहीं है। एक बार ओवर टाइम दिया था और यह मंजूर हुआ है कि ओवर टाईम मिलना चाहिये। 78 में हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिया, सभी को दे रहे हैं। वाच एण्ड वार्ड वाले ओवर टाइम वर्क कर रहे हैं, उससे हार्ड ड्यूटी अलाउन्स का क्या सम्बन्ध है। इसलिये आपने 78 में यह तय किया था कि ओवर टाइम जितना होगा, वह पे किया जायेगा। उसको चालू करायें, यह निवेदन करना चाहता हूं।

इसके साथ ही एक निवेदन करना चाहता हूं। दूसरे जो पुलिस कर्मचारी है, पुलिस फोर्स है, जो बाहर इर्द-गिर्द इंतजाम में लगते हैं, जो लेट हो जाते हैं, उनको भोजन का इन्तजाम करना पड़ता है। आज जब विधान सभा समाप्त होगी, तो देर से जाते है, उनके खाने का कहां से इन्तजाम होगा? सिपाहियों को लेट होने पर खाना नहीं मिलता है, या तो उनके लिये अलग से प्रबन्ध कीजिये, प्रबन्ध नहीं हो सकता है तो अलग से खाने के लिये पेमेन्ट किया जाय। इन लोगों को दूर-दराज के डिस्ट्रिक्ट से बुलाते है, और इनके रहने की व्यवस्था नहीं है। इन सिपाहियों के रहने की व्यवस्था किस प्रकार होती है? कम से कम यह आपका फर्ज बनता है कि रहने की व्यवस्था पुलिस लाइन में करें। कोई धर्मशाला या दूसरी बिल्डिंग एक्वायर करके करें। लेकिन जिन दिनों विधान सभा चलती है, उन दिनों वाच एण्ड वार्ड वाले देर से जाते हैं, उनके रहने और खाने के लिये समुचित व्यवस्था विभाग करे।

अब इसके साथ ही प्रमोशन के सम्बन्ध में, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। आपके प्रमोशन की जो प्रक्रिया है, उसमें कान्सटेबल से हैड कान्स्टेबल बनने के लिये आप एक्जामिनेशन लेते हैं। रिटिन भी लेते हैं, उसके बाद पी. टी. वगैरह होती है, ड्रिल होती है, सब मिलाकर प्रमोशन करते हैं। कान्स्टेबल से हैड कान्स्टेबल के प्रमोशन के सवाल में यह बात ठीक है। लेकिन हैड कान्सटेबल के बाद ए. एस. आई. बनाते हैं तो एक्जामिनेशन और ए.एस.आई. से एस.आई. लेते हैं तो रीएक्जामिनेशन और एस.आई. से इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर से डी.एस.पी. के लिये री एक्जामिनेशन होता है। लेकिन डीवाई. एस. पी. से एस.पी. और उससे ऊपर कोई एक्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। सभापति महोदय, कितनी खेदजनक स्थिति है। एक आदमी, मैट्रिक, बी.ए. होता है, वह एलीजीबल होता है, कान्स्टेबल से हैड कान्सटेबल की परीक्षा देकर, उत्तीर्ण होकर, सारे एक्जामिनेशन देकरे हैड कान्स्टेबल बनता है तो उसकी मेरिट लिस्ट बन जाती है तो सीनियोरिटी-कम मेरिट से उसका प्रमोशन होना चाहिये। नहीं तो क्या होता है, पुलिस

Page No. 138

(132)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

वाले महकमे में खुद अपने लोगों के साथ भ्रष्टाचार करते हैं और हर बार इम्तिहान लेते है। इस पद्धति को आप चेन्ज करें। यह क्या कि हर बार इम्तिहान ले रहे है। जिस समय डी. एस. पी. और एस.पी. रेंक का प्रमोशन होता है, उनका एक्जामिनेशन नहीं होता है, तो या तो आर्मी की तरह कर दें या फिर जब कान्स्टेबल से हैड कान्स्टेबल का प्रमोशन हो जाये तो सीनियोरिटी-कम मेरिट लिस्ट बना दीजिये और उसके आधार पर प्रमोशन मिलें।

इसके साथ ही मैं आपको कुछ अपने क्षेत्र की दिक्कतों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डेगाना में अभी रिसेन्टली कुछ मुकदमें थानेदार ने दर्ज किये हैं। सारे जिले में जनता शासन में जितने थानेदार नागौर में लगाये थे, 90 प्रतिशत सामन्त से कम नहीं थे और जितने जुल्म हमने जनता शासन में 77 से 80 तक बर्दाश्त किया अब भी बर्दाश्त करते रहेंगे। कुछ मुकदमें प्रस्तुत कर रहा हूं। सभापति महोदय, 8-6-80 को मुकदमा दर्ज किया, अभियोग नम्बर 67-68, धारा 341, 323, 326, और 68 में 147, 148, 323, 224। इस प्रकार माननीय सभापति महोदय, एक मामले में थानेदार रात-दिन मेहनत करके मुल्जिम पकड़ना चाहता है और दूसरे अभियोग, जो एक साथ, एक ही दिन दर्ज हुआ है, उसके लिये कोई कार्यवाही नहीं की है। थानेदार के लिये जो अभियोग दर्ज हुए है, कुछ भी नतीजा निकले, थानेदार का फर्ज है, दोनों को बराबर ध्यान दें और बराबर कार्यवाही करे।

इसलिये बता रहा हूं सभापति महोदय, अगर गलती हो तो जांच करा सकते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार की पेनाल्टी बरदाश्त करने को तैयार हूं लेकिन जब बार-बार निवेदन करने पर भी कार्यवाही नहीं होती तो इस तरह के एग्जांपल्स प्रस्तुत करने पड़ते हैं। सभापति महोदय, इसके साथ ही थांवला थाने में 16-7-80 को जुर्म नं. 87 दर्ज हुआ 436 आई पी. एसी में....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप 10 मिनट ले चुके है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी: सभापति महोदय, 10 मिनट तो नहीं सात मिनट हो गये हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, 10 मिनट हो चुके है अब आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी: सभापति महोदय, इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया, उसका झोपड़ा जला दिया, ऊंट चोरी करके ले गये। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। ऊंट उसका फाटक में था, रसीदें पंचायत से पड़ी है परन्तु पुलिस वालों फिर भी मुलजिमों को बिना ग्राम पंचायत का रेकार्ड देखे बिना अंगूठा दस्तखत देखे थाने में हथकड़ी डाल कर ले गये और दूसरे दिन छुट्टी थी ताकि जमानत न हो सकें। तो अगर कोई हवलदार, थानेदार हजार पन्द्रह सौ लेकर के इस प्रकार के कृत्य करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई अधिकार नहीं है उनको नौकरी करने का। मैं आशा करता हूं यह सही घटना है और इसकी जांच

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

करा कर उनको निलंबित करेंगे। इसके साथ टंगस्टन परियोजना में चोरी हुई। खेताराम पुत्र रामदीन चौकीदार टंगस्टन में काम करता है उस खेताराम चौकीदार को लोकल राजनैतिक कारणों से चोर बनाया जा रहा है एम ई वी वालों ने गांवों का कही से चिन्ह लिया और चोरी कही नहीं हुई। मैं स्वयं थानेदार जी से मिला था तो वता रहे थे कि इससे तो चोरी वनती नहीं है। अब दूसरे थानेदार जी गिरफ्तार कर रहे हैं।

इसी तरह से थांवला में घन्नाराम पुत्र रामकरण के घर चोरी हुई जिसका 10-1-80 को मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें दो बार लिखा जा चुका है एस. पी. को, आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। वह जांच करना चाहते ही नहीं। मुलजिमों से मिले हुए हैं। इसी तरह से नानू निम्बोला विस्वा का है। थांवला पुलिस स्टेशन लगता है। उसकी औरत 45 वर्ष की और एक 5-6 वर्ष की बच्ची 16 या 17-4-80 को रोडवेज की बस से मर गये। उनकी लाश को सरसरी तौर से पोस्ट मार्टम करके जला दिया गया। उसके पांवों में चान्दी के गहने थे वह उस वक्त निकल नहीं सके और लाश को गहनों समेत जला दिया गया। बाद में जब श्मसान से गहने प्राप्त हुए तो उनको पुलिस वाले ले गये और उन्होंने देने से इन्कार कर दिया। एक तरफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं, कोई कम्पेसेशन नहीं, रोडवेज की बस को रोका नहीं गया, दूसरी तरफ थानेदार जो कुछ गरीब आदमी की संपत्ति थी उसको हासिल करना चाह रहे है।

ऐसे एक नहीं, बीसों उदाहरण हैं, इसी तरह से 20-7-80, 3-7-80, 21-7-80 के हैं, सभी माननीय सभापति महोदय एक ही दिन में थांवला थानेदारजी ने मुकदमे दर्ज किये हैं लगातार एक ही आदमी के कहने से इसी तरह से 27-7-80 को एक अभियोग इन्होंने दर्ज किया जिसका वाका 16-7-80 को हुआ और दर्ज हुआ 27-7-80 को 10-11 दिन बाद अभियोग सं. 79 दिनांक 27-7-80, धारा 147, 148, 149, 447, 323, 325, 341, 379 आई. पी. सी.। इसके साथ थानेदार जी करते क्या हैं। शराब बनवाते हैं और शराब बिकवाते और खुद 24 घंटे शराब पीये रहते हैं। मैं सभापति महोदय, आज आपको चैलेन्ज देकर कहता हूं आप किसी भी दिन पहुंच जांय आप उनको 24 घंटे शराब पीए हुए पायेंगे। कई बार निवेदन कर दिया कोई सुनने वाला नहीं है। इसके साथ ही 2/4 नाम आपको और बताना चाहता हूं क्यों कि समय नहीं है मुस्ताक पुत्र इसाक निवासी कड जो कि 20-2-80 को लापता हो गया उसका पोस्टकार्ड मिला 25-3-80 को जो कि श्रवणसिंह खींवसिंह ललाण ने फर्जी डाला था। उसके बाद में पता लगा कि उसका कत्ल हो गया। उन्हीं लोगों ने जिन्होंने पोस्ट कार्ड डाला, उसे कत्ल कर दिया 25-3-80 को और 9-4-80 को मुकदमा दर्ज कराया लेकिन दर्ज नहीं किया गया। 15-5-80 को पता लगा कि पुलिस भ्रम में रखी हुई थी क्योंकि 1-5-80 को मुंसिफ कोर्ट में एफ. आई. आर. की नकल लेने गये तब पता लगा तब 17-5-80 को मुंसिफ मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन पेश की कि मुकदमा रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। 17-5-80 को आई. जी., डी. आई. जी., डी. एस. पी. को रजिस्टर्ड लेटर से प्रार्थना पत्र भेजे गये जो कि 19-5-80 को रजिस्ट्रियां प्राप्त हुई हैं

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

इसके बाद, सभापति महोदय, मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने 17-5-80 को आदेश दिया फिर भी थानेदार जी ने 27-5-80 को मुकदमा दर्ज किया है और दर्ज करने के बाद 15-6-80 को एस.पी. को रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अभी तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया। तब एस.पी. ने आदेश दिया कि 16-6-80 तक टिप्पणी प्रस्तुत करें उसके बाद मुलजिम 20-6-80 को गिरफ्तार किये गये लेकिन जिन मुलजिमों ने उसका कत्ल कर, टुकड़े कर कुए में डाल दिया था, उनके पास से आज तक न कोई हथियार बरामद हुए, न गहने बरामद हुए, न कोई रकम बरामद हुई। तो सभापति महोदय, कितना बड़ा अन्याय है। अन्त में, मैं एक और घटना......

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें, अन्त करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं सिर्फ एक घटना के बारे में निवेदन करना चाहूंगा 14-10-79 को सोहनराम नाम के लड़के का कत्ल हुआ। फतेराज पुत्र रूपराज निवासी थांवला का यह लड़का था। उम्मेदमल, शांतिमल, रामप्रकाश डोडियाना गांव में जो पादुकला थाने के अन्तर्गत आता है, उस लड़के का वहां जाने किस प्रकार कत्ल हुआ, पता नहीं ट्रैक्टर से कराया गया या कैसे कत्ल हुआ लेकिन उन लोगों ने अपने घर के चौगान में उसकी लाश को रख दिया और वहां से ट्रैक्टर लेकर थांवला गये जहां डाक्टर अवेलेबल था उसको कहा कि हमारे साथ चलो। ट्रैक्टर के पहिये खोल कर धोकर रख दिये, डॉक्टर को मोटर साइकिल पर लेकर आये। लाश उल्टी लिटाई हुई थी डाक्टर ने देखा तो कहा यह तो मर चुका है। मैं इसको नहीं देखूंगा और डाक्टर चला गया लेकिन अब बयान देने से इन्कार करता है। वे लोग फिर पुलिस स्टेशन पहुंचे। यह वाका साढ़े नौ बजे का है। उसके बाद थाने पहुंचे 2–3 बजे थानेदार जी मौके पर आये और लिखा कि यह बिजली के करेन्ट से मारा गया और वाला वाला ले जाकर पुलिस से पोस्टमार्टम करवा दिया। नैक्स्ट-डे पोस्टमार्टम हुआ और घरवालों को सुपुर्द कर दिया। मैंने जब जांच पड़ताल की तो कहा कि यह बिजली से मरने का मामला था। मैंने कहा बिजली से मरने का मामला तो था लेकिन बिजली के खम्भे के पास अगर मरा है तो उनको क्या हक था कि घर पर लाश को ले जाते जबकि उस लाश में ब्लडींग हो रही थी। मुझे उस इलाके के, उस थाने के सिपाहियों ने बताया कि जब उस लाश को जलाया गया तब भी उसमें ब्लडींग हो रही थी। इस मामले की रिपोर्ट पुलिस ने लेने से इन्कार कर दिया। बाद में मैं डी.आई.जी. और एस.पी. साहब से नागौर में फरवरी, 80 में मिला तो उन्होंने डी. एस. पी. मेड़ता को कहा कि यह तुमने क्या किया, यह तो मर्डर केस बनता है। इसका मुकदमा दर्ज किया जाय लेकिन आज तक न तो मुकदमा दर्ज हुआ न कोई कार्यवाही हुई। इससे ज्यादा शेमफुल स्थिति क्या हो सकती है? जब कि डी.आई.जी. का यह कमिटमेंट है, डी.एस.पी. ने हां भरी है इसके बाद भी यह हालत है, सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात का पता लगाया जावें.....

श्री सभापति : मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि आप समाप्त

(श्री सभापति)

करें — You have taken more than thirty minutes now.

श्री रामरघुनाथ चौधरी : सभापति महोदय, इस प्रकार अन्याय हो रहा है।

श्री सभापति : आप समाप्त करें।

You have spoken for more than thirty minutes आप कमाल कर रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : एक मिनट में, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

एस.एस.कॉमकल्स में 25-7-80 को एक विस्फोटक घटना हुई, वहां विस्फोटक पदार्थ बनते हैं, आगजनी हो गई। दो लोग मारे गये। इसकी पुलिस वालों को सूचना दी गई लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया। फिर 8-8-80 को मुकदमा दर्ज हुआ 304 आई.पी. सी. में, जब कि यह मुकदमा एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज एक्ट के तहत रजिस्टर होना चाहिये। आपसे निवेदन है कि फोरेंसिक लेबोरेट्री से टैक्निकल जांच करवावें। अन्त में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आई.पी.एस. आफिसर्स एस.पी., जयपुर, अजमेर, जोधपुर रेजिडेंस के लिये मकान नियत, इयर मार्क होते हैं और चूंकि एस.पी.हर जिले में एक महत्वपूर्ण आफिसर है लेकिन

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इनके मकान खाली करा लिये गये और आई. ए. एस. ऑफिसर रख लिये गये हैं। यहां तक कि जयपुर एस.पी.का स्थानान्तरण सी. आई. डी. में हुआ तो उनका मकान खाली करा लिया गया। एडि. आई. जी., ए.सी. डी. का ट्रांसफर हुआ तो मकान खाली करा लिया। वे वापस आ गये जयपुर में तो उनको मकान फिर भी नहीं मिला है। यह एक इस तरह की अव्यवस्था है कि ये आई. ए. एस. जो मकानों का नियन्त्रण रखते हैं ये अपने अधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं।

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) : सभापति महोदय, आज जो पुलिस की डिमाण्ड है उस पर मैंने भी कटौती प्रस्ताव रखे हैं। सभापति महोदय, आज हमारे देश और प्रदेश राजस्थान में पुलिस जिस प्रकार से निष्क्रिय है, उसी प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आधुनिक से आधुनिक तरीका अपना कर लोग अपराध कर रहे हैं और हमारी पुलिस का ढर्रा वही पुराना है। उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के अन्दर एक तो आधुनिक यन्त्र हों और उनके द्वारा अपराधों की रोक थाम की जाए।

सभापति महोदय, पुलिस द्वारा थानों के अन्दर गड़बड़ी होती है। लोग थानों के अन्दर अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो उनके प्रति कोई सतर्कता नहीं बरती जाती है। लोग थानेदार के पास जाने से डरते हैं। किसी प्रकार से उनकी सुनवाई नहीं होती है। शिकायत कर्त्ता की शिकायत थाने के अन्दर पहुंचाना मुश्किल हो गया है। शिकायत पहुंच भी जाती है तो कार्यवाही नहीं होती है। इसके बाद थानों के अन्दर रिश्वत आदि का मामला चलता है। पुलिस की डिमाण्ड पर हर बार हम बोलते हैं और यह कहते हैं कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है मगर किसी प्रकार

(श्री रामनारायण डूडी)

से इसको रिमूव नहीं किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उच्चाधिकारी लोग इस संबंध में अलग से कमेटी बनावें और हर थाने की चैकिंग की जाए। मुकदमा कब दर्ज किया गया ? कितने दिन बाद उस पर कार्यवाही हुई ? उसका क्या कारण था ? अपराध किस प्रकार का था ? इस प्रकार से यदि नीचे से कार्यवाही नहीं की जाएगी तो थाने के अन्दर थानेदार स्वतन्त्र रूप से जब चाहे उनके पास किसी प्रकार से कोई पहुंच जाए तो कार्यवाही करते हैं वरना कार्यवाही नहीं करते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे डीडवाना क्षेत्र के अन्दर, दो ढाई साल के अन्दर थानेदार ने जिस प्रकार के काम किए है, गरीब जनता के साथ अत्याचार किए हैं। पुलिस में गये उनकी सुनवाई नहीं की गई है। एम. पी. के इलेक्शन में अत्याचार हुए । विधान-सभा के इलेक्शन में अत्याचार हुए। वे लोग थानेदार के पास शिकायत लेकर गये। उनकी शिकायत नहीं सुनी गयी आज दिन तक । उन लोगों को मजदूरी नहीं करने देते हैं । थानेदार ने किसी प्रकार से उनकी पैरवी नहीं की हैं ।

इसी प्रकार से जो पुलिस विभाग में प्रमोशन वगैरह है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं । ऊपर से लेकर नीचे तक भाई-भतीजेवाद का वातावरण बनता जा रहा है पिछले दो-ढाई साल में सबसे ज्यादा हालत खराब हो गई है । सभापति महोदय, किसी थाने के अन्दर मुन्सिफ का प्रमोशन होता है किसी सी. आई. का प्रमोशन होता है तो पिछले तीन साल में सारी प्रक्रिया को खराब कर दिया गया है और केवल अपने अपने आदमियों को ही प्रमोशन दिया गया है । इसकी जांच की जानी चाहिए। मेरा निवेदन है कि इसकी पूर्ण रूप से जांच करावें कौन-कौन आदमी जूनियर थे और किन-किन को सीनियर बनाया गया ? उसके पीछे क्या कारण थे ? ऐसा एक मामला आई. पी. एस. की सलेक्शन लिस्ट के अन्दर आया है। 1979 में तीन आफिसर ऊपर थे उनको नीचे करके एक आदमी को ऊपर कर दिया । वह तीनों आफिसरों को सुपरसीड कर गया । इसी प्रकार 1977 से 1979 तक कितने अधिकारी के प्रमोशन हुए, कितने सी. आई. डी. के तबादले हुए, यह भी एक नोट करने की बात है इसी प्रकार से, सभापति महोदय, एडीशनल आई. जी., सी. आई. डी. का छः मास का कार्यकाल बढाया गया। वह किस आधार पर बढाया गया ? इसकी जांच होनी चाहिए । इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पादी थाने का थानेदार हुकमसिह शराब के नशे में धुत था । उसका मुआयना डी. आई. जी. ने किया । मगर उसको सस्पेन्ड नहीं किया गया और न उसकी डॉक्टरी जांच करायी गयी, न किसी प्रकार की उसके खिलाफ कार्यवाही की गई है। इस प्रकार कार्यवाही न होने पर पुलिस विभाग में इनडिसिप्लीन, अनुशासनहीनता पनपेगी तो थाने के अन्दर कैसे काम करेंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी प्रकार से नागौर जिले के अन्दर रविला गांव है । वहां के सी. आई. मोहरसिंह शिकार खेलने को गये । गांव के लोगों ने उनको पकड़ लिया और वे गांव के अन्दर ले गये । वे किसी प्रकार से हाथा-जोड़ी कर के

(श्री रामनारायण बूंडी)

वहां से निकल आये किन्तु बाद में उन्होंने गांव वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके तंग किया, परेशान किया।

अन्त में मैं पुलिस कर्मचारियों के बारे में कहूंगा। इनको ओवरटाइम नहीं दिया जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको आठ घण्टे के बाद काम करने पर ओवर-टाइम अलाउन्स दिया जाना चाहिए। ए. एस. आई. से लेकर इन्सपेक्टर को वाहन भत्ता मिलना चाहिए। जयपुर में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको दस रुपया सिटी अलाउन्स दिया जाता है। महंगाई के जमाने में उसमें थोड़ी बढोतरी की जानी चाहिए ताकि उनको राहत मिले।

श्री सभापति : श्री समर्थलाल।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, मेरा नाम नहीं आया। मेरे दल का मैं एक ही व्यक्ति हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप धैर्य रखें। आपका नम्बर आएगा।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, मेरा नाम पुकारा गया था....

श्री सभापति : आपको भी अवसर दूंगा।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : सभापति महोदय, पुलिस विभाग की मांग के ऊपर माननीय सदस्यों ने काफी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। अभी तक इस सदन के अन्दर जितने भी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए उतने दूसरे विभागों के अन्दर, मैं समझता हूं, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। पुलिस विभाग की मांग के अन्दर सब से ज्यादा कटौती प्रस्ताव आए हैं तो इससे सामान्य रूप से यह जानकारी मिलती है कि पुलिस विभाग के बारे में इस सदन के माननीय सदस्यों को बहुत ज्यादा चिन्ता है।

यह पुलिस विभाग जो है यह हमारे राजस्थान के अन्दर कानून और व्यवस्था बनाने में असफल रहा है। उस असफलता का इन कटौती प्रस्तावों के द्वारा प्रमाण मिलता है। सभापति महोदय, अभी लोक सभा और विधान सभा के चुनाव हुए थे। उस समय जो पार्टी शासन में आई केन्द्र और राज्यों के अन्दर। इन्दिरा गांधी ने यह कहा था कि हिन्दुस्तान के अन्दर और हिन्दुस्तान के राज्यों के अन्दर लॉ एण्ड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है। महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है और इसी प्रकार के कई अन्य नारे दिये थे। सभापति महोदय, यह सदन में काफी साबित हो गया है। इस कानून व्यवस्था के बारे में इस सदन के अन्दर काफी चिन्ता प्रकट की गयी है, माननीय सदस्यों द्वारा। उससे यह बात साबित हो गयी है कि जनता की भावना के आधार पर इस राज्य की जो कल्पना की गयी थी वह कल्पना यह साबित नहीं कर सकी। इसलिये मैं ऐसा मानता हूं कि कानून और व्यवस्था इस राज्य के अन्दर और हिन्दुस्तान के अन्दर काफी बिगड़ चुकी है और 15 अगस्त, 1947 को इस देश की प्रधान मंत्री ने भी इसके बारे में चिन्ता प्रकट की है।

एक माननीय सदस्य : 15 अगस्त, 1947 या 1980?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात न करें।

श्री समर्थलाल : पहले मैंने स्थगन प्रस्ताव के जरिये उठाया था कि माणक चौक थाने का एक सिपाही प्रभुलाल गायब हो गया । जयपुर का यह थाना है और जयपुर राजस्थान की राजधानी है। यहां गृह मंत्री जी रहते हैं और मंत्री भी रहते हैं, आई. जी. साहब रहते हैं और सब पुलिस के बड़े अफसर रहते हैं। मुझे ताज्जुब है कि उस पुलिस के कान्स्टेबल का पता नहीं लगा। पुलिस के सिपाही का ही पुलिस पता नहीं लगा पायी, तो जो दूसरे लोग हैं उनका क्या कर पायेगी ? यह कानून और व्यवस्था की स्थिति है।

इस सदन के अन्दर बलात्कार के मामले आये हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले 2 महीनों के अन्दर बलात्कार के जितने मामले हुये हैं इस राजस्थान में उस एवरेज से, उस हिसाब से कभी भी राजस्थान में इतने बलात्कार के मामले नहीं हुये हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि यहां पर बलात्कार की बातें ज्यादा बढ़ा-चढ़ा कर नहीं करनी चाहिये लेकिन जो वस्तु स्थिति है, सभापति महोदय, इस प्रकार के जो मामले इस राजस्थान में पैदा हो रहे हैं, उठ रहे हैं वह हमारी चिन्ता का विषय होना चाहिये ।

अब मैं गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि पुलिस विभाग के अन्दर जितने कर्मचारी है इस पुस्तक में दिये हैं। सेवा वाले कर्मचारी ये करीब 144 हजार 610 हैं । इन कर्मचारियों के अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का जो कोटा फिक्स है उसके अनुसार कर्मचारी इसके अन्दर नहीं हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के जो कर्मचारी है उनकी संख्या इसमें कोटा के अनुसार कम है। इन लोगों का जो पर्सेंटेज 45% रोस्टर प्रणाली है उसके आधार पर नहीं है । मैं ऐसा मानता हूं कि इन गरीबों के प्रति जो अन्याय हो रहा है उसकी ओर माननीय गृह मंत्री जी ध्यान देंगे। उनको ध्यान देना चाहिये । जो रोस्टर प्रणाली के लोग हैं, रोस्टर प्रणाली से उनकी जितनी संख्या होनी चाहिये उससे कम है । यह रोस्टर प्रणाली के आधार पर होनी चाहिये ।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं, छोटे जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके बारे में गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा । आंकड़ों के अनुसार 47 हजार 610 छोटे कर्मचारियों का जितना वेतन होता है, मैंने हिसाब लगाया है, सभापति महोदय, कि इससे ऊपर के जो राजस्थान पुलिस सेवा के और भारतीय पुलिस सेवा के हैं राजस्थान में करीब 500 अधिकारी हैं उनको जो वेतन मिलता है और जो सुख-सुविधायें मिलती हैं और उन पर जो खर्च होता है वह उतना ही खर्च होता है जितना 47 हजार 610 छोटे कर्मचारियों पर होता है । कुछ थोड़ा बहुत घटाकर होता है, मैं ऐसा मानता हूं । तो एक तरफ तो 500 अधिकारियों का खर्चा और दूसरी तरफ 47 हजार 610 का खर्चा, यह बड़ी असंगत बात है । मेरा आपसे अनुरोध है कि जो निरीक्षक हैं, सहायक निरीक्षक हैं, हैड कान्स्टेबल्स हैं, कान्स्टेबल्स हैं इस स्तर के लोग हैं उनका वेतन बढ़ाया जाना चाहिये । उनका वेतन नहीं बढ़ाये जाने की वजह से ही पुलिस के अन्दर भ्रष्टाचार होता है । ये जब अपने बराबर के पुलिस अधिकारियों को सब सुख-सुविधाओं के अन्दर देखते

(श्री समरथ लाल)

हैं। उनके बाल-बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाते देखते हैं तो वे भी यह सोचते हैं कि अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दिलायी जाये। वे भी इस प्रकार की आवास सुविधा चाहते हैं। जिससे उनके अन्दर भ्रष्टाचार बढ़ता है। मेरा माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि इसके अन्दर समुचित रूप से ध्यान दिया जाय।

हरिजनों पर अत्याचार की बात है। इस बारे में बराबर इस सदन में चिन्ता व्यक्त की गयी है। मैं ऐसा मानता हूं कि हरिजनों पर अत्याचार बराबर बढ़ते जा रहे हैं। उनमें कांग्रेस का राज आ जाने से कोई कमी हो गयी हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूं।

अलवर जिले के बारे में भी कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले 3-4 महीनों के अन्दर हमारे यहां के 3-4 पुलिस स्टेशनों के ऊपर करीब 107 चोरियां हुईं। 3 महीनों में यह संख्या कम तो नहीं है? ज्यादा है। और अगर यही संख्या इस हिसाब से बढ़ती गई तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगली बार विधान सभा में आंकड़े आयेंगे उनमें बढ़ोतरी ही होगी। इसलिये इसका ध्यान रखना चाहिये।

गांव नगको, तहसील रामगढ़ जो हरियाणा की सीमा पर है, 26-6-80 को रात्रि को 12 बजे हरियाणा के कुछ 40-50 सिपाही इस गांव के अन्दर गये और इस गांव के अन्दर 12 बजे आकर उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ की। वहां पर जो कोई मिला और बुढ़े, युवक इन सबको बुरी तरह से पीटा, महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ की। जब गांव वाले एक साथ इकट्ठे हुए तो वहां से भाग गये। इसकी रिपोर्ट थाना राम गंज में लिखाने गये तो रिपोर्ट नहीं लिखी। पुलिस ने इस प्रकार गांव वालों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया और रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करायी। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा इस प्रकार के जितने भी पुलिस के कर्मचारियों के द्वारा अपराध किया जाता है। यह बहुत बुरी बात है। इसकी ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, आपने जो सभापति महोदय, मुझे समय दिया उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्रसिंह।

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : माननीय सभापतिजी, मैंने इस मांग पर अपने कटौती प्रस्ताव रखे हैं इसलिये नहीं कि केवल हमारे पुलिस विभाग की आलोचना ही करनी है। आज जो हालत है, देश में पिछले ढाई सालों में जिस तरह की हालत पैदा हुई जिसके कारण कानून और व्यवस्था को नीचा किया गया उन हालातों को सुधारने के लिये, जो बिमारियां पुलिस विभाग में आयीं हैं उसमें पुलिस विभाग ही नहीं हम विधायकों और आम जनता का भी सहयोग बहुत आवश्यक है। आज किसी विभाग की या किसी अधिकारी को आलोचना करके हम लोग अपनी जिम्मेदारी से परे नहीं हो सकते हैं। और जो हालत है वह हालत और बिगड़ गयी है। अभी माननीय सदस्य उधर से बोल रहे थे जब वे राजस्थान की कांग्रेस सरकार में मंत्री बने तब शायद उनको पुलिस विभाग बहुत अच्छा लगा और ज्योंही उधर गये इस विभाग में भ्रष्टाचार दिखने लगा..

माननीय सभापति जी, चाहे इधर बैठें या उधर बैठें, विभाग अपनी तरह से काम

(श्री देवेंद्र सिंह)

करता है। आलोचना करना दूसरी बात होती है। हालत पिछिले दो ढाई सालों में बहुत खराब हुई है। पुलिस का आन्दोलन हुआ। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस ने पुलिस पर गोली चलाई। मैं जानता हूं कि हालात को सुधारने में पुलिस लगी हुई है। परन्तु, माननीय सभापति महोदय, जब से मैं विधान सभा में आया हूं रोज एक न एक बात बनाकर आलोचना करते हैं। मैं आपके जरिये से सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने केस यहां लाये जाते हैं, वह सब झूठे केस प्रस्तुत किये जाते हैं। यह जनता पार्टी का प्रयत्न होता है। और कोई कारण नहीं हो तो सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। समाचार-पत्रों के जरिये से सरकार को बदनाम किया जाता है। मैं तो यह कहूंगा ऐसे गेंग छोड़े हुए हैं जो चलते रास्ते लड़कियों को छेड़ें और राजनैतिक केस बनाकर विधान सभा में उठाया जाता है। पुलिस विभाग को उनको पकड़ना चाहिए और उनको पकड़कर जनता के सामने कठोर से कठोर दण्ड देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं भीलवाड़ा जिले के एक केस के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। थनेड़ा पहले कोटड़ी में था। टोडा के तीन थाने थे। मेरा सुझाव है कि तहसील वाइज थाने हों। जिससे कि वह हमारे अनुकूल हों। यह सुविधाजनक हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, थानों का रीआर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तहसीलवाइज थाने होने चाहिए। एक केस में सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। यह जनता पार्टी के समय में हुआ था। उस समय वहां के एम. एल. ए. कल्याण सिंह, थानेदार प्रतापसिंह, एस. पी., बी. पी. सिंह, जिला कलेक्टर विजयसिंह, मुख्य मंत्री भैरोंसिंह थे।

एक माननीय सदस्य: प्रस्तुत करने वाला देवेन्द्र सिंह।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी: आज का एम. एल. ए. देवेन्द्र सिंह।

एक माननीय सदस्य: वह बराबर बोल रहे हैं

श्री देवेन्द्र सिंह: सभापति महोदय, जगपुरा, तहसील आसींद में एक गांव है। वहां पर मजदूर काम कर रहे थे। सड़क पर मिट्टी खोद रहे थे। वहां उनको एक बर्तन मिला। कहा जाता है कि 9 किलो सोना उस बर्तन में मिला। वहां पुलिस ने उन मजदूरों को पकड़ लिया। संयोग से एक मजदूर को बन्द किया गया। जैसे ही वह घटना एस. पी. साहब के सामने प्रस्तुत की गई उसको पकड़ने के बाद वह वहां जाकर पहुंचे। हालात से वाकिफ हुए। आज तक उस सोने का क्या हुआ, यह पता नहीं है। जनता पार्टी के लोग मिलकर सोना खा गये है। कृपा करके उसकी जांच कराई जाये। इस केस का मतलब क्या था। मजदूरों को पीटा गया। बाद में उनसे कहलाया गया कि हमें कोई बर्तन नहीं मिला। लेकिन आज तक सोने का क्या हुआ, बर्तन का क्या हुआ? मेरी मान्यता है कि जनता पार्टी की सरकार और जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल हैं। उस सोने को बरामद किया जाये। मेरी यही प्रार्थना है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस बारे में सोचकर जवाब देगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : हमें आपके दल की दो पर्चियां प्राप्त हुई थीं। कौन बोलेंगे ?

श्री महाराम :

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदय, आज पुलिस शहरों-शहरों में ही दिखाई देती है। शहरों में पुलिस के सभी डिपार्टमेंट भी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो ग्रामीण हैं, वह पुलिस को रक्षक के बजाय भक्षक कहने लगे हैं। मेरे यहां कोई मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने में जाता है तो जैसा कि अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि उनसे कागज और पेन्सिल मांगते हैं। हमारे यहां तो फीस देने के लिए कहते हैं। पहले तो मुकदमा दर्ज ही नहीं करते हैं। पैसा लेकर काम किया जाता है। यातायात पुलिस भी किसानों के साथ में बड़ा दुर्व्यवहार करती है। आपके सामने अपने क्षेत्र की एक बात रखता हूं नागौर जिले में गुडला गांव है। वहां 8-1-80 के एस. एच. ओ. मोडसिंह थे। वहां पास में ढाणियों के गांव हैं। वह लोग वहां पर शिकार करने के लिए गये। गांव वालों ने उनको मना किया, तो उनको बड़ी नाराजगी मालूम हुई। वापस आकर कागजात देखे तो पता चलाने की कोशिश की कि कोई पुराना किसी आदमी का केस दिखाई दे जाय। तो उनको एक शंकर नाई का सन् 1964 का मिल गया। उन्होंने गांव वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये। 18 अगस्त को इस तरह से लोगों को फंसा दिया। उन पर 307, 353 और 332 के केस बनाये गये। उन लोगों पर कई कई दफाएं लगाई गई हैं। 18 आदमी गिरफ्तार किये गये हैं। पुलिस थाने में उनको रखा गया है। 18 आदमियों को थाने में रखा, उनको गिरफ्तार किया, उनके साथ मारपीट की गई, यह बताने के लिए कि जानते हो कि नहीं कि शासन किसका है, तुम्हारी खाल फोड़ दी जायेगी। सारे गांव वालों में आतंक छा गया। पुलिस लोगों की जान-माल की रक्षा के लिये होती है लेकिन काश्तकारों को और दूसरे लोगों को इस तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि पुलिस वालों से यह उम्मीद की जाती है कि उनका व्यवहार अच्छा होगा, गांव वालों के साथ हमदर्दी रखेंगे, लेकिन इसके विपरीत गरीब लोगों को शिकार समझकर उनको परेशान करते हैं तो हम उनसे किस प्रकार की आशा कर सकते हैं। अभी कुछ दिन हुए नागौर जिले के एक थाने में, 33-34 साल का एक मंगल राम नाम का जाट था, उसका कत्ल हो गया, उसकी तफतीश की कोई कार्यवाही नहीं की गई, मुलजिमों का कोई पता नहीं लगा और मोडसिंह को शिकार करते हुए गिरफ्तार कर लिया उस पर मुकदमा चलाया गया और परेशान किया जा रहा है।

इसी तरह से नागौर जिले में एक विशेष जाति के समुदाय को पोस्टिंग करके दूसरी जाति के समुदाय को डराया-धमकाया जाता है, उन पर असर डालने के लिये एक तरफ एक ही जाति के लोगों को लगा दिया गया है इस तरह से सामन्तवाद और जागीरदारी का राज हो गया है और काश्तकार की हमेशा हमेशा के लिये बोलती बन्द कर दी है। जोधपुर डिवीजन के पूरे के पूरे सब इन्स्पेक्टर या इन्स्पेक्टरों को जयपुर में लाकर इकट्ठा कर दिया है और उस क्षेत्र से उनको हटा दिया गया है। तो मेरा निवेदन है कि

(श्री महाराम चौधरी)

पुलिस अधिकारियों में इस तरह की भावना होनी चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ उनका व्यवहार, उनका आचरण मदद करने का होना चाहिये। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है पुलिस थाना मुण्डवा में खाने-पीने की कोई पार्टी चल रही थी। एस.पी. ने थाने की चैकिंग की, थानेदार और सिपाही सारे नशे में धुत थे। मेरा निवेदन है कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा थाने में जाकर के सरप्राइज चेकिंग की जानी चाहिये। ऐसा अक्सर देखने में आया है कि इन थानों में पीने की व्यवस्था होती है। अभी हमारे एस. एच. ओ. भावता का जिक्र आया, वे काश्तकारों से नाराज हो गये और सरपंच से नाराज हो गये, तो चला करके उसके घर गये साथ में शराब ले गये और सिपाही को साथ ले जाकर, एक साधारण आदमी था उसके मुंह पर शराब लगाकर उसका डाक्टरी मुआयना कराकर उसके खिलाफ मुकदमा बनाया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अतः मेरा निवेदन है कि पुलिस अधिकारियों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाय कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें और लोगों की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जा सके।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्रकुमार।

श्री देवेन्द्र कुमार (सराड़ा): माननीय सभापति महोदय, पुलिस की मांग के बारे में मैंने भी कटौती प्रस्ताव दिये हैं। उसके बारे में मैं आपके माध्यम से चर्चा करूंगा। माननीय सभापति महोदय, पुलिस के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रख हैं, मैं भी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। सभापति महोदय, पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा विभाग है, जिस प्रकार से हमको हवा और पानी की जरूरत रहती है, उसी प्रकार से हमारी जान व माल की रक्षा के लिये पुलिस की जरूरत है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पुलिस में कई तरह की अच्छाइयां भी हैं और कई तरह की बुराइयां भी हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जब आपके ऊपर कोई आपत्ति आवे उस वक्त पुलिस को याद करना और जिस वक्त आपत्ति मिट जावे......

(6.07 सायं)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति पदासीन)

तो इस तरह की बातें हैं, सारा पुलिस डिपार्टमेंट साफ नहीं हो सकता, उसके कुछ कर्मचारी ऐसे हो सकते हैं जिनकी आदत ऐसी पड़ी हुई हो, डिपार्टमेंट के बारे में या पुलिस के बारे में कुछ कह सकते हैं। मुझे दुःख इस बात का है विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य हमेशा-हमेशा एक ही बात कहते हैं कि बलात्कार हो गया। बलात्कार की बात लाते हैं तो किसके लिये...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार : वे लोग यह कहकर हरिजनों या आदिवासियों का नाम लेते हैं। इन जातियों में होता क्या है। उन्होंने कभी दूसरी कौम के लिये नहीं कहा। तो मुझे दुःख होता है इस बात का, ऐसी बात करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों का अखबारों में एडवर्टाइज करके उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं

(श्री देवेन्द्र कुमार)

माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से वे पिछड़ेपन की जानकारी नहीं देवें । सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वहां केतराय थाने में तारीख 25 मई को गंगासर की एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उसके मरने के बाद क्या होता है, वहां के हमारे सरपंच साहब जो जनता पार्टी के लीडर हैं, उनका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पुलिस के लोग भी उनके दवाव में आ गये। उनका नाम था सुन्दरलाल जी। उस लड़की के मरने के बाद उसको दफना दिया फिर जब लोगों को पता लगा, उसके बाप को पता लगा तो उसको निकालकर फिर उसको जलाया गया । मैंने उदयपुर के एस.पी. साहब को लिखा, थानेदार के खिलाफ शिकायत की । मैंने निवेदन किया कि गरीब आदिवासियों के साथ कैसा व्यवहार है । अब सुनने में आया कि उसको लाइन हाजिर कर दिया है । इस तरह से काम होता है । उनको बदनाम करने की बात होती है । वह बात सामुहिक नहीं होनी चाहिए । यह बात किसी एक कौम के लिए नहीं है, सबके लिए है । सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं शायद आप एक बार उदयपुर पधारे होंगे । उदयपुर जाने से पहले आप मिनिस्टर थीं । वह अंग्रेजों के समय की छावनी है, इस तरह नसीराबाद भी छावनी है । तो मैंने सन् 1967 के बाद से इस असेम्बली में निवेदन किया था कि इतने मकान बने हुए हैं, इतनी बड़ी छावनी है, जहां हमारे आदिवासी हैं वहां तो सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि जो वहां पर आदिवासी हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां के हमारे लड़के बाहर न जाकर, वहां पर भर्ती होकर के अपनी ट्रेनिंग पूरी करके कहीं भी दूसरी जगह नौकरी पर जा सकते हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से वहां सुविधा नहीं है । वहां मकान काफी बने हुए हैं । गांव जो हमारे उदयपुर से लगे हैं, काफी दूर पड़ते हैं । इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि वहां सैन्टर के अधिकार दिये जायें ताकि वहां पर लड़के ट्रेनिंग ले सकें ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से, यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे आदिवासी लड़के हैं, जिस तरह से, उनमें ज्यादातर आर्मी में, आर. ए. सी. में भर्ती होते हैं । तो ज्यादातर फौज में भर्ती होने वाले नौजवान लड़कों को काम दें, दूसरी जगह न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था की जाये । इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि एक-एक ट्रेनिंग सैन्टर कायम करें ताकि वहां के सब आदिवासी लड़के भर्ती होकर, के ट्रेनिंग लेकर के नौकरी कर सकें । धन्यवाद ।

श्री सभापति । चुन्नीलाल ।

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार): सभापति महोदय, आज इस बात की जो डिबेट है उस पर कटौती प्रस्ताव के संबंध में कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर कानून व्यवस्था इस तरह से बिगड़ी हुई है कि यहां हर आदमी अपने आपमें महसूस करने लग गया है और समझने लग गया है कि कहीं भी कोई वारदात हो सकती है । जब से कांग्रेस पार्टी बहु-

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

मत में आई है तब से चोरी, डकैती, बलात्कार की वारदातें बढ़ गयी हैं जिसको सरकार रोकने में बड़ी असफल रही है। मैं इस संबंध में कहूंगा पुलिस विभाग की जो चर्चा माननीय सदस्यों ने उठायी है इसमें बड़ी बात नहीं है कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार है और पुलिस के साथ-साथ अन्य डिपार्टमेंट हैं, उनमें भी भ्रष्टाचार का दबदबा होता है। आज कोई गरीब व्यक्ति अगर अपने काम की वजह से या कोई बात पूछने के लिये जाता है तो बिना पैसे के गरीब का काम नहीं हो सकता है।

जैसे एक तहसील के अन्दर कोई व्यक्ति पुलिस के सहारे के लिए आता है कि पुलिस में सुनवाई होगी और अपराधी को दण्ड मिलेगा। लेकिन वह पुलिस विभाग के कर्मचारियों से मिलकर के पैसा खाकर के उनके केस को एक तरह से दबा देते हैं। आज कम से कम 15-20 मामले मेरे सामने ऐसे हैं कि किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति को एक दिन की सजा भी नहीं मिली है क्योंकि वह पुलिस के साथ मिल जाता है। गरीब का कोई सहारा नहीं होता है। तो सभापति महोदय, इस संबंध में कोई भी इस तरह की वारदात होती है तो पुलिस प्रशासन को ईमानदारी के साथ उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिये। जिससे कि गुंडा तत्वों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिले और उनको सजा मिले।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करूंगा कि खण्डार निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर कई वारदातें हो चुकी हैं। वहां दिन दहाड़े डकैत आते हैं और लूट कर ले जाते हैं। आज तक पुलिस प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसी तरह से सोने और चांदी के छत्तर, जो भूतपूर्व सरपंच की कस्टडी में थे, उसके पास से वह बिलकुल गायब हो गये हैं। उसके बारे में एस. पी., सवाई माधोपुर और डी. आई. जी., सी. आई. डी. के प्रयास करने के बावजूद आज तक कोई पता नहीं चल रहा है। जो भी तफतीश की जाती है वह जीरो होती है। मैं कहता हूं कि जो पंचायत का सैक्रेटरी भी है, उसकी तिजोरी बिलकुल खाली थी। लेकिन आज इस तरह की चर्चा है कि जो भूतपूर्व सरपंच राजमल जैन है, उसको दबा रहा है। वह चांदी और सोने को अपनी बच्चियों की शादी में दे चुका है।

इसी तरह से सवाई माधोपुर में जो 80 हजार की चोरी हुई है, उस चोरी के बारे में पुलिस प्रशासन को बहुत कुछ कहने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। इसलिये उसमें भी आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की चोरी की वारदातें जो होती हैं, इसमें भी अगर पुलिस प्रशासन इस तरह से बैठा रहे तो इससे ज्यादा दुःख की बात क्या होगी ?

दूसरी बात यह है कि जैसे पुलिस की डिबेट है। एक जानकारी देना चाहता हूं कि जब से राजस्थान में नशाबन्दी लागू हुई। तब से लेकर आज तक निरीक्षक, सवाई माधोपुर ने सारे गांवों में शराब की एजेंसियां लगवा कर करीब 30 हजार की उसकी आमदनी है, शराब निकलवाते हैं और

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

उसकी बिक्री करवाते हैं। इस तरह की खोलियां हमारे यहां चल रही हैं, जिसको रोकना चाहिये। इस संबंध में मैं एस. पी., सवाई माधोपुर से मिला था। लेकिन उन्होंने कहा कि यह हमारा काम नहीं है कि हम जाकर शराब को पकड़ें। इस तरह का काम आबकारी डिपार्टमेंट को करना चाहिये। आज तहसील सवाई माधोपुर में पुलिस अफसर बैठे रहते हैं। वहां पर करीब 20 साल से भूमि थी, उसके मुआवजे के लिए राज्य सरकार ने जो राशि दी थी उस राशि को करीब एक साल से तहसीलदार सवाई माधोपुर ने लटका रखा है। मेरा कहना है कि कानून व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाना चाहिये और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम करना चाहिये। यह भ्रष्टाचार न मिटा है, न मिटने वाला है।

श्री सभापति : श्री सूर्यकुमार।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : माननीय सभापति महोदया, आज सातवीं विधान सभा पुलिस विभाग की मांगों के संबंध में कटौती प्रस्तावों पर विचार कर रही है। इससे पूर्व विधान सभा पुलिस विभाग की मांगों पर कटौती प्रस्तावों के माध्यम से विचार कर चुकी है।

मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि यह केवल औपचारिकता मात्र है। इसी प्रकार गंभीरतापूर्वक आफिसर्स ने पहले भी नोटिस लिये होंगे, इसी प्रकार गंभीरतापूर्वक सरकार ने भी नोट किया होगा। भ्रष्टाचार की ये आलोचनायें और पुलिस की ज्यादतियों की बातें आम तौर पर कही गई हैं और मैं समझता हूं कहीं कहीं भी नहीं गयी है। दुविधा हमारे साथ यह है कि हम सोचते हैं कि यह भ्रष्टाचार है, हम सोचते हैं कि यह पुलिस की ज्यादती है लेकिन मूल रूप से हम उस पर विचार करके इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। हम केवल आलोचना के खातिर आलोचना करना चाहते हैं और उस आलोचना का जवाब जो भी सरकार देती है, वह भी एक औपचारिकता के रूप में ही जवाब देना चाहती है। इसलिए हम उससे ज्यादा नहीं करना चाहते हैं और शायद कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं हैं।

सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यही अवस्था चलती रही तो देश अराजकता की स्थिति में पहुंच जाएगा और उस समय हम केवल पश्चाताप करने की स्थिति में रह जायेंगे, इससे ज्यादा हमारे पास कोई बात नहीं रहेगी। मैं अभी कटौती प्रस्तावों के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि समाज में व्यवस्था रहे, अगर आप चाहते हैं कि सरकार जिन मुद्दों को सामने रख कर सत्ता में आई है, वह उसका प्रमाण-पत्र जनता से 5 साल बाद में लेना चाहती है तो पुलिस का जो संगठन है, पुलिस विभाग है, उसके संबंध में तय करना पड़ेगा कि क्या अपने पुराने ढर्रे पर चलते रहें या उसमें मौलिक परिवर्तन किया जाए? अगर गंभीरतापूर्वक इस बात को नहीं सोचा गया और जिस प्रकार का ढर्रा चलता रहा है उसी प्रकार का चलने दिया जायेगा तो शायद जनता, कांग्रेस और न विरोधी पार्टियों को माफ करने वाली है।

मैं कटौती प्रस्तावों के माध्यम से मेरे क्षेत्र की बातें हैं, कुछ पुलिस की ज्यादतियां हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता

(श्री सूर्यकुमार)

हूं। जुलाई के महीने में रात को 11।। बजे एक वृद्धा महिला अपने मकान में सो रही थी, उसके कान में सोने की बालियां थीं, वहां के गुंडों ने सौने की वे बालियां छीन लीं। उस वृद्ध महिला का कान कट गया। उसकी थाने में रिपोर्ट हुई लेकिन आज तक न बालियां बरामद हुई, न किसी की गिरफ्तारी हुई। अफसोस की बात यह है कि पुलिस के सामने इस संबंध में एप्रोच किया गया तो उसने कहा यह राजनैतिक मामला है और राजनैतिक दबाव ने सारी कार्यवाही की जा रही है और इस घटना को दूसरा रंग देकर दबाने की कोशिश कर रही हैं।

मैंने यह एक ताजा बात निवेदन की है। इस प्रकार की अगर और बातें कही जायं तो पुस्तकें भर सकती हैं और अब तक पुस्तक भर गयी हैं जहां तक पुलिस विभाग का प्रश्न है लेकिन केवल पुलिस की आलोचना ही आलोचना करते रहें और उसके साथ में जो उनकी दिक्कतें हैं, उन पर विचार न करें तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। मैं इसी सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पुलिस का छोटा तबका है, छोटे कर्मचारी हैं, अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं, निश्चित रूप से हमदर्दी के पात्र हैं, सरकार को पूरी हमदर्दी उनके साथ होनी चाहिये। उनकी आवासीय सुविधायें, तनख्वाह की बातें और दूसरे जो अलाउंसेज बढ़ाने की बात है सरकार को सोचना चाहिये। अगर सरकार उनके साथ हमदर्दी रखेगी तो वे निश्चित रूप से सरकार के साथ हमदर्दी रखेंगे और सरकार की छवि जो उनके माध्यम से बिगड़ती है, समाज में सरकार की छवि बनेगी। जब उनका अच्छा व्यवहार होगा तो सरकार की छवि भी अच्छी होगी। मूल रूप से वही जिम्मेदार है गांवों में सरकार की छवि बनाने और बिगाड़ने में। विधान सभा में वाच एण्ड वार्ड के अल्प वेतन भोगी लोग हैं, उनके साथ भी हमदर्दी आवश्यक है सदन की और सरकार की। मैं चाहूंगा कि उनके साथ हमदर्दी का व्यवहार किये जाय।

अन्त में यह बात कहना चाहता हूं अपने कटौती प्रस्तावों के माध्यम से कि ये जो बातें होती हैं, ये केवल वादविवाद करने और जवाब देने तक ही सीमित नहीं रहें, हम गंभीरतापूर्वक उन पर विचार करें और समाधान निकालने की बात सोचें तो बहुत बड़ी बात होगी। नहीं तो जिस प्रकार से 6 विधान सभायें इन सारी बातों पर विचार कर चुकी है सातवीं विधान सभा भी कर लेगी और आठवीं और आगे की विधान सभा भी ऐसे ही करेंगी।

श्री सभापति : श्री मेघराज।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सभापति महोदया, आज पुलिस विभाग पर चर्चा चल रही है, कटौती प्रस्ताव मैंने भी दिया है। यह बड़ा गंभीर मामला है जिस तरह हम विचार कर रहे हैं और जो सरकार की नींव है, हम समाज की व्यवस्था, लॉ एण्ड आर्डर जिसके हाथ में है, मैं कहना चाहता हूं कि जो 1861 का रूल है उसके अनुसार आज तक हमारी सरकार 30 साल तक चलती आई है, 20 साल आपने भी राज किया, किन्तु 34 साल से किसी ने भी नहीं सोचा कि पुलिस विभाग में इतना भ्रष्टाचार क्यों है। भ्रष्टाचार तो सब महकमों में है

(श्री मेघराज तावड़)

लेकिन सवाल इतना है कि केवल कुछ पुलिस वाले जनता के सम्पर्क में ज्यादा रहते हैं, इससे पुलिस का भ्रष्टाचार नजर आता है, बाकी और इलाकों में हमारे नेतागण भी भ्रष्ट हैं, वह कभी नजर नहीं आता है, आता है तो वह सामने नहीं आता है यह पूंजीवाद व्यवस्था है इसमें इस तरह के भ्रष्टाचार हैं जो अभी सीमें पुलिस में दिखते हैं, बाकी जगह नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक कुआं है जिसमें भांग डाल दी है जो उसको पियेगा पागल हो जाएगा। तो हमारे माननीय सदस्य सभी पुलिस में भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि पुलिस का जो प्रशिक्षण है वह डिफेक्टिव है। पुलिस में जो भर्ती करने का तरीका है वह भ्रष्ट है। पुलिस में जाता कौन है ? पुलिस में वही लोग जायेंगे जिनको दूसरी नौकरी नहीं, जो बेकार मारे-मारे इधर उधर फिरते रहते हैं। वे देखते हैं कि और कहीं नहीं तो पुलिस में ही चला जाए, वहां भ्रष्टाचार ज्यादा होता है, हम भी जल्दी पैसे वाले बन जायेंगे। छोटे कर्मचारी भ्रष्ट क्यों होते है ? एस. पी.; डी. वाई. एस. पी. और डी. आई. जी. तक मुझ मालूम है। मैं गांव में रहता हूं, छोटे कर्मचारियों से ज्यादा वास्ता रहता है। आई. जी. के यहां, एस. पी. और डी. आई. जी. के यहां कोयला जाता है, लकड़ी जाती है, जलाने वाली लकड़ी जाती है, वे कहां से पैसा लायेंगे ? कोई छोटे कर्मचारी की हालत देखना चाहे, कहीं कत्ल हो गया, सर्दी का समय, गर्मी का समय या बरसात का समय हो कतल हो गया, तीन या चार दिन तक लाश पता लगाकर निकाली, पानी में डूबी हुई लाश को निकाला, वहां कोई भी आदमी खड़ा नहीं रह सकता है, पुलिस कान्सटेबल, हैड कान्सटेबल बेचारा खड़ा रहता है। डॉक्टर जब पोस्ट मार्टम के लिए आता है तो वह भी नजदीक खड़ा नहीं रहेगा और कहेगा पुलिस वालों को कि इसको जरा चीरा लगाना। उसको इन्सान नहीं समझा जाता क्योंकि उसको दर्द नहीं . . . . . .

(6.28 सायं)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति पदासीन)

आती ? क्या कान्सटेबल में जान नहीं है ? वह उसको कैसे हाथ लगाएगा ? मैं कहना चाहता हूं कि हम देश में आजाद हो गए, हमें राजनैतिक आजादी मिली, लेकिन पुलिस महकमे में कोई आजादी नहीं। अंग्रेज चले गये लेकिन सारी गुलामी पुलिस वालों पर थोप कर चले गये। आप कहते हैं कि पुलिस वाले भ्रष्ट हैं, या आज्ञा नहीं मानते हैं। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से खास तौर से गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह उस तबके से आते हैं, वह इस बात को समझेंगे कि आज पुलिस का सिपाही अपनी दर्दनाक हालत के किस्से सुनाता है। वह 12-16 घंटे की नौकरी करता है, उसको बाल बच्चों से दूर फेंका गया, वह अल्प-वेतन भोगी कर्मचारी होता है, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पता नहीं, 24 घंटे कमर बांध कर तैयार रहना पड़ता है लेकिन जब उसका थानेदार नाराज हो गया या डी. एस. पी. नाराज हो गया, या एस. पी. नाराज हो गया तो डी. आई. जी. या एस. पी. के पास उसके जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है। ऊपर के

Page No. 154

(153)

(श्री मेघराज तावड़)

अधिकारियों को देखें, आई. पी. एस. और आर. पी. एस. वाले अपना संगठन बना सकते हैं तो जब भैरोंसिंह जनता पार्टी के राज में, थे अब तो वह भारतीय जनता पार्टी में है लेकिन जनता पार्टी के राज में पुलिस कर्मचारियों ने अपनी मांग रखी, उन मांगों को लेकर मुझे कहते हुए शर्म आती है क्योंकि जनता पार्टी के मुख्य मंत्री, जो खुद पुलिस में रह चुके हैं। तो कम से कम पुलिस के लोगों की हालत को समझते होंगे पर, सभापति महोदय, पुलिस वालों ने पहले मांगें रखीं आन्दोलन उन्होंने उसके बाद में किया। सभापति महोदय, उन्होंने अपनी पहली मांग यह रखी कि पुलिस वालों को भी अपनी एसोशियेशन बनाने दी जाय। उनको भी अपनी यूनियन बनाने का हक होना चाहिये। उन्होंने यूनियन बनाने के लिये इजाजत मांगी। उन्होंने यूनियन बनाने की बात इसलिये कही कि वह लोग अपनी तकलीफों को अपनी यूनियन के जरिये राज्य सरकार तक पहुंच सकें। तो सभापति महोदय, उनको इनाम यह मिला कि पहले तो उनको बुलाया गया, उन्हें विश्वास दिलाया और कहा कि उनकी मांगों को मंजूर किया जायेगा लेकिन, सभापति महोदय, उस यूनियन में उनके कुछ चमचे घुसे हुए थे, जिस वक्त हड़ताल चल रही थी उस वक्त उन्होंने यह कहा कि हड़ताल टूट गयी है। सभापति महोदय, कुछ लोग हड़ताल में रह गये और कुछ लोग वापस काम पर चले गये जिसका नतीजा यह हुआ कि जो लोग वापस नहीं गये उनको बीच में ही नौकरी से बरखास्त कर दिया गया। सभापति महोदय, करीब 127 व्यक्तियों को बरखास्त किया गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान उन बगुनाह लोगों की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था उनको वापस नौकरी में लिया जाय। सभापति महोदय, उनके साथ जनता पार्टी की सरकार ने तो अन्याय किया ही था पर जब उन लोगों ने हाई कोर्ट में केस जीत लिया, जब हाई कोर्ट ने उनके हक में यह फैसला दे दिया कि उनको वापस नौकरी में ले लिया जाय तब बाद में जनता पार्टी की सरकार ने उनको वापस नौकरी में क्यों नहीं लिया ? लेकिन अब आपकी सरकार को तो उनके साथ न्याय करना चाहिये। सभापति महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस सरकार भी उनके साथ वही सलूक करेगी जो कि जनता पार्टी की सरकार ने किया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हाई कोर्ट ने जिन पुलिस कर्मचारियों को वापस लेने के आदेश किये हैं, उनको वापस लिया जाय।

सभापति महोदय, इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारा देश आजाद है और संविधान के अन्तर्गत सभी को बोलने की स्वतन्त्रता है तो फिर पुलिस वालों को भी बोलने की आजादी क्यों नहीं है ? अगर वह लोग अपनी एसोसिएशन बनाकर अपनी यूनियन के जरिये अपनी मांगें आपके सामने रखना चाहते हैं तो उनको अपनी बात कहने का भी हक दिया जाना चाहिये।

दूसरे सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जो

(श्री मेघराज तावड़)

हमारे पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी है उनमें और पुलिस विभाग के छोटे कर्मचारियों में आपस में कोई तालमेल नहीं है । आज भी वही पुराने जमाने, अंग्रेजों के जमाने का ढर्रा पुलिस विभाग में चल रहा है । अगर, सभापति महोदय, पुलिस का कोई आफिसर आता है उस वक्त अगर छोटे सिपाही उठ कर सलाम नहीं करे तो वह साहब नाराज हो जाते हैं । सिपाहियों में ऐसी भावना होती है कि साहब अगर नाराज हो जायेंगे तो उनका प्रमोशन नहीं होगा । उनका कहीं दूर तबादला कर दिया जायेगा । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस आन्दोलन में पुलिस कर्मचारियों को बरखास्त करने वाले जो आई.जी. पी.साहब थे वह आई. जी. पी. साहब आज भी वहीं हैं । यह उस समय भैरोंसिह जी शेखावत जो कि उस समय मुख्य मंत्री थे उन पर बड़ी कृपा थी, उनकी वजह से ही बेचारे पुलिस विभाग के कर्मचारियों को बरखास्त किया गया, उन्हीं की वजह से आज वह भुगत रहे हैं । सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी खुद एक छोटे तबके से आते हैं और जिन लोगों को बरखास्त किया गया था वह भी बेचारे गरीब और छोटे तबके के लोग थे, यह पुलिस वाले बेचारे छोटे तबके के हैं असलियत में यही छोटे लोगों जो पुलिस के होते हैं, पर हमारी सरकार चलती है । यह हमारी सरकार के पांव होते हैं, उनकी समस्याओं को आपको सुनना चाहिये, उनकी समस्याओं को आपको समझना चाहिये और उनकी तकलीफों को मिटाने के लिये राज्य सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये ।

सभापति महोदय, हमारे यहां पर जब विधान सभा चलती है तो बाहर से 200–250 पुलिस कर्मचारी प्रहरी के रूप में काम करने आते हैं। विधान सभा 12 घंटे तक, 14 घंटे तक जब तक चलती है वह तब तक यहां पर बैठे रहते हैं। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री का ध्यान, सभापति महोदय, आकर्षित इस ओर करना चाहूंगा । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको पुलिस के इन छोटे लोगों के लिये व्यवस्था करनी चाहिये । सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप कुशल प्रशासन हमारे देश में चाहते हैं, अगर वास्तव में आप हमारे देश में लॉ एण्ड ऑर्डर बनाये रखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इन पुलिस कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान देना होगा । आज जो आपके यहां पर पुरानी रिजिड व्यवस्था है उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। आज जो पुलिस के छोटे कर्मचारियों और बड़े कर्मचारियों में तालमेल नहीं है वह तालमेल बनाना पड़ेगा । आपको उन्हें सुनना पड़ेगा । आज जो बड़े अधिकारी पुलिस के छोटे कर्मचारियों को हीन भावना से देखते हैं जो बर्ताव उनके साथ करते हैं उसमें बदलाव करना पड़ेगा । सभापति महोदय, उदयपुर डिविजन में आदिवासी लोग हैं जो कि ज्यादातर पुलिस में भर्ती होते हैं क्योंकि आदिवासी लोग गरीब होते हैं कम पढ़े-लिखे होते हैं तो वह छोटे तबके की नौकरी में भर्ती होते हैं। सभापति महोदय, उन आदिवासी लोगों को एस. पी. साहब के यहां, डी.आई.जी.पी. साहब के यहां और डी. एस. पी. साहब के यहां घर पर काम करने के लिये लगा दिया जाता है । सभापति महोदय, उन आदिवासी लोगों को इन बड़े आफिसरों के घर पर बेगार करने के लिये बुलाया जाता है । उनको बेगार में

(श्री मेघराज तावड़)

घरवालों के, औरतों के कपड़े तक धोने पड़ते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि इससे ज्यादा क्या शर्म की बात हो सकती है। सभापति महोदय, जब उन लोगों में से मुझे आकर कहा तो मैंने उन्हें कहा कि भाई तुम डरो मत। तुम जब वहां पर काम करो तब मुझे बता देना, मैं एस. पी. साहब और डी. आई. जी. साहब के घर पर तुम्हारी कपड़े धोते की फोटो कैमरे से खींच लूंगा, लेकिन हमारे आदिवासी भाई लोग बहुत ही भोले होते हैं और बफादार भी होते हैं। उसने कहा, भाई साहब, नहीं, ऐसा मत करना। मैंने उसको कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिये, तुम उनके घरों की औरतों के कपड़े धोते हो, उनका साड़ियां धोते हो, उनके घाघरे धोते हो, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिये। मेरा, सभापति महोदय, ऐसे अधिकारियों के लिये यह निवेदन है कि अगर उनको अपने घर की औरतों के कपड़े धुलवाने हैं तो उन्हें चाहिये कि वह अपनी तनख्वाह में से पैसे देकर घर पर निजी नौकर अपने यहां पर रखें, आदिवासी, लोगों से बगार नहीं ले। सभापति महोदय, जिन लोगों को पुलिस में लॉ-एण्ड ऑडर मेनटेन करने के लिये रखा जाता है उनसे घर की औरतों से कपड़े धुनाना और उनसे गुलामी कराना कितना अन्याय पूर्ण है। लेकिन, सभापति महोदय, हमारे गांवों के लोग बहुत भोले भाले होते हैं पर अब हमारे यहां पर भी लोग पढ़े लिखे होने लग गये हैं, वह भी समझ गये हैं इसलिये अब वह भी अन्याय बरदास्त नहीं करेंगे। इसलिये मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज की परिस्थितियां और पहले की परिस्थितियों में फर्क है इसलिये आपके अधिकारियों को भी अपने में सुधार करना पड़ेगा। इसके साथ मैं गृह मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन्हें भी अपनी बात, अपनी दिक्कतें कहने के लिये यूनियन बनाने की इजाजत दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक मिनिट और। सभापति महोदय, पुलिस आज विभाग में जिन लोगों को लगाया जाता है वह अपने इलाके में फेल ही जाते हैं। उसका कारण यह है कि वह लोग उस इलाके के नहीं होते हैं, दूसरे वह उस इलाके की भाषा को भी नहीं समझते है। इसके अलावा एक बात यह है कि उस इलाके की भौगोलिक स्थिति से वह लोग वाकिफ नहीं होते हैं, यही कारण है कि वहां पर जो चोरियां और डकैती करते हैं उन लोगों को पकड़ नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ में, सभापति महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज कई बार तो लोग उनके ऊपर पुलिस अत्याचार अधिक होने के कारण डाकू बन जाते हैं। सभापति महोदय, अगर पुलिस का अत्याचार कम हो तो मैं समझता हूं कि डाकू भी कम बनेंगे। आज जो पुतली बाई और दूसरे डाकू बने हैं उसका कारण एक पुलिस अत्याचार भी था।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़: सभापति महोदय, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज पुलिस वाले यूनियन बनाने के लिये मांग रखते हैं और हड़ताल करते हैं तो आप उनके बदले होम गार्ड वालों को लगा देते हैं। जब वह लोग हड़ताल करेंगे तो आप आर. ए. सी. को लगा देंगे उनके बदले में उनको बनाने

(श्री मेघराज तावड़)

के लिये। जब आर. ए. सी. के लोग हड़ताल करेंगे तो आप उनको मिलिट्री से दबायेंगे। आप उनको अपनी मांगों को रखने की स्वतन्त्रता नहीं देना चाहते। एक तरफ तो हम आजाद भारत की बात करते हैं दूसरी तरफ स्वतन्त्रता बोलने की नहीं देते हैं। समाजवाद की बातें करते हैं पर आप अपने कर्मचारियों को बोलने नहीं दे रहे हैं उनका दमन करना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि जो पुलिस कौंसिल बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, रेन्ज लेवल पर और प्रांत लेवल पर वह उनकी तकलीफों को सुनने के लिये बनायी है पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उसकी आई. जी. पी. साहब ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई। मेरा इस बारे में निवेदन है कि कौंसिल में जनवादी तरीके अपनाये जाने चाहियें क्योंकि यह बहुत छोटे तबके के लोगों के वेलफेयर के लिये है। उसमें जनवादी तरीके अपनाने चाहियें। आज हमें अखबारों से पता लगता है कि आई. जी. पी. साहब उस वेलफेयर कौंसिल की मीटिंग बुलाने को तैयार नहीं हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : एक मिनट, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आपको एक मिनट दे दिया गया है। दुवारा एक मिनट नहीं मिल सकता है।

श्री मेघराज तावड़ : मुझे मेरी पार्टी के सदस्यों का समय दे दिया जाय।

तो, सभापति महोदय, उन वेलफेयर कौंसिल में जिन लोगों के चहेते है उनको मीटिंग में बुलाया जाता है यह उनके चहेतों की मीटिंग है। तो, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि इसमें जनवादी तरीका अपनाया जाय और जो भी वेलफेयर कौंसिल में लोग आयें वह जनवादी तरीके से आयें और सभी तरह के लोग आयें। इसमें किसी पार्टी विशेष के कृपापात्र लोग नहीं पहुंचें और अधिकारी भी इस तरह के हों जो कि राजनीति से परे हों तब तो पुलिस में जो असंतोष है, उनको हम दूर कर पायेंगे।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बिहारीलाल।

(व्यवधान)

इसके बाद मोहनलाल जी आप।

श्री बिहारीलाल जी।

श्री बिहारीलाल (मांडल) : सभापति महोदय, शांति और व्यवस्था बनाये रखना, अपराधों की रोकथाम करना और गुण्डागर्दी को दूर करना, डाकुओं का सफाया करना और असामाजिक तत्वों की रोकथाम करने के लिए जिला में मुख्य कार्यलयों की व्यवस्था की जाती है और जिले का नेतृत्व राजस्थान के पुलिस अधिकारियों के हाथ में होता है। यह बहुत सुन्दर व्यवस्था है। बराबर कई एक वर्षों से यह व्यवस्था चली आ रही है पिछले राज्य में 30 सालों से ऐसी सुन्दर व्यवस्था थी और जनता पार्टी के राज्य में भी यही अच्छी व्यवस्था थी। मैं बहुत सोचता हूं और बराबर सात घण्टे से सोच रहा था।

(1520)

(श्री बिहारीलाल)

विरोधी पक्ष में विराजे माननीय सदस्यों की बात नहीं करना चाहता हूं लेकिन उनका ध्यान आकर्षित करता हूं कि वह बोलते समय अपनी गरिमा को भूल जाते हैं और बलात्कार, चोरी और पुलिस के हालात खराब, होने वाली बात करते हैं। मैं कहता हूं कि 2½ साल में आपको कानून बदल लेना था। अगर आप कानून बदल लेते तो अभी आपको सुझाव देने की आवश्यकता नहीं होती। जनता को सारा मालूम है कि आपके सुझाव केवल विरोधी पक्ष में बैठकर छोटी-छोटी बातों का विरोध करने के लिए है और समय नष्ट करने के लिए हैं। बाकी व्यवस्था की दृष्टि से मैं समझता हूं कि हर राज्य सुन्दर व्यवस्था चाहता है। आपने कई बातें कही।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गाण्डल में एक मर्डर की घटना हुई, उस पर ध्यान आकर्षित करूंगा क्योंकि आपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर भी मौका दिया। ला एण्ड आर्डर की बात है और पुलिस विभाग की बात है तो मैं उसी पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, आलोचना करने के बजाय ...

एक माननीय सदस्य : उस पर मेरे भी दस्तखत हैं।

श्री बिहारीलाल : कई अच्छी बातें कही, मैं समझता हूं कि जो अच्छे सुझाव हैं उन पर माननीय गृह मंत्री जी बहुत गौर से विचार करें। यह बात सही भी है कि कांग्रेस का तीस साल का राज रहा और उसके बाद उन्होंने जनता पार्टी को राज सौंपा। अगर ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था खराब नहीं होती तो जनता हमको मौका नहीं देती। इसलिए जो आपने पुलिस के ऊपर खर्च करने का बजट रखा है मैं उसका स्वागत करता हूं और मेरे क्षेत्र की तरफ गृह मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करता हूं।

वास्तव में कुछ ऐसी स्थिति बनती है। 28 और 31 मई के बीच में, दुर्भाग्य की बात है। जनता पार्टी ने राज किया और कांग्रेस का राज आने वाला था। वह स्थिति बड़ी सोचनीय थी। उस समय एक घटना माण्डल में हुई। 28 और 30 मई के बीच में घटना हुई और 26 दिन के बाद पुलिस में केस दर्ज हुआ। मैं भी वहां मौजूद था, मैं बराबर उप-गृह मंत्रीजी से परामर्श करके वहां के अधिकारियों को बराबर इसकी जानकारी करने के लिए कहता रहा लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि कुछ जनता पार्टी के राज्य का 2½ साल का समय ऐसा रहा कि उन्होंने पुलिस वालों को भी नेता बना दिया। इनको प्रजातंत्र का पूरा लाभ दिया। यह बात जरूरी थी कि पुलिस में ऐसी स्थिति बनी। मैं बराबर पूछता था कि आज तक उस मर्डर की कार्यवाही का क्या हुआ? पुलिस वाले कहते हैं कि ऊपर से दबाव आ रहा है इसके कारण से वहां का जो थानेदार है वह पूरी कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। इस तरह से अराजक तत्वों ने ऐसी समस्या खड़ी कर दी। घटना इस प्रकार थी कि केलासी देवी नाम की औरत थी उसने अपने पति का मर्डर करना बताया और पुलिस ने साबित किया कि इस औरत ने उसको मारा बात ठीक हो सकती है। मैं भी इसी पक्ष में था कि इसकी किसी प्रकार से जांच हो लेकिन स्थिति क्या बनी, श्रीमान् 13

(श्री बिहारीलाल)

दिन उस लड़की को जुडिशियल लॉकअप करा दिया गया और एक व्यक्ति को और पुलिस ने अरेस्ट किया। उसकी स्थिति यह बनी कि तीसरे दिन वह भी छूट गया। मैं आपके माध्यम से एक प्रार्थना-पत्र पेश कर रहा हूं। इसी संबंध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी दिया, मैं समझता हूं कि आप मुझे स्वीकृति देंगे और मुझे मौका देंगे तो ज्यादा प्रकाश डालूंगा। मैं एक प्रार्थना-पत्र दे रहा हूं जिसे यहां पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप क्या पढ़ रहे हैं?

श्री बिहारीलाल: एप्लीकेशन पढ़ रहा हूं।

श्री सभापति: आप माननीय मंत्री जी को दे दें।

श्री बिहारीलाल: मैं यह माननीय गृह मंत्री जी को पेश कर रहा हूं। यह कटमोशन के रूप में भी दिया है। आप मुझे मदद करेंगे ऐसी आशा है। अगर कोई स्थिति खराब होती है तो आपको इसमें सहयोग करना चाहिए······

श्री सभापति: आर्डर, आर्डर प्लीज, आप माननीय सदस्य, शीघ्र समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल: तफतीश शुरू हुई। 4 दिन में लाश की हड्डियां बरामद हुई। 13 वें दिन वह भी चली गयीं। मुझे बड़ा अफसोस है कि पुलिस ने उसको जांच अच्छी तरह से नहीं की। इसकी जांच सी. बी. आई. से करानी चाहिए

मैं आपका ध्यान इस ओर क्यों दिला रहा हूं। इसलिए कि वहां की जनता यहां तक पहुंच गयी कि 28वें दिन थाने का 12 बजे हजार आदमियों ने घेराव किया। जनता कानून नहीं जानती है। हालांकि कुछ लोग उसमें उलझ भी गये लेकिन कुछ अराजक तत्व इसमें लगे हुए हैं उसके लिए मैंने वहां के जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया और माननीय गृहमंत्री जी भी उस विषय में काफी जानकारी रखते हैं। मैं स्टेट के वरिष्ठ अधिकारियों से लगाकर मांडल क्षेत्र के थानेदार तक से भी आशा रखता हूं कि ऐसे मामले में राष्ट्रीय भावना रखकर जनता की सेवा में लगे रहें क्योंकि राष्ट्रीय भावना रहने से आप पर जिस प्रकार के आरोप लगाये जा रहे हैं वह आरोप लगाने का बार बार मौका आता है और जब भी कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो पुलिस पर आरोप लगता है। तो इस पर आप सजगता नहीं बरतेंगे तो जनता की स्थिति बिगड़ती है और स्थानीय स्थिति छोटे गांवों में ऐसी होती है जो और भी खराब है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: आपने काफी विस्तार से चर्चा कर दी है उसी पाइन्ट की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। आप समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल: दो मिनट का अगर समय दें तो अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: हां, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें

श्री बिहारीलाल: तो मैंने वहां की स्थिति को बताया। वहां के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को भी जानकारी हुई और उसने भी कहा कि पुलिस ने कार्यवाही में बहुत देर कर दी है इसलिए उसके लिए आप सी.बी.आई.

(श्री बिहारीलाल)

से माफ़ करायें। और कई बातें कहना चाहता था लेकिन समय कम है। आपने मौका दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री त्रिलोकसिंह : सभापति महोदय, मुझे बोलने दें।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। आपको भी मौका दूंगा।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : सभापति महोदय, आज पुलिस विभाग के कटौती प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। राज्य का कर्तव्य है कि हर आदमी के जीवन की सुरक्षा करे और वह जिम्मेदारी पुलिस विभाग पर आती है। पुलिस विभाग का यह वार्षिक प्रतिवेदन है उसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि 76 के बजाय 79 में अपराधों की संख्या बढ़ी है 1976 में डकैती 105 हुई जब कि 1979 में 111 हुई। लूट के केसेज 1279 से जाकर 1294 पर पहुंच गये, हत्या के केसेज 648 से जाकर 784 पर पहुंच गये, बलवे के केसेज 5766 से 8533 पर पहुंच गये। इस तरीके से इन अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। और मैं इसकी सारी जिम्मेदारी जनता सरकार पर डालता हूं क्योंकि जनता सरकार ने बदले की भावना से इसमें कार्य किया है।

मैं आपको थोड़ासा निवेदन करना चाहता हूं कि जनता सरकार में भूतपूर्व उद्योग मंत्री श्री सूर्यनारायणजी चौधरी थे उन्होंने नीम के थाने में श्री खड़कसिंह, डी. एस.पी. को लगाया जो कि किसी जमाने में उनके साथ पढ़ता था। जैसे ही उनको लगाया उन्होंने झूठे मुकदमे बनाने शुरू किये और ऊपर से कोशिश की गयी। वह आई. जी. को भी कुछ नहीं समझते थे। वह तो समझते थे कि मैं तो मंत्री महोदय के साथ पढ़ा हुआ हूं इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता। आई.जी. ने उनके ट्रान्सफर आर्डर्स किये और वह कैंसिल हुए, इसलिए उनके दिमाग में ज्यादा खराबी रही। झूठे केसेज उन्होंने बनाये। सांवलपुरा तंवरान के भूतपूर्व सरपंच थे कांग्रेस के, उनके खिलाफ मौजूदा सरपंच ने रिपोर्ट की कि एक औरत ने मरते वक्त 800 रुपये गांव के एक आदमी पर कर्ज के उस भूतपूर्व सरपंच को बता दिया कि यह रुपये वसूल करके स्कूल पर लगा देना। उस पर गबन का मुकदमा कर दिया। इस तरह झूठी रिपोर्ट की। डी.एस.पी. ने अरेस्ट करके चालान पेश कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस किस्म के झूठे मुकदमें चलाये गये। उसका नतीजा क्या होगा। अराजकता फैलेगी। लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ती है। झूठे मुकदमें बनाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस का जो इन्तजाम है वह नहीं होना चाहिये। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिये। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि यह सारे का सारा वातावरण जनता सरकार के समय में हुआ है। मैं तो इसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी हूं। सेन्टर में इन्दिरा गांधी को टार्गेट बनाया और राजस्थान में जनता सरकार ने मोदी परिवार को टार्गेट बनाया .....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसीलिये कांग्रेस का टिकिट नहीं मिला।

श्री मोहनलाल मोदी : यह कोई बात नहीं है, टिकिट मिले या न मिले। मैं निवेदन

Page No. 161

161

(श्री मोहनलाल मोदी)

कर रहा था कि इतने झूठे केसेज बनाये। मैं आपको निवेदन करूं कि रामदेव ड्राइवर पंचायत समिति में था। नीम का थाना में था। कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने कम्पलसरी रिटायर कर दिया था। सूर्यनारायण जी ने वापस लगवा दिया। 5 हजार रुपये जो उसको पे का बनते थे वह उसको दिलाये। 77 में जो एम.पी. का चुनाव हुआ था उसमें वह कांग्रेस पार्टी का एजेन्ट था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह विकास विभाग की मांग नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं यह पुलिस की बता रहा हूं।

श्री सभापति : आपने कहा कि पंचायत समिति में था . . .

श्री मोहनलाल मोदी : पंचायत समिति में ड्राइवर था। कम्पलसरी रिटायर किया। सूर्यनारायण चौधरी ने वापस लिया। किसलिये कि पुलिस में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। सन् 77 में मेरा पोस्टल बेलट था उसको नहीं मिला और वह पोस्टल बैलट उन्होंने अपने काम में ले लिया। उसका केस बनाया जिसका आज तक कुछ नहीं हुआ है। इस तरह के झूठे केसेज मैं आपको बता रहा हूं आज इस तरह की बात कर रहे हैं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिये। सबसे बड़ी राजनीति जनता सरकार ने शुरू की। पुलिस के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उसी टाइम पर नाथ का नांगल गांव में हनुमान नाम के आदमी रूपोला के लड़के का मर्डर कर दिया खेत में सो रहा था रात को उसका मर्डर हो गया। आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई किन लोगों ने मारा। उसने यहां तक कहा कि मेरा कुए के मामले में फलां फलां से झगड़ा था। पुलिस ने उन लोगों को बुलाया तक नहीं। नीम का थाना में ऐसा वातावरण हो गया कि जनता के अन्दर पुलिस ने विश्वास खो दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस में ऐसी स्थिति आनी चाहिए जिससे जनता का विश्वास प्राप्त करें। मैं आपसे दूसरा और भी निवेदन करना चाहता हूं ऐसे कितने ही केसेज हैं। मेरे यहां रामपुरा गांव है। उसके अन्दर अर्चीनवा और भोपाल सिंह का मर्डर हो गया जिसके लिये महिपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसको गांव में बांध रखा था। उसको स्थिति यह थी। थानेदार ने जाकर उसको खोला। जब मैंने मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त की कि इसकी सी.आई. डी. से जांच कराइये, जैसे ही मैंने दरख्वास्त दी उसके तीसरे दिन जाकर पुलिस ने चालान पेश कर दिया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि इस चालान को विथड्रा करके आप दुबारा सी. आई. डी. से जांच कराइये तो आप निश्चित नतीजे पर पहुंचेंगे।

इसी तरीके से जलदाय विभाग की 10 हार्स पावर की मोटर, जो पानी के लिये लगाई जाती है, चोरी हुई। थानेदार जी ने उस चोरी को पकड़ा नहीं। मोटर को जंगल में डलवा दिया। पैसा ले लिया और दो दिन बाद मोटर जरूर बरामद कर ली लेकिन उन चोरों को गिरफ्तार नहीं किया। ऐसी स्थिति हो जाय पुलिस की जिस वक्त पुलिस मुलजिमों से मिलने लगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री मोहनलाल मोदी)

लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति कहां से आयेगी। सभापति महोदया, लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। कोई भी आदमी अपने आपको सुरक्षित नहीं समझता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये अधिक पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए कोई और व्यवस्था होनी चाहिये जिससे हर आदमी को महसूस हो कि वह महफूज है। पुलिस में भ्रष्टाचार की बात कही गई लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार तो जरूर है लेकिन एक बात कहता हूं कि आपके यहां ईमानदार आदमी कौन रहेगा। आप क्या देते हैं उस ईमानदार आदमी को। आपको बेईमान आफिसर ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि वह ज्यादा खुशामद करेगा। ईमानदार आफिसर को कोई एक आध प्रमोशन ज्यादा दीजिये, उसके नाम की सारे जगत में चर्चा कीजिये लेकिन मैं समझता हूं जो ईमानदार आफिसर है वह बाड़मेर जायेगा, वह अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर ईमानदार आदमी रखना चाहते हैं तो उनको एक्स्ट्रा प्रमोशन दीजिये, उनको अच्छी जगह दीजिये ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मेरे दल का तो कोई और सदस्य बोलने वाला नहीं है।

श्री सभापति: आपके दल के एक सदस्य बोल चुके हैं, माननीय सदस्य। आपको भी 10 मिनट होने जा रहे हैं। इसलिये निवेदन है कि शीघ्र समाप्त करें।

श्री मोहनलाल मोदी: सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि अगर किसी को ईमानदार बनाना चाहते हैं तो उसको तरक्की दीजिये, ईमानदारी का तोहफा दीजिये। वह आप दे नहीं सकते बल्कि आप ऐसी जगह भेज देंगे जहां उसको परेशानी हो तो ईमानदार कौन रहेगा। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम आप उन लोगों को जो ईमानदारी से काम करें आप तरक्की दीजिये। एक दो प्रमोशन दीजिये।

दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह सकता है लेकिन थानेदार अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह सकता। मेरा तजुर्बा है अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट में रखेंगे तो करप्शन कम होगा क्योंकि उसको लिहाज रहेगा, लोगों से सम्पर्क रहेगा और ज्यादा गड़बड़ी नहीं कर पायेगा। होम तहसील न दे सकें तो कम से कम होम डिस्ट्रिक्ट में रखें। इससे लोगों को ज्यादा सुविधा होगी।

श्री सभापति: श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

कृपया पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर): सभापति महोदय, मैंने अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सदन में जो चर्चा उठाई है वह यह है कि राजस्थान में पुलिस की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। श्रीमान्, जनता सरकार के तीन वर्ष के जमाने में अपराधों में जो वृद्धि हुई है वह मैं समझता हूं राजस्थान के इतिहास में पिछले 30 वर्षों में कभी नहीं हुई। 1976 में अपराधों की संख्या-आपके पास पुस्तक है-52 से बढ़कर 1978 में 94

(श्री हरिसिंह)
हो गई—200 पर्सेन्ट की वृद्धि हुई है। इतनी अपराधों में वृद्धि होना जनता शासन के लिये और जनता पार्टी के लिये शर्म की बात है और चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है..

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी : क्योंकि उस समय इमर्जेन्सी लगी हुई थी और डर के मारे सही खबरें आती नहीं थीं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री बाऊदयाल जोशी : इसलिये आपने बताया 1976 में, वह तो डण्डे के बल पर थी.....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आपके दल के सदस्य बोलें, उस समय आप रिफ्यूट कर सकते हैं....

श्री हरिसिंह : श्रीमन्, जो कारण हैं अपराधों के बढ़ने के, माननीय सदस्य ने बताये, उनकी राय हो सकती है मेरी राय है वह यह है कि प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई ने इस बात का नारा दिया था कि सभी लोग लोकतन्त्र में भय मुक्त रहें। यद्यपि जो नियम से चलते हैं वे कभी भी भय से आशंकित नहीं थे, भय से आशंकित तो वे लोग थे जो अपराधी थे। आपने ढिंढोरा पीट-पीट कर कहा, हम सभी को भय मुक्त करना चाहते हैं। समाज में एक भावना जाग्रत हुई कि जो अपराधी थे उनको भी भय मुक्त कर दिया। इसी कारण अपराधों में दो सौ पर्सेन्ट की वृद्धि हुई, यह बात माननी पड़ेगी।

श्रीमन्, पुलिस में मैंने सुधार के लिये निवेदन किया है, यदि हम किसी भी अंग से इस बात को चाहते हैं कि वे एक अच्छे तरीके से अपराधों को रोकें तो हमें देखना होगा कि वह अंग इस बात के लिये सक्षम है या नहीं। राजस्थान में पुलिस अंग इस बात के लिये सक्षम है या नहीं कि अपराधों को रोक सके। तो निवेदन करना पड़ेगा कि उसके पास अपराधों को रोकने के लिये कितने साधन हैं, कितना स्टाफ है, कितने उपकरण आदि हैं और जो व्यक्ति उसमें लगे हुए हैं उनमें विल है या नहीं। राजस्थान में साढ़े तीन लाख की आबादी है, आज बढ़कर 1979 के जो आंकड़े हैं साढ़े तीन लाख की आबादी बताते हैं.......

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : साढ़े तीन लाख की ? साढ़े तीन करोड़ की कहें...

श्री हरिसिंह : साढ़े तीन करोड़ की आबादी हमारे राजस्थान की है और उसके हिसाब से 35 हजार कान्स्टेबल राजस्थान की पुलिस फोर्स में है। इस तरह यदि हिसाब लगाया जाय तो एक हजार आदमियों के लिये एक कान्स्टेबल पड़ता है, यह कम संख्या है। इतनी कम संख्या में किसी समाज

(श्री हरिसिंह)
में अपराध बढ़ते हैं तो उसको रोकना भी मुश्किल हो जाता है । इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, हमारे पुलिस के थानों में वह साधन भी उपलब्ध नहीं हैं जिससे अपराधों को रोका जा सके । राजस्थान के थानों में सवारियां उपलब्ध नहीं हैं । अब कई थाने ऐसे हैं जहां के थानेदार के पास साइकिल से अधिक कोई सवारी नहीं है और कई गांव ऐसे हैं जहां सड़क नहीं है इसलिये हमारे थानेदारों को वहां पहुंचने में अत्यधिक समय लगता है और समय लगने से जो कुछ आक्रोश है वह पुलिस के सामने आता है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में इस बात की आवश्यकता है । नम्बर-1 पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ाई जाय । नम्बर-2 थानों में साधन बढ़ाये जायं । पहले भी चर्चा हुई थी कि वहां पर जो बजट मिलता है वह कम है, इतना भी बजट नहीं है कि उससे पूरी स्टेशनरी खरीदी जा सके और स्टेशनरी के अलावा बैठने के लिये कुर्सी, बैन्चें भी उपलब्ध नहीं हैं, कान्स्टेबल के लिये रहने को आवास स्थल नहीं बनाये गये हैं । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं जिन थानों में जो-जो स्टाफ तैनात है और जो लाइन में व्यक्ति रहते हैं उनके लिये आवास की सुविधा की जाय । श्रीमन मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं भरतपुर जिले की ओर, भरतपुर जिले में जनता शासन में इतने कत्ल हुए, इतनी डकैतियां हुई और कत्ल, डकैती होने के बाद वह बरामद भी नहीं हुई, कत्ल का चालान भी नहीं हुआ । अभी कुम्हेर में, श्रीमन्, 3-4 दिन पहले कत्ल हुआ उसके सम्बन्ध में मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी दिया है--एक जाटव महिला है, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के गृह मंत्री जी से कि शीघ्र ही उसका पता लगाया जाय । श्रीमन, मैं आपका ध्यान राजस्थान में

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां जो पुलिस का प्रशिक्षण है उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है । यद्यपि राजस्थान में पुलिस अकादमी कायम हो चुकी है लेकिन उस अकादमी के विकास के लिये पर्याप्त बजट नहीं रखा गया है । वहां पर जो कोर्सेज हैं उनमें भी सुधार की आवश्यकता है । आपने जो समय दिया, उसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की पुलिस फोर्स को बढ़ाया जाय और उनके सिपाहियों व अफसरों के लिये आवास की सुविधा बढ़ाई जाय ।

श्री सभापति : श्री त्रिलोकसिंह ।

माननीय त्रिलोकसिंह जी, कृपया समय का ध्यान रखते हुए ही अपनी बात कहें ।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : सभापति महोदय, पुलिस विभाग के कटौती प्रस्तावों के बारे में मुझे कुछ कहना है । आज जो पुलिस की हालत है और राजस्थान में ही नहीं पूरे विश्व में क्या पुलिस इसलिये रखी जाती है कि पुलिस वाले लोगों को लूट लें, लोगों का कत्ल कर दें, मार-पीट करें, मां-बहिनों की इज्जत लूट लें ? यह रोज मर्रा की घटनाएं हैं । आज जो पुलिस में भ्रष्टाचार फैला हुआ है इसका दोषी कौन है ? इन बातों से कोई बरी नहीं हो सकता है कि ढाई साल में क्या हुआ और 32 साल में क्या हुआ । कांग्रेस

Page No. 165

(165)

(श्री त्रिलोकसिंह)

इसके लिये दोषी है। मुझे याद है जब हम जयपुर में आजादी के लिये लड़ते थे तो एक कान्फ्रेंस बुलाई थी। सरदार पटेल का तार आया था, राजस्थान के जागीरदारों को और पुलिस अधिकारियों को आजादी आयेगी तो बिजली के खम्भों से लटका दिया जायगा। हुआ क्या, मुल्क में आजादी आई और कांग्रेस का राज्य आया, 32 साल के लम्बे अर्से में जो आज का नक्शा है उसमें सबसे बड़ा अपराधी है दुनिया में तो वह कांग्रेस का शासन है।

मैं आपसे कहूंगा कि उसके पीछे कैसा घृणित काम राजस्थान में, देश की लड़ाई में . . .

श्रीमती शान्ती पहाड़िया (बैर): ढाई साल ने तो सौ साल पीछे धकेल दिया।

(व्यवधान)

श्री सभापति: आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या। आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सभापति महोदय, सदन की व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो

(व्यवधान)

श्री सभापति: आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, 5 मिनट का समय मुझे भी दिया जाय।

श्री सभापति: व्यवस्था का प्रश्न चल रहा है, माननीय सदस्य।

श्री अनंगकुमार जैन: यह व्यवस्था का प्रश्न है कि कोई भी सदस्य बोलना चाहें तो खड़े होकर बोलें।

श्री सभापति: यह सही है

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह: देश की आजादी के लिये लड़ने वाले को और खास तौर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जैसलमेर का देश भक्त गोपा जेल में जला दिया गया था पेट्रोल डालकर एक देवीसिंह ए. एस. आई. के द्वारा और कांग्रेस के राज में उसको डी. आई. जी. बनाया गया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। पुलिस वालों को कांग्रेस वालों ने भ्रष्ट बनाया, चूंकि जब एक दफा कांग्रेस का नया राज आया तो ये पुराने लोगों पर जुर्म करने वाले पुलिस अधिकारी डर गये पर थोड़े दिन बाद देखा कि कांग्रेस का लीडर बहुत पोचा है, उसका दलाल बन गया। भ्रष्ट पुलिस वालों का दलाल बन गया और वे जनता को लूटने लगे। यह आज क्या हालत है पूरे देश की। अलवर में एक रिपोर्ट मिली कि अलवर में कोई गांव है खड़ीरेल वहां एक रामसिंह हरिजन का कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश रेल की पटरी पर डाल दी गई। यह 10 तारीख की बात है। वहां का बच्चा बच्चा आवाज करता है कि यह कत्ल किसने किया। लेकिन आज तक, अभी तक उसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था, उस कत्ल के बारे में, जिसकी कोई जानकारी तक नहीं दी गई। मैं पूछना चाहता

(श्री त्रिलोकसिंह)

हूं इस तरह की हुकूमत दुनिया में कितने दिन जिन्दा रहेगी ? और जिन्दा रहेगी तो उसके लिये शर्म की बात है । आज पुलिस की क्या हालत है ? जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं, थानेदार से ऊपर वाले, उसका पेट फूलकर ढोल सा हो गया है और उन तमाम लोगों के पास आलीशान बंगले हैं। जिस थानेदार को 500, 700 रुपये तनख्वाह मिलती है, उसका 2-2, 5-5 लाख का बंगला है। दूसरी ओर राजस्थान का यह सिपाही, जिसकी हालत क्या हुई कि सिपाही ज्यादातर टी. बी. का शिकार है, जिसके कल्याण की बात की जाती है। सिपाही के कल्याण की बात। वह ज्यादातर टी. बी. का शिकार है, सूख गया है, उसकी आंतें पीछे रीढ़ की हड्डी में घुस गयी हैं, यह हालत है...

(व्यवधान)

इसलिये यह सारे नारे की जरूरत नहीं । इस तरह का जुल्मी राज, इस तरह का भ्रष्ट राज अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा । यह जुल्म की कहानियां छोड़ कर चलेगा तो इससे ज्यादा चलेगा और बात छोड़ दीजिये। एक आदमी जो जनता की हकीकत बताता है, बजाय उसके एक हजार नहीं एक लाख आदमी अगर झूठी कहानी, भ्रष्टाचार से सनी हुई कहानी कहें तो वह बेवजन है। वजनदार बात यह है कि राजस्थान का एक कोने से दूसरे कोने तक कैसा हाल है। रोज की घटनायें हैं, पुलिस का जुल्म, कत्ल, बलात्कार । ताज्जुब की बात तो यह है कि बागपत में एक लड़की को नंगा करके पुलिस वालों ने घुमाया और कांग्रेसी टोपी वालों ने उस थानेदार का सबसे अच्छा रिकार्ड बताया। इससे ज्यादा डूब मरने की बात क्या हो सकती है। इससे ज्यादा कोई बुरी बात हो ही नहीं सकती। अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान में पुलिस का राज, पुलिस अधिकारियों का राज खतम हो तो इन सबके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, इन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा । जनता के कोर्ट के सामने उनका एक्शन लेना पड़ेगा। अगर यही बात कहना चाहते हैं कि जनता के राज ने बिगाड़ा या प्रजा ने बिगाड़ा तो जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। यह एक लम्बी कहानी है, पुलिस अधिकारियों का आज काम क्या है ? आप लोगों को साधन बनाकर लोगों को लूटते हैं, लोगों को धमकाते हैं, लोगों को डाके डलवाते हैं, हर तरह से दमन किया जाता है, पूरे देश में पुलिस का राज है और पुलिस का राज नाकाबिले बर्दास्त है । हिन्दुस्तान के लोग, राजस्थान के लोग पुलिस राज को कभी बर्दास्त नहीं करेंगे। पाप के भागी सबसे बड़े ये कांग्रेसी हैं । कांग्रेसी राज में इनको तमाम शह नहीं दी, मैंने जैसा शुरू में जिक्र किया था इन पुलिस अधिकारियों को पाला, इनकी रक्षा की, इनका बचाव किया, इसके साथ दलाली की । यही काम है पुलिस का । गरीब सिपाही की कोई व्यवस्था नहीं है। अब उसको अधिकार देना पड़ेगा, आपको उस गरीब सिपाही की तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी अगर अमन चाहते हो। नहीं तो पुलिस का सिपाही, जिसके हाथ में बन्दूक दे रखी है, तुम्हारे जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगा, बगावत करेगा । आपने देखा नहीं, गत दिनों जब राज जनता का था आपके पुलिस के सिपाही ने बगावत की, अपने हक

(श्री त्रिलोकसिंह)

के लिये लड़ा, वह आज भी नौकरी से बर्खास्त है। कांग्रेस का राज देखा हुआ है, यह इल्जाम मत लगाओ कि जनता के राज में हुआ। तुम्हारे राज में जो होगा, उसका ख्याल करो। इसलिए पुलिस के सिपाही की तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी और उसका स्तर बढ़ाना पड़ेगा ताकि वह इस समाज में जिन्दा रह सके। उसके साथ जिन पुलिस अधिकारियों की तनख्वाह बहुत लम्बी चौड़ी कर रखी है उनको या तो नौकरी से निकालना पड़ेगा या ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप शब्द का प्रयोग करें, तुम शब्द का प्रयोग न करें।

श्री त्रिलोकसिंह : उनकी तनख्वाह कम करनी पड़ेगी। यह सफेद हाथी नहीं, ये सफेद डाकू आप लोगों ने बैठा रखे हैं, इन्हें लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि बड़े-बड़े अधिकारी सिपाही को उठाने नहीं तो वह पेट तानकर खड़ा रहेगा पर पेट बांधकर नहीं खड़ा रहेगा, वह जमाने के साथ बदलेगा और जमाने के साथ बगावत करेगा।

श्री सभापति : आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोकसिंह : अभी मैं समाप्त करूंगा। मैं चुनाव लड़कर आया हूं सीकर जिले के फतेहपुर क्षेत्र से। एक थानेदार है रजाक अली। मैंने वहां जाकर जांच की उस कस्बे की। 30 हजार की आबादी का कस्बा है जिसमें सौ शराब की भट्टियां चलती हैं जो कांग्रेसी लीडरों को पिलाते हैं। इसलिए उनको निकालने की कोई बात नहीं है। फतेहपुर का इलाका है वहां कोई भी थानेदार की औकात नहीं कि वह जनता की मर्जी के खिलाफ जनता की छाती पर बैठा रहे।

हम धक्के मार कर निकाल देंगे। कांग्रेस के लोग रोते रह जायेंगे।

(व्यवधान)

यह मेरे इलाके की बात नहीं है हर जगह ऐसी हालत है। जिन लोगों को रक्षा की जिम्मेदारी दे रखी है वह सब के सब लुटेरे हैं। उन लुटेरों के खिलाफ आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हो तो यह आपका राज बदनाम होता है। खाली यह कहने से कोई फायदा नहीं है कि ढाई साल में मुकदमे कम हो गए या ज्यादा हो गए। तीस साल का आपका काला इतिहास देखो, काला, बिल्कुल काला अपराध जिसमें चोरों को बढ़ावा दिया गया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। हम जानते हैं कि राजाओं के राज में पुलिस फोर्स थी। हमने राजाओं का राज देखा है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर राजाओं के जमाने में इतना भ्रष्टाचार नहीं था जितना आज है। राजाओं के राज में पुलिस जाती थी, आपके राज में पुलिस जाती नहीं है। आपके राज में पुलिस लोगों को डंडा दिखाती है। आपके राज में पुलिस रक्षक नहीं पुलिस भेड़िया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक राज बदल गया है। आप पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कारगर एक्शन लीजिए, यह मेरे सुझाव है कि उनके जो

Page No. 168

(168)

(श्री त्रिलोकसिंह)

चोर अधिकारी हैं, उनको नौकरी से निकाला जाय और सिपाहियों की तनख्वाह बढ़ाई जावें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सभापति महोदय, जनता पार्टी के शासन का एक नमूना बताना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपको अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि सदन की कार्यवाही को सीरियसली लें, हंसी मजाक में नहीं लें।

श्री राम प्रसाद लड्ढा।

एक माननीय सदस्य : ये रामप्रसाद लड्ढा नहीं हैं साहब।

श्री रामप्रसाद (रूपवास) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं। मेरे बयाना तहसील में 78-79 में एक गांव या वह थाना डांग कहलाता है। थाना डांग में डकैती हुई रात के 12 बजे। शिड्यूल्ड कास्ट का नगरा जाटवों का था मगर उसको कंवारी नगरा के नाम से भी बोला जाता है। कंवारी नगरा के अन्दर रात के 12 बजे डकैती हुई। हमारे जो बड़े 2 माननीय सदस्य इस बात का दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के राज में ऐसा अन्याय हुआ तो मैं उनको एक बात कहना चाह रहा हूं, श्रीमन्, रात को 12 बजे सभी शिड्यूल्ड कास्ट की बहिनों बेटियों के जबरदस्ती जेवर उतार कर ले गये.....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर.....

श्री रामप्रसाद : आर्डर श्रीमान्, यह तो एक बात हुई और दूसरी बात यह है कि हमारे जो गृह-मंत्री महोदय थे, हमारे शिड्यूल्ड कास्ट के संपतरामजी। मैं डेपुटेशन लेकर गया, श्रीमान्, सम्पतराम के पास आया। डेपुटेशन में क्या हुआ? मैं सम्पतराम के घर पर पहुंचा, मकान पर। सम्पतरामजी बड़ी बड़ी दारू पी करके और बड़े बड़े ऐशो आराम कर रहे थे। मुझसे नहीं मिले। मैं कंवारी नगरा के जाटवों को लेकर श्रीमन्, उनके मकान पर आया.....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री हंसराज शर्मा : माननीय सदस्य जो यहां पर उपस्थित नहीं हैं उनकी अदम मौजूदगी में इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, राम प्रसाद जी पहली दफा यहां पर बोल रहे हैं सदन के अन्दर।

आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर।

(श्री सभापति)

मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि सदन की यह परम्परा रही है और नियम भी है कि पहली दफा बोलें तो कभी व्यवधान नहीं डालना चाहिए। Please carry on.

श्री रामप्रसाद : कंवारी नगर के सब लोग आए और बच्चूराम नाम का जाटव था वह भी साथ में था और श्रीमान् और भी कई थे। उनको लेकर उनके घर पर आए। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी कोई ठाकुर थे। वैसे मतलब शखावत कहते हैं। मैं उनसे मिला। मैंने उनसे कहा कि गृह मंत्री जी से मिला दो मुझे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री साहब तो नहीं मिलेंगे। गृह मंत्री साहब तो बड़े-बड़े लोगों से बातें कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरा नाम रामप्रसाद है और मैं जिला कांग्रेस कमेटी (आई) का सेक्रेटरी हूं और साहब मैं उनसे मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि साहब नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपको धक्का देकर बाहर निकाल दूंगा। मैंने कहा कि धक्का दे कर के हमको क्या बाहर निकालोगे खुद ही धक्का खाकर बाहर निकल जाओगे। श्रीमान्, जो लोग इस तरह से बात करते हैं मैं उनसे कहता हूं कि आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। जो बयाना में डी. एस. पी. बैठा हुआ है, बयाना में डी. एस. पी. है उसने ये तमाम मामले कराये हैं। रूपवास तहसील में भी इसी तरह की एक घटना हुई थी और चालीस गांवों में लूट हुई थी। इन लूटों की आज तक जांच नहीं हुई है। तो उस डी. एस. पी. को सस्पेन्ड किया जाय या बर्खास्त किया जाय। ऐसा कोई आदमी रखने के काबिल नहीं है बयाना में।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर।

श्री सुनील विश्नोई।

श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आप के द्वारा मैं सरकार का, और खास तौर से गृह मंत्री जी का ध्यान पुलिस की लॉलेसनैस की स्थिति की तरफ दिलाना चाहूंगा। मेनली तो हम पुलिस पर बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं और मेन फोर्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आज तक फोर्स नैग्लेक्ट फोर्स रही है।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : पहले पान खा लें उसके बाद बोल लें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सदन के कई माननीय सदस्य पान खाते हैं। इन सब बातों के लिए ऐतराज नहीं करना चाहिए। आप पुराने खिलाड़ी हैं।

पूरे विश्वास के साथ बोलिये, माननीय सदस्य।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : वैसे पुलिस फोर्स में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। लेकिन साथ ही न तो उनके रहने के लिए अच्छे मकान हैं, न कोई सब्सीडी उनको दी जाती है। उनका पे स्केल भी बहुत कम है। मैंने अपने एरिया में, बीकानेर में देखा है कि घोड़ों के साथ रहते हैं। उनके रहने के लिए मकान नहीं हैं। तो हम कैसे उम्मीद रखें कि आगे जाकर वे जनता का

Page No. 170

(170)

(श्री सुनीलकुमार बिश्नोई)

भला करेंगे। लॉलैसनेस की तरफ देखें तो उसके पहले हमें इनको समृद्ध बनाना पड़ेगा। उनका पे स्केल ठीक होना जरूरी है जिससे उनका रिश्वतखोरी की तरफ, पैसा बनाने की तरफ ध्यान नहीं जावे।

रिक्रूटमेंट जो होता है उसमें भी कई चीजें देखनी पड़ती हैं। खास तौर से देखना चाहिए कि उनकी एजूकेशन, उनकी फिजिकल फिटनेस और खास तौर से उनको इक्विल रिप्रजेण्टेशन मिलना चाहिए। हर एक कास्ट को अवसर मिलना चाहिए। खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इनको ज्यादा प्रिफरेंस देना चाहिए। मेरे क्षेत्र में, मैं गया हूं। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में चोरियां हो रही हैं, वहां मर्डर हो रहे हैं। कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। बिकाज उसके लिए·····

(व्यवधान)

श्री सभापति: बोलने दीजिए, माननीय सदस्य।

श्री सुनीलकुमार बिश्नोई: पुलिस वाले जो गलतियां करते हैं, पुलिस वाले रिश्वतखोरी करते हैं They should be punished properly। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री यदुनाथसिंह।

श्री यदुनाथसिंह: हाज़िर साहब।

श्री सभापति: This is not the proper way. I will not allow it.

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): माननीय सभापति महोदय, आज जिस मसले पर हम विचार कर रहे हैं, वह बहुत ही अहम मसला है। राजस्थान के तो गृह मंत्री भी यहां पर नहीं हैं, उप-मंत्री हैं लेकिन आज एक अखबार में लेख छपा है, मैं उसको कोट करना चाहता हूं तो बुरी बात नहीं होगी। "और अक्सर यह हो रहा है कि राजनैतिक नक्षत्र का सुयोग है कि ज्ञानी जैलसिंह देश के गृह मंत्री हैं। अगर वे वैज्ञानिक हो जाते तो इससे बड़ा इस देश का नुकसान नहीं होने वाला था। ज्ञानी जैलसिंह के गृह मंत्री होने के बाद इस देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति और देश की स्त्रियों की इज्जत पर जितने बड़े डाके पड़े हैं, वे भारत वर्ष के इतिहास में देखने को नहीं मिलेंगे।"

सभापति महोदय, हम जिस देश में रह रहे हैं, उस देश की महान परम्पराएं हैं और महान परम्पराओं का जो देश है, उस देश में आज जिस सदन में बैठकर विचार कर रहे हैं या तो यह मौका पहले आया था, देश के इतिहास में जब महाभारत काल के अन्दर सब कौरव, पांडवों की सेनाएं बैठी हुई थीं, भीष्म पितामह बैठे हुए थे और द्रोपदी का चीर हरण हो रहा था। आज वही स्थिति है। हम यहां बैठे हैं, हम पांडव सही जितनी संख्या में आज कौरव के रूप में बैठे हैं जगह जगह चीर हरण हो रहा है, बलात्कार जिस प्रकार हो रहे हैं·····

श्री श्रीराम गोटेवाला: माननीय सभापति महोदय, यह ढाई साल के उस अर्से को भूल गये। जितने यहां पर मर्डर हुए हैं, जयपुर शहर में 5 मर्डर हुए, पांच मर्डर में·····

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज । आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ।

श्री श्रीराम गोटवाला : कहीं पर तिवाड़ी जी को यह कहने की नौबत नहीं आयी । बलात्कार हुए, उसमें कौरव-पांडवों की याद नहीं आयी । आज उनको द्रोपदी की बात याद आयी । आज यह पता नहीं भारतीय इतिहास को कहां लाकर रोप रहे है । मैं कहता हूं, जिस बात में ज्ञानी जैलसिंह को रेफरेंस दिया गया है, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कम से कम कौन सी जगह बोल रहे हैं, इस बात को तो ध्यान रखें ।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि बीच में इन्ट्रप्शन न करें । आप, तिवाड़ीजी, जारी रखें ।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, अब सूप बोले सो तो बोले यह चालनी बोलने लग रही है क्या ।

एक माननीय सदस्य : सही कहा है मेंढकी के जुकाम हो रहा है ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । आप जारी रखें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय कमला जी ने जो बात कही है उनकी पार्टी के श्री रामजी पर लागू होगी । मुझे कुछ नहीं कहना है उसके बारे में और इस चालनी के बारे में । जिस प्रकार दुर्योधन जिद्द करता था और अकड़ कर बोलता था सभा में, मैं ऐसा ही करूंगा । उस दुर्योधन की आवाज शायद श्रीराम जी तक पहुंच गयी है । उसमें मुझे किसी बात का एतराज नहीं है । लेकिन, सभापति महोदय, मैं बधाई देना चाहता हूं उस राजस्थान पत्रिका के सम्पादक को और जिसने लेख लिखा है, मुरादाबाद की राज्य सरकार को पूरी छूट दी गई है । आज सिपाहियों से कहा जा रहा है, सिपाही काम नहीं कर रहे हैं । मैं सिपाहियों की ओर से बोलना चाहता हूं कि सरकार क्या चाहती है सिपाहियों के धार्मिक जगह, चाहे तीज का मेला हो या ईद का त्यौहार हो, हम दो सिपाही भेज देते हैं, हाथ में लाठी देकर, जाओ । शान्ति व्यवस्था कायम करने के लिये सिपाही जाते हैं, उनको गोलियों से मार दिया जाता है । भून दिया जाता है, जला दिया जाता है, उसके बाद राज्य सरकार की आंख नहीं खुलती है । यह हिन्दुस्तान में हो रहा है । राजस्थान की धरती पर यह

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा, बड़ा सेंसेटिव विषय है, आप इस पर चर्चा नहीं करें । मैं आपसे कृपापूर्वक निवेदन करूंगा, मेरी बात का ध्यान दें । इस विषय पर चर्चा नहीं करें, अन्य विषय पर बोलें, प्रान्त की कानून व्यवस्था पर बोलें तो उचित रहेगा । मेरा निवेदन आप स्वीकार करेंगे, माननीय सदस्य ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आपके आदेश को स्वीकार करता हूं ।

एक माननीय सदस्य : सीमा में रहने को कहा है ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । No interruption.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पुलिस की हालत बहुत दयनीय है । आज पुलिस कर्मचारी जिस तरह की जिन्दगी जीते हैं, उसके पश्चात् जो तनख्वाह मिलती है, वह इतनी कम है कि,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उस व्यक्ति से ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आज समिति की रिपोर्ट आयी, उस कमेटी की रिपोर्ट के बारे में राज्य सरकार ने विचार किया था लेकिन जून माह में जो पुलिस का आन्दोलन हुआ था, उसके बाद मुझे लगता है, मैं नहीं कहता कि पुलिस यूनियन बने. मैं पुलिस यूनियन के सख्त खिलाफ हूं लेकिन पुलिस में ट्रेड यूनियन की तरह से काम हुआ तो इस देश की कानून-व्यवस्था, इस प्रान्त की कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या होगी। पुलिस में ट्रेड यूनियन नहीं होनी चाहिये। लेकिन ट्रेड यूनियन में जिस चीज के लिये आदमी तड़पता है, उस बात को हम महसूस नहीं करें जब तक आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी, जब तक उनके रहने के लिये मकान की व्यवस्था नहीं करेंगे, आरोप लगते हैं, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, पुलिस के कई ऐसे लोग जिन्होंने बलात्कार किये, वह निन्दनीय हैं, लेकिन उनको रहने के लिये जगह नहीं हैं, घरों से दूर रहते हैं, 24-24 घंटे की ड्यूटी लगती हैं, उनकी कोई परवाह करने वाला नहीं है। उनकी संख्या बहुत कम है आपने कहा था, जितनी संख्या में पुलिस होनी चाहिये, उतनी संख्या में नहीं है सभापति महोदय, हमें चाहिये, किसी भी चीज में कटौती करें चाहे कहीं से भी धन लायें लेकिन पुलिस की संख्या बढाई जावे। पुलिस थानों की संख्या बढाई जाये। पुलिस के हर एक थाने पर एक गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिये। पुलिस वाले करें ? क्या उनके पास कागज नहीं, जिसमें वह एफ. आई. आर. नोट कर सकें, उनके पास पेन्सिल नहीं है। उनके वहां डाकू डाका डालकर भाग जाते हैं, पुलिस वाले क्या पैदल उनका मुकाबला करेंगे ? आज जो हथियार है, अपराध करने का तरीका है, वह बदल गया है। लोग कार में बैठकर आते हैं, जीप में बैठकर आते हैं, डिटेक्टर साथ लाते हैं, वह डाका डाल कर ले जाते हैं, पुलिस वाले देखते रह जाते है, उनके पास साधन कुछ नही है, अपराध करने का तरीका बदल गया है, पढ़े लिखे लोगों का सुसंगठित गिरोह अपराध में लगा हुआ है, पुलिस वाले अयोग्य हैं। पुलिस के पास जो उनकी रिपोर्ट दर्ज है, जो नाम लिखे हुए हैं, उनकी पुलिस खोज करती है, वह अपराधी नहीं खोजे जा सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि पुलिस की संख्या बढाई जाये और पुलिस को आधुनिकतम हथियार से लेस किया जाये।

राज्य का प्रथम कर्त्तव्य है कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारे। लेकिन जब से यह सरकार आई है, जनता पार्टी की सरकार की बातचीत की जाती है, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन जब से यह सरकार आई, तब से इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है. रोज बलात्कार की घटनाए आ रही हैं और दूसरी बात का डर लग रहा है, वह डर यह है कि आज दबायीं जा रही है। सीकर जिले में 2-3 घटनाएं हुई, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मैं उन घटनाओं का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। लेकिन यह कहना चाहता हूं कि ट्रैंड बनता जा रहा है, समाचार पत्रों को कहा जा रहा है कि इन खबरों को नहीं छापा जाये। अभी एक समाचार पत्र सम्मेलन हुआ है, उसके अध्यक्ष प्रेमचन्द सम्पादक हैं। ज्ञानी जैलसिंह ने पार्लियामेंट के भाषण में कहा है कि प्रत्यक्ष रूप से प्रेस को दबाने की कोशिश की जा रही है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपराध कम नहीं होंगे प्रेस पर सेंसर लगाने से, और थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने से। अपराधों की संख्या

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बढ़ती जा रही है यह इस बात का परिचायक है कि आज उसके प्रति सरकार उदासीन है। सबसे बड़ा कारण है राजस्थान में एक गृह मंत्री नहीं बना है। अगर गृह मंत्रालय का काम मुख्य मंत्री देखते हैं, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विधान सभा का कार्य प्रारम्भ होने के कोई दो-चार दिन मुख्य मंत्री सदन में बैठने का कष्ट किया होगा, बाकी सदन में आने का कष्ट नहीं किया यह सबसे बड़ा अपमान है राजस्थान की जनता का कि माननीय मुख्य मंत्री सदन में नहीं बैठ सकते हैं, सदस्यों की बात तक नहीं सुन सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह पुलिस डिमाण्ड में आता है क्या ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां, हां। आता है, गृह मंत्री वही है।

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर। आप जारी रखें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे दूसरा निवेदन करना है, हमारी न्याय व्यवस्था में पुलिस का हस्तक्षेप है, उसके बारे में है। पुलिस का काम चार भागों में बांटना चाहिये। चार टुकड़ों में पुलिस को कायम किया जाना चाहिये। पहला वह जो सिर्फ कानून और व्यवस्था की स्थिति का ध्यान रखें। कहीं कानून और व्यवस्था गड़बड़ हो, उसमें पुलिस फोर्स चली जाये। वह पुलिस फोर्स, पूर्णतया सुसंगठित होनी चाहिये। और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उसका काम समाप्त हो जाना चाहिये उसके बाद दूसरी पुलिस फोर्स होनी चाहिये। जो इन्वेस्टीगेटिव एजेन्सी का काम करे। जो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करे। तीसरी एजेन्सी प्रासीक्यूशन एजेन्सी होनी चाहिये। जिसका काम प्रासीक्यूशन से संबंधित हो। चौथी एजेन्सी, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, वह पूर्णतया, राजस्थान हाई कोर्ट के अन्तर्गत होनी चाहिये जिसका काम सम्मनों की तामील करना, जिसका काम कोर्ट के द्वारा दिये गये आदेश का पालन कराना हो और जो जेलें हैं वह उसके अन्तर्गत होनी चाहिये। इस प्रकार पुलिस का काम बांटें। पुलिस का काम इस आधार पर बांटने की कोशिश की तो पुलिस की संख्या बढ़ेगी और जो प्रासीक्यूशन एजेन्सी, इन्वेस्टीगेटिव एजेन्सी और कानून और व्यवस्था को कायम रखने वाली एजेन्सी है, उनका जो झंझट है और वह सब एक साथ जुड़ी हुई है, वह दूर हो जायगा।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है जो यातायात विभाग है वह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। यातायात पुलिस है, उसके कार्य में पूर्णतया परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उस यातायात पुलिस के यहां पर, सभापति महोदय, एक कापी होती है उस कापी में हर महीने का कोड लिखते हैं। पुलिस अधिकारी और पुलिस के सिपाही के पास वह नहीं रहती है। 12 रुपये प्रतिमाह हर ट्रक वाले से लिया जाता है। उनकी कापी हर ट्रक वाले के पास है जिसमें वह 12 रुपये नोट करके देता है। अगर आप दूसरे थाने पर आगे जायेंगे तो प्रमाणित कर सकता हूं। अगर मेरे साथ किसी की चलने की हिम्मत हो, माननीय सदस्य किसी ट्रक में बैठकर चले जायें, नया ट्रक हो, सीकर में चले जाइये। कल्याण के पास खड़ा होने वाला सिपाही आपको डायरी में 12 रुपये नोट करके देगा। उसके बाद भी उसके पास एक रुपया बचता

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है बाकी सारी ऊपर से चैन लगी हुई है। यातायात विभाग में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है इसको चैक किया जाना चाहिये और इसको दूर किया जाना चाहिये। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं; भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है यह भ्रष्टाचार निरोधक विभाग नहीं है यह भ्रष्टाचार का स्वयं एक बहुत बड़ा विभाग बन गया है। इस भ्रष्टाचार विभाग में ऐसे अफसर लगाये जाते हैं जिनको कोई काम नहीं दिया जाता है या जिनके भ्रष्टाचार के बोलबाले हैं। मेरा निवेदन करना है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एक अलग से विभाग कायम किया जाना चाहिये और संचालित होना चाहिये। सीधे गृह मंत्रालय गृहमंत्री द्वारा आई. जी. पुलिस के अन्तर्गत नहीं रहना चाहिये। और सीधा गृह मंत्री के अन्तर्गत होना चाहिये। ईमानदार पुलिस अधिकारी उसमें लगाये जाने चाहिये जो इस बात की जांच करें। एक तरफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में वे अफसर लगाये जाते हैं जिनको निलंबित करना है उनको भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में लगाया जाता है जो भ्रष्टाचार का विरोध नहीं करते, भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्तियों को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में लगाया जाता है और भ्रष्टाचार का जो अड्डा है वह भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है।

सभापति महोदय, दूसरे भ्रष्टाचार के अड्डे हैं थाने। कोई भी थानेदार जायेगा तो थाने बेचे जायेंगे। सभापति महोदय, राजस्थान की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान की पुलिस दो गुटों में बंटी हुई है एक गुट है आई. जी. का और दूसरा विजयी साहब का।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह बहुत बड़ी खतरनाक बात है इस प्रदेश के लिये। इसके प्रमाण है। माननीय गृह मंत्री जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात है तो उसको देखा जाय। समाचार पत्रों में छपा है और प्रमाण भी प्राप्त किये गये हैं कि राजस्थान की पुलिस दो गुटों में बंटी हुई है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है यह बहुत खतरनाक बात है कानून और व्यवस्था के लिये और राज्य की जनता के लिये।

अन्त में, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की कानून और व्यवस्था की स्थिति कायम करनी चाहिये, इस प्रकार से अमन चैन से हर व्यक्ति रहे ऐसी योजना राज्य में कायम करनी चाहिये। वह कहां है? आज कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं करता कि अपनी पत्नी को गहने पहना कर बाजार के बीच भेज दें।

सभापति महोदय, अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक पन्नालाल नाम का व्यक्ति है लाडनूं का रहने वाला जिसने करोड़ों की तस्करी का काम किया है। आई. जी. साहब जानते हैं, जिसको राजस्थान का सारा पुलिस विभाग, पश्चिमी बंगाल की सारी पुलिस जानती है। बहुत बड़ा तस्कर है। लाखों करोड़ों रुपये की जायदाद उसने नेपाल में खड़ी की है। उसके खिलाफ बहुत प्रतिवेदन, रिप्रेजेंटेशन दिये गये हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मैं मांग करता हूं कि उसका पासपोर्ट जब्त किया जाय। जितने भी कारनामे किए हैं जिनकी रिपोर्ट

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आई॰ जी॰ के पास है, जिनके प्रमाण सहित डॉक्यूमेंट दे दिये गये हैं उसके खिलाफ कार्यवाही तुरन्त की जाय उसकी जांच की जाय और जो कार्यवाही करनी है वह की जाय।

सभापति महोदय, अन्त में मैं निवेदन करता हूं कि छोटे-छोटे पुलिस कर्मचारी हैं उनके बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही है, उनको सिर्फ तीन वर्दी धुल सके इतने पैसे दिये जाते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जवाब देंगे तो कहेंगे कि 5 रु॰ मेस में बढ़ा दिये गये हैं जो हर साल दिये जाते हैं इस साल भी देंगे। तो वह पांच रुपये देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जब उनसे 8 घंटे की ड्यूटी की जगह 24 घंटे ड्यूटी लेते हैं तो जो फोर्थ क्लास को देते हैं उसका चौगुना होना चाहिये। उन पर धर्मवीर कमेटी की रिपोर्ट लागू की जानी चाहिये। राज्य में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है जिस प्रकार के अत्याचार हुए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है "No law in Rajasthan", राजस्थान में किसी प्रकार का राज नहीं चल रहा है, राजस्थान में किसी प्रकार की सरकार नहीं चल रही है। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति डांवाडोल हो रही है। राजस्थान का शासन पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। इसका कारण यह है कि राज नहीं है, राज चलाने का तरीका नहीं है।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राज है तो राजस्थान में अराजकता पैदा करने वाला राज है या बलात्कार की छूट देने वाला राज है या हत्याओं और डकैतियों को न रोकने वाला राज है। यह राज नहीं है। यह अराजकतावादी राज है। राजस्थान में राज काम नहीं कर रहा बल्कि अराजकतावादी सरकार काम कर रही है यह कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह वास्तविक स्थिति है। राजस्थान में पुलिस गुटों में बंटी हुई है। उसका गुटों में विभाजन रोका जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री ईश्वरलाल सैनी।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सभापति जी मैंने पुलिस की मांगों पर जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उसके संबंध में बोल रहा हूं।

श्री सभापति : समय का ध्यान रखकर बोलें माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : समय बड़ा खराब है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं आपको निवेदन कर दूं कि जहां तक आज पुलिस पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी के आरोप लगाये गये हैं वे निराधार हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में बात न करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आज की तारीख में आप आंकड़े देखेंगे तो पुलिस से बढ़ कर 20 महकमे ऐसे हैं जिनमें पुलिस से ज्यादा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार है। लेकिन पुलिस केवल एक कारण से बदनाम है और वह यह कि पुलिस घोस और डण्डे से छोटी

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

छोटी रिश्वत लेती है जबकि दूसरे बीस महकमे जेबें दिखाकर भरवा लेते हैं। यही कारण है केवल पुलिस महकमे को बदनाम किया हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस में सभी अधिकारी भ्रष्ट नहीं । कुछ ईमानदार अफसर भी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस वक्त जनता पार्टी का शासन था और उनके मुख्य मंत्री थे उनको ईमानदार आफिसर और ईमानदार मंत्रियों से चिढ़ थी। पता नहीं क्या बात थी। उन्होंने गलती से शुरू शुरू में कुछ ईमानदार मंत्री अपने मंत्रिमण्डल में ले लिये फिर बड़े पछताये कि किसी तरह से इनको निकाला जाय, पीछा छुड़ाया जाय और हुआ भी वही। आपने देखा होगा शुरू शुरू में गृह मंत्री बनाये, ईमानदार थे फिर उन्हें दे दिया लेबर वह जानते थे कि कौनसा मंत्री भ्रष्ट मंत्री है उनको इन्होंने गृह मंत्री बना दिया और यही हाल हुआ कृषि मंत्रालय का। कृषि मंत्री जिस वक्त मंत्रिमंडल फेम किया कृषि मंत्री भी ईमानदार थे लेकिन बाद में जब यह देखा कि ये तो भ्रष्ट नहीं हो रहे हैं, उनके मंत्रिमण्डल की जेबें नहीं भर रहे हैं तो उनसे पोर्टफोलियो छीन लिया और केवल पंचायत मंत्री बना कर छोड़ दिया और वहां भी भ्रष्ट मंत्री लगा दिये। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आज भी निवेदन कर दूं इस वक्त, मुख्य मंत्री जी से जनता पार्टी ने भ्रष्ट मंत्रियों को पनपाया। ऐसा भी हुआ, एक ईमानदार मंत्री का विभाग नहीं बदल सके तो मजबूर कर दिया उस वित्त मंत्री को कि वे इस्तीफा दे दें और हुआ भी यही। उनको पार्टी छोड़नी पड़ी और वहां भी ऐसे ही मंत्री बैठा दिये जो इनकी सलाह से, इनकी सूझबूझ से चलते रहें। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि 28 महीने के शासन को अगर राक्षस शासन भी कहा जाय तो कोई अनुचित बात नहीं होगा। लेकिन अब आपको राज नहीं आने वाला है। तीन साल में जनता ने देख लिया कि भ्रष्ट खिचड़ी जनता पार्टी शासन नहीं दे सकती है। आप हमेशा के लिये फेल हो गये और अब आप इधर हां पक्ष में आ नहीं सकते। मैं निवेदन कर दूं आज इस सदन में गूंज उठती हैं बलात्कारों की इसमें असल में इनका मतलब क्या है और इनकी चाल क्या है? यह सारा राजस्थान जानता है। जिस वक्त इनका शासन था असल बात यह थी कि बलात्कार तो जनता शासन में बहुत हुए लेकिन इन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई इन्होंने थानों में ताकीद कर दी थी कि ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करें जिससे उनके लोगों को नुकसान हो या बदनामी हो। इससे सारे भारतवर्ष में गरीब और विशेषकर अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों पर राजस्थान में अत्याचार हुए। आज कुछ जो केसेज बलात्कार के हो रहे हैं वह रजिस्टर में दर्ज हो रहे हैं। उसकी अखबार में खबरें छप जाती है वह बिल्कुल सही है जो मुकदमा रजिस्टर होता है बलात्कार का, निश्चित रूप से खबर में भी आयेंगे हमारी सरकार को धन्यवाद दीजिये जो सही रूप में मुकदमे दर्ज करती है। आपकी तरह छिपाती नहीं है। सही तफतीश कराती है, नतीजा कुछ भी हो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। No interruption.

श्री ईश्वरलाल सैनी : जब कि आपके शासन में यह हुआ कि मुकदमे दर्ज नहीं किये। अनुसूचित जाति जन-जाति के प्रति

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

हुए बलात्कार के केसेज दर्ज करने से मना किया।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्य, आप आसन को संबोधित करें। आप आसन को संबोधित करके कहिये, माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं आपको निवेदन कर दूं कि हमने अन्दाज नहीं नहीं, कहा है। सही कहने में डर किस बात का। मैं सही स्थिति पेश कर रहा हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अब सुनिये, सीनियर पुलिस प्रशासन की बात। आई. जी., डी. आई. जी., एस. पी. की सबसे बड़ी कमी है, उनमें कर्टसी, सौजन्यता नहीं है। यह अधिकारी ब्रिटिश काल में साहब कहलाते थे, अब भी साहब कहलाते हैं। यह कुछ भी समझें, आज जनता इनके तौर तरीकों से घृणा करती है। यह बात सही है। कहने का मतलब यह है कि यह बड़े अधिकारी विशेषकर आई. ए. एस. अपने आपको यह समझने लगे हैं कि यह जनता के नौकर नहीं हैं। कहते है वे बड़े अफसर हैं। पुराने जमाने में गोरे आफिसर काम करते थे, उसी तरह से ये अपने आपको बड़ा आफिसर समझ कर यह कहने लगे हैं कि वही सरकार चला रहे हैं। मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि उनके दिमाग में यह बात बिलकुल निश्चित तौर से बिठा दी जाए कि वे जनता के हाकिम नहीं है जनता के नौकर हैं, सेवक हैं। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इनको राइट टाईप आफ ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वे अपने आपको जनता का आफिसर न समझ कर जनता का नौकर समझें, सेवक समझें। मैं इसके साथ यह भी निवेदन कर दूं कि पुलिस के बड़े-बड़े आई. पी. एस. अधिकारी हैं उनको सही ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उनको थाने के बाबत पता नहीं है कि रिकार्ड किस तरह से रखा जाता है, कहां पर रखा जाता है। जो नये नये आई. पी. एस. आफिसर आते हैं उनको शीघ्र एस. पी. बना दिया जाता है। उनको पता नहीं है कि प्रेक्टिकल पुलिस वर्किंग क्या है। इसलिए जो इनकी ट्रेनिंग है उसमें जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, पुलिस में कोई सुधार नहीं होगा। अगर पुलिस ट्रेनिंग में परिवर्तन हम कर देंगे, तो यह सब से बड़ी उपलब्धि होगी। जहां तक अपराधियों और पुलिस का सम्बन्ध है, पुलिस का जनता से सम्बन्ध है, उसके लिए निवेदन कर दूं कि पुलिस के महकमे में जो पांच करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी की गई है उसमें यह सोचा गया था। उनके जनता शासन में सिपाही बढ़ाये जायेंगे और उनको और सुविधा दी जायेगी। जब कि हुआ यह कि पांच करोड़ में बड़े-बड़े आफिसरों को पदोन्नत कर दिया गया। बड़े-बड़े आफिसरों की जगह भर ली और जो छोटे-छोटे थाने थे, वहां पर वही ग्यारह के ग्यारह सिपाही रह गये। उनकी संख्या नहीं बढ़ायी गयी। हो सकता है कि शहरों में थानों की संख्या बढ़ गयी हो। उनमें कुछ सिपाही बढ़े हों। परन्तु गांवों के जो थाने हैं उनमें न तो सिपाही ही बढ़े हैं और न सामान ही बढ़ा है। जहां तक हमारी पुलिस का लोगों के साथ सम्बन्ध

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

है, वह कटु है। इसकी वजह यह है कि कोई रिपोर्ट करने जाता है तो सबसे पहले उसको सीट उपलब्ध नहीं करायी जाती है और न कुर्सी बैठने को दी जाती है। वह अपनी दुःख-दर्द भरी फरियाद लेकर जाता है, उसके साथ सौजन्यता का व्यवहार नहीं किया जाता है। बुरा, क्रूर व्यवहार किया जाता है। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि 5 करोड़ जो सालाना बजट है, उसमें से अगर 25 लाख रुपया कागज, पेन्सिल, कुर्सियां इत्यादि की उपलब्धि के लिए रखा जाता है, तो उचित होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मुझे तो अभी बहुत कहना है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : बहुत माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : शोर्ट में ही निवेदन कर दूं। मैं सबसे पहले एक सजेशन दे दूं। विधान सभा के जो प्रहरी हैं उनको सन् 1978 में हार्ड ड्यूटी अलाउन्स....

श्री सभापति : कृपया, आपस में बात न करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उनको सन् 78 में हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिया गया था। उसके बाद में यह अलाउन्स बंद कर दिया गया। मेरा कहना यह है कि पिछली सरकार ने यह तय किया था जो पुलिस वाले हैं, विशेषकर सिपाही हैं। जो 92 सरकारी छुट्टियां हैं वह उनको नहीं मिलती है। इन छुट्टियों में भी वे काम करते हैं। इसलिए उनको एक महीने का हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दे दिया जाए। परन्तु हकीकत यह है कि इस ड्यूटी और प्रहरी की ड्यूटी में बड़ा फर्क है। आज रात्रि के 12 बजे से पहले ये घर नहीं जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बजट में इन प्रहरियों के लिए विशेष अलाउन्स दिए जाने का प्रावधान किया जाए। दूर दूर से सिपाही आते हैं उनमें हैड कान्स्टेबल और इन्सपेक्टर भी होते हैं। उनको कम से कम 14-15 घण्टे ड्यूटी देनी होती है। उनको खाना भी नहीं मिलता है। इसी तरह से सिविल पुलिस के सिपाहियों, हैड कान्स्टेबल्स की ड्रेस के सम्बन्ध में निवेदन कर दूं। निश्चित तौर से इनको भी टैरीकोट की ड्रेस दी जानी चाहिए। जो सूती ड्रेस दी जाती है वह चलाऊ नहीं होती है।

थोड़ा सा जनता पार्टी के भ्रष्ट पुलिस शासन के लिए और निवेदन कर दूं। बीकानेर में भूरे खां शराब के ठेकेदार के यहां सन् 1977 में शादी थी जो रहमत खां का सम्बन्धी है उसमें जनता पार्टी के गृह मंत्री शामिल हुए। गृह मंत्री सरकारी दौरा निकाल कर वहां पर पुलिस अधिकारियों की मीटिंग का बहाना बना कर पहुंचे। दिन में मीटिंग की, शाम को शादी में शरीक हुए और साथ में इन सारे छोटे बड़े पुलिस अधिकारियों को भी सम्मिलित किया। जश्न की शुरूआत रात्रि को स्कोच की बोतलों से हुई। यह शराब गृहमन्त्री को पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें खुश करने के लिए सप्लाई हुई थी। शर्म की बात है। सभापति महोदय, वहां पर गृह मंत्री

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

इतने शराब में मदहोश हो गये कि पुलिस अधिकारी उनको आधी रात्रि में पीछे सर्किट हाउस से उठाकर ले गये। आप इसकी जानकारी कर सकते हैं। मेरे पास में पेपर्स हैं। मैं इनको दिखा सकता हूं, पेश कर सकता हूं। इसके अलावा गृह मंत्री ने जयपुर में उस वक्त जो एस.पी. लगा रखा था वह उन्हीं की जाति का था। उस समय क्या-क्या घोटाले हुए उन से भी आप परिचित हैं। जनता पार्टी ने शराब बंदी की किन्तु जगह-जगह पर शराब की भट्टियां चलीं, चोरियां डकैती हुई और उससे ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई। यहां तक बात आई कि असेम्बली में भी उसकी गूंज हुई थी। लाखों रुपयों का घोटाला हुआ। निश्चित रूप से उन घोटालों में शराब के अड्डों, जुए के अड्डों, तस्करी, काला बाजारियों से लाखों रुपया खाया गया। जनता परेशान थी।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह आपके भाई साहब ने किया होगा।

श्री सभापति : आर्डर, प्लीज।

श्री ईश्वरलाल सैनी : वैसे अनेकों कत्ल के गम्भीर केस हुए, लेकिन एक कत्ल के केस में थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं उससे इनका हाजमा ठीक हो जाएगा। यह है मल्होत्रा मर्डर केस। जब मृतक पार्टनरशिप से अलग हुए तो 80 लाख रुपया इनको हिसाब में मिला। यह भारत के सब से बड़े रेडीमेड कपड़े के व्यापारी थे। यह सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसका विवरण अखबारों में प्रकाशित हुआ है। यह कि मल्होत्रा अलग हुआ, 80 लाख रुपया मिला था। यहां पर जो कलसी टायर्स वाला है उनकी पत्नी श्रीमती कौर के साथ उसने पार्टनरशिप की और मृतक उनके पास रहा। यह सब आप जानते हैं। बताने की बात यह है कि उस मर्डर केस में क्या हुआ। उस मल्होत्रा का मर्डर करके उसको उसकी कार में डाल दिया गया, और जिस वक्त उसका मर्डर हुआ उस वक्त सचदेवा एक बड़ी भारी आलीशान होटल में ठहरा हुआ था। उसकी पार्टनर मिसेज कौर थी। 80 लाख रुपया पार्टनरशिप में है। यही नहीं, मैं यह बताना चाहता हूं कि उनको तत्कालीन भ्रष्ट एस. पी. ने दफ्तर में बुलाया और पांच मिनट में बयान लेकर केस को रफा-दफा कर दिया गया। इस केस को रफा-दफा करने में 7 लाख रुपये की रिश्वत ली गई। यह रिश्वत अकेला एक एस. पी. नहीं खा सकता है। यह आपकी जनता पार्टी की साजिश है इस केस में। यह रकम खाने, हजम करने में उस वक्त के गृह मंत्री, मुख्य मंत्री का हाथ था जो यह बड़ी रकम डकार गए।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपस में बात न करें।

माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह व्यवधान न डालें। आपके भी बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। इस तरह तो यह कहां खतम होगा।

Page No. 180

(श्री सभापति)

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उनके सामने सदर थाना, अलवर में एक मर्डर हुआ । श्री वाजपेयी उस समय डी. एस. पी. थे । आपकी जनता सरकार के गृह मन्त्री इस केस के मुल्जिमों को बचाना चाहते थे । वाजपेयी ने गृह मन्त्री की बात को नहीं माना तो वाजपेयी का वहां से तबादला कर दिया और उनके खिलाफ झूठी इन्क्वायरी शुरू करदी । एन्टी-करप्शन में इन्क्वायरी शुरू करादी, तबादला लीव रिजर्व में उदयपुर कर यातनाएं दी, परेशान किया गया ।

(व्यवधान)

उस मुकदमे से तो उनको ही हटा दिया गया और उनकी जगह गृह मंत्री

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ने अपने चहेते डी. एस. पी. को लगाकर उस केस को रफा-दफा कर दिया । इसमें उन्होंने पचास हजार की रिश्वत खायी । आप सब इस बात को जानते है, उस समय राजस्थान के सभी जिलों में पुलिस में इस भ्रष्ट मंत्री ने ईमानदार अधिकारियों को परेशान किया ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप समाप्त करिये, माननीय सदस्य । आप दो मिनट में समाप्त करिये ।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : बाद में श्री वाजपेयी डी. एस. पी. के खिलाफ उस जांच में मिला कुछ नहीं लेकिन वे इस सदमे से इतने परेशान हो गये कि उनको हार्ट अटेक हो गया और वे स्वर्गवासी हो गये । इस तरह का अत्याचार तानाशाही की बाबत और क्या मिसाल हो सकती है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति: आर्डर प्लीज ।

श्री ईश्वरलाल सैनी: माननीय सभापति महोदय, अन्य पहलुओं की तरफ आयें...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप समाप्त करें ।

एक माननीय सदस्य : बोलने दीजिये, माननीय सभापति महोदय, बहुमूल्य सुझाव आ रहे हैं ।

श्री ईश्वर लाल सैनी : माह जनवरी, 80 पार्लियामेंट के चुनाव के तुरन्त पहले, जब पार्लियामेंट के चुनाव थे उस वक्त ट्रान्स-फर पर बैन लग गया था और विशेष कर अफसरों के ट्रान्सफर्स पर और वह भी पुलिस पर विशेष कर । लेकिन 54 डी. एस.पी. के ट्रान्सफर किये गये । गृह मंत्री और उस वक्त के मुख्य मंत्री व कालवी साहब मिले मुख्य मंत्री जी से ।

सुश्री पुष्पा जैन : मुख्य मंत्री और कालवी साहब ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : और आई. जी. साहब ने अपने आदमी द्वारा घेराबंदी कर यह डी. एस.पी. ऐसी जगह लगा दिये ताकि वे मदद करें और सरकार पूरी तरह परास्त हो

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

जाये । इसलिये भी कि यह भ्रष्ट जनता सरकार केन्द्र में वापस पावर में आ जाय । लेकिन हुआ क्या यह तो आप सब जानते ही हैं । उन 54 डी.एस.पी. के ट्रान्सफर्स के बाद भी यह लोग वहां बैठे हैं और हम यहां बठे हैं । जनता ने इनको सबक सिखा दिया, भ्रष्ट शासन का उन्मूलन कर दिया ।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह हकीकत है आप जानकारी कर सकते हैं । रिकाड देख सकते हैं ।

सुश्री पुष्पा जैन : इसलिये तो आपको सुझाव दे रहे हैं कि आप भी ट्रान्सफर मत करिये वरना आप भी यहां आ जायेंगे ।

एक माननीय सदस्य : ये इधर आना चाहते हैं ।

श्री सभापति : आप 15 मिनट ले चुके हैं । अब आप समाप्त करें ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : ये डिस्टर्ब कर रहे हैं । इस तरह समय खराब हो रहा है ।

श्री सभापति : आप 2 मिनट में समाप्त करें ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरे को पांच मिनट दीजिये ।

श्री सभापति : आप दो मिनट में समाप्त करें ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : नहीं, सभापति महोदय, पांच मिनट में । मेरे पास घोटाले तो बहुत हैं लेकिन जब आपने पांच मिनट ही दिये हैं तो मैं ऐसे घोटालों में से एक प्रोफ्यूमा काण्ड जैसी घटना की बात कर देता हूं कि आपके जो जनता पार्टी के गृह मंत्री हैं मैं यहीं से शुरू करता हूं, श्रीमान् ।

एक माननीय सदस्य : हां आप यहीं से शुरू कीजिये ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : एक टेलीफोन नम्बर 65324 है यह आगरा का टेलीफोन नम्बर है । सभापति जी, आप डायल करके देख लीजिये । किसकी आवाज आयगी । आपको खुद को पता चल जायेगा ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, पागलखाने का नम्बर है ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : ये आगरा का टेलीफोन है, कालगर्ल का ।

एक माननीय सदस्य : काण्ड का पता नहीं चल रहा है कौनसा काण्ड है ?

एक माननीय सदस्य : वह भी चल जायेगा ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह टेलीफोन आगरा की एक कॉलगर्ल का है । रेंद्रा नाम की लड़की का है । जनता पार्टी के भूतपूर्व गृह मंत्री की चहेती । इस कालगर्ल के उक्त टेलीफोन से रहमत खां द्वारा डेट नियुक्त होती थी और उसको भरतपुर वन विभाग की "शान्ति कुटीर" में बुलाया जाता था ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले आपको रेगुलर नोटिस देना चाहिये। मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप स्थान ग्रहण करिये, मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको गम्भीरता से लें, मजाक में नहीं टालें यह प्रश्न नहीं टालें तो अच्छा होगा। आप रेगुलर नोटिस दीजिये। I will not allow to speak like this.

श्री ईश्वरलाल सैनी : माननीय सभापति महोदय, मैं नाम नहीं ले रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको गम्भीरता से लें। मजाक में न टालें, इन बातों का आपको पहले रेगुलर नोटिस देना चाहिये इसके बारे में। आप यहां कोई आक्षेप नहीं लगायें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : नाम नहीं ले रहा हूं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। आप इन्क्वारी करा सकते हैं।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। मुझे इन्क्वायरी नहीं करानी है।

(व्यवधान)

यह क्या तरीका है बीच में बोलने का। माननीय सदस्य, मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस बात की मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप अपनी बात समाप्त करें एक मिनट में।

श्री ईश्वरलाल सैनी : नाम नहीं लूंगा।

श्री सभापति : मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। मेरी व्यवस्था है। मैं निवेदन करूंगा, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : भूतपूर्व गृह मंत्री..

श्री भंवरलाल शर्मा : Same thing is being repeated.

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : एक शान्ति कुटीर थी, उसमें इस प्रकार के जश्न मनाये हैं. . . .

एक माननीय सदस्य : किस प्रकार के जश्न मनाये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इस प्रकार के कि वहां भरतपुर में नशाबंदी में भी शराब के दौर चलते थे और वहां के एक-एक पुलिस अधिकारी को पता है इस बात का और जनता को भी पता है। जब लोगों को पता चला जो कुछ दिनों पुलिस अन्वेषण भवन में बुलाया जाने लगा। अन्वेषण भवन,

(व्यवधान)

भरतपुर केवल पुलिस अधिकारियों के ही ठहरने का स्थान था। जहां पुलिस अधिकारी ठहरते थे वहां गृह मंत्री ठहरने लगे। उनको सर्किट हाउस में ठहरना चाहिये था, लेकिन इसलिये ठहरे कि वहां जश्न मने और राज छुपा रहे।

श्री सभापति : आप समाप्त करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी । एक मिनट और, माननीय सभापति महोदय। अब मैं ऐसे तथ्य पेश करूंगा जिसमें जनता सरकार ने पुलिस बजट के पैसों का घोटाला किया, दुरुपयोग किया।

श्री सभापति : आपने 25 मिनट ले लिये हैं। आप स्थान ग्रहण करें। श्री यदुनाथ सिंह।

श्री रघुनाथ सिंह (नदबई) : पुलिस की मांग पर चर्चा के समय पुलिस को गाली देने के अलावा बहुत कम कान्क्रीट सुझाव यहां पर रखे अधिकांश माननीय सदस्यों ने। होना तो यह चाहिये था कि पिछली सरकार के टाइम में क्या हुआ, हमारे पीछे क्या हुआ और अब क्या हो रहा है उस पर चर्चा करने के बजाय इस बात पर चर्चा करते कि पुलिस में जो अव्यवस्था है, जनता में पुलिस के प्रति दुर्भावना है उसको किस प्रकार दूर किया जाये। इसका मुख्य कारण है, हमारा पुलिस एक्ट है यह सारी राजनैतिक पार्टियों से ज्यादा इस बात के लिए दोषी है। यह पुलिस एक्ट सन् 1861 में बना था सन् 1857 के गदर के बाद हिन्दुस्तानियों को दबाने के लिये। लेकिन आज भी ट्रेनिंग का कैडर वही का वही बना हुआ है। आज उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह डराने वाली व्यवस्था है, उसी तरह सिपाही को रखा जाता है, वही गेप है सिपाही और अफसर के बीच में तो मेरा निवेदन यह है कि सबसे पहले तो अपने को ट्रेनिंग के कैडर को बदलना होगा। ट्रेनिंग में पांच चीजें मुख्य होती हैं, एक परेड परेड का प्रमुख ज्ञान होना चाहिए लेकिन हुआ है परेड तो सब स्थानों पर होती नहीं है। मुझे याद है तीन साल पहले भरतपुर में डी. आई. जी. का मुआयना हुआ था उसमें परेड कराई गयी थी तो उसमें सात थानेदार परेड करते हुए गलत पाए। तो परेड का भी ज्ञान नहीं है, परेड की प्रेक्टिस नहीं है जब तक वे फिजीकली फिट नहीं रहेंगे तो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद कानून का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कानून के लिये तो पहले जब आप पुलिस में भर्ती करते थे तो नोन मैट्रिक को ही भर्ती करते थे लेकिन अब आपने मैट्रिक का प्रावधान रख दिया है तो एजुकेशन पर ध्यान रखा जाय, पढाई का ध्यान रखा जाये। कैसी विडम्बना है कि आप बिना पढे लिखों से कानून डील कराते हैं। तीसरा है थाने के रिकार्ड को रखने का ज्ञान होना चाहिए। चौथा अपने एरिया की ज्योग्राफी का ज्ञान होना चाहिए और देश और प्रदेश की जनरल नालेज होनी चाहिए।

इसके बाद यह जो ट्रेनिंग है इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। यदि यह किया तो वहां पर डंडा दिखाना और झूठ बोलना तो इस प्रकार से डन्डा चलाने वाली बात नहीं चलेगी।

इसके बाद पुलिस थाने में स्ट्रेन्थ भी बहुत पुरानी चलती आ रही है। किसी किसी थाने में एक दो स्ट्रेन्थ बढाई गयी है। मैं यहां की नजीर देता हूं मेरे यहां पर थाने में 13 सिपाही हैं उनमें से दो तीन तो अवकाश पर रहते हैं, दो सिपाही डाक की व्यवस्था में रहते हैं, सम्मन वगैरह को तामील करवाने में लगे रहते हैं, चार सिपाही गार्ड में चले जाते हैं, एक सिपाही कोर्ट में जाता है सम्मन लेने के लिये, कभी मुकदमें के लिये जाना होता है। थाने में एक भी सिपाही नहीं बैठता है। क्राइम की रेट बढ रही है, क्राइम का अनुपात बढ रहा है, तरह तरह के क्राईम बढ रहे हैं। आपकी स्ट्रेन्थ वही की वही है इस स्ट्रेन्थ से काम चलने वाला नहीं है। स्ट्रेन्थ के साथ-साथ एक तो अपने राज्य में स्ट्रेन्थ की कमी है दूसरी तरफ गार्ड लगी रहती है डेकोरेशन के लिये। चुनाव लड़ते हैं एम.एल.ए. तो, तो

(श्री यदुनाथसिंह)

जनता में घूमते हैं, कहत है यह करो वह करो, पर वे मंत्री बनते ही जनता से डरते हैं। घर पर गार्ड बैठ जाती है और घर में घुसने नहीं दिया जाता है। एक तरफ तो पुलिस की कमी है और दूसरी तरफ डेकोरेशन के लिये गार्ड लगी हुयी है। कलेक्टर साहब दौरे पर जाते हैं तो उनके भी गार्ड लगी हुयी है। एस.पी. साहब के लिये गार्ड चाहिये। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि जो गार्ड प्रथा है। यह समाप्त की जाये तो पुलिस की स्ट्रेन्थ में कमी है वह दूर होगी और यह जो सामन्तवादी प्रथा अंग्रेजों की चली आ रही है वह समाप्त होगी। आप जनता के प्रतिनिधि हैं जनता से परे हटने की क्या जरूरत है।

पुलिस में जो साधनों की कमी है। आज पुलिस के साधन वही के वहीं है और मुलजिम हवाई जहाज कार का उपयोग करते हैं, टेलीफोन का उपयोग करते हैं, वायरलैस का उपयोग करते हैं जब कि थाने में वायरलेस नहीं है, टेलीफोन नहीं है यहां तक कि साइकिल नहीं है मैं मोटर साईकिल की बात कर रहा हूं, पुलिस को मोटर साइकिल के लिये आलउन्स भी नहीं दिया जाता है। तो फिर किस तरह मुलजिम का पिछा करें। हर थानें में और खासतौर से जो डिस्टर्व एरिया है, बोडर एरिया हैं जैसे भरतपुर का एरिया है जो बार्डर से लगा हुआ है जहां तीन स्टेट की सीमा मिलती है वहां पर एन्टी डेकोयटी रेंज को भी अलग किया जाये। एन्टी डेकोयटी रेंज यू.पी. में भी अलग है वहां पर डी.आई.जी. अलग है एस.पी. अलग है। यहां पर भी अलग रेंज बनायी जाय। फोर्स जो लगती है उनका खतरे का काम है इसलिये उनको कुछ इन्सेंटिव दिया जाये। आप जो साधन देते हैं उनमें कम्युनिकेशन भी आते हैं।

इसके बाद पुलिस की जो अव्यवस्था है इसमें पुलिस का आन्दोलन हुआ उसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। तो बहुत लोगों ने बात रखी लेकिन मुख्य कारण क्या था, वे क्या थे। इसमें मुख्य कारण यह था पुलिस में पोलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं हो। पंजाब में एक सत्ताधारी एम.एल.ए. ने ट्रेफिक कांस्टेबल को चांटा मार दिया यह कहकर कि उसन शराब पी रखी थी जब कि उसको 104 डिग्री बुखार था तो यह आन्दोलन उस वजह से शुरू हुआ था और मांगे तो बाद में जोड़ी गयी थी। पोलिटिकल इन्टरफियेरेंस के कारण तबादले करते हैं थानेदार को कहीं लगा देते हैं गवर्नमेंट आर्डर से तो वह एस.पी. साहब को सलाम नहीं करेगा उसका कोई काम होगा तो वह एस.पी. से कह देगा कि आप कौन होते हैं मैं तो मंत्री से करा लूगा, विधायक से करा लूंगा। ट्रान्सफर से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है वह एडमिनिस्ट्रेशन की गिरफ्त में नहीं रहेगा, वह एस.पी. की बात नहीं मानेगा, वह हमेशा राजनैतिक नेताओं की बात को मानेगा, इसलिये जिस तरह मिलिट्री में होता है वैसे किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बड़ी पोस्टों के लिये आप कर सकते हैं लेकिन छोटों के लिये डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स नहीं होना चाहिए, इसमें पुलिस को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए।

अब मैं बात करता हूं कि पुलिस आन्दोलन के साथ में बहुत सी मांगें जुड़ी हुयी थीं उनमें एक मांग यह भी थी कि वेतन अच्छा नहीं दिया जाता है। वेतन तो देते हैं चपरासी के बराबर और काम लेते हैं 24 घंटे। आप जब कभी हाउस में आधा घंटा बैठने की बात करते हैं तो कितना हल्ला मच जाता है कि ऐसा न करें, पर उनसे 24 घंटे

Page No. 185

(185)

(श्री यदुनाथसिंह)

ड्यूटी लेते हैं और उसको चपरासी के बराबर तनख्वाह देते हैं, उसके रहने की व्यवस्था नहीं है, उसकी फैमिली के रहने की व्यवस्था नहीं है, उनको फैमिली से दूर रहना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि आप एक पुलिस हाउसिंग बोर्ड का गठन करें और वह पुलिस वालों के रहने के लिये कुछ व्यवस्था करे। जब तक यह व्यवस्था नहीं होगी तब तक वे सही तरह से ड्यूटी अन्जाम नहीं दे सकते हैं। आज पुलिस के द्वारा रेप के मामले बढ़ रहे हैं। उनको जब रहने की व्यवस्था देंगे और फैमेली के साथ रहेंगे तो इसमें भी कमी आयेगी। फैमेली के साथ रहते हैं तो ऐसी बातों में कमी होती है। यह प्रकृति कम होगी।

इसके बाद पुलिस में भर्ती होती है तो उसमें जिला हैडक्वार्टर पर अलग-अलग तरीके से प्रक्रिया अपनायी जाती है जिसमें भ्रष्टाचार काफी होता है, भ्रष्टाचार की काफी गुंजायश होती है। इसलिए पुलिस सलेक्शन बोर्ड बनाया जाय। इसके अलावा पुलिस को जो ग्रांटस दी गयी थी 80 में लेकिन ए. पी. वाले जिन्दगी भर ए. पी. में सड़ते रहते हैं उनको इसका बड़ा दर्द रहता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार दिल्ली की पुलिस में होता है कि वहां एक दूसरे में वे जा सकते हैं उसी प्रकार से सीनियोरिटी के हिसाब से पहले ए. पी. में पांच साल रखें फिर जी. पी. में कर दे जिससे कि जिनमें असंतोष है उनको मौका मिले।

इसके बाद पुलिस में जो गंदी प्रथा चल रही है, जो अर्दली प्रथा यानि सामन्ती प्रथा चल रही है, कपड़े धुलवाते हैं। उसमें बड़ा भारी असंतोष है। डी. आई. जी. और आई. जी. और डी. एस. पी. एस. पी. के यहां अर्दली लगाये जाते है अपने पैसे से व नौकर रखें या ना रखें, यह उनकी मर्जी है इसके अलावा पुलिस में कोई रहने और खाने की व्यवस्था नहीं है, लान्ड्री की कोई व्यवस्था नहीं है, अगर आप यह व्यवस्था नहीं कर सकें तो 125 से 150 रुपये तक का अलाउन्स देना चाहिये।

पुलिस में कान्सटेबल भर्ती होता है और कान्सटेबल ही रह जाता है। कोई प्रोमोशन के चान्सेज नहीं है। इसके अलावा पोस्ट क्रियेट करते समय आई. जी., डी. आई. जी., आई. जी. बड़े-बड़े अधिकारी तो अपने लिये तो पोस्ट क्रियेट कर लेते हैं। इसी प्रकार से स्टेट लेवल पर भी 25-25 साल से डी. एस. पी. पड़े हैं और उसको प्रमोशन नहीं मिलता है। हिन्दुस्तान में कहीं भी 12 साल से ज्यादा कोई भी डी. एस. पी. नहीं है। 12 साल भी केवल आन्ध्र में ही है। बाकी 8-8 साल में हर जगह प्रमोशन हो चुका है। उनको प्रमोशन टाईम पर दिया जाये। उसको बदला जाये।

इसके बाद इन्टर-स्टेट का मामला है। इसलिए इन्टर-स्टेट की समस्या हमारी है। हमारे यहां कोई इन्टर-स्टेट कोर्डिनेट बोडी नहीं है। बहुत से राज्यों से हमारी सीमा लगती है। उसमें भरतपुर खास तौर से बोर्डर का इलाका है। यहां स्मगलिंग भी बहुत होता है इसलिए हाई लेवल कोर्डिनेटिंग बोर्ड होना चाहिए। हालांकि थानेदार के लेवल पर मीटिंग होती रहती है लेकिन परमानेन्ट जब तक हाई लेवल कोर्डिनेटिंग बोर्ड नहीं होगा

(श्री यदुनाथसिंह)

तब तक उनमें समन्वय नहीं होगा। अपने को जो छोटे कर्मचारी हैं उनके सामाजिक पहलू को ध्यान में रखते हुए विचार करना होगा। सबसे बड़ी आज कमाण्डर और सिपाही के बीच गैप महसूस कर रहे हैं। कमाण्डर को सिपाही से बात करने में शर्म महसूस होती है और सिपाही कमाण्डर से बात करने में घबराता है। वास्तविक स्थिति यह है, इसको दूर करना है। फौज में क्या होता है कि अफसर सिपाही के घर जाता है उसकी बीवी से व उसके बच्चों से उनकी शिक्षा आदि के बारे में पूछता है। यहां तो शिक्षा के बारे में कोई सवाल ही नहीं है। उसकी शिक्षा की कोई व्यवस्था होती ही नहीं है। एक बार ब्रिटेन में एक कान्सटेबल के लड़के ने एक चाकू मार दिया था तो उसके ऊपर कमीशन बैठा दिया था कि पढ़ाई में कोई कमी रह गयी जिससे कान्सटेबल के लड़के ने चाकू मार दिया है। इस सारी बात पर एक मानवता के आधार पर भावनात्मक पहलू से विचार करके आपको यह काम करना चाहिए इस तरह को बात न करें कि केवल जनता पार्टी के राज में यह होता था। इसकी क्रिटीसाइज न करें। इस बात को ध्यान में रखना चाहिये। इसलिये अपने को इन बातों पर क्रिटिसाइज नहीं करते हुए फेवरेबल बातों को ध्यान में रखना चाहिये।

एक बात और है कन्वेयेन्स के साधनों का अभाव है। कई जिले बहुत बड़े हैं। पुलिस की दृष्टि से उनको छोटा कीजिये। जिला जितना छोटा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में पकड़ उतनी ही मजबूत होगी। जैसे, सभापति महोदय, आपके इलाके से मेरा तात्पर्य है धौलपुर-आगरा होकर जाना पड़ता है, क्यों नहीं धौलपुर को एक अलग जिला बनाया जावे? और दृष्टियों से नहीं, तो कम से कम पुलिस की दृष्टि से धौलपुर को अलग जिला बनाना चाहिये।

श्री सभापति : विरोधी दल के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, आज जिस वातावरण में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति पर हम चर्चा कर रहे हैं उस सन्दर्भ में हमें विचार करना पड़ेगा कि आज देश में किस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं। राजस्थान, इस देश का एक भाग है और इसका निश्चित रूप से हमारे राज्य की शासन व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। सभापति महोदय, सन् 1977 में जनता पार्टी की ओर से पुलिस आयोग का गठन किया गया। उस आयोग की पहली रिपोर्ट प्राप्त होने के साथ ही सारे देश के एम्प्लाइज ने एक आन्दोलन किया, वह पुलिस का आन्दोलन सरकार के विरोध में था, लेकिन आज सारे देश में पुलिस के खिलाफ आन्दोलन चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पुलिस के कर्मचारियों को अपने आन्दोलन का टार्गेट बनाया जा रहा है। टार्गेट वे किस प्रकार बने, मैं उसका विश्लेषण नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि एक पुलिस का सिपाही टार्गेट नहीं बना है कुछ लोगों ने हिन्दुस्तान की वेलिड आँथोरिटी को चुनौती दी है। यदि सरकार इसको चुनौती के रूप में लेकर चलती

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है सो मेरा विश्वास है समस्या का समाधान हो जायगा। यदि इसको चुनौती के रूप में लेकर नहीं चलती बल्कि इसकी जिम्मेदारी कुछ लोगों पर डालकर सरकार ने बचने की कोशिश की तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि स्थिति बड़ी खतरनाक होगी और उस स्थिति का मुकाबला करना हमारे सब के लिये कठिन होगा। मैं इस मामले की राजनीतिक आधार पर चर्चा नहीं करना चाहता, पूरे देश को एक प्रकार की चुनौती मिली है। इस चुनौती को उस वातावरण के आधार पर लेना पड़ेगा। आज उसी सन्दर्भ में यदि हम देखें कि आज देश में पुलिस के कर्मचारी को जबरदस्ती का शिकार बनाया जा रहा है। कहीं इस मौके पर पुलिस ने बगावत कर दी तो क्या परिणाम होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इससे अधिक इस सन्दर्भ में कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए राज्य सरकार को इस सन्दर्भ में सावधान करना चाहूंगा कि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इस सारी कार्यवाही में कहीं आर. एस. एस. का हाथ नहीं, आज तक किसी ने आरोप नहीं लगाया वरना कहीं भी इस प्रकार का उपद्रव होता, बिना सोचे-समझे, जैसे रात को सपना आया हो, लोग आर. एस. एस. का नाम लेते। मैं समझता हूं इस बार आपने देखा लोग मौन हैं और सरकार यह कहकर सन्तोष कर रही है कि इसमें किसी विदेशी एजेन्सी का हाथ है। मैं ऐसा समझता हूं कि चाहे जैसा कोई मामला हो, हिन्दुस्तान में फैशन बन गया है, हमारे मुख्य मन्त्री जी तो यह भी कहने लगे कि बलात्कार में कोई एजेन्सी का हाथ है, कुछ समझ में नहीं आता कि हाथ तो है लेकिन सरकार हाथ नहीं पकड़ सकती। उस स्थिति में हमें इस सारे प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि चाहे किसी प्रकार का कम्युनल राइट क्यों न हो, यह कम्युनल राइट किस प्रकार का है, उसके किस प्रकार के इन्ग्रेडियेन्ट्स तैयार हुए और उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है ?

(8.25 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, यदि आरम्भ से ही इस सारी स्थिति पर गम्भीरता से विचार किया गया होता और कार्यवाही हुई होती, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं और मेरा विश्वास है, आज मुरादाबाद की घटना नहीं हुई होती, सम्भल, इलाहाबाद और इलाहाबाद में जो घटनायें हुई हैं वे नहीं होतीं। मैं सरकार को आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान सौभाग्य से अभी बचा हुआ है। इस प्रकार की स्थिति राजस्थान में उत्पन्न नहीं हुई है. हमको अपनी सब से अधिक तैयारी करनी पड़ेगी और इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि राजस्थान पाकिस्तान की सीमा पर है, इसकी कुछ मजबूरियां हैं, इसकी कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं। उन मजबूरियों और जिम्मेदारियों से हम बच नहीं सकेंगे बल्कि राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति में तो निश्चित रूप से इसका असर होगा। मैं सरकार को आगाह करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जैसा आरम्भ में, मैंने कहा, 1977 में पुलिस कमीशन बना और उसने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रिपोर्ट दी, चाहे उस पक्ष के माननीय सदस्य यह कहना चाहें कि मैं भी राजस्थान का मुख्य मन्त्री रहा हूं और सरकारी कर्मचारियों की जो समस्यायें थीं, उनका मुझे समाधान करना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, इन कर्मचारियों की मांगें कोई एक वर्ष में नहीं हो गईं, पिछले तीस वर्षों में यदि किसी भी विभाग को नेगलेक्ट किया गया तो वह पुलिस का विभाग है जिसको सबसे ज्यादा नेगलेक्ट किया गया। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य पुलिस का है। कौन इसमें जिम्मेदार है और कौन नहीं, इसके विश्लेषण में मैं नहीं जाना चाहता, आज किसी के यहां चोरी हो गई या कहीं बलात्कार हो गया, कहीं दंगा हो गया तो पुलिस की आवश्यकता होती है। लेकिन कभी भी पिछले तीस वर्षों में इस बात पर विचार नहीं किया गया कि समाज जिस गति से आगे बढ़ रहा है उस गति से पुलिस विभाग भी आगे बढ़ रहा है या नहीं। आज समाज में जिस प्रकार की गति है, उसी प्रकार की गति पुलिस विभाग में आती तो मैं समझता हूं समस्या का काफी अंशों में समाधान हो सकता था। अध्यक्ष महोदय, आज कोई यहां चर्चा करे कि पुलिस के पास इक्विपमेन्ट्स नहीं हैं इसलिए अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं इक्विपमेन्ट्स की बात नहीं करता, मैं कहता हूं पुलिस को उस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं है, आज इक्विपमेन्ट्स की कमी अमेरिका में तो नहीं है, इक्विपमेन्ट्स की कमी इंग्लैण्ड में नहीं है, वहां पर किसी प्रकार की ट्रेनिंग की भी कमी नहीं है, लेकिन सोसायटी जिस गति से बढ़ रही है उसके साथ मैं समझता हूं वहां का विभाग उसकी गति के बराबर नहीं बढ़ रहा है, क्राइम की संख्या अमेरिका में भी बहुत ज्यादा है, वहां की पुलिस तो वेलइक्विप्ड है, किसी तरह की कमी नहीं है। एक पुलिस आफिसर अमेरिका गये, इंग्लैंड भी गये, स्काटलैंड यार्ड में भी उन्होंने ट्रेनिंग ली। मैंने उनसे पूछा कि आपका अनुभव क्या कहता है, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका और इंग्लैंड की पुलिस में बहुत अन्तर है। इंग्लैंड का एस. पी. अमेरिका में चला जाय, तो उसका किडनेपिंग हो जाय, और अमेरिका का एस. पी. इंग्लैंड चला जाय तो उसका मर्डर के केस में प्रोसीक्यूशन हो जाय। सब प्रकार के इक्विपमेन्ट्स होते हुए भी दोनों में कितना अन्तर है। इस अन्तर को मिटाने के लिये आवश्यक है कि पुलिस को जनता में रेस्पेक्ट हो तो कानून और व्यवस्था रहती है, जिस जगह पुलिस का सम्मान नहीं वहां कानून और व्यवस्था नहीं रहती। अमेरिका में पुलिस का सम्मान नहीं। वहां रोज केस होते हैं और इंग्लैंड में केसेज होते नहीं हैं। मैं नहीं कहता कि केसेज नहीं होते हैं। लेकिन जनता का पुलिस में विश्वास है उसके कारण कोई क्राईम होता है तो पुलिस और जनता दोनों मिलकर एक-दूसरे के सहायक होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है राजस्थान और हिन्दुस्तान में यह नहीं है। जनता पुलिस को अपना दुश्मन मानकर चलती है। हम उसको अपना दुश्मन मानकर चलते हैं। पुलिस और जनता का किसी प्रकार का सामान्जस्य नहीं है। आज हिन्दुस्तान में कानून व्यवस्था की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यहां पर सदन में कई सदस्यों ने चर्चा की सिपाहियों की चर्चा की, अधि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कारियों की चर्चा की, यह बात सही है। यहां सब कुछ कम है, इतना काम नहीं कर सकते। पिछले 2 वर्षों में जनता पार्टी के शासन में पुलिस कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए हमने ढाई करोड़ रुपये खर्च किये थे और मैं सोच कर चलता हूं कि आपको ढाई करोड़ रुपये से ज्यादा करना चाहिए। उस समय हमारे साधन सीमित थे, हम नहीं कर सके। लेकिन मुझे इस बजट को देख कर दुख होता है कि जिस रिकमन्डेशन्स को हमने स्वीकार किया, उस वेलफेयर के काम को लेना चाहिए। लेकिन आपके बजट में प्रावधान नहीं है।

मैं इस आधार पर निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस में बहुत कमियां रह गयी हैं। इसे न जनता पार्टी की सरकार पूरा कर सकती थी, न कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरा कर सकती है सरकार पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कर देगी, यह आशा करता था कि उसका श्रीगणेश होगा। लेकिन श्रीगणेश नहीं हुआ। जो स्कीमें चल रही थीं यह पता नहीं लगता कि वह स्कीम चालू है अभी कई माननीय सदस्य बोल रहे थे कि पुलिस कर्मचारियों के सामने हाउसिंग की सबसे बड़ी प्राब्लम है। मैं मानता हूं कि इस प्राब्लम का हल निश्चित रूप से हो। सर्विस रूल के हिसाब से कमिटेड हैं। उन्हें सुविधायें नहीं दी जा सकती। 82 लाख रुपए का हमने उसमें प्रावधान किया था। वह आप 92 लाख रुपये का करते। भारत सरकार से भी हमें सहायता मिलने वाली थी। लेकिन दुख के साथ कहना चाहता हूं कि भारत सरकार से जो हमें सहायता मिलती है उसका उपयोग नहीं करते हैं और उपयोग नहीं कर पायें तो हाउसिंग की प्राब्लम सोल्व नहीं कर पायेंगे।

मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, खास तौर से मुख्य सचेतक महोदय से, क्योंकि मुख्य मंत्री जी हाउस में बैठना शायद अपना अपमान समझते हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से कहलवाना चाहता हूं और इसलिए कहलवाना चाहता हूं ताकि दूसरों के मन में असंतोष प्रकट न हो। इस बात को सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए।

आज, अध्यक्ष महोदय, पुलिस में एक समस्या है। जैसा कि मैंने कहा है कि सबसे बड़ी समस्या जनता का विश्वास प्राप्त करने की है। विश्वास प्राप्त कैसे होगा, जब शान्ति और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। कई माननीय सदस्यों ने आंकड़े देकर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि जनता पार्टी के शासन में ज्यादा क्राइम हुए। कांग्रेस पार्टी के शासन में क्राइम कम हुए। उन्होंने 3 वर्ष के आंकड़े देखे हैं। लेकिन मैं आंकड़ों की तुलना से सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि जनता पार्टी के शासन में क्राइम कम हुए और कांग्रेस पार्टी के शासन में ज्यादा क्राइम हुए। सन् 1975-76 और 74 में, लेकिन मैं आपको निवेदन कर दूं कि लॉ एण्ड आर्डर का सम्बन्ध इससे नहीं है। आज मैं सिद्ध कर दूं कि कांग्रेस पार्टी के शासन में ज्यादा तथा जनता पार्टी के शासन में कम हुए। तो जनमानस पर इसका असर नहीं होगा। उसके बारे में जनता की प्रतिक्रिया क्या है? जनता में किस प्रकार की भावना है। आप चाहे कितने आंकड़े बतायें कि जनता पार्टी के शासन में 100 क्राइम हुए और कांग्रेस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में केवल 10 होते थे। यदि जनता में यह धारणा बन गयी कि रात को सड़क पर नहीं जाना चाहिए, रात को दिल्ली में नहीं जाना चाहिए, रात को किसी प्रकार महिलाओं को सड़कों के ऊपर नहीं निकलना चाहिए तो . . .

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : यह आपके वक्त में था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनिये, रात को कितना घूमते हैं। शायद अखबार नहीं पढ़ा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : रात को घूमते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका डिफेन्स नहीं होने वाला है। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि आज भावना किस प्रकार की है। यदि आप कहें कि पहाड़ियाजी की आदत है कि कोई अखबार में क्राइम की रिपोर्ट आ गयी तो अखबार के ऊपर बरसते हैं, नाराज होते हैं, कई बार कहते हैं पालिटिक्स आ गयी। कई बार अखबार वालों को कोसा करते हैं। उनके अखबार वालों से मधुर सम्बन्ध हैं। मुझे आपत्ति नहीं है। . . .

एक माननीय सदस्य : आपके भी तो हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने मधुर सम्बन्ध कहा है। ऐसे सम्बन्ध बने रहें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अखबार में क्राइम की जो रिपोर्ट आई, उसका असर क्या होगा ? इसका विचार करें। एक अखबार में बलात्कार की घटना आ गयी और यहां पर माननीय सदस्य आंकड़े देकर बतायें कि जनता पार्टी के शासन में ज्यादा क्राइम हुए और कांग्रेस पार्टी के शासन में कम हुए। लेकिन अखबार में घटना छप गई तो आंकड़े जनता के मानस में नहीं जायेंगे। और इसलिए 2-3-4 महीनों में अखबारों में जो क्राइम की रिपोर्टिंग हुई। मैं उसमें किसी प्रकार विश्लेषण किये बिना कहना चाहता हूं कि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अखबार वाले आपके दोस्त हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं चाहता हूं कि मेरे दोस्त रहें . . . . .

(व्यवधान)

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, खेतसिंह जी के अखबार वाले दोस्त हों, कोई आपत्ति नहीं है। अखबार वालों का एक स्वतन्त्र व्यवसाय है। उन्हें स्वतन्त्र और निर्भीक होकर समाचार-पत्रों का प्रकाशन करना चाहिए। जानबूझ कर सरकार को मेलाइन करने का प्रचार कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि यह उचित नहीं है। आपको जनमानस में विश्वास पैदा करना पड़ेगा। पिछले 3 महीनों में जिस प्रकार की लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन है, मैं नहीं समझता कि उसको पहाड़िया जी ठीक कर पायेंगे। मैं नहीं कहता कि पहाड़िया जी ने सामाजिक तत्वों को कहा होगा। लेकिन मैं एक बात निश्चित तौर से कहना चाहूंगा कि पुलिस में अनसरटेनटी का एटमोसफियर बना हुआ है। आज पुलिस का एस. पी. जिले के अन्दर है। उसका दिमाग बना हुआ है कि किसी दिन टेलीफोन हो जाये और उसे बिस्तर बान्ध कर जाना पड़े . . . . .

एक माननीय सदस्य : आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनके भाई कहते रहते हैं वह.........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य बाधा उपस्थित न करें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके भाई साहब हैं। यहां कई सदस्यों ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये और गृह मंत्री ने उनका ट्रांसफर कर दिया, वह नाराजगी आज तक गृह मंत्री से निकाली जा रही है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : दिखाओ । आप एक तो भ्रष्टाचार बता दो । निराधार बातें करते हो । बोलते हो, बोलते हो ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं ।

श्री ईश्वर लाल सैनी : आप इस तरह से दबा नहीं सकते । आप मेरे द्वारा लगाए गए एक तो आरोप का जवाब दो । दुर्भाग्य है राजस्थान का, आप जैसे इनके मुख्य मंत्री बने जो लोग थाने के 400 रुपये की रिश्वत केस में डिसमिस हुए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री ईश्वरलाल सैनी: आप एक भी ऐसा केस बता दो ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह पागलखाना नहीं है । अलवर की नगर परिषद में भ्रष्टाचार के केसेज हैं 1.25 लाख के और भ्रष्टाचार के आरोप हैं, पागलखाने का ।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : इनकी डायरी करवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह पागलखाना नहीं है 15 दिन तक पागलखाने में रहकर आए हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जब डिबेट हो रही है तो बाधा उपस्थित न करें । कृपया, सहयोग करें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि लॉ एण्ड आर्डर के मामले में जनता में विश्वास पैदा करना पड़ेगा । विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस को सतर्क करना है सतर्क करने के लिये पुलिस को आश्वस्त करना पड़ेगा कि जिस जगह तुमको लगाया है वहां से तत्काल तुम हटने वाले नहीं हो । यदि एस. पी. बिस्तर बांधकर बैठे, डीवाई. एस.पी. बिस्तर बांधकर बैठे, आने जाने वाले से केवल एक ही चर्चा करते रहें; कि क्या मालूम किस समय मेरा पोस्टिंग कहां हो जाए, मैं किस बात का रिस्क उठाऊं । इसलिए मैं गृह मंत्री और से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह ट्रांसफर्स के मामले में जल्दी फैसला करें, जिस एस. पी. को जहां लगाया है वहां नियुक्त करें । ताकि कम से कम उसमें एक विश्वास पैदा हो जाए कि मुझे नागौर जिले में लगाया है, दो वर्ष यहां रहना है नागौर में, कोई कांड होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं उसकी मुझे व्यवस्था करनी है । जब मैं मुख्य मंत्री था तो मुझे इस सदन के सामने गलती स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी । मैंने एक एस. पी.

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लगाया आई जी. के विरोध के बावजूद। मैंने उस समय समझा कि वह आदमी उस जगह सफल रहेगा तो आगे भी सफल रहेगा। मैंने उनके विरोध के बावजूद उनको वहां लगाया लेकिन दो महीने के बाद मैंने देखा कि वह एस. पी. सफल नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं अनुभव के आधार पर मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप एस. पी. की कहीं भी पोस्टिंग करें उसमें निश्चित रूप से आई. जी. को कान्फीडेंस में लेकर यदि आपने पोस्टिंग किया तो ठीक है, डी. आई. जी. को विश्वास में ले कर पोस्टिंग किया तो एक टीम वर्क होगा। उसी प्रकार जिस एस. पी. को जिस जिले में लगा रहे हैं उस जिले में जिन अधिकारियों का पोस्टिंग करना है, सारे अधिकारियों से सलाह नहीं लें, समझ में आता है लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ली जाए तो शायद उसका विरोध न हो, इस बात की निश्चित रूप से व्यवस्था की जाए। आज एक तरफ एस. पी. दूसरी तरफ डी वाई. एस. पी., डी. आई. जी. तीसरी तरफ, थानेदार चौथी तरफ, यह इनडिसीपलीन ला एण्ड आर्डर के मामले में क्रीएट हो गया तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, भुगतना सरकार को होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस समय इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को तुरन्त फैसला करना चाहिए कि किस अधिकारी का पोस्टिंग कहां किया जाए यदि नहीं करना चाहे तो स्टेटमेंट दें कि एक साल तक पुलिस के बड़े अधिकारियों का स्थानान्तरण नहीं होगा। इस स्टेटमेंट से भी वातावरण बनाता है कि मुझे यहां रहना है। लेकिन अगर यह वातावरण नहीं बनेगा और जो लोग जाते हैं उनसे पूछेंगे कि मेरा ट्रांसफर कहां हो रहा है तो जो लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन में आप सुधार करना चाहते हैं वह नहीं सुधरेगी।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं खास तौर से पुलिस कर्मचारियों ने कई दिनों से इस बात की मांग की थी कि हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए कोई न कोई प्लेटफार्म चाहिए। कई जगह ट्रेड यूनियन की मांग की गई। मैं आज भी ट्रेड यूनियन्स जैसे अधिकार पुलिस कर्मचारियों को दिए जाने के पक्ष में नहीं हूं लेकिन एक व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी कि पुलिस कर्मचारी अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात स्वीकार करने को तैयार हूं कि पिछले 30 वर्षों में हमने इसकी उपेक्षा की लेकिन जब कर्मचारियों ने आंदोलन किया तब कोई स्टेट 2 करोड़ का लाभ दे रही है, कोई स्टेट 3 करोड़ का, कोई स्टेट 1½ करोड़ की सुविधायें दे रही हैं। आज हम चाहे इन्कार करके चलें कि आन्दोलन के सामने सरकार झुकी नहीं लेकिन पिछले वर्षों में पुलिस के सिपाहियों को सुविधाएं मिली वह नहीं मिली तो इस बात की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हमने पिछले 30 वर्ष में उनकी उपेक्षा की, उसका नतीजा पिछले वर्ष सारे देश में पुलिस आन्दोलन के कारण से सारी सरकारों को भुगतना पड़ा। इसलिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करें जिसके आधार पर पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान तत्काल हो जाए और उनको सामूहिक रूप से उन समस्याओं को सरकार के सामने प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिले।

इसके अलावा एक और छोटी समस्या है। हर त्यौहार पर सबको छुट्टी मिलती है, सब त्यौहार पर अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस के लोग-दीवाली या होली के

Page No. 193

193

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

त्यौहार पर भी घर नहीं जा सकते। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसके कर्मचारी त्यौहार पर अपने घर नहीं जाते हैं लेकिन पुलिस कर्मचारी त्यौहार पर घर नहीं जाते हैं। इसका आपको समाधान करना पड़ेगा। हमने 10 दिन उनको केजुअल लीव के अलावा, 10 दिन इस बात के लिए और छुट्टी दी, लेकिन कोई न कोई और इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा जिसके जरिए पुलिस कर्मचारी को यह फीलिंग न हो कि दूसरे विभाग के कर्मचारी तो त्यौहार पर घर जाते हैं लेकिन हम नहीं जा सकते।

इसी प्रकार से इनके बच्चों के संबंध में निवेदन करता हूं। एक सिपाही का स्थानान्तरण हो गया, कोई आपत्ति नहीं। आज एक आफिसर का स्थानान्तरणहो जाता है। वह इस आधार पर अपना स्थानान्तरण नहीं होने देगा कि मेरे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका एडमिशन हो चुका है, मैं जाऊंगा तो मेरे बच्चों के सामने समस्या खड़ी हो जाएगी, लेकिन कभी हमने छोटे कर्मचारियों के संबंध में यह विचार नहीं किया कि एक पुलिस कर्मचारी यहां से चाहे 10 मील पर स्थानान्तरण कर दें, वह परिवार को लेकर कहां जाएगा, उनके बच्चों का कहां एडमिशन होगा? उस आधार पर हमको छोटे कर्मचारियों के बारे में चिन्तन करना पड़ेगा।

आज चीजों के भाव 20 प्रतिशत बढ़े, इस समय 27 पर्सेंट इन्फ्लेशन की रेट बढ़ गई। पैसा वही का वहीं मिल रहा है मैस भत्ता उतना ही है, आज मुख्य मंत्री घोषणा करने वाले हैं 5-7 रुपय मैस अलाउंस बढ़ाने की, लेकिन महंगाई कितनी है उसके आधार पर उनको किसी प्रकार की सहूलियत नहीं दी जाती है? उनको भी सहूलियत दिए जाने के सबंध में विचार करना चाहिए। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हमने भी विचार किया था, हमारे पास साधन नहीं थे लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि मुख्य मंत्री दिल्ली में कमिट करके आए हैं कि राजस्थान में शराबबंदी समाप्त की जाएगी, पैसा राज्य सरकार को बहुत मिलने वाला है, योजना आयोग द्वारा, योजना में वह पैसा खर्च हो उसमें से थोड़ासा पैसा इस बात के लिए भी खर्च किया जाए, पुलिस कर्मचारियों की हाउसिंग प्राबलम है वह कैसे सोल्व की जाए? मकान एक साथ नहीं मिल सकते, मैं मानता हूं जो एक साथ नहीं बन सकते, उसके लिए प्रोग्राम बनाना पड़ेगा लेकिन कुछ न कुछ हाउसिंग अलाउंस की व्यवस्था शुरू करें जिसके आधार पर पुलिस कर्मचारी मकान किराए पर लेते हैं उसका कुछ अंश इस हाउसिंग अलाउंस से भुगतान कर सकें। यदि इस आधार पर समस्या हल करने की चेष्टा की गई तो उनको संतोष होगा। यदि सरकारी अधिकारियों में निश्चितता उत्पन्न की गई तो लॉ एण्ड आर्डर के कुछ अंश का समाधान होगा।

तीसरा कारण अंत में कहना चाहूंगा इस लॉ एण्ड आर्डर की समस्या का और मांगों के अतिरिक्त सबसे पहला काम है जुडिशियरी। मेरा अनुभव है कि पुलिस जिस मेहनत के साथ चोरी, डकैती और कतल को बरामद करती है जिस मेहनत के साथ लाइफ को रिस्क में डालकर किसी मामले को डिग आउट किया, वह कोर्ट में जाते ही फेल हो गया, वह फेल क्यों होता है, उसके अनेक कारण हैं। हिन्दुस्तान के गृह मंत्रियों को कान्फरेंस हुई उसमें सारे विरोधी दलों के नेता थे जिनमें

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कांग्रेस पार्टी के नेता भी शामिल थे सब आए, उस पर चर्चा हुई कि लॉ एण्ड आर्डर समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाए, वहां यह भी प्रश्न आया।

अध्यक्ष महोदय, जो हमारी जुडिशियरी है उसमें सुधार किया जायं। वह सुधार किस प्रकार का किया जाय। सुधार में मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि हमारी जुडिशियरी करप्ट है, पर हमारा जुडिशियरी का जो सिस्टम है वह इतना पुराना हो गया है कि जिस प्रकार के क्राइम्स आज हो रहे हैं उन क्राइमस को मीट करने की शक्ति हमारी जुडिशियरी में नहीं है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, जुडिशियरी के सिस्टम को हमें चेंज करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर एक व्यक्ति को सेशन्स कोर्ट में मर्डर के लिये 20 साल की सजा होती है तो वह बाद में आगे हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में उसकी अगर जमानत होती है तो जमानत पर छूटने के बाद वही मुलजिम एक और मर्डर कर देता है तो आप उसको यह दोष देंगे कि पुलिस ने कोई इन्तजाम नहीं किया इसलिये उसने मर्डर कर दिया। पर मैं उसको दोष नहीं दूंगा, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब एक व्यक्ति को 20 साल की सजा हो जाती है कोर्ट से तो उसकी साईकोलोजी यह हो जाती है कि मुझे बीस साल की सजा तो हो ही गई है कोई चिन्ता की बात नहीं. एक मर्डर और कर दूं, सजा तो बीस साल की हुई है वह भी उसके साथ ही भुगत लूंगा। तो, अध्यक्ष महोदय, वह बीस साल की सजा भुगतता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस प्रश्न पर हमें गम्भीरता से विचार करना होगा। हमारे जुडिशियरी के सिस्टम में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाय जिससे हमारी पुलिस ने जिस मेहनत से मुलजिमों को पकड़ा है उसके आधार पर सारी सही व्यवस्था हो जावे।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में माननीय मुख्य सचेतक महोदय के माध्यम से गृह मंत्रीजी व मुख्य मंत्रीजी के पास यह बात पहुंचाना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी इस प्रकार के बयान देना छोड़ दें। वह बड़े बुद्धिमान हैं इसमें कोई संदेह नहीं, उनको 20 साल का प्रशासन का अनुभव है इसमें भी संदेह नहीं लेकिन जिस प्रकार के वक्तव्य वह बलात्कार के मामले को लेकर दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, तीन बार बलात्कार के बारे में वक्तव्य उन्होंने दिये हैं। जहां जाते हैं वहां यही बोलते हैं कि बलात्कार तो आदिकाल से होते आये हैं, होते रहे हैं और होते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम भी कहते हैं कि बलात्कार आदिकाल से होते आये हैं। कौन मना करता है कि बलात्कार आदिकाल से नहीं होते आये हैं। पर चूंकि बलात्कार आदिकाल से होते आये हैं इसलिये इनको सर्टिफिकेट मिल जाय कि बलात्कार तो लोग करेंगे ही। मैं समझता हूं, मुख्य मंत्रीजी, यह सर्टिफिकेट वाली बात चलने वाली नहीं है। हमें बलात्कार की रोक थाम करने के लिये आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक लाइन में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो बलात्कार के बारे में वक्तव्य दिया है और जो अखबारों में छपा है उसको पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। इसमें लिखा है कि मुख्य मंत्री जगन्नाथ पहाड़िया ने कहा है कि बलात्कार के मामलों को जिस तरह से उछाला जा रहा है जिस तरह से उनका प्रचार किया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई एजेन्सी का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
उनका हाथ है, उसका पैसा काम आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आता, अध्यक्ष महोदय, एजेन्सी बलात्कार कैसे कराती है ? क्या एजेन्सी लोगों को इन्स्ट्रक्ट करती है कि बलात्कार करना चाहिये । अगर ऐसी एजेन्सी है तो वह कौनसी एजेन्सी है । अध्यक्ष महोदय, मैं खेतसिंह जी से कहना चाहूंगा, खेतसिंह जी, आपको तो मालूम ही होगा, आप तो मुख्य मंत्रीजी के विश्वास पात्र हैं किस एजेन्सी के मार्फत यह बलात्कार की घटनायें हो रही है । अध्यक्ष महोदय, यह कोई मामूली विधायक ने नहीं कहा है राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कहा है । मैं खेतसिंह जी से कहूंगा कि आप मुख्य मंत्रीजी से कहें कि जब वह अपना आज उत्तर दें तो उत्तर देते समय यह बतावें कि वह एजेन्सी कौनसी है, उनका कौनसी एजेन्सी से मतलब था, ऐसी कौन सी एजेन्सी राजस्थान में काम कर रही है जो बलात्कार करा रही है । ऐसी एजेन्सी कौन सी है जो राजस्थान में बलात्कार कराने के बाद मुख्य मंत्री जी की पकड़ में नहीं आ रही है ? इस कारण राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को सदन में वक्तव्य देना पड़ रहा है । अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी केवल यह कह कर कि कोई एजेन्सी काम कर रही है अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहूंगा कि सफेद थाना धौलपुर में एक अबोध बालिका के साथ क्राइम किया गया है । एक अबोध बालिका के साथ रेप किया गया । मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री ऐसे बलात्कार के मामले में किसी एजेन्सी का काम है कहकर नहीं बच सकते हैं । आपको, मुख्य मंत्रीजी, यह साबित करना पड़ेगा कि वह एजेन्सी कौनसी है किस एजेन्सी का काम है ? जिसने उस बच्ची के साथ रेप किया ? अध्यक्ष महोदय, अगर आप उस बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट को देखें तो आप देखेंगे कि उसको हाउस में पेश करने में कितनी शर्म आती है, किस तरह से बलात्कार एक छोटी सी लड़की के साथ किया गया और, मुख्य मंत्री जी, हमारे यह कहते हैं कि एक एजेन्सी वर्क कर रही है । मुख्य मंत्री जी कौन सी एजेन्सी काम कर रही है ? हमारी नोलेज में तो नहीं है; कौनसी एजेन्सी वर्क कर रही है । क्या कोई सी.आई.ए., या अफ्रीका की कोई एजेन्सी काम कर रही है या यहां पर कोई, के.जी.बी. काम कर रहा है, कौन सी एजेन्सी वर्क कर रही है ? मैं तो कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ऐसी कोई एजेन्सी काम नहीं कर रही है । मुख्य मंत्रीजी जी, एजेन्सी के नाम पर समाचार—पत्रों में छपे, और समाचार पत्रों के नाम पर यह कह दे कि एजेन्सी काम कर रही है तो यह बात चलने वाली नहीं, खेतसिंह जी मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि जब भी मुख्य मंत्रीजी अपना उत्तर दें उस समय उस एजेन्सी के बारे में पूरी जानकारी सदन में दें कि वह कौनसी एजेन्सी है जो हमारी बहनों, मां और बेटियों के साथ इस प्रकार से बलात्कार की घटनायें कर रही हैं ? हम चाहेंगे कि मुख्य मंत्री जी उस एजेन्सी का नाम बतावें । उनको नाम बताना पड़ेगा, केवल एजेन्सी कह देने से काम नहीं चलेगा । उस एजेन्सी के खिलाफ आपको एक्शन लेना पड़ेगा । मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी ऐसी एजेन्सी के विरोध में.. ..

श्रीमती शान्ती पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी काण्ड हुआ, वहां क्या उनकी मां, बहन नहीं थीं ? क्या वहां कोई और थी ? इनको शर्म आनी चाहिये । यह खेतड़ी काण्ड उन्हीं के जमाने में हुआ था ?

(२८)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती शान्ती पहाड़िया ने जो कहा उसका तो रिफ्लेक्शन मुख्य मंत्रीजी पर ही पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने अपनी पत्नी तक को यह नहीं बताया कि खेतड़ी काण्ड की रिपोर्ट उनकी सेफ कस्टडी में है। मुख्य मंत्रीजी ने सही बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई। अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती पहाड़िया को बताना चाहूंगा कि खेतड़ी काण्ड में एक भी महिला के साथ रेप नहीं हुआ, एक भी अगर आप उस रिपोर्ट में बता दे तो अभी त्याग-पत्र देने को तैयार हूं। रिपोर्ट आपके पति के पास है आप चाहें तो उसको देख लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती शान्ती पहाड़िया : दो दिन तक घरों के अन्दर महिलायें बन्द रहीं, बड़े शर्म की बात है। बेचारी कुंआरी लड़कियों के साथ हुआ, बड़े शर्म की बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शर्म तो, शान्ति जी, आपको आनी चाहिये या मुझे आनी चाहिये, यह फैसला तो खेतसिंह जी को करना पड़ेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल के नेता हवा बनाने में बहुत ही माहिर हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनके जमाने में क्राइम्स नहीं हुए थे ? क्या आपके जमाने में मर्डर नहीं हुए थे ? क्या आपके जमाने में बलात्कार नहीं हुए थे या चोरियां नहीं हुई थीं ? इस बात को तो आप जाने दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेतसिंह जी, मैंने तो मना नहीं किया कि मेरे जमाने में नहीं हुए पर जो श्रीमती शान्ती पहाड़िया जी ने कहा उस बात का रिफ्लेक्शन मुख्य मंत्री पर पड़ता है। मुख्य मंत्री जी को अपनी पत्नी पर भी विश्वास नहीं है। उन्होंने खेतड़ी काण्ड की रिपोर्ट की सही बात अपनी पत्नी को भी नहीं बतायी। मैं उनको कह रहा हूं कि आपके पति देव आ रहे हैं। वह आवें तब आप उनके माध्यम से सरकारी अधिकारियों से पूछ लें कि खेतड़ी में कौन सी महिला के साथ बलात्कार हुआ।

श्रीमती शान्ती पहाड़िया : मैंने तो श्रीमती इन्दिरा गान्धी के . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे मालूम है, शान्तीजी, आपको श्रीमती इन्दिरा गान्धी बहुत याद आती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भैरोंसिंह जी, आपके जमाने में भी रेप हुए हैं। सदन में रामनारायण जी ने साड़िया पेश की थीं। आपके जमाने में भी चोरियां हुई हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे मालूम है, खेतसिंहजी, अगर आप चाहें बाजार से ट्रक भर कर ला सकते हो। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है लेकिन मैंने तो यह उत्तर दिया कि पति के पास रिपोर्ट पड़ी है और उसकी पत्नी को जानकारी नहीं है।

श्रीमती शान्ती पहाड़िया : इस प्रकार महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, उस खेतड़ी काण्ड में कोई रेप हुआ या नहीं, पर उस समय वातावरण इस तरह का भयास्पद हो गया था कि शायद ही कोई

(श्रीमती कमला)

महिला उस समय सिनेमा देखने जाने की या बाहर जाने की हिम्मत करती थी। बाद में रिपोर्ट क्या प्राप्त हुई या क्या रिपोर्ट प्राप्त की गयी, यह बात हमें पता नहीं :

श्रीमती शान्ती पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यहां यदि कोई भाई बैठा हो और फिर यहां पर इस प्रकार की चर्चा चले कि उसकी मां या उसकी औरत या उसकी बहन, उसकी बच्चों के साथ रेप हुआ, उसको अखबारों में दें या वह बात दस बीस आदमियों के सामने रखी जायें तो उसको कितनी शर्म आयेगी। अगर किसी कुंआरी लड़की के साथ यह हुआ तो, अध्यक्ष महोदय, उस लड़की की तो जिन्दगी ही बरबाद हो जायेगी। आपको उसमें क्या मिलेगा। यह आप बता दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमें यह मिलेगा कि एक लड़की की तो इज्जत जायेगी, उसकी इज्जत तो खराब होगी पर आयन्दा किसी भी लड़की की इज्जत खराब नहीं होगी। अगर आप यह चाहती हैं कि एक का भी जिक्र नहीं किया जाय, यह मामला दबा रहे और बाकी लड़कियों की इज्जत लूट ली जाय तो यह चलने वाली बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिह शेखावत : शिवराम जी, जाने दो मुझे सब पता है।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : यह आन्दोलन जो आपके मोरारजी भाई ने इमर्जेन्सी के बाद छेड़ा था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कौनसा आन्दोलन ?

श्री शिवराम शर्मा : मुक्ति आन्दोलन। उसके बाद में ज्यादा प्रचार हुआ है। सिर्फ यहां ही नहीं, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में हुआ। दुःख की बात तो यह है कि प्रचार सभी जगह पर जोरों से हो रहा है। यह दुःख की बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे भी बहुत दुःख है इस बात का।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजेन्द्रपाल सिंह वाले ही हो आप।

श्री शिवराम शर्मा : कौन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह जो कल गिरफ्तार हुए हैं।

श्री शिवराम शर्मा : गिरफ्तार तो होते आये हैं और होते रहेंगे आगे भी।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों के खिलाफ भी अखबारों में आया था बलात्कार कान्ड के बारे में। यह देखो, सुर्खियां छपी हैं। आपके तो जनता पार्टी के मंत्री बलात्कारी थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें।

(१९८)

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपके पास है ही क्या ? आपने ढाई साल में किया ही क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्यों से म निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में डिबेट या वादविवाद इस तरह से नहीं होना चाहिए । उच्चस्तर पर होना चाहिये । यहां पर छोटी-छोटी बातों को बीच में लाना अच्छा नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था . .

श्री माधोसिंह दीवान : उच्च स्तर की बात कह रहे हैं ? यह देखिये, किस स्तर की बात कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके और मेरे स्तर को दुनिया जानती है । दीवान साहब मेरे स्तर की बात कर रहे हैं । और करें तो करें, लेकिन आप कर रहे हैं । अभी कमला जी कह रही थीं कि सूप बोले तो, बोले चालनी भी बोलने लग गई ।

ऐसी स्थिति में एक प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि जनमानस में किस प्रकार से विश्वास उत्पन्न किया जाये, इसके लिए भी प्रचार का साधन बन सके । तो आपके पास तो बहुत बडा डिपार्टमेंट है पब्लिक रिलेशन्स का । मैं श्री खेतसिंहजी और कमला जी दोनों को कहना चाहता हूं कि आज समाचार पत्रों में जो भी समाचार छपते हैं हम उनको एडजोर्नमेन्ट मोशन के जरिये से यहां लाते हैं । सरकार का कर्त्तव्य है, इस प्रकार के क्राइम्स को हीनस क्राइम्स मानकर चलती है, जैसे ही समाचार पत्रों में छपे उसके साथ ही साथ सही स्थिति को दुनियां के सामने लाकर जानकारी दे दें तो वातावरण बन जायेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। केवल यह कहकर नहीं बच सकते कि समाचार-पत्रों में छप गया और अखबारों के जरिये मामले को उछाल दिया गया । उनके पास डाइरेक्टरेट पब्लिक रिलेशन्स है उस पर बहुत बड़ा खर्चा होता है, आपके टेलीप्रिन्टर्स लगे हुए हैं । किस अखबार में कौनसी खबर छप रही है इसकी जानकारी सबसे पहले सरकार को मिलती है। सरकार सही स्थिति से दुनियां को जानकारी कराये । अखबार उछालते हैं तो दस दिन के बाद अखबार की भी प्रतिष्ठा गिर जायेगी । आपने अटेम्प्ट बिलकुल नहीं किया । यह घटनायें सही छप रही हैं । यदि गलत छपती तो निश्चित रुप से आप अटेम्प्ट करते, लेकिन जो भी अखबार में खबर छपती है आप उसका खण्डन या स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं समझते । अपनी बचत के लिए आपने एजेन्सी को पकड़ लिया और वह एजेन्सी कौनसी हो सकती है वह मुख्य मंत्री जी बतायें ।

मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहूंगा कि आज एक एटमोशफीयर इस प्रकार का बन गया कि आज जनता का पुलिस में विश्वास नहीं है । इस विश्वास को वापस किस प्रकार से लाया जाये इस सरकार को मिलकर चेष्टा करनी पड़ेगी । इसमें हमसे कोई सहयोग की अपेक्षा है तो हम निश्चित रुप से सहयोग करेंगे लेकिन यह निश्चित रुप से हमें मानकर चलना पड़ेगा कि अविश्वास यदि बढ़ता गया तो उससे न कांग्रेस पनपने वाली है, न जनता पार्टी पनपने वाली है । उसमें असामाजिक तत्व पनपेंगे । जिस समय आपके पास सत्ता

199

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होगी, आपकी जयजयकार करेंगे और जिस समय सत्ता किसी दूसरी पार्टी के साथ चली गयी तो उसकी जय जय कार करेंगे। यह असामाजिक तत्व न किसी के सगे हैं, न किसी राजनैतिक दल के सदस्य हैं। यह तो सरकार के पिट्ठू हैं। जिस समय जो सरकार आई उसमें घुस गये। उनको प्रोटेक्शन मिल गया तो सारे शासन का सत्यानाश कर डालेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप पुलिस के प्रति जनता में विश्वास पैदा करना चाहते हैं तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा और जिस प्रकार के क्राइम्स की चर्चा हो रही है उन क्राइम्स को कैसे डील किया जाये इसके ऊपर कुछ कहना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स कितना है इस सम्बन्ध में मैं इस समय एक घटना का उल्लेख करने में असमर्थ हूं। कल उसके फैक्ट्स आ जायेंगे तो मैं बताऊंगा कि पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स किस प्रकार का होता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ भी हो आप सब मिलकर एक बात का प्रयत्न करें कि पुलिस के प्रति और सरकार के प्रति जनमानस में विश्वास पैदा हो जायें, इसकी आप चेष्टा करें। यह चेष्टा करने में सरकार को सतर्क होना पड़ेगा। बेड़े को साथ लेना पड़ेगा। बेड़े में जो अनिश्चितता खतम हो गयी, उसको समाप्त करना पड़ेगा। बेड़े को इस बात की गारण्टी देनी पड़ेगी कि तुमने ईमानदारी से काम किया तो सरकार निश्चित रूप से आपको प्रोटेक्शन देगी। यदि अच्छा काम किया तो उसके लिये आपको इनाम देंगी। इस प्रकार की स्थिति पैदा होगी तभी जाकर लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन ठीक बनेगी, वरना आप जनता पार्टी को कोसते जाइये, हम कांग्रेस को कोसते जायेंगे। इस कोसने की प्रक्रिया में राजस्थान की जनता को इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा कि जिसका अनुमान आज के दिन नहीं लग सकता।

इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन वर्मा।

श्री रामकिशन वर्मा (लाडपुरा) : माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस के कटौती प्रस्तावों पर मेरे भी कुछ सुझाव हैं। हमारे यहां पुलिस के चार विभाग हैं—सिविल पुलिस, आर्म्ड पुलिस, आर. ए. सी. और ट्रेफिक पुलिस। सबसे प्रथम मैं सिविल पुलिस के बारे में बताना चाहूंगा कि सिविल पुलिस हमारे यहां पर जो कार्य करती है उससे वास्तव में जनता का विश्वास उठ गया है। उसके अन्दर भ्रष्टाचार बहुत अधिक पनप गया है...

व्यवस्था का प्रश्न

अनुदान की मांग पर वाद विवाद के समय सम्बन्धित मंत्री की सदन में उपस्थिति

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए माफी चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, जानकारी तो हो जाय कि मुख्य मंत्री जी कहां हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहां कहां ?

Page No. 200

श्री खेतसिंह राठौड़ : चैम्बर में हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्हें कहें कि हाउस में बैठें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जिस चैम्बर में आप कभी बैठते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज पुलिस की मांग चल रही है उनको हाउस में बुलाया जाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आ जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विधान सभा के सदस्य उनके इन्तजार में बैठे हैं। यह मेरी डिमाण्ड नहीं है पूरे सदस्यों की डिमाण्ड है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : डिमाण्ड का प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जिस समय बोल रहा था, उस समय कह सकता था लेकिन मैं यह समझता था कि माननीय सदस्य कहेंगे कि विरोधी पक्ष के नेता बोल रहे हैं इसलिए नहीं कहा है। चाहे रामकिशन जी बोलें या ईश्वर लालसैनी बोलें, मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन मुख्य मंत्री जी चैम्बर में बैठे हैं और हाउस में नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हाउस में उनको बुलायें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपके डाइरेक्शन से तो हम गाइड होंगे नहीं। हमेशा जिस समय होम मिनिस्टर का कोई रिप्लाई होता है वे हाउस में आकर देते हैं। आपने जो पाइन्ट दिये हैं उनका जवाब देने के लिए तैयारी कर रहे हैं.....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ....उन्हें सदन में आना चाहिए....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने एक मांग की है। सत्ता पक्ष ने उस मांग को सुन लिया, थोड़ा धीरज रखिये....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो जवाब आयेगा, उसको सुन लेना आराम से।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : ....इससे बड़ा खेद का विषय नहीं हो सकता...

श्री अध्यक्ष : विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने एक बात कही है। थोड़ा धैर्य रखिये....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : धैर्य क्या रखिये। सदन में आकर बैठें। बैठ नहीं सकते हैं, हिम्मत नहीं है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुख्य सचेतक महोदय को मुख्य मंत्री का दर्जा दे दिया जाये। उनकी हिम्मत नहीं है। सदन का सामना नहीं कर सकते....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर! आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनको सदस्यों का समर्थन प्राप्त नहीं है। वह सदन में नहीं आ सकते। यह सदन का अपमान है......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : सारे राजस्थान की लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। ऐसे वक्त में मुख्य मंत्री नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

माननीय सदस्य।

श्री राम किशन ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह नहीं होगा...

श्री अध्यक्ष : आसन किसी मंत्री या मुख्य मंत्री को अमुक समय पर उपस्थित रहने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री खेत सिंह राठौड़ : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता बाध्य नहीं कर सकते। मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि जो पॉइंटस आपने रेज किये हैं उनके बारे में अपने डिपार्टमेंट से जानकारी हासिल करके रिप्लाई देने के वक्त यहां पधार जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अच्छी सूचना दी कि मुख्य मंत्री जी कहां है। इसके लिये आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय कृषि मंत्री की और चिकित्सा मंत्री जी के विभाग की डिबेट हुई, डिबेट होने के बाद सारे पॉइंट्स का यहां बैठे-बैठे इन्होंने जवाब दे दिया। उनको भागे-भागे सरकारी अफसरों के पास नहीं जाना पड़ा। कमला जी को तो खास तौर से नहीं जाना पड़ा...

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप अखबारों में पढ़ते हो।

श्रीमती कमला : मैं समझती हूं, विरोधी दल के नेता, उनके दल के सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां उपस्थित नहीं होने से सदन का कोई अपमान नहीं

(श्रीमती कमला)

होता। माननीय सदस्यों ने जो भी मुद्दे उठाये हैं उनके बारे में उनको जानकारी है। सदन की कार्यवाही से बिल्कुल अवगत हैं। जब आवश्यक होगा आपके सामने उपस्थित होकर आप द्वारा उठाये गये मुद्दों के ऊपर जो भी वाजिब, उचित और आवश्यक जवाब होगा आपके सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे। आप तसल्ली रखें।

श्री भैरों सिंह शेखावत : उसकी आपत्ति नहीं है। कमला जी ने जिस प्रकार से कहा है उस से ऐसा लगता है कि थोड़ी सी देर में मुख्य मंत्री जी अवतार के रूप में इस सदन में प्रकट होंगे।

श्रीमती कमला : आप भी ऐसे ही अवतार के रूप में प्रकट होने थे . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कमला जी ने जो प्रश्न उठाया, एक रूलिंग है पेज 291 पर -- 30 मार्च, 1959 को जब राजस्थान यात्री तथा माल कर विधेयक, 1959 पर विचार हो रहा था, वित्त मंत्री के सदन में अनुपस्थित रहने पर श्री भैरोंसिंह ने आपत्ति उपस्थित करते हुए श्री अध्यक्ष से निवेदन किया कि वे इस प्रकार से मंत्री महोदय का जब उनसे संबंधित विषय सदन में चल रहा है तो बार-बार अनुपस्थित रहना सदन का अपमान है। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा : " माननीय सदस्यों ने इस तरह का प्रश्न पहले भी उठाया है यह सब त उचित बात है कि जब कभी गंभीर प्रश्न सदन में आवे तो संबंधित मंत्री उपस्थित हों। "

चाहे हिन्दुस्तान हो, चाहे हिन्दुस्तान से बाहर हो विधान सभा में जब किसी मंत्री की डिमाण्ड हो . . .

एक माननीय सदस्य : जहां तक सम्भव हो, ऐसा होगा . . .

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब भी उनकी डिमाण्ड हो, मैं नहीं कहता, 11 से लेकर 8 बजे तक उपस्थित रहें, मेरा कोई आग्रह नहीं। उप मंत्री जी ने मांग उपस्थित कर दी, एक दो बार दर्शन दे जाते तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती।

श्रीमती कमला : आप भूखे प्यासे हो . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मेरी ओर से नहीं बोल रहा हूं। यह कई माननीय सदस्य अपनी परफार्मेन्स दिखाने के लिये दर्शन करना चाहते हैं। उनको भी मौका नहीं मिलेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : शेखावत जी को परफार्मेन्स बहुत याद आ रही है। उन्होंने परफार्मेन्स नहीं देखी हमारे गुलाब चंद जी कटारिया बहुत तड़पते रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, गुलाब चंद कटारिया तड़फते रहे हैं या आप तड़प रहे हैं यह तो समय बतायेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरी तड़फ आप तक कैसे पहुंच रही है, मेरी समझ

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

में नहीं आता। मैं कभी आपके सामने तड़पा नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस की डिमाण्ड है। इस सदन में जितने भी एडजोर्नमेंट मोशन आये हैं ज्यादातर पुलिस से सम्बन्धित है। लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, चाहे जनता पार्टी के लिये कहा हो। मुख्य मंत्री जी चैम्बर में बैठे हैं। तो मुख्य मंत्री जी के बारे में मुख्य सचेतक या दूसरे मंत्री कह दें कि वे स्वस्थ नहीं हैं, सदन में बैठने की स्थिति में नहीं हैं तो समझ में आता है, हमें कोई आग्रह नहीं है। इसका प्रमाण मुख्य सचेतक जी ने दे दिया कि आप का भाषण सुन रहे हैं। सबका उत्तर तैयार करके मुख्य मंत्री जी नीचे पधारेंगे। पता नहीं जिद् क्यों कर रहे हैं..

एक माननीय सदस्य : जिद् तो आप लोग कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मांग आपकी तरफ से हुई है। हम अपनी मांग वापिस लेते हैं। मुख्य मंत्री जी को अपनी कुर्सी पर लाकर तो बैठाओ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपत्ति का प्रश्न नहीं है। मैंने पहले भी निवेदन कर दिया। यों वे आज स्वस्थ नहीं हैं। चूंकि उनकी जिम्मेदारी है, वे कन्सर्ड मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा रिप्लाई मैं ही दूंगा। हकीकत यह है मार्निंग में बुखार था, जुकाम है......

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आराम करने दीजिये। उप मंत्रीजी जवाब देंगे....

(व्यवधान)

जितने दिन सदन की कार्यवाही चली है मुख्य मंत्री जी बहुत कम पधारे। आपके माध्यम से मुख्य सचेतक से निवेदन है कि प्रेस्टिज का इश्यू नहीं है। हम तो वापिस लेते हैं। वे अपनी मांग के आधार पर बुला लें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ धैर्य रखिये। डिबेट चलेगी। 11.12 बजे तक बैठिये। आपको जल्दी क्या है।

श्री अध्यक्ष : जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है मेरे से पूर्व माननीय अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी है, उससे मैं सहमत हूं लेकिन जैसा मुख्य सचेतक ने फरमाया, मुख्य मंत्री जी आज सुबह से बीमार थे फिर भी आपकी भावनाओं का आदर करते हुए उन्होंने यह तय किया है कि वे स्वयं डिबेट की रिप्लाई करेंगे और मैं सोचता हूं कि वे थोड़ी देर में पधार जायेंगे। थोड़ा धैर्य रखिये। माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा वे विवाद शुरू करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है। मुख्य मंत्री जी से मिला था। उनकी तबीयत बहुत खराब है ....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : किसी स्पेशलिस्ट को बुलाइये साहब ......

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : किसी स्पेशलिस्ट को भिजवाया जाय.....

Page No. 204

(204)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
डाक्टर को बुलाकर उनको दिखवाइये साहब ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन जी प्रारम्भ कीजिये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ......

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : जुखाम तो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है...

(व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : जो दोषी होते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है.. (अश्रव्य)..बल्कि जो एफ. आई. आर. दर्ज कराने जाते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही चालू हो जाती है। मेरा निवेदन है कि ऐसे करने वालों को दण्डित किया जाय चाहे बड़े अधिकारी हों और चाहे सिपाही हों, उन्हें सजा मिलना बहुत आवश्यक है। जब तक सजा नहीं दिलबायेंगे तब तक आम जनता में और हमारे अन्दर विश्वास पैदा नहीं होगा। हम यह भी मानते हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बातें नहीं करें, माननीय सदस्य आपस में बातें नहीं करें।

श्री रामकिशन वर्मा : जहां अच्छे कार्य करते हैं उनको उसका इनाम भी मिलना चाहिये और उनके कार्य को प्रोत्साहन भी देना चाहिये। जिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करवाते हैं वे राजनीति के प्रभाव से उनको रुकवा देते हैं और उनके तबादले करवा देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से जो अच्छे लोग हैं उनको उसका उचित पुरस्कार भी दिया जाय। जो अराजकता फैलाने वाले तत्व हैं, अगर हम उनको संरक्षण देते हैं तो फिर उनमें डर की भावना नहीं रहेगी और वे हमेशा अराजकता फैलाते रहेंगे। तमाम जनता में विश्वास की भावना पैदा हो इसलिय मेरा निवेदन है इन लोगों से निपटने के लिये सख्त से सख्त क़दम उठाने होंगे। जहां तक हम लोग इन अधिकारियों की बात करते है उनमें ऐसे भी लोग है जिनके खिलाफ कई दफा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के जो अफसर होते हैं कार्यवाही करते हैं लेकिन देखा यह गया है कि छोटे-छोटे अधिकारियों को और छोटे सिपाहियों को तो पकड़ लिया जाता है, बड़े अधिकारियों को नहीं पकड़ा जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह कार्यवाही छोटों से लेकर बड़े 2 अधिकारियों तक हो और जब बड़े अधिकारी फसेंगे तभी यह भ्रष्टाचार समाप्त होगा, अन्यथा किसी भी हालत में भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला नहीं है।

पुलिस के अलावा कई ऐसे विभाग हैं जहां पर भ्रष्टाचार बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ है। भ्रष्टाचार के अन्दर हमारे इंजीनियर लोग भी हैं—हजार डेढ़ हजार की तनख्वाह पाने वाले लोगों ने दो-दो लाख के बंगले बनाये हुये हैं तो मेरा निवेदन है जो ऐसे महकमे हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये। जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है वह ऐसे लोगों को न छोड़े और ऐसे लोगों को पकड़ कर आम जनता में विश्वास की भावना पैदा करे। जो अधिकारी आज इतने बदनाम हो चुके हैं वे भी काम कर रहे हैं उनका ताल मेल

(श्री रामकिशन वर्मा)

बराबर बना रहता है तो जनता का विश्वास फिर उनमें नहीं रहता है। जब कोई केस बनता है तो आज स्थिति यह है कि आम जनता पुलिस के डर से गवाह देने नहीं जाती है, क्योंकि उनको यह विश्वास हो गया है कि पहले जो जाने वाला है, उसके खिलाफ ही कार्यवाही शुरू हो जायेगी। अदालतों की भी आज यही स्थिति है कि आम जनता गवाही देने से कतराती है, तो मेरा निवेदन है जो लोग प्रशासन में मदद करें, उनके खिलाफ केस न बने बल्कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ ही कार्यवाही हो और पुलिस ऐसी कोई बात न करे जिससे जनता में भय व्याप्त हो।

अब अधिकतर वाद-विवाद की जो बात आती है वह यह है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने काफी सिर उठा रखा है। जो असामाजिक तत्व थे वे पहले तो बन्द थे किन्तु दुर्भाग्यवश, जो विरोधी सदस्य थे वे भी जेलों में गये और उन्होंने उन असामाजिक तत्वों से सांठगांठ कर ली और जब बाहर आये तो भय मुक्त वातावरण का नारा दे दिया। जो असामाजिक तत्व गन्दे काम करते थे वे जनता पार्टी के नेता लोगों के साथ हो गये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपस में बात नहीं करें।

श्री रामकिशन वर्मा: हुआ यह कि इन असामाजिक तत्वों ने भय मुक्ति का आन्दोलन किया जिससे जनता में डर पैदा हो गया और गुण्डा तत्व सिर उठा बैठे। मेरा निवेदन है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिये कि यह देश हमारा है, यह प्रान्त हमारा है और ऐसे लोगों को संरक्षण देने का हमारा कर्तव्य नहीं है। जब तक इस प्रकार का विश्वास पैदा नहीं होगा हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहेंगे और अधिकारी लोग भी काम नहीं करेंगे। असामाजिक तत्व मौका पाते ही सिर उठाते है जिससे हमारी सरकार बदनाम होती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सिर उठाते ही कार्यवाही करनी चाहिये, इससे दूसरे लोग भी डरेंगे।

जहां तक आपात स्थिति के बाद की बात है, कुछ ऐसे भी अधिकारी लोग हैं जिनके खिलाफ बड़े चार्जेज थे और ऐसा कई बार हुआ है कि उनको नौकरियों से निकाल दिया गया लेकिन जब उनकी सरकार आई तो वापिस उनको बहाल कर दिया गया और उनके दिमाग में यह हो गया कि अब उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो सकेगी। यदि आम जनता में विश्वास फैलाना है तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन न दिया जाय क्योंकि उन अफसरों की वजह से अराजकता फैली हुई है। जो तत्कालीन सरकार थी, जिन लोगों ने अच्छे कार्य किये, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की। दिल्ली पुलिस के आई० जी० भिण्डर का भी नाम लूंगा। राजस्थान के बैजल है, उनका भी नाम लूंगा। इससे अधिकारियों का यह विचार हो गया कि अच्छा काम करेंगे तो सरकार कार्यवाही करेगी। नतीजा यह हुआ जो उनके कर्तव्य थे, उनसे भी उन्होंने मुंह मोड़ लिया जिससे अराजकता फैलने लगी और उन लोगों को बढ़ावा मिला जो गुण्डे थे फलतः हमारे देश में जो शान्ति पैदा होनी चाहिये थी वह नहीं हो सकी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य संक्षेप में कहें अपनी बात।

श्री रामकिशन वर्मा: अनुशासन की बात

(श्री रामकिशन वर्मा)

के लिये निवेदन करूंगा। जब तक हमारी पुलिस के अन्दर अनुशासन नहीं आयेगा और हमारे अधिकारियों को इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं देंगे और आम पब्लिक का सहयोग नहीं लेंगे तो वह अनुशासन नहीं बना सकेंगे जो अनुशासन पुलिस में होना चाहिये। अनुशासन ठीक न होने से गन्दगी और बुराई आती है। इस बात को दूर करने के लिये मदद करें ताकि वे इस प्रकार का गन्दा काम न करें जिससे बुराई पैदा हो। जहां हम अनुशासन की बात करते हैं वह बड़े अधिकारियों के लिये भी है और छोटे अधिकारियों के लिये भी है। यदि हम इस प्रकार का अनुशासन बरतेंगे तो किसी भी प्रकार असामाजिक तत्व नहीं पनप सकेंगे।

जहां पुलिस में मैट्रिक पास व्यक्ति है उनको भी 250 की तनख्वाह मिलती है और पूरे 24 घंटे की नौकरी लेते हैं और जो आपके उसी विभाग में एल. डी. सी होता है उसको 350 से 550 का वेतन मिलता है। इस तरह का जो फर्क होता है उससे अविश्वास की भावना पैदा होती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो छोटे सिपाही हैं और मैट्रिक पास हैं उनको भी आपको समान वेतन देना चाहिये और उनकी भी तरक्की की जानी चाहिये। यहां जो धनी लोग नहीं हैं उनको भी सुविधायें दी जायं ताकि आगे चलकर उनके दिल म ऐसी हीन भावना उत्पन्न न हो कि वे यह मानने लगें कि सरकार हमारी रक्षक नहीं है। सरकार को यदि वे पूरा रक्षक मानगें तो वे भी अपन कर्तव्य का पूरा पालन करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं जब आर्मी पुलिस होती है तो इनका काम हिंसा को रोकना स्टूडेन्ट्स एजीटेशन को रोकना, आग पानी की वारदातों को रोकना है तो मेरा सरकार से निवेदन है एसे लोगों को सिविल पुलिस के मुकाबले ज्यादा तनख्वाह द ताकि वे अपने कर्तव्य को पूरा कर सकें। जब मौत का सवाल आता है तो वे नहीं डरें। आज सिविल पुलिस को और साधनों से भी इनकम हो जाती है किन्तु आर्मी पुलिस की नहीं हो पाती है इसलिये मेरा निवेदन है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय।

यहां इनको जो मिनी ट्रेनिंग होती है इस मिनी ट्रेनिंग के अन्दर इन लोगों को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाय ताकि ये अपने कर्तव्य को . . .

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य। काफी समय हो गया।

श्री राम किशन वर्मा : इसके साथ-साथ हमारे पास जो ट्रैफिक पुलिस होती है, उस ट्रफिक पुलिस के बारे में भी मैं यह कहना चाहूंगा कि इस ट्रैफिक पुलिस के अन्दर अच्छे-अच्छे नौजवान, हैण्डसम व्यक्तियों को लिया जाय ताकि जब विदेशी हमारे यहां आते हैं तो वे इन्हीं से आकर पूछते हैं और इसी के अनुसार यह भी कहना चाहूंगा कि यह स्पष्ट होता है। इनको अच्छी से अच्छी वर्दी दी जाय, इनको अलग से भत्ता दिया जाय ताकि विदेशियों को यह महसूस हो कि हमारे यहां की ट्रैफिक पुलिस का स्टैन्डर्ड काफी अच्छा है और हमारे यहां का जीवनयापन काफी अच्छा है और हम लोग अच्छी पुलिस रखना जानते हैं और उनको आकर्षित कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ आखिरी बात में यह भी कहना चाहूंगा कि यहां ट्रैफिक पुलिस है, ये केवल उनको वर्दी दिलाना चाहते हैं। वहां इनसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि हर राज्य की ट्रैफिक पुलिस समय-समय पर नाकों पर खड़ी होकर के उन्हें चैकिंग करती रहती है उनसे हजारों रुपये इकट्ठे करती है। किसी राज्य

(श्री रामकिशन वर्मा)

के अन्दर नहीं है। इसमें जो गड़बड़ियां होती हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कार्य-वाहियों को रोकें और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। आपने जो बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह। अब माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कोई भी माननीय सदस्य 10 मिनिट से अधिक समय नहीं लें।

श्री मोहनलाल वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अभी व्यवस्था दी थी कि कुछ समय में ही माननीय मुख्य मंत्री जी आ जायेंगे तो माननीय सदस्यों की भावना है कि जो प्रभारी मंत्री हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इनके विचार सुने, जैसा आप अभी विचार विमर्श करने के बाद . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आश्वासन दिया जा चुका है कि मुख्य मंत्री जी आयेंगे। आसन अथवा कोई सदस्य किसी भी मंत्री को इस काम के लिए या इस कार्य के लिए उपस्थिति को कोई निश्चित समय के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी हाउस में नहीं है और मंत्री भी नहीं है। किसको सुनाये हाले दिले बेकरार का।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किसी एक मंत्री महोदय का होना आवश्यक है। मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। न तो इसके लिए आसन बाध्य कर सकता है और न कोई माननीय सदस्य बाध्य कर सकते हैं, किसी मंत्री को किसी अमुक समय पर उपस्थित होने के लिए। सब नियम स्पष्ट हैं।

(व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, आसन द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है। दिनांक 8-4-66 को, पेज 293 पर है जिसमें यह दिखाया गया है कि अकाल सहायता कार्यों में कार्यरत पुरुष और महिला मजदूरों को समान मजदूरी दी जाने संबंधी अपने संकल्प पर श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत बोल रही थीं उस समय सदन में अकाल सहायता मंत्री उपस्थित नहीं थे। मंत्री महोदय की अनुपस्थिति का श्री भैरोंसिंह ने विरोध किया एवं श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत ने भी कहा कि फमीन के बारे में चर्चा हो रही है व मंत्री महोदय मौजूद नहीं है उनको भी साथ होना चाहिए, जवाब देना चाहिए। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा:—

"प्रश्न जवाब का नहीं है। माननीय सदस्यों का कहना है कि संबंधित मन्त्री महोदय को यहां पर रहना चाहिये। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि बिना किसी कारण के वे यहां से नहीं जायें। चीफ मिनिस्टर ने मुझे यह सूचना दी कि वे बाहर जा रहे हैं और एक तरह की व्यवस्था है कि मुझे सूचित कर दिया जाय ताकि मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकूं कि वे खास कारण से बाहर गये हैं। लेकिन सदन में जो काम हो रहा है,

(श्री महावीरप्रसाद जैन)
उससे ज्यादा काम बाहर हो रहा हो, यह नहीं माना जा सकता ।"

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह बिलकुल अलग प्रश्न है । वे परिस्थितियां दूसरी थीं, यहां परिस्थितियां दूसरी हैं । माननीय सदस्य, इस विषय पर पूर्व में काफी चर्चा हो चुकी है, निर्णय दे दिया गया । कृपया बाधा उपस्थित न करें, माननीय सदस्यों से ऐसा मेरा निवेदन है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, आपने भी व्यवस्था दी थी । जो पुराना इंसीडैन्ट कोट किया था, जिस समय मैंने कहा था, उसके बाद 15 मिनिट भी हो चुके हैं । ऐसा कौन सा · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती ।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह मुख्य विषय है । माननीय मुख्य मंत्री जी पधारे, बहुत समय हो गया और इसको प्रेस्टिज नहीं मानें । ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : पधार जायेंगे ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ।

श्री मोहनलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह आदेश दिया कि मुख्य मंत्री का यहां होना आवश्यक है, आप उनको बाध्य नहीं कर सकते . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आ जायेंगे, मुख्य मंत्री जी । आपने तो हठ ही पकड़ ली ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर: माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां सुनेगा कौन ? यह कितनी महत्वपूर्ण मांग है, इसकी कोई सुनने को नहीं है ।

श्री मोहनलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से क्या यह सूचना मिली है कि कितनी देर में आ जायेंगे ? आपके पास क्या सूचना आयी है ?

श्री अध्यक्ष: न तो मुझे कोई सूचना मिली है और न मैंने सूचना पूछी है । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । माननीय सदस्य ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ।

श्री मोहनलाल शर्मा: कृपया ध्यानपूर्वक आप जानकारी ले लें और हमें बता दें कि कितनी देर में पधार जायेंगे ।

श्री महावीर प्रसाद जैन: अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था और भी है, आसन से · · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज । इन व्यवस्थाओं का प्रश्न में कोई सार नहीं है। मैंने निवेदन कर दिया कि आप किसी मंत्री को अमुक समय पर उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते ।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि .....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि पहले डिबेट चला करती थी, 77 से 79 तक, इनके नेता जो आजकल हैं, तत्कालीन मुख्य मंत्री अनुपस्थित होते थे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : हमेशा सदन में बैठे रहे। मुख्य मंत्री जी को कभी भी अनुपस्थित नहीं होने दिया। यह आपका वहम है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री महावीरप्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आसन की व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने किन शब्दों में यह कहा है जैसा कि पहले कई बार कहा जा चुका है उसी को पुनः दोहराते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यथा सम्भव स्वयं यहां हाजिर होकर अपने काम को निपटायें ...

श्री अध्यक्ष : 'यथा सम्भव' है शब्द।

श्री महावीरप्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारी सब की प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रतिष्ठा सदन की, प्रतिष्ठा अध्यक्ष महोदय की, प्रतिष्ठा माननीय सदस्यों की। प्रतिष्ठा बढ़ेगी माननीय चीफ मिनिस्टर के आ जाने से। इसलिए आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए यहां पर माननीय मुख्य मंत्री का उपस्थित रहना आवश्यक है। इसलिए उनको तुरन्त बुलाया जाना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : सदन की प्रतिष्ठा किसी मंत्री या मुख्य मंत्री के उपस्थित होने या अनुपस्थित होने पर निर्भर नहीं करती।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह।

(व्यवधान)

श्री मोहन लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय मुख्य मंत्री के पास गये थे। आपको उन्होंने बातचीत के लिए अनुमति दे दी होगी। आप भी बातचीत करके आये हैं, वे कब तशरीफ ले आयेंगे ?

एक माननीय सदस्य : जब आवश्यक समझेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के कई माननीय सदस्य अभी भी डिबेट में भाग लेना चाहते हैं। हमने आपको सूची दे रखी है, बहुत कुछ माननीय सदस्य अपने इलाकों के बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हैं, उनके सारे सुझाव सुन लीजिए, उसके बाद रिप्लाई के वक्त मुख्य मंत्री जी आ जायेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सब लोग अच्छे सुझाव देना चाहते हैं, अच्छे सुझाव दे दिये।

(व्यवधान)

मांग संख्या 16 पर विचार

श्री अहमद बक्श सिंधी : वे सब सुन रहे हैं आपकी बातें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बातें नहीं करें आपस में।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस की मांगों के ऊपर दो शब्द मैं भी प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न उठता है कि हमारे प्रदेश में, देश में अराजकता व्याप्त हो रही है, जिसको सुधारने का श्रेय सरकार को है और सरकार का माध्यम है पुलिस। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम और सभी लोग यह आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार बुरी तरह से पुलिस में व्याप्त है। परन्तु जो इस सदन की हमारी जिम्मेदारी है, उसके बारे में कोई भी नहीं सोचना चाहता है, न कहना चाहता है। मेरा निवेदन है कि यह सोचना बहुत अहम सवाल बन गया है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक व्याप्त है?

(रात्रि 9.41 बजे)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पीठासीन)

इस भ्रष्टाचार की जड़ें हमारे आपके इस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो भी काम होता है उसमें दखलन्दाजी होती है उसकी वजह से कहते हैं कि यह सब है और मेरा यह निवेदन है कि इस....

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर, सभापति महोदय। कोरम पूरा नहीं है, साहब। न मुख्य मंत्री यहां पर हैं...

श्री सभापति । कोरम बैल बजावें..

(व्यवधान)

(गणपूरक घंटी)

आर्डर प्लीज।

(गणपूर्ति पश्चात्)

माननीय सदस्य जारी रखें।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य। आपस में बातें नहीं करें कृपया।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस के भ्रष्टाचार के बारे में सभी कहते हैं परन्तु उसके निराकरण के बारे में हमें और आपको सोचना है। मेरा इस बारे में यह निवेदन है कि आज पुलिस के कर्मचारियों की जो मूलभूत समस्यायें हैं उनके प्रति हमको मानवीय दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा और जैसी कि प्रक्रिया होती है, मालिक और जो नौकर का सवाल होता है, उसमें एक तो पहला कर्त्तव्य होता है मालिक का कि वह अपने कर्मचारियों का भरण-पोषण करे और उसका जो दायित्व होता है उसको पूरी तरह से निभायें। उसके बाद में

(श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह)

हम यह अपेक्षा करते हैं कि जो कर्मचारी हैं वह अपना दायित्व पूरा करें । इसके बारे में मेरा यह सुझाव है कि जो भारतवर्ष की बाहर से रक्षा करने वाली सेना है, हालांकि उनको भी हमारी सरकार, पहले वाली सरकार और अभी वाली सरकार, कोई भी पूरी सुविधायें उपलब्ध नहीं करा सकी है। परन्तु जो अन्दर से हमारी रक्षा करती है पुलिस, या जो इस प्रदेश में या देश में शासन की व्यवस्था करती है और अराजकता को दूर करती है उसको भी हम लोग पूरे साधन जब तक उपलब्ध नहीं करायेंगे तब तक यह व्यवस्था ठीक नहीं होगी ।

माननीय सभापति महोदय, मेरा इस बारे में निवेदन है कि जो सुविधायें फौज में उपलब्ध होती हैं सिर्फ वही सुविधायें आफिसर्स को, वही सुविधायें पुलिस कर्मचारियों को उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए । आप सोचिये, आपके सामने सवाल है कि जो फौजी सिपाही अपने सामने के विदेशियों से लड़ता है, आज हमारे पुलिस कर्मचारी को अपने भाइयों से लड़ना पड़ता है, तब फिर उनके बीच में यह भेदभाव क्यों होता है ? आज हमारे अन्दर जो कोई भी छात्र, कर्मचारी, मजदूर और असामाजिक तत्व हैं वह हमारे भाई या हम ही में से होते हैं तो उनसे रक्षा करते हैं, या जो उनसे लड़ते हैं, उन्हीं पुलिस वालों के साथ भेदभाव होता है। परन्तु मेरा यह निवेदन है कि उनकी जो भी समस्यायें हैं इनका निराकरण होना चाहिए और जो सुविधायें फौज को मिलती हैं वही सुविधायें पुलिस वालों को भी मिलनी चाहिए, रहने को मकान मिलना चाहिए और अलाउन्सेज भी उसी तरह से मिलने चाहिए ।

इसके बाद मेरा यह निवेदन है कि हमारे जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनका जो रिक्रूटमेंट होता है वह रिक्रूटमेंट किसी और तरीके से होना चाहिए । प्रदेश स्तर पर एक कमेटी होनी चाहिए और वह उनका निष्पक्ष रूप से चुनाव होने चाहिए उसके बाद में उनकी ट्रेनिंग भी फौजी तरीके से होनी चाहिए ताकि उनमें अनुशासन की भावना बढ़े । एक सुझाव मेरा और है कि जो कर्मचारी पुलिस में आयें वह कम से कम ग्रेजूएट होने चाहिए । क्योंकि आज पुलिस को पढ़े लिखे और बहुत ही समृद्ध व्यक्तियों से, व्यापार करने वाले व्यक्तियों से और घोर अपराधियों से व्यवहार करना पड़ता है । इसलिए अगर पढ़े लिखे, ग्रेजूएट होंगे तो उनका व्यवहार अवश्य ही रिफाइण्ड वे में होगा, जिसमें यह शिकायत नहीं हो सकेगी कि हमारी पुलिस रूड है। उसका व्यवहार सौजन्यतापूर्ण नहीं है । आगे इसमें मैं यह निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, हमारी पुलिस में ही

(व्यवधान)

श्री सभापति : जारी रखें, माननीय सदस्य

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पॉइन्ट आफ आर्डर, सभापति महोदय, कोरम नहीं है ।

श्री सभापति : कोरम बैल बजाइये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अपना कोरम पूरा करो, हमारा कोरम तो पूरा ही है ।

(गणपूर्ति होने पर)

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : पहले तो बोलने नहीं देते हैं और · · · · · · · ·

श्री सभापति: आप बोलिए ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज। आप शीघ्र समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : काहे को समाप्त करूं । अभी तो बोलने का समय ही नहीं दिया · · · · · ·

श्री सभापति: आप जारी रखें, माननीय सदस्य ।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह: माननीय सभापति महोदय, इसके बारे में मेरा एक सुझाव और है कि पुलिस में शोषण होता है। वह सिपाही से लेकर डी. एस. पी. तक · · · ·

(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य आपस में बातें नहीं करें ।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : डी. एस. पी. तक तो · ·

(व्यवधान)

श्री सभापति: ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि आपस में बातें नहीं करें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं करेंगे ।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : सिपाही तक तो रुटिन टैस्ट होता है और परफोमेन्स के द्वारा प्रमोशन होते हैं परन्तु उसके ऊपर जो भी डी. पी. सी. के थ्रू होते है। डी. पी. सी. में कोई भी रुटिन एग्जामिनेशन नहीं होता है। इसके बारे में मेरा यह सुझाव है कि जो भी प्रमोशन हो वह रुटिन एग्जामिनेशन से होना चाहिए ताकि जो भी प्रतिभावान और अच्छे ऑफिसर्स है वह रुटिन टैस्ट में अच्छे नम्बर लेकर आगे आ सकें और एक सिपाही भी आई. जी. के पद तक पहुंच सके ।

माननीय सभापति महोदय, मेरा इस बारे में एक और सुझाव है कि आज चारों तरफ इस तरीके का वातावरण है कि देश और प्रदेश एक नाजुक कगार पर बैठा हुआ है। चारों तरफ गंभीर वातावरण है। उसमें हम सब का, पुलिस का और लॉ एण्ड आर्डर का अहम् मसला है हमें उसके ऊपर उठ कर सोचना चाहिए कि इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। इसमें मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि जो पुलिस में राजनीति घुस गई है उसका निराकरण होना चाहिए। किसी भी तरीके से उसके अन्दर जो राजनीति घुस गई है उसको निकालना चाहिए। उसके लिए सरकार खुद सक्षम है और वह उसका निराकरण कर सकती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आज पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स में राजनीति घुसी रहती है। जो पुलिस के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, जो हमारे प्रशासन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है वह राजनीतिज्ञों से घिरे रहते हैं यह अनुचित बात

(श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह)

है। पुलिस को इससे मुक्त करना चाहिए ताकि प्रशासन बहुत सुचारु रूप से और पूरी एफिशियेंसी से अपना काम कर सके। आज यह स्थिति है कि किसी भी जिले का एस. पी. हो, किसी भी रेंज का डी. आई. जी. हो, यही सोचता है कि मेरा कहां पर पोस्टिंग हो रहा है। हालांकि उनका यह सोचना गलत है। कहीं पर भी पोस्टिंग हो जाय तो इसमें उनका क्या लेना देना है, लेकिन यहां पर यह माहोल बन गया है, तीस-बत्तीस सालों से कि पोस्टिंग्स में हम लोग इन्वोल्व होते हैं। सरकारी अधिकारी भी इन्वोल्व्ड होते हैं। सरकारी अधिकारियों की भी अपनी कुछ समस्यायें हैं। डोमेस्टिक प्राब्लम्स होती हैं उनकी वजह से वे समझते है कि मेरा पोस्टिंग ठीक जगह पर हो। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो भी पोस्टिंग, ट्रांसफर हो वह डिपार्टमेंट के आफिसर्स की एफिशियेंसी के हिसाब से होने चाहिए और डिपार्टमेंट की एफिशियेंसी के हिसाब से होने चाहिए। जैसे गंगानगर का जिला क्राइम के हिसाब से बहुत आगे बढ़ा हुआ है वहां पर उसी तरीके के एफिशियेंट आफिसर्स को लगाना चाहिए। इसी तरह से टोंक जिला क्राइम के हिसाब से कम है तो वहां पर उसी तरीके के आफिसर्स लगाने चाहिए। यह सब मापदण्ड है आपके जो पी. एच. क्यू. हैं उसमें यहां बैठे है आई.जी. वे क्या चाहते है, उनकी क्या राय है? यह सब उनको कान्फीडेंस में लेकर होना चाहिये।

दूसरा मेरा यह सुझाव है, माननीय सभापति जी, आज पुलिस को एफिशियेन्ट बनाने की बात चल रही है उसको इस तरह से बढ़ाया जा सकता है कि जो हमारे यहां पर अच्छे और ईमानदार कर्मचारी हैं उनका कोई सदुपयोग नहीं होता है उनको लाकर के पुलिस हैडक्वार्टर में बंद कर दिया जाता है। उनको जल्दी से जल्दी पुलिस हैडक्वार्टर से हटाया जाकर जिले में लगाया जाये ताकि वे अपनी योग्यता का परिचय दे सकें और उसको शुद्ध कर सकें।

आई. पी. एस. अधिकारियों को सुविधायें आई. ए. एस. अधिकारियों के मुकाबले कम मिलती है। इसीलिये मेरा निवेदन है कि प्रत्येक जिले में एस. पी. को भी कार मिलनी चाहिये क्योंकि कार का मेन्टीनेंस और कीमत जीप की अपेक्षा कम है इससे खर्चे में भी कमी होगी और आफिसर्स की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। इसीलिये मेरा पुरजोर निवेदन है कि प्रत्येक जिले के एस. पी. को कार प्रदान कराने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद में मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में निदवेन करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में पहले एक गुढ़ा गांव में एक पुलिस चौकी स्थापित थी। परन्तु एक एस. पी. आये उन्होंने वह बंद करा दी। क्यों बंद करा दी? इसलिये बंद करा दी कि वहां जाने पर उनको अच्छा स्वागत नहीं किया गया। आज नयाबास जो राजस्थान का एक ऐसा इलाका है जिसमें मेरे सीकर और झुंझुनू जिले के 2 नये एस. पी. ने वीरतापूर्वक कदम उठाकर दमिक की है। जो असामाजिक तत्व थ जो सारे हिन्दुस्तान में चोरी करके लाते थे वहां पर उनको संरक्षण मिलता था। तो जो उन्होंने किया है व इसके लिये धन्यवाद के पात्र है। वह चौकी नयाबास से मिली हुई चौकी थी। नयाबास की उस एरिया के एस. पी. ने वहां अच्छा स्वागत नहीं किया

(214)

(श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह)
इसलिये बंद कर दी। मैं आपके माध्यम से सरकार से बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि इस चौकी को अपग्रेड करके थाने में परिवर्तित करके स्थापित कराया जाये ।

अब मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस कर्मचारियों, जो अपने यहां पर सुरक्षा प्रहरी हैं, की कमियां हैं, समस्या है, अलाउन्स नहीं मिलता है। उनको ये भी जो फौज में हैं, आर्मी में मिल रहा है उसके समान मिलना चाहिये। यही मैं निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री सभापति: श्री जगदीश तिवाड़ी ।

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस के कार्य और व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जब तक पुलिस के बारे में आम गरीब लोग यह महसूस नहीं करें कि यह हमारी सुरक्षा के लिये है तब तक पुलिस का कोई सदुपयोग नहीं हो सकता है। आज पुलिस के व्यवहार और कामों से जनता में और पुलिस में काफी अन्तर आता जा रहा है। पिछले 28 महीनों के जनता शासन के अन्दर जो पुलिस में राजनैतिक हस्तक्षेप चला अपराधियों को बचाने के लिये उससे पुलिस का मनोबल गिरा है ...

श्री खेतसिंह राठौड़: शेम ।

श्री भंवरलाल शर्मा: क्या कहा आपने ?

एक माननीय सदस्य: अब इनकी नींद जागी है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं शेम कहा या खेद कहा ।

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी : मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि जनता शासन में पुलिस ने बहती गंगा में हाथ धोये वह एक उदाहरण से बताना चाहूंगा। कोतवाली थाने में कल्याण शाह जो हैड कान्सटेबल थे थाने कल्याणजी के रास्ते में रहने वाली महिला और पति पत्नी दोनों साथ रहते थे। पहले पुलिस के उस हैड कान्सटेबल ने उस महिला का अपहरण किया और अपहरण करने के बाद उसके जेवरात बैंक में जमा कराये। उसकी जब शिकायत की गयी तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुयी। यहां तक मामला चला कि उसकी रिपोर्ट तक कोतवाली थाने में दर्ज नहीं की गयी और रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई आखिर में जब समाचारपत्रों में यह समाचार छपा तो उच्च अधिकारियों ने इसकी जांच करवायी और जब वह दोषी पाया गया तो उसके बाद उसको जो सजा दी गयी थी वह यह थी कि उसको रिवर्ट कर दिया गया। अगर कोई सामान्य जन यह अपराध करता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता परन्तु पुलिस से उसको बचाने की कोशिश की गयी। पुलिस कर्मचारी द्वारा या पुलिस के अधिकारी द्वारा इस प्रकार की हरकत की जाये तो उससे जनता में पुलिस के प्रति रोष फैलता है। ढाई साल में इस प्रकार का वातावरण बना। हमारे पुलिस के ऊपर और जनता में पुलिस के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ी। इससे मैं निवेदन करता हूं कि पुलिस को आम आदमी के प्रति संवेदनशील होना चाहिये और हमदर्दी बतानी चाहिये। आज भी गरीब व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो अगर उस गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

जाती है यह बुरी बात है। इस मामले में गम्भीरता से सोचना होगा। चाहे विरोधी पक्ष के हों चाहे कांग्रेस पक्ष के हों। जनता शासन हो या कांग्रेस शासन हो इससे कोई फर्क नहीं आया है। जो आदमी आदत से लाचार है जो भ्रष्ट है वह आज भी बिना पैसा लिये गरीब की रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है और तो और यह और कहता है कि सिपाही आ जायगा तो धक्के देकर निकाल देंगे, यहां से भाग जा। यह विचारणीय विषय है इस पर बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिये। गरीब आदमी अपराधी के संबंध में सूचना दे उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो, यह बड़े शर्म और खेद की बात है। उसकी रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिये।

दूसरा सुझाव यह है कि मेरे क्षेत्र में तो इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि मेरे यहां सांसी जाति के लोग पहले चोरी किया करते थे। आज उनके पास आय के साधन नहीं हैं उस स्थिति में कभी-कभी छोटी मोटी चोरी करते हैं लेकिन पुलिस इसके लिये पूरे तौर पर जिम्मेदार है. चाहे कोई भी चोरी करे, कोई भी आदमी उसमें लिप्त हो पहले सांसी को बुलाकर पूछते हैं और 3-4 दिन तक बंद रखते हैं। तो जब वह भूखों मरेगा, काम नहीं करेगा, धन्धा नहीं करेगा तो मजबूर होकर चोरी करनी पड़ती है और पुलिस को पैसा देना पड़ता है यह विचारणीय है। मेरा इस संबंध में निवेदन यह है कि जो सांसी लोग हैं उनको आय के साधन दें। यदि भूमि दे सकते हैं और पूरे साधन दे सकते हैं तो भूमि अलाटमेंट की जाय। यदि नहीं दे सकते हैं तो कोई भी एक उद्योग स्थापित करके उनको उस उद्योग में समायोजित किया जाना चाहिये ताकि आय का स्रोत बने और चोरी नहीं करनी पड़े। उनके बच्चों के लिये जब तक कुछ नहीं होगा, आदतें नहीं सुधरेगी उनके लिये भी समाज कल्याण विभाग और पुलिस विभाग दोनों को मिलकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि उनके बच्चों को सांसी परिवार से दूर रखा जाये ताकि वे बच्चे सुधरें और आगे चलकर चोरी का व्यवसाय नहीं करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके अलावा एक बात आपसे एन्टी करप्शन विभाग जो है इसके अन्दर बताना चाहता हूं। यह जनता शासन के अन्दर ए. सी. डी. अर्थात एडीशनल करप्शन डिपार्टमेंट हो गया था। इसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं हमारे यहां तहसीलदार ने अकाल सहायता में घोटाले किये। 50 क्विंटल का कोटा अलाट किया। कोटा सारा रिकार्ड में है लेकिन किसी को मिला नहीं, गरीबों को दिया नहीं। ए. सी. डी. में शिकायत की तो उसकी जांच नहीं हुई बल्कि यह हुआ कि तहसीलदार महोदय डी. एस. पी. के लड़के की शादी में दूध और गेहूं पहुंचाते रहे हैं। यदि यह होता रहा तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह एडीशनल करप्शन डिपार्टमेंट हो गया है। इसलिये आवश्यक है कि उसमें ईमानदार आदमियों को रखना चाहिये जिनकी नियत पर किसी को कोई सन्देह नहीं हो, जो ईमानदारी से और निष्पक्षता से जांच कर सकें। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जितने केसेज होते हैं उन करप्शन के बारे में लम्बा प्रोसिजर होने के कारण दोषी को सजा नहीं मिल पाती है। इस बारे में कोई कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो करनी चाहिये। भ्रष्टाचार

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

निरोधक विभाग में जब कभी भी किसी को रैड हैन्ड पकड़ना होता है तो उस समय यह कहा जाता है कि पहले आप वहां जाइये। समय निर्धारित करते हैं और फिर उस दिन एन्टी करप्शन के अधिकारी आते हैं। और दूसरे दिन, दो दिन का समय लगा देते हैं उसके कारण व्यवस्था बिगड़ जाती है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि जब भी सूचना दी जाय या इस प्रकार का केस पकड़वाने की बात कही जाय तो उसी समय, तत्काल रंगे हाथ पकड़े जाने की कार्यवाही की जानी चाहिये, इसमें विलंब होता है तो केस पकड़े नहीं जाते हैं। अगर भ्रष्टाचार को बन्द करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ईमानदार और चरित्रवान होने चाहिये जिसके कारण जनता को विश्वास हो कि ए. सी. डी. में जाने के बाद वास्तव में दोषी को सजा मिल सकेगी। माननीय सभापति महोदय, ये जो छोटी-छोटी शिकायतें, है तो गंभीर, जैसे गरीब आदमी की रिपोर्ट दर्ज न करना, समय पर जांच न करना, हत्या हो जाय, चोरी हो जाय तो उससे साधन मांगना, यह ऐसे मामले हैं, जिनकी कि वास्तविकता कहनी नहीं चाहिये। पुलिस का कोई थानेदार है जब तक उसको चीज उपलब्ध नहीं करायेंगे, जांच नहीं होगी तो जिसके यहां हत्या हो जाती है वह कहां से साधन लायेगा ? ऐसे मामले में सतर्कता बरती जानी चाहिये।

सभापति महोदय, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं जिला स्तर पर बल्कि पुलिस स्टेशन स्तर पर भी आप किसी प्रकार की समिति बनायें और वह ऐसे मामलों में जो शिकायतें आती हैं, उनकी जांच करें। उच्चाधिकारी व जन प्रतिनिधि को जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर इस प्रकार की सतर्कता समितियां बनानी चाहिये और सतर्कता समितियां इस सन्दर्भ में प्राप्त शिकायतों का निपटारा करें। उनको ऐसे अधिकार होने चाहिये कि पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में सरकार को समय-समय पर अवगत करा सकें यह मेरा सुझाव है। शिकायतों के निपटारे के लिये यह आवश्यक है कि पुलिस स्टेशन स्तर पर और वहां संभव नहीं हो तो जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया जाय। जय हिन्द।

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : आदरणीय सभापति महोदय, जैसा कि आपने इसी आसन से थोड़ी देर पहले कहा था कि आज का विषय बड़ा गंभीर है, इसको मखौल में नहीं उड़ाया जाय। मैं समझती हूं कि जहां तक विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य हैं उन्होंने यथासंभव अपने सुझाव इस सदन में पेश किये इसके साथ ही सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने पेश किये। लेकिन बार बार इस सदन के इजहार के बाद मुख्य मंत्री जी इस सदन में नहीं पधारे तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सेंसटिव विषय के रूप में लिया ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : काफी देर हो गई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किसको सुनायें हाले दिल बेकरार का।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, महिला सदस्य बोल रही हैं। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप उन्हें बोलने दीजिये।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं गुस्ताखी की माफी चाहती हूं, इस सदन में कहना चाहूंगी, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने समाचार पत्रों के माध्यम से इस विषय की सेंसटिवनेस को पेश किया है, वे चैंबर में बैठे हुए वैसा जवाब तो तैयार नहीं कर रहे हैं कि ये क्राइम, ये जुर्म, यह पुलिस महकमा आदिकाल से ही चला आ रहा है, चलता रहेगा, कोई सरकार सुधार नहीं सकती, यह मुझे भय है। साथ ही मैं माफी चाहते हुए निवेदन करूंगी कि इस विषय की गहनता को देखते हुए उन्हें आना चाहिये और माननीय सदस्यों ने अमूल्य सुझाव पेश किये हैं उनसे फायदा लेते हुए यथासंभव सुधार करने चाहिये। सभापति महोदय, आपने मेरे साथ जो रियायत की, मुझे पूरा ध्यान है, आपकी रियायत का नाजायज फायदा न उठाते हुए, आसन के साथ पूरी रियायत करूंगी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं अपने भाषण को चन्द लाइनों में पेश कर दूंगी। मैं समझती हूं गृह मंत्री महोदय मेरी चन्द लाइनों में सार, मूल को लेंगे तो सुविधा होगी और उसको समझते हुए जब अपना जवाब पेश करेंगे तो जरूर ध्यान में रखेंगे। सभापति महोदय, एक शायर ने……

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : उस शायर ने पुलिस महकमे और जो सरकार है उसकी अयोग्यता है, उस पर बड़ा गहरा व्यंग्य करते हुए उन्होंने लिखा है—

एक औरत, कुछ सिपाही, सिसकियां
अब यही है हर सुबह की सुर्खियां

चश्मदीदों की जुबां खामोश है
और गवाही दे रही है लाठियां

कि नंगे जिस्म के चारों तरफ
टोपियों से भिड़ रही है टोपियां

तिलमिला कर रह गये हैं झोंपड़े
दनदनाती घुस गई हैं वर्दियां

क्या अजब माहौल हो गया है इस मुल्क का
आदमी पर बैठ गई हैं कुर्सियां

सभापति महोदय, मैंने तो आपसे पहले ही निवेदन किया था। आपने बड़ी गंभीरता से कहा कि सबजेक्ट बड़ा सेंसटिव है लेकिन ट्रेजरी बेंचेज के माननीय सदस्य इसको कितनी गहनता से और सेंसटिवनेस से लेते हैं, इस पर मुझे तो पहले ही शक था और इसका इजहार मैंने पहले ही पेश कर दिया। इतना गहरा व्यंग्य किया है और आप हंस रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आपस में बातें न करें, माननीय सदस्य।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय सदस्य जो वैर से जीत कर आये हैं, माननीय विरोधी दल के नेता जब अपना भाषण कर रहे थे उन्होंने एतराज उठाते हुए कहा था कि जनता पार्टी का शासन इस व्यवस्था को 100 साल पीछे ले गया। मुझे यह सुन कर खुशी हुई कभी-कभी ऐसी बात होती है, माननी सभापति महोदय, नकारते हुए भी सत्य अपने आप मुंह से निकल जाता है। मुझे खुशी

Page No. 218

(२१८)

(सुश्री पुष्पा जैन)

हुई, मैं तो बहुत छोटी हूं, 100 साल पहले इस मुल्क में व्यवस्था कैसी रही होगी, वह शायद मंत्री महोदय बद्री प्रसाद जी बता सकेंगे या कोई बुजुर्गवार जो इस सदन में....

(व्यवधान)

आज इस माहौल पर, कानून और व्यवस्था के माहौल पर जो कुछ सुनते हैं उससे निश्चित रूप से अहसास होता है, यकीन होता है कि 100 साल पहले जो भी व्यवस्था रही होगी वह व्यवस्था आज की व्यवस्था से लाख दर्जे बेहतर होगी। अगर जनता पार्टी इसे 100 साल पीछे ले गई तो गुनाह नहीं किया, बेहतर किया लेकिन अब तीन महीनों में ही ऐसी स्थिति पैदा कर दी, इस सदन में आपके बारे में क्या कहा जा रहा है......

(व्यवधान)

इन्हीं चन्द जज्बातों के साथ जो पुलिस महकमें में सुधार हेतु अमूल्य सुझाव आये हैं। चाहे इस पक्ष के सदस्यों ने दिये चाहे उस पक्ष के सदस्यों ने दिये हों वास्तव में, निश्चित रूप से पुलिस के आफिसर्स बड़े अयोग्य हैं और काम सुचारु रूप से नहीं करते हैं, यह तो हम सोचते हैं लेकिन पुलिस को योग्यता दिखाने के साधन कितने देते हैं मैं इस पर बार-बार इजहार करना नहीं चाहती। विरोधी पक्ष के माननीय नेताओं ने इस पर विस्तृत रूप से विचार व्यक्त कर दिये। मैं उन्हीं का हवाला देते हुए निवेदन करना चाहती हूं कि यदि पुलिस को योग्य बनाना है तो निश्चित रूप से योग्य बनाने के लिये सुविधा देने पर विचार करना पड़ेगा। इसी बात के साथ, माननीय सभापति महोदय, आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हुए अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री **सभापति** : श्री अमीन खां।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : सभापति महोदय, अभी भी मुख्य मंत्री नहीं आए हैं।

श्री **सभापति** : आज आपको मुख्य मंत्री की बड़ी याद आ रही है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री अमीन खां।

श्री **दाऊदयाल जोशी** : हमको यह सन्तोष था......

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री **अमीन खां**। आर्डर प्लीज।

श्री **अमीन खां** : **सभापति** महोदय, मैं पुलिस विभाग पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। पुलिस विभाग के अन्दर ....

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : श्री बिहारीलाल जी, स्थान ग्रहण करें।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष के प्राधिकार की उपेक्षा करने वाले सदस्य का निलम्बन

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

जब आसन से किसी का नाम लिया जाता है, जब सदन में किसी सदस्य को नाम से पुकारा जाता है आसन द्वारा तो आसन का यह दायित्व हो जाता है कि वह उसको सस्पेन्ड करें .....

श्री सभापति : यह नहीं है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अमीन खां।

श्री बिहारी लाल पारीक : सज्जनता पर तो कुछ बख्शो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान) नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 292 की तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति : पढ़िए।

श्री भंवरलाल शर्मा : "The Speaker may, if he deems it necessary name a member who disregards the authority of the Chair or abuses the rules of the House by persistently and willfully obstructing the business thereof...."

श्री सभापति : He is not obstructing. There is no point of order Please sit down.

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे इसको पढ़ने दीजिये। May I Complete ?

श्री सभापति : I have gone through this rule. He is not obstructing.

आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : I may prevail upon you, Sir. Let me finish

"(2) If a member is so named by the Speaker, he shall forthwith put the question that the member (naming him) be suspended from the service of the House for a period not exceeding the remainder of the session."

अभी आपने जिन एक माननीय मैम्बर का नाम लिया। वे खड़े थे। आपने कहा, माननीय सदस्य, बैठ जाइये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री देवेन्द्र सिंह : It was just by chance that he got up.

श्री सभापति : आसन से व्यवस्था होगी, माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम गोटेवाला : चतुर्वेदी जी; आप क्यों परेशान हो रहे हो ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। व्यवस्था आसन को देनी है।

श्री देवेन्द्र सिंह : आपने कहा है :

"Persistently". He never did it persistently.

श्री सभापति : व्यवस्था मुझे को देनी है। आप स्थान ग्रहण करें।

Page No. 220

(220)

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, आपने उनको संकेत किया, आपने माननीय सदस्य को एक बार, दो बार, तीन बार कहा कि आप बैठ जायं। लेकिन आपको बाद में उनका नाम लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपने उनको नाम से संबोधित किया......

श्री सभापति : आप अपने पाइन्ट ऑफ आर्डर को जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने उनका नाम लिया है। नाम पुकारने के बाद इसका विकल्प 292 के सब रूल (2) में है

"If a member is so named...."

The name has been taken आपने नाम लिया "....he shall forthwith put the question "shall" है word,

"that the member be suspended from the service of the House....

अब कोई आप्शन नहीं है। अब आप उन्हें निलम्बित करें।

"....for a period not exceeding the remainder of the session"

अब इसमें इतना ही है कि आप कुछ समय के लिए सस्पैन्ड कर दें या रिमेनिंग सेशन के लिए करें।

श्री सभापति : Kindly take your seat. आप इसकी भावना को, रूल 292 को समझने में असमर्थ रहे हैं। आपके पाइन्ट आफ आर्डर में कोई सार नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप जनता सरकार के वरिष्ठ पुराने मंत्री हैं, साथ में आप वकील भी हैं, आप इस नियम का पुनः अध्ययन कीजिये। इसकी डिटेल में जाकर मैं सदन का समय ा नहीं करूंगा। श्री अमीन खां।

मांग संख्या 16 पर विचार

श्री अमीन खां : सभापति महोदय, पुलिस की मांग पर मैंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं उन पर मेरे विचार आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं, सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पुलिस विभाग की चर्चा बड़े-बड़े विद्वानों ने, साथियों ने, बुजुर्गों ने की है जिसमें मेरे जैसे अनपढ़ आदमी की समझ में यह आया है कि जिस समाज, जिस राजनैतिक दल में चाहे कितनी कमियां रही हों, चाहे कुछ शख्श में ऐब रहे हों, वह किसी को स्वीकार नहीं है। दूसरे ..दल की या किसी अधिकारी की बदनामी करके समाज में अपने आपको नेक साबित करना यह इन्सानियत नहीं है। हर आदमी में ऐब है और हर राजनैतिक दल में ऐब है। कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं चाहता है कि हमारा देश में नाम ऊंचा नहीं हो। सभी चाहते हैं कि हम नेक हों, समाज नेक हो। मगर यह बदनामी सभी पार्टियों में होती है और होती रहेगी। इसके कारण हमारे जैसे आदमी के यह समझ में आया है कि आज समाज में कोई सज्जन नहीं है, जिसकी राष्ट्र के प्रति वफादारी नहीं है, अपनी खुद की वफादारी के कारण हर समय जैसी ताकत होती है, उस ताकत के साथ वह घुस जाता है और उसके घुसने के कारण सारे राष्ट्र और समाज की बदनामी होती है। अभी विरोधी दल के नेता ने कहा और उनके सदस्य कहते हैं कि ये सारे बलात्कार के मामले कांग्रेस सरकार की वजह से हुए हैं। यह

(श्री अमीन-खां)

सरासर झूठे है। कोई भी सरकार या नेता इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे वह बलात्कार का मामला हो, चोरी का मामला हो। मगर जो लोग ऐसे कुकर्म करते हैं, जिनकी आदत है ऐसे कुकर्मों के करने की और व ऐसे कुकर्म करके जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। ऐसी बुरी हरकतों को रोकने में अपने सब एक होकर, राजनैतिक पार्टियों से अलग रहकर समाज और देश को इस बुराई से बचाने में शामिल हो तो देश को बदनामी से बचा सकते हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि अखबारों में इसका शोर करके, चाहे आमने-सामने भाषण करके एक दूसरे को नेक और बदनाम करने की कोशिश करें, यह कुरीतियां जारी रहेंगी। बाकी रहा सवाल इन कुरीतियों पर काबू पाने का तो मेरा ख्याल है कि इन पर आप सख्ती करें सख्ती की पावर सरकार के हाथ में है। वह बूझ करने की बात है। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। इमरजेंसी के अन्दर बड़े बड़े गुण्डों को, बदमाशों को बंद कर दिया गया था। वह दिखाई नहीं देते थे या उस वक्त गुण्डा, बदमाश लोग नहीं थे? क्या सभी लोग नेक बन गये थे। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने तो यह खुले आम ऐलान कर दिया था कि हिन्दुस्तान में किसी भी आदमी को भय नहीं रखना चाहिये। तो हिन्दुस्तान में डकैत, चोर, गुण्डे, स्मगलर सभी निर्भय हो गये। किसी देश का प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री अपनी जुबान से ऐसा ऐलान करे तो यह बुरी बात है। ऐलान यह होना चाहिये कि किसी भी गरीब मजदूर, अधिकारी और नेक इन्सान को अपने नेकी के रास्ते पर चलने से घबराना नहीं चाहिये और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी। जो चोरी करे, डकैती करें, बदमाशी की हरकतें करे उसको भी ऐलान का फायदा मिल जाए, चाहे वह किसी पार्टी का नेता, मुख्य मंत्री हो, वह इस देश के प्रान्त के हित में हो, किसी पार्टी विशेष का न हो, उसका ऐलान देश की जनता के हित में होना चाहिये। जैसा यहां हमारे क्षेत्र के बारे में कहता हूं, जैसा भाई कम्युनिस्ट के सदस्य ने कहा है, बिल्कुल सही है। कांग्रेस की सरकार ने, पुरानी कांग्रेस की सरकार ने बड़े-बड़े पुलिस अधिकारियों को वास्तव में प्रोत्साहन दिया और उनके कारनामे गरीब जनता के हित में नहीं रहे हैं और वास्तव में बड़े-बड़े पुलिस के ईमानदार अधिकारी थे, उनको पीछे रखकर भ्रष्ट अधिकारियों को आगे रखा था। अभी बाड़मेर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक के डीवाई. एस. पी. हैं, वह बाड़मेर के स्थानीय निवासी हैं, हमने देखा है, उस आदमी ने अपने खुद के बच्चों, अपने खुद के भाई जो पुलिस अफसर हैं, अपने भाई जो रेवेन्यू इन्सपेक्टर हैं, नाम सीलिंग की जमीन एक पंचायत के अन्दर सारी की सारी अलाट कराई। क्या ऐसा शख्स भ्रष्टाचार पर पाबन्दी कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। हालांकि उस आदमी ने कपड़े ऐसे पहने हुए है, हर इन्सान से सीधे सादे पेश होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी वह आदमी इतना ईमानदार है, मेरे ख्याल से उस जैसा भ्रष्ट और नीच नहीं है। 4500 बीघा जमीन, एक डीवाई. एस. पी. एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट के जो है, उसके अपने परिवार को जमीन अलाट करा सकते हैं, और जनता और ईमादार कर्मचारी को सब पकड़ते हैं। भ्रष्ट को कोई नहीं पकड़ता। अलवर में उस पीरियड में, जनता शासन में

(श्री अमीन खां)

डीवाई. एस. पी. को लगाया था, दो सरपंच पकड़े। इसके सिवाय बाड़मेर में कोई भी भ्रष्ट आदमी नहीं पकड़े। इस तरह के सरकारी अधिकारी पुलिस में बैठे हैं। वह लोकल, ऐसे डिस्ट्रिक्ट और गांवों में रखे जाते हैं, उनके रिश्तेदार पुलिस में अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। तो सही बात है, गरीब मजदूर और छोटे आदमी को न्याय की उम्मीद कतई नहीं है। मिसाल के तौर पर बाड़मेर जिले में हमने अक्सर देखा है, जितने पुलिस के अफसर आते हैं, सारे के सारे एक के संबंधी हैं। पुलिस में सिपाही की भर्ती होती है, चाहे कोई जाय, गरीब सीमित परिवार के हैं। हजारों लाखों, की तादाद में वहां के लोग हैं, लेकिन एस. पी., डी. आई. जी. किसी वर्ग के हैं, उनके सिवाय पुलिस अधिकारी कोई नहीं है। आजकल के जमाने में रिजर्व सीट होने के कारण, मजबूरन किसी एस. सी., एस. टी. की भर्ती हुई हो तो भले ही हो, वरना दूसरे आदमी को कान्स्टेबल का स्थान नहीं है। जब तक इस तरह से भारत का जो विधान है, उसमें सबको समान इज्जत दी जाती है, उस इज्जत के अनुसार चाहे कांस्टेबल हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, सबको लेने के लिये निगाह नहीं रखी जायगी तो शासन की तरफ से जो यह अन्याय आज तक रहा है वह फिर रहेगा। एक बात में इस पुलिस महकमे में जनता पार्टी की जो काबलियत रही है, उसकी तारीफ करूंगा। बाड़मेर जिले में पुलिस महकमे में हमेशा इस तरह से रहा है, मुसलमानों का कोई आदमी हो, जिसकी समाज में अच्छी जान-पहचान हो, लोगों से जान-पहचान हो, चाहे उस आदमी पर कोई भी कलंक नहीं हो, मगर कांग्रेस की सरकार के जमाने में भारत के आम मुसलमान और सारी दुनिया के मुसलमान समझते हैं, हिन्दुस्तान में नेहरू परिवार जैसा धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखने वाला परिवार कोई नहीं है और भारत के प्रधान मंत्री एक काबिल मुसलमान को लेकर मानते हैं नेहरू परिवार का सेक्यूलरिज्म में इरादा पक्का है और उसके इस इरादे को पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर उसके इरादे को बदनाम करने के लिये पिछली दो सरकार कांग्रेस की चली आ रही हैं, उस बाड़मेर जिले में पुलिस और आर. ए. सी. के जरिये मुसलमानों से ज्यादती की भैरोंसिह का मुसलमानों को भय था, उस वक्त नहीं था, यह बात सच है। बाड़मेर में इन्ट्रोगेशन में प्रधान सरपंच चाहे कोई भी हो मुसलमानों को बिना वजह परेशान नहीं किया। जनता पार्टी की हुकूमत आई। हम लोगों में ज्यादा भय था, पता नहीं क्या हो, मगर मौजूद नहीं है, मैं तत्कालीन मुख्य मंत्री, को धन्यवाद देना चाहता हूं, उस दलित तरीके को खतम किया, चाहे वह हमारी पार्टी के नहीं हो। हमारी जाति के मुख्य मंत्री भी हुए, उस वक्त जितने अन्याय हुए, सुखाड़िया के वक्त में नहीं हुए, बरकत साहब थे, हरिदेव जोशी के वक्त में कुछ कमी जरूर आई, मगर भैरोंसिह ने दलित तरीके को बन्द किया और मुसलमानों को थोड़ा बहुत सबूत दिया, हमको कांग्रेस वाले उकसा रहे हैं जनसंघ वालों के खिलाफ, मगर हम खिलाफत नहीं करेंगे। कुछ भी हो, अपना सेक्यूलरिज्म का स्टेट हो वह जनसंघ का नहीं है, जनसंघ को सारी दुनिया में साम्प्रदायिक संस्था मानते हैं, कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जिसमें दुनिया विश्वास रखती है। उसके नेता और उसके

Page No. 223

223

(श्री अमीन खां)

पिता भारत के प्रधान मंत्री रहे। सारे संसार को बताया सेक्युलरिज्म है। मगर उनको बदनाम करने के लिये कांग्रेस के अन्दर जनसंघ माइन्डेड आदमियों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेक्युलरिज्म को नहीं आने दिया। आज बाड़मेर के अन्दर 12 पर्सेन्ट हैं और एक कान्स्टेबल, जीरो पर्सेन्ट भी हमारे सिपाही नहीं हैं।

मैंने खुद ने कई बार कोशिश की है एक सिपाही मोमडन्स भर्ती कर दें। हां कर देते हैं। पुलिस लाइन ले जाते हैं। पाव इंच सीना कम है। चौथे दिन जावाब देते हैं, आपका आदमी रख लेते, पाव इंच सीना कम है। सारे आदमी जानते हैं तो इसलिये मेरा निवेदन है कि यह आपस में झगड़े गरीब तबके के, किसी जाति के हों, उनको, समान इज्जत रखने के लिये, उनकी सुरक्षा करने के लिये, चाहे अधिकारी मत बनाओ लेकिन पुलिस में हर जाति के आदमी बराबर पर्सेन्टेज के हिसाब से हों।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

और बाड़मेर, जैसलमेर में जो पुलिस स्टेशन हैं, वह ऐसी जगह है, जहां चोरी, डकैती होती है, जिस जगह सड़कों का अभाव है। पाकिस्तान और भारत के डकैत आपस में मिलकर रहते हैं और इस एरिये में छुप कर रहते हैं। पुलिस के ईमानदार अधिकारी एक दिन पीछा करने में कामयाब नहीं होते हैं। इसलिये उस क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जाना चाहिये। वहां पुलिस स्टेशन हैं, बोर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं वहां स्पेशल तौर पर फोर्स बढ़ायी जानी चाहिये। रिटायर्ड मिलट्री मेन वहां कम से कम 40 पर्सेन्ट भर्ती होने चाहियें। उनमें ज्यादा अनुशासन की भावना रहती है डकैतों का पीछा करने में ज्यादा ताकत रहेगी। मेरी मान्यता है कि सिपाही और हैड कान्स्टेबल लोग होते हैं, उनकी तनख्वाह कम है, उनकी तनख्वाह बढ़ायी जानी चाहिये मेरी राय में आई. पी. एस. और आर. पी. एस. अधिकारी को छोड़कर उसके नीचे के जितने पुलिस अधिकारी हैं, उनका प्रमोशन कान्स्टेबल से होना चाहिये। डायरेक्ट अपाईन्टमेंट नहीं होना चाहिये। डायरेक्ट अपाइन्टमेंट होने से थानेदार, डीवाई. एस. पी. जितने नीचे वाले कर्मचारी होते हैं, उनमें असंतोष रहता है। यह दो बड़ी महत्वपूर्ण पोस्टें पर डायरेक्ट सिलेक्शन होना चाहिये। सीआई., डीवाई. एस. पी. हैड कान्स्टेबल का प्रमोशन कान्स्टेबिल से होना चाहिये। हैड कान्स्टेबल और कान्स्टेबल की तनख्वाह आज की हालत में बढ़ा देनी चाहिये और बोर्डर पर उस एरिया में वायरलैस सेट थानों में नहीं हैं, टेलीफोन भी इने-गिने थानों में हैं, उसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

डकैतों से मिलकर जो चोरियां करते हैं, वह खतम करने की व्यवस्था होनी चाहिये। यह मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। इतना कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री लच्छूराम जी।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री लच्छुराम (मण्डावा) : सभापति महोदय, लोगों ने पुलिस डिमाण्ड पर अपने अपने विचार रखें। मैं भी अपने कुछ विचार रखूंगा। कांग्रेस के समय में जो ज्यादतियां हुई, उनके बारे में भी लोगों ने कहा है ढाई साल में जनता शासन में जो ज्यदातियां हुई हैं, उनके बारें में भी लोगों ने कहा है। पुलिस एक ऐसा महकमा है, जिसकी जितनी ज्यादा गहराई में जाओगे, उसकी उतनी ही कमियां ज्यादा नजर आयेंगी। जनता शासन में पुलिस ने कितने अत्याचार किये। कितने केसेज हुए। उनमें न जाकर विधान सभा भंग होने के बाद में हमारे यहां पुलिस ने किस प्रकार से निष्क्रियता से काम किया है, उसके दो चार उदाहरण आपके सामन रखूंगा। पहले यह जनता शासन में आरोप लगाया जाता है। जनता शासन के राज में आते ही उन्होंने पुलिस में, अपने-अपने मोहरे फिट किये। कोई भी जिला ऐसा नहीं रहा जिसमें मोहरे फिट नहीं किये गये हों। राष्ट्रपति शासन के होते ही एस. पी. को बदल दिया गया। लेकिन दूसरी जो मशीनरी थी और पुलिस के अधिकारी, थे सब वैसे के वैसे ही रहे। झुंझुनूं जिले के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के लिए मैं बताना चाहता हूं। झुंझुनूं जिले के अन्दर यह सारा काण्ड हुआ। 30-6 को ग्राम मलसीसर में एक लड़की कुसुमलता का अपहरण किया गया। उस लड़की को उस गांव से लेकर कलकत्ता ले गये। वहां ले जाकर एक मछुए को, जिसका नाम उमा शंकर था, को कलकत्ते में उसको बेचा। यहां पर पुलिस में चौथे दिन रिपोर्ट कर दी गई। वहां के एस. पी. मदनलाल जी है। लोगों के कहने से लड़की को तलाश किया गया। कलकत्ते से लड़की को इलाहाबाद ले जाया गया। वहां पर सिविल मैरिज का ढोंग रचा गया। अदालत में लड़की को पेश किया गया। पेश करने के बाद पुलिस ने उसको छुड़वा दिया। अस्पताल में उसको तीन दिन रखा गया। दरख्वास्त दी गई लेकिन उसका सुपुर्दगी नामा नहीं दिया गया। उसके घर वालों को नहीं दिया गया, दूसरों के सुपुर्द कर दिया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह मछुआ पैसे वाला था। उसी के पक्ष में पुलिस ने यह सब किया। इसी प्रकार से परतापपुरा गांव में बनारसी नाम की लड़की, को ट्रक ड्राइवर दिल्ली ले गया। उसके गहने भी ले गये। घर वालों को उसका खाली सन्दूक मिला। वह मुसलमानी जाट तबके की थी। कहने का मतलब यह है कि जनता शासन के बाद भी इस प्रकार की बातें मौजूद हैं। जैसा कि जाहिर है, पुलिस का राजनीतिज्ञों के साथ सहयोग नहीं है। मुझे शक है, राज्य के ऑफिसर राज्य को कोआपरेट नहीं करते हैं। राज्य को सक्रिय करने के लिए कानून और व्यवस्था को बनाने के लिए सोचना पड़ेगा। जैसा कि अभी माननीय विरोधी दल के नेता ने उदाहरण दिया है। जितने भी ट्रांसफर करने हैं, उसके बारे में एक निश्चित नीति होनी चाहिए। जिले के लोग यह समझ बैठे हैं कि पता नहीं हमें कितने वक्त तक रहना है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को भी यह सुझाव दूंगा, अगर ऐसा नहीं किया गया तो अमन और व्यवस्था कायम होने वाली नहीं है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मुख्य मंत्री जी को, जिनके पास वित्त विभाग भी शामिल है, को निवेदन

(श्री लच्छूराम)
जो पहले मोहरे फिट किये गये हैं उनका आम जनता के लिहाज से जरूर सुधार किया जाये। ऐसा मेरा विश्वास है।

(व्यवधान)

पुलिस के बारे में लोगों में आम चर्चा है कि कुछ ही तबके के लोगों को भर्ती किया जाता है। एक ही वर्ग के लोगों को भर्ती किया जाता है। उन्हीं आदमियों की संख्या ज्यादा है। माननीय सदस्य जो उधर बैठने वाले हैं, उनको भी शिकायत है। जिस प्रकार से बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, पुलिस में अनुपात के हिसाब से भर्ति करनी चाहिये। लेकिन इस प्रकार का अभी तक नहीं हुआ है। इस गलती को सुधारने के लिए हिम्मत के साथ कदम उठाना पड़ेगा। यह मेरी ही बात नहीं है। पुलिस के ऊपर एक वर्ग की बहुत बड़ी मोनोपोली है। इस मोनोपोली को हटाने के लिए सरकार को बहुत कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। इस बारे में मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य दोपहर से सुझाव देते आ रहे हैं, उनमें कई महत्वपूर्ण सुझाव हैं। छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह कम है। मैं प्रार्थना करूंगा कि उस पर विचार किया जाएगा। पुलिस के जो बड़े ऑफिसर हैं, जिनके हाथ में पुलिस की कमाण्ड है, उनके लिये सहानुभूतिपूर्वक मुख्य मंत्री विचार करेंगे। इसके सुधार के लिए भी निश्चित रूप से विचार करेंगे, अगर कानून और व्यवस्था ठीक करनी है, राजस्थान में शान्ति और व्यवस्था करनी है। नकबुजनी और बलात्कार में सुधार करने के लिए इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री सभापति : श्री विष्णु बजारी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, माननीय खेतसिंह जी होकर आ गये। माननीय शान्ति पहाड़िया जी होकर आ गई। अभी तक मुख्य मंत्री जी नहीं आये?

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पुलिस विभाग की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि 1977 से पूर्व जिस समय हमारी कांग्रेस पार्टी का शासन था उस समय सारा देश उन्नति की तरफ बढ़ रहा था, सारे देश में उत्पादन में वृद्धि हो रही थी और जिस समय जनता पार्टी का शासन आया उस समय से उत्पादन के अन्दर दिन प्रतिदिन गिरावट आती गई लेकिन एक कार्य के अन्दर उन्होंने जबरदस्त तरक्की की और वह उन्नति की गुण्डागर्दी के अन्दर, जितने इनके गुण्डागर्दी के शागिर्द थे उनको बढ़ाने में इन्होंने उन्नति की और उनमें जो बढ़ोतरी हुई उसका फल हमको भुगतना पड़ रहा है। ढाई साल के अर्से के अन्दर इन्होंने इतने गुण्डे पैदा कर दिए कि आज जो बलात्कार हो रहे हैं, उसके लिये ये लोग विधान सभा का समय खराब कर रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के पैदा किए हुए गुण्डे हैं। मैं आदरणीय सभापति महोदय से निवेदन करूंगा जैसा कि अभी भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी ने बड़े सिद्धान्त और आदर्शों की बातें कही, मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि अगर इन्हीं सिद्धान्तों और आदर्शों की पालना

(226)

(श्री विष्णु प्रकाश बजारी)
आप अपने शासन काल में करते और चलते तो आज उनकी यह हालत नहीं होती और विरोधी पक्ष में बैठने की नौबत नहीं आती। इसके साथ ही ……

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उनके जमाने की बड़े आदर्शों की बात करते हैं कि कांग्रेस शासन में बलात्कार हो रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसा कि सभापति महोदय आपने आंकड़ें रखे थे, मैं निवेदन करूंगा कि जितने बलात्कार उनके जमाने में हुए उतने कांग्रेस के राज्य में नहीं हुए। जैसाकि थोड़ी देर पूर्व आपने आंकड़ें प्रस्तुत किए थे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, No interruption, please.

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : आदरणीय सभापति जी, इनके शासन काल के अन्दर जिस भारतवर्ष की पुलिस ने कभी आन्दोलन नहीं किया, इनके निकम्मेपन की वजह से आन्दोलन किया। उस आन्दोलन पर जब आर. ए. सी. और पी. ए. सी. काबू नहीं कर सकी तो मिलिट्री को भाग लेना पड़ा।

श्री दाऊदयाल जोशी: यह सही है कि हमारे कार्यकाल में आन्दोलन हुआ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

Not to be recorded.

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज, आखिर आप क्या चाहते है ? आप जारी रखिये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : आदरणीय सभापति महोदय, इनके शासन काल में पुलिस ने ही आन्दोलन नहीं किया, इनके शासन काल के अन्दर मजिस्ट्रेट तक ने आन्दोलन किया। शर्म की बात है, आज आदर्श की और उपदेश की बात करते है। ढाई वर्षों में शासन नहीं संभाल सके, जनता ने इनको पांच वर्ष के लिये भेजा था, आज आदर्श की बात करते है। कांग्रेस ने तीस वर्षों तक शासन किया है और अगले तीस वर्षों तक फिर शासन करेगी।

श्री सभापति: श्री हीरालाल आर्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य · · · · ·

(व्यवधान)

श्री हंसराज: पौने दस बजने जारहे है।

श्री सूरजपालसह: दो बजकर बीस मिनट तक आपके राज में बैठे रहे है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी: हमारे मुख्यमन्त्री जी यहां बैठे रहते थे और तुम्हारे मुख्य मन्त्री जी वहां बैठे हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आरम्भ करें, माननीय सदस्य।

×××सभापति महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हीरालाल आर्य: सभापति महोदय, पुलिस के महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा चल रही है, इतने महत्वपूर्ण विषय को सुनने के लिये सारा सदन इस बात की मांग कर रहा है कि मुख्य मंत्री जी यहां बिराजें।

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह: अपनी बात कहिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति: आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी: सूरजपालसिंहजी पर रहम करिये।

श्री सभापति: माननीय जोशीजी, आखिर आपके दल के लोग बोल रहे हैं, कुछ तो संयम बरतें कृपया।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री हीरालाल आर्य: मै यह निवेदन कर रहा था कि जब सारा सदन इस प्रकार की मांग कर रहा है कि मुख्य मन्त्री जी यहां विराजें और

(व्यवधान)

लेकिन पता नही, क्यों सदन में....

श्री सूरजपाल सिंह: आप डिमाण्ड पेश करिये अपनी।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी: जुखाम में मेंहदी लगाने से जुखाम मिट जाता है,

(व्यवधान)

श्री सभापति: आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: पांवों में मेंहदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है।

श्री हीरालाल आर्य: माननीय सभापति महोदय, कानून और व्यवस्था बनाये रखना किसी भी सरकार का मुख्य कार्य है। अमन चैन रहे, और कानून व व्यवस्था की स्थिति बनी रहे इसके लिये आवश्यक है कि पुलिस का कार्य अच्छा हो; उसका व्यवहार अच्छा हो और जनता को उस पर विश्वास हो। लेकिन हम देख रहे है कि जो स्थिति बनी है, उससे आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है, नागरिकों के मन में यह भावना बढ़ती जा रही है कि यह सरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने में असमर्थ रही है। आज प्रत्येक नागरिक इसबात को महसूस करता है, मैं आपके सामने इस प्रकार की व्यवस्था की चर्चा करूंगा। सभापति महोदय, आज जिस तरह से जुल्म बढ़ रहे है, चोरियां, हत्याएं, डाके और बलात्कार आदि के जो केस हो रहे है, उससे लगता है कि सरकार किस तरह की व्यवस्था यहां की जनता को देना नहीं चाहती है। आज जिस तरह की हत्याओं के केस हो रहे है और पुलिस का किसी को डर नहीं है मेरे इलाके इन्दरगढ़ में कुछ दिन पूर्व एक वृद्ध महिला की हत्या हो गयी। वृद्ध महिला अकेली रहती थी। कुछ तत्वों ने मिल कर रात्रि को उसके पीछे से शस्त्र से गर्दन में मारकर हत्या कर दी। उसकी रिपोर्ट वहां के निवासियों ने पुलिस में दर्ज कराई। लेकिन पुलिस अभी तक भी हत्यारों को पकड़ने में असमर्थ है। पुलिस की इस मामले में पता नहीं क्यों उदासीनता

(श्री हीरालाल आर्य)

है ? इस तरह के केसेज आज अखबारों में हम देखते हैं कि बलात्कार के मामले रोजाना आते हैं। कोई दिन होता, जिस दिन है बलात्कार के मामले नहीं होते लेकिन इस सरकार को पता नहीं क्यों इसके कानों में . . .

एक माननीय सदस्य : हत्यां, पकड़ में नहीं हैं . . .

श्री हीरालाल आर्य : क्यों कि इस सरकार को असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए जूं तक नहीं रेंग रही है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य : बलात्कार की घटनायें होते हुए भी इस सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। सरकार कोई स्टेटमेंट, इस बलात्कार को कम करने का, अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं दे रही है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि महिला समाज या महिलाओं का आदर करने वाले इस देश में सरकार के प्रति जनता का विचार बदल रहा है यह मुझे कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है। खास तौर से हरिजन महिलाओं के साथ . . .

श्रीमती शांती पहाड़िया : आपकी बात सुनने में दुःख होवे तो यह बात मत लाईये।

श्री हीरालाल आर्य : इस तरह से जो बलात्कार हुए है उनको डर लगे, उनके मन में भय हो, जब तक इस तरह की घटनाओं की चर्चा नहीं होगी, ऐसे तत्वों की पकड़ नहीं होगी तो यह मामले बढ़ते रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य : हमने उसको पकड़ा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें। कृपया आप जारी रखें, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : इस तरह के असामाजिक तत्वों द्वारा बलात्कार आये दिन हो रहे हैं। लेकिन पुलिस का भी हाथ होना आश्चर्य की बात है। जहां पर रक्षक ही भक्षक बने या जिससे शिकायत करें वह बलात्कार में शामिल हो जाये, इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है।

सभापति महोदय, कानून और व्यवस्था जिस तरह से बिगड़ रही है उसको यह सरकार यदि कन्ट्रोल नहीं करती है तो उसको अपने बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो जनता को दूसरा कोई स्टेप लेना पड़ेगा ताकि कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सरकार मजबूर होकर के कदम उठाये। सभापति महोदय, पुलिस का आज दृष्टिकोण जनता के मन में गंभीर बन गया है कि पुलिस भ्रष्टाचार का केन्द्र है। आज कोई घटना होती है, जिसके साथ घटना होती है जब वह पुलिस में रिपोर्ट करने जाता है तो वह आसानी से दर्ज नहीं होती। पुलिस के लोग घटना होने से पहले जांच पड़ताल करने लगते है कि इस मामले में कुछ मिलेगा या नहीं। बिना लिये तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। फिर पुलिस उसमें यह सोचती है कि किस पार्टी से पैसा वसूल किया जा सकता है इस प्रकार की पुलिस चिन्ता करती है। इस तरह

(श्री हीरालाल आर्य)

के केस जब पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, गरीब लोगों के पास पैसा होता नहीं है, गरीब लोगों के साथ घटना होती है तो वह रिपोर्ट दर्ज कराते है उनकी कोई शिकायत होती है तो दर्ज नहीं होती है।

पुलिस का इस तरह का मामला हमारे क्षेत्र में हुआ। उनाड़ा गला एक गांव है वहां एक गरीब बालक है। उसके मां-बाप का स्वर्गवास हुए बहुत दिन हो गये। वह बेचारा अपनी दुकान लगाता है। लेकिन कुछ लोगों ने उसका सामान दुकान में से बाहर फेंक दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। उसके पास पैसा नहीं था।

(व्यवधान)

श्री समापति: आडर प्लीज, माननीय सदस्य भाषा को सही रखें। माननीय सदस्य आप समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य: उसकी रिपोर्ट पर कार्यवाही इसलिए नहीं की क्योंकि उसके पास देने के लिए पैसा नहीं है। उस गरीब व्यक्ति ने, थाने में बार-बार निवेदन किया उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस तरह से पुलिस यह तलाश करती है कि कौन पैसा देगा? शरीफ और इज्जतवाले लोगों की पुलिस तलाश करती है। वह चाहती है कि इस तरह के लोग मिलें। वह उन्हें फंसाने का षडयंत्र रचती है।

मेरे क्षेत्र में इन्द्रगढ़ नाम का एक स्थान है। वहां का एक प्रसिद्ध नागरिक श्री प्रेम चन्द हरकारा है। उनके यहां पर कोई जेवर बेचकर गया। लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस के लोगों ने उसको बुलाया कि कोई व्यक्ति आपके यहां चांदी बेचकर गया है लेकिन उन्होंने कहा कि चांदी के जेवर बेचकर गया है। बाद में यह कहलवाया कि आधा किलो चांदी बेची। पुलिस ने उस व्यक्ति को मजबूर कर दिया कि वह आधा किलो चान्दी की करदनी दे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए उसको देनी पड़ी। सभापति महोदय जब कि वह रिपोर्ट झूठी थी, उस व्यक्ति को पुलिस स्वयं की इज्जत एवं धनवान लोगों को फंसाने के लिए लाई थी। शरीफ और इज्जत वाले लोगों को फंसाने के लिए पुलिस प्रयत्न करती है। इस तरह के मामले मेरे क्षेत्र में हुए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य: मैं कुछ संक्षिप्त सुझाव और देना चाहता हूं। इस बात को सब कहते है कि पुलिस भ्रष्टाचार का केन्द्र बना है। पुलिस के लोग गरीबों की सुनवाई नहीं करते लेकिन इस बात को कोई नहीं सोचता कि पुलिस के लोगों को रिश्वत लेने या भ्रष्टाचार करने के लिये कौन-सी चीज बाध्य करती है। सभापति महोदय, खास तौर से सिपाही जिनको कम वेतन मिलता है, उसके बच्चे होते है, उनका भी परिवार होता है। उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, परिवार के दूसरा खर्चा करने के लिये उनको अच्छा पैसा देने की आवश्यकता है, वे कम वेतन

(श्री हीरालाल आर्य)

पाने वाले सिपाही मजबूर होकर इस तरह के कार्य करते हैं जिससे कि वह पैसा इकट्ठा कर सकें। इसलिये पुलिस के सिपाही का वेतन बढाया जाए ताकि वह भ्रष्टाचार न करें।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

दूसरा मेरा सुझाव है थानों में जो सिपाहियों की संख्या है वह कम है, कुछ सिपाही छुट्टी पर रहते हैं कुछ पेशियां कराने जाते हैं कोई घटना होती है तो पर्याप्त पुलिस के जवान पहुंच नहीं पाते। इस लिए मेरा दूसरा सझाव है कि थानों में सिपाहियों की संख्या बढ़ाई जाए। तीसरा मेरा सुझाव है कि फौजदारी घटनायें इस तरह की होती हैं जहां पर पुलिस को जल्दी पहुंच कर कार्यवाही करनी पड़ती है लेकिन थाने में साधन नहीं होते हैं, कहीं डकैती पड़ती है पुलिस को जाना जरूरी है, थानेदार तलाश करता है साधन की कि कहीं से मोटर साईकल मिल जाए तब तक तो डाका पड़ गया होगा।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य: इसलिए पुलिस को जल्दी कार्यवाही करने के लिये प्रत्येक थाने पर जीप की व्यवस्था करायें। मेरा चौथा सुझाव है · · ·

श्री सभापति: मेरा सुझाव है कि आप समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : मेरा सुझाव है कि पुलिस का जो सिपाही है, उसकी बुरी हालत है, बड़े अधिकारियों के पास सिपाही गुलाम की तरह काम करता है। मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह गरीब सिपाही दास की तरह काम करता है, उनकी औरतों के कपड़े साफ करता है, वर्तन साफ करता है, इस तरह की दासिता से उसको मुक्ति दिलायें · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक सुझाव और। हमारे यहां जो थाना है 20-25 किलोमीटर दूर है, बहुत से गांव पड़ते हैं। अब 20-25 मील दूर थाने पर जाने में कितनी दिक्कत है? अयाना केन्द्र में एक स्थान है, वहां पुलिस का थाना हो और कमलेश्वर एक धार्मिक स्थान है वहां मेला लगता है वहां पुलिस की चौकी हो। मांग रोल थाने की बिल्डिंग बहुत पुरानी है. वहां पर नई बिल्डिंग बने · · · ·

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य : यहां थाना बीच बाजार में है, कोई घटना होते ही बाजार में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पुलिस उन पर चार्ज लगाती है कि थाना घेरलिया पिछले दिनों इस प्रकार 18 कार्यकर्ताओं को फंसा दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह थाना बाहर ले जाया जाय और बिल्डिंग भी बनाई जाय।

श्री सभापति : मुख्य मंत्री।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री सभापति : what is your point of order ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब अध्यक्ष आसन पर विराज रहे थे और आप आसन पर विराज रहे थे, उसके बाद हमने बार-बार परम्पराओं और आसन की व्यवस्थाओं की ओर आसन का ध्यान आकर्षित किया था और आसन ने भी · · · ·

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

आसन ने भी बार-बार यह व्यवस्था दी थी कि इस प्रकार की सदन में चर्चा हो रही है मांगों पर, तो प्रभारी मंत्री उपस्थित रहें और मुख्य मंत्री, जिसके पास गृह विभाग है, को सदन में रहना चाहिए था। लेकिन सदन की भावनाओं की अवमानना करके, सदन की बातों को ध्यान में न रखते हुए, मुख्य मंत्री ने सदन का अपमान किया है। दूसरा, मुख्य मंत्री से · · ·

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो भाषण हो गया।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य को अपनी बात पूरी करने दी जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बार बार आसन द्वारा व्यवस्था दिए जाने के बावजूद और भी माननीय सदस्यों के आग्रह के बावजूद जिस प्रकार से सदन की भावनाओं का अपमान किया है, अवहेलना की है, इस प्रकार अवमानना करना और अनादर करना कितना उचित है ? मुख्य मंत्री ने सदन की अवहेलना की है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह प्रश्न पहले भी दो तीन बार उठाया जा चुका है और आपने कहा "सब माननीय सदस्य", सब नहीं, चंद माननीय सदस्य। मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि उस रूलिंग में भी यह अध्यक्ष ने स्वयं पढा कि "जहां तक संभव हो," इसका अर्थ यह नहीं कि हर समय वह यहां मौजूद रहें। हमने पहले भी कहा कि मुख्य मंत्री डिमाण्ड्स पर विचार विमर्श करके, समय पर यहां उपस्थित होकर आपको जवाब देंगे। आप मेहरबानी करके शांतिपूर्वक जवाब सुनें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आज आपसे भी निवेदन किया था, ट्रेजरी बैंचेज व माननीय मुख्य सचेतक से भी निवेदन किया था, और इसलिए समय इतना आगे बढ़ाया था कि पुलिस की ग्रांट पर सब लोगों को बोलने का अवसर मिलेगा, अभी भी बहुत लोग बाकी हैं। माननीय मुख्य मंत्री आते, कई लोग बोलने वाले थे, उनके विचार सुनते। यह संभव नहीं हुआ, कोई बात नहीं लेकिन जो लोग बचे हैं मुख्य मंत्री ने केवल एक माननीय सदस्य को सुना। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि जो और सदस्य बचे हैं उनको अवसर दिया जाए वे बोलें ताकि कुछ मार्ग दर्शन प्रभारी मंत्री का हो जाय उनको जवाब देने में दिशा निर्देशन हो इसलिए जो माननीय सदस्य बाकी बचे हैं उनको मौका दिया जाए····

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह : मुख्य मंत्री ने चैम्बर में सबको सुना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। एक माननीय सदस्य श्री घनश्याम तिवाड़ी ने व्यवस्था के नाम पर कुछ आपत्ति की, मुख्य मंत्री बार बार सदस्यों की आपत्ति के बावजूद उपस्थित नहीं हुए। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि व्यवस्था के प्रश्न की परिभाषा में, आपने जो आपत्ति की है, वह नहीं आता है इसलिए मैं इसको रूल आउट करता हूं।

दूसरा प्रश्न माननीय चतुर्वेदी ने उठाया है, उस पर मेरा नम्र निवेदन है कि आज क्योंकि गृह विभाग पर चर्चा हो रही थी, काफी विस्तार से चर्चा हुई और सर्वाधिक माननीय सदस्यों ने वाद विवाद में हिस्सा लिया है। मैं समझता हूं, अब 11 बज चुके हैं और कोई भी बात ऐसी किसी के मन में कहने की रह गई हो मैं नहीं मानता। बहुत विस्तृत चर्चा हुई है और मैं उचित समझता हूं कि अब वाद विवाद इस हद तक हो गया है कि समाप्त किया जाए। अब अन्य माननीय सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेंगे और मुख्य मंत्री इसका उत्तर देंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरा आपसे निवेदन है कि बीच बीच में आपसे आग्रह होता रहा कि प्रभारी मंत्री गृह मंत्री याने मुख्य मंत्री यहां उपस्थित रहें, उन्होंने इस बात को कभी आवश्यक नहीं समझा···

श्री श्रीराम गोटेवाला : चतुर्वेदी बड़ी देर से तड़प रहे हैं मुख्य मंत्री का दर्शन करने के लिए।

(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, थोड़ी सदन की गरिमा का तो ख्याल रखा करें। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य का व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यहां पर मांगों पर बहस हो रही थी तो मुख्य मंत्रीजी उस वक्त इस तरह इशारा कर रहे थे। यह हमको गवारा नहीं होगा। इस पर आप व्यवस्था करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह गलत है मुख्य मंत्रीजी ने कोई इशारा नहीं किया।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने देखा है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह गूजर : आपके क्या भैरोंसिंह जी की आखें है? आप क्या भैरोंसिंह जी के चश्मों से देख रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें। मुख्य मंत्री जी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो निवेदन किया था उस पर कम से कम व्यवस्था तो आप मुझे बता दें। मैंने कोई गलत बात कही क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप डिबेट में इस तरह से बाधा उपस्थित नहीं कर सकते हैं। अगर आप डिबेट रोकना चाहते हैं तो इसके लिए एक ही तरीका है कि व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाय।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने निवेदन किया था, वह गलत था क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था के प्रश्न के अलावा कोई माध्यम नहीं, इस प्रकार की चर्चा या वाद विवाद नहीं किया जाता। आप स्थान ग्रहण करें। यह मेरी व्यवस्था है।

श्री देवीसिंह भाटी : यह आपकी व्यवस्था नहीं है, यह अव्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें। मुख्य मंत्रीजी बोलेंगे।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह से लगभग 35 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया उनका मैं आभारी हूं क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव भी दिये हालांकि अधिकांश माननीय सदस्य जिनमें हमारे विरोधी दल के नेता और दूसरी पार्टियों के नेता हैं, ने केवल आलोचना ही करना उचित समझा।

मुझे इस बात का बहुत दुःख है कि मैं आज पूरे समय तक सदन में उपस्थित नहीं रह सका क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब-जब भी सदन में चर्चा होती है बराबर हाजिर रहता हूं। मुझे क्षमा करेंगे, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करता, पर जो सदस्य सरकार की आलोचना कर रहे थे वह उठकर चले गये, वह अभी हाजिर नहीं हैं, उनसे भी कहता हूं, कुछ माननीय सदस्य यहां बैठे हैं मैं उनसे भी कहता हूं कि माननीय सदस्य परम्परा सिखाना चाहें, मुझे क्षमा करें, परम्परा सिखाने का काम मेरे ख्याल से, अध्यक्ष महोदय, आपको ही है। और कोई मैं उम्र में छोटा हो सकता हूं, हालांकि मुझे विधान सभा का सदस्य होने का मौका नहीं मिला लेकिन मुझे संसद के दोनों सदनों का सदस्य रहने का सौभाग्य मिला है। श्रीमन्, यह परम्परा नहीं है कि माननीय सदस्य अपनी बात कह कर चले जाएं और मेरा जवाब सुनने को हाजिर नहीं रहें। यह कौनसी परम्परा है कि आप अपनी बात कह कर चल दें और सरकार की तरफ से उत्तर सुनने का इन्तजार नहीं करें।

श्रीमन्, विरोधी दल के नेता ने यह बात कही, अपना भाषण समाप्त करने के पश्चात् वह हर बार अपना किस तरह से प्रचार करवा पायेंगे इस दृष्टिकोण से कहते हैं। उन्होंने भाषण के समय नहीं कहा, मैं सुन रहा था उस वक्त, बाद में जब उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया तो यह कहा कि सदन में मुख्य मंत्री जी क्यों नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, अगर वे होते तो मैं उनसे पूछता इस बात की सलाह वह खुद लेते जब वह खुद मुख्य मंत्री थे तो ज्यादा अच्छा होता। मैं तो, श्रीमन्, हवाई जहाज से

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

साढ़े नौ बजे आया और यहां आकर अपने चेम्बर में बैठ गया। मैंने पूरी कोशिश की कि सारे दिन यहां पर रहता पर मुझे इतना तेज बुखार और जुखाम था कि मैं बैठ नहीं सकता था। मैं यह भी नहीं चाहता था कि जिस प्रकार यहां पर सदन में भैरोंसिंह जी काम्युनल इन्फैक्शन फैलाने की कोशिश कर रहे थे अपने भाषण में, मैं किसी प्रकार बीमारी यहां फैलाता। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को आदर की दृष्टि से देखता हूं, सभी मेरे लिए प्यारे हैं क्योंकि लाखों राजस्थान वासियों द्वारा वह चुन कर आते हैं। इसलिए मैंने ठीक समझा कि अपना पूरा चैक अप कराऊं और दवा लेकर ठीक होकर बाद में इस सदन में आऊं। सदन के सभी माननीय सदस्य समझदार हैं, मैं नही चाहता कि अपनी बीमारी दूसरों तक पहुंचायी जावे। जिस प्रकार का काम्युनल इन्फैक्शन यहां पर विरोधी दल के नेता ने फैलाने की कोशिश की उनसे मैं उम्मीद ऐसी भी नहीं करता था।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कई बातें यहां पर कही। बातें ऐसी थी जो हंसी मजाक की हो सकती हैं पर कई बातें ऐसी हैं जिनको हमें गहराई से लेना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारे देश की परिस्थिति जो है हमारा मुल्क आज जिस परिस्थिति से गुजर रहा है शायद पहली बार ही हो, क्योंकि श्रीमन् हम विकास की ओर तेज गति से चल पड़े हैं जब कि अन्य सारे दुनिया भर के देश भारतवर्ष के ऊपर इस दृष्टि से देख रहे हैं कि अगर यह देश आगे बढ़ गया तो यह दुनिया की एक नयी शक्ति के रूप में उभर कर ऊपर आयेगा। श्रीमन्, यह जरूर उभर के आयेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। हमारा देश और उसके साथ-साथ हमारा राजस्थान भी विकास की गति पर तेजी से चल रहा है। विरोधी दल के नेता और विरोधी दल राजस्थान के विकास को रोक नहीं सकते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन सभी बातों को हमें बहुत ही गहराई के साथ सोचना पड़ेगा। यहां पर चर्चा हो रही थी मुझे इस बात का बहुत दुःख है कि मैं सदन में उस चर्चा के समय हाजिर नहीं हो सकता लेकिन मैं क्या करता, पिछले चार दिनों से लगातार मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं चैम्बर में बैठा बैठा सुन रहा था। श्रीमन् मुझे इस बात का भी दुःख है। श्रीमन् हमारे राजस्थान का यह सौभाग्य है और सारे देश के लिये सौभाग्य है कि जहां इस देश के अन्दर जब बहुत सारी साम्प्रदायिक ताकतें सर उठा रही हैं, हमारे पड़ौसी प्रान्तों में मध्यप्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं, इन साम्प्रदायिक दंगों में किसका हाथ हो सकता है किसका हाथ नहीं हो सकता है इसकी चर्चा में यहां पर इस मौके पर जाना नहीं चाहूंगा पर वहां हमारा प्यारा राजस्थान शान्ति के साथ सौहार्द-पूर्ण वातावरण में अपने विकास के कामों में आगे बढ़ रहा है।

श्रीमन्, मैं, राजस्थान के सभी वासियों को बधाई देता हूं और अपनी तरफ से सभी को मुबारकबाद देता हूं और आशा करके चलता हूं कि यहां पर यह सौहार्दपूर्ण वातावरण बढ़ता रहेगा। हमारे देश में रहने वाले, इस प्रान्त में रहने वाले, राजस्थान

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

में रहने वाले लोग चाहे वह हिन्दू हों चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हों, चाहे किसी भी सम्प्रदाय के मानने वाले हों, वह सभी हमारे देश के नागरिक हैं, यहां के रहने वाले हैं और यहां के वासी हैं। श्रीमन्, हम सभी यहां पर रहने वाले सुख-शान्ति और प्रेम का वातावरण बनाये रखें। श्रीमन्, मैं आशा करता हूं और मुझे आशा है कि इस सौहार्दपूर्ण वातावरण में बढ़ोतरी होगी। हमारे राजस्थान में सभी प्रकार की काम्युनल हार्मोनी रहेगी, हमारे देश में काम्युनल हार्मोनी रहेगी ऐसी मैं आशा करके चलता हूं। विरोधी दल में बैठते हुए इस प्रकार के जो काम्युनल इन्फेक्शन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वह नहीं करें, न कोई चर्चा ही, इस बारे में करें। भैरोंसिह कह सकते हैं और वह अपनी सफाई देंगे, श्रीमन्, किसी न किसी मौके पर किसी रेफरेन्स के तरीके से कहेंगे जरूर क्योंकि हमारे राजस्थान में शान्ति और चैन है विशेष तौर से साम्प्रदायिक मामलों में कह सकता हूं कि हमारे यहां पर शान्ति है, सौहार्दपूर्ण वातावरण है, यह हमारा सौभाग्य है, ऐसी मैं आशा करके चलता हूं।

श्रीमन्, एक बात उन्होंने और कही, अगर वह होते तो अच्छा रहता। मैं आशा करके चलता हूं कि वह पढ़ लेंगे और अपनी माननीय पार्टी के सदस्यों को भी पढ़वा देंगे। हमने कभी आर. एस. एस. के बारे में चर्चा भी नहीं की उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिक मामलों में आर. एस. एस. का नाम ले लिया जाता है। मुझे नहीं मालूम आर. एस. एस. का प्रचार भैरोंसिह जी कर रहे हैं वह इसके पक्ष में कर रहे हैं या विपक्ष में कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनका तालमेल आर. एस. एस. के साथ बैठ नहीं रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि भैरोंसिह जी खुद आर. एस. एस. को बदनाम करने के लिए उस पर साम्प्रदायिक होने का आरोप लगा रहे हैं। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा प्रार्थना करना चाहूंगा उनसे कि यह उनकी पार्टी का मामला है, झगड़ा आपस का है और वह आपस में ही तय कर लें आर. एस. एस. में कितना काम्युनल है, काम्युनल साम्प्रदायिक दंगे कराता है या नहीं, यह भैरोंसिह जी अलग से तय कर लिया करें और यहां सदन में उसकी चर्चा नहीं करें तो उनके लिए उचित रहेगा। मैं जानता हूं आर. एस. एस. के साथ तालमेल नहीं बैठेगा क्योंकि इसकी चर्चा बाहर भी हो जाती है और यहां भी हो जाती है और इस प्रकार के प्रश्न हैं जो सर उठाने लगते हैं।

श्रीमन्, अन्य बातों के साथ कई माननीय सदस्यों ने बहुत सारे सुझाव दिये एक बात की चर्चा बहुत की कि सरकार को जनमानस में विश्वास जमाना चाहिए और इस बात की चर्चा करते समय कई बार पुलिस द्वारा कई कार्यवाहियों में देरी की चर्चा की गयी। और देरी की जाती है तो अविश्वास हो जाता है। मैं मानता हूं। अपराध चाहे कोई भी हो, लूट का हो, डकैती का हो, चोरी का हो, कत्ल का हो और चाहे बलात्कार का हो, मैं समझता हूं कि तुरन्त उसमें कार्यवाही की जानी चाहिए। जो अपराधी पकड़ा जाता है कानून में उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे क्षमा करें विरोधी दल के

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

माननीय सदस्य, ऐसी कार्यवाही करने के लिए हम तत्पर हैं, सरकार जागरूक है। हमारे पुलिस वाले भाइयों से चाहे आफिसर हो या कर्मचारी हो, मैंने आने से पहले ही, बीच में कह दिया था उनको बुलाकर कि अकर्मण्यता, आलस्य, भ्रष्टाचार, बेईमानी नहीं चल पाएगी। मुस्तैदी के साथ काम करना पड़ेगा और ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। जो भाई अपराधी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी और जिनको राहत मिलनी चाहिए उनको राहत भी देनी पड़ेगी। इसलिए मामलों में जितनी जल्दी कार्यवाही हो जाय यह बात उतनी ही ठीक रहेगी। यह भी सही है कि विश्वास जमता है इस बात से पुलिस के काम का और सरकार का भी, लेकिन, श्रीमन्, एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दबाजी में और किसी गलत आदमी को पकड़ लिया जाए तब भी अविश्वास सरकार के प्रति हो जाता है, पुलिस के प्रति हो जाता है। इसलिए पुलिस वालों को इस बात की सतर्कता भी बरतनी चाहिये कि कोई गलत आदमी नहीं पकड़ा जाये, निरपराध न पकड़ा जाए और ऐसा आदमी जिसका उस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है वह बेकसूर न मारा जाए। इसलिए ऐतिहात बरतना पड़ता है। अगर बेकसूर को सजा दी गयी तो उससे भी अविश्वास हो जाता है। इसलिए दोनों बातों का ध्यान रखकर चलना पड़ेगा कि जल्दी कार्यवाही की जाए और उसके साथ ही साथ बेकसूर को भी सजा नहीं मिले।

श्रीमन्, एक बात की और चर्चा माननीय सदस्यों ने की कि पुलिस में बड़ी अनसर्टेन्टी है। मुझे ऐसा लगता है, श्रीमन्, पुलिस के कर्मचारी और आफिसरों में कोई अनसर्टेन्टी नहीं है। शायद भैरोंसिंह जी अपनी रीति नीति की बात कर रहे होंगे या उनके जमाने में जो अनसर्टेन्टी थी लोगों के दिमाग में उसी की चर्चा कर रहे थे। मैं आशा करके चलता हूं कि हर चीज को वह अपने नुक्ते नजर से नहीं देखेंगे। हमको क्या करना है यह हम जानते हैं और उनको क्या करना चाहिए था उसको वह जानते हैं। यदि आवश्यक होगा तो उनसे सलाह भी लेंगे। सलाह वह बराबर देते ही रहते हैं हम च हे या न चाहें......

श्री रामरघुनाथ चौधरी : Unwanted.

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : कई बार वान्टेड भी हो जाती है। कई माननीय सदस्य अच्छे सुझाव भी देते हैं और जो अच्छे सुझाव देते हैं मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस पर हम कार्यवाही करेंगे चाहे विरोधी दल की तरफ से अच्छे सुझाव आयें तो भी लेकिन उनकी तो आदत पड़ गयी है कि हर बात को किसी न किसी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर इस ढंग से कहा जाए कि जिससे सदन के ही नहीं सारे देश के लोग गुमराह हो जाएं। यह अनसर्टेन्टी उनके कहने से पैदा नहीं होने वाली है। मैं मानता हूं कि उनको मौका मिला था और वह चाहते तो सर्टेन्टी पैदा कर सकते थे। अब तो उनको कोई मौका मिलने वाला नहीं है..

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आप भूल जाइये। याद मत करिए।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इसलिए वह हमको सलाह देते रहते हैं । मैं इतना ही कह सकता हूं कि पुलिस में कोई अनसर्टेन्टी नहीं है । जहां तक हमारी रीति नीति का सवाल है वह बहुत स्पष्ट है। जब तक अनटिल अदरवाइज कोई आफिसर या कर्मचारी प्रूव नहीं हो जाये हम हर एक को ईमानदार मानते हैं और उसको काम करने का मौका देना चाहते हैं लेकिन, श्रीमन्, एडमिनिस्ट्रेशन के पाइन्ट आफ व्यू से कइयों के तबादले भी करने पड़ते हैं । अब कब हम तबादले करें, कैसे तबादले करें यह काम तो मेरे ख्याल से सरकार पर ही छोड़ देना चाहिए । हां, कुछ मामले ऐसे हैं जिनके बारे में उनसे भी सलाह ले सकते हैं लेकिन सलाह तो मैं केवल अपने अधिकारियों से लेता हूं और किस का कहां तबादला करना चाहिए यह फैसला तो हम खुद ही करते हैं । कई बार शिकायतें भी आती हैं लेकिन शिकायतों के आधार पर ही सारी कार्यवाही करें तो गलत हो जाता है । शिकायतें कई बार गलत निकल जाती हैं इसलिए मेरे स्टेटमेन्ट की आवश्यकता पुलिस वालों को तो नहीं है क्योंकि उनके दिमाग में कोई अनसर्टेन्टी नहीं है। अगर उनके दिमाग में अनसर्टेन्टी है, तो उनको कहना चाहता हूं कि कोई हारी-बीमारी किसी की है, किसी की बहिन बेटी के शादी विवाह का मामला है, तो तबादला करने की बात सोची जा सकती है। आम तौर से सरकार की नीति है कि हम कोई नाहक राजनैतिक आधार पर कभी तबादले करना नहीं चाहते । जहां आवश्यक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पाइन्ट आफ व्यू से तबादले किए जाते हैं, किए जाते रहे हैं और आगे भी होंगे लेकिन इसके लिए अनसर्टेन्टी का सवाल किसी के दिमाग में नहीं रहना चाहिए ।

एक बात उन्होंने बहुत मजे की कहीं, श्रीमन्, मुझे मालूम नहीं, ठीक तरह से सुनी नहीं होगी और वह मेरी पत्नी के बारे में कही । शायद उन्होंने मजाक में ही कही होगी । उन्होंने कहा कि आपके पति के पास रिपोर्ट पड़ी है और आपको मालूम ही नहीं है। श्रीमन्, मैंने गोपनीयता की कसम खाई है और वह भी ईश्वर को साक्षी करके । वह संविधान की एक धारा है । मैं कोई गोपनीय बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताऊंगा । यह काम मेरा है । माननीय भैरोंसिहजी, मुझे मालूम नहीं, श्रीमती भैरोंसिहजी से क्या कभी राज्य के मामलों में सलाह लेते थे । क्या बताते थे, मुझे तो मालूम नहीं लेकिन ऐसा लगता है कि किसी न किसी को तो वह जरूर बताते होंगे । और किसी को नहीं बताते होंगे तो उनके कई नजदीक के व्यक्ति हो सकते हैं जिनको वह बात बताया करते थे जिससे कि उनका प्रचार बहुत जोरों से हो जाए। क्योंकि उनका काम तो प्रचार करने का था, काम नहीं करना था । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी हो, पत्नी हो, भाई हो, मैं कभी गोपनीय बातें सरकार की किसी को नहीं बताऊंगा, न बताई है और न आगे बताने वाला हूं । वह सदन की सदस्या जरूर हैं लेकिन मैं सरकार की कोई भी फाइल उनको नहीं बता सकता हूं । जो निर्णय मुझे करना होता है वह मैं अपने सहयोगियों और आफिस में पूछकर ही करता हूं और करना भी चाहिए ।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

श्रीमन्, अखबारों में छपने वाले समाचारों की चर्चा भी यहां बहुत जोरों से हुई। हमारे मुख्य सचेतक महोदय को कहा। कुछ अखबारों के बारे में कह सकता हूं कि वह चाहे हमारे पक्ष में या विपक्ष में हों, समाचार सही छापते हैं या नहीं, श्रीमन्, जो हमारे विपक्ष में बोलते हैं हम उनको ज्यादा ही लिफ्ट मारते हैं, हो सकता है हमारी कई गलतियां हों और हो सकता है कोई समाचार हमारे नोटिस में नहीं आया हो और कभी कार्यवाही हमको करनी है तो करनी ही चाहिए। इसको हम बहुत बुरा नहीं मानते हैं। जो माननीय सदस्य यहां बिराजमान हैं उनको विश्वास दिला सकता हूं कि भविष्य में भी संकोच मत करना कि हम आपकी बात का कोई बुरा मानेंगे। मैं यकीन दिलाता हूं कि जो सूचना आप देंगे उसकी पूरी जांच-पड़ताल जरूर करेंगे और अगर उसको सही पाया गया तो उस पर कार्यवाही भी करेंगे। इसलिए हमारे सभी अखबार वाले खास तौर से मित्र हैं— "निन्दक नियरे राखिय, आंगन कुटि छवाये" वाली कहावत है। वह हमको सतर्क करते हैं। हम शायद इतनी सतर्कता नहीं बरतते या हमारे मित्र, हमारे साथी मित्रता नहीं बरतते, इसलिए भैरोंसिहजी के कितने मित्र हैं, यह उनको फैसला करना है, उनको निश्चय करना है।

श्रीमान्, एक बात राजनैतिक दखल की और कही गयी कि तबादलों की प्रक्रिया में राजनैतिक दखल होता है। मैं यह बात इसलिये कहना चाहता हूं श्रीमान्, सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है। आज नहीं कांग्रेस की नीति पहले से रही है। राजनीति, राजनीति के हिसाब से चली है सरकार में राजनैतिक दखल जितना आवश्यक है उतना तो दखल देना ही पड़ेगा, उसको छुपाना नहीं चाहता। तबादलों के अन्दर हमारी कोई राजनीति नहीं चलती है, उनकी राजनीति जितनी चली है उनको पता है। राजनैतिक बातों का दखल पैदा नहीं होता है। आज तक न कोई राजनैतिक दखल किया गया है, न देने दिया जायगा लेकिन राजनैतिक पार्टी का यदि कोई सुझाव कोई अच्छा होगा, जैसा मैंने निवेदन किया, हम स्वागत करेंगे और यथासंभव हल किया जायेगा।

अब, श्रीमान्, बातें बहुत सारी कहने को हैं। सब जब तक नहीं कहूंगा, जिनको सुनाना चाहता हूं वह तो चले गये। उनको सुनाने के लिए नहीं, सारे राजस्थान के हित के लिये हम क्या बातें करें, वह चर्चा करना उचित समझता हूं।

यहां जो बातें की, डकैती और चोरियों की, श्रीमान्, यह बात किसी हद तक सही हो सकती है कि अपराधों में कमी आई हो, कुछ अपराध ज्यादा हुए हों लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो 32 महीने का जो जनता पार्टी का शासन था उसकी तुलना कांग्रेस के पिछले शासन से करूं, मुझे तो अभी 32 महीने हुए नहीं। आंकड़ों के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासन काल के 32 महीनों के अन्दर जहां कुल 1 लाख 36 हजार, 204 अपराध पंजीकृत हुए थे वहां

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

जनता पार्टी के शासन काल में 32 महीनों में 1 लाख, 68 हजार, 652 अपराध पंजीकृत हुए अर्थात् 32, 448 अपराध इन 32 महीनों के दौरान जनता पार्टी के राज में ज्यादा हुए। आंकड़ों के जाल में फंसना नहीं चाहता। जितने अपराध कांग्रेस के राज में पंजीकृत हुए, नहीं होने चाहिये। हमारी कोशिश यही होगी अगर हो सके, कोई अपराध हो ही नहीं लेकिन अगर हो भी तो ऐसा नहीं हो पायेगा कि पंजीकृत नहीं करें, चालान नहीं करें। इसलिये तुलनात्मक दृष्टि से निवेदन कर रहा हूं। जनता पार्टी के शासन काल में विभिन्न अपराधों की पर्सेन्टेज इस प्रकार है।

डकैती	11	पर्सेन्ट
हिंसा	16.4	पर्सेन्ट
कत्ल	40.8	पर्सेन्ट
बलवे	15	पर्सेन्ट
चोरी	34.8	पर्सेन्ट
दूसरे अपराध	32.9	पर्सेन्ट

उनके पीरियड में अपराध अनुपात में ही है। माहवारी तुलना भी करें तो उसका औसत भी 4 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा है। माहवारी औसत कांग्रेस के राज में 4256 थी। जनता पार्टी के राज में माहवारी औसत 5271 था। इसका मतलब यह कि 1 हजार से भी ज्यादा अपराध उनके राज में ज्यादा होते थे। 32 महीने की तुलना क्यों की जाय? राष्ट्रपति का शासन हुआ उसकी तुलना में भी निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन में और राष्ट्रपति के शासन में, राष्ट्रपति के शासन में मार्च, 80 से जुलाई, 80 तक 5 महीने में 3653 अपराध पंजीकृत हुए और जनता पार्टी के राज में अक्टूबर, 79 से फरवरी, 80 तक 3744 अपराध पंजीकृत हुए थे। इसके मायने क्या हुए? जनता पार्टी के राज के अन्दर इस बीच अपराधों की संख्या ज्यादा थी। मुझे आये दो महीने हुए, अगर दो महीने की तुलना की जाय। जून, 80 में डकैती के अपराध में वर्ष 79 के माह जून, की तुलना में 47 पर्सेन्ट की कमी आई एवं वर्ष 78 के माह जून से 10 पर्सेन्ट की कमी आई। इस प्रकार लूट के अपराध में जून, 80 में वर्ष 79 के माह जून, की तुलना में 23.5 पर्सेन्ट और जून 78 की तुलना में 36.6 पर्सेन्ट की कमी आई है। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि दो महीनों के अन्दर कितने अपराध हुए थे और हमारे इन दो महीनों में उसके मुकाबले कितने कम हुए। श्रीमान्, माहवारी और रोजाना के अपराधों की तुलना नहीं करना चाहता। अपराध घटते बढ़ते रहते हैं। जैसा मैंने निवेदन किया, हम कोशिश करेंगे अपराध हो ही नहीं, हो तो इतने कम हों, किसी से तुलना नहीं हो सके।

श्रीमान्, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। यहां पर अपराध हों, इसकी संख्या बढ़े या घटे एक भी अपराध होता है, जोरो के साथ कहा जाता है। श्रीमान्, सन्तोष के साथ नहीं कह रहा हूं, मुझे सन्तोष नहीं। मैं चाहता हूं कि व्यवस्था ऐसी हो जाये कि अपराध हो ही नहीं। निश्चित रूप से अपराधों की संख्या कम हुई है। जून-जुलाई, 80 में पिछले वर्ष के दो माह से तुलना की जाये

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

तो 79 जून, जुलाई में पंजीकृत 880 थे जब कि इस जून, जुलाई के महीने में 818 हैं। 880 के मुकाबले 818 हैं। डकैती 79 में इन्हीं दो महीने के अन्दर 3 हुई जब कि इस वर्ष इन दो महीनों में कोई नहीं हुई। पिछले वर्ष इन दो महीनों में कत्ल 7 हुए थे जब कि इन दो महीनों में 6 हुए। इसका बहुत दुःख है। कोशिश करेंगे आगे नहीं हों। बलवे 84 के मुकाबले अब 77 हुए। इस तरह के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि चाहे कांग्रेस का पुराना शासन ले लिया जाय, राष्ट्रपति शासन से आज तक की तुलना कर लें, दो महीनों की तुलना कर लें, निश्चित रूप से अपराध कम हुए हैं। श्रीमान्, इसको अलग-अलग महीनों के अन्दर मार्क करना पड़ेगा और इसीलिये मैंने एक छोटा-सा तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने पेश किया है। डकैती की चर्चा मैंने आपके सामने की। मैं सूचना के तौर पर कह रहा हूं कि कुख्यात डाकू इस बीच मारे गये। कई मुठभेड़ें हुईं, पुलिस के साथ मुकाबला किया। मैंने उन पुलिस कर्मचारियों को, जिन्होंने बहादुरी दिखाई, बधाई देना चाहता हूं। इस प्रकार की बहादुरी बराबर दिखाते रहेंगे। श्रीमान्, डकैती की वारदातें, खास तौर से भरतपुर, सवाई माधोपुर और अलवर का एक छोटा-सा हिस्सा है जिसमें हर समय बढ़ती चली जा रही थीं। उसका एक कारण अन्दाजा यह लगाया गया था कि यू. पी. के अन्दर इन्टेन्सिव मूवमेंट चलाया, एन्टी डेकायटी का जिससे राजस्थान की सीमा भी प्रभावित हुई। समाचार यह भी मिले हैं कि यू. पी. में भी इस प्रकार की कार्यवाही की गई है। हमने भी इसको इन्टेंसिफाई किया है और एक सलाह आई है कि यू. पी. राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें मिल कर इस प्रकार का प्रयास करें कि डकैतियां रुक सकें। इन तीनों जगहों के पुलिस जनरलों और आई. जी. की कान्फ्रेन्स हुई है और उसमें जो निर्णय लिये गये है, उसके हिसाब से कार्यवाही की जायगी। उसकी विस्तृत जानकारी पेश करने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमान्, बलात्कार के मामलों को ठीक उसी प्रकार से बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है जैसे सदन में मेरे नहीं आने पर कहा गया, कितनी गंभीरता थी उनको मेरे सदन में आने की लेकिन मेरे आते ही वे चले गये इसलिये मैं कह सकता हूं उनकी कोई सद्भावना नहीं थी, उनको कोई प्रेम नहीं है, उनको कोई आदर और सम्मान मां और बहिनों के लिये नहीं है। वे अपनी मां-बहिनों की इज्जत के लिये किसी प्रकार की सद्भावना नहीं रखते हैं। कहीं पर गुण्डे और असामाजिक तत्व हो सकते है, उनकी इज्जत को लूटते हों लेकिन मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कोई भी हमारी मां-बहिनों की इज्जत के साथ न खेले, यह खेल बहुत बुरा है और उनको बहुत मंहगा पड़ेगा। मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता हूं लेकिन अगर एक भी मां बहिन के साथ बलात्कार हो जाता है और उसकी इज्जत लूटी जाती है, उसका जीवन बरबाद हो जाता है तो जैसा मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कोई घटना हमारे नोटिस में लाई जायेगी तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

श्रीमान्, आपको याद होगा इस मामले में 4-5 केसेज ऐसे हैं जो हमारे नोटिस में लाये । उन पुलिस कर्मचारियों को, जिन्होंने ऐसी वारदातें की हैं, सस्पेन्ड किया गया है । श्रीमन्, यह बात सही है कि अगर सही पाई गई तो उनको सजा दी जायेगी । लेकिन इन मामलों को बहुत उछालना और तूल देना, मैं कह सकता हूं यह राजनीति का खेल है । यह बताया गया कि ऐसी कौनसी एजेन्सी है तो बहुत खुले तौर पर कहना चाहता हूं यह एजेन्सी है भारतीय जनता पार्टी । यह जान बूझकर खेल रहे हैं और एक प्रचार का माध्यम बना रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपको बुरा क्यों लगा ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हमारी मां और बहिनों की अस्मत के साथ खेलें यह हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे । वे माताएं और बहिनें इस देश की हैं और इस देश की संस्कृति का अंग हैं, वे अपनी लाज को बचाना चाहती हैं और उन्हें पूरी सुरक्षा दी जायेगी ।

श्रीमन्, उन्होंने एक बात का आरोप और लगाया कि पुलिस कर्मचारियों को हिदायतें दी गई कि ऐसे केसेज को रजिस्टर न करें । ये तो अपने पापों का भण्डाफोड़ अपने आप कर रहे हैं । मैंने इस बात की हिदायतें की है कि एक भी केस अगर रजिस्टर नहीं हुआ तो उस पुलिस आफिसर के साथ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस बात की राजनीति मैंने देखी है । पंजीकृत न होने के आधार पर मैं किसी पुलिस आफिसर को सजा देने वाला नहीं हूं । अगर सजा मिलेगी तो इस बात की कि कार्यवाही की या नहीं की । अपराध होते हैं वे पंजीकृत होने ही चाहिये । मैं कसूरवार नहीं मानता हूं लेकिन साथ में जिन्होंने अच्छा काम किया है तो जो कानून के तहत दे सकते हैं, उनको पुरस्कार भी देंगे ।

मैं आशा करता हूं आगे इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि हमारी मां-बहिनों के साथ न खेला जाये । श्रीमन्, मैं एक तुलनात्मक अध्ययन रखना चाहूंगा । सन् 77 में बलात्कार के केसेज की संख्या 219 थी । सन् 78 में 318 और सन् 79 में 202—इस प्रकार के आंकड़े हैं । जिनको यदि देखा जाये तो उनके जमाने में अपराधों की संख्या और बलात्कार की संख्या ज्यादा है । इस मामले में संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी नहीं हुई । कभी पहले माइक नहीं तोड़ा गया, कभी सत्याग्रह नहीं किया गया क्योंकि उनको हमदर्दी नहीं थी । आंकड़े बताते हैं उस समय ज्यादा अपराध होते थे । जहां तक रेप केसेज के मामले हैं, श्रीमन्, मैं दो महीने का तुलनात्मक अध्ययन करता हूं और देखता हूं कि कुल मिलाकर 32 मामले लाये गये जिनमें 6 मामले झूठे पाये गये, 20 मामलों में तत्काल कार्यवाही कर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और अन्य मामलों में मुलजिमों को गिरफ्तार करने

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

की कार्यवाही जारी है । श्रीमन्, सरकार सोई हुई नहीं है, सरकार सजग है और मैंने निवेदन किया और कोई भी बात ध्यान में लाई जायेगी तो भी पीछे हम नहीं रहेंगे लेकिन बेगुनाहों को पकड़ना या उनके खिलाफ कार्यवाही करना अच्छी बात नहीं होगी ।

श्रीमन्, डकैतियों की, चोरियों की और मर्डर आदि की चर्चा भी हुई । मैं नहीं कहना चाहता कि आंकड़ों के जाल में फंसाकर सदन का समय लूं । मैंने इन बातों की जांच पड़ताल की है और एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया है जो इन सब मामलों पर, सब पहलुओं पर गंभीरता से ध्यान देगी और कोई इम्प्रूवमेंट करेगी जिससे अपराध न बढ़े । मैं नहीं कहना चाहता हूं उन बातों को कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ अपराध भी बढ़ते हैं, मैं नहीं कहना चाहता अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अपराध बढ़े हैं लेकिन इससे किसी को सन्तोष नहीं होगा, मुझे भी सन्तोष नहीं होगा और हम नहीं चाहते हैं इन बातों का मुकाबला करना है । हमें अपराधों का मुकाबला करना चाहिये । श्रीमान्, हम इस बात का एतिहात बरतेंगे कि सारा देश, सारा प्रान्त मिल जुल कर साथ रहें और असामाजिक तत्वों को किसी प्रकार बढ़ावा न मिले । अगर कोई गुण्डा-गर्दी करता है तो उसको सजा मिले । मैं चाहता हूं उन सब बातों से भी काम नहीं चलेगा । हमारे पुलिस ऑफिसर बहुत कठिन स्थितियों में काम करते हैं । मैं नहीं कहना चाहता हूं कि कोई पुलिस आफिसर भ्रष्ट नहीं है और सभी मुस्तैदी से काम नहीं करते हैं। हो सकता है, ऐसे एलीमेन्टस हों लेकिन सबको बेईमान बताना ठीक नहीं है। सबको अकर्मण्य बताना ठीक नहीं होगा । हो सकता है पुलिस में भी ऐसे तत्व हों लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं अगर ऐसे तत्व हमारे नोटिस में आते हैं तो उनके लिये कार्यवाही करने का प्रावधान है-कार्यवाही की गई है और की जायेगी लेकिन जब तक पकड़ कर साबित न करें तब तक सजा नहीं देना चाहता हूं ।

कुल मिलाकर राजस्थान की पुलिस अच्छी है और हम आशा करके चलते हैं इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है और वह सुधार भी करेंगे और एक आदर्श रखेंगे । जो गड़बड़ियां करते हैं, उनको ठीक करेंगे। हम इस बात की भी हिदायत कर रहे हैं कि पीरियोडिकल मीटिंग करें-डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर, और राज्य स्तर पर । बहुत जल्दी ही एक मीटिंग मैं राजस्थान में बुलाने वाला हूं और उसमें हम यह देखेंगे कि कहां उनको कठिनाई आ रही है। कुछ कठिनाइयां हमारे ध्यान में ला दी गई हैं जिनको सरकार को दूर करना चाहिये, हम उनको राहत देंगे और उनके लिये काम करेंगे । इस दृष्टि से मैं आपकी सेवा में अर्ज कर रहा हूं, श्रीमन्, पुलिस वेलफेयर फन्ड के लिये मैं आपके सामने पांच लाख का प्रस्ताव कर रहा हूं । श्रीमन, इस पांच लाख के अलावा पुलिस कर्मचारियों के मैस अलाउन्स में 10) रु० की वृद्धि की है । श्रीमन्, यह 10) रु. माहवार की वृद्धि होम गार्ड और जनरल पुलिस पर भी लागू होगी ।

श्रीमन्, हमारे इलाके बहुत लम्बे-चौड़े हैं । विस्तार इतना है कि ठीक से इन्तजाम नहीं कर पाते हैं । इसलिये स्थानीय

Page No. 243

(243)

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

थाने और बनाये जायं। इसलिए श्रीमान्, हमने इस बात का फैसला किया है कि 6 पुलिस थानों की, नये थानों की स्थापना हम करेंगे, 2 नयी पुलिस चौकियां और कायम करेंगे और 3 एडीशनल एस. पी. की पोस्ट बढ़ाकर एडीशनल एस. पी. को बड़े जिलों में पोस्ट करेंगे और, श्रीमन्, इसी हिसाब से ट्रेन्ड हम और कायम करते जा रहे हैं जिसका हैडक्वार्टर एक का भरतपुर में होगा और दूसरे का अजमेर में होगा।

श्रीमन्, अपराध अपराधी करके भाग जाता है, अपराधी के पास बहुत तीव्र गति के साधन होते हैं, वाहन होते हैं। इस बात की आवश्यकता बहुत दिन से महसूस की जा रही थी, उनको तेज गति के वाहन मिलने चाहिए। हमने इस बात का फैसला किया है कि सभी थानों को हम धीरे धीरे करके जीप प्रोवाइड करेंगे। शुरुआत करने के लिये इस साल 20 थानों को जीप देने की व्यवस्था हम करेंगे।

श्रीमन्, माननीय कुछ सदस्यों को जानकारी होगी इस बात की, कुछ को नहीं होगी। इस पांच साल के अन्दर एक करोड़ रुपये का प्रावधान, जो फाइनेन्स कमीशन ने किया हुआ है, उनके मकान बनाने के लिए, आवास के लिए खर्च होगा। लेकिन राज्य सरकार ने इस बात का फैसला किया है कि एक करोड़ रुपये के अलावा एक करोड़ रुपया और राज्य सरकार की ओर से अलग से दिया जाएगा। श्रीमन्, मैं सुबह आया था, एक करोड़ रुपये की बात चलती थी लेकिन ऐसा लगता है कि माननीय सदस्यों को संतोष तब होगा जब इसकी और बढ़ोतरी कर दी जाय, इसलिए इस बात का फैसला किया है कि इसमें एक करोड़ में 50 लाख की वृद्धि और करदी जाय। इस प्रकार से एक करोड़, फाइनेन्स कमीशन की रिकमन्डेशन के साथ दें, एक करोड़ रुपये का जो प्रावधान किया था वह और 50 लाख रुपये और। इस तरह ढाई करोड़ रुपये का प्रावधान हमने किया है। श्रीमन्, केवल मकानों के बनाने से काम नहीं चलेगा। पुलिस को बहुत माडॅनाइज करना पड़ेगा, इसलिए पुलिस फोर्स में बढ़ोतरी की आवश्यकता भी है। पुलिस थाने बनाने हैं, चौकियां बनानी हैं, कुछ फोर्स भी बढ़ानी है, अभी हमने उसकी संख्या तो तय नहीं की लेकिन जैसी आवश्यकता होगी, हम बढ़ायेंगे। पांच साल के अन्दर 9 करोड़ रुपया इसके लिए निर्धारित किया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस फोर्स को बढ़ायेंगे, उसके साथ साथ हमारे, जो और थाने हैं, उनकी फोर्स भी बढ़ायेंगे। जैसी कि माननीय सदस्यों ने मांग की, इसके साथ साथ जयपुर के जो पुलिस कन्ट्रोल रूम हैं, उनका भी हम पोस्टमार्टम कर देना चाहते हैं, जो अपराधी होता है, उससे अपराधी की जानकारी मिल जाय, उसको पकड़ा जाय और उसकी कार्यवाही की जाय।

श्रीमन्, हमारे पुलिस के दो हिस्से हैं, ट्रैफिक पुलिस और रेलवे पुलिस, एक तरह से कभी-कभी इग्नोर हो जाते हैं, इसलिए हमने इस बात का फैसला किया है कि वहां सब सुविधाएं उसी तरह मिलनी चाहिए जैसी कि पुलिस को मिलती हैं।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

इनको किस तरह से हम क्रियेटिव करायें, उसकी विशेष डिटेल्स में नहीं दे रहा हूं। मैं सारी जानकारी करके इस बात की कोशिश करूंगा कि पुलिस का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है ट्रैफिक का, श्रीमन्, बाहर से कोई भी आता है, विदेशी तो हमारे अपराधों की संख्या को नहीं देखता, वह देखता है हमारी व्यवस्था को और इसलिए हमने सोचा है कि ट्रैफिक ठीक तरह से रेगुलर हो सके। दूसरी जगह जो भी आवश्यकता हो, उसकी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे और चूंकि रेलवे जो हमारी सीमा के अन्दर से गुजरती है, उसमें यात्रा करने वाले यात्री केवल राजस्थान के ही नहीं होते, और दूसरी जगह के, बाहर के भी होते हैं इसलिए आवश्यकता है कि रेलवे के अपराधों में काबू पायें। इसलिए हमने फैसला किया है कि ट्रैफिक और रेलवे पुलिस को जिस चीज की आवश्यकता होगी, उनसे सुझाव मांगेंगे कि किस प्रकार की कठिनाई आती है? उसके आधार पर हम इसका इन्तजाम करेंगे।

श्रीमन्, इसके साथ साथ रैंन्डर्स और पुलिस मोबाइल की साइन्टिफिक इन्वेस्टीगेशन यूनिट अभी घूमती नहीं है इसलिए हमारी कोशिश यह होगी कि मोबाइल यूनिट्स रैंन्डर्स जो घूमती हैं जिससे जहां पुलिस को आवश्यकता पड़े, अपराधी को पकड़ने के लिए उसका इन्वेस्टीगेशन वे कर लें और बहुत से अपराधों पर काबू पायें।

श्रीमन्, मैंने इन बातों की चर्चा की है, मैं जानता हूं कि पर्याप्त मात्रा में यह होने वाली व्यवस्था नहीं है जिससे कि पुलिस के सभी कर्मचारियों की फोर्स को हम बढ़ा लें, चाहे डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टीगेशन यूनिट को हम 5 लाख रुपये की और ग्रान्ट दे दें, चाहे अनेक सुविधा दे दें। बहुत सारा करने की और गुंजाइश है लेकिन सरकार के पास साधन सीमित हैं और जिस प्रकार की कठिनाई में से राजस्थान गुजरा है, उसमें हम कोई साधन नहीं बढ़ा सकते। जैसा आपको मालूम है हमने कोई नये टैक्स नहीं लगाये हैं, करों का प्रावधान नहीं किया है। दूसरे साधन किस तरह से बढ़ा पायेंगे, यह समझ में नहीं आ रहा है। हम इतनी ही आशा करके चल रहे हैं कि धीरे-धीरे करके राजस्थान की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, अपराधों में कमी आयेगी, जिन बातों की ओर हम चले हैं उनको पूरा कर सकें और राजस्थान को एक ऐसा स्टेट बना सकें जिससे इसे एक आदर्श स्टेट कहा जा सके। मैं आपको, सारे सदस्यों को और राजस्थान को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था ठीक हो और इस प्रकार की हो जिससे कि न केवल हम संतोष कर सकें, आप संतोष कर सकें, बल्कि देशवासी संतोष कर सकें, ऐसी व्यवस्था कर सकें। ऐसी व्यवस्था हमने बनायी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक बात अर्ज करना चाहूंगा, आपके माध्यम से कि पुलिस के अधीनस्थ कर्मचारियों के संगठन को मान्यता देने के बारे में क्या सरकार विचार रखती है? इसके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, काफी

(श्री देवीसिंह भाटी)
खुलासा हो गया, कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा की। एक दो शब्द में फर्मा दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 19 को ही फैसला सुना दो 20 को मत कराओ।

श्री त्रिलोक सिंह : मैं यह जानना चाहूंगा कि जिस आन्दोलन के कारण पुलिस कर्मचारियों को वर्खास्त किया गया था और हाई कोर्ट ने उनको बहाल किया, उस बारे में भी मुख्य मंत्री जो कुछ उत्तर देना चाहेंगे, इसकी ओर मेरा निवेदन है।

श्री देवीसिंह भाटी : यह भी नहीं आता, हमें पता है, अध्यक्ष महोदय, हमारी बात का जवाब नहीं दिया जायेगा। परन्तु जैसा मुख्य मंत्री महोदय ने फर्माया कि निरन्तर की नीति में कभी भी खराबी बीच में नहीं आएगी। इस पर मैं स्पष्ट · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब भाषण नहीं होगा।

श्री देवीसिंह भाटी : भाषण नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन अपने पैरों पर है।

श्री देवीसिंह भाटी : जिस थानेदार भैरोलाल की 27 बार शिकायत हो चुकी है, उसके ऊपर सारी बातों का पता चल चुका है, उसके उपरान्त भी यहां से टेलीफोन पर बात हुई, उसको बीकानेर में लगाया जाता है, यहां से बात करने की राजनीति को बढ़ावा देने की क्या जरूरत है?

(व्यवधान)

मांग संख्या 16 का पारण

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

"प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16—पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 37,33,10,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही कल 20 अगस्त, 1980 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 11.59 बजे, बुधवार दिनांक 20 अगस्त, 1980 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

———

(246)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं. 549 की सूची)

विभिन्न वन विकास योजनाओं में योजनावार आवंटन वर्ष 1980-81

नाम योजनायें	आवंटन (लाख रुपयों में)
सामाजिक वानिकी योजनाएं	150-45
क्षेत्र विकास योजनाएं	198-96
वन्य जीव योजनाएं	38-00
सामान्य वानिकी योजनाएं	21-23
मृदा-संरक्षण योजनाएं	148-46
सूखा ग्रस्त परिक्षेत्र कार्यक्रम	112-11
मरु विकास कार्यक्रम	368-61
जन-जाति क्षेत्र के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	47-82
अग्रिम योजना सहायता	75-00
	1,160-64

247

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं. 556 की सूची)

"बी" श्रेणी के अस्पतालों की सूची

"बी" श्रेणी अस्पताल जो जिला मुख्यालय पर स्थित हैं।

क्र. सं.	जिले का नाम	अस्पताल का नाम	शैयाएं
1.	भीलवाड़ा	महात्मा गांधी अस्पताल	155
2.	बीकानेर	प्री.बी.जे.टी.बी. अस्पताल	166
3.	डूंगरपुर	जनरल अस्पताल	150
4.	जयपुर	वक्ष अस्पताल	280
5.	जयपुर	मानसिक अस्पताल	280
6.	जयपुर	जे.के. लॉन अस्पताल	200
7.	पाली	बांगड़ अस्पताल	150
8.	सीकर	एस.के. अस्पताल	150
9.	उदयपुर	जनाना अस्पताल	170
10.	बांसवाड़ा	जनरल अस्पताल	200
	"बी" श्रेणी के अस्पताल जो मुख्यालय पर स्थित नहीं हैं :—		
1.	अजमेर	ए. के. अस्पताल, ब्यावर	150
2.	भरतपुर	सदर अस्पताल, धौलपुर	150
3.	उदयपुर	एस. आर. बी. ए. अस्पताल, बाड़ी	230

Page No. 248

248

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं. 565 की सूची)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, सीकर

सत्र 1977-78 में खोले गये प्राथमिक विद्यालय की सूची

क्र.सं.	जिला	गांव जहां प्राथमिक विद्यालय खोला गया	पंचायत समिति
(1)	सीकर	झुंझारा का मठ तन वाजौर	पिपराली
(2)	,,	मीणा की ढाणी तन मोरण	लक्ष्मणगढ़
(3)	,,	मालासी का वास तन जाजोद	,,
(4)	,,	शिगडोला छोटा	,,
(5)	,,	पचारो की ढाणी तन डालुवास	,,
(6)	,,	जलालपुर	श्री माधोपुर
(7)	,,	नई ढाणी रातनपुरा	,,
(8)	,,	श्योपुरा तहसील श्री माधोपुरा	खंडेला
(9)	,,	ढाणी लाम्बावाली तन पीथलपुर	नीमकाथाना
(10)	,,	देवीपुरा तहसील श्री माधोपुरा	श्री माधोपुरा
(11)	,,	काला कोटा	नीमकाथाना
(12)	,,	जुझा	,,
(13)	,,	चलै की ढाणी तन माहवा	,,
(14)	,,	ढाणी अजीतपुरा	घोंद
(15)	,,	नांगल	दांतारामगढ़
(16)	,,	हरिपुरा	नीमकाथाना
(17)	,,	दिवराला (कन्या)	श्री माधोपुर
(18)	,,	डाबला (कन्या)	नीमकाथाना
(19)	,,	मंढासुरेरा (कन्या)	दांतारामगढ़

जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर।

249

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, सीकर

सत्र 1977-78 में क्रमोन्नत उ. प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	जिला		शाला का नाम	पंचायत समिति
(1)	सीकर	रा. उ. प्रा. वि.	मीटलावास	दांतारामगढ़
(2)	,,	,,	भगतपुरा	,,
(3)	,,	,,	लिखमा का बास	,,
(4)	,,	,,	खीटिया	फतेहपुर
(5)	,,	,,	त्रिलोकपुरा	पिपराली
(6)	,,	,,	किशोरपुरा	नीमकाथाना
(7)	,,	,,	करजौखटकड़ा	,,
(8)	,,	,,	राजास	,,
(9)	,,	,,	चाचीवाद बड़ा	फतेहपुर
(10)	,,	,,	चूड़ी मियान	लक्ष्मणगढ़
(11)	,,	,,	बगड़ी	,,
(12)	,,	,,	बीदेसर	,,
(13)	,,	,,	जाचास	थोद
(14)	,,	,,	टाटनवा	,,
(15)	,,	,,	गुढ़ा	श्रीमाधोपुर
(16)	,,	,,	गोमावाली	नीमकाथाना
(17)	,,	,,	जानकीपुरा	खण्डेला
(18)	,,	,,	ठीकरियां	नीमकाथाना
(19)	,,	,,	नीमकाथाना नं. 4	,,
(20)	,,	,,	वाजीर	पिपराली
(21)	,,	,,	मेई राजनपुरा	दांतारामगढ़
(22)	,,	,,	अरपसर	फतेहपुर
(23)	,,	रा. उ. प्रा. वि. (कन्या)	नेवटियां, फतेहपुर	फतेहपुर
(24)	,,	,,	नुहाला	नीमकाथाना

जिला शिक्षा प्रधिकारी, सीकर ।

(250)

495 ...   परिशिष्ट—19 अगस्त, 1980—परिशिष्ट

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, सीकर

सत्र 1977-78 में क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालयों की सूची

क. सं.	जिला	शाला का नाम	पंचायत समिति
(1)	सीकर	रा. मा. वि., ढाढंण	फतेहपुर
(2)	,,	,, मंढ़ासुरेरा	दांतारामगढ़
(3)	,,	,, टटेरा	नीमकाथाना
(4)	,,	,, रघुनाथगढ़	पिपराली
(5)	,,	,, हाथीदेह	श्रीमाधोपुर
(6)	,,	,, चूड़ोलीखा	कोलीधोद
(7)	,,	,, जाजोद (लक्ष्मणगढ़)	लक्ष्मणगढ़
(8)	,,	,, गौरियां	खंडेला
(9)	,,	,, कटराथल	पिपराली
(10)	,,	,, चला	नीमकाथाना
(11)	,,	,, नांगल	श्रीमाधोपुर
(12)	,,	,, तारपुरा	पिपराली
(13)	,,	,, जाजोद (श्रीमाधोपुर)	श्रीमाधोपुर

कन्या माध्यमिक विद्यालय :

(1)	सीकर	रा. मा. वि. बालिका दांता	दांतारामगढ़
(2)	,,	,, खण्डेला	खण्डेला
(3)	,,	,, दांतारामगढ़	दांतारामगढ़

जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर

(251)

परिशिष्ट—19 अगस्त, 1980—परिशिष्ट 1496

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, सीकर (राज.)

सीकर जिले में सत्र 1978-79 में खोले गये नवीन प्राथमिक विद्यालय

क्र. सं.	नाम विद्यालय	पंचायत समिति
1.	बनारसरा	फतेहपुर
2.	बागास	"
3.	कुण्डाला	नीमकाथाना
4.	चक मण्डोली	"
5.	खोरी ब्राह्मणान	पिपराली
6.	शोभ	"
7.	भगतपुरा	"
8.	मौजा की ढाणी	"
9.	कंवरपुरा	धोद
10.	बामरडा	खण्डेला
11.	खेड़ीचारण	"
12.	बहादुरपुरा	"
13.	देवीपुरा	"
14.	सील का बाडा	"
15.	फतेहपुरा	"
16.	लुहारवास कोटड़ी	"
17.	लक्ष्मणपुरा	दांतारामगढ़
18.	घीजपुरा	"
19.	रघुनाथपुरा	"
20.	नासणवा	लक्ष्मणगढ़
21.	चैनपुरा	दांतारामगढ़
22.	खातीवास	"
23.	वालाकावास	फतेहपुर
24.	बरगड़ी की ढाणी	पिपराली
25.	दीपपुरा चार नाडा	धोद
26.	गूजर की ढाणी तन सेवद बड़ी	"
27.	रेक्षमा की ढाणी तन मीगा	दांतारामगढ़
28.	बासनी भमावडा	लक्ष्मणगढ़
29.	खुड़ी छोटी	"
30.	झांडवा	"
31.	स्वामी की ढाणी	दांतारामगढ़
32.	छछावली ब्रांच	श्रीमाधोपुर
33.	ढाणी तनखुड़	दांता रामगढ़
34.	डीटासरा	दांता रामगढ़
35.	भवरीया की ढाणी	दांता रामगढ़

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, सीकर (राज.)

सत्र 1978-79 में क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची:—

क्र.सं.	नाम जिला	विद्यालय का नाम		पंचायत समिति
(1)	सीकर	रा. उ. प्रा. वि.	कोटड़ी	श्रीमाधोपुर
(2)	"	"	सरगोठ	"
(3)	"	"	जेतूसरमालाकाली	"
(4)	"	"	महावा	नीमकाथाना
(5)	"	"	मंढोली	"
(6)	"	"	अजमेरी	"
(7)	"	"	कासली	धोंद
(8)	"	"	मीरडूंगा मण्डोली	"
(9)	"	"	नीमेड़ा	खण्डेला
(10)	"	"	जुगलपुरा खानसर	"
(11)	"	"	रहनावा (माधो)	लक्ष्मणगढ़
(12)	"	"	मौजासर बड़ा	"
(13)	"	"	दौलतपुरा लक्ष्मण का वास	पिपराली
(14)	"	"	बीरानियां	फतेहपुर
(15)	"	"	राजपुरा (फतेहपुर)	"
(16)	"	"	सूल्यावास	दांतारामगढ़
(17)	"	"	राजपुरा (दांतारामगढ़)	"

सत्र 1978-79 में क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालयों की सूची, जिला सीकर—

क्र. सं.	नाम विद्यालय		पंचायत समिति
(1)	रा. उ. प्रा. वि.,	दादियारामपुरा	श्री माधोपुर
(2)	"	महरोली	"
(3)	"	मूण्डरू	"
(4)	"	गढ़तकनेत	"
(5)	"	नं. 1 श्री माधोपुर ग्रामीण	"
(6)	"	गणेश्वर	नीमकाथाना
(7)	"	प्रीतमपुरी	"
(8)	"	चीपलाटा	"
(9)	"	गांवन्डी	"
(10)	"	कोटड़ा लुहारवास	खण्डेला
(11)	"	सिरोही	नीमकाथाना
(12)	"	गुंगारा	पिपराली
(13)	"	खेरी धर्मशाला	"
(14)	"	लोसल (कन्या)	"

सीकर जिले में सत्र 1979-80 में खोले गये नवीन प्राथमिक विद्यालयों की सूची-

क्रम संख्या 1	जिला 2	गांव जहां प्राथमिक विद्यालय खोले गये 3	पंचायत समिति 4
(1)	सीकर	कांगनसर	फतेहपुर
(2)	,,	बीकमसरा	,,
(3)	,,	ढाकली	,,
(4)	,,	स्वरूपसर	,,
(5)	,,	कल्याणपुरा	,,
(6)	,,	गंगापुरा	,,
(7)	,,	सवाई लक्ष्मण पुरा	,,
(8)	,,	आसास	,,
(9)	,,	दौलतपुरा	दातारामगढ़
(10)	,,	कूकरियावास	,,
(11)	,,	पुन्याण	,,
(12)	,,	राड की डाणी (सांगल्या)	,,
(13)	,,	कंवरपुरा	,,
(14)	,,	राड की ढाणी (सुल्यास)	,,
(15)	,,	हरिपुरा (कांकरा)	,,
(16)	,,	बिन्याकावास	,,
(17)	,,	पूर्वी की ढाणी (सांगल्या)	,,
(18)	,,	गुडियों की ढाणी	,,
(19)	,,	नया वास	,,
(20)	,,	बिजारणियों की ढाणी	,,
(21)	,,	प्रतापपुरा (मीमा)	,,
(22)	,,	खेडलसर	,,
(23)	,,	सवाई की ढाणी	धोंद
(24)	,,	खोखरों की ढाणी	,,
(25)	,,	दूला की ढाणी	पिपराली
(26)	,,	प्रतापपुर	लक्ष्मणगढ़
(27)	,,	जोगियों का बास	,,
(28)	,,	रामचन्द्र का बास	,,
(29)	,,	डूंगरी की ढाणी	नीमका थाना
(30)	,,	चूहों की ढाणी	,,
(31)	,,	खुडिया	,,
(32)	,,	डाबला स्टेशन	,,
(33)	,,	हीरवाला की ढाणी	,,
(34)	,,	वानावाला	,,
(35)	,,	मेहरों की ढाणी	,,
(36)	,,	सालावाली ढाणी	,,
(37)	,,	छाजना	खण्डेला
(38)	,,	चारण का बास	,,
(39)	,,	ढाणी गंगासागर	,,

(क्रमश:)

क्र. सं.	जिला	शाला का नाम	पंचायत समिति
(40)	सीकर	गोपीनाथ की ढाणी	श्री माधोपुर
(41)	,,	श्योराम का बास	,,
(42)	,	गंगासागर	,,
(43)	,,	बड़ा आसपुरा	,,
(44)	,,	भंवानीपुरा	,,
(45)	,,	पुरोहितों का बास	,,

जिला शिक्षा अधिकारी,
सीकर।

सत्र 1979-80 में क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची:—

क्रम संख्या	जिला	शाला का नाम	पंचायत समिति
(1)	सीकर	रोलसाबसर	फतेहपुर
(2)	,,	ढाकास	,,
(3)	,,	तुरेरा	दांतारामगढ़
(4)	,,	उमाड़ा	,,
(5)	,,	सिमारला जागीर	श्रीमाधोपुर
(6)	,,	मोटूका	नीम का थाना
(7)	,,	सुतोद	लक्ष्मणगढ़
(8)	,,	सरवड़ी	घोंद
(9)	,,	फतेहपुरा	खण्डेला
(10)	,,	राजपुरा	पिपराली

जिला शिक्षा अधिकारी,
सीकर।

सत्र 1979-80 में उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची:—

क्रम संख्या	जिला	विद्यालय का नाम	पंचायत समिति
(1)	सीकर	रा. मा. वि., गारिन्डा	फतेहपुर
(2)	,,	,, आसपुरा	श्रीमाधोपुर
(3)	,,	,, मंढामदनी	दांतारामगढ़
(4)	,,	,, कोटडा	नीम का थाना
(5)	,,	,, दुजोद	घोंद
(6)	,,	,, बीदासर	लक्ष्मणगढ़
(7)	,,	,, पलासरा	पिपराली
(8)	,,	,, खाचरियावास (कन्या)	दांतारामगढ़

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

बूंदी जिले के वन क्षेत्र में खदानों का पट्टा बेरोजगारों को देना

567. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय):

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बून्दी जिले के वन क्षेत्र में श्री बिरला अथवा अन्य किन किन व्यक्तियों को खदानों की स्वीकृति दी गई है ? यदि अन्य प्रार्थियों को स्वीकृति नहीं दी गई, तो किस कारण ?

(2) क्या सरकार उक्त खदानों की स्वीकृति पढ़े लिखे बेरोजगारों को प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । बूंदी जिले के वन क्षेत्र में एक खनन पट्टा वास्ते खनिज मारबल स्टोन का ग्राम उमर, तहसील हिन्डोली, जिला बूंदी में दिनांक 8-1-80 से 7-1-90 तक के लिये श्री मुकटविहारी बिड़ला, पुत्र श्री शिवनारायण बिड़ला, खोजागेट, बूंदी को स्वीकार किया गया है ।

वन क्षेत्र में खनन पट्टा वन विभाग द्वारा आपत्ति नहीं होने के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जा सकता है । श्री मुकुट विहारी के मामले में मण्डल वन अधिकारी, बूंदी द्वारा इस प्रकार का प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात ही उक्त खनन पट्टा स्वीकृत किया गया । अन्य प्रार्थियों के मामलों में वन विभाग से वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण खनन पट्टे स्वीकृत नहीं किये जा सकेंगे ।

(2) वन संरक्षित क्षेत्र में खनन पट्टे स्वीकृत करने के लिये वन विभाग द्वारा वांछित अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर किसी भी व्यक्ति को खनन पट्टा स्वीकार किया जा सकता है ।

टोंक पाठ्य पुस्तक मण्डल के डिपो मैनेजर के विरुद्ध शिकायतें

568. श्री महावीर प्रसाद (टोंक): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या डिपो मैनेजर, टोंक पाठ्य पुस्तक मंडल की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(2) मंडल द्वारा किन किन पुस्तक विक्रेताओं को कितनी कितनी पुस्तकें किस किस कक्षाओं की दी गई है ? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । शिकायत की जांच की गई, किन्तु वह प्रमाणित नहीं हुई ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई, है ।

[जो विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी ।]

नगर पालिकाओं व नगर परिषदों के अंकेक्षण के सम्बन्ध में जारी परिपत्र की अनुपालना ।

570. श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 18 दिसम्बर, 1979 को नगरपालिकाओं व नगर परिषदों के ऑडिट के सम्बन्ध में कोई परिपत्र जारी किया गया था ? यदि हां, तो परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या परिपत्र जारी करने के बारे में मंत्री मण्डल ने कोई निर्णय लिया था ?

(3) उक्त परिपत्र के जारी होने के पश्चात् कितनी नगरपालिकाओं, नगर परिषदों ने कितने आडिट आक्षेपों के मामलों का नियमन किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी, जिन्होंने उक्त परिपत्र का अब तक पालन नहीं किया ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं ।

(3) प्राप्त सूचना के अनुसार सूची संलग्न है ।

(4) संबंधित नगरपालिकाओं के अधिशाषी अधिकारियों से स्थिति का स्पष्टीकरण मांगा गया है, प्राप्त होने पर जो स्थिति जाहिर होगी उसे दृष्टिगत रखते हुए समुचित कार्यवाही की जावेगी ।

परिपत्र

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:-आडिट/एफ. 13(87) डी. एलबी./79/11706-904

दिनांक 18-12-79

परिपत्र

नगरपालिकाओं। परिषदों में बकाया आडिट आक्षेपों के निरस्तीकरण हेतु आयोजित अभियान के दौरान पाया गया कि नगर पालिकाओं/परिषदों द्वारा की गई खरीद जिसके लिए नियमानुसार टेण्डर आमंत्रित नहीं करना, समाचार-पत्रों में विज्ञापन नहीं दिया जाना एवं विज्ञापन में समय की अवधि कम किया जाना आदि भी किस्म के आक्षेप बकाया हैं। यह आक्षेप अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुए हैं तथा आक्षेपों को अब नियमन कराये जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नजर नहीं आता है। अतः उक्त परिस्थितियों में गंभीर रूप से विचारोपरान्त राजस्थान की समस्त नगर परिषदें/पालिकाओं के वर्ष 77-78 (31 मार्च, 78) तक के इस प्रकार की

खरीद के मामले, जिनके लिए नियमानुसार टेण्डर आमंत्रित नहीं करना, समाचार पत्रों में प्रकाशन का अभाव एवं प्रचार की अवधि कम किया जाना एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं करने आदि संबंधी आक्षेपों को संबंधित परिषद्/पालिका द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कि खरीद में नगरपरिषद्/पालिका को किसी प्रकार की आर्थिक हानि नहीं हुई है, नियमित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में अनियमित खरीद के लिए नगरपरिषद्/पालिका के आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत उत्तरदायी होंगे तथा नियमों की अवहेलना करने पर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारी को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

ह. –
शासन उप सचिव।

सं. आडिट/एफ. 13(87) डी. एलबी. 79/11706-904

दिनांक 18-12-79

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज., जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त प्रकार के अपने अधीनस्थ सहायक परीक्षकों को निर्देश प्रदान करें कि वित्तीय वर्ष 77–78 तक के खरीद के मामलों के आक्षेपों को इन आदेशों के अन्तर्गत नियमित मानते हुए निरस्त करावें।

2. उप परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर/अजमेर।

3. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर परिषदें/पालिकाएं को भेज कर लेख है कि संबंधित मामलों को निरस्त करावें।

4. सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।

5. सुरक्षित पत्रावली।

ह./–
शासन उप सचिव

258

क्र.सं.	नाम नगरपालिका	जितने मामलों का नियमन किया गया उनकी सूची	क्र.सं	नाम नगर पालिका	जितने मामलों का नियमन किया गया उनकी संख्या
1.	बीकानेर	42	30.	धौलपुर	18
2.	सांभर लेक	38	31.	भुसावर	16
3.	तख्तगढ़	12	32.	सुजानगढ़	50
4.	गंगाशहर (बीकानेर)	4	33.	भीनासर	24
5.	भरतपुर	68	34.	इन्द्रगढ़	12
6.	पोकरण	64	35.	जयपुर	73
7.	सांचोर	8	36.	चौमूं	20
8.	बालोतरा	29	37.	गंगानगर	124
9.	चाकसू	91	38.	भीनमाल	54
10.	कोटपूतली	84	39.	उदयपुर	5
11.	केशरीसिंहपुर	6	40.	बाड़मेर	22
12.	नावां	36	41.	रतनगढ़	5
13.	राजगढ़ (सिटी)	38	42.	रतन नगर	2
14.	जोधपुर	116	43.	श्री डूंगरगढ़	9
15.	सांगानेर	52	44.	सरदार शहर	33
16.	दौसा	171	45.	राजलदेसर	20
17.	बीदासर	29	46.	करौली	19
18.	सागवाड़ा	15	47.	सवाई माधोपुर	46
19.	बयाना	1	48.	छबड़ा	17
20.	सार्दुलशहर	41	49.	छापर	5
21.	बड़ी सादड़ी	22	50.	खोरली	20
22.	खेतड़ी	3	51.	गंगापुर सिटी	65
23.	चूरू	63	52.	तारानगर	80
24.	सिरोही	50	53.	फुलेरा	32
25.	शिवगंज	11	54.	भीलवाड़ा	4
26.	सांगरिया	148	55.	चित्तौड़गढ़	11
27.	मानटाऊन	10	56.	रामगंज मंडी	18
28.	कुशलगढ़	97	57.	हनुमानगढ़	168
29.	कुम्हेर	8	58.	पदमपुर	31

न्यूनतम वेतन अधिनियम की उपलब्धि

571. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर):

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य में विभिन्न जिलों में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1936 के तहत देरी से अदायगी तथा कम अदायगी के जनवरी, 1980 से अब तक कितने चालान हुए एवं कितनों में निर्णय हो चुका है ? क्या राज्य में न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुपालन की प्रगति सन्तोषजनक है ।

उत्तर

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1936 का नहीं बल्कि 1948 का है। देरी से अदायगी, तथा कम अदायगी के लिये 1 जनवरी से 30 जून, 1980 तक 52 क्लेम केस प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किये गये एवं इस अवधि में 49 केस निर्णित किये गये । इसी अवधि में कानून के अन्य प्रावधानों की पालना नहीं करने के कारण 201 चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये तथा 205 निर्णित हुए । न्यूनतम वेतन अधिनियम की क्रियान्विति राजस्थान में सन्तोषजनक है ।

अजमेर-पीसांगन मार्ग पर चालित बसें

572. श्रीमती सूरज देवी (पुष्कर) : क्या यातयात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) क्या अजमेर से पीसांगन मार्ग पर प्राइवेट बस वाया डमाडा, भावता और बुधवाड़ा होकर चलती है ? क्या इसके लिए 4 बसों के 4 परमिट एक ही व्यक्ति को दिये गये हैं ?

(2) क्या ये बसें नियमित रूप से चलती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या अजमेर से पीसांगन मार्ग एवं पुष्कर मार्ग पर निगम की जहां चार बसें नियमित रूप से चलनी चाहिए वहां एक भी बस नहीं चलती है ?

उत्तर

(1) अजमेर से पीसांगन मार्ग पर प्राइवेट बस व डिमाड, भावता और बुधवाड़ा होकर चलती हैं इसके लिये चार बसों के चार परमिट एक ही व्यक्ति को नहीं दिये हुए हैं ।

(2) जी हां ।

(3) अजमेर से पीसांगन वाया मांगलीयावास राष्टीयकृत मार्ग नहीं हैं इस मार्ग पर निगम द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय चतुर्थ के तहत तीन वाहनें संचालित की जा रही थी लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निजी वाहन स्वामियों क पक्ष में दिये गये स्थगन आदेश के कारण निजी वाहन स्वामियों से प्रतिस्पर्धा में वाहनें चलाई जाने की वजह से उक्त मार्ग पर निगम का संचालन अनार्थिक हो गया था अत: दिनांक 24-6-80 से इस मार्ग पर वाहन संचालन बन्द कर दिया गया । अजमेर-पुष्कर मार्ग पर वर्तमान में प्रतिदिन 72 परिचक्र संचालन किये जा रहे हैं, प्रति 20 मिनट के अन्तराल पर अजमेर से पुष्कर एवं पुष्कर से अजमेर मार्ग पर निगम की वाहन सेवायें उपलब्ध हैं।

सवाई माधोपुर में पथ परिवहन निगम की बसें चलाना

573. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सवाई माधोपुर नगर की नगर बस सेवा को कानून के अनुसार चलने का अधिकार है ?

(2) क्या इन बसों के विषय में जनता एवं बार एसोसियेशन, सवाई-माधोपुर द्वारा जिला परिवहन अधिकारी, सवाई माधोपुर के विरुद्ध शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो उस पर अब क्या कार्यवाही हुई ?

(3) क्या सरकार सवाई माधोपुर की आबादी को दृष्टि में रख कर वहां सरकारी बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर शहर के लिये 16 वाहनों के अनुज्ञा-पत्र दिये हुए है। जिन्हें संविदा वाहन की तरह चलने का कानूनन अधिकार है।

(2) शिकायत प्राप्त हुई है, जो विचाराधीन है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न सं. 545 की सूची)

तहसील प्रतापगढ़ में तीन हायर सैकण्डरी विद्यालय वर्तमान में चल रहे हैं तीनों विद्यालयों के सामने बोर्ड की सूची अनुसार विषयों का उलेल्ख किया जा रहा है:—

(1) रा. उ. मा. विद्यालय, अरणोद (चितौड़) कला एवं उद्योग सिलाई कला, तृतीय भाषा—संस्कृत :—

(1) कला वर्ग—प्रा. अर्थशास्त्र, संस्कृत, भूगोल, विशेष हिन्दी।
(2) विज्ञान वर्ग—भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित
(3) वाणिज्य वर्ग—बही खाता, व्यापार पद्धति ज्ञान, बैंकिंग।

(2) रा. उ. मा. विद्यालय, प्रतापगढ़—कला एवं उद्योग—सिलाई कला तृतीय भाषा—संस्कृत :—

(1) कला वर्ग—प्रा. अर्थशास्त्र, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, विशेष हिन्दी राजस्थानी साहित्य।
(2) विज्ञान वर्ग—भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित
(3) वाणिज्य वर्ग—बही खाता, व्यापार पद्धति ज्ञान, वाणिज्यिक—भूगोल बैंकिंग, हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण लिपि एवं हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्र लिपि।

(3) रा. बालिका उ. मा. विद्यालय, प्रतापगढ़—कला एवं उद्योग—सिलाई कला तृतीय भाषा संस्कृत :—

(1) कला वर्ग—इतिहास, विशेष हिन्दी, संगीत, गृह विज्ञान
(2) विज्ञान वर्ग—भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान

———

(262)

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 547 की सूची)

सूची अतिक्रमणों की नाहरी का नाका पूर्व लोक नायक व्यास कोलोनी

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	किस्म अतिक्रमण
1	2	3	4
1	श्री शिवसायह सैन	श्री लक्ष्मीनारायण जी	दो मकान टीन व पटियां डाल कर
2.	ओतार सिंह	फतेहसिंह	एक कमरा टीन पोश
3.	बलवन्त सिंह	फतेहसिंह	एक कमरा टीन पोश
4.	पुष्पकरसिंह	करणसिंह	एक छप्पर पोश बंगला
5.	सूरजसिंह	धर्मसिंह	छप्पर पोश बंगला बन्द पड़ा
6.	मातादीन	धर्मसिंह	,, ,,
7.	दिवानसिंह	दौलतसिंह	,, ,,
8.	सीताराम	रामपाल	ईंटों से छप्पर पोश कमरा
9.	नन्दलाल	ग्यारसीलाल	,, ,,
10.	कल्याण	नान्दलाल	एक छप्पर पोश खाली पड़ा है
11.	सोहन	बसन्तसिंह	एक छप्पर पोश बंगला खाली है
12.	राजेन्द्र	बोलसिंह	एक छप्पर पोश बंगला
13.	लक्ष्मण सिंह	छाजूसिंह	एक छप्पर पोश बंगला
14.	ओम प्रकाश जैन	,,	एक छप्पर पोश बंगला बन्द
15.	नन्दलाल	गोकुलचन्द	एक छप्पर पोश बंगला।
16.	गोपाल	नारायणजी	एक छप्पर पोश बंगला।
17.	स्योजी	भोरीलाल	एक छप्पर पोश बंगला।
18.	सत्तार	तख्तर खां	एक छप्पर पोश बंगला।
19.	इमामुदीन	मुख्यार खां	एक छप्पर पोश बंगला।
20.	जयसिंह	भंवरसिंह	एक छप्पर पोश बंगला खाली।
21.	धीसूसिंह	उतमसिंह	एक छप्पर पोश बंगला।
22.	प्रभुसिंह	उत्तमसिंह	एक छप्पर पोश बंगला।
23.	श्रीमती इन्दरा पत्नी	नन्दसिंह	एक छप्पर पोश बंगला।
24.	श्रीमती सीता देवी	कैलाश	एक छप्पर पोश बंगला।
25.	श्री नन्दसिंह	राम कुमार सिंह	एक पत्थर मिट्टी से आधा बना मकान गैर आबाद।
26.	श्री सदीक	घासी खां	एक छप्पर पोश बंगला गैर आबाद
27.	बाबूलाल	रामदेव	एक छप्पर पोश बंगला।
28.	रमजान खां	घासीखां	एक छप्पर पोश बंगला।
29.	बशीर खां	सनू खां	एक छप्पर पोश बंगला।
30.	सरदार मोहम्मद	आफिज खान मो.	एक छप्पर पोश बंगला।
31.	रमजान खां	घीसू खां	एक छप्पर पोश बंगला।
32.	श्रीमती जमीला पत्नी	महमूद अली	एक छप्पर पोश बंगला।
33.	नूर मोहम्मद	मेहबक्स	एक छप्पर पोश बंगला।
34.	दाऊद खां	खाजू खां	एक छप्पर पोश बंगला।
35.	निसार मोहम्मद	सरदार मोहम्मद	एक छप्पर पोश बंगला।
36.	श्रीमती समदर पत्नी	सुरेशचन्द्र माथुर	एक छप्पर पोश बंगला।

1	2	3	4
37.	श्री सन्जे खाँ	मुमताज अली	एक छप्पर पोश बंगला ।
38.	जाफर अली	अन्वर अली	एक छप्पर पोश बंगला ।
39.	गोवर्धनराम		एक ईंटों से कमरा गैर आबाद पड़ा है ।
40.	मुनीर खाँ	महफूज खाँ	एक छप्पर पोश बंगला ।
41.	फैयाज खाँ	वजीर खाँ	एक छप्पर पोश बंगला ।
42.	कमरुद्दीन खाँ	अली	एक छप्पर पोश बंगला बन्द पड़ा है ।
43.	कमरुद्दीन खाँ	घासी खाँ	एक छप्पर पोश बंगला ।
44.	जुम्मा खाँ		एक छप्परपोश बंगला बन्द पड़ा है ।
45.	हनुमान सिंह	सुखसिंह	एक छप्पर पोश बंगला ।
46.	लियाकत अली	बाबू खां	एक मकान ईंटों से छप्पर पोश ।
47.	सत्तार खां	सुखा खां	एक छप्पर पोश बंगला ।
48.	नज्जू		एक मकान पत्थर मिट्टी से छप्पर पोश ।
49.	फूलसिह शेखावत		एक मकान टीन पोश ईंटों से ।
50.	रामस्वरूप	श्यामबिहारी	एक मकान छप्पर पोश ।
51.	मूडू	फकीर मोहम्मद	एक छप्पर पोश बंगला ।
52.	बनवारी	दुर्गा सहाय	एक छप्पर पोश बंगला ।
53.	अहसान	नूरमोहम्मद	एक छप्पर पोश बंगला ।
54.	सुल्तान	नूर मोहम्मद	एक छप्पर पोश बंगला ईंटों से ।
55.	रामस्वरूप	लक्ष्मीनारायण	एक छप्पर पोश मकान ईंटों से ।
56.	रामकिशन	हरीराम	एक छप्पर पोश मकान ईंटों से ।
57.	वेदानाथी		पट्टियां डाल कर मकान बन्द पड़ा है।
58.	मंगल	छोटी	एक मकान ईंटों से छप्पर पोश ।
59.	जानकी लाल	जयनारायण	एक मकान ईंटों से डामर की चद्दर ।
60.	नानगराम		एक मकान ईंटों से छप्पर पोश बन्द पड़ा है ।
61.	रामस्वरूप	आनन्दीलाल	एक मकान छप्पर पोश ईंटों का ।
62.	लल्लूराम	भंवरलाल	एक लकड़ी के पाटों से मकान छप्पर पोश ।
63.	टीकम	लल्लूराम	एक मकान पत्थर मिट्टी से छप्पर पोश ।
64.	गोपालसिंह	जगन्नाथ सिंह	एक मकान ईंटों से छप्पर पोश ।
65.	मांगू सिंह	गोपाल सिंह	एक मकान ईंटों से छप्पर पोश ।
66.	घासीराम	रामपाल	एक मकान ईंटों से छप्पर पोश ।
67.	कालूराम	छोटीलाल	एक मकान ईंटों से छप्पर पोश ।
68.	मातबरसिंह (भण्डारी)	रघुवीरसिंह	एक छप्पर पोश बंगला ।
69.	कुन्दन सिंह	त्रिलोक सिंह	एक बंगला छप्पर पोश ।

264

1	2	3	4
70.	श्री मनोहर सिह	दर्शनसिह	एक बंगला छप्पर पोश ।
71.	भंवर सिह	दयालसिह	एक बंगला छप्पर पोश ।
72.	सुल्तानसिह		एक बंगला छप्पर पोश बन्द पड़ा है ।
73.	गोकुलचन्द	शिवचन्द्र	एक बंगला छप्पर पोश ।
74.	ओतार सिह	बूदसिह	एक बंगला छप्पर पोश ।
75.	शंकर दत्त	नरसिह	दो छप्पर पोश बंगले ।
76.	छीतरमल	मांगीलाल	एक छप्पर पोश बंगला ।
77.	बाबूलाल	प्रभुदयाल	एक छप्पर पोश बंगला ।
78.	लक्ष्मीनारायण	चतरभुज	एक छप्पर पोश बंगला ।
79.	दीलीपसिह		एक बंगला छप्पर पोश बन्द पड़ा है ।

नोट :—11 छप्पर पोश बंगले बन्द तथा गैर आबाद पड़े हैं ।

परिशिष्ट 7

(तारांकित प्रश्न सं. 548 की सूची)

(मात्रा कट्टों में)

तहसील का नाम	वर्ष	भवन निर्माण एवं मरम्मत हेतु	कृषि कार्य हेतु	काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत
1	2	3	4	5
टोडाभीम	1979	3785	9034	2321
	1980 (जनवरी, 80 से जुलाई, 80 तक।)	1529	3498	1091
महुवा	1979	5877	11807	1520
	1980 (जनवरी, 80 से जुलाई, 80 तक।)	1272	3354	2094

Page No. 266

(266)

परिशिष्ट 81

(अतारांकित प्रश्न संख्या 449 केन्द्रों की सूची)

अलवर शहर में चल रहे पोशाहार केन्द्रों की सूची

क्रमांक	केन्द्र का नाम	संचालक का नाम	स्थान
1.	चमार पाडा	मनोहर लाल	मोहल्ला चमार पाडा
2.	ब्रह्मचारी स्कूल"	अशोक	मोहल्ला ब्रह्मचारी
3.	महतावसिंह का नोहरा	कन्हैयालाल	मो. महतावसिंह का नोहरा
4.	गंगापुरा	सेदूराम	मो. गंगापुरा दिल्ली दरवाजे के बाहर
5.	अखपुरा	राजेन्द्र	मोहल्ला अधपुरा
6.	खदाना	गिर्राज प्रसाद	मो. खदाना जनाना अस्पताल के पीछे
7.	गंगा मंदिर	नथौली	देहली दरवाजे के पास
8.	दीवानजा का बाग	रामरतन सैनी	फुटी खेलसे आगे
9.	खुदनपुरी	बाबूलाल	बीज खदनपुरी देहली रोड
10.	नयाबास	रामस्वरूप	मोहल्ला नयाबास
11.	तीज की रोड	भोजी राम	स्वर्ग रोड से आगे
12.	स्वर्ग रोड	कैलाश	स्वर्ग रोड
13.	दाई की गुमटी	योगेश	प्रताप पलटन के आगे
14.	नलाशोबागरान	लाला राम	गोपाल टाकीज के पास
15.	80 क्वार्टर	बाबू लाल	डॉ. अम्बेडकर के चौराये के पास
16.	जाहेडा	श्रीमती दुर्गेश जोशी	वन विभाग के द्वार पर
17.	ब्रह्मचारी मोहल्ला	आनन्दीलाल	मो. ब्रह्मचारी
18.	चमेली बाग	राम कुमार	चमेली बाग के सामने
19.	फेमली लाइन	मानसिंह	बस्ति जेल के सामने
20.	हजुरी दरवाजा	प्रभातीलाल	सैटलमेंट आफीस के पास
21.	जलवाला कुआं	मुम्यासिंह	टी. बी. अस्पताल के पास
22.	गुरु नानक कोलोनी	केसर सिंह	दाऊदपुर के आगे
23.	शिकारी का बास	मदनसिंह	शिकारी बाग, विजय मंदिर रोड
24.	सिगलीधर कोलोनी	जीवन सिंह	दाऊदपुर रेलवे लाइन के पास
25.	नगली	गिरधारीलाल	एन. सी. सी. के पास
28.	राजाजी का बाग	श्रीमती सुशीला देवी	लाल डिग्गी के पास
27.	जुगनी बास	हरी	स्कीम नं. 2 के आगे
28.	खोहरा	भगलू राम	कम्पनी बाग के पास
29.	साहब जोहडा	छाज्जूराम	विजय मंदिर रोड
30.	बाल्मिकी मन्दिर	सुरेश	प्रताप बंध रोड पर
31.	पडाव की चक्की	रामरतन	मो. पडाव की चक्की
32.	सोलाल पुरा	छोटेलाल	कटले के पीछे
33.	टिटोडा	श्रीसूरज	स्कीम नं. 2 में पानी की टंकी के पास

क्रमांक	केन्द्र का नाम	संचालक का नाम	स्थान
34.	नारी निकेतन	बाबूलाल	मेव बोडिंग के सामने
35.	बागर का बास	सीताराम	पुलिस लाइन के पास
36.	बाला कुम्रां	डालचन्द	हाऊसिंग बोर्ड कोलोनी के पास
37.	हीरा बाग	कन्हैयालाल	काली मोरी के पास
38.	प्रताप बास	राम किशोर	पुराना बर्फ खाने के पास
39.	दाऊदपुर	महेन्द्र सिंह	दाऊदपुर
40.	भुगसका	भागूसिह	देहली रोड पर
41.	लाल खान	देवराज	मोहल्ला लाल खान
42.	रंडी का कुम्रां	बिहारी लाल	अशोका टाकीज के पास
43.	खटीक पाडी	मनोहर	मो. खटीक पाडी
44.	मीणा पाडी	बोदन	मो. चमार पाडी के आगे
45.	देव खेडा	राम अवतार	देहली रोड
46.	मेठ की बावडी	बाबूलाल	जय पलटन के पीछे
47.	संजीगी बस्ती	त्रिलोक	जेल रोड पर
48.	चावण्ड पाडी	लाला राम	न्यूवन कोलोनी के पीछे
49.	महेन्दी बाग	राजेन्द्र	जयपुर रोड
50.	लाका	नानगा	धोबी कोलोनी के आगे

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 450 की सूची)

सूची "क"

पशु पालन विद्यालय, कोटा के लिए चयनित किये गये प्रशिक्षणार्थियों की सूची
सत्र 1980-81

क्रम संख्या	अनु. क्रमांक	नाम और पिता का नाम	जिला
1	2	3	4
1.	39	श्री सुरेश चन्द वर्मा पुत्र श्री राम चन्द्र शर्मा	भरतपुर
2.	149	श्री शंकर लाल पुत्र श्री चिरंजी लाल।	अलवर
3.	5	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री राम जी लाल।	जयपुर
4.	56	श्री जमील खां पुत्र श्री गोख मोहम्मद।	टोंक
5.	61	श्री मोहम्मद अयुब पुत्र श्री बदरुद्दीन।	अजमेर
6.	21	श्री सत्येन्द प्रकाश पुत्र श्री करतार सिंह।	भरतपुर
7.	24	श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री कंवर लाल।	कोटा
8.	27	श्री सुरेश कुमार जैन पुत्र श्री शान्ति लाल।	टोंक
9.	51	श्री सुन्डा राम यादव पुत्र श्री बुद्धा राम यादव।	जयपुर
10.	54	श्री निरंजन लाल पुत्र श्री राम चरण।	भरतपुर
11.	66	श्री मुर्तजा सैन पुत्र श्री इर्तजा हुसैन।	टोंक
12.	117	श्री सुरेन्द सिंह नाथावत पुत्र श्री राम सिंह नाथावत।	जयपुर
13.	85	श्री सागरमल पाचरिया पुत्र श्री दौलाराम पाचरिया।	जयपुर
14.	89	श्री मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा।	भरतपुर
15.	132	श्री मान सिंह पुत्र श्री शिव चरण लाल।	भरतपुर

नोट:—1. ये समस्त परिक्षणार्थीगणों ने आवेदन-पत्र में राजस्थान के निवासी होने का ही पता लिखा है। जिससे ये मूल राजस्थान के निवासी कहे जा सकते हैं।

2. आवेदन-पत्र में मजिस्ट्रेट द्वारा राजस्थान के मूल निवासी होने का कोई प्रमाण-पत्र नहीं पाया गया और न किसी ने संलग्न किया है।

16.	103	श्री गोविन्द प्रसाद गोस्वामी पुत्र श्री सुन्दर लाल गोस्वामी	कोटा
17.	105	श्री कुंज बिहारी शर्मा पुत्र श्री विष्णु गोपाल शर्मा।	कोटा
18.	109	श्री निहाल चंद सिंह पुत्र श्री भोमाराम।	अलवर
19.	135	श्री अलताफ हुसैन पुत्र श्री अब्दुल गफार।	कोटा
20.	144	श्री गुमान सिंह राठौड़ पुत्र श्री सवाई सिंह राठौड़।	अजमेर
21.	160	श्री मोहन लाल कुम्हार पुत्र श्री भुरा लाल कुम्हार।	बुन्दी
22.	189	श्री श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री जौहरी लाल शर्मा।	भरतपुर
23.	190	श्री विजय पाल सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह।	कोटा
24.	191	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री भावान सिंह।	भरतपुर
25.	209	श्री महेश चन्द मिना पुत्र श्री मधुसदन लाल मिना।	अलवर
26.	219	श्री गुलाम नवी पुत्र श्री नसीरमोहम्मद छिपा।	भीलवाडा
27.	248	श्री ज्ञान प्रकाश यादव पुत्र श्री धर्मपाल यादव।	अलवर
28.	63	श्री दिनेश चन्द शर्मा पुत्र श्री बृद्धा राम शर्मा।	भरतपुर
29.	192	श्री किशन लाल ज्योतिषि पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद ज्योतिषि।	जयपुर
30.	247	श्री रामाअवतार पुत्र श्री राधेश्याम।	भरतपुर
31.	244	श्री मनोहर लाल शर्मा पुत्र श्री नन्द किशोर शर्मा	जयपुर
32.	62	श्री छोटे लाल पुत्र श्री जनक सिंह	भरतपुर
33.	80	श्री लाखन सिंह पुत्र बलराम शर्मा	भरतपुर
34.	125	श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री केशव देव	भरतपुर
35.	181	श्री वीरूमल सिन्धी पुत्र श्री कुन्दन लाल सिन्धी	जयपुर
36.	134	श्री समुन्द्र सिंह पुत्र श्री जोरावर सिंह	कोटा
37.	222	श्री लाला राम वर्मा पुत्रश्री मुन्ना लाल वर्मा अनुसूचित जाति एवं जनजाति	जयपुर
38.	242	श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री मिश्री लाल अनुसूचित जाति/जन जाति	जयपुर
39.	223	श्री राम पाल सिंह पुत्र श्री शोभा राम	जयपुर
40.	231	श्री शिव लाल रेगर पुत्र श्री ग्यारसी लाल रेगर	टौंक
41.	232	श्री भजन लाल पुत्र श्रीश्याम लाल साक्यावार	सवाई-माधोपुर

Page No. 270

(270)

क्रम संख्या 1	अनु. क्रमांक 2	नाम और पिता का नाम 3	जिला 4	
42.	233	श्री रोहितास सांवरिया पुत्र श्री प्रभाती लाल सांवरिया	अलवर	
43.	238	श्री गोपाल लाल कुम्हार पुत्र श्री घोसा लाल कुम्हार	जयपुर	
44.	235	श्री शंकर मल पुत्र श्री बद्री लाल गार्गो	जयपुर	
45.	231	श्री जमन लाल कोली पुत्र श्री भोलि राम कोली	अलवर	
46.	229	श्री व्रज मोहन पैरवें पुत्र श्री रघुनाथ अनुसूचित जाति जन-जाति	कोटा	
47.	236	श्री [illegible]	भरतपुर	
48	107	श्री [illegible]	भीलवाड़ा	
49.	225	श्री लक्ष्मण लाल पुत्र श्री किशोर लाल कोली	भीलवाड़ा	
50.	176	श्री दीन दयाल पुत्र श्री सोहन लाल	भरतपुर	
51.	167	श्री कल्याण नाथ पुत्र श्री हीरा लाल	भीलवाड़ा	जाति का प्रमाण-पत्र दिखाने पर ही प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावे ।

प्रतीक्षा—सूची

क्रम संख्या	अनु. क्रमांक	नाम और पिता का नाम	जिला
1.	239	श्री गिरीश प्रसाद पुत्र श्री मोहन प्रसाद श्रीवास्तव	कोटा
2.	49	श्री भवानी शंकर नामदेव पुत्र श्री मथुरालाल जी	कोटा
3.	120	श्री मोहन लाल चौधरी पुत्र श्री बाबूलाल चौधरी	झालावाड़
4.	14	श्री शकूर मोहम्मद पुत्र श्री खनकिया -अलादीन	कोटा
5.	76	श्री ललीत कुमार सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह	जयपुर
6.	164	श्री चतुर्भुज सिंह हाडा पुत्र श्री प्रहलाद सिंह हाडा	टोंक
7.	163	श्री हरिहर तिवाड़ी पुत्र श्री देवी लाल	कोटा
8.	249	श्री अब्दुल रजाक पुत्र श्री अब्दुल मजीद	कोटा
9.	40	श्री सत्य नारायण पुत्र श्री बंशी धर	कोटा
10.	32	श्री अवधेश कुमार गौतम पुत्र श्री मिश्री लाल	जयपुर

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न, संख्या 451 की सूची)

BIRLA COLLEGE, BHAWANIMANDI

SESSION 1979—80

FIRST YEAR T.D.C. COMMERCE CLASS

S.N.	Name of Students	S.No.	Name of Students
1	2	1	2
1.	Abbas Ali	33.	Joyabali
2.	Abdual Mannan	34.	Jugal Kishore
3.	Anil Kumar Jain	35.	Kailash Chandra Gupta
4.	(Miss) Asha Gupta	36.	Kailash Chandra Maheshwari
5.	Ashok Kumar	37.	Kailash Chandra Sharma
6.	Ashok Kumar Soni	38.	Kalulal Jain
7.	Babulal Gayari	39.	Kalu Singh Tanwar
8.	Bankatlal Gupta	40.	Kanhaiyalal Nagar
9.	Bheru Singh Jhala	41.	(Miss) Kiran Joshi
10.	Bhupendra Kumar Vyas	42.	Kishan lal Namdeo
11.	Damodar Das Jaddha	43.	Madhusudan
12.	Dariyasilal	44.	Mahesh Chandra Gupta
13.	Dilip Kumar Jain	45.	Mahesh Kumar Vyas
14.	Dinesh Chandra Sharma	46.	Mangilal Gupta
15.	Dinesh Kumar Jain	47.	Manmohan Jayaswal
16.	Erhfan Beg	48.	Manoharlal Gupta
17.	Ganesh Sharma	49.	Manoj Kumar
18.	Ghanshyam Maheshwari	50.	Moeenuddin Khan
19.	Girdhar Gopal Sharma	51.	Nand Kishore Soni
20.	Giriraj Prasad Gupta	52.	Narain Prasad Sharma
21.	Gopal Lal Birla	53.	Narendra Kumar Jain
22.	Hansraj Gupta	54.	Narendra Kumar Jain
23.	Hukam Chand Jain	55.	Omprakash Jayaswal
24.	Hukam Chand Soni	56.	Omprakash Khandelwal
25.	Ishwar Chadra Sharma	57.	Parasmal Jain
26.	Ismail	58.	Prahalad Singh
27.	Jagdish Chandra	59.	Prakash Chandra Sharma
28.	Jagdish Chandra Ahuja	60.	Pramod Kumar Jain
29.	Jagdish Kumar Soni	61.	Pramod Kumar Sharma
30.	Jamu Kumar Jain	62.	Raj Kumar Jain
31.	Jankidas Bairagi	63.	Rajendra Kumar Gupta
32.	Jorawar Singh	64.	Rakesh Kumar Jain

Page No. 272

(272)

1	2	1	2
65.	Rambabu Gupta S/o Sh. Rambilas	82.	Shyam Sunder
		83.	Sunil Kumar Bohara
66.	Rambabu Gupta S/o Shri Ramprasad	84.	Sunil Kumar Gaur
		85.	Suresh pal Singh
67.	Ramchandra Santwani	86.	Suresh Chandra Upadhyay
68.	Ramdayal Anjana	87.	Suresh Kumar Laddha
69.	Ramesh Chandra Dhakar.	88.	Suresh Kumar Maheshwari
70.	Ramesh Chandra Jain	89.	Suryanarain Vyas
71.	Ramesh Kumar Arrora	90.	Umesh Kumar Yadva.
72.	Ramesh Kumar Jain	91.	Umed Singh Shaktwat
73.	Ram prasad Patidar	92.	Vijay Kumar Rathi
74.	Rayees Ahmed	93.	Vimal Sogani
75.	Roop Singh Jain	94.	(Miss) Vimala Chabra
76.	Rustom Mohammed	95.	Vishnu Prakash Goyal
77.	Santosh Kumar Bapat	96.	Yashwant Kumar Jain
78.	Satyanarain Tiwari	97.	Yashwant Kumar Joshi
79.	Shailendra Kumar Rawal	98.	Vishnu Kumar Patidar
80.	Shubh Kumar Vyas	99.	Pradyuman Kumar
81.	Shyam Manohar Acholiya	100.	Kailash Chand Chhipa

BIRLA COLLEGE, BHAWANI MANDI

SESSION : (1979-80)

SECOND YEAR T.D.C. COMMERCE CLASS

S. No.	Name of Students	S. No.	Name of Students
1	2	1	2
1.	Ashutosh Mehta	28.	Ashok Kumar Bohara
2.	Bal Krishan Maheshwari	29.	Bhandur Singh Rana
3.	Brij Mohan Meena	30.	Dinesh Kumar Gupta
4.	Chandra Prakash	31.	Gopal Das Agrwal
5.	Gordhanlal Gupta	32.	Harpal Singh
6.	Govind Kumar Gupta	33.	Jagdish Chandra Gupta
7.	Indrajit Singh	34.	Kailash Chandra Gupta
8.	Madan Lal Nagar	35.	Kripa Ram Patidar
9.	Mahesh Kumar Vyas	36.	Lal Chand Mali
10.	Manoharlal	37.	Naresh Chandra Sranghi
11.	Manoharlal Parmar	38.	Narayandas Tulsani
12.	Mukesh Kumar Agrawal	39.	Nand Kishore Gupta
13.	Narayan Prakash Garg	40.	Rajendra Kumar Gupta I
14.	Natth Gupta	41.	Rajendra Kumar Gupta II
15.	Naveen Kumar Bhatnagar	42.	Rajendra Singh Bhatiya
16.	Omprakash Chaturvedi	43.	Ramesh Chand Goyal
17.	Raghuvir Sharan Pathak	44.	Santosh Singh Hura
18.	Rajendra Kumar Chaudhari	45.	Satyanarain Sharma
19.	Rajkumar Patidar	46.	Shanti Lal Jain
20.	Ramesh chandra Sharma	47.	Shyam Singh Rajput
21.	(Miss) Suman Bhutra	48.	Ram Singh Hada
22.	Sabir Husain	49.	Suraj Karan Maheshwari
23.	Salim Ahamed Khan	50.	Vishnu Prasad Purohit
24.	Shrinath Choubey	51.	Ghanshyam Das Gupta
25.	Tanujkumar Sharma	52.	Mansingh Jhala
26.	Ranwarlal Hada	53.	Rajendra kumar Bhutra
27.	Yashwant Kumar Sharma	54.	Shiv Narain Iaur

BIRLA COLLEGE, BHAWANI MANDI

SESSION 1979-80

FINAL YEAR, T.D.C. COMMERCE CLASS

1	1 2
1. An.l Kumar Porwal	23. Premchand Gupta
2. Anil Kumar Rawat	24. Radheyshyam Kulmi
3. (Miss) Anita Ghaiya	25. Rajiv Kumar Agrawal
4. Ashoka Kumar Gupta	26. Rambabu Verma
5. Ashok Kumar Sharma	27. Rameshwar Prasad Khandelwal
6. Atma Ram	28. Ramratan Dhoot
7. Bal Krishna Gupta	29. Rishabh Jain
8. Bhairulal Gupta	30. Radha Kirshna Gupta
9. Bhairu l l Gupta	31. Shrinath Gupta
10. Damodar Prasad Kacholiya	32. Shyamasundar Acholiya
11. Gopal Krishan Gupta	33. (Miss) Snehalata
12. Gopal Lal Porwal	34. Sunil Dutta Ca.udhari
13. Harishanker	35. Yashwant Kumar Bindal
14. Jagdish Chandra Maheshwari	36. Omprakash Sharma
15. Jitendra Kumar Gupta	37. Prem Chand Gupta S/o Bhanwar Lal
16. Laxmikant Upadhyay	38. (Miss) Rita Sharma
17. Mahendra Kumar Verma	39. Suresh Chand Gupta
18. Mahesh Chand Garg	40. Shiv Narain Iaur
19. Murli Manohar Gupta	41. Trilik Chand Gautam
20. Narayan Das Lodha	42. Udai Singh Songara
21. Paras Kumar Patni	43. Dilip Kumar Sharma
22. (Miss) Pratima Gupta	

275

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 452 का विवरण)

नगर परिषद्, जोधपुर—सूरसागर विधान सभा क्षेत्र विकास कार्य का विवरण
वर्ष 1980–81

(अ)

1.	सड़क निर्माण कार्य पावूपुरा	49,150।-
2.	पावूपुरा जसवन्तसिंह का फार्म	80,697।-
3.	सिंधियों की गली	86,970।-
4.	रावती सड़क	18,398।-
5.	ताराचन्द जी हाउस	18,511।-
6.	एरोड्राम के पास	24,215।-
7.	गीता भवन के पास	10,983।-
8.	सूरसागर स्कूल के पास	31,342।-
9.	विद्यार्शाला स्कूल	28,586।-
	योग	2,68,852।-

(ब) ड्रेन व सिवर लाईन इत्यादि:

1.	पत्थर की बैंच लगाना, चौपासनी	03,031।-
2.	कम्पाउन्ड वाल सूगर मिल चौपासनी	03,900।-
3.	सड़क का कार्य, डूंगरिया महादेव का मन्दिर कुत्तों का वाड़ा	23,420।-
4.	खालियों का निर्माण चौपासनी	09,510।-
5.	फर्श का कार्य, चौपासनी मण्डी	13,500।-
6.	खालिया व फर्श का कार्य, भीलबस्ती, बलाई बस्ती, सूरसागर	69,800।-
7.	डामर का कार्य, रामपोल की बारी	07,750।-
8.	खालियों व फर्श का निर्माण सुभास चौक	12,930।-
	योग	1,74,192।-

(स) बिजली लाईनों में वृद्धि:

1.	उम्मेद सागर, गोला सनिर पृथम धरण तक रोड लाईट	41,000।-
2.	गोरावड रोड लाईट की व्यवस्था	12,415।-
3.	मेघवालों का वास, राजबाग से प्रताप नगर रेल्वे क्रासिंग तक	33,936।-
4.	चौपासनी गांव, भाटी बावड़ी	10,065।-
	योग	97,416।-

(द) डिपोजिट वर्क्स :

1.	सुन्दर हिल चौपासनी सड़क पर डामर कार्य	30,000/-
2.	चौपासनी टेम्पल मरम्मत	13,040/-
3.	सुन्दर हिल का विकास, चौपासनी	31,400/-
4.	सुन्दर हिल का निर्माण, चौपासनी	12,900/-
	योग .	87,340/-

1.	सड़क निर्माण व मरम्मत	2,68,852/-
2.	ड्रेन सिवर लाईन इत्यादि	1,74,192/-
3.	बिजली लाईनों में वृद्धि	97,416/-
4.	डिपोजिट वर्क्स	87,348/-
	योग..	6,27,800/-

———

कार्यालय नगर परिषद्

आय

क.सं.	मद	बजट वर्ष 77–78	बजट वर्ष 78–79
1.	कर से	1,09,98,000	1,49,60,000
2.	उप-विधियों से	01,38,600	01,64,600
3.	सम्पत्ति एवं अधिकारों से	06,67,500	06,76,500
4.	नियमों व अधिनियमों से	80,000	80,000
5.	शक्तियों से	15,000	15,000
6.	विविध	19,89,324	27,09,324
7.	भूमि विक्रय	15,000	15,000
8.	सहायता व ऋण	05,00,000	05,00,000
9.	अन्य स्रोत	08,75,000	08,75,000
	योग..	1,52,65,424	1,99,95,424
	प्रारम्भिक शेष..	25,00,000	70,00,000
	वृहत योग..	1,77,65,424	2,69,95,424

(278)

व्यय

क्र.सं.	मद का विवरण	बजट वर्ष 77–78		बजट वर्ष 78–79
1.	सामान्य शासन	09,51,750		11,16,950
2.	कर विभाग	12,93,000		14,40,500
3.	जन-स्वास्थ्य विभाग	73,04,300		78,44,100
4.	सार्वजनिक रक्षा	03,41,000		03,59,700
5.	औषधालय	10,000		20,000
6.	रोशनी	06,79,700		06,80,900
7.	ज़ल	11,000		11,000
8.	पशु गृह	01,31,800		01,42,100
9.	शिक्षा	06,000		06,000
10.	उद्यान	30,400		31,400
11.	सार्वजनिक मरम्मत	89,80,300		13,26,500
12.	विकास कार्य पर व्यय :			
	(अ) नये कार्यों का निर्माण	11,14,000	(अ) नयें कार्यों का निर्माण	25,00,000
	(ब) मुआवजा विकास योजनाएें हेतु	01,00,000	(ब) मुआवजा	50,000
	(स) बिजली लाईनों में वृद्धि	03,00,000	(स) बिजली ला. वृद्धि	10,00,000
	(द) भवन निर्माण	02,00,000	(द) उद्यान निर्माण	03,00,000
			(घ) सूखे शौचालयों को फ्लश में बदलने हेतु अनुदान	06,00,000
	कुल	17,14,000	(य) इन्डोर स्टेडियम	05,00,000
			(र) लीकेज लाईन बड़ी	25,00,000
			(ल) भवन निर्माण	05,00,000
			कुल..	79,50,000
13.	नवीन सम्पति व सामान क्रय	07,50,000		15,00,000
14.	ऋण	02,00,000		06,00,000
15.	विविध	08,10,000		15,00,000
	योग..	1,52,13,250		2,45,29,150
	अन्तिम शेष	25,52,174		24,66,274
	वृहत योग ..	1,77,65,424		2,69,95,424

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 454 का विवरण)

विवरण पत्र परिषद् (न्यास की जीप संख्या आर. जे. ई. 1070 द्वारा परिषद् क्षेत्र से बाहर की गई यात्रा की सूची

क्रम संख्या	गाड़ी नं.	यात्रा दिनांक से दिनांक	कहां यात्रा की गई	उपयोग कर्त्ता अधिकारी का नाम व पद	उद्देश्य	कितने किलोमीटर चली	व्यय पैट्रोल/डीजल	वसूल की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आर. जे. ई. 1070	31-5-77से 15-6-77	निर्वाचन कार्य हेतु	जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा	निर्वाचन कार्य	689	पैट्रोल निर्वाचन विभाग से दिया गया	420-00
2	„	23-1-78से 12-2-78	„	„	„	1,400	„	
3	„	15-5-78से 23-5-78	„	„	„	185	„	210-00
4	„	6-3-79से 8-3-79	जयपुर	श्री बंसतीलाल पितल्या, आयुक्त प्रहलादराय, रामनिवास एवं कुदरत अली	वि.प्रश्न 82,64 व 16 की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत	749	98 लीटर	..
5	„	21-4-79से 23-4-79	जयपुर	श्री बंसतीलाल पितल्या, एच. ओ. श्री प्रहलादराय हरिशंकर	रेडियेटर टायर, ट्यूब क्रय करने निदेशालय से आवश्यक कार्य निपटाने	720	97 लीटर	..

Page No. 280

1			4	5	6	7	8	9
6	आर. जे. ई. 1070	20-6-79से 23-6-79	गंगापुर, शाहपुरा	क्षेत्रीय सहायक निदेशक	आडिट आक्षेप निपटाने	250	30 लीटर	..
7	,,	8-9-79से 11-9-79	जयपुर	ए. ई. एन. श्री अब्दुल रजाक, श्री बंसल, श्री बाल कृष्ण नैयर	रोड रोलर इंजन कार्य	665	80 लीटर	..
8	,,	29-12-79से 4-1-80	निर्वाचन कार्य	जिला निर्वाचन अधिकारी	निर्वाचन कार्य	500	पैट्रोल निर्वाचन कार्यालय ने दिया	234-00
9	,,	7-2-80से 9-2-80	जोधपुर	आयुक्त, श्री शंकर सिंह सोलंकी सिराजुद्दीन, नारायणदास	रणजीतलाल बनाम परिषद् को पीटिशन में परिषद् को पक्षकार बनाने हेतु व डालडा मिल की पीटिशन की जानकारी हेतु	664	88 लीटर	..

परिषद् वाहनों द्वारा परिषद् क्षेत्र से बाहर की गई यात्राओं का विवरण

क्रम संख्या	यात्रा दिनांक से दिनांक	कहां यात्रा की गई	उपयोग कर्ता अधिकारी का नाम	उद्देश्य	कितने किलो मीटर चली	व्यय पट्रोल/डीजल लीटर	वसूल की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			वर्ष 1977-78				
आर. जे. ई. 994:							
1.	7-6-77 से 15-6-77.	भीलवाड़ा	श्री के. एल. भण्डारी-प्रशासक	चुनाव कार्य हेतु	329	75	270-00
2.	28-1-78 से 11-2-78	,,	,,	पंचायत चुनाव कार्य हेतु	1324	200	420-00
आर. जे. ई. 3872							
1.	28-5-77	उदयपुर	श्री प्रशासक महोदय	चुनाव हेतु सामान खरीदने	350	40	..
2.	7-6-77 से 8-6-77	जयपुर	श्री परमेश्वर, ड्राईवर	कार की सर्विसिंग कार्य हेतु	570	75	..
3.	5-8-77 से 11-8-77	जयपुर	श्री आयुक्त एवं सहायक अभियन्ता	सर्विसिंग एवं कार्यालय कार्य तथा रिंग डलवाने	690	85	..
4.	25-12-77 से 28-12-77	जयपुर	आयुक्त एवं स्टाफ	शाह आयोग संबंधी रेकार्ड	730	92	..
5.	18-1-78 से 19-1-78	अजमेर	स्वास्थ्य अधिकारी एवं सहायक परीक्षक, स्था. नि. अंके. विभाग,	जो आक्षेप यहां निरस्त किये गये थे उनकी पूर्ण रिपोर्ट	290	37	..
6.	22-1-78 से 25-1-78	जयपुर	आयुक्त एवं स्टाफ	कार्यालय कार्य हेतु	740	95	..

Page No. 282

	1	2	3	4	5	6	7	8
				वर्ष 1978-1979				
आई. जे. ई. 994:								
1.	15-5-78 से	22-5-78	भीलवाड़ा	जिला निर्वाचन अधिकारी	चुनाव कार्य हेतु	432	82	..
2.	12-2-79 से		,,	श्री रामनिवास राठी	व्यक्तिगत	81	14	
आर. जे. ई. 3872:								
1.	29-5-78		मांडल	क्षेत्रीय सहायक निदेशक, उदयपुर	नगरपालिका निरीक्षण, उदयपुर	40	5	..
2.	29-5-78		शाहपुरा	,,	,,	50	7	..
3.	30-5-78		जहाजपुर वापस शाहपुरा	,,	नगरपालिका निरीक्षण, उदयपुर	98	12	..
4.	31-3-78		आसीन्द, भीलवाड़ा	,,	,,	159	20	..
5.	28-7-78 से	1-8-78	जयपुर	जिलाधीश महोदय, भीलवाड़ा	सुभाष नगर के बैंक साइड अतिक्रमण पर विचार हेतु	598	85	..
6.	23-8-78 से	24-8-78	मांडल	क्षेत्रीय सहायक निदेशक, उदयपुर	नगरपालिका निरीक्षण	76	10	..
7.	22-9-78 से	24-9-78	जयपुर	प्रशासक आयुक्त एवं जगदीश-पलोड़	यू. आई. टी. स्टाफ संबंधी वार्ता	668	90	..
8.	13-11-78 से	15-11-78	जयपुर	श्री आयुक्त एवं प्रहलादराय कावरा	वि. सभा प्र. 15 के उत्तर बाबत	726	95	..

9.	23-11-78 से 25-11-78	शाहपुरा	क्षेत्रीय सहायक निदेशक, उदयपुर	आडिट आक्षेप निस्तारण	147	18	..
10.	25-11-78 से 28-11-78	जयपुर	प्रशासक, आयुक्त व राधेश्याम बांगड	बर्मा शैल एजेन्सी से तारकोल हेतु वार्ता करने बाबत	681	92	..
11.	10-12-78		जगदीशलाल पलोड	व्यक्तिगत	142	18	142-00
12.	18-1-79 से 19-1-79	गंगापुर, भीलवाड़ा व शाहपुरा	क्षेत्रीय सहायक निदेशक, उदयपुर	अंकेक्षण आडिट आक्षेप निपटाने अभियान एवं स्थल निरीक्षण	234	29	..
13.	25-2-79 से 26-2-79	जयपुर	श्री प्रशासक एवं स्टाफ	कार्यालय कार्य हेतु	624	87	..
14.	30-3-79	जयपुर	प्रशासक, सहायक अभियंता रामनिवास राठी	अनुदान कार्य हेतु	619	87	..

वर्ष 79–80

आर. जे. ई. 994—

1.	21-4-79	बड़ा महुआ शाहपुरा	श्री सहायक अभियन्ता	श्री अम्बालाल सुनार के केस में स्कूल प्रमाण-पत्र निरीक्षण एवं शाहपुरा नगरपालिका के निर्माण कार्यों का निरीक्षण	133	23	..

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	2-6-79	मांडल	श्री सहायक अभियन्ता	निर्माण कार्य निरीक्षण	51	9	
3.	11-11-79	भीलवाड़ा के आसपास	श्री सहायक अभियन्ता	आसपास की खानों से पत्थर के सैम्पल लेने	95	16	..
आर. जे. ई. 3872							
1.	2-4-79 से 3-4-79	जयपुर	श्री प्रशासक व रामनिवास राठो	विधान सभा प्रश्न हेतु	651	90	..
2.	24-4-79 से 27-4-79	जयपुर	श्री प्रशासक व गैरेज अधीक्षक	फायर ब्रिगेड के रेडियटर व टायर एवं आफिस कार्य	727	95	..
3.	7-5-79 से	अजमेर	श्री प्रशासक एवं स्टाफ	आडिट आक्षेप एवं सामान क्रय करने हेतु	309	38	..
4.	10-5-79	गुरला	श्री रमेश बोहरा	व्यक्तिगत	50	7	..
5.	24-5-79 से 29-5-79	जयपुर	श्री प्रशासक महोदय	कार्यालय कार्य हेतु एवं मंत्री महोदय से सम्पर्क	794	100	..
6.	4-8-79 से 8-8-79	जयपुर वाया ब्यावर	श्री प्रशासक व राधेश्याम बांगड़	पेंडिंग कार्य निपटाने	763	92	..
7.	16-8-79 से 19-8-79	जयपुर	जिलाधीश महोदय, भीलवाड़ा	रेगुलराइज बाबत	798	100	..

8.	30-8-79 से 4-9-79	जयपुर	प्रशासक महोदय	पैंडिग कार्य निपटाने	730	95	..
9.	5-10-79 से 7-10-79	जयपुर	आयुक्त एवं, रामनिवास राठी	विधान सभा प्रश्न आवश्यक	915	90	..
10.	10-11-79 से 13-11-79	जयपुर	प्रशासक, आयुक्त, रामनिवास राठी	परिशद कार्य हेतु	682	85	..
11.	8-1-80 से 9-1-80	जयपुर	जिलाधीश के आदेश से श्री सोहनसिंह जो गये	चुनाव कार्य	560	70	..

आर. जे. ई. 5784.—

1.	26-2-80 से 27-2-80	जयपुर	श्री शंकरसिंह सोलंकी, आयुक्त	आफिस कार्य हेतु	596	75	..
2.	3-3-80	उदयपुर	श्री प्रशासक	आफिस कार्य हेतु	379	48	..
3.	5-3-80 से 6-3-80	जयपुर	श्री प्रशासक, आयुक्त	आफिस कार्य हेतु	658	82	..
4.	22-3-80 से 23-3-80	उदयपुर	श्री सचिव महोदय	पैंडिग कार्यों की स्वीकृति डी. टी. पी. से तथा सर्विसिंग हेतु।	378	48	..

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 456 की सूची)

क्र.सं.	नाम परमिटधारी	मात्रा (थैलों में)	क्र. सं.	नाम परमिटधारी	मात्रा (थैलों में)
1	2	3	1	2	3
1.	श्री हरखचन्द गंगावाल	50	29.	श्री जमना लाल	5
2.	श्री लक्ष्मण दास	20	30.	श्री पूरणमल सोनी	10
3.	श्री हनुमानसिंह	10	31.	श्री नन्द किशोर	6
4.	श्री श्रवणसिंह	10	32.	श्री बिरदीचन्द	5
5.	श्री प्रह्लादसिंह	20	33.	श्री सोहन लाल	5
6.	श्री श्रीराम शर्मा	30	34.	श्री बिरदी चन्द	5
7.	श्री श्रीराम शर्मा	10	35.	श्री पांचू राम	10
8.	श्री सोहन लाल	10	36.	श्री राधेकृष्ण	5
9.	श्री सोहन लाल सरपंच	25	37.	श्री मदन लाल	5
10.	श्री मांगीलाल धायल	5	38.	श्री गन्ही मोहम्मद	10
11.	श्री रघुनाथ प्रसाद पारीक	10	39.	श्री भूथाराम	15
12.	श्री मुरलीधर पारीक	10	40.	श्री गुलारामजी	10
13.	श्री बंशीधर पारीक	10	41.	श्री मालाराम	8
14.	श्री चिरंजीलाल जैन	10	42.	श्री चन्द्राराम	15
15.	श्री चिरंजीलाल जैन	5	43.	श्री सांगाराम	5
16.	श्री सुरेन्द्र सिंह	10	44.	श्री आशुसिंह	25
17.	श्री छगन लाल शर्मा	5	45.	श्री भूराराम	10
18.	श्री कैलाश चन्द्र	10	46.	श्री श्रीप्रकाश चन्द्र	5
19.	श्री मुरारीलाल शर्मा	5	47.	श्री ज्ञानचन्द	5
20.	श्री प्रह्लाद राम	5	48.	श्री जगन्नाथ	7
21.	श्री सहस करण	30	49.	श्री शिवशंकर	10
22.	श्री रामदेव	5	50.	श्री पूरणमल	5
23.	श्री गोविन्द नारायण	5	51.	श्री सतीदान सिंह	15
24.	श्री दुर्गाप्रसाद	5	52.	श्री गिरधारी लाल	5
25.	श्री सूरजमल जैन	20	53.	श्री मोहनलाल	10
26.	श्री घीसाराम	5	54.	श्री सूरजमल	5
27.	श्री किशनलाल	5	55.	श्री मुकनाराम	5
28.	श्री बृज मोहन	5	56.	श्री हुसैन खांन	5

Page No. 287

287

1	2	3	4	5	6
57.	श्री भंवरसिंह	8	90.	श्री कुम्भा राम	30
58.	श्री रतन लाल	8	91.	श्री रामचन्द्र	25
59.	श्री द्वारका प्रसाद	10	92.	श्री भूराराम	20
60.	श्री रूपनारायण	7	93.	श्री सरपंच ग्राम पंचायत खाचरिया वास	20
61.	श्री भंवरी लाल	5			
62.	श्री हरखचन्द	5	94.	श्री मालखत	5
63.	श्री हनुमान बक्स	5	95.	श्री जमना राम	5
64.	श्री सूरजमल	5	96.	श्री भंवर लाल	5
65.	श्री पारस कुमार	5	97.	श्री सोहन लाल	20
66.	श्री मोहन लाल	5	98.	श्री रतनाराम	10
67.	श्री लालचन्द	5	99.	श्री राधाकृष्ण शास्त्री	5
68.	श्री सुमेर सिंह	5	100.	श्री नन्द किशोर	20
69.	श्री नारायण राम	5	101.	श्री रामदेव	10
70.	श्री मोती लाल	5	102.	श्री हरिकिशन	10
71.	श्री राधाकिशन	5	103.	श्री धूडाराम	25
72.	श्री भंवरसिंह	10	104.	श्री मांगीलाल	25
73.	श्री मालखेत	5	105.	श्री बजरंग लाल	25
74.	श्री मंगलाराम जाट	10	106.	श्री बेगाराम	7
75.	श्री सुवालाल	10	107.	श्री सेवाराम	10
76.	श्री मदनलाल जी		108.	श्री तेजाराम	10
77.	श्री मंगलाराम	10	109.	श्री हीराराम	10
78.	श्री महावीर प्रसाद	10	110.	श्री बिरदाराम	10
79.	श्री अली मोहम्मद	8	111.	श्री सरपंच ग्राम पंचायत कुली	25
80.	श्री रूपा राम	10	112.	श्री गोपीचन्द	25
81.	श्री बालूराम	20	113.	श्री मानाराम चौधरी	20
82.	श्री द्वारका प्रसाद	10	114.	श्री बालूराम	10
83.	श्री सूरजाराम	15	115.	श्री वन्शीधर पारीक	10
84.	श्री नारायण	30	116.	श्री भंवरलाल	30
85.	श्री महादेव	15	117.	श्री रामवतार	10
86.	श्री छोटूलाल	7	118.	श्री बुद्धसिंह	10
87.	श्री सरपंच लाम्या ग्राम पंचायत	25	119.	श्री सोहनयाल	10
88.	श्री नानूराम	15	120.	श्री हनुमान जाट	5
89.	श्री ईसरा राम	25	121.	श्री नारायण सिंह	15

1	2	3	1	2	3
122.	श्री नारायण लाल	5	154.	श्री छिगनलाल	5
123.	श्री भोमा राम	5	155.	श्री भंवरलाल	5
124.	श्री हनुमान सहाय	4	156.	श्री मालाखेत	5
125.	श्री प्रधानाध्यापक, रा. शाला कांवरा		157.	श्री चिरंजीलाल	5
126.	श्री सरपंच ग्राम पंचायत बनाथला	25	158.	हकीमचन्द	5
127.	श्री वोदूराम	25	159.	श्री सहस्त्री सिंह	10
128.	श्री रामलाल	25	160.	श्री सरपंच ग्राम पंचायत कुली	25
129.	श्री हीरालाल	10	161.	श्री सूरजमल	10
130.	श्री रघुवर दयाल	5	162.	श्री जगदीश	5
131.	श्री मंगला राम	5	163.	श्री गोपाल लाल	10
132.	श्री देवीदयालसिंह	5	164.	श्री रामेश्वर लाल	5
133.	श्री मूलसिंह	8	165.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	5.
134.	श्री हनुमानसिंह	8	166.	श्री मांगी लाल	10
135.	श्री गोवर्धनसिंह	8	167.	श्री पदम चन्द	3
136.	श्री भूराराम	30	168.	श्री गंगाराम	10
137.	श्री चिरंजी लाल	15	169.	श्री जगदीश	3
138.	श्री बिशनसिंह	15	170.	श्री गणेश राम	3
139.	श्री सरपंच ग्राम पंचायत खाचरिया बास	25	171.	श्री नारायण लाम्बा	15
			172.	श्री राधाकृष्ण शर्मा	6
140.	श्री ताराचन्द	5	173.	श्री सुवालाल	3
141.	श्री रामेश्वर	10	174.	श्री ठाकर घनश्याम सिंह	5
142.	श्री कमरुद्दीन	5	175.	श्री सुरेन्द्र सिंह	5
143.	श्री चन्दनमल	7	176.	श्री माही झबरी	5
144.	श्री द्वारका प्रसाद	5	177.	श्री गुलाब बलाई	7
145.	श्री मुरारीलाल	5	178.	श्री रामचन्द्र	1
146.	श्री श्रीराम	5	179.	श्री हनुमाना राम	1
147.	श्री नारायण	10	180.	श्री मुरारी लाल	1
148.	श्री कन्हैयालाल	8	181.	श्री नन्द किशोर	1
149.	श्री भंवरलाल	7	182.	श्री साधूराम	1
150.	श्री द्वारका प्रसाद	25	183.	श्री मदन लाल	1
151.	श्री सेढूराम	15	184.	श्री सोहन लाल	1
152.	श्री मोहन सिंह	10	185.	श्री वन्शीधर शर्मा	1
153.	श्री फतेह मोहम्मद	5	186.	श्री राधाकृष्ण	1

Page No. 289

(289)

1	2	3
187	श्री सोहन लाल	1
188	श्री पदम चन्द	1
189	श्री कमरुद्दीन	3
190	श्री मकबूल खां	1
191	श्री रामेश्वर	1
192	श्री रोडाराम	1
193	श्री गुलाब चन्द	1
194	श्री प्रकाश चन्द	1
195	श्री राधेश्याम	1
196	श्री फतुस्यां	1
197	श्री रतनलाल	1
198	श्री देवीलाल	1
199	श्री हुसैन खां	1
200	श्री ज्ञान चन्द	1
201	श्री बक्सीराम	9
202	श्री महावीर प्रसाद	1
203	श्री किशनाराम	1
204	श्री गुलाब चन्द	1
205	श्री ओम प्रकाश	1
206	श्री कैलाश चन्द	1
207	श्री प्रबन्धक शिव मन्दिर	4
208	श्री पवन कुमार	1
209	श्री मंगलाराम	1
210	श्री छगन लाल	1
211	श्री हीरा लाल	1
212	श्री चिरंजी लाल	1
213	श्री टीकूराम	1
214	श्री रामदयाल	1
215	श्री गोविन्द नारायण	1
216	श्री श्रीमती माली देवी	1
217	श्री मालखेत	1
218	श्री टीकम चन्द	1
219	श्री हनुमान	1
220	श्री रघुवीर सिंह	1
221	श्री मालू राम	1
222	श्री मालूराम	1
223	श्री गोमाराम	1
224	श्री हनुमान	1
225	श्री महावीर प्रसाद	1
226	श्री श्याम सुन्दर	1
227	श्री हैदरखां	1
228	श्री गजानन्द	1
229	श्री गोपाल सेठी	1
230	श्री गली मोहम्मद	1
231	श्री जलालुद्दीन	1
232	श्री चिरंजीलाल	10
233	श्री बद्री सिंह	1
234	श्री देवी दयाल सिंह	3
235	श्री शंताराम जाट	2
236	श्री लालचन्द	5
237	श्री मूलचन्द	4
238	श्री चिरंजी लाल	5
239	श्री लच्छाराम	20
240	श्री नाथुराम	10
241	श्री विरदाराम	10
242	श्री बालूराम	10
243	श्री घीसाराम	10
244	श्री धन्नाराम	5
245	श्री कन्हैयालाल	2
246	श्री मोती राम	2
247	श्री भोलूराम	2
248	श्री झूंथाराम	2
249	श्री गोपीराम	4
250	श्री रामचन्द्र	2
251	श्री खांगाराम	2
252	श्री नाथाराम	2
253	श्री मांगूराम	2

1	2	3
254	श्री नाराना	4
255	श्री नारायण दत्त	2
256	श्री फूलचन्द	3
257	श्री रूपाराम	5
258	श्री बिरदाराम	5
259	श्री हीराराम	7
260	श्री नन्दाराम	2
261	श्री भूराराम	2
262	श्री मांगीलाल	2
263	श्री भंवरलाल	2
264	श्री दलसिंह	2
265	श्री बनाराम	7
266	श्री हनुमान	5
267	श्री दयाल राम	2
268	श्री भूराराम	5
269	श्री किशनाराम	8
270	श्री गुलाराम	5
271	श्री जोधाराम	2
272	श्री घीसाराम	2
273	श्री महादेव	4
274	श्री हनुमान	2
275	श्री रुडाराम	2
276	श्री गुलाब	5
277	श्री मूलसिंह	4
278	श्री लक्ष्मण सिंह	4
279	श्री गंगासिंह	2
280	श्री हनुमानाराम	1
281	श्री बन्शीधर	1
282	श्री भूरमल	8
283	श्री मोहनसिंह	2
284	श्री नाथूसिंह	2
285	श्री गोविन्द दास	2
286	श्री मोहन सिंह	1
287	श्री भगवान सिंह	3
288	श्री सरपंच, ग्राम पंचायत, खाचरियावास	20
289	श्री नोला राम	2
290	श्री नोला राम	5
291	श्री हनुमान प्रसाद	2
292	श्री जुगल किशोर	5
293	श्री जुगल किशोर	5
294	श्री टीकू राम	2
295	श्री जगदीश	3
296	श्री मोटाराम	8
297	श्री केसाराम	10
298	श्री चन्द खां	2
299	श्री साधू राम	1
200	श्री उदाराम	6
301	श्री भोमाराम	7
302	श्री लादूराम	3
303	श्री सुरेश चन्द	4
304	श्री बन्शी धर	2
305	श्री मनोहर लाल	7
306	श्री सुरेश चन्द	2
307	श्री प्रधानाध्यापक, रा.शाला रामजीपुरा	5
308	श्री पुगरसिंह	2
309	श्री रामू राम	8
310	श्री बुद्धी सिंह	2
311	श्री बुद्धी सिंह	1
312	श्री मांगूराम	2
313	श्री बीनजाराम	2
314	श्री मांगूराम	2
315	श्री जवराराम	2
316	श्री गोपाराम	5
317	श्री चन्दाराम	5

1	2	3	1	2	3
318	श्री सूरजाराम	2	351	श्री प्रकाश चन्द	2
319	श्री छोटूराम	2	352	श्री श्रीद्वारका प्रसाद	5
320	श्री नारायणदेवी	2	353	श्री नाथूराम	3
321	श्री तुलसीराम	2	354	श्री राधाकिशन	2
322	श्री हनुमान प्रसाद	2	355	श्री मुवालाल	2
323	श्री मोहम्मद	3	356	श्री हीरालाल	2
324	श्री इस्माइल खां	2	357	श्री वंशीधर	2
325	श्री हुसैनखां	2	358	श्री कुबेरसिंह	2
326	श्री भंवरसिंह	5	359	श्री लिक्ष्मण	3
327	श्री गुमानसिंह	5	360	श्री नानूराम	3
328	श्री महेश पारीक	5	361	श्री चतरसिंह	3
329	श्री नरपतसिंह	5	361	श्री लादूराम	2
330	श्री भंवरलाल	1	363	श्री कन्हैयालाल	3
331	श्री जमनलाल	2	364	श्री ताराचन्द	2
332	श्री ब्रजमोहन	2	365	श्री रामूराम	2
333	श्री मनोज कुमार	1	366	श्री हनुमान	2
334	श्री महावीर प्रसाद	3	367	श्री दुकलसिंह	2
335	श्री गिगाराम	2	368	श्री फतेह महोम्मद	2
336	श्री भंवरलाल	3	369	श्री भैरूराम	3
337	श्री भीवलाल	1	370	श्री छोटी	2
338	श्री शिवशंकर	2	371	श्री भैरूराम	1
339	श्री विद्याधर	2	372	श्री कानाराम	3
340	श्री गनीमोहम्मद	5	373	श्री गणेशराम	2
341	श्री किशन लाल	2	374	श्री दुकल	1
342	श्री श्रीनाथराम	1	375	श्री इब्राहिम	2
343	श्री कमरुद्दीन	1	376	श्री रतनलाल	5
344	श्री रतनसिंह	1	377	श्री गजानन्द	2
345	श्री मोहनदास	3	378	श्री कानाराम	2
346	श्री राधाकिशन	1	379	श्री रुडाराम	2
347	श्री गजानन्द	5	380	श्री श्रीकानाराम	1
348	श्री कमरुद्दीन	2	381	श्री रुडाराम	1
349	श्री रतनसिंह	2	382	श्री ज्ञानचन्द	2
350	श्री मोहनसिंह	2	383	श्री रघुवीरसिंह	2

1	2	3	1	2	3
384	श्री महावीर सिंह	1	417	श्रीमतीकमला देवी	2
385	श्री मन्नाराम	2	418	श्री चीमनदास	2
386	श्री भंवरलाल	2	419	श्री तेजसिंह	2
387	श्री मोहन लाल	2	420	श्री गुमानसिंह	2
388	श्री रामचन्द्र	2	421	श्री महावीरसिंह	2
389	श्री मांगूराम	2	422	श्री राधाकृष्ण	5
390	श्री मांगूराम	1	423	श्री उदयलाल	2
391	श्री मुकनाराम	1	424	श्री मूलदानसिंह	2
392	श्री मुकनाराम	2	425	श्री सतादीन	2
393	श्री गंगाबक्स	2	426	श्री हरमान	2
394	श्री हनुमान	2	427	श्री हनुमान	1
395	श्री मालीराम	2	428	श्री टीकूराम	2
396	श्री रामदयाल	5	429	श्री सन्तोष कुमार	2
397	श्री मदनलाल	3	430	श्री छगनलाल	2
398	श्री धर्मचन्द	3	431	श्री छगनलाल	1
399	श्री घीसालाल	3	432	श्री भवानीशंकर	2
400	श्री जुम्मा मोहम्मद	2	433	श्री सत्यनारायण	2
401	श्री साधूराम	2	434	श्री रामनिवास	5
402	श्री शंकरलाल	2	435	श्री सुरजाराम	2
403	श्री नारायण सिंह	2	436	श्री सुरजाराम	1
404	श्री नारायणसिंह	1	437	श्री नारायण	1
405	श्री हनुमान	2	438	श्री गौरुराम	1
406	श्री चतुर्भुज	2	439	श्री नाथूराम	1
407	श्री वालूराम	2	440	श्री सुरजाराम	1
408	श्री सुखाखाराम	2	441	श्री श्यामराम	1
409	श्री मंगलाराम	2	442	श्री किशनाराम	1
410	श्री रतनलाल	2	443	श्री किशनाराम	10
411	श्री कुन्दनलाल	2	444	श्री प्रधानाध्यापक शाला, धींगपुर	5
412	श्री देवी दयाल	2	445	श्री छोटूराम	5
413	श्री लादूराम	5	446	श्री चरिंजीलाल	5
414	श्री नारायण	1	447	श्री सुरजाराम	5
415	श्री नारायण	2	448	श्री हुरदेवखां	2
416	श्री प्रदीप कुमार	2	449	श्री वैद्य गोविन्द नारायण	1

1	2	3
450.	श्री छाजीलाल	1
451.	श्री घनश्याम सिंह	5
452.	श्री चिरंजीलाल	2
453.	श्री श्रवणसिंह	2
454.	श्री मोहनलाल	2
455.	श्री सुवालाल	2
456.	श्री मदनलाल	2
457.	श्री व्यवस्थापक मन्दिर	2
458.	श्री गुलाबचन्द	2
459.	श्री मंगलाराम	2
460.	श्री किशनाराम	2
461.	श्री जयवन्तसिंह	2
462.	श्री विजय कुमार	2
463.	श्री जमनाराम	2
464.	श्री मुनीखां	2
465.	श्री श्रवणसिंह	5
466.	श्री सोहनलाल	2
467.	श्री बालूराम	2
468.	श्री व्यवस्थापक, जैन मन्दिर	10
469.	श्री पेमाराम	2
470.	श्री खेमाराम	2
471.	श्री मांगीलाल	5
472.	श्री चिरंजी लाल	5
473.	श्री रामलाल	2
474.	श्री प्रधानाध्यापक, मा. शाला. खाचरियावास	10
475.	श्री शिवशंकर	15
476.	श्री सोहनलाल	10
477.	श्री गोविन्द नारायण	2
478.	श्री किशनाराम	2
479.	श्री सीताराम	2
480.	श्री कैलाश चन्द	2
481.	श्री नन्दलाल	2
482.	श्री बन्शीलाल	2
483.	श्री भूराराम	2
484.	श्री यमुनादत्त	2
485.	श्री नारायण भादू	2
486.	श्री झूथाराम	2
487.	श्री सुल्तान सिंह	1
488.	श्री मालीराम	5
489.	श्री खेतराम	3
490.	श्री रुडाराम	1
491.	श्री रतनाराम	1
492.	श्री मोतीलाल	2
493.	श्री कन्हैयालाल	2
494.	श्री हनुमान प्रसाद	2
495.	श्री हनुमान प्रसाद	2
496.	श्री रतनलाल	1
497.	श्री गुलाबचन्द	2
498.	श्री गिरधारीलाल	2
499.	श्री रुडाराम	4
500.	श्री रामेश्वर	5
501.	श्री रामदेव	1
502.	श्री गोबिन्द नारायण	1
503.	श्री हरिकिशन	1
504.	श्री नरपतसिंह	2
505.	श्री चान्दखां	1
506.	श्री गणपत लाल	2
507.	श्री जयनारायण	2
508.	श्री रामेश्वरलाल	2
509.	श्री रुडाराम	2
510.	श्री मूलसिंह	5
511.	श्री दिनेश कुमार	5
512.	श्री भंवरलाल	3
513.	श्री रामावतार	2
514.	श्री रणवीरसिंह	2
515.	श्री सोहनसिंह	2

1	2	3	1	2	3
516.	श्री मूलसिंह	2	549.	श्री रामेश्वर	2
517.	श्री बंशीधर	4	550.	श्री खाजूलाल	2
518.	श्री धन्नालाल	3	551.	श्री बिहारी लाल	1
519.	श्री सरपंच ग्राम पंचायत पचार	6	552.	श्री सोहनलाल	2
520.	श्री शिवनाथ सिंह	15	553.	श्री श्रीगणेश	2
521.	श्री डूंगाराम	2	554.	श्री रामदयाल शर्मा	2
522.	श्री किशनाराम	2	555.	श्री राधेश्याम	1
523.	श्री छोटूखां	2	556.	श्री रघुवीर सिंह	1
524.	श्री नारायण	5	557.	श्री मांगूराम	2
525.	श्री सुरजाराम	5	558.	श्री भैरूराम	1
526.	श्री भंवरसिंह	2	559.	श्री किशोर सिंह	3
527.	श्री सरपंच ग्राम पंचायत लाम्या	15	560.	श्री लादूराम	3
528.	श्री महादेव	5	561.	श्री मोहम्मद	1
529.	श्री तेजाराम	2	562.	श्री सतार मोहम्मद	
530.	श्री रामेश्वर	1	563.	श्री मदन लाल	2
531.	श्री गणेशराम	1	564.	श्री बनेसिंह	5
532.	श्री गोपाल लाल	2	565.	श्री ग्रासुसिंह	2
533.	श्री सहस्त्री सिंह	10	566.	श्री राम देव शर्मा	2
534.	श्री श्यामलाल	3	567.	श्री मदन लाल	2
535.	श्री मदन सिंह	2	568.	श्री मोहन लाल	5
536.	श्री बन्नाराम	3	569.	श्री कपूरचन्द	5
537.	श्री मालीराम	3	570.	श्री हीरालाल	5
538.	श्री कालूराम	1	571.	श्री ग्रशोक कुमार	5
539.	श्री महेश पारीक	2	572.	श्री ग्रजीत कुमार	5
540.	श्री भोमाराम	1	573.	श्री मूलचन्द	5
541.	श्री सुखदेवा	1	574.	श्री कानाराम	5
542.	श्री भैरूराम	1	575.	श्री सुख देवा	5
543.	श्री धनश्याम	2	576.	श्री मंगलाराम	5
544.	श्री बालूराम	2	577.	श्री जसवन्त सिंह	5
545.	श्री सुरेशकुमार	2	578.	श्री शिवदयाल	3
546.	श्री माल खेत	2	579.	श्री माली राम	5
547.	श्रीमती माली देवी	2	580.	श्री रूडाराम	5
548.	श्री छितरमल	2	581.	श्री शिवदयाल	5

1	2	3	1	2	3
582.	श्री चैन सुख	2	615.	श्री जोरावर सिंह	2
583.	श्री सुवालाल	2	616.	श्री विनोद कुमार	2
584.	श्री जगदीश सिंह	5	617.	श्री झुथाराम	10
585.	श्री वाव राम	2	618.	श्री चुन्नीलाल	5
586.	श्री राम दास	2	619.	श्री शम्भू सिंह	2
587	श्री रत्ना राम	2	620.	श्री नाथू राम नाई	3
588.	श्री रुडा राम	1	621.	श्री दीपा राम	2
589.	श्री रूपनारायण	1	622.	श्री मूलचन्द	2
590.	श्री बोदूराम	1	623.	श्री नारायण	3
591.	श्री सेदूराम	1	624.	श्री गणेश राम	3
592.	श्री पोखर दास	1	625.	श्रीमती बसन्ती देवी	5
593.	श्री टीकूराम	1	626.	श्री राम कुमार	10
594.	श्री हीरालाल	1	627.	श्री गजानन्द	5
595.	श्री रामू राम	1	628.	श्री हीरा लाल	5
596.	श्री पदमाराम	1	629.	श्री व्यवस्थापक, जैन मंदिर	10
597.	श्री मनसाराम	2	630.	श्री खाचरिया वास सह. समिति, खाचरियावास	15
598.	श्री श्याम सिंह	10			
599.	श्री दीपा राम	2	631.	श्री गणपत लाल	5
600.	श्री फताराम	5	632.	श्री चैन सुख	2
601.	श्री प्रभुराम	10	633.	श्री गोपाल सिंह	3
602.	श्री कानाराम	6	634.	श्री मूलचन्द वर्मा	3
603.	श्री हरसूराम	2	635.	श्री लछीराम	3
604.	श्री जगदीश प्रसाद	3	636.	श्री विशन सिंह	10
605	श्री बन्शीधर	2	637.	श्री नारायण	2
606.	श्री प्रहलाद सहाय	3	638.	श्री नोपाराम	2
607.	श्री बन्शीधर	3	639.	श्री अर्जुन राम	2
608.	श्री भोपैला राम	3	640.	श्री देवी लाल	5
609	श्री केशरमल	3	641.	श्री सुरेन्द्र सिंह	3
610.	श्री गोविन्दराम	3	642.	श्री नेमाराम	3
611.	श्री सांवल राम	2	643.	श्री नरसिंह प्रसाद	5
612.	श्री चतराराम	2	644.	श्री गोपीराम	3
613.	श्री कानाराम	3	645.	श्री नरसिंह	3
614.	श्री समसुद्दीन	5	646.	श्री सुमेरसिंह	5

296

1	2	3
647.	श्री कन्हैयालाल	5
648.	श्री मालाराम	3
649.	श्री गोपीराम	3
650.	श्री पोखाराम	5
651.	श्री कन्हैयालाल	5
652.	श्री गनी मोहम्मद	2
653.	श्री नानूराम	2
654.	श्री ज्ञान चन्द	2
655	श्री सुवा लाल	1
656	श्री मोहन लाल	5
657	श्री रघुवीर सिंह	2
658	श्री सुवालाल	6
659	श्री हरिनारायण	4
660	श्री बजरंग लाल	15
661	श्री प्रभातीलाल	20

297

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 169 का विवरण)

वर्ष 1979-80 में यूनानी चिकित्सालय/ औषधालयों को आवंटित तथा वितरित की गई औषधियों का जिलेवार विवरण ।

(रुपयों में)

क्रम संख्या	नाम जिला	निर्मित औषधि बजट आवंटित	निर्मित औषधियां वितरित
1.	अजमेर	36150-00	37567-90
2.	जयपुर	104190-00	91714-95
3.	टोंक	42150-00	44094-80
4.	झुन्झुनूं	7790-00	8741-68
5.	सवाई माधोपुर	29880-00	29863-15
6.	बून्दी	1470-00	2486-00
7.	झालावाड़	6270-00	3057-00
8.	बाड़मेर	4730-00	2475-25
9.	चूरू	7840-00	5409-75
10.	पाली	3330-00	2766-90
11.	अलवर	5500-00	3913-15
12.	बांसवाड़ा	2490-00	1032-25
13.	जैसलमेर	1570-00	829-40
14.	कोटा	10560-00	2957-80
15.	चित्तौड़	7900-00	5127-00
16.	भरतपुर	14480-00	12637-50
17.	डूंगरपुर	27000-00	16725-30
18.	जोधपुर	18250-00	15670-50
19.	नागौर	11860-00	8443-38
20.	उदयपुर	11990-00	10939-30
21.	बीकानेर	28440-00	16238-60
22.	सीकर	6000-00	5968-00
	योग	389840-00	328659-56

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 229 की सूची)

क्रम. संख्या	नाम जिला	वर्ष 77-78 से जून, 80 राज्य में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत चालान अदालत में पेश किये ।	क्रम. संख्या	नाम जिला	वर्ष 77-78 से जून, 80 राज्य में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत चालान अदालत में पेश किये ।
1	2	3	1	2	3
1.	अजमेर	158	15.	जालौर	70
2.	अलवर	186	16.	जोधपुर	15
3.	बाड़मेर	38	17.	झुन्झुनूं	43
4.	बांसवाड़ा	69	18.	झालावाड़	43
5.	भरतपुर	224	19.	कोटा	81
6.	भीलवाड़ा	218	20.	नागौर	17
7.	बीकानेर	34	21.	पाली	70
8.	बून्दी	12	22.	सवाई माधोपुर	63
9.	चित्तौड़गढ	92	23.	सीकर	33
10.	चूरू	22	24.	सिरोही	27
11.	डूंगरपुर	15	25.	टोंक	43
12.	गंगानगर	34	26.	उदयपुर	117
13.	जयपुर	120		योग:—	1844
14.	जैसलमेर	—			